

संदर्भ क्र. Ref. No.: HO:IRC:SVM:2026-27:62

दिनांक Date: 22.05.2026

Scrip Code: BANKINDIA The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	Scrip Code : 532149 The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

Dear Sir / Madam,

Sub: Annual Report of the Bank for the year 2025-26

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report (including Notice of 30th Annual General Meeting) of the Bank for the year 2025-26.

The Annual Report of the Bank for the year 2025-26 is also available on the Bank's website www.bankofindia.bank.in.

We request you to take the same on record.

भवदीय Yours faithfully,



**USHA
RAMSINGHANI**

Digitally signed by USHA
RAMSINGHANI
Date: 2026.05.22 11:45:31
+05'30'

(Usha Ramsinghani)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl: As above.



दूरदर्शिता से उत्कृष्ट प्रदर्शन:
अनुपालन से सफलता की राह का सृजन

Performance with Prudence:
Building a Compliant Path to Success

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2025-26

Bank of India

Relationship beyond banking



निदेशक मंडल / Bank of India



बाएं से दाएं : श्री पी. आर. राजगोपाल (कार्यपालक निदेशक), श्री अशोक नारायण (आरबीआई नामित निदेशक), श्री प्रबोध पारिख (शेयरधारक निदेशक), श्रीमती जमुना रवि (शेयरधारक निदेशक), श्री एम. आर. कुमार (अध्यक्ष), श्री रजनीश कर्नाटक(एमडी एवं सीईओ), श्री मनोज एम. अय्यप्पन (भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक), श्री सुब्रत कुमार (कार्यपालक निदेशक), श्री राजीव मिश्रा (कार्यपालक निदेशक), श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी (कार्यपालक निदेशक).

From left to right : Shri P. R. Rajagopal (Executive Director), Shri Ashok Narain (RBI Nominee Director), Shri Prabodh Parikh (Shareholder Director), Smt Jamuna Ravi (Shareholder Director), Shri M.R. Kumar (Chairman), Shri Rajneesh Karnatak (MD & CEO), Shri Manoj M. Ayyappan (GOI Nominee Director), Shri Subrat Kumar (Executive Director), Shri Rajiv Mishra (Executive Director), Shri Pramod Kumar Dwivedi (Executive Director).

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India	महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
(भारत सरकार का उपक्रम), (A Government of India undertaking), प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. फोन: 022-6668 49 14 ई-मेल: HeadOffice.share@bankofindia.bank.in वेबसाइट: www.bankofindia.bank.in Head Office: Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Phone: 022-6668 49 14 E-mail: HeadOffice.share@bankofindia.bank.in Website: www.bankofindia.bank.in	लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि	29, मई 2026.	Record Date for Dividend :	29.05.2026
	ई-वोटिंग और वीसी के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की कट-ऑफ तिथि :	08, जून 2026.	Cut Off Date for E-voting and to participate in AGM through VC:	08.06.2026
	रिमोट ई-वोटिंग	12, जून 2026 से (प्रातः 9 बजे) शुरू 14, जून 2026 (शाम 5 बजे) समाप्त	Remote E-voting :	Start – 12.06.2026 (09.00 AM) End – 14.06.2026 (05.00 PM)
	30 वीं वार्षिक आम बैठक	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा सोमवार 15, जून 2026 को सुबह 11 बजे ।	30th Annual General Meeting :	15.06.2026 Monday at 11.00 AM Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

विषय सूची

Contents

अवलोकन Overview

2	कार्य-निष्पादन वि.व. 2025-26 एक नजर में
4	सांविधिक लेखा परीक्षक
4	मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक
5	अध्यक्ष का वक्तव्य
7	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का वक्तव्य

2	Performance at a Glance FY 2025-26
4	Statutory Auditors
4	Chief General Managers & General Managers
5	Chairman's Statement
7	Managing Director & CEO's Statement

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

11	निदेशक रिपोर्ट
20	हरित जमाराशि प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट
26	प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण
90	कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग
91	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
94	कॉर्पोरेट प्रशासन
137	निदेशकों की गैर-अयोग्यता प्रमाणपत्र
139	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फार्म एमआर-3)
145	सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण
145	मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा
146	सत्यनिष्ठा संधि
351	बासेल -III (स्तंभ 3) - प्रकटन
352	वार्षिक आम बैठक की सूचना
367	हरित पहल

16	Directors' Report
23	Green Deposit Impact Analysis Report
60	Management Discussion & Analysis
90	Business Responsibility & Sustainability Reporting
91	Corporate Social Responsibility
117	Corporate Governance
137	Certificate of Non-disqualification of Directors
139	Secretarial Audit Report (Form - MR-3)
145	CEO/CFO Certification
145	Declaration by CEO
146	Integrity Pact
351	Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
352	Notice of Annual General Meeting
367	Green Initiative

वित्तीय विवरण Financial Statements

148	तुलनपत्र
149	लाभ एवं हानि खाता
150	नकदी प्रवाह विवरण
159	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
177	लेखों के भाग स्वरूप टिप्पणियां
257	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
274	समेकित वित्तीय विवरण
285	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां - समेकित
316	लेखों के भाग स्वरूप टिप्पणियां- समेकित
339	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट- समेकित

148	Balance Sheet
149	Profit & Loss Account
150	Cash Flow Statement
168	Significant Accounting Policies
217	Notes Forming Part of Accounts
265	Independent Auditors' Report
274	Consolidated Financial Statements
301	Significant Accounting Policies - Consolidated
328	Notes Forming Part of Accounts - Consolidated
345	Independent Auditors' Report - Consolidated

कार्य-निष्पादन वि.व 2025-26 एक नजर में Performance at a Glance FY 2025-26

वर्ष के अंत में	At the Year End	मार्च 2026 March 2026	मार्च 2025 March 2025	मार्च 2024 March 2024	मार्च 2023 March 2023	मार्च 2022 March 2022	मार्च 2021 March 2021	मार्च 2020 March 2020
1. प्रदत्त पूंजी	1. Paid-up Capital	4553	4553	4553	4104	4104	3278	3278
2. आरक्षितियां	2. Reserves	83437	74048	64327	54866	51027	42408	40539
3. जमाराशियां	3. Deposits	927271	816541	737920	669586	627896	627114	555505
4. अग्रिम	4. Advances	771391	666047	585595	515852	457014	410436	416521
5. ऋण जमा अनुपात (%)	5. Credit : Deposit Ratio (%)	83.19	81.57	79.36	77.04	72.78	65.45	74.98
6. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	6. Priority Sector Advances	248887	215081	183378	164461	151600	138935	126371
क) कृषि	a) Agriculture	105022	100123	84460	72391	66418	59007	52918
7. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम	7. MSME	106660	90639	77877	70777	64750	57267	52302
8. निर्यात ऋण	8. Export Credit	6748	6145	5770	6720	6859	6661	6888
9. निवेश	9. Investments	268629	259112	227144	204398	174448	187253	158573
10. कार्यशील निधियां (कुल आस्तियां/देयताएं)	10. Working Funds (Total Assets/Liabilities)	1163433	1042582	912598	815556	734613	725856	656995
11. कुल शाखाएं	11. Number of Branches	5533	5328	5170	5150	5127	5108	5106
क) विदेशी	a) Foreign	22	22	22	21	22	24	23
ख) भारतीय	b) Indian	5511	5306	5148	5129	5105	5084	5083
उनमें से -	of which :							
i) महानगरीय	i) Metropolitan	1022	974	990	991	991	991	991
ii) शहरी	ii) Urban	913	851	830	829	815	812	810
iii) अर्ध-शहरी	iii) Semi-Urban	1642	1573	1464	1459	1462	1453	1454
iv) ग्रामीण	iv) Rural	1934	1906	1862	1853	1837	1828	1828
12. कुल स्टाफ सदस्य (विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों सहित)	12. Number of Employees (including at Foreign Branches/Offices)	51010	50564	50944	52374	52374	52037	50098
13. परिचालन लाभ	13. Operating Profit	17049	16412	14069	13393	9988	10273	11519
14. शुद्ध लाभ	14. Net Profit	10527	9219	6318	4023	3405	2160	-2957
15. आस्तियों पर प्रतिफल (%)	15. Return on Assets (%)	0.93	0.90	0.70	0.49	0.43	0.28	-0.43
16. प्रति शेयर अर्जन (रु.)	16. Earning Per Share (Rs.)	23.12	20.25	14.90	9.80	8.84	6.59	-9.10
17. प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	17. Book Value Per Share (Rs.)	165.35	144.16	121.05	100.20	89.99	84.24	65.61
18. लाभांश (%) #	18. Dividend (%) #	46.5	40.5	28	20	20	-	-
19. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	19. Capital Adequacy Ratio (%)	18.01	17.77	16.96	16.28	16.51	14.93	13.10
20. सकल एनपीए अनुपात (%)	20. Gross NPA Ratio (%)	1.98	3.27	4.98	7.31	9.98	13.77	14.78
21. शुद्ध एनपीए अनुपात (%)	21. Net NPA Ratio (%)	0.56	0.82	1.22	1.66	2.34	3.35	3.88

जहाँ आवश्यक हो, आंकड़े पुनः समूहीकृत किए गए हैं

घरेलू शाखाओं की संख्या में डीबीयू शामिल हैं

प्रस्तावित लाभांश से संबंधित वित्तीय वर्ष 25-26 के आंकड़े

Figures have been regrouped wherever necessary

The number of domestic branches include DBUs

Figures for FY25-26 pertain to proposed Dividend

₹ करोड़ में / ₹ in Crores

मार्च 2019 March 2019	मार्च 2018 March 2018	मार्च 2017 March 2017	मार्च 2016 March 2016	मार्च 2015 March 2015	मार्च 2014 March 2014	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007
2760	1744	1055	817	666	643	597	575	547	526	526	526	488
38921	33797	31432	31499	30781	29280	23322	20387	16743	13704	12969	10063	5407
520862	520854	540032	513005	531907	476974	381840	318216	298886	229762	189708	150012	119882
382860	375995	393788	381662	411727	376228	292968	251494	216154	168491	142909	113476	85116
73.51	72.19	72.92	74.40	77.41	78.88	76.73	79.03	72.31	73.33	75.33	75.64	71.00
130494	121691	113027	104656	94572	82021	65518	59205	48880	52125	41472	32827	27765
57302	51938	54303	50508	43183	36071	27041	23468	17632	18256	16284	13128	11289
51866	51678	42768	39466	39822	35504	28912	27128	23705	25810	17941	11703	7351
7955	9386	10943	9721	10503	10993	9531	8128	7533	6635	6176	6666	5264
147639	137111	127827	118849	119792	114152	94613	86754	85872	67080	52607	41803	35493
625223	609575	626309	609914	618698	573190	452603	384536	351172	274966	225502	178830	141817
5117	5186	5184	5077	4948	4702	4345	4049	3519	3236	3048	2909	2750
25	59	61	61	56	56	53	49	29	29	27	26	25
5092	5127	5123	5016	4892	4646	4292	4000	3490	3207	3021	2883	2725
994	885	875	873	863	833	787	722	660	628	585	560	523
812	860	859	835	821	789	742	709	645	607	568	521	475
1454	1371	1379	1350	1317	1258	1165	1078	841	701	624	575	508
1832	2011	2010	1958	1891	1766	1598	1491	1344	1271	1244	1227	1219
49144	49041	48134	49811	45613	43466	42666	41897	40127	39676	40155	40616	41511
8092	7139	9733	6036	7488	8423	7459	6694	5384	4705	5457	3701	2395
-5547	-6044	-1558	-6089	1709	2729	2749	2678	2489	1741	3007	2009	1123
-0.84	-0.91	-0.24	-0.94	0.27	0.51	0.65	0.72	0.82	0.70	1.49	1.25	0.88
-29.79	-52.55	-15.72	-83.01	26.57	44.74	47.79	48.98	47.35	33.15	57.26	40.83	23.04
79.81	108.91	189	262.77	398.02	387.53	362.37	326.52	283.24	236.84	211.89	164.05	112.75
-	-	-	-	50	50	100	70	70	70	80	40	35
14.19	12.94	12.14	12.01	11.42	10.76	11.02	11.95	12.17	12.94	13.01	12.04	11.75
15.84	16.58	13.22	13.07	5.39	3.15	2.99	2.34	2.23	2.85	1.71	1.68	2.42
5.61	8.26	6.90	7.79	3.36	2.00	2.06	1.47	0.91	1.31	0.44	0.52	0.95

सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors

एस. जयकिशन , सनदी लेखाकार

S. Jaykishan, Chartered Accountants

ए. बाफना एवं कंपनी, सनदी लेखाकार

A. Bafna & Co, Chartered Accountants

एससीवी एवं कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार

SCV & Co. LLP, Chartered Accountants

सारदा और पारीक एलएलपी, सनदी लेखाकार

SARDA & PAREEK LLP, Chartered Accountants

मुख्य सतर्कता अधिकारी (यथा 31.03.2026) / Chief Vigilance Officer (As on 31.03.2026)

विष्णु कुमार गुप्ता

VISHNU KUMAR GUPTA

मुख्य महाप्रबंधक (यथा 31.03.2026) / Chief General Managers (As on 31.03.2026)

अभिजीत बोस

ABHIJIT BOSE

अशोक कुमार पाठक

ASHOK KUMAR PATHAK

सुधीरंजन पाद्री

SUDHIRANJAN PADHI

प्रफुल्ल कुमार गिरि

PRAFULLA KUMAR GIRI

पिनपाला हरि किशन

PINAPALA HARI KISHAN

शारदा भूषण राय

SHARDA BHUSHAN RAI

नितिन गोविंदराव देशपांडे

NITIN GOVINDRAO DESHPANDE

राजेश सदाशिव इंगले

RAJESH SADASHIV INGLE

प्रशांत थपलियाल

PRASHANT THAPLIYAL

सुनील शर्मा

SUNIL SHARMA

राघवेंद्र कुमार

RAGHVENDRA KUMAR

सत्येंद्र सिंह

SATYENDRA SINGH

शंकर सेन

SANKAR SEN

महाप्रबंधक (यथा 31.03.2026) / General Managers (As on 31.03.2026)

लोकेश कृष्णा

LOKESH KRISHNA

वेंकटाचलम आनंद

VENKATACHALAM ANAND

उद्दालक भट्टाचार्य

UDDALOK BHATTACHARYA

अमिताभ बनर्जी

AMITABH BANERJEE

राधा कांत होता

RADHA KANTA HOTA

बी कुमार

B KUMAR

बिश्नूजित मिश्र

BISWAJIT MISHRA

संजय राम श्रीवास्तव

SANJAY RAMA SRIVASTAVA

मनोज कुमार सिंह

MANOJ KUMAR SINGH

वासु देव

VASU DEV

सुब्रत कुमार रॉय

SUBRATA KUMAR ROY

नकुल बेहेरा

NAKULA BEHERA

अनिल कुमार वर्मा

ANIL KUMAR VERMA

मनोज कुमार

MANOJ KUMAR

अंजलि भटनागर

ANJALI BHATNAGAR

रमेश चंद्र बेहेरा

RAMESH CHANDRA BEHERA

रजनीश भारद्वाज

RAJNISH BHARDWAJ

मुकेश शर्मा

MUKESH SHARMA

संतोष एस

SANTOSH S

प्रशांत कुमार सिंह

PRASHANT KUMAR SINGH

विकास कृष्णा

VIKASH KRISHNA

शम्पा सुधीर बिश्वास

SHAMPA SUDHIR BISWAS

सौन्दर्य भूषण साहनी

SOUNDARJYA BHUSAN SAHANI

दीपक कुमार गुप्ता

DEEPAK KUMAR GUPTA

चन्द्र मोहन कुमरा

CHANDER MOHAN KUMRA

अजय ठाकुर

AJEYA THAKUR

अमरेंद्र कुमार

AMRENDRA KUMAR

मनोज कुमार श्रीवास्तव

MANOJ KUMAR SRIVASTAVA

जी उन्नीकृष्णन

G UNNIKRISSHNAN

विकास कुमार

VIKAS KUMAR

आशुतोष मिश्रा

ASHUTOSH MISHRA

अतुल रामदास सातपुते

ATUL RAMDAS SATPUTE

गुरु प्रसाद गोंड

GURU PRASAD GOND

प्रभात कुमार सिन्हा

PRABHAT KUMAR SINHA

विनायक शुक्ला

VINAYAK SHUKLA

राजीव कुमार सिंह

RAJIV KUMAR SINGH

अनीता मोहंती

ANITA MOHANTY

रवि शंकर

RAVI SHANKAR

शिब प्रसाद बिस्वाल

SHIBA PRASAD BISWAL

मुकेश कुमार झा

MUKESH KUMAR JHA

रणवीर सिंह

RANVIR SINGH

राकेश दीपक

RAKESH DIPAK

गौरी शंकर राव सैलदा

GOWRI SHANKARRAO SAILADA

के किशोर कुमार

K KISHORE KUMAR

अजय कुमार मोहंती

AJAYA KUMAR MOHANTY

सुभाष चंद्र मिश्रा

SUBHASH CHANDRA MISHRA

जयप्रकाश भरथन

JAYAPRAKASH BHARATHAN

अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement



प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जटिल एवं अनिश्चित परिस्थितियों में आगे बढ़ना जारी रखा। अप्रैल 2026 के अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में आईएमएफ ने वर्ष 2026 हेतु वैश्विक वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 3.0% किया, जो व्यापार व्यवधानों एवं नीतिगत अस्थिरता से प्रभावित पिछले वर्ष के बाद सतर्क सुधार को दर्शाता है। जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्थिरता के अनंतिम संकेत दिखाई दिए, वहीं उभरते बाजारों को कठोर वित्तीय परिस्थितियों एवं कमजोर बाह्य मांग के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

इस पृष्ठभूमि के सापेक्ष, भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक स्थिरता का प्रदर्शन किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान है, जिसे मजबूत घरेलू उपभोग, निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय तथा सशक्त सेवा क्षेत्र का सहयोग प्राप्त हुआ। आरबीआई ने मुद्रास्फीति प्रबंधन के साथ विकास आवश्यकताओं में संतुलन बनाते हुए संतुलित मौद्रिक रुख अपनाया। यद्यपि नीतिगत वातावरण व्यापक रूप से सहयोगी रहा, फिर भी बैंक निकट अवधि में ब्याज दरों की बदलती परिस्थितियों एवं निवल ब्याज मार्जिन पर संभावित प्रभाव को लेकर सतर्क बना हुआ है।

आपका बैंक भविष्य के लिए तैयार संस्था के निर्माण में निरंतर महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। हमने अपनी डिजिटल अवसंरचना को और मजबूत किया, ग्राहक-केंद्रित उत्पादों के दायरे का विस्तार किया तथा अपने परिचालनों में ईएसजी एकीकरण को सुदृढ़ बनाया। उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर एवं पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र में साझेदारियों को बढ़ावा देकर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी संरचनात्मक परिवर्तनों के मध्य बैंक को दीर्घकालिक मूल्य सृजन एवं वित्तीय मजबूती हेतु सक्रिय रूप से स्थापित कर रहे हैं।

Dear Shareholders and Stakeholders,

The global economy continued to navigate a complex and uncertain landscape during FY2025-26. In its April 2026, World Economic Outlook, the IMF revised global growth estimates for 2026 to 3.0%, reflecting a cautious recovery from the trade disruptions and policy volatility that characterized the previous year. While advanced economies showed tentative signs of stabilization, emerging markets continued to face headwinds from tightening financial conditions and subdued external demand.

Against this backdrop, India demonstrated commendable economic resilience, estimating a real GDP growth of 7.4% in FY26, according to the Economic Survey 2025-26, supported by robust domestic consumption, continued public capital expenditure, and a buoyant services sector. The RBI maintained a calibrated monetary stance, balancing growth imperatives with inflation management. While the policy environment remained broadly supportive, the Bank remains watchful of evolving interest rate dynamics and their potential impact on our Net Interest Margin in the near term.

Your Bank continued to make meaningful strides in building a future ready institution. We deepened our digital infrastructure, expanded our customer centric product suite, and strengthened ESG integration across our operations. By leveraging emerging technologies and fostering partnerships across the ecosystem, we are actively positioning the Bank for long term value creation and financial resilience amid ongoing structural shifts in the global economy.

हम सुशासन, नैतिकता एवं विनियामकीय अनुपालन के सर्वोच्च मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं। मजबूत अनुपालन संस्कृति केवल एक विनियामकीय दायित्व नहीं है, बल्कि यह हमारी विश्वसनीयता का आधार स्तंभ है। आपका बैंक अपने परिचालनों के सभी स्तरों पर इस सिद्धांत का पालन करता रहा है, जिससे ग्राहकों, निवेशकों और विनियामकों का विश्वास एवं भरोसा लगातार मजबूत हुआ है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपके बैंक ने उत्कृष्ट वित्तीय कार्यनिष्पादन किया और ₹10,527 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 14.19% की वृद्धि को दर्शाता है। हमारी पूंजी पर्याप्तता मजबूत बनी हुई है, आस्ति गुणवत्ता संकेतकों में भी सुधार हुआ है तथा प्रावधान कवरेज अनुपात संतोषजनक स्तर पर है। अग्रिमों के खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई (आरएएम) घटकों में निरंतर गति, बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन एवं अनुशासित ऋण वृद्धि के साथ हम आने वाले वर्ष में इस कार्यनिष्पादन को और आगे बढ़ाने के लिए मजबूत स्थिति में हैं।

सधन्यवाद



एम.आर.कुमार
अध्यक्ष

We remain steadfast in our commitment to the highest standards of governance, ethics, and regulatory compliance. A robust compliance culture is not merely a regulatory obligation – it is the structural anchor of our credibility. Your Bank continues to uphold this ethos across all levels of its operations, reinforcing the confidence and trust that our customers, investors, and regulators place in us.

I am pleased to report that during FY2025-26, Your Bank delivered a strong financial performance, posting a net profit of ₹10,527 crore, reflecting a YoY growth of 14.19%. Our capital adequacy remains robust, asset quality metrics have improved further, and the Provision Coverage Ratio stands at a healthy level. With continued momentum in Retail, Agriculture and MSME (RAM) segments of advances, driving digital transformation at scale, and disciplined credit growth, we are well positioned to build on this performance in the year ahead.

Thank you



M.R.Kumar
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का वक्तव्य Managing Director & CEO's Statement



प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

1. मुझे 30वीं वार्षिक आम बैठक में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सभी के निरंतर एवं अटूट सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन, प्रमुख उपलब्धियों तथा कार्यनीतिक पहलों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में समाहित है।
2. वर्ष 2025 तथा वर्ष 2026 के प्रारंभिक महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 3.2% की वृद्धि दर के साथ स्थिर बनी रही, यद्यपि उन्नत बाजारों में मुद्रास्फीति एक सतत चुनौती बनी रही। निरंतर एफआईआई बहिर्प्रवाहों के कारण पूंजी बाजारों पर दबाव बना, तथापि घरेलू खुदरा निवेश भागीदारी एवं रिकॉर्ड स्तर के एसआईपी निवेश प्रवाह ने बाह्य अस्थिरताओं का प्रभावी रूप से मुकाबला किया। वैश्विक व्यापार अवरोधों एवं परिवर्तित शुल्क व्यवस्थाओं के बावजूद, सेवा निर्यातों में वृद्धि तथा उभरते व्यापारिक साझेदारों की ओर बढ़ते रुझान के कारण कुल निर्यात 860.09 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। निरंतर जीएसटी संग्रहण एवं प्रत्यक्ष कर आधार के विस्तार के कारण सरकारी राजस्व संग्रहण भी सुदृढ़ रहा। इन राजकोषीय आधारों तथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.6% तक पहुँच गया। यह कार्य-निष्पादन भारत को विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करता है, जिसे सुदृढ़ निजी उपभोग तथा स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र का समर्थन प्राप्त है।
3. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2026 में असाधारण मजबूती का प्रदर्शन किया। भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सकल एनपीए अनुपात बहुवर्षीय निम्न स्तर लगभग 2.1% पर रहा। वित्तीय स्थिरता को ऋण वृद्धि एवं जमा वृद्धि के स्वस्थ संतुलन से बल मिला। जहाँ कॉर्पोरेट निवेश एवं स्थिर खुदरा मांग के कारण

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. I take this opportunity to present the Annual Report of Your Bank for the Financial Year ended March 31, 2026, at the 30th Annual General Meeting. I wish to express my sincere appreciation to each one of you for your steadfast support. The financial performance, key achievements, and strategic initiatives are detailed comprehensively in the Annual Report.
2. The global economy in 2025 and early 2026 was defined by a tenuous resilience as growth stabilized at ~3.2%, though inflation remained a persistent shadow over advanced markets. While persistent FII outflows exerted pressure on the capital markets, the underlying strength of the economy was demonstrated by domestic retail participation and record breaking SIP inflows that effectively countered external volatility. Despite the emergence of global trade barriers and shifting tariff regimes, the export sector showed remarkable grit, reaching a total of US\$860.09 billion, driven by a surge in services and a pivot toward emerging trade partners. Government revenue collection remained robust, anchored by consistent GST mop-ups and a broadening direct tax base. These fiscal pillars, combined with a jump in capital expenditure, have pushed the estimated real GDP growth for FY26 to a dominant 7.6%. This performance solidifies India's position as one of the fastest growing major economies, buoyed by strong private consumption and a healthy banking sector.
3. The Indian banking sector demonstrated exceptional strength in FY26, with the RBI Financial Stability Report noting a multi-year low in Gross NPAs of ~2.1%. Financial Stability was underpinned by a healthy synchronization between credit and deposit growth; while system credit grew

बैंकिंग प्रणाली में ऋण वृद्धि लगभग 16% रही, वहीं बैंकों द्वारा स्थायी निधि जुटाने हेतु ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप जमा वृद्धि लगभग 13% तक पहुँच गई। दिसंबर 2025 में प्रतिवेदित 17.2% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) ने पूंजीगत आधार प्रदान किया। तरलता कवरेज में वृद्धि तथा डिजिटल बैंकिंग के व्यापक उपयोग ने भी प्रणाली को बाह्य झटकों के प्रति अधिक सक्षम बनाया। आरबीआई द्वारा किए गए दबाव परीक्षणों से यह पुष्टि होती है कि गंभीर व्यापक आर्थिक परिस्थितियों में भी बैंकिंग प्रणाली नियामकीय न्यूनतम सीमा से ऊपर बनी हुई है।

4. इन सुरक्षात्मक उपायों के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेशक मंडल स्तर की निगरानी को युक्तिसंगत बनाकर तथा सीआरएआर गणना को सरल बनाकर व्यावसायिक वातावरण को और अधिक अनुकूल बनाया है। डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा में सुधार तथा फ्लोटिंग दर ऋणों पर पूर्वभुगतान दंड समाप्त करने जैसे सुधारों ने उपभोक्ता विश्वास एवं परिचालनगत पारदर्शिता को और सुदृढ़ किया है। साथ ही, बाह्य उधार सीमा में वृद्धि जैसे उपायों ने संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र के लिए अधिक सुरक्षित एवं विकासोन्मुख वातावरण निर्मित किया है।
5. वित्तीय वर्ष 2027 का केंद्रीय बजट कार्यनीतिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे आधारभूत संरचना एवं मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण मांग को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। राजकोषीय समेकन के मार्ग पर बने रहते हुए तथा राजकोषीय घाटे को 4.3% से नीचे रखने के लक्ष्य ने निजी निवेश हेतु बैंकों को अधिक तरलता उपलब्ध कराने में सहायता की है। बजट में एमएसएमई हेतु उन्नत ऋण गारंटी योजनाएँ एवं हरित वित्तपोषण के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए हैं, जिससे विशिष्ट ऋण संवितरण एवं आस्ति विविधीकरण के नए अवसर खुलेंगे। इसके अतिरिक्त, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर बढ़ा हुआ व्यय परिचालनगत लागत को कम करेगा तथा डेटा एकीकरण के माध्यम से ऋण लेखांकन जोखिम को अधिक सक्षम बनाएगा। ये सभी उपाय निवेश-आधारित विकास को स्थायी रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक व्यापक आर्थिक आधार उपलब्ध कराते हैं।
6. इस संदर्भ में, मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ :
 - ए. बैंक का वैश्विक मिश्रित कारोबार 14.57% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹2.16 लाख करोड़ बढ़कर ₹16.99 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
 - बी. बैंक की वैश्विक जमाराशि 13.56% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹9.27 लाख करोड़ रही, जबकि वैश्विक अग्रिमों में 15.82% की वृद्धि होकर वे ₹7.71 लाख करोड़ तक पहुँच गए।
 - सी. घरेलू स्तर पर बैंक का कारोबार 15.10% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹1.91 लाख करोड़ बढ़कर ₹14.54 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
 - डी. बैंक की घरेलू जमाराशि 14.30% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹8.00 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गई, जबकि घरेलू अग्रिम 16.10% के साथ बढ़कर ₹6.54 लाख करोड़ हो गए।
 - ई. रैम घटक में खुदरा अग्रिमों में 21.19%, कृषि अग्रिमों में 17.60% तथा एमएसएमई अग्रिमों में 17.68% की वृद्धि हुई। कुल सकल अग्रिमों में रैम अग्रिमों की हिस्सेदारी अब 58.74% हो गई है।

~16% due to corporate investment and steady retail demand, deposit growth accelerated to ~13% as banks repriced rates to mobilize stable funding. This balance, supported by the CRAR of 17.2%, as reported during December 2025, provided a formidable capital buffer. Enhanced liquidity coverage and the widespread adoption of digital banking further fortified the system against external shocks. RBI stress tests confirm that the banking system remains solvent even under severe macroeconomic scenarios, staying well above regulatory minimums.

4. Beyond these safeguards, the RBI enhanced the business environment by rationalizing board level oversight and simplifying CRAR computation to optimize capital efficiency. Strategic reforms in digital banking security and the removal of prepayment penalties on floating rate loans have further strengthened consumer trust and operational transparency. These measures, alongside expanded limits for external borrowings, have collectively fostered a more secure and growth oriented landscape for the entire banking sector.
5. The Union Budget for FY27 acts as a strategic catalyst by significantly ramping up capital expenditure, which directly stimulates credit demand across the infrastructure and core industrial sectors. By maintaining a path of fiscal consolidation and targeting a deficit below 4.3%, the government reduced its crowding-out effect, allowing banks to channel more liquidity toward private investment. The budget also introduced enhanced credit guarantee schemes for MSMEs and incentives for green financing, opening high growth avenues for specialized lending and asset diversification. Furthermore, increased outlays for digital public infrastructure will lower operational costs and improve credit underwriting through deeper data integration. These measures provide the necessary macroeconomic tailwinds to sustain and support a robust investment-led expansion.
6. In this setting, let me present the highlights of the Bank's performance during the financial year 2025-26.
 - a. Bank's Global Business Mix grew by 14.57% YoY with an incremental increase ₹2.16 Lakh Crore to reach ₹16.99 Lakh Crore.
 - b. Bank's Global Deposits reached ₹9.27 Lakh Crore with a YoY growth of 13.56% while Global Advances grew by 15.82% to reach ₹7.71 Lakh Crore.
 - c. On the Domestic front, Bank's Business Mix grew by 15.10% YoY with an incremental growth of ₹1.91 Lakh Crore to reach ₹14.54 Lakh Crore.
 - d. Bank's Domestic Deposits have surpassed the ₹8.00 Lakh Crore mark with a YoY growth of 14.30% while Domestic Advances rose by 16.10% to reach ₹6.54 Lakh Crore.
 - e. In the RAM segment, Retail Advances increased by 21.19%, Agriculture Advances by 17.60%, and MSME Advances by 17.68%. RAM advances now constitute 58.74% of Total Gross Advances.

- एफ. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में 16.72% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र एवं कृषि अग्रिम दोनों नियामकीय मानकों से ऊपर रहे तथा वे क्रमशः समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के 46.36% एवं 19.56% रहे।
- जी. वित्तीय वर्ष 2026 में निवल ब्याज आय (एनआईआई) में 3% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई, जबकि वैश्विक निवल मार्जिन ब्याज (एनआईएम) 2.52% पर रहा।
- एच. बैंक के आस्ति संबंधी रिटर्न (आरओए) में 3 आधार अंकों का सुधार हुआ और यह वित्तीय वर्ष 2025 के 0.90% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026 में 0.93% रहा, जबकि इक्विटी संबंधी रिटर्न (आरओई) 15.27% से घटकर 14.90% रहा।
- आई. वित्तीय वर्ष 2026 में परिचालनगत लाभ 4% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹17,049 करोड़ रहा, जबकि निवल लाभ 14% बढ़कर ₹10,527 करोड़ तक पहुँच गया। बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2026 हेतु प्रति इक्विटी शेयर ₹4.65 के लाभांश की अनुशंसा की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगी।
- जे. सकल अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात वर्ष-दर-वर्ष 129 आधार अंकों के सुधार के साथ 1.98% पर रहा, जबकि निवल एनपीए अनुपात वर्ष-दर-वर्ष 26 आधार अंकों के सुधार के साथ 0.56% रहा।
- के. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में 118 आधार अंकों का सुधार हुआ और यह 93.57% पर रहा।
- एल. वित्तीय वर्ष 2026 में स्लिपेज अनुपात 53 आधार अंकों के सुधार के साथ 0.83% रहा।
- एम. वित्तीय वर्ष 2026 के अंत में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 18.01% रहा।
- एन. बैंक की ऋण लागत सुधरकर 0.48% हो गई।
7. व्यवसायिक प्रदर्शन के अतिरिक्त, मैं वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान बैंक द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों का भी उल्लेख करना चाहूँगा :
- ए. एमएसएमई सशक्तिकरण :** प्रत्यक्ष सहायता सुविधा – बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की है, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यम सिटी सेंटर (एसएमईसीसी) के प्रमुख को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि ग्राहकों की समस्याओं एवं सुझावों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। एमएसएमई उधारकर्ताओं के पास अपनी समस्याओं को सीधे नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत करने का समर्पित माध्यम है।
- बी. डिजिटल बैंकिंग :** निर्बाध लॉकर आवंटन सुविधा – 8 अगस्त 2025 को बीओआई ओम्नी नियोजित बैंक ऐप के माध्यम से लॉकर आवंटन सुविधा प्रारंभ करने के बाद, 6 फरवरी 2026 से यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग पर भी उपलब्ध करा दी गई है। अब ग्राहक ऑनलाइन लॉकर अनुरोध प्रस्तुत कर सकेंगे तथा आवंटन की स्थिति का पता लगा सकेंगे।
- सी. बीओआई सूर्य शक्ति योजना :** बैंक ने किसानों एवं कृषि उद्यमियों हेतु “बीओआई सूर्य शक्ति योजना” प्रारंभ की है। यह योजना सौर सिंचाई प्रणाली, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य एवं कृषि
- f. Priority Sector Advances increased by 16.72% YoY. Both Priority Sector and Agriculture Advances stayed above regulatory thresholds, constituting 46.36% and 19.56% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), respectively.
- g. Net Interest Income (NII) for FY26 increased by 3% YoY while Global Net Interest Margin (NIM) now stands at 2.52%.
- h. The Bank's Return on Assets improved by 3 bps, standing at 0.93% in FY26 against 0.90% in FY25, and Return on Equity reduced by 37 bps from 15.27% in FY25 to 14.90% in FY26.
- i. Operating Profit for FY26 grew by 4% YoY to ₹17,049 crores while net profits achieved 14% YoY growth reaching ₹10,527 Crore. The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹4.65 per equity share for FY26, subject to the approval of the Shareholders at the Annual General Meeting.
- j. Gross Non Performing Asset (NPA) ratio at 1.98% improved by 129 bps YoY while Net NPA ratio is at 0.56%, an improvement of 26 bps YoY.
- k. Provision Coverage Ratio (PCR) improved by 118 bps YoY and stands at 93.57%.
- l. Slippage Ratio for FY26 improved by 53 bps YoY and stands at 0.83%.
- m. Capital Adequacy Ratio (CRAR) as at the end of FY26 stands at 18.01%.
- n. Credit Cost of our Bank improved to 0.48%.
7. In addition to the business performance, I would also like to highlight a few of the major initiatives your Bank has undertaken in FY26.
- a. **Empowering MSMEs:** A Direct Line to Support – The Bank has established a dedicated MSME Desk Helpline, with the Small & Medium Enterprises City Centre (SMECC) Head serving as the Nodal Officer to ensure direct, seamless communication. MSME borrowers now have a dedicated channel to present their concerns directly to leadership.
- b. **Digital Banking:** Seamless Locker Allotment – Following the successful launch of locker allotment via the BOI Omni Neo Bank App on August 8, 2025, we are pleased to announce that the facility went live on Internet Banking as of February 6, 2026. This enhancement empowers customers to conveniently submit locker requests and track allotment status online, eliminating the need to visit a branch.
- c. **BOI Surya Shakti Scheme:** The Bank introduced the BOI Surya Shakti Scheme, a specialized financing initiative tailored for farmers and agri-entrepreneurs. The scheme supports the adoption of sustainable energy solutions – including solar irrigation systems, cold storage, food and agro-processing, and allied

प्रसंस्करण तथा डेयरी एवं पोल्ट्री जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए सतत ऊर्जा समाधान अपनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ₹2.00 लाख तक के ऋणों हेतु 100% तथा उससे अधिक राशि पर 85% तक वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाता है।

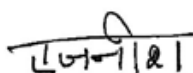
डी. परिचालनगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना : परीक्षण उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना – गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं के मानकीकरण के उद्देश्य से एक केंद्रीकृत परीक्षण उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्यनीतिक पहल उच्चस्तरीय डिजिटल सेवाएँ, अधिक परिचालन दक्षता तथा नियामकीय मानकों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करेगी। यूनिट, इंटीग्रेशन, परफॉर्मेंस, सुरक्षा तथा यूएटी सहित फुल-स्टैक परीक्षण क्षमताओं से युक्त एकीकृत गुणवत्ता आश्वासन ढाँचा प्रदान करते हुए, यह सीओई स्वचालित कार्यप्रवाहों एवं कठोर केपीआई निगरानी का उपयोग कर त्रुटियों के सक्रिय समाधान तथा परिचालनगत सुदृढ़ता सुनिश्चित करेगा।

ई. आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण में परिवर्तन : बीओआई ट्रेड ईजी (एलएमएस) प्लेटफॉर्म – इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत “कैश इनवॉइस प्लेटफॉर्म” को सम्मिलित किया गया है, जिससे कॉर्पोरेट संस्थाओं एवं वेंडरों को भूमिका-आधारित डैशबोर्ड सुविधा उपलब्ध होगी। यह मंच डिजिटल टूलकिट, सरल ऑनबोर्डिंग, लचीली संवितरण प्रणाली एवं स्वचालित खाता प्रबंधन जैसी सुविधाओं से परिचालनगत दक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

8. सतत एवं हरित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने हेतु बैंक ने व्यापक पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासन (ESG) नीति लागू की है, जो उत्तरदायी विकास का रणनीतिक आधार है।
9. बैंक ऑफ़ इंडिया में हमने एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति विकसित की है, जो हमारे दैनिक परिचालनों में समाहित है तथा संस्थागत अखंडता की आधारशिला के रूप में कार्य करती है।
10. मैं निदेशक मंडल के सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा सभी नियामकीय संस्थाओं के सतत सहयोग के लिए भी कृतज्ञ हूँ।

हमारी विकासगाथा के संबंध में सभी शेरधारकों एवं ग्राहकों का उनके अटूट विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। हमें आशा है कि आपका सहयोग भविष्य में भी इसी प्रकार बना रहेगा। साथ ही, मैं अपने स्टाफ सदस्यों की कर्तव्यनिष्ठा एवं परिश्रम को नमन करता हूँ, जो हमारी सफलता की आधारशिला है। “बैंक ऑफ़ इंडिया @125” तथा वित्तीय वर्ष 2031 के दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर है। हमें आपके निरंतर विश्वास एवं सतत सहयोग की आवश्यकता रहेगी, ताकि हम नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकें।

हार्दिक शभकामनाओं के साथ



रजनीश कर्नाटक
एमडी एवं सीईओ

agricultural activities such as dairy and poultry. To ensure maximum accessibility, the scheme offers financing up to 100% for loan amounts up to ₹2.00 lakh, and up to 85% thereafter.

- d. **Driving Operational Excellence:** Establishing the Testing Centre of Excellence (COE) – The establishment of a centralized Testing Centre of Excellence has been cleared, designed with an aim to standardize quality assurance processes. This strategic initiative ensures top-tier digital services, greater operational efficiency, and strict adherence to regulatory standards. By delivering a unified Quality Assurance framework with full stack testing capabilities – spanning unit integration, performance, security, and UAT – the COE leverages automated workflows and rigorous KPI monitoring to proactively resolve defects and guarantee operational resilience
- e. **Transforming Supply Chain Finance:** The BOI Trade Easy (LMS) Platform – A key milestone of this roll out is the on-boarding of the Cash Invoice Platform, which equips corporate entities and vendors with intuitive, role-based dashboard access via an admin login. The platform enhances operational efficiency and transparency through several key features, including – comprehensive digital toolkit, streamlined on-boarding, flexible disbursement channels, automated account management.
8. To fortify our commitment to a sustainable and greener future, the Bank has a comprehensive Environmental, Social and Governance (ESG) Policy in place that serves as its strategic blueprint for responsible growth.
9. At Bank of India, we have fostered a resilient compliance culture that is deeply embedded in our daily operations, serving as the fundamental cornerstone of our institutional integrity.
10. I extend my sincere appreciation to our Board of Directors for their invaluable guidance. I am also deeply grateful to the Department of Financial Services, the Ministry of Finance, the Reserve Bank of India, SEBI, and all regulatory bodies for their continuous support.

To our shareholders and customers, thank you for your enduring belief in our growth story; we look forward to your continued partnership. Above all, I want to recognize the dedication and hard work of our employees, who remain the backbone of our success. As we work toward our long term goals and the milestone of ‘Bank of India @125’ leading up to FY31, we rely on your continued trust and goodwill to achieve even greater heights.

With warm regards



Rajneesh Karnatak
MD& CEO

निदेशक रिपोर्ट

आपके बैंक का निदेशक मंडल 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते के साथ-साथ अपने कारोबार और परिचालन संबंधी बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है -

1. कार्य-निष्पादन संकेतक

घरेलू कारोबार:

- बैंक के समग्र घरेलू कारोबार में वर्ष-दर-वर्ष 15.10% की वृद्धि दर्ज की गई और यह यथा 31.03.2026 को रु. 14.55 लाख करोड़ हो गया जो यथा 31.03.2025 को रु. 12.64 लाख करोड़ था।
- कासा जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 7.29% की वृद्धि हुई और यथा 31.03.2026 तक यह रु. 3.01 लाख करोड़ रहें तथा कासा अनुपात 37.64% रहा।
- कुल घरेलू जमाराशियों में 14.30% की वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2026 को रु. 8 लाख करोड़ हो गया जो यथा 31.03.2025 को रु. 7 लाख करोड़ था।
- सकल घरेलू अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 16.10% की वृद्धि दर्ज की गई और यह यथा 31.03.2026 को रु. 6.54 लाख करोड़ हो गया जो यथा 31.03.2025 को रु. 5.64 लाख करोड़ था।
- आरएम अग्रिमों की हिस्सेदारी, जिसका बकाया रु. 3.84 लाख करोड़ था, यथा 31.03.2026 को कुल अग्रिमों का 58.74% रही, जबकि यथा 31.03.2025 को यह 57.26% थी।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण, समायोजित निवल बैंक ऋण का 46.36% रहा, जो नियामकीय सीमा 40% से अधिक है।
- समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी नियामकीय आवश्यकता 18% की तुलना से यथा 31.03.2026 तक 19.56% रही।
- खुदरा ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 21.19% की वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2026 को रु. 1.62 लाख करोड़ हो गया जो यथा 31.03.2025 को रु. 1.34 लाख करोड़ था।
- एमएसएमई ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 17.68% की वृद्धि दर्ज हुई और यह यथा 31.03.2026 को रु. 1.07 लाख करोड़ हो गया जो यथा 31.03.2025 को रु. 0.91 लाख करोड़ था।
- यथा 31.03.2026 तक घरेलू सीडी अनुपात 81.74% रहा।

विदेशी कारोबार :

- विदेशी कारोबार में 11.51% की वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2025 के रु. 2.19 लाख करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2026 को रु. 2.44 लाख करोड़ हो गया।
- कुल विदेशी अग्रिमों में 14.25% की वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2025 के रु. 1.02 लाख करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2026 को रु. 1.17 लाख करोड़ हो गया।
- कुल विदेशी जमाराशियों में 9.11% की वृद्धि दर्ज की गई तथा यह यथा 31.03.2025 को रु. 1.16 लाख करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2026 को रु. 1.27 लाख करोड़ हो गया।

- यथा 31 मार्च 2026 को बैंक के वैश्विक कारोबार में अंतरराष्ट्रीय कारोबार की हिस्सेदारी 14.36% रही।

वैश्विक कारोबार :

- बैंक के सकल कारोबार ने 14.57% की वृद्धि दर्ज की गई और यह यथा 31.03.2025 को रु. 14.83 लाख करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2026 को रु. 16.98 लाख करोड़ हो गया।
- कुल जमाराशियों में 13.56% की वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2025 के रु. 8.17 लाख करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2026 को रु. 9.27 लाख करोड़ हो गई।
- सकल अग्रिमों में 15.82% की वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2025 को रु. 6.66 लाख करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2026 को रु. 7.71 लाख करोड़ हो गया।

वित्तीय मानदंड :

- परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 4% की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2025 के लिए रु. 16,412 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए रु. 17,049 करोड़ हो गया।
- आपके बैंक ने वि.व 2025 में रु. 9,219 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वि.व 2026 में वर्ष-दर-वर्ष 14% की वृद्धि दर्शाते हुए रु. 10,527 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31.03.2025 को 17.77% की तुलना में यथा 31.03.2026 को यह सुधरकर 18.01% हो गया।
- निवल मालियत (नेट वर्थ), 13.96% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2026 को रु. 75,278 करोड़ रही जो यथा 31.03.2025 को रु. 66,059 करोड़ थी।
- यथा 31.03. 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु प्रति शेयर बही मूल्य रु. 165.35 रहा।

आस्ति गुणवत्ता:

- सकल एन.पी.ए (वैश्विक) में वर्ष-दर-वर्ष 29.62% की गिरावट आई और यह यथा 31.03.2025 को रु. 21,749 करोड़ से यथा 31.03.2026 को रु. 15,306 करोड़ हो गया।
- सकल एन.पी.ए का प्रतिशत यथा 31.03.2025 को 3.27% से सुधरकर यथा 31.03.2026 को 1.98% हुआ।
- निवल एन.पी.ए राशि में वर्ष-दर-वर्ष 20.68% की गिरावट आई और यह यथा 31.03.2025 को रु. 5,358 करोड़ की तुलना में यथा 31.03.2026 को रु. 4,250 करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2026 को निवल एन.पी.ए प्रतिशत सुधरकर 0.56% हो गया जो यथा 31.03.2025 को 0.82% था।
- रु.5 करोड़ और उससे अधिक श्रेणी के कुल एसएमए (विशेष उल्लेख खाता) पोर्टफोलियो में कमी आई और यह यथा 31.03.2025 को रु. 5,921 करोड़ की तुलना में यथा 31.03.2026 को रु. 4,713 करोड़ हो गया।
- एसएमए पोर्टफोलियो, यथा 31 मार्च 2025 को 0.92% की तुलना में यथा 31 मार्च 2026 को कुल सकल अग्रिमों का 0.62% रहा।

- बैंक का पीसीआर यथा 31 मार्च 2025 तक 92.39% की तुलना में यथा 31 मार्च 2026 तक 93.57% के बेहतर स्तर पर रहा। वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25	वृद्धि(%)
निवल ब्याज आय	25,173	24,394	3.19%
गैर-ब्याज आय	9,874	8,994	9.78%
परिचालन व्यय	17,998	16,975	6.02%
परिचालन लाभ	17,049	16,412	3.88%
प्रावधान/आकस्मिकताएं + कर	6,522	7,193	-9.33%
निवल लाभ/हानि	10,527	9,219	14.19%
प्रति शेयर आय (₹.)	23.12	20.25	
प्रति शेयर बही मूल्य (₹.)	165.35	145.10	
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	14.90	15.22	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.93	0.90	

प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नलिखित हैं:

विवरण	प्रतिशत (%)	
	2025-26	2024-25
अग्रिमों पर प्रतिफल	7.80	8.46
निवेशों पर प्रतिफल	6.88	7.10
निधियों पर प्रतिफल	6.81	7.24
जमा राशियों की लागत	4.80	4.93
निधियों की लागत	4.53	4.75
निवल ब्याज मार्जिन	2.52	2.82
परिचालन व्ययों की तुलना में गैर ब्याज आय	54.86	52.98
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य आय	0.87	0.88
औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन व्यय	1.63	1.74
औसत कार्यशील निधि की तुलना में स्टाफ व्यय	0.93	1.05
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.70	0.68
आस्ति उपयोग अनुपात	1.55	1.68
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	11.61	11.27

निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	28.17	26.94
लागत आय अनुपात	51.35	50.84

2. जुटाई गई पूंजी :

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने जुटाए हैं:

- 12.12.2025 को टियर-II बॉन्ड (सीरीज XVIII) के माध्यम से रु. 2500 करोड़

3. दीर्घकालिक अवसंरचना बांड जारी करके जुटाई गई निधि

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 10 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालिक अवसंरचना बांड जारी करके 10,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

4. पूंजी पर्याप्तता:

- बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार, दिनांक 31.03.2026 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.01% था, जो नियामकीय आवश्यकता अर्थात 11.5% से अधिक है।
- पूंजी पर्याप्तता (बासेल III) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

Particulars	बासेल - III			
	31.03.2026		31.03.2025	
सीईटी1 पूंजी	74,794	15.05%	66,194	14.84%
टियर I पूंजी	76,294	15.36%	68,996	15.47%
टियर II पूंजी	13,189	2.65%	10,244	2.30%
कुल पूंजी	89,483	18.01%	79,240	17.77%
जोखिम भारित आस्तियां	4,96,849		4,45,960	

लाभांश:

- आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु. 4.65 के लाभांश की अनुशंसा की है, जिसकी कुल भुगतान राशि रु. 2,116.99 करोड़ है।

5. प्रमुख व्यावसायिक पहलें

- वित्तीय वर्ष 26 के दौरान, आपके बैंक ने “भारत कनेक्ट बिलर ऑपरेटिंग सर्विसेज” प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट ग्राहकों की डिजिटल भुगतान क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। इस सेवा के माध्यम से पात्र कॉर्पोरेट ग्राहकों को भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर बिलर के रूप में ऑनबोर्ड किया जा सकता है तथा यह अपने ग्राहकों को बहुविध डिजिटल भुगतान विकल्प उपलब्ध करा सकती है, जिससे व्यापक पहुँच, त्वरित संग्रहण तथा बेहतर ग्राहक सुविधा सुनिश्चित होती है।
- दीन दयाल जन आवास - शहरी (डीजेएवाई-एस) योजना के अंतर्गत बैंक शहरी विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को रु. 20.00 लाख तक, स्वयं सहायता समूहों को रु. 1.50 लाख तक तथा व्यक्तियों को रु. 4.00 लाख तक ऋण प्रदान कर रहा है। यह पहल विशेष रूप से युवाओं तथा संवेदनशील व्यावसायिक समूहों को लक्षित

करती है। योजना में 5% ब्याज अनुदान तथा सीजीटीएमएसई गारंटी कवर की सुविधा उपलब्ध है, जिससे किराया एवं कम जोखिम वाला ऋण सुलभ हो सके। लघु विनिर्माण तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर बैंक अधिक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर शहरी अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है।

- बैंक के 120वें स्थापना दिवस, दिनांक 07.09.2026 के अवसर पर, आपके बैंक ने देशभर में 101 नई शाखाओं का उद्घाटन किया। वित्तीय वर्ष 26 के दौरान कुल 201 नई शाखाएँ खोली गईं, जिससे शाखाओं की कुल संख्या 5,500 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही एटीएम, सीआरए तथा व्यवसाय प्रतिनिधियों के व्यापक नेटवर्क सहित अब बैंक के ग्राहक संपर्क बिंदुओं की संख्या 38,000 से अधिक हो गई है।
- वित्तीय वर्ष 26 के दौरान बैंक ने एकमुश्त निपटान (ओटीएस) की दो प्रमुख योजनाएँ प्रारंभ की हैं: – रु. 1.00 करोड़ तक की बकाया राशि वाले एनपीए खातों हेतु “स्टार संजीवनी 2025” और रु. 1.00 करोड़ से रु. 50.00 करोड़ तक की वसूली वाले खातों हेतु “बीओआई ओटीएस 2025”। दोनों योजनाएँ संदिग्ध, हानि तथा नियमित बट्टेखाते में डाली गई श्रेणियों को कवर करती हैं, जिससे ऋण समाधान प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाया गया है।
- अपने उद्यम साझेदारों को बेहतर सेवा प्रदान करने की कार्यनीतिक पहल के अंतर्गत, आपके बैंक ने 10 नई एमर्जिंग कॉर्पोरेट ऋण शाखाएँ (ईसीसीबी) प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिससे देशभर में ऐसे केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है।
- आपके बैंक ने “बीओआई ट्रेड ईजी (एलएमएस) प्लैटफॉर्म” के शुभारंभ के माध्यम से आपूर्ति शृंखला वित्तपोषण (एससीएफ) में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। यह डिजिटल मंच कॉर्पोरेट संस्थाओं को रियल टाइम चालान प्रबंधन, निर्बाध निधि अंतरण तथा संवितरण हेतु स्वचालित स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। डीलर-विक्रेता ऑनबोर्डिंग को सरल बनाकर तथा फिफो आधारित चालान मिलान प्रणाली का उपयोग करके बैंक अपने व्यावसायिक साझेदारों को तरलता प्रबंधन हेतु अधिक सक्षम, पारदर्शी एवं दक्ष समाधान उपलब्ध करा रहा है।
- बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के संचालन, क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु “बीओआई सोशल फ़ाउंडेशन ट्रस्ट” की स्थापना की है। यह गैर-लाभकारी न्यास बैंक की सामुदायिक एवं सामाजिक कल्याण पहलों के पारदर्शी, संरचित एवं सतत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

6. साइबर-एनब्लेड धोखाधड़ी से निपटने हेतु कार्यनीतिक पहलें

- बैंक ने रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएचएम) द्वारा विकसित “MuleHunter.AI” को मूल खातों की पहचान हेतु विकसित किया है। यह प्रणाली धोखाधड़ी एवं संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त खातों की रियल टाइम पहचान तथा तत्काल डेबिट फ्रीज़ की सुविधा प्रदान करती है।
- छह माह तक की अवधि वाले खातों हेतु वेलोसिटी जांच लागू की गई है। पूर्वनिर्धारित सीमा से अधिक गतिविधियों — जैसे

असामान्य लेनदेन मात्रा अथवा घोषित वार्षिक कारोबार के 2-3 गुना से अधिक लेनदेन — वाले खातों को चिह्नित कर उन्नत समुचित सावधानी (ईडीडी) के अधीन तत्काल डेबिट फ्रीज़ किया जाता है। ईडीडी के परिणामों के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

- बैंक ने डिजिटल लेनदेन की निगरानी हेतु वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों (एफ़आरआई) को एकीकृत किया है। दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जोखिम स्कोर के आधार पर उच्च जोखिम वाले लेनदेन को संभावित धोखाधड़ी रोकने के लिए रियल टाइम में अस्वीकृत किया जाता है।
- सभी लेनदेन तथा आई4सी, एनपीसीआई एवं विधि प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त अलर्ट का प्रसंस्करण कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग आधारित एएमएल/सीएफ़टी निगरानी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यह प्रणाली एफ़आईयू-आईएनडी द्वारा निर्धारित 125 रेड फ्लैग संकेतकों से कॉन्फ़िगर है, जिनमें साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित 23 संकेतक शामिल हैं तथा शाखा स्तर पर संचालित 72 ऑफ़लाइन आरएफ़आई द्वारा समर्थित है।

7. मानव संसाधन परिवर्तन पहलें

- बैंक ने अपनी जॉब फैमिली रूपरेखा का विस्तार 8 से बढ़ाकर 11 विशिष्ट श्रेणियों तक किया है तथा प्रतिभा आवंटन हेतु डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। स्टाफ सदस्यों की प्राथमिकताओं, योग्यताओं एवं कार्य-निष्पादन के अनुरूप भूमिकाओं का संरेखण करते हुए यह नीति विशेष प्रशिक्षण एवं उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से अध्ययन एवं विकास से निकटता से जुड़ी हुई है। यह पहल स्टाफ सदस्यों को अधिक करियर लचीलापन प्रदान करती है तथा प्रत्येक स्टाफ सदस्य के लिए उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप स्पष्ट एवं विकासोन्मुख करियर पथ सुनिश्चित करती है।
- विविध भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहक सेवा को सुदृढ़ करने हेतु बैंक ने सीआईआईएल, मैसूर के सहयोग से स्वैच्छिक क्षेत्रीय भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह पहल बैंक के अधिकारियों को प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करती है। भाषाई बाधाओं को कम करके संस्थान सामुदायिक जुड़ाव को सुदृढ़ कर रही है तथा अधिक व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान कर रही है।
- बैंक ने भारतीय मात्रात्मक वित्त संस्थान के सहयोग से “मात्रात्मक वित्त और जोखिम प्रबंधन (क्यूएफ़आरएम)” में एक विशेष प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य उन्नत मात्रात्मक वित्तपोषण एवं जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञों का एक सक्षम समूह तैयार करना है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र की आधुनिक चुनौतियों हेतु आवश्यक विशेष कौशल से युक्त कार्यबल तैयार हो सके।
- स्टारलाइट पहल के अंतर्गत बैंक ऑफ़ इंडिया ने उत्कृष्टता केंद्रों की नई शृंखला प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालयों को आधुनिक शिक्षण केंद्रों में परिवर्तित करना है। ये केंद्र भविष्य-उन्मुख कौशल, व्यावसायिक विकास तथा संगठन में सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किए गए हैं।

8. आईटी परिवर्तन पहल

प्रोजेक्ट स्टार नेक्स्टेक के तहत, बैंक ने सभी परिचालनों में डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन लाने के लिए अपने आईटी वर्टिकल को नया रूप दिया है। आईटी गवर्नेंस एंड एक्सीलेंस विभाग की स्थापना करना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य दक्षता, नवाचार और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यह रणनीतिक पुनर्गठन इसकी तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करता है, जिससे डिजिटल-प्रथम बैंकिंग भविष्य के लिए बेहतर सहयोग, सुरक्षित अनुपालन और मजबूत प्रतिभा प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

9. पुरस्कार और मान्यता: हमारी क्षमता को बढ़ावा देना

- आपके बैंक को ईज़ 7.0 वार्षिक प्रशस्ति समारोह में आईबीए द्वारा दूसरे सर्वश्रेष्ठ शीर्ष सुधारक के रूप में मान्यता दी गई है, जिसने वित्तीय वर्ष 25 की चौथी तिमाही में आधार रेखा में 99.2% की उल्लेखनीय सुधार किया है और वित्तीय वर्ष 2025-27 के लिए ईएसईनेक्स्ट कार्यनीतिक 3-वर्षीय रोडमैप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तकनीकी और परिचालन विकास में मजबूत कार्यनिष्पादन का प्रदर्शन करते हुए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के दौरान भी ईज़ ढांचे के नवाचार विषय के तहत तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के तहत सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में बैंक को पुरस्कार मिला, जो एमएसएमई क्षेत्र में सरकार समर्थित सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने और क्रियान्वित करने में इसके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है।
- एपीआई आधारित प्रक्रियाओं का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से उच्चतम गारंटी कवरेज प्राप्त करने के लिए बैंक को सीजीटीएमएसई रजत जयंती पुरस्कार (2025) के दौरान सीजीटीएमएसई के तहत सर्वश्रेष्ठ डिजिटल अनुकूलन से सम्मानित किया गया था, जिससे बदलाव का समय बेहतर हुआ है।
- बैंक को एमएसएमई वित्तपोषण का विस्तार करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने में अपने उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन और रणनीतिक पहलों को स्वीकार करते हुए गोल्ड श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड - एमएसएमई ग्रोथ (बीएफएसआई) से सम्मानित किया गया।
- बैंक को अपने नामांकन लक्ष्य का 126% हासिल करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पीएफआरडीए द्वारा एपीवाई वार्षिक पुरस्कारों के विजेता के रूप में मान्यता दी गई थी।
- बैंक ऑफ़ इंडिया को 10 सितंबर, 2025 को मुंबई में आयोजित फिनक्राइम एक्सपर्ट कॉन्फ्लेव में एएमएल उपायों में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। यह मान्यता मजबूत अनुपालन ढांचे, उन्नत धोखाधड़ी रोकथाम और वित्तीय अपराध के खिलाफ ग्राहक की जानकारी की सुरक्षा के लिए संस्थान के निरंतर समर्पण को रेखांकित करती है।

10. पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) उत्कृष्टता के माध्यम से मूल्य निर्माण को बढ़ावा देना

एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में, बैंक धारणीय आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और अपने सभी हितधारकों के लिए एक प्रत्यास्थ भविष्य

बनाने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। बैंक सक्रिय रूप से अपने मुख्य ऋण ढांचे और निवेश निर्णयों में पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) मानदंडों को एकीकृत कर रहा है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूंजी कार्यनीतिक रूप से उन व्यवसायों में लगायी जाती है जो हरित नवोन्मेष और सामाजिक इक्विटी का समर्थन करते हैं।

- आपके बैंक ने कुल 14,000 करोड़ रुपये के हरित वित्त जोखिम को पार कर लिया है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 26 के दौरान हरित जमा में 930.07 करोड़ रुपये एकत्र किए।
- 30,000 से अधिक परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा संस्वीकृत की गई थी।
- स्टार एनर्जी सेवर स्कीम के माध्यम से, 672 एसएमई को ऊर्जा प्रभावी मशीनरी के लिए अपग्रेड प्राप्त हुए।
- धरणीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए लगभग 2,600 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी।
- बीकेसी में प्रधान कार्यालय की सभी तीन इमारतों ने ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन (एलईईडी) में लीडरशिप गोल्ड श्रेणी हरित भवन प्रमाणन प्राप्त किया।
- स्वामित्व वाले कुल 30 प्रशासनिक और आवासीय परिसरों को सफलतापूर्वक सौर ऊर्जा से संचालित किया गया। इन सौर ऊर्जाकरण प्रयासों ने कुल 630 किलोवाट की क्षमता स्थापित की।
- केयर एज-ईएसजी ने संस्था को एक प्रमुख 'केयर एज ईएसजी-1' रेटिंग दी है। इस परिचालन उत्कृष्टता को 74.5 के समग्र ईएसजी स्कोर द्वारा दर्शाया जाता है।
- वित्तीय समावेशन ने 2.96 करोड़ के पीएमजेडीवाई खातों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 21 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता मिली।
- आर्थिक स्वतंत्रता को उत्प्रेरित करने के लिए 3.57 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषित किया गया।
- कुल 47 लाख मुद्रा लाभार्थियों में से 37% महिलाएं हैं।

11. दृष्टिकोण, कार्यनीति और भावी परिदृश्य

- नए ग्राहक वर्गों में सक्रिय रूप से विस्तार करने के साथ-साथ हमारे मौजूदा ग्राहक आधार के साथ संबंधों को गहरा करके बैंक के खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) ऋण प्रोफाइल का विस्तार करना।
- उभरते हुए खुदरा घटकों से उच्च गति, कम लागत वाली जमा राशि प्राप्त करने के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग का लाभ उठाते हुए फंडिंग प्रोफाइल को अनुकूलित करना जारी रखना।
- प्रारंभिक चेतावनी रूपरेखाओं, भविष्यसूचक प्रतिबल सूचक और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के माध्यम से आस्ति गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहना, ताकि सक्रिय रूप से अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण और अनुशासित एनपीए प्रबंधन

सुनिश्चित किया जा सके।

- बैंक के कॉर्पोरेट ग्राहकों को बढ़ाने और उभरती हुई कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाओं के माध्यम से मिड कॉर्पोरेट घटक का विस्तार करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना।
- निर्बाध, सुरक्षित प्रशासन और एकीकृत जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए डिजिटल स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग और उन्नत क्रॉस-सेलिंग को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकृत आईटी आर्किटेक्चर का उपयोग करना, ताकि ग्राहकों को एक सुगम और अनुपालन अनुभव मिल सके।

12. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वार्षिक खातों को तैयार करने में:

- ए) लागू लेखांकन मानकों का विधिवत पालन किया गया है और जहां भी, महत्वपूर्ण विचलन हुए हैं, वहां उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। विवेकपूर्ण एवं उचित निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं ताकि वित्तीय वर्ष के

अंत में बैंक की वित्तीय स्थिति तथा उस अवधि के लाभ और हानि का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

- सी) भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बैंक की संपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है
- डी) वार्षिक खाते संस्था की निरंतरता के आधार पर तैयार किए गए हैं,
- ई) बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई थी और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से संचालन में है।
- एफ़) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से काम कर रही थीं।

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors have the pleasure of presenting the Bank's Annual Report on its Business and Operations along with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2026.

1. Performance Indicators

Domestic Business:

- Domestic Business of the Bank registered a growth of YoY 15.10% to reach ₹14.55 lakh crore as on 31.03.2026 as against ₹12.64 lakh crore as on 31.03.2025.
- Current Account and Savings Account (CASA) Deposits increased YoY by 7.29% and stood at ₹ 3.01 lakh crore as on 31.03.2026 and CASA Ratio stood at 37.64%.
- Total Domestic Deposits grew by 14.30% YoY to reach ₹ 8 lakh crore as on 31.03.2026 as against ₹ 7 lakh crore as on 31.03.2025.
- Gross Domestic Advances registered growth of 16.10% YoY, reached ₹ 6.54 lakh crore as on 31.03.2026 from ₹ 5.64 lakh crore as on 31.03.2025.
- Share of Retail, Agriculture and MSME (RAM) Advances, with an outstanding of ₹ 3.84 lakh crore, stood at 58.74% of total advances as on 31.03.2026, compared to 57.26% as on 31.03.2025.
- Priority Sector Lending constituted 46.36% of Adjusted Net Bank Credit against regulatory threshold of 40%.
- Share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 19.56% as on 31.03.2026, against the regulatory requirement of 18%.
- Retail Credit grew by 21.19% YoY from ₹ 1.34 lakh crore as on 31.03.2025 to ₹ 1.62 lakh crore as on 31.03.2026.
- MSME Credit registered growth of 17.68% from ₹ 0.91 lakh crore as on 31.03.2025 to ₹ 1.07 lakh crore as on 31.03.2026.
- The Domestic CD Ratio stood at 81.74% as on 31.03.2026.

International Business:

- Overseas Business has increased by 11.51% and reached at ₹ 2.44 lakh crore as on 31.03.2026 from ₹ 2.19 lakh crore as on 31.03.2025.
- Gross International Advances increased by 14.25% and reached at ₹ 1.17 lakh crore as on 31.03.2026 from ₹ 1.02 lakh crore as on 31.03.2025.
- Total International Deposits increased by 9.11% and reached ₹ 1.27 lakh crore as on 31.03.2026 from ₹ 1.16 lakh crore as on 31.03.2025.
- The International Business of the Bank accounted for 14.36% of its global business as of 31st March 2026.

Global Business:

- Gross Business of the Bank registered a growth of 14.57% and reached ₹ 16.98 lakh crore as on 31.03.2026 from ₹ 14.83 lakh crore as on 31.03.2025.

- Total Deposits increased 13.56% and reached ₹ 9.27 lakh crore as on 31.03.2026 from ₹ 8.17 lakh crore as on 31.03.2025.
- Gross Advances increased by 15.82% and reached ₹ 7.71 lakh crore as on 31.03.2026 from ₹ 6.66 lakh crore as on 31.03.2025.

Financial Parameters:

- Operating Profit increased by 4% YoY and reached ₹ 17,049 crore for FY'26 as against ₹ 16,412 crore for FY'25.
- Your Bank has reported Net Profit of ₹ 10,527 crore in FY'26 as against ₹ 9,219 crore in FY'25 exhibiting a growth of 14% YoY.
- Capital Adequacy Ratio stood at an improved level of 18.01% as on 31.03.2026 as against 17.77% as on 31.03.2025.
- Net Worth increased by 13.96% YoY to ₹ 75,278 Crore as on 31.03.2026 from ₹ 66,059 Crore as on 31.03.2025.
- Book Value per share was ₹ 165.35 as on 31.03.2026.

Asset Quality:

- Gross Non Performing Asset (NPA) - Global declined by 29.62% YoY from ₹ 21,749 crore as on 31.03.2025 to ₹ 15,306 crore as on 31.03.2026.
- Gross NPA Ratio improved to 1.98% as on 31.03.2026 from 3.27% as on 31.03.2025.
- Net NPA declined by 20.68% YoY and stood at ₹ 4,250 crore as on 31.03.2026 as against ₹ 5,358 crore as on 31.03.2025.
- Net NPA Ratio improved to 0.56% as on 31.03.2026 from 0.82% as on 31.03.2025.
- Total Special Mention Account (SMA) Portfolio in the ₹ 5 crore and above bracket declined to ₹ 4,713 crore as of 31st March 2026, as against ₹ 5,921 crore on 31st March 2025.
- SMA Portfolio was 0.62% of the Total Gross Advances as on 31st March 2026, compared to 0.92% as on 31st March 2025.
- Provision Coverage Ratio (PCR) of your Bank stood at a healthy 93.57% as of 31st March 2026, as against 92.39% as on 31st March 2025.

The financial performance of the Bank for the year 2025-26 is summarized below:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25	Growth(%)
Net Interest Income	25,173	24,394	3.19%
Non-Interest Income	9,874	8,994	9.78%
Operating Expenses	17,998	16,975	6.02%
Operating Profit	17,049	16,412	3.88%
Provisions/Contingencies +Tax	6,522	7,193	-9.33%

Net Profit/Loss	10,527	9,219	14.19%
Earnings per Share (₹)	23.12	20.25	
Book Value per Share (₹)	165.35	145.10	
Return on Equity (%)	14.90	15.22	
Return on Average Assets (%)	0.93	0.90	

Key Financial Ratios are presented below:

Particulars	Percentage (%)	
	2025-26	2024-25
Yield on Advances	7.80	8.46
Yield on Investments	6.88	7.10
Yield on Funds	6.81	7.24
Cost of Deposits	4.80	4.93
Cost of Funds	4.53	4.75
Net Interest Margin	2.52	2.82
Non-Interest Income to Operating Expenses	54.86	52.98
Other Income to Average Working Fund	0.87	0.88
Operating Expenses to Average Working Fund	1.63	1.74
Staff Expenses to Average Working Fund	0.93	1.05
Other Operating Expenses to Average Working Fund	0.70	0.68
Asset Utilization Ratio	1.55	1.68
Non-Interest Income to Total Income	11.61	11.27
Non-Interest Income to Net Income	28.17	26.94
Cost to Income Ratio	51.35	50.84

2. Capital Raised:

During the financial year 2025-26, Bank has raised:

- ₹ 2500 crore by way of Tier II bonds (Series XVIII) on 12.12.2025.

3. Funds raised by issuance of long term infrastructure bonds

- During the FY 2025-26, Bank has raised ₹10,000 crore by issue of Long Term Infrastructure Bond for a tenor of 10 years on 26.12.2025.

4. Capital Adequacy:

- As per Basel III Framework, Bank's Capital Adequacy Ratio was 18.01% as on 31.03.2026, which is higher than the regulatory requirement of 11.5%.
- Details of Capital Adequacy (Basel III) are as under:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	BASEL - III			
	31.03.2026		31.03.2025	
CET1 Capital	74,794	15.05%	66,194	14.84%
Tier I Capital	76,294	15.36%	68,996	15.47%
Tier II Capital	13,189	2.65%	10,244	2.30%
Total Capital	89,483	18.01%	79,240	17.77%
Risk Weighted Assets	4,96,849		4,45,960	

Dividend:

- Your Bank has recommended a dividend of ₹ 4.65 per equity share for the financial year 2025-26, amounting to a total payout of ₹ 2,116.99 crore.

5. Key Business Initiatives

- During FY26, Your Bank has introduced Bharat Connect Biller Operating Services, designed to enhance digital payment capabilities for its corporate clients. Through this service, eligible corporate clients can get themselves on boarded as billers on the Bharat Connect Platform and offer their customers multiple digital payment options, ensuring wider reach, faster collections, and improved customer convenience.
- Under the Deen Dayal Jan Awas Yojana - Shehari (DJAY-S) scheme, the Bank is driving urban growth by providing loans up to ₹ 20.00 lakh for JLGs, ₹ 1.50 lakh for SHGs and ₹ 4.00 lakh for individuals, specifically targeting youth and vulnerable occupational groups. This initiative features a supportive 5% interest subvention and CGTMSE cover to ensure affordable, low risk credit access. By fostering small scale manufacturing and financial inclusion, the Bank is committed to building a more resilient and self-reliant urban economy.
- On the occasion of its 120th Foundation Day, on 07.09.2026, Your Bank inaugurated 101 new branches across India, continuing its growth trajectory of adding a total of 201 new branches during FY26, bringing the total branch count to over 5,500. With this, and including the extensive network of ATMs, Cash Recycler Machines (CRMs) and Business Correspondents (BCs), Your Bank now has a growing network of over 38,000 customer touchpoints.
- During FY26, the Bank has launched two key One Time Settlement (OTS) initiatives: **'Star Sanjeevani 2025'** for NPA accounts with outstanding up to ₹ 1.00 crore, and **'BOI OTS 2025'** targeting recoveries between ₹ 1.00 crore and ₹ 50.00 crore. Both the schemes cover Doubtful, Loss, and Regular Written-off categories, streamlining debt resolution across its portfolio.
- In a strategic move to provide better service to its enterprise partners, Your Bank is doubling its specialized corporate credit network by opening **10 new Emerging Corporate Credit Branches (ECCBs)**, bringing the total to 20 centers nationwide.
- Your Bank has revolutionized Supply Chain Finance (SCF) with the launch of the **BOI Trade Easy (LMS)** Platform. This digital interface offers corporate entities dashboard access for real time invoice management, seamless fund transfers, and automated Straight-Through Processing (STP) for disbursements. By simplifying dealer-vendor onboarding and utilizing FIFO-based invoice reconciliation, the Bank is providing its business partners with an agile, transparent, and highly efficient tool for liquidity management.
- The Bank has established the **BOI Social Foundation Trust** to undertake, implement and monitor its CSR initiatives. This non-profit trust will ensure transparent,

structured and sustainable implementation of the Bank's community and social welfare initiatives.

6. Strategic Initiatives for Combatting Cyber-Enabled Fraud

- The Bank has deployed MuleHunter.AI, developed by Reserve Bank Innovation Hub (RBIH), for identification of mule accounts. The system enables real time detection and immediate debit freeze of accounts involved in fraudulent and suspicious activities.
- Velocity checks have been implemented for accounts with age up to six months. Accounts exceeding predefined thresholds – such as abnormal transaction volumes or transactions beyond 2-3 times the declared annual turnover – are flagged and immediately debit frozen subject to Enhance Due Diligence (EDD). Based on EDD outcomes, appropriate restrictions are imposed.
- The Bank has integrated Financial Fraud Risk Indicators (FRIs) for monitoring digital transactions. Transactions assessed as high risk, based on risk scores provided by the Department of Telecommunications (DoT), are declined in real time to prevent potential frauds.
- All transactions, along with alerts received from I4C, NPCI, and Law Enforcement Agencies (LEAs), are processed through an AI/ML based AML/CFT monitoring system: configured with 125 Red Flag Indicators (RFIs) including 23 related to Cyber enabled financial frauds, prescribed by FIU-IND and supported by 72 offline RFIs operationalized at branch level.

7. HR Transformation Initiative

- The Bank has expanded its Job Family framework from 8 to 11 distinct categories, adopting a data-driven approach to talent allocation. By aligning roles with employee preferences, qualifications, and performance, this policy integrates closely with Learning & Development through specialized training and Centers of Excellence. This initiative offers greater career flexibility, ensuring every employee has a clear, growth-oriented path tailored to their aspirations.
- To enhance customer service across diverse geographies, the Bank has introduced a voluntary **Regional Language Training Program** in collaboration with **CIIL, Mysuru**. This initiative encourages officers of the Bank to master local languages through a certification process. By bridging linguistic barriers, the Institution is fostering deeper community connections and delivering a more personalized banking experience.
- The Bank has launched a customized certificate program in Quantitative Finance & Risk Management (**QFRM**) in collaboration with the **Indian Institute of Quantitative Finance**. This initiative aims to build an elite pool of experts in advanced quantitative financing and risk management, ensuring its workforce is equipped with specialized skills needed for modern day banking challenges.
- As part of the StarLight Initiative, Bank of India has launched a new suite of Centers of Excellence (CoEs) to revamp staff training colleges into modern learning hubs designed to build future ready skills, boost

professional growth, and foster a learning culture across the organization.

8. IT Transformation Initiatives

Under **Project Star Nextech**, the Bank has revamped its IT vertical to drive digital and technical transformation across all operations. A key milestone is the creation of the IT Governance & Excellence Department, aimed at fostering agility, innovation, and customer-centric approach. This strategic restructuring aligns its technical capabilities with global standards, ensuring enhanced collaboration, secure compliance, and robust talent management for a digital-first banking future.

9. Awards and Recognition: Unlocking our Potential

- Your Bank has been recognized as the **2nd Best Top Improver** by the IBA at the EASE 7.0 Annual Citation Ceremony, achieving a remarkable **99.2% improvement** over the baseline in Q4 FY25 and reaffirming its commitment to the EASENext Strategic 3-Year Roadmap for FY2025-27. Demonstrating strong performance in technological and operational development, the Bank also **ranked 3rd under the EASE framework's Innovation theme** during Q3 FY26.
- The Bank received the award for **Best Bank for Promoting Social Schemes** under the MSME Banking Excellence Awards 2025, recognizing its significant contribution toward promoting and implementing government backed social schemes across MSME sector.
- The Bank was awarded the **Best Digital Adoption under CGTMSE** during the CGTMSE Silver Jubilee Awards (2025) for achieving the highest guarantee coverage through digital mode using API based processes, which has improved turnaround time.
- The Bank was honored with the **SKOCH Gold Award – MSME Growth (BFSI)** in the Gold Category for BFSI, acknowledging its outstanding performance and strategic initiatives in expanding MSME financing and supporting economic development.
- The Bank was recognized as the Winner of **APY Annual Awards** by the PFRDA for FY 2024-25 for achieving 126% of its enrolment target.
- Bank of India was honored for **Excellence in AML Measures** at the FinCrime Expert Conclave in Mumbai, held on September 10, 2025. This recognition underscores the Institution's continued dedication to robust compliance frameworks, advanced fraud prevention, and safeguarding customer information against financial crime.

10. Advancing Value Creation through Environmental, Social, and Governance (ESG) Excellence

As a leading financial institution, the Bank is deeply committed to driving sustainable economic growth and fostering a resilient future for all our stakeholders. The Bank is actively integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria into its core lending frameworks and investment decisions, ensuring that capital is strategically directed toward businesses that champion green innovation and social equity.

- Your Bank crossed a total green finance exposure of ₹ 14,000 crore.
- The Bank mobilized ₹ 930.07 crore in green deposits during FY26.
- Rooftop solar power was sanctioned for more than 30,000 households.
- Through the Star Energy Saver Scheme, 672 SMEs received upgrades for energy efficient machinery.
- A sum nearing ₹ 2,600 crore was sanctioned for Sustainable Water and Waste Management projects.
- All three Head Office buildings at BKC achieved the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Gold Category Green Building Certification.
- A total of 30 owned administrative and residential premises were successfully solarized. These solarization efforts established a total installed capacity of 630 kW.
- Care Edge-ESG assigned the institution a premier 'Care Edge ESG-1' rating. This operational excellence is highlighted by an overall ESG score of 74.5.
- Financial Inclusion reached a milestone of 2.96 crore PMJDY accounts. Over 21 lakh farmers received critical support via Kisan Credit Cards (KCC).
- Financing extended to over 3.57 lakh women Self Help Groups (SHGs) to catalyze economic independence.
- Out of 47 lakh total MUDRA beneficiaries, women account for 37% of the total.

11. Vision, Strategy and Future Outlook

- Expand the Bank's Retail, Agriculture and MSME (RAM) lending portfolio by deepening relationships with our existing customer base while actively expanding into new customer segments.
- Continue to optimize the funding profile while leveraging digital onboarding to capture high velocity, low cost deposits from emerging retail segments.
- Remain committed to fortifying asset quality by integrating robust assurance functions into credit lifecycle, utilizing early warning frameworks for

predictive stress detection and compliance audits to ensure proactive NPA containment and disciplined NPA management.

- Adopt a multi-pronged approach to increase the Bank's Corporate Clientele and expand the Mid Corporate Segment through Emerging Corporate Credit Branches
- Harness the revamped IT architecture to drive digital straight-through processing and enhanced cross-selling, while strengthening the assurance framework through rigorous monitoring, secure governance, and integrated risk management to ensure a seamless and compliant customer experience..

12. Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2026:

- a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,
- b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,
- c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,
- d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,
- e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,
- f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

हरित जमाराशि प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट

1 प्रस्तावना

दिनांक 11 अप्रैल 2023 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरित जमाराशि की स्वीकृति के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया। यह ढांचा 1 जून 2023 से प्रभावी है। बैंक ऑफ़ इंडिया (बीओआई) ने जनवरी 2024 में हरित जमाराशि की शुरुआत की। दिनांक 24-01-2024 को बोर्ड द्वारा नीति को विधिवत अनुमोदित किया गया था और तत्पश्चात इसे दिनांक 25-02-2025 को बोर्ड द्वारा समीक्षा कर अनुमोदित किया गया था। ये जमाराशि बीओआई-हरित जमाराशि एवं वित्तपोषण फ्रेमवर्क नीति द्वारा तैयार किए गए फ्रेमवर्क के तहत अधिशासित होती हैं, जो दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को जारी हरित जमाराशि को स्वीकार करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के फ्रेमवर्क के साथ संरेखित है। हालाँकि, बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए नीति पर दूसरे पक्ष की राय नहीं ली है कि यह स्थापित दिशानिर्देशों और सिद्धांतों का पालन करता है। बीओआई के पास मई 2025 में जारी किए गए हरित जमा राशियों के उपयोग पर एक स्वतंत्र सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट है।

दिनांक 28 नवंबर 2025 को आरबीआई ने अधिसूचना संख्या DOR.SFG.REC.no.91/30.01.021/2025-26 के माध्यम से जलवायु वित्त और जलवायु परिवर्तन जोखिमों के प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों के साथ-साथ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मास्टर दिशानिर्देश (एमडी) जारी किया है तथा दिनांक 11 अप्रैल 2023 से, हरित जमाराशि की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क से संबंधित मौजूदा निर्देशों, अनुदेशों, दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया है। संशोधित दिशानिर्देशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-जलवायु वित्त और जलवायु परिवर्तन जोखिमों का प्रबंधन) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर 2025 का नाम दिया गया है।

2. कार्य का दायरा

बीओआई ने हरित जमाराशि प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने हेतु केयर एनालिटिक्स एंड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड (सीएएपीएल) के साथ मिलकर काम किया। प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट में 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि शामिल है।

हरित जमाराशि स्वीकार करने हेतु आरबीआई फ्रेमवर्क के प्रमुख पक्ष आरबीआई ने दिनांक 1 जून, 2023 से प्रभावी हरित जमाराशि की स्वीकृति हेतु फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। आरबीआई बैंकों और एनबीएफसी को ऐसे उद्देश्यों के लिए जमाराशि निर्धारित करके, बोर्ड-अनुमोदित नीतियों की आवश्यकता और तीसरे पक्ष के सत्यापन और प्रभाव मूल्यांकन को अनिवार्य करके हरित गतिविधियों के लिए निधियां जुटाने हेतु प्रोत्साहित करता है।

मुख्य विशेषताएं	विवरण
उद्देश्य	नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और हरित भवनों सहित हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना।
प्रभावी दिनांक	जून 1, 2023
प्रयोजनीयता	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।

हरित जमाराशि	ब्याज-वहन जमाराशियों को हरित वित्त के आबंटन हेतु निर्धारित किया गया है।
अनिवार्य नीतियां	हरित जमाराशियों को स्वीकार करने और उनका उपयोग करने हेतु बैंकों के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां होनी आवश्यक है।
तृतीय-पक्ष सत्यापन	हरित जमाराशि निधि के उपयोग को किसी तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
छूट	जीवाश्म ईंधन, परमाणु शक्ति, तंबाकू आदि से जुड़ी गतिविधियों को बाहर रखा गया है।
रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण	बैंकों को हरित जमाराशि जुटाने, निधि उपयोग और प्रभाव मूल्यांकन पर पारदर्शी और व्यापक रिपोर्टिंग बनाए रखनी आवश्यक है।।

3 बीओआई हरित जमाराशि योजना

जनवरी 2024 में, बैंक ऑफ़ इंडिया (बीओआई) ने हरित जमाराशि नीति विकसित की है। "हरित जमा योजना" भारतीय रिज़र्व बैंक के हरित जमाराशि फ्रेमवर्क के तहत बैंक ऑफ़ इंडिया की मुख्य पहल है।

नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- उद्देश्य:** दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के आरबीआई हरित जमाराशि फ्रेमवर्क के अनुसार हरित जमाराशि जारी करने और आबंटन हेतु एक रोड मैप तैयार करना।
- प्राप्त राशि का उपयोग:** हरित जमाराशि की प्राप्त राशि का उपयोग केवल पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं में वित्तपोषण/निवेश हेतु किया जाएगा। पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं में आरबीआई हरित जमा फ्रेमवर्क के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता और वनीकरण/पुनःवनीकरण शामिल हैं।
- हरित जमाराशि प्राप्त राशि का अस्थायी आबंटन:** बैंक हरित जमाराशि प्राप्त राशि का अस्थायी आबंटन (जो कि केवल एक वर्ष की अधिकतम मूल अवधि तक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा, जैसा कि वित्तपोषण ढांचे के तहत निर्दिष्ट है) की व्यवस्था करेगा, जो पात्र गतिविधियों/परियोजनाओं को आबंटित होने तक होगा। बैंक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में किए गए निवेश का विवरण वार्षिक अंतराल पर उपलब्ध कराएगा।
- परियोजना मूल्यांकन:** हरित जमा राशि का उपयोग केवल उन परियोजनाओं के वित्तपोषण/या उनमें निवेश करने के लिए किया जाएगा जो आरबीआई द्वारा निर्धारित पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं।
- सतत विकास पर ध्यान:** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और अन्य पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए धन आबंटित किया जाता है।
- पारदर्शिता:** इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अन्य-पक्ष द्वारा सत्यापन, प्रभाव आकलन और नियमित रिपोर्टिंग शामिल है।

4 हरित जमाराशि प्रभाव आकलन

बीओआई ने वित्तीय वर्ष 25-26 में 930.07 करोड़ रुपये की हरित जमा राशि जुटाई है। हरित जमाराशि प्रभाव आकलन बैंक की उत्तरदायी वित्तपोषण और जलवायु कार्यवाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो मापने योग्य पर्यावरणीय परिणामों के साथ जमा जुटाने को जोड़ता है।

हरित जमा प्रभाव आकलन						
1	2	3	4	5	6	7
क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबंटित हरित जमा राशि (करोड़ रु. में)	सृजित इकाइयों की समेकित संख्या उत्पन्न की गई (KWhr.)	संचयी CO2 उत्सर्जन में कमी (MT CO2e / MWhr.)**	संचयी CO2 उत्सर्जन में कमी (MMT CO2e / MWhr.)	अप्रयुक्त प्राप्त राशि
				=Round (4*0.851/10^3),3)	=5/1000000	(6*10^6)
1	अदाणी विंड एनर्जी कच्छ फोर लिमिटेड	930.07	91,37,90,000.00	7,77635.29	0.78	Nil

- 1) ** कम उत्सर्जन की गणना करने के लिए, हमने भारित औसत उत्सर्जन कारक (0.851 TCO2/MWh बिजली) का संदर्भ लिया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया। इस कारक को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन डेटा के साथ जोड़ा जाता है भारत में विद्युत उत्पादन के लिए विशिष्ट CO2-समतुल्य (CO2eq) का पता लगाने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। https://cea.nic.in/wp-content/uploads/baseline/2025/12/User_Guide_V_21.0.pdf
- 2) यथा 31.03.2026 तक बैंक के हरित जमाराशि पोर्टफोलियो का कोई भी हिस्सा अप्रयुक्त नहीं है

5. अप्रयुक्त प्राप्त राशि

यथा 31 मार्च 2026, बैंक के हरित जमाराशि पोर्टफोलियो का कोई भी हिस्सा अप्रयुक्त नहीं है।

6. प्रभाव आकलन



7. पोर्टफोलियो सूचना

विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) (राशि करोड़ ₹ में)	पिछला वित्तीय वर्ष (2024-25) (राशि करोड़ ₹ में)	संचयी* (राशि ₹ करोड़ में)
जुटाई गई कुल हरित जमाराशियां (ए)	930.07	33.64	963.71
हरित जमाराशियां निधि का उपयोग			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा (सौर परियोजना)	930.07	33.64	963.71
(2) ऊर्जा दक्षता	-	-	-
(3) स्वच्छ परिवहन (ईवी कार वित्तपोषण)	-	-	-
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	-	-	-
(5) सतत जल और अपशिष्ट	-	-	-
प्रबंधन	-	-	-
(6) प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण	-	-	-
(7) हरित भवन	-	-	-
(8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	-	-	-
9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण	-	-	-
कुल आबंटित हरित जमाराशियां निधि (बी = 1 से 9 का योग)	930.07	33.64	963.71
आबंटित न की गई हरित जमाराशि निधि की राशि (सी = ए - बी)	शून्य	शून्य	शून्य
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को आवंटित किए जाने तक हरित जमाराशि के अस्थायी आबंटित का विवरण	शून्य	शून्य	शून्य

प्रारूप स्रोत: <https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=12487&Mode=0> Data provided by the bank of India.

GREEN DEPOSIT IMPACT ANALYSIS REPORT

1 Introduction

On 11 April 2023, the Reserve Bank of India issued a Framework for Acceptance of Green Deposits. The framework is effective from 1 June 2023. Bank of India (BOI) introduced green deposits in 2024. The policy was duly approved by the board on 24-01-2024 and subsequently reviewed and approved by the board on 25-02-2025. These deposits are governed under the framework prepared by BOI -Green Deposit & Financing Framework Policy, which is aligned with the Reserve Bank of India (RBI) framework for accepting green deposits, issued on April 11, 2023. However, the bank has not undertaken a second-party opinion on the policy to ensure it follows the established guidelines and principles. The BOI has an independent verification/assurance report on the utilisation of green deposits released in May 2025.

On 28 November 2025 the RBI issued Master Direction (MD) for providing guidelines as well as guidance related to Climate Finance and Management of Climate Change Risks vide notification no DOR.SFG.REC. No.91/ 30.01.021/2025-26 and has repealed the existing directions, instructions, guidelines relating to Framework for acceptance of Green Deposits, dated April 11, 2023. The revised guidelines are named as Reserve Bank of India (Commercial Banks-Climate Finance and Management of Climate Change Risks) Directions, 2025 dated 28 November 2025.

2. Scope of the engagement

BOI engaged with CARE Analytics and Advisory Private Limited (CAAPL) to prepare a Green Deposit Impact Analysis Report. The impact analysis report covers the period from April 1, 2025, to Mar 31, 2026.

Key Aspects of the RBI framework for accepting green deposits

The RBI introduced the framework for acceptance of green deposits, effective from June 1, 2023, encourages banks and NBFCs to mobilize funds for green activities by earmarking deposits for such purposes, requiring board-approved policies, and mandating third-party verification and impact assessments.

Key Features	Description
Purpose	To mobilize financial resources towards green activities and projects, including renewable energy, green transport, and green buildings.
Effective Date	June 1, 2023.
Applicability	Scheduled Commercial Banks
Green Deposits	Interest-bearing deposits are earmarked for allocation towards green finance.
Mandatory Policies	Banks must have board-approved policies for accepting and utilizing green deposits

Third-Party Verification	The use of green deposit funds must be verified by a third party.
Exclusions	Activities involving fossil fuels, nuclear power, tobacco, etc., are excluded.
Reporting and Disclosures	Banks must maintain transparent and comprehensive reporting on green deposit mobilization, fund utilization, and impact assessment.

3 BOI's Green Deposit Policy

In January 2024, the Bank of India (BOI) has developed a Green Deposit Policy. The "Harit Jama Yojana" is Bank of India's flagship initiative introduced under the Reserve Bank of India Green Deposit Framework.

The key highlights of the policy are as follows:

- Purpose:** To draw a road map for the Issuance and allocation of green deposits, in accordance with the RBI green deposit framework dated 11.04.2023.
- Use of Proceeds:** Proceeds of green deposits shall be used only to finance/ invest in eligible green activities/ projects. Eligible green activities/ projects include Renewable Energy, Waste Management, Clean Transportation, Energy Efficiency, Afforestation/ Reforestation as per RBI green deposit framework.
- Temporary allocation of green deposit proceeds:** Bank shall arrange temporary allocation (which would only be in liquid instruments up to a maximum original tenure of one year, as specified under the Financing Framework) of green deposit proceeds, pending their allocation to the eligible activities/projects. The bank shall provide details of the investment made in liquid instruments at a yearly interval.
- Project Evaluation:** The green deposit proceeds shall be used only to finance/ or to invest in the projects that fall under the eligible green activities/ projects prescribed by RBI.
- Sustainability Focus:** Funds are allocated to projects in renewable energy, energy efficiency, and other eco-friendly sectors.
- Transparency:** Includes third-party verification, impact assessments, and regular reporting to ensure accountability

4 Green Deposit Impact Assessment

The BOI has raised Rs 930.07 crore green deposits in FY 25-26. The Green Deposit Impact Assessment demonstrates the Bank's commitment to responsible financing and climate action by linking deposit mobilization with measurable environmental outcomes.

Green Deposit Impact Assessment

1	2	3	4	5	6	7
Sr No	Name of the project	Green deposit Amount allocated in FY 25-26 (Rs crore)	Consolidated Nos. of Units Generated (KWhr.)	Cumulative CO2 Emission Abated (Metric Ton CO2e)**	Cumulative CO2 Emission Abated (Million Metric Ton CO2)	Unutilised Proceeds
				=Round (4*0.851/10^3),3)	=5/1000000	(6*10^6)
1	ADANI WIND ENERGY KUTCHH FOUR LIMITED	930.07	91,37,90,000.00	7,77635.29	0.78	Nil

- 1) **To calculate abated emissions, we have referred to the weighted average emission factor (0.851 TCO2/MWh electricity) provided by the Central Electricity Authority. This factor is combined with the energy generation data from renewable sources to arrive the specific CO2-equivalent (CO2eq) for power generation in India. https://cea.nic.in/wp-content/uploads/baseline/2025/12/User_Guide_V_21.0.pdf
- 2) There is no Unutilised Proceeds of the Green Bond portfolio of the bank as on 31.03.2026

5. Unutilised Proceeds

There is no unused portion of the Green Deposit portfolio of the bank as on 31st March 2026.

6. Impact assessment



7. Portfolio information

Particulars	Current Financial Year (2025-26) (Amount in ₹ Crore)	Previous Financial Year (2024-25) (Amount in ₹ Crore)	Cumulative (Amount in ₹ Crore)
Total green deposits raised (A)	930.07	33.64	963.71
Use of green deposit funds			
(1) Renewable Energy (Solar project)	930.07	33.64	963.71
(2) Energy Efficiency	-	-	-
(3) Clean Transportation (EV car finance)	-	-	-
(4) Climate Change Adaptation	-	-	-
(5) Sustainable Water and Waste Management	-	-	-
(6) Pollution Prevention and Control	-	-	-
(7) Green Buildings	-	-	-

Particulars	Current Financial Year (2025-26) (Amount in ₹ Crore)	Previous Financial Year (2024-25) (Amount in ₹ Crore)	Cumulative (Amount in ₹ Crore)
(8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	-	-	-
9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	-	-	-
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	930.07	33.64	963.71
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	NIL	NIL	NIL
Details of the temporary allocation of the green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	NIL	NIL	NIL
Format Source: https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=12487&Mode=0 Data provided by the bank of India.			

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक परिदृश्य

वर्ष 2025 के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की विशेषता लचीलापन और व्यवधान के बीच निरंतर संघर्ष रही। संयुक्त राज्य अमेरिका की बढ़ती शुल्क नीति पर केंद्रित व्यापार संरक्षणवाद की व्यापक लहर, मुद्रास्फीति में नरमी तथा ब्याज दरों में कमी की पृष्ठभूमि वाले अपेक्षाकृत स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण से टकराई।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा वृद्धि अनुमानों में उल्लेखनीय अंतर देखा गया। विश्व बैंक ने वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 3.0% रहने का अनुमान व्यक्त किया, जबकि आईएमएफ की जनवरी 2026 रिपोर्ट में वर्ष 2025 हेतु वैश्विक वृद्धि दर 3.2% आंकी गई, जो विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निवेश एवं निजी क्षेत्र की अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है।

वर्ष 2025 में वैश्विक मुद्रास्फीति में निरंतर कमी आई, जिससे अमेरिकी फेडरल रिज़र्व तथा यूरोपीय केंद्रीय बैंक सहित प्रमुख केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक सहजता की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिला। तथापि, शुल्कों से उत्पन्न मूल्य दबाव तथा मध्य-पूर्व तनावों सहित भू-राजनीतिक घटनाओं का ऊर्जा बाजारों पर प्रभाव मुद्रास्फीति की दिशा में नई अनिश्चितताएँ लेकर आया। वर्ष के अंत तक नीतिगत अनिश्चितता, व्यापार विखंडन तथा एआई-प्रेरित निवेश व्यवधान प्रमुख जोखिम कारक बने रहे।

2. घरेलू आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत विकास स्थिरता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई ऊर्जा के साथ प्रगति जारी रखी तथा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में रखी गई मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति पुनः स्थापित की।

फरवरी 2026 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित राष्ट्रीय लेखा शृंखला (आधार वर्ष 2022-23) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर 8.6% रहने की संभावना है। आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक व्यापार में उल्लेखनीय व्यवधानों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2026 में 6% से अधिक वृद्धि दर्ज करने वाली भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था रही।

विकास को मुख्यतः घरेलू कारकों से बल मिला। निजी उपभोग, जो अब जीडीपी का लगभग 61.5% है, निम्न मुद्रास्फीति, स्थिर रोजगार तथा व्यक्तिगत आयकर संरचना के युक्तिकरण के कारण बढ़ी वास्तविक आय के समर्थन से लगभग 7% की दर से वृद्धि हुई। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो सरकार के पूंजीगत व्यय में तेजी को दर्शाती है। नवंबर 2025 तक बजटीय आबंटन का लगभग 60% व्यय किया जा चुका था। फरवरी 2025 से आरबीआई की रेपो दर पॉलिसी में कुल 125 आधार अंकों की कमी ने सस्ते ऋण के माध्यम से राजकोषीय समर्थन को और मजबूत किया।

अमेरिकी शुल्क संबंधी चुनौतियों के बावजूद भारत का बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ बना रहा। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान वस्तु निर्यात में 2.4% तथा सेवा निर्यात में 6.5% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली

छमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी के 0.8% के मध्यम स्तर पर रहा। सकल जीएसटी संग्रह ने वर्ष के दौरान अनेक ऐतिहासिक उच्च स्तर प्राप्त किए, जबकि प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट लक्ष्यों से आगे रहा, जो औपचारिक अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती को दर्शाता है।

क्षेत्रवार दृष्टि से वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट तथा व्यावसायिक सेवाएँ 9.9% वृद्धि के साथ अग्रणी रहीं, जबकि व्यापार एवं आतिथ्य क्षेत्र में 7% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र ने अनुकूल मानसून एवं मजबूत खाद्यान्न उत्पादन के समर्थन से 3.1% की स्थिर वृद्धि दर्ज की। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की संयुक्त वृद्धि 10% से अधिक रही, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक गति को प्रदर्शित करती है।

नीतिगत स्तर पर वित्तीय वर्ष 2026 में राजकोषीय समेकन एवं संरचनात्मक सुधारों पर विशेष बल दिया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। व्यक्तिगत आयकर स्लैबों के पुनर्गठन से उपभोज्य आय में वृद्धि, जीएसटी दरों का युक्तिकरण तथा अवसंरचना में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया। 'विकसित भारत 2047' दृष्टिकोण के अंतर्गत रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहनों, आईटीआई क्षमता विस्तार तथा कार्यरत महिलाओं के समर्थन संबंधी पहलों को और सुदृढ़ किया गया, जिससे मानव पूंजी भारत की विकासयात्रा के केंद्र में बनी रही।

3. बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में विकास

वित्तीय वर्ष 2025-26 भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए परिपक्वता एवं अनुकूलन क्षमता का वर्ष रहा। पूंजी बफर नियामकीय आवश्यकताओं से काफी ऊपर बने रहे, परिसंपत्ति गुणवत्ता बहु-दशकीय उच्च स्तर पर पहुँची तथा ब्याज दर चक्र में नरमी के बावजूद लाभप्रदता मजबूत रही। बैंकिंग प्रणाली ने विकास एवं प्रूडेंस के बीच संतुलन बनाए रखते हुए वर्ष का सफलतापूर्वक संचालन किया।

सितंबर 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए अनुपात घटकर ऐतिहासिक निम्न स्तर 2.15% पर पहुँच गया, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.5% रहा। यह बैंकिंग प्रणाली में गहराई तक स्थापित सक्रिय प्रावधानीकरण संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। पूंजी पर्याप्तता सुदृढ़ बनी रही तथा यथा 31.03.2026 के अंत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 17.4% रहा, जिसने किसी भी आकस्मिक दबाव की स्थिति में मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंकिंग प्रणाली स्तर पर लाभप्रदता बेहतर बनी रही, यद्यपि दरों में कटौती के प्रभाव के संचरण से निवल ब्याज मार्जिन पर कुछ दबाव उत्पन्न हुआ। रेपो दर से संबद्ध ऋण दरों में कमी जमा लागतों की तुलना में अधिक तीव्र गति से हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिफल संकेतक वित्तीय वर्ष 2025 के उच्च स्तरों से कुछ नरम पड़े — जो मौद्रिक सहजता चक्र के प्रारंभिक चरण की सामान्य विशेषता है। इसके बावजूद, प्रणाली की समग्र आय प्रोफ़ाइल संतोषजनक बनी रही, जिसने तुलन पत्र विस्तार तथा पर्याप्त प्रावधानीकरण बफर को समर्थन प्रदान किया।

वित्तीय वर्ष 2026 में ऋण वृद्धि में उल्लेखनीय पुनरुत्थान देखा गया। गैर-खाद्य ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 15.9% वृद्धि हुई, जो वित्तीय वर्ष 2025

के 10.9% की तुलना में काफी अधिक थी, तथा मार्च 2026 तक कुल बकाया ऋण रु. 212.9 लाख करोड़ तक पहुँच गया। यह वृद्धि व्यापक आधार वाली रही — कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों हेतु ऋण में 15.7%, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण में 33.1% तथा मध्यम उद्योगों हेतु ऋण में 21.7% की वृद्धि दर्ज की गई। औद्योगिक ऋण वृद्धि को प्रेरित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में अवसंरचना, मूल धातु, रसायन तथा पेट्रोलियम संबंधित उद्योग शामिल रहे। यह सुधार आरबीआई की उदार मौद्रिक नीति, प्रणाली में अधिशेष तरलता तथा सरकारी पूंजीगत व्यय से उत्पन्न ऋण मांग के कारण संभव हुआ।

जमा पक्ष पर संसाधन जुटाव वर्ष के अधिकांश समय चुनौतीपूर्ण बना रहा, हालांकि वर्षांत की ओर इसमें गति आई। सुधार के बावजूद, बैंकिंग प्रणाली का ऋण-जमा अनुपात 80% से ऊपर बना रहा, जो जमा वृद्धि की तुलना में ऋण विस्तार की निरंतर उच्च गति को दर्शाता है। यह क्षेत्र के लिए एक संरचनात्मक चुनौती बनी रही, क्योंकि बैंक ऋण वृद्धि एवं वित्तपोषण स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते रहे। रेपो दर से संबद्ध ऋण दरों में कमी सावधि जमा लागतों की तुलना में अधिक तेजी से होने के कारण शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में कुछ संकुचन देखा गया, जिससे आगामी वर्ष हेतु देयता प्रबंधन एक प्रमुख प्राथमिकता बन गया।

वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के नीतिगत मध्यक्षेप हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण रहे, और बैंकिंग प्रणाली पर उनका प्रभाव तीव्र और व्यापक दोनों था। मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2025 में अवधि की शुरुआत में नीतिगत रेपो दर को 6.5% से घटाकर दिसंबर 2025 तक 5.25% कर दिया—यानी कुल 125 आधार अंकों (बेसिस पॉइंट्स) की कटौती की। यह कदम नरम पड़ती मुद्रास्फीति और वैश्विक अनिश्चितता के जवाब में नपे-तुले तरीके से उठाया गया था। इसके बाद, वर्ष 2026 की शुरुआत तक इस दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा गया, क्योंकि आरबीआई ने बदलते विकास-मुद्रास्फीति संतुलन का आकलन किया था। दर में इस कार्रवाई के साथ ही, आरबीआई ने नकद आरक्षित अनुपात को कुल 100 आधार अंकों से घटाकर 3% कर दिया, जिससे प्रणाली में ₹2.5 लाख करोड़ की टिकाऊ चलनिधि (लिक्विडिटी) का संचार हुआ। ₹6.95 लाख करोड़ के ओपन बाजार परिचालन और लगभग \$25 बिलियन के फॉरेक्स स्वेप ने यह सुनिश्चित किया कि नकदी की स्थिति अनुकूल बनी रहे। वित्तीय वर्ष 26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य के दायरे के भीतर 2.1% रहने के अनुमान के साथ, आरबीआई ने यह बताया कि एक उदार नीतिगत रुख (एकोमोडेटिव स्टैंस) और मूल्य स्थिरता परस्पर अनन्य नहीं हैं। इससे केंद्रीय बैंक को अपने मुद्रास्फीति-लक्षित अधिदेश से समझौता किए बिना विकास को बढ़ावा देने में सहयोग मिला।

विनियामक मोर्चे पर आरबीआई ने प्रतिभूति-रहित खुदरा ऋण पर सतर्क दृष्टि बनाए रखी, जहाँ व्यक्तिगत ऋण एवं क्रेडिट कार्डों में बढ़ती चूक दरों के कारण निरंतर सावधानी आवश्यक रही। ऐसे जोखिमपूर्ण ऋणों पर जोखिम भार में वृद्धि ने इस खंड में अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायता की। प्रस्तावित प्रत्याशित ऋण हानि ढाँचा तथा संशोधित परियोजना वित्त प्रावधानीकरण मानदंड प्रणाली के लिए मध्यम अवधि के महत्वपूर्ण निगरानी मानक बने रहे। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में संशोधित केंद्रीय केवाईसी प्रणाली तथा ग्रामीण उधारकर्ताओं

हेतु “ग्रामीण क्रेडिट स्कोर” की शुरुआत — जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी — अधिक सूक्ष्म एवं समावेशी ऋण संरचना के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई।

भविष्य की ओर देखते हुए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली भारत की विकास आकांक्षाओं को समर्थन देने हेतु सुदृढ़ स्थिति में दिखाई देती है। सहायक ब्याज दर वातावरण, निजी निवेश में पुनरुद्धार, अवसंरचना-प्रधान पूंजीगत व्यय तथा स्वच्छ बैलेंस शीट वित्तीय वर्ष 2027 में सतत ऋण विस्तार के लिए अनुकूल आधार प्रदान करते हैं। तथापि, सुशासन अनुशासन, अनुपालन संस्कृति तथा उभरते आस्ति गुणवत्ता जोखिमों के सावधानीपूर्ण प्रबंधन पर निरंतर ध्यान बनाए रखना क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकता रहेगा।

कारोबार समीक्षा :

1. संसाधन संग्रहण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 7.30% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्ज करते हुए कासा में कुल रु. 20,450 करोड़ की वृद्धि हुई है। उक्त अवधि के दौरान बचत जमाशियों में वर्ष-दर-वर्ष 7.85% की वृद्धि के साथ रु. 19,200 करोड़ की वृद्धि हुई है। चालू जमाशियों में 3.51% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 1,250 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मीयादी जमा पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष 19.92% की वृद्धि के साथ रु. 82,746 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल जमाशियों में वर्ष-दर-वर्ष 14.30% की वृद्धि के साथ रु. 1,00,145 करोड़ की वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान 5,00,000/- रुपये या उससे बचत खाताधारक अधिक के औसत शेषराशि वाले कुल 60,990 नए एचएनआई बचत ग्राहक जोड़े गए, जिसके परिणामस्वरूप इस खंड में रु. 6,268 करोड़ यानी 6.56% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई।

इसी प्रकार, वर्ष के दौरान 2,00,000/- रुपये से अधिक के औसत शेष राशि नई चालू जमाशियों वाले एचएनआई ग्राहकों वाले कुल 10,329 को जोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप इस खंड में रु. 590 करोड़ यानी 2.70% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई।

कासा पर निरंतर ध्यान केंद्रित और ग्राहक अधिग्रहण पर जोर देने के साथ, वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति में बैंक का कासा अनुपात 37.64% रहा।

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कासा और सावधि जमाओं में परिवर्तन लाने के लिए “स्टार उड़ान” नामक एक कार्यनीतिक कारोबारी योजना शुरू की है जो देयता पोर्टफोलियो में बैंक की स्थित को सुदृढ़ करेगी।

2. अग्रिम:

बैंक के वैश्विक सकल अग्रिम दिनांक 31.03.2025 को ₹6,66,047 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2026 को ₹7,71,391 करोड़ हो गए, जो 15.82% की मज़बूत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दिखाता है। सकल घरेलू ऋण में 16.10% की लगातार बढ़ोतरी देखी गई, जो इसी दौरान ₹5,63,550 करोड़ से बढ़कर ₹6,54,292 करोड़ हो गया। सकल कॉर्पोरेट ऋण में वार्षिक आधार पर 12.08% की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह 31.03.2025 के ₹2,40,874 करोड़ से बढ़कर 31.03.2026 में ₹2,69,965 करोड़ हो गया।

कॉर्पोरेट और मिड-मार्केट खंडों की बदलती आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, हमने अपने विशेष डिलीवरी चैनलों को बहुत मजबूत किया है। हमारी नौ विशेष बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं के अलावा, हमने अपनी मिड-कॉर्पोरेट शाखाओं का भी विस्तार किया है। वि.व. 25-26 के दौरान, हमने मुख्य आर्थिक केंद्रों पर 9 नई इमर्जिंग कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाएँ (ईसीबीबी) खोलीं, जिससे हमारी कुल ईसीबीबी संख्या बढ़कर 19 हो गई। यह विशेष नेटवर्क हमें स्थानीय, विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले वित्तीय समाधान देने में मदद करता है, साथ ही कॉर्पोरेट इकोसिस्टम के भीतर वॉलेट शेयर को बढ़ाने में मदद करता है।

हरित ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को समर्थन देने के उद्देश्य से, बैंक ने एक समर्पित 'हरित वित्तपोषण कक्ष' की स्थापना की है। यह विशेष इकाई सतत निवेश को बढ़ावा देने, पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को सुगम बनाने तथा ऐसे वित्तीय समाधानों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है जो एक हरित अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। हरित वित्तपोषण को प्राथमिकता देकर, बैंक उन कारोबारों एवं पहलों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है जो देश के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के अनुरूप हैं। इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए, हमने नाबार्ड के साथ एक कार्यनीतिक एमओयू किया है। ये साझेदारियाँ बड़े पैमाने की सतत पहलों को सह-वित्तपोषित करने एवं ऐसे वित्तीय समाधानों को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देते हैं।

देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के मिशन को और अधिक समर्थन देने के लिए, बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया है, जिससे संव्यवहार तीव्र, अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी हो गया है। हमने लेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षण किए जाने वालों को ऑनलाइन 'शेषराशि प्रमाण-पत्र' जारी करने के लिए पीएसबी एलायंस को अपने साथ जोड़ा है। इसके अलावा, हम अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सेवाओं की उपलब्धता को डिजिटल बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पहुँच को बेहतर बनाने के लिए कई मोर्चों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। ये प्रयास तकनीकी नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं, एवं कारोबार को सरलता एवं विश्वनीयता के साथ डिजिटल परिवर्तन अपनाने में सहायता करते हैं।

3. रिटेल: रिटेल

बैंक का रिटेल ऋण पोर्टफोलियो यथा 31/03/2025 को 1,33,699 करोड़ रुपये से बढ़कर यथा 31/03/2026 को 1,62,025 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 28,326 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 21.19% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। हमने वर्ष के दौरान आवास ऋण, वाहन ऋण तथा संपत्ति ऋण खंडों पर अपना विशेष ध्यान जारी रखा।

वर्ष के दौरान आवास ऋण खंड में 16.74% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई जो 67,826 करोड़ रुपये से बढ़कर 79,178 करोड़ रुपये हुई। वर्ष के दौरान वाहन ऋण खंड में 18.72% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई जो 20,828 करोड़ रुपये से बढ़कर 24,726 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष के दौरान वाहन ऋण हेतु ऑटो विनिर्माताओं के साथ टाई-अप व्यवस्था से वाहन ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद मिली।

हमारे बैंक ने कर्मचारियों के साथ टाई-अप व्यवस्था के तहत कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के कर्मचारियों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट/संस्थानों के कर्मचारियों के लिए हमारे रिटेल उत्पादों हेतु विशेष रियायतें अनुमोदित की हैं। एलिट वेतन बचत खाते के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत/आवास /वाहन/शिक्षा ऋण पर ब्याज दरों में रियायत को मंजूरी दी गई है।

रिटेल ऋण में मुख्य रूप से तीन प्रमुख ऋण खंडों जैसे आवास ऋण, वाहन ऋण तथा संपत्ति ऋण द्वारा वृद्धि में योगदान दिया गया है। हम अधिग्रहण और ग्राहकों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम प्रतिभूत रिटेल पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी में वृद्धि हेतु बंधक संपत्ति पर ऋण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वर्तमान वर्ष के लिए हमारा ध्यान बीएसए पर निर्भरता को कम करने तथा शाखा/विपणन टीम के माध्यम से प्रत्यक्ष लीड में वृद्धि करना तथा खुदरा ऋण के तहत वेतनभोगी प्रोफाइल के प्रतिशत में और वृद्धि करने पर केंद्रित रहेगा।

हम आकर्षक उत्पाद सुविधाओं के माध्यम से शिक्षा ऋण खंड के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हमने पीएम सूर्य घर योजना हेतु पीएम सूर्य घर पोर्टल और शिक्षा ऋण हेतु पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के साथ अपने एलओएस को एकीकृत कर दिया है। इसके अलावा, हमने वर्ष के दौरान सभी रिटेल ऋण उत्पादों जैसे व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, संपत्ति ऋण और आवास ऋण हेतु डिजिटल यात्रा शुरू की है। पीएम सूर्य घर और बीओआई स्टार किफायती आवास ऋण के लिए एंड टू एंड - एसटीपी यात्रा विकास के उन्नत चरण में है और इन दोनों एसटीपी यात्राओं को जल्द ही शुरू किया जाएगा।

4. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है तथा निम्न प्रति व्यक्ति निवेश से अर्थव्यवस्था की विकेंद्रीकृत वृद्धि द्वारा आय और रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमएसएमई क्षेत्र भारत की जीडीपी में 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और कुल निर्यात में 45% का योगदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने रु 16,021 करोड़ (17.68%) की एमएसएमई वृद्धि हासिल की है।

इस वृद्धि को बैंक की प्रमुख योजनाओं जैसे वेलकम ऑफर, स्टार एसेट बैकड लोन, डॉक्टर प्लस स्कीम, एमएसएमई थाला आदि के तहत नई कारोबारिक पीढ़ी द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है और इससे पूल-बायआउट, सह-ऋण, ट्रेड्स और आपूर्ति शृंखला वित्त के तहत ऋण देने से सहायता मिलेगी।

बैंक के एमएसएमई खंड के तहत कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

राशि करोड़ में

सकल एमएसएमई अग्रिम (पीडब्ल्यूओ और यूआरआई को छोड़कर)					
विवरण	मार्च-25	दिसंबर -25	मार्च -26	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
सकल एमएसएमई	90,639	1,03,191	1,06,660	16,021	17.68%

कुल सकल एमएसएमई ₹ 90,639 करोड़ से बढ़कर ₹1,06,660 करोड़ हो गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष ₹16,021 करोड़ (17.68%) वृद्धि रही।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की विशेषताएँ :

- यथा 31.03.2026 को एमएसएमई पोर्टफोलियो में कुल खाते 13,93,499 हैं, जिनमें सकल रु 1,06,660 करोड़ राशि बकाया है।
- एमएसएमई खंड में कुल एनपीए रु 16,912 करोड़ है।
- जीएनपीए के संबंध में हमारे बैंक की एमएसएमई बही खाता में चूक राशि यथा 31.03.2025 को 8.23% से घटकर यथा 31.03.2026 को 4.96% हो गई है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एमएसएमई में 2,19,753 नए खाते जोड़े गए हैं, जिनकी संस्वीकृत सीमा रु 39,141 करोड़ है। इन नए खातों ने एमएसएमई बही में रु 28,475 करोड़ का योगदान किया है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, मुद्रा ऋण के तहत बैंक ने रु 12,376 करोड़ की कुल संस्वीकृति में से रु. 11,585 करोड़ का संवितरण किया है।
- बैंक ऑफ़ इंडिया को एमएसएमई में वृद्धि के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड, एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 (सीआईएमएसएमई) और सीजीटीएमएसई के तहत डिजिटल अपनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- **ईसीसीबी:** एमएसएमई और कॉर्पोरेट कारोबार को बढ़ावा देने और एमआईडी कॉर्पोरेट खंड में बैंकों की हिस्सेदारी का विस्तार करने के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा 10 ईसीसीबी के अलावा 10 नए ईसीसीबी (उभरती कॉर्पोरेट ऋण शाखाएं) खोलने का अनुमोदन दिया है। यथा दिनांक 31.03.2026 तक कुल 20 ईसीसीबी शाखाएं परिचालन में हैं।
- बैंक ने क्रिसिल के साथ समन्वय कर "प्रोजेक्ट सक्षम" शुरू किया है। यह परियोजना हमारे क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान में सुधार करने और क्लस्टर आधारित वित्त योजना के लिए वित्तीय समाधान विकसित करने तथा चयनित अधिकारियों हेतु क्षमता निर्माण के लिए लायी गई है।
- **ई-प्लेटफॉर्म:** बैंक ने डिजिटल माध्यम से ऋण के प्रसंस्करण के लिए ई-प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक लागू किया है। मुद्रा ऋण पहले से ही शाखा और वेब यात्रा के माध्यम से प्रसंस्कृत किए जा चुके हैं। ई-प्लेटफॉर्म पर रु 10.00 लाख से रु 7.50 करोड़ की संस्वीकृत सीमा वाले एमएसएमई ऋण के प्रसंस्करण की सुविधा भी सफलतापूर्वक लागू की गई है। प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से टी-ए-टी को कम करने और जोखिम अंकन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता मिलती है।

नए उत्पाद :

- **"स्टार गुरुकुल ऋण"** एक ऐसा उत्पाद है जिसे बैंक द्वारा सरलीकृत मूल्यांकन और प्रस्ताव के साथ शैक्षिक संस्थानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेश किया गया है।

योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

- एक नया एमएसएमई उत्पाद, **"बीओआई स्टार प्रोफेशनल लोन"** प्रस्तुत किया गया है। यह सनदी लेखाकार, कंपनी सचिव, लागत और प्रबंधन लेखाकार, वास्तुकार और इंजीनियर जैसे पेशेवरों की तत्काल वित्तीय ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।
- **"स्टार गिग ग्रो लोन"** एक नया उत्पाद गिग श्रमिकों की कारोबार संबंधी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है।
- कार्यशील पूंजी वित्तपोषण के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण उत्पाद प्रदान करने हेतु ऋण देने की एक वैकल्पिक विधि के रूप में **"स्टार डिजी बिज लोन"** योजना शुरू की गई है।
- बीओआई स्टार एसेट बैकड ऋण, बीओआई स्टार वाहन एक्सप्रेस, बीओआई स्टार इक्विपमेंट एक्सप्रेस और बीओआई स्टार कॉन्ट्रेक्टर ऋण जैसे प्रमुख उत्पादों को वित्त की मात्रा के संदर्भ में आशोधित किया गया है।
- **चैपियन क्षेत्र:** बैंक ने पर्यटन, आतिथ्य और लॉजिस्टिक्स को चैपियन क्षेत्र के रूप में पहचाना है। बैंक ने चैपियन क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों के तहत "एमएसएमई थाला" उत्पाद विकसित किया है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कारोबार को मजबूत करने हेतु एससीएफ के लिए टाटा हिताची, बजाज इलेक्ट्रिकल, कैस इन्वाइस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **हरित ऊर्जा वित्तपोषण:** हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर के साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु टाई-अप किया गया है। इसके अतिरिक्त, **एमएसएमई गिफ्ट** (परिवर्तन के लिए हरित निवेश और वित्तपोषण) और एमएसएमई स्पाइस (चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश योजना) पहलों के तहत सिडबी के सहयोग से एमएसएमई के लिए वित्तपोषण सहायता का विस्तार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हरित और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। बैंक ने एमएसएमई गिफ्ट और **एमएसएमई स्पाइस** योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु बढ़ावा देने के लिए, बैंक सक्रिय रूप से **एडीईईटीआईई** (उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने में सहायता) योजना के तहत वित्तपोषण को प्रोत्साहित करता है।
- **उदीयमान क्षेत्र:** बैंक सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) जैसे उदीयमान क्षेत्रों के तहत वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए भी उत्सुक है।
- बैंक ने भारत सरकार की प्रमुख पहल कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, पीएमएमवाई, डीजेएवाई, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आदि की प्रतिक्रिया के रूप में बैंक स्तर पर एमएसएमई ऋण में बड़े बदलाव किए हैं।

5. कृषि वित्त:

ए) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:

- बैंक अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।
- यथा 31.03.2026 तक, बैंक का कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹2,47,393 करोड़ (मार्च-26 एनबीसी का 46.08%) रहा।
- कृषि क्षेत्र के तहत दिया गया अग्रिम ₹1,03,974 करोड़ (मार्च-26 एनबीसी का 19.37%) रहा, जिसमें से लघु और सीमांत कृषकों (एसएफ़ एवं एमएफ़) को दिया गया ऋण ₹73,130 करोड़ (मार्च-26 एनबीसी का 13.62%) है।
- एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत, कुल बकाया अग्रिम ₹1,06,311 करोड़ था, जिसमें से लघु उद्यमों का योगदान ₹51,086 करोड़ (मार्च-26 एनबीसी का 9.52%) था।
- शिक्षा ऋण के तहत ₹2,805 करोड़, आवास ऋण के तहत ₹34,192 करोड़ और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के तहत बकाया ऋण ₹14 करोड़ रहा।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, कृषि, लघु और सीमांत कृषक, एमएसएमई (लघु) और कमजोर वर्गों को ऋण देने सहित प्रमुख क्षेत्रों में सभी विनियामक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।

(₹ करोड़ में)

मद	वास्तविक बकाया राशि मार्च -25 (लेखापरीक्षित)	वास्तविक बकाया राशि दिसंबर -25 (लेखापरीक्षित)	वास्तविक बकाया राशि मार्च -26 (लेखापरीक्षित)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (मार्च 25/मार्च 26)		ए.एन. बी.सी मार्च 26 तिमाहि का %	विनियामकीय आवश्यकताएं
				राशि	%		
एनबीसी	4,73,348	5,25,971	5,36,823				
1) कृषि	1,00,126	1,02,119	1,03,974	3,848	3.84	19.37	18.00
2) लघु एवं सीमांत कृषक	58,185	71,961	73,130	14,945	25.69	13.62	10.00
3) सूक्ष्म उद्यम	46,215	50,854	51,086	4,871	10.54	9.52	7.50
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	2,13,227	2,41,743	2,47,393	34,166	16.02	46.08	40.00

(कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम पीडब्ल्यूओ, यूआरआई, आरआईएफडी और पीएसएलसी का निवल है)

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने कृषि के तहत ₹88,673.54 करोड़ का संवितरण किया, जिसमें से ₹66,678.78 करोड़ लघु एवं सीमांत कृषकों (एसएफ़ एवं एमएफ़) को प्रदान किए गए।
- हमारे बैंक ने पीएसएलसी संव्यवहार भी किए, जिसके तहत पीएसएलसी-एसएफ़ और एमएफ़ के तहत ₹11,980 करोड़ की बिक्री की गई, साथ ही पीएसएलसी-कृषि के तहत कुछ क्रय नहीं किया गया।

इस वर्ष के दौरान पीएसएलसी ट्रेडिंग से हुआ निवल अर्जन ₹253.31 करोड़ (जीएसटी सहित) रहा।

- वर्ष के दौरान बैंक ने 1.50 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, जिससे ₹10,781.88 करोड़ के संवितरण में सुविधा हुई।
- अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक का ऋण एक्सपोज़र ₹30,865 करोड़ रहा, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 11.32% है।
- कमजोर वर्गों के तहत बकाया राशि रु. ₹92,778 करोड़ (मार्च-26 एनबीसी का 17.28%) है।
- इसके अतिरिक्त, खाद्य और कृषि-आधारित उद्योगों में बैंक का एक्सपोज़र ₹12,163 करोड़ रहा।

बी) स्वर्ण ऋण: बैंक के स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹18,070 करोड़ की वृद्धिशील बढ़ोत्तरी दर्ज की गई, और 31.03.2026 तक यह बढ़कर ₹53,409 करोड़ के बकाया स्तर पर पहुँच गयी।

सी) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) : बैंक के पास 6.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का ग्राहक आधार है, जिनमें से 31.03.2026 तक 3.57 लाख एसएचजी ऋण सहबद्ध हैं; इनमें 3.35 लाख महिला एसएचजी शामिल हैं।

डी) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) : एनआरएलएम पहल के तहत, जो ग्रामीण परिवारों के लिए गरीबी कम करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 52,623 एसएचजी को ₹3,987 करोड़ की राशि संस्वीकृत की।

ई) कृषि प्रसंस्करण केंद्र (स्टार कृषि विकास केंद्र (एसकेवीके) और एग्री डेस्क)

- सामान्य रूप से कृषि ऋण और विशेष रूप से निवेश ऋण की पर्याप्त और सतत गुणवत्ता वृद्धि के लिए क्लस्टर क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमता का दोहन करने के लिए, टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) का पालन सुनिश्चित करते हुए, स्टार कृषि विकास केंद्र (एसकेवीके) स्थापित किए गए हैं।
- वर्तमान में, सभी 13 एफजीएमओ के 63 अंचलों में 164 एसकेवीके कार्यरत हैं, जो ऋण प्रसंस्करण के लिए 2999 ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं सहित 3629 शाखाओं से जुड़े हुए हैं।
- एसकेवीके ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 14,994 करोड़ रुपये संवितरित किए।
- इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से खाद्य एवं कृषि तथा कृषि अवसंरचना व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए, गुणवत्ता आधारित विकास के लिए आंचलिक कार्यालय ऋण विभाग में 69 कृषि डेस्क संचालित हैं।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि डेस्क ने 3,928 करोड़ रुपये संवितरित किए।

6. वित्तीय समावेशन:

बैंक यह मानता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से कारोबार करना व्यावहारिक है तथा इस दिशा में बैंक ने अपने दृष्टिकोण को “सीएसआर” से “आर्थिक व्यवहार्यता” की ओर स्थानांतरित किया है। वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षानुसार अत्यंत कम लागत के संव्यवहारों को समर्थित करने एवं संरक्षित करने हेतु आईसीटी आधारित समाधान का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना कार्यक्रम (पीएमजेडीवाई) से वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्राप्त हुई है। आईसीटी द्वारा समर्थित कारोबार संपर्की मॉडल के नेतृत्व में आई.सी.टी. के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ने ये सेवाएं दी हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

पीएमजेडीवाई एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:

वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान 13.73 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बैंक की सक्रिय भागीदारी रही है। वर्ष (2025-26) के दौरान बैंक ने पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के अंतर्गत 19.22 लाख खाते एवं पीएमजेजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के तहत 12.05 लाख खाते इस अवधि में शामिल किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक द्वारा 4.52 लाख नए एपीवाई (अटल पेंशन योजना) अभिदाता जोड़े गए हैं।

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर ऋण (एसएचएएल)

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर ऋण (एसएचएएल)-पीएम स्वनिधि जून 2020 में शुरू किया गया था ताकि भाग - I के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 12 ईएमआई में चुकाने योग्य 10,000/- तक का परेशानी मुक्त कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) प्रदान किया जा सके। पीएम स्वनिधि के तहत दूसरे भाग उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था जिन्होंने अपना पहला पीएम स्वनिधि ऋण चुकाया है। भाग - II के तहत, डब्ल्यूसीडीएल रु. 20000/- (न्यूनतम रु.15000/-) तक स्ट्रीट वेंडर्स को प्रदान किया जाता है और यह 18 महीने की किस्तों में चुकाने योग्य है। भाग - III के तहत, डब्ल्यूसीडीएल रु. 50000/- (न्यूनतम रु.30000/-) तक स्ट्रीट वेंडर्स को प्रदान किया गया है और यह 36 महीने की किस्तों में चुकाने योग्य है।

सितंबर 2025 से, योजना में संशोधन किया गया है। संशोधित सीमाएं निम्नानुसार हैं:

संशोधित योजना (पीएमएस 2.0) (सितंबर 2025 से)

पहला ऋण - ₹15,000 (12 महीनों में चुकाने योग्य)
दूसरा ऋण - ₹25,000 (18 महीनों में चुकाने योग्य)
तीसरा ऋण - ₹50,000 (36 महीनों में चुकाने योग्य)

इसके अतिरिक्त, ₹30000/- की सीमा तक के रुपये क्रेडिट कार्ड को भी उन एसवी के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने दूसरी किश्त सफलतापूर्वक चुकाई है।

दिनांक 31/03/2026 तक, हमने प्राप्त 8.48 लाख आवेदनों में से 7.79 लाख मामलों (91.86%) को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 7.66 लाख मामलों (संस्वीकृत आवेदनों का 98.33%) में संवितरित किया हुआ।

पीएम विश्वकर्मा

सितंबर 2023 में पीएम विश्वकर्मा उन कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू किया गया था, जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं, आमतौर पर स्वरोजगार करते हैं और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होते हैं। इन व्यक्तियों को ‘विश्वकर्मा’ कहा जाता है और ये मुख्य रूप से लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि व्यवसायों में लगे हुए हैं। ये कौशल या व्यवसाय पारंपरिक प्रशिक्षण के गुरु-शिष्य मॉडल के अनुरूप पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत किया जाए। इसका लक्ष्य विश्वकर्मा (18 व्यवसाय) यानी कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र समर्थन प्रदान करना है, ताकि उन्हें अपने संबंधित व्यापार में मूल्य शृंखला को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का कार्यान्वयन एमएसएमई मंत्रालय, डीएफएस और वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। एमएसएमई मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। पीएम विश्वकर्मा को शुरुआत में 2027-28 तक पाँच वर्ष के लिए लागू किया गया है। इसमें रु. 1,00,000 तक का ऋण पहले भाग में 5% ब्याज दर (निर्धारित) पर प्रदान किया जाएगा, जिसे 18 महीने में चुकाना होगा। रु. 2,00,000 तक का ऋण दूसरे भाग में 5% ब्याज दर (निर्धारित) पर प्रदान किया जाएगा, जो 30 महीनों में चुकाना होगा। लाभार्थी दूसरे भाग के लिए तब पात्र होगा जब पहले भाग का ऋण पूरी तरह से चुका दिया जाएगा। इसके अलावा, पहले भाग के ऋण के वितरण के छह महीने से पहले दूसरा ऋण नहीं दिया जाएगा। एमओएमएसएमई बैंक को अग्रिम रूप से 8% की दर से ब्याज सहायता प्रदान करेगा।

दिनांक 31/03/2026 तक, हमने 28260 पात्र आवेदनों में से 22660 आवेदनों (80%) को मंजूरी दी है और 19812 आवेदनों (87%) में संवितरण किया।

स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):

बैंक झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु 44 आरसेटी को प्रायोजित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरसेटी ने 1550 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए एवं 45,192 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया और 74% (33441) का नियोजन सुनिश्चित करते हुए 60.31% (19940) अभ्यर्थियों को ऋण प्रदान किया गया ताकि लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। एमओआरडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमारी 44 आरसेटी में 43 आरसेटी को “ए” श्रेणी दी गई है और एक नई आरसेटी है, जिसे अगले दो वर्ष तक ग्रेडिंग से छूट प्राप्त है।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी):

एफएलसीसी/ एफएलसी की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के जिला केंद्रों में की गई है, जहाँ बैंक के पास अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी है। बैंक की 50 एफएलसी सभी 49 अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा एफएलसी मामले-दर-मामले आधार पर दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपचारात्मक परामर्श तथा संचार माध्यमों,

कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से निवारक परामर्श भी देते हैं। 31 मार्च 2026 तक, 52,123 शिविरों में कुल 20.68 लाख जरूरतमंद संकटग्रस्त लोगों को परामर्श दिया गया।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल): पायलट परियोजना

आरबीआई के 10 दिसंबर 2020 के पत्र के संदर्भ में, हमें सूचित किया गया कि आरबीआई ने देश के प्रत्येक ब्लॉक में मार्च 2024 तक सीएफएल की पहुँच को चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने की घोषणा की थी। हम सीएफएल पायलट प्रोजेक्ट के प्रारंभिक कार्यान्वयन के बाद से एक प्रायोजक बैंक के रूप में जुड़े हुये हैं, जो अब 01.12.2021 तक बढ़ गया है। हमें प्रायोजक बैंक द्वारा आंशिक वित्तपोषित करते हुए जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए)/ वित्तीय समावेशन निधि (एफईएफ) द्वारा कुल 186 सीएफएल को प्रायोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तदनुसार, हमने 1 दिसंबर 2021 से आरबीआई द्वारा पहचाने गए पाँच एन. जी. ओ. के सहयोग से पाँच राज्यों (झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश) में 186 सीएफएल खोले/बढ़ाए हैं। समग्र रूप से, 31.03.2026 तक कुल 186 सीएफएल ने 2,63,464 शिविर आयोजित किए एवं कुल 88,82,261 दबावग्रस्त लोगों को परामर्श दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

विलय के बाद, हम मध्य प्रदेश में केवल एक आरआरबी, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (एमपीजीबी) को प्रायोजित कर रहे हैं। मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथ विलय के बाद, यह बैंक 31.03.2026 तक 55 जिलों को कवर करता है और इसका 1320 शाखाओं का नेटवर्क है। एमपीजीबी का प्रबंधन बैंक ऑफ़ इंडिया से प्रतिनियुक्त अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, और इसके कार्यनिष्पादन की निगरानी प्रधान कार्यालय से महाप्रबंधक एफआई एवं आरआरबी (प्रभाग) द्वारा की जाती है। एमपीजीबी की सभी शाखाएँ और प्रशासनिक कार्यालय सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं, जहाँ सिस्टम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। एमपीजीबी में आरटीजीएस, एनईएफटी और एटीएम प्लेटफॉर्म की सुविधा भी उपलब्ध है। 31.03.2026 तक, हमारे आरआरबी का कुल मिश्रित कारोबार ₹58,931.29 करोड़ रहा।

अग्रणी जिला योजना :

हमारा बैंक पूरे देश के पाँच राज्यों के (21 अंचलों में स्थित) 49 जिलों में अग्रणी बैंक होने का उत्तरदायित्व निभा रहा है। उनके विवरण निम्नलिखित है ::

3	मध्य प्रदेश	13	भोपाल, सिहोर, खंडवा, खरगोन, राजगढ़, धार, अगर-मालवा, बुरहानपुर, देवास, बरवानी, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर
4	उत्तर प्रदेश	07	बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और कन्नौज
5	ओड़ीशा	02	मयूरभंज और केंदुझर

ए) अग्रणी जिला प्रबंधको के मुख्य कार्यों का उल्लेख:

- जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन की देख-रेख
- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी), बैंक द्वारा आरसेटी की स्थापना में संबद्ध
- बैंकों के ग्रामीण शाखाओं, एफएलसी द्वारा वित्तीय साक्षरता कैप के आयोजन में संबद्ध
- बैंक और सरकारी अधिकारियों के लिए एनजीओ / पंचायती राज संस्थान की भागीदारी में वार्षिक संवेदनशीलता कार्यशाला का आयोजन करना
- तिमाही में जागरूकता, सामाजिक प्रतिपुष्टि बैठक, शिकायत निवारण आदि की व्यवस्था
- डीसीसी/डीएलआरसी/बीएलबीसी के उनके जिलों / खंडों में बैठकों का समन्वय करना
- समय-समय पर शेष बची हुई समस्याओं के समाधान हेतु डीडीएम/एलडी/सरकारी अधिकारियों की आवधिक बैठकों का आयोजन करना
- प्राथमिक-प्राप्त क्षेत्रों में और समाज के पिछड़े वर्गों में ऋण प्रवाह को देखना
- एसएलबीसी/सरकार/नाबार्ड/आरबीआई को समय से डाटा प्रस्तुत करना
- राहत उपाय (कोई भी आपदा हो) उसकी समीक्षा करना
- जिला में बैंक के विकास के लिए कारोबार सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना
- आकांक्षित जिलों में 4 केपीआई के अंतर्गत (कासा, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई) प्रगति की निगरानी करना

अग्रणी बैंक योजना के तहत, सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार शाखाओं के नेटवर्क से योजनबद्ध विकास और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिलों में संपोषणीय विकास के लिए सभी ऋण देने वाली संस्थाओं के प्रयासों का समन्वय करने की भूमिका सौंपी है। संक्षेप में, अग्रणी जिला प्रबंधक वित्तीय संस्थानों और सरकार के बीच उत्प्रेरक का कार्य करता है। अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक की विस्तृत शाखा है जो जिला प्रशासन, नाबार्ड, आरबीआई, अन्य औपचारिक/ अनौपचारिक एजेंसियां जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिले के विकास में शामिल हैं, के बीच समन्वय स्थापित करते हैं।

क्र. सं.	राज्य के नाम	अग्रणी जिलों की संख्या	अग्रणी जिलों के नाम
1	झारखंड	15	वेस्ट सिंहभूम, सेराईकेला-खरसवान, रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, ईस्ट-सिंहभूम, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, सिमडेगा और खूंटी
2	महाराष्ट्र	12	गडचिरोली, कोल्हापुर, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपुर, रायगड, सांगली, वर्धा, रत्नागिरी, चंद्रपुर, गोंडिया और सोलापुर

7. अंतरराष्ट्रीय

बैंक की कुल 22 विदेशी शाखाएँ, जकार्ता (इंडोनेशिया) में 1 प्रतिनिधि कार्यालय, 4 समनुषंगी संस्थाएँ तथा 1 सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं, जो कि सभी टाइम ज़ोन में स्थित 5 महाद्वीपों के 15 देशों में फैले हुए हैं। दिनांक 31.03.2026 तक बैंक के वैश्विक कारोबार मिश्र में विदेशी परिचालनों का हिस्सा 14.36% रहा है।

विदेशी समनुषंगी संस्थाएँ एवं सहयोगी :

- पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
- बैंक ऑफ़ इंडिया (तंज़ानिया) लिमिटेड
- बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
- बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड
- इंडो- ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईजेडबी) – संयुक्त उद्यम

8. ऋण निगरानी:

बैंक के ऋणों की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए ऋणों की निगरानी अनिवार्य है। ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की रक्षा करना और ऋण के गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में बदलने के जोखिम को कम करना है। स्वीकृत शर्तों के अनुपालन तथा निधियों के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करना ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य है। इसे पहचाने गए दबावग्रस्त खातों/निगरानी सूची खातों को मानक श्रेणी में वापस लाने के लिए प्रयास करना है। विभाग कमजोरियों/संभावित चूक/अपराधियों के संकेतों वाले दबावग्रस्त खातों की पहचान और निगरानी के लिए विभिन्न उपकरणों और विधियों का उपयोग कर रहा है ताकि संभावित चूक को प्रभावी ढंग से रोकने के साथ-साथ अच्छी परिसंपत्ति गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के उपाय:

आंचलिक वसूली केंद्र (ज़ेडसीसी):

सभी अंचलों में अगस्त 2023 में आंचलिक वसूली केंद्र (ज़ेडसीसी) का गठन किया गया था। जेडसीसी का प्राथमिक उद्देश्य अंचल के सीआरएमडी में अन्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले क्रेडिट निगरानी के अन्य मामलों के साथ एसएमए को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। रु. 25 लाख और उससे अधिक के एसएमए खातों का दायित्व जेडसीसी को होगा, जिसमें एसएमए खाते को नियमित श्रेणी में वापस लेने का लक्ष्य रखा गया है।

उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उधारकर्ताओं को खाते के एसएमए श्रेणी में जाने के परिणामों के बारे में शिक्षित करें और परामर्श दें जिसमें बिगड़ते क्रेडिट स्कोर तथा ऋण राशि एवं ब्याज दरों पर समझौता वार्ता की शक्ति के कम होने पर विशेष जोर दिया जाए। जेडसीसी सदस्यों को उधारकर्ता पर संपूर्ण अतिदेय और क्रिटिकल राशि का भुगतान करने के लिए जोर देना भी आवश्यक है। शीघ्र चुकौती से बेहतर क्रेडिट स्कोर और बेहतर ब्याज दर के लिए समझौता वार्ता करने की क्षमता बढ़ेगी। जेडसीसी सदस्यों को उधारकर्ता को अपने प्राथमिक सक्रिय (ऑपरेटिव) खाते को हमारे बैंक में स्थानांतरित करने के लिए भी जोर देना चाहिए। उन्हें रिटेल उधारकर्ताओं के व्यावसायिक खातों के अधिग्रहण के लिए भी जोर देना चाहिए।

यदि उधारकर्ता अपने प्राथमिक सक्रिय खाते को हमारे बैंक में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हैं, तो जेडसीसी सदस्यों को ईसीएस/एनएसीएच/ई-एनएसीएच प्राप्त करना चाहिए;

रु. 25.00 लाख से कम एक्सपोजर वाले खातों के लिए, अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलो-अप) की मुख्य जिम्मेदारी शाखा की है, हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें पूर्व-स्टाफ और बीसी की सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है और इसके लिए फील्ड पर कार्य करने वाले अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश दिए जाने चाहिए।

इन-हाउस एमआईएस सिस्टम का परिचय - क्यूलिक:

एचओ आईटी और एमआईएस के सहायता से, हमने फील्ड कर्मचारियों को दैनिक आधार पर एसएमए और डीएनपीए डेटा की दैनिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए इन-हाउस रिपोर्टिंग प्रणाली (बीओआई-पल्स) शुरू की है। हमारे विभाग से संबंधित इस जानकारी के अलावा, मॉड्यूल में सत्रह रिपोर्टें उपलब्ध कराई गईं, अर्थात्, नवीनतम एसएमए, पुनरावृत्ति एसएमए, मूल्यांकन समाप्ति, स्टॉक स्टेटमेंट समाप्ति, समीक्षा समाप्ति, टीएल/डीएल में भविष्य की मांगें आदि, ताकि एफजीएमएस/अंचल/शाखाओं को अग्रिमों की प्रभावी निगरानी के लिए तैयार जानकारी का लाभ उठाया जा सके। हम एआई और एमएल का उपयोग करके रैम खातों में पूर्व अपचारिता की पहचान करने के लिए भविष्यसूचक मॉडल विकसित कर रहे हैं। मॉडल को डाटा कारकों के आधार पर विकसित किया गया है जैसे उधारकर्ता व्यवहार पूर्वानुमान एसएमए जोकि हिस्टोरिकल डेटा जैसे समय पर चुकौती, एसएमए की पुनरावृत्ति, औसत बकाया शेष, चेक बाउंस को ध्यान में रखता है। सीबीएस डेटा के आधार पर एमएसएमई खातों के लिए मॉडल को लाइव किया गया है और सीआईसी डेटा जैसे बाहरी डेटा फ़ील्ड को शामिल करके मॉडल परिपक्वता को बढ़ाने के लिए किया गया है।

एसएमए निगरानी:

एसएससीएल के अतिरिक्त, इस वर्ष एसएमए निगरानी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शाखाएं एसएमए 0 खातों की निगरानी शुरू करने के लिए अनुशासित किया गया है ताकि प्रारंभिक चरणों में सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके और संबंधित खाता एसएमए 1 या एसएससीएल में आगे न बढ़े।

कॉल सेंटर से रिमाइंडर कॉल:

हमारे कॉल सेंटर में तैनात 100 लोगों की एक समर्पित टीम अग्रिमों की निगरानी के लिए काम कर रही है। वे एसएससीएल और एसएमए उधारकर्ताओं के लिए कॉलिंग में लगे हुए हैं।

वसूली प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) :

हमने वसूली प्रबंधन प्रणाली को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है, जो शाखा के अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा कर एसएमए/डीएनपीए पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने में हमारी मदद करेगा। काम का दायरा निम्नलिखित है :-

- एसएमए जोखिम ग्रेडेशन
- सभी प्रासंगिक जानकारी जैसे अतिदेय राशि/पता/संपर्क विवरण इत्यादि के साथ एसएमए/डीएनपीए सूची

3. एसएमए गतिविधि (मूवमेंट) की ट्रैकिंग (रोल फॉरवर्ड/बैकवर्ड)
4. वसूली कार्रवाई तथा भुगतान करने के वादे (पीटीपी) सहित ग्राहक की प्रतिक्रिया को अपडेट करना
5. पूर्व के पत्राचार की विजिबिलिटी
6. उधारकर्ता को एसएमएस/आईवीआर/ईमेल से अनुस्मारक भेजना
7. सुधारात्मक सुझाव कार्रवाई
8. आउटबाउंड कॉलिंग के माध्यम से ग्राहक की प्रतिक्रिया को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर के साथ समेकन
9. फील्ड अधिकारी के लोकेशन के आधार पर जियो टैगिंग तथा अगले दौरे का सुझाव
10. शाखा/ऑचलिक कार्यालय/एफ़जीएमओ/एचओ के लिए एमआईएस

पे-लिंग के माध्यम से एसएमए खातों में वसूली: एसएमए खातों में हमारी वसूली को मजबूत करने के लिए, बैंक कई भुगतान चैनलों के माध्यम से तत्काल भुगतान करने के लिए एसएमए उधारकर्ता को अनुस्मारक एसएमएस/व्हाट्सएप में अनुकूलित पे-लिंग साझा करता है। हमने उधारकर्ताओं से तत्काल और सहज वसूली को सक्षम करने के लिए ऋण खातों के लिए यूपीआई भुगतान भी शुरू किया है।

सिस्टम एसेट वर्गीकरण (एसएससीएल):

वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर दो महीने से अधिक की अवधि के अतिदेय को दर्शाने वाले संभावित स्लिपेज की पहचान करने के साथ-साथ तकनीकी अनियमितताएं दिखाने वाले खातों जैसे तीन महीने से अधिक स्टॉक स्टेटमेंट जमा न करना/सीसी खातों में कोई क्रेडिट नहीं होना आदि के लिए एक पूर्वानुमानित कार्यक्रम। यदि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे खातों की डाउनग्रेडिंग हो सकती है। मानक संपत्तियों की डाउनग्रेडिंग को रोकने के लिए इन खातों की विशेष रूप से विभिन्न वर्टिकल द्वारा निगरानी की जाती है। एक नया एसएससीएल प्रारूप तैयार किया गया है जो अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और क्षेत्र को अधिक केंद्रित जानकारी प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हुए, हम एसएससीएल के दैनिक निर्माण और एनपीए को चिह्नित करने के लिए आगे बढ़ें। वर्तमान में, एनपीए की पहचान और अंकन दैनिक आधार पर किया जाता है। सामान्यतः खातों की पहचान दैनिक एसएससीएल रिपोर्ट के अनुसार खातों की सूची से की जाती है, लेकिन ईओडी पर एनपीए चिह्नित करते समय, सभी खातों का सत्यापन किया जाता है और दैनिक एसएससीएल के अलावा अन्य खातों को भी चिह्नित किया जाता है, यदि वे दिन के दौरान किए गए किसी संशोधन/परिवर्तन के कारण आईआरएसीएंडपी मानदंडों के अंतर्गत पात्र हों।

एनपीए का दैनिक अंकन:

दिनांक 15.04.2021 से बैंक के एनपीए की पहचान और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु एनपीए का दैनिक अंकन की आरंभ कर दिया है।

आईआरएसी एवं पी स्वचालन:

आरबीआई ने दिनांक आरबीआई/2020-21/37 14.09.2020 के अपने परिपत्र सं: संदर्भ सं: डीओएस. सीओ.पीपीजी. एसईसी.

03/11.01.005/2020-21 दिनांक 14.09.2020 के माध्यम से सभी बैंकों को सूचित किया है कि वे दिनांक 30.06.2021 तक अपनी प्रणालियों को अद्यतन (अपग्रेड) करें ताकि पहचान, आय निर्धारण, एनपीए /एनपीए के रूप में अग्रिम/निवेश का आस्ति वर्गीकरण, संबन्धित विवरणियों का अर्जन एवं प्रावधानीकरण की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित किया जा सके। तदनुसार, हमने अपने बैंक में आईआरएसी एवं पी मानक के स्वचालन को कार्यान्वित किया है। डेलोलिट ने इसके लिए ऑडिट किया है।

पूर्व चेतावनी संकेत:

अगस्त 2020 से हमारे बैंक में पूरी तरह से तकनीक आधारित ईडबल्यूएस समाधान लागू किया गया है। हमारा ईडबल्यूएस पूरी तरह से स्वचालित समाधान है जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित कार्य प्रवाह बना हुआ है। अलर्ट आंतरिक (सीबीएस और रेटिंग डेटा) और बाहरी डेटा (एमसीए, सीआईसी आदि) दोनों के आधार पर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न अलर्ट बैंक की शुरुआती कमज़ोरियों की पहचान करने और समय पर सक्रिय उपचारात्मक उपाय शुरू करने में मदद करते हैं। समाधान बैंक को खातों में धोखाधड़ी (यदि कोई हो) की प्रारंभिक पहचान करने में मदद करता है। यह समाधान शाखाओं को खातों की गहन निगरानी करने में भी सक्षम बनाता है। वर्तमान में, ₹ 1.00 करोड़ से अधिक जोखिम वाले खातों में ईडबल्यूएस अलर्ट उत्पन्न किए जा रहे हैं।

क्रेडिट आरएफए/ धोखाधड़ी जांच:

आरबीआई ने बैंकों के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देश दिनांक 15.07 .2024 जारी किया है। तदनुसार, ईडबल्यूएस और अन्य पहलुओं के आधार पर खातों को आरएफए के रूप में चिह्नित किया जाता है और बाद में, आंतरिक/बाह्य ऑडिट के आधार पर धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से जांच की जाती है। इसके बाद, धोखाधड़ी की जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है और नियामक समय सीमा के भीतर निर्णय लिया जाता है।

सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग:

एसएमए श्रेणी में खातों की पहचान से नियमितीकरण, पुनर्गठन आदि के लिए अनुवर्ती कार्रवाई जैसे शमनकारी कदम उठाए जाते हैं। आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले दबावग्रस्त खातों की रिपोर्ट आरबीआई को साप्ताहिक/मासिक आधार पर सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म पर दी जाती है।

एंड टू एंड कलेक्शन सेवाएं:

उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और ईएसई 8.0 के अनुपालन के साथ, हम संग्रह भागीदार को शामिल करके संग्रह गतिविधि को आउटसोर्स करने पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में, हमने डीएफएस के निर्देश के तहत पीएसबी एलायंस द्वारा संचालित साझा संग्रह प्लेटफॉर्म में सहभागिता हेतु बैंक की सहमति दी है।

इस पहल के तहत, हमें 5 करोड़ रुपये तक के एक्सपोजर और 30 दिनों से अधिक के डीपीडी वाले रैम खातों में संग्रह के लिए स्ट्रीट सेवाओं तक जुड़ने की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लिया गया है और इसे पीएसबी एलायंस को सूचित किया गया है। वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह ने भागीदारों की संख्या और उपलब्ध सेवाओं का पता लगाने हेतु अभिरुचि की

अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी किया है। तदनुसार, आरएफपी जारी किया गया है।

क्रेडिट निरीक्षण:

5 लाख रुपये तक की सीमा वाले खातों की समीक्षा के लिए ऋण निरीक्षण के माध्यम से खातों की समीक्षा की प्रणाली संस्थापित की गई है।

ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा (सीपीए):

ऋण प्रक्रिया की लेखा परीक्षा (सीपीए) का उद्देश्य संवितरण से पहले और बाद की स्वीकृति शर्तों / अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना है, जिससे संवितरण अधिकारी ने बैंक निधियों को अलग करने से पहले प्रतिभूति के सृजन / प्रतिभूति की पूर्णता हेतु सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं ताकि प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की जा सके। अब, सीपीए वास्तविक समय में निगरानी के लिए फिनेकल के साथ एकीकृत किया गया है।

पीएसआरएस संवीक्षा एवं प्रमाणपत्र:

पीएसआरएस मंजूरी/मूल्यांकन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे आस्ति पोर्टफोलियो पर असर पड़ता है और बदले में बैंक की लाभ प्रभावता में वृद्धि होती है। हम एफजीएमओ स्तर पर दी गई मंजूरी के संबंध में रु.5 लाख और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले सभी खातों के लिए समय पर मंजूरी उपरांत समीक्षा प्रणाली की संवीक्षा भी करते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यह अभ्यास एफजीएमओ और आंचलिक स्तर पर आयोजित किया जाए। हमने क्यूलिक पोर्टल में भी पीएसआरएस स्टेटमेंट उपलब्ध कराया है।

स्टॉक लेखापरीक्षा :

हम पात्र खातों में स्टॉक एवं प्राप्य राशियों के संबंध में समयपूर्वक लेखापरीक्षा किया जाना सुनिश्चित करते हैं ताकि जब भी आवश्यक हो, सक्रिय/सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। वर्तमान में स्टॉक की लेखापरीक्षा उन मानक अग्रिम खातों के संबंध में लागू हैं, जिनका कार्यशील पूंजी एक्सपोजर ₹ 5 करोड़ तथा उससे अधिक है। इसे सालाना आयोजित करना आवश्यक है। वीकनेस के अंतर्निहित संकेत दिखाने वाली आस्तियों, जैसे कि असंगत स्थिति, साख पत्र के तहत अतिदेय बिल, गारंटी का लागूकरण, समीक्षा हेतु लंबित आदि, जो बैंक की गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करते हैं, विभिन्न प्लेटफार्मों और स्तरों पर टेलीविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

स्टॉक लेखा परीक्षा एमआईएस के लिए फिनेकल में एक नया स्टॉक लेखा परीक्षा मेन्यू (STKADI) विकसित किया गया है जो किसी लागू खाते में स्टॉक लेखापरीक्षा के विषय में समय पर जानकारी प्राप्त करने में हमें सक्षम करेगा।

पुनर्गठित खातों की निगरानी (आरएफसीआरएस पोर्टफोलियो):

आरएफसीआरएस के तहत पुनर्संरचित खातों के आस्ति गुणवत्ता की रक्षा के लिए प्रधान कार्यालय, एफजीएमओ और आंचलिक कार्यालय/आंचलिक संग्रहण केंद्र स्तर पर एक समर्पित टीम बनाई गई है, जो आरएफसीआरएस खातों की गहन निगरानी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, डीएनपीए उधारकर्ताओं सहित सभी आरएफसीआरएस उधारकर्ताओं को एचओ स्तर से एसएमएस भेजे जा रहे हैं, खाते की

निगरानी को बढ़ाकर पोर्टफोलियो को नियमित भुगतान द्वारा कम किया जा रहा है।

विशिष्ट निगरानी के लिए एजेंसियां (एसएमएम):

आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 250 करोड़ से अधिक के कुल बैंकिंग एक्सपोजर वाले खातों और नवरत्न खातों और पीएसयू/सरकारी गारंटी खातों जैसे कुछ छूट वाली श्रेणी के खातों को छोड़कर, विशेष प्रकृति के एक्सपोजर वाले खातों में एसएमएम (विशेषीकृत निगरानी के लिए एजेंसियां) को नियुक्त किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो, हम दबावग्रस्त खातों में एसएमएम की सेवाएं भी ले रहे हैं।

अन्य पर्यवेक्षण उपकरण:

- अनुपालन स्तर को मजबूत करने के लिए लागू किए गए पूर्व वितरण और वितरण के बाद के अनुबंधों की केंद्रीकृत निगरानी।
- ईडब्ल्यूएस के पालन पर खातों की रेड फ्लैगिंग और नियामक दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धोखाधड़ी के दृष्टिकोण की जांच के लिए नीतियां हैं। एक बार खाते को धोखाधड़ी घोषित कर देने के बाद, आरबीआई के सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म में तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाती है।
- एसएमएम उधारकर्ताओं और सीसी/ओडी एवं टीएल उधारकर्ताओं को चुकौती सूचना के लिए व्हाट्सएप, एसएमएस एवं आईवीआर भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में भी एसएमएस भेजे जा रहे हैं।
- खातों की अलग सूची जहां समीक्षा एक महीने से अधिक के लिए अतिदेय है और जहां स्टॉक विवरण एक महीने से अधिक के लिए देय है, तकनीकी स्लिपेज से बचने के लिए मासिक अंतराल पर शाखाओं को प्रदान किया जा रहा है।

9. वसूली

एनपीए में कमी एवं कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 25	मार्च 26
	वास्तविक	वास्तविक
सकल एनपीए	21,749	15,306
निवल एनपीए	5,359	4,250
सकल एनपीए (%)	3.27%	1.98%
निवल एनपीए (%)	0.82%	0.56%

- वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) आधार पर, सकल एनपीए में निरपेक्ष रूप से 29.62% का सुधार हुआ, जबकि जीएनपीए अनुपात में 129 बीपीएस सुधार हुआ, जो 3.27% से घटकर 1.98% हो गया।
- वित्तीय वर्ष 2027 हेतु लक्ष्य जीएनपीए अनुपात को 1.50% से नीचे लाना है।
- एनएनपीए अनुपात में 26 बीपीएस सुधार के साथ, 0.82% से 0.56% निवल एनपीए में निरपेक्ष रूप से 20.69% की कमी आई है।

- ओपनिंग जीएनपीए के प्रतिशत के रूप में नकद वसूली और अपग्रेडेशन वित्तीय वर्ष 25 में 24.90% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 26 में 28.79% तक सुधर गया।
- लिखित-बट्टे खातों से कुल नकद वसूली वित्तीय वर्ष 26 के दौरान ₹ 2,674 करोड़ रही, जबकि वित्तीय वर्ष 25 में यह ₹2,365 करोड़ थी, अर्थात 13.07% की वृद्धि दर्ज की गई।

मुख्य विशेषताएं

- सकल और निवल एनपीए दोनों स्तरों में महत्वपूर्ण कमी।
- वसूली और उन्नयन दक्षता में मजबूत सुधार।
- लिखित-बट्टे खातों से वसूली में वृद्धि।

वसूली वृद्धि के लिए कार्यनीतियां

संकल्प और वसूली तंत्र

- **एनपीए खातों के समाधान को निम्न के माध्यम से पूरा किया गया है:**

- सरफेसी कार्रवाई
- एनसीएलटी कार्यवाही
- सरफेसी/डीआरटी के माध्यम से गारंटर प्रतिभूतियों का प्रवर्तन
- मेगा ई-नीलामी
- समझौता और ओटीएस योजनाएं
- गारंटीकृत दावों का निपटान

परिचालनगत पहल

- वित्तीय वर्ष 2026 में ₹5,067.44 करोड़ की वसूली निम्न कारणों से हुई है
- फील्ड पदाधिकारियों की सक्रियता
- ओटीएस हेतु नियमित वर्चुअल वसूली शिविर
- आवधिक वसूली अभियान
- गैर-समाधान संपत्तियों के लिए मेगा ई-नीलामी
- समयपूर्व समाधान हेतु पूरे भारत में 31 आस्ति वसूली शाखाएं (एआरबी) स्थापित की गई हैं।

कैम्पेन और अभियान

- जारी पहलों में शामिल हैं:
 - समझौता दिवस, साप्ताहिक वसूली शिविर, मेगा ई-नीलामी एवं गहन वसूली शिविर
- लगातार राष्ट्रव्यापी प्रयासों के माध्यम से वसूली की गति बनाई रखी गई है।

ओटीएस योजना

- विशेष योजनाएं - स्टार संजीवनी और बीओआई ओटीएस - की समीक्षा की गई एवं वित्तीय वर्ष 27 के लिए दिनांक 01.04.2026 से पुनः शुरू की गई।

वित्तीय वर्ष 2026 में:

- स्टार संजीवनी और बीओआईओटीएस योजनाओं को दिनांक 31.03.2027 तक बढ़ा दिया गया
- रुपये 3,868 करोड़ के बकाया राशि वाले 1,68,558 खातों में ओटीएस अनुमोदन प्रदान किया गया
- अनुमानित नकद प्राप्ति: ₹ 1,771 करोड़ (चुकोती जारी)

लिखित-बट्टे खातों की वसूली

- पीडब्ल्यूओ खातों हेतु वसूली कार्यनीतियां मूल संकल्प तंत्र को दर्शाती हैं, जिनमें शामिल हैं:

- सरफेसी/ डीआरटी प्रवर्तन
- एनसीएलटी संकल्प
- समझौता निपटान
- एआरसी/एनएआरसीएल बिक्री
- स्टार संजीवनी और बीओआई-ओटीएस योजनाएं

नीलामी कार्यनीति

- प्रत्येक दो महीने में एक बार मेगा ई-नीलामी आयोजित की गई।
- अतिरिक्त केंद्रित नीलामियाँ:
 - आवास ऋण, एलएपी, एआरबी खाते, वाहन।
- लक्ष्य: बिक्री/ओटीएस/अपग्रेडेशन के माध्यम से सूचीबद्ध संपत्तियों में 50% का समाधान।
- प्रधान कार्यालय स्तर पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया।

सीजीटीएमएसई दावा निपटान

- वित्तीय वर्ष 26 में दावा दर्ज अभियान शुरू किया गया।
 - 16,127 दावों का निपटारा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए में रु. 814 करोड़ की कमी आई।

10. कोषागार

विदेशी मुद्रा कारोबार : कोषागार, बैंक के विदेशी मुद्रा कारोबार का प्रबंधन करता है तथा फॉरवर्ड एवं स्वेप के माध्यम से ग्राहकों को बचाव सुविधा उपलब्ध कराता है। मुंबई में केंद्रीकृत कोषागार के अतिरिक्त, बैंक का नई दिल्ली, में 1 (एक) सैटेलाइट डीलिंग रूम, कलकत्ता में 1 (एक) बीसीपी साइट तथा गिफ्ट सिटी (अहमदाबाद) में एक केंद्रीकृत बैंक कार्यालय है ताकि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, मर्चेन्ट तथा अंतर बैंक टर्न

ओवर क्रमशः ₹ 1.32 लाख करोड़ तथा ₹ 110.80 लाख करोड़ रहा। इस वर्ष के दौरान बैंक के कुल विदेशी मुद्रा कारोबार का टर्नओवर ₹ 112.12 लाख करोड़ रहा। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-2025 की तुलना में कुल विदेशी मुद्रा कारोबार में 15.54% की वृद्धि हुई। करेंसी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में कोषागार सक्रियतापूर्वक सहभागिता करता है तथा यह सभी एक्सचेंजों में अग्रणी बैंकों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान करेंसी फ्यूचर्स में बैंक का टर्नओवर यूएसडी 9.55 बिलियन रहा।

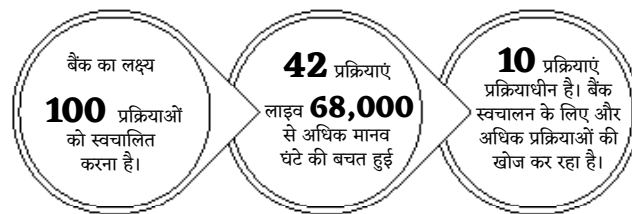
कोषागार परिचालन एवं निवेश : बैंक ने 2025-26 के दौरान के सभी क्षेत्रों में अर्थात्-मुद्रा बाजार, बॉण्डस् तथा डेरिवेटिव में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। कोषागार शाखा सक्रिय रूप से वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से तरलता का प्रबंधन करती है जिसमें एसएलआर और सीडी उधार पर पुनर्वित्त, ओवर नाइट उधार शामिल हैं। इससे निधियों की लागत को नियंत्रण में रखने और सतत निवल ब्याज आय में सहायता मिली। बैंक ने समय-समय पर एनडीटीएलके 18.00% की विनियामकीय आवश्यकता से अधिक एस एल आर निवेश बनाए रखकर निवेश का उच्च स्तर बनाए रखा है, ताकि रेपो/टीआरईपीएस विंडो के माध्यम से अतिरिक्त एसएलआर पर उधार लेकर पर्याप्त तरलता की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यथा 31.03.2026 को सकल एसएलआर निवेश ₹ 2,08,663.03 करोड़ (कुल निवेश का 81.92%) था और गैर-एसएलआर निवेश ₹46,039.68 करोड़ (कुल निवेश का 18.08%) रहा। गैर एसएलआर निवेश में ₹ 23,490.39 करोड़ के 'पुनःपूंजीकरण' के बॉण्ड भी शामिल हैं। एस.एल.आर ए.एफ़.एस. पोर्टफोलियो का एम-ड्यूरेशन, 31.03.2025 को 3.64% था जो कि 31.03.2026 को 2.70% रहा। यथा 31.03.2026 तक कुल एफएएस पोर्टफोलियो का एम-ड्यूरेशन 2.45% है। भारत सरकार द्वारा की गई हरित पहलों के साथ सहमति में, आरबीआई ने सॉवरन ग्रीन बॉन्ड की बिक्री के लिए अधिसूचना जारी की थी। यथा 31.03.2026 को सॉवरन ग्रीन बॉन्ड में कोषागार शाखा का कुल निवेश एक्सपोज़र ₹ 997.09 करोड़ का है। सभी निवेश, बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार किए जाते हैं और जिसकी आवधिक रूप से बाजार विकास/विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप समीक्षा की जाती है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1) इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन (आईपीए)

इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन (आईपीए) का उद्देश्य रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए), मशीन लर्निंग (एमएल), एपीआई, इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग (आईडीपी) और अन्य हाइपर ऑटोमेशन टूल्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके बैंकिंग प्रणाली और बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत मैनुअल, दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके बैंक की परिचालन दक्षता के अनुकूलन करना है।

इसके माध्यम से बैंक का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना, दक्षता बढ़ाना, संसाधन आवंटन का अनुकूलन करना, सटीकता में वृद्धि करना, कार्यनीतिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव संसाधनों को मुक्त करना है।



2) लचीलापन (रेसिलियेंस) परिचालन केंद्र (आरओसी)

आरओसी की स्थापना आईटी अवसंरचना के आधार-सहनीयता को बढ़ाने और बैंक में महत्वपूर्ण प्रणालियों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह घटनाओं को सक्रिय रूप से हल करने के लिए एआई-चालित मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) और पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि का लाभ उठाता है। आरओसी व्यवधानों को कम करने, उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने और अनुपालन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।

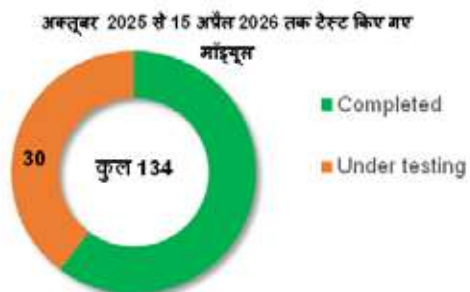
आरओसी टीम उन्नत टूल्स का इस्तेमाल करके कुल 22 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन की निगरानी करती है।

टूल्स	एप्लीकेशन	एप्लीकेशन की संख्या
डायनाट्रेस	सीबीएस, डीसीएमएस, सीआरएमएनएक्सटी, ई-प्लेटफॉर्म, आईएमपीएस, आईडीएएम, एनएसीएच, एनईएफटी, एसएमएस, ट्रेजरी, यूपीआई, यूपीआई रिक्ॉन, सीबीडीसी और एफओ ट्रेजरी	14
एंथ्यूटी	कोर नेटवर्क डिवाइस डोमेस्टिक, एफ़सीबीएस और आरआरबी	3
हील	यूए (मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग)	2
इलास्टिक	एटीएम स्विच	1
मैनेज इंजन	सीसीएमएस (क्रेडिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली)	1
टीएसओएम	स्विफ्ट (डीसी/डीआर)	1
कुल	22	

3) स्टार क्वालिटी टेस्ट सेंटर (एसक्यूएटी)

इस पहल का उद्देश्य परीक्षण कार्यों को सुव्यवस्थित करना, डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और बैंक की डिजिटल रूपांतरण कार्यनीति के साथ संरेखित करना है, जो आईटी प्रणालियों के विस्तार के कारण अधिक जटिल है। इससे पहले, क्यूए परीक्षण को व्यक्तिगत एप्लीकेशन मालिक/व्यवसाय विभागों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रबंधित किया जाता था, जिससे परीक्षण के लिए उच्च टर्नअराउंड समय, असंगत प्रक्रियाएं, सीमित स्वचालन उपयोग और परिचालन अक्षमताएं होती थीं।

प्रति मॉड्यूल औसत टीएटी	सीओई परीक्षण से पहले	सीओई परीक्षण के बाद
छोटे मॉड्यूल	~12 दिन	~7 दिन
बड़े मॉड्यूल	~24 दिन	~9 दिन



4) केंद्रीकृत डिजिटल भुगतान प्रसंस्करण प्रणाली (सीडीपीपीएस)

यह समाधान एक केंद्रीकृत, एकीकृत मंच प्रदान करता है जो प्रमुख भुगतान प्रणालियों को एक छत्र के नीचे लाता है, जिससे निर्बाध लेनदेन, बेहतर नियंत्रण और बेहतर दक्षता सुनिश्चित होती है।

प्रमुख विशेषताएं

- व्यापक भुगतान एकीकरण :** यूपीआई, आईएमपीएस, एनएसीएच, आरटीजीएस, एनईएफटी, बीबीपीएस और स्विफ्ट का समर्थन करता है, जो निर्बाध घरेलू, क्षेत्रीय और उच्च मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को सक्षम बनाते हैं।
- एंड-टू-एंड भुगतान प्रबंधन :** सभी भुगतान प्रक्रियाओं का एक केंद्रीकृत दृश्य प्रदान करता है, जिसमें शुरुआत, निष्पादन, संदेश और बाह्य सिस्टमक नेक्टिविटी शामिल है।
- मल्टी-टेनेंसी संरचना:** बैंक ऑफ़ इंडिया, इसके प्रायोजित आरआरबी, विदेशी केंद्रों और भारतीय सहायक कंपनियों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है, जो मापनीयता और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करता है।
- भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना:** डिजिटल मुद्रा, ई-टोल और ओएनडीसी सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का समर्थन करता है, जिसमें सीबीडीसी पहले से ही कार्यान्वित है।

अपनी मजबूत क्षमताओं के साथ, यह प्लेटफॉर्म परिचालन दक्षता को मजबूत करता है, वित्तीय संपर्क को बढ़ाता है और बहुत स्मार्ट, अधिक सुरक्षित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करता है।

12. डेटा एनालिटिक्स विभाग

नई पहलें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने 'प्रोजेक्ट स्टार आदित्य' (Analytics-Driven Insights to Yield Actions) के तहत अपने डेटा, एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य-सूची को काफी आगे बढ़ाया। यह कार्यक्रम, जो शुरू में एक बुनियादी डेटा और एनालिटिक्स निर्माण के रूप में शुरू हुआ था, अब एक ऐसे उद्यम-व्यापी आसूचना प्लेटफॉर्म के रूप में परिपक्व हुआ है, जो पूरे बैंक में ग्राहक सहभागिता, ऋण जोखिम अंकन, जोखिम और धोखाधड़ी से सुरक्षा, विनियामक रिपोर्टिंग और चैनल आधुनिकीकरण को संचालित करता है। विभाग ने इस वर्ष के दौरान अपने अधिदेश को भी विस्तार दिया है। उसमें एपीआई बैंकिंग और ओपन बैंकिंग को भी शामिल किया है, ताकि बैंक भारत के उभरती डिजिटल पारिस्थिति की तंत्र में पूरी सहभागिता करने के लिए बैंक को दिशा प्रदान करते हुए एपीआई बैंकिंग और ओपन बैंकिंग को सम्मिलित किया जा सके। इस वर्ष के दौरान डेटा एनालिटिक्स विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलों का सारांश नीचे दिया गया है।

1. प्रोजेक्ट स्टार आदित्य - बैंक का आसूचना प्लेटफॉर्म तैयार करना

प्रोजेक्ट स्टार आदित्य, बैंक को एक डेटा-आधारित संस्थान में रूपांतरण की प्रक्रिया का स्थिर बना हुआ है। इसकी बुनियादी संरचना में एक वर्धित डेटा लेकहाउस, उद्यम-व्यापी डेटा गवर्नेंस, उन्नत एनालिटिक्स और एक आधुनिक व्यवसाय आसूचना स्तर शामिल हैं जिन्हें पिछले वर्ष पूरा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, मुख्य ध्यान एनालिटिक्स के उपयोग के क्षेत्रों (use cases) का विस्तार करने, पूरे बैंक में इसके उपयोग को और मजबूत करने, तथा जेनेरेटिव और एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं की अगले चरण के लिए आधार तैयार करने पर केंद्रित रहा।

आधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म: वर्धित डेटा लेकहाउस अब 40 से ज्यादा आंतरिक और बाह्य स्रोत प्रणाली से डेटा लेता है, पारंपरिक प्लेटफॉर्म के मुकाबले तीन गुना से ज्यादा भंडारण क्षमता देता है, और प्रति दिन कारोबार के लिए ज़रूरी और विनियामक डेटा को पर्याप्त शीघ्र रूप से उपलब्ध कराता है। ग्राहक और ऋण से जुड़ी जानकारी को बेहतर बनाने के लिए लेखा समेकक, एमसीए, उद्यम और ब्यूरो फ़ीड्स जैसे नए बाह्य डेटा को एकीकृत किया गया है।

उद्यम डेटा शासन: डेटा गुणवत्ता निगरानी, डेटा लिंकेज, कारोबार शब्दावली, मेटाडेटा प्रबंधन और व्यवसाय विभागों में डेटा स्टेवर्ड्स का एक नेटवर्क सम्मिलित करते हुए एक व्यापक डेटा शासन ढांचा अब कार्यरत है। बैंक का डेटा गुणवत्ता सूचकांक 99.8% से अधिक उन्नत हो गया है, और बैंक को वर्ष के दौरान डेटा गुणवत्ता सुधार के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल बेस्ट रनर-अप अवार्ड प्राप्त हुआ है।

उन्नत विश्लेषण और मशीन लर्निंग : बैंक अब आठ कारोबार डोमेन में 35 उत्पादन मशीन लर्निंग मॉडल संचालित करता

है, जो ऋण जोखिम अंकन, तनाव की प्रारंभिक चेतावनी, क्रॉस-सेल, ग्राहक प्रतिधारण, वॉलेट अनुमान का हिस्सा, धोखाधड़ी का पता लगाने, ग्राहक आसूचना, और लेखापरीक्षा एवं अनुपालन में मदद करता है। इन मॉडलों ने क्रॉस-सेल अभियानों में संस्वीकृत व्यवसाय में 10-40% की वृद्धि और संग्रह एवं वसूली परिणामों में पर्याप्त सुधार किया है।

2. ग्राहक अनुभव और सहभागिता:

प्रोजेक्ट स्टार आदित्य का एक मुख्य उद्देश्य एनालिटिक्स को अधिक व्यक्तिगत और प्रतिक्रियाशील ग्राहक अनुभव में बदलना है। इस वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख परिणामों में शामिल हैं:

- **स्टारफिन्सैप संवादात्मक मासिक विवरण:** आठ पुराने ग्राहक विवरणों को एक में मिलाकर एक सुरक्षित, संवादात्मक मासिक विवरण, ग्राहकों को ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। ग्राहक उत्पाद धारिताओं पर नज़र रख सकते हैं, खर्च की निगरानी कर सकते हैं, व्यक्तिगत ऑफ़र देख सकते हैं, एवं लेनदेन खोज और डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक अब हर महीने लगभग 9 लाख संवादात्मक विवरण भेजता है।
- **व्यक्तिगत ग्राहक सहभागिता:** पूर्व-योग्य ऑफ़र, अगली सर्वोत्तम कार्रवाई की सिफारिशें, व्यय विश्लेषक सुविधा के माध्यम से खर्च अंतर्दृष्टि, और सक्रिय सहभागिता प्रोत्साहन अब मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, जो एनालिटिक्स- संचालित ग्राहक खंड द्वारा समर्थित हैं।
- **बेहतर ग्राहक परिणाम:** प्रति ग्राहक उत्पाद में 1.5 से 2.6 तक सुधार हुआ है, ग्राहक संतुष्टि स्कोर में 89.9% से 96.2% तक सुधार हुआ है, और औसत शिकायत निवारण समय 50 दिन से घटकर 12 दिन तक कम हो गया है, जो एनालिटिक्स, स्वचालन और प्रक्रिया पुनर्रचना के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है।

3. सार्वभौमिक एप्लिकेशन संवर्द्धन

इस साल बैंक के ओमनी-चैनल यूनिवर्सल एप्लिकेशन में नई कार्यप्रणाली जोड़ी गई हैं, इनमें डिजिटल बीमा सफर, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना विस्तार, तत्काल ई-डेबिट कार्ड जारी करना, ऑनलाइन पता अद्यतन करना, आधार ओटीपी-आधारित पंजीकरण, अतिरिक्त राज्य और केंद्र सरकार के कर भुगतान की सुविधाएँ, और एसटीक्यूसी मानकों के अनुसार दिव्यांग ग्राहकों के लिए पहुँच में सुधार शामिल हैं। इनमें से कई सुविधाओं को एनालिटिक्स लेयर के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि ग्राहकों को व्यक्तिगत यात्राएँ और उनके हिसाब से ऑफ़र दिए जा सकें।

4. जोखिम आसूचना, धोखाधड़ी से बचाव और विनियामक रिपोर्टिंग

धोखाधड़ी और मूल खाता पहचान: बैंक की 'मूल खाता' का पता लगाने की क्षमता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में सबसे

तेज़ क्षमताओं में से एक है। इस वर्ष के दौरान, बड़ी संख्या में मूल अकाउंट की पहचान की गई और उन्हें फ्रीज़ कर दिया गया; जिससे ग्राहकों की जमा राशि सुरक्षित रही और वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध बैंक की सुरक्षा व्यवस्था और भी मज़बूत हुई।

शीघ्र चेतावनी एवं जोखिम निगरानी: अब बैंक की सभी शाखाओं में एक विस्तृत 'प्रारंभिक चेतावनी संकेत ढांचा' (Early Warning Signals Framework) कार्यरत है, जो खुदरा, एमएसएमई, कृषि और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में तनाव की सक्रिय पहचान करने में सहायता करता है।

विनियामक रिपोर्टिंग आधुनिकीकरण: बैंक की सभी आरबीआई रिटर्न्स अब केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी घटक-आधारित रिपोर्टिंग (ईबीआर) रिटर्न्स एंड-टू-एंड तक पूरी तरह से स्वचालित हैं। यह बैंक ऑफ़ इंडिया को ईबीआर रिटर्न्स के पूर्ण स्वचालन को पूरा करने वाले बैंकों के एक छोटे समूह में स्थान देता है। एलसीआर, एनएसएफ़आर, एएलएम और पूंजी पर्याप्तता सहित जोखिम-आधारित विनियामक रिटर्न्स बैंक के उद्यम जोखिम प्लेटफॉर्म के माध्यम से जेनरेट किए जाते हैं, जिसमें वर्ष के दौरान संशोधित आरबीआई दिशानिर्देश शामिल किए गए हैं।

दूरदर्शी जोखिम फ्रेमवर्क: आने वाले वर्ष के दौरान समानांतर कार्य की योजना के साथ भारतीय लेखा मानकों के तहत बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) फ्रेमवर्क और अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की शुरुआत की गई है।

5. कारोबारिक बुद्धिमत्ता और निर्णय सहायता

बैंक का उद्यम कारोबार बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म, बीओआई पल्स, प्रबंधन और फील्ड निर्णय लेने के लिए सत्य के एकल स्रोत के रूप में उभरा है। बैंक में 28,000 से अधिक कर्मचारी – प्रधान कार्यालय से लेकर शाखा स्तर तक – अब सक्रिय रूप से 500 से अधिक रिपोर्टों और 40 लाइव डैशबोर्डों तक भूमिका-आधारित पहुंच के साथ इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। वर्ष के दौरान प्रदान किए गए प्रमुख डैशबोर्ड में कारोबार कार्यनिष्पादन, ग्राहक अनुभव, क्रॉस-सेल पाइपलाइन, शिकायत प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाजार विश्लेषण, डेटा गुणवत्ता और जोखिम निगरानी शामिल हैं, जिसमें स्व-सेवा और ड्रिल-डाउन क्षमताएं मध्यवर्ती कार्यालयों पर निर्भरता को कम करती हैं।

कार्यनीतिक शाखा और कारोबार योजना में सहायता करने के लिए वर्ष के दौरान एक नया बाजार बुद्धिमत्ता डैश बोर्ड बनाया गया है। डैशबोर्ड जिला स्तर पर संबोधन योग्य बैंकिंग बाजार का मानचित्रण करता है, प्राथमिकता प्राप्त विकास बाजारों को मुख्य रूप से दर्शाता है, और शाखा नेटवर्क विस्तार पर सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है।

6. ईज सुधार प्रदर्शन

वित्तीय सेवाएं विभाग के उन्नत पहुंच और सेवा श्रेष्ठता (ईज) सुधार कार्यसूची के तहत बैंक के कार्यनिष्पादन में विभाग एक प्रमुख योगदानकर्ता बना रहा। ईज 8.0 के तहत नवाचार

मैट्रिक्स पर बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया था, जिसमें विभाग ने नवाचार स्तंभ के मूलभूत विश्लेषण, सुशासन और एआई मापदंडों का योगदान किया था। विभाग की ग्राहक-केंद्रित पहल इज 9.0 के "उत्तरदायी, समावेशी, निर्बाध और आकर्षक" विषयों के साथ शामिल की गई हैं।

7. एपीआई बैंकिंग

एपीआई बैंकिंग बैंक के सिस्टम और बाहरी पार्टियों - कॉर्पोरेट ग्राहकों, सरकारी प्लेटफॉर्मों और अधिकृत तृतीय-पक्ष अनुप्रयोगों - के मध्य बैंक के उद्यम एपीआई गेटवे के माध्यम से सुरक्षित और मानकीकृत संप्रेषण को सक्षम बनाती है। गेटवे ऐसे सभी एकीकरण के लिए प्रमाणीकरण, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और निगरानी प्रदान करता है और यह बैंक के डिजिटल परिवर्तन का एक प्रमुख उत्प्रेरक है, जो तेजी से, अधिक नवीन और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं का सहयोग करता है।

ए) एपीआई गेटवे पर तृतीय-पक्ष और सरकारी प्लेटफॉर्म एकीकरण:

- वर्ष के दौरान तीसरे पक्ष के एकीकरण के लिए 350 से अधिक एपीआई आवश्यकताएं प्राप्त हुई हैं।
- जिनमें से 150 से अधिक एपीआई तैनात हैं और बैंक के एपीआई गेटवे पर लाइव हैं।
- एपीआई गेटवे वर्तमान में 50 से अधिक बाहरी संस्थाओं और प्रणालियों के साथ एकीकृत है, जिनमें एनईएसएल, एनएसडीएल, आरबीआईएच, बेस्कॉम, सरसाई, आइसगेट, सिडबी और यूआईडीएआई शामिल हैं।
- दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी - सीडीआरआईएचएल), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल - डिजिटल बैलेंस कन्फर्मेशन पोर्टल) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) सहित प्रमुख सरकारी और संस्थाओं के साथ सीधे एकीकरण स्थापित किए गए हैं।

बी) बीओआई ओपन बैंकिंग में कॉर्पोरेट ग्राहक ऑनबोर्डिंग:

- डेवलपर पोर्टल को लाइव कर दिया गया है, जिससे कॉर्पोरेट ग्राहक और साझेदार स्वयं-सेवा के तरीके से बैंक की एपीआई सेवाओं को खोजने, एकीकृत करने और उपभोग करने में सक्षम हो सकते हैं।
- गैर-वित्तीय एपीआई जैसे खाता विवरण पूछताछ, ईमेल द्वारा खाता और ऋण विवरण, खाता शेष, खाता विवरण पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, समेकित

खाता शेष और ग्राहक पूछताछ कॉर्पोरेट ग्राहक को ऑनबोर्डिंग करने हेतु लाइव हैं।

- एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएफटी और आईएमपीएस भुगतान के लिए वित्तीय एपीआई वर्तमान में परीक्षण प्रक्रिया में हैं।
- बैंक ऑफ़ इंडिया के कई कॉर्पोरेट ग्राहक गैर-वित्तीय एपीआई के लिए सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड हो चुके हैं, जबकि वित्तीय एपीआई के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया जारी है।

8. बाह्य मान्यता

बैंक की डेटा और एनालिटिक्स क्षमताओं को वर्ष के दौरान व्यापक बाह्य मान्यता मिली, जिसमें एनालिटिक्स के माध्यम से मूल्य प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी के सबसे नवीन उपयोग के लिए आईबीईएक्स इनोवेशन अवार्ड, डेटा गवर्नेंस और डेटा गुणवत्ता सुधार के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल बेस्ट रनर-अप अवार्ड, भारतीय बैंक संघ के 21वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ एआई/एमएल अपनाने के लिए एक विशेष उल्लेख, और भारत कलेक्शन समिट एवं अवार्ड्स 2025 में कलेक्शन में डेटा एनालिटिक्स के सर्वश्रेष्ठ उपयोग और डेटा-संचालित कलेक्शन में अग्रणी के लिए पुरस्कार शामिल हैं।

13. डिजिटल बैंकिंग:

यथा दिनांक 31.03.2026 तक डिजिटल उत्पाद आधार निम्नलिखित है:

उत्पाद	यथा 31.03.2026
कुल क्रेडिट कार्ड	1,21,655
व्यापारी द्वारा प्राप्त (पीओएस + भीम आधार)	19,502
यूपीआई आधारित क्यूआर	14,88,848
मोबाइल बैंकिंग	1,31,48,152
इंटरनेट बैंकिंग	6,12,516
यूपीआई	2,71,24,278
ऑनलाइन माध्यम से खोले गए बचत खाते	23,16,071
ऑनलाइन माध्यम से खोले गए चालू खाते	63,617
सीबीडीसी	157,118

वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्पादों की योजनाबद्ध तरीके से शुभारंभ करना

डिजिटल रूपांतरण एवं भुगतान नवाचार

- अगली पीढ़ी की डिजिटल भुगतान प्रणाली (बैंकिंग कनैक्ट): एनपीसीआई की भारत बिल-पे लिमिटेड (एनबीबीएल) के माध्यम से बैंकिंग कनैक्ट (नेट बैंकिंग 2.0) के एकीकरण की तैयारी की जा रही है। यह एकीकृत अवसंरचना वर्तमान में

- उपयोग हो रहे अलग-अलग बैंक-एग्रीगेटर कनेक्शनों के स्थान पर एक मानकीकृत स्विच उपलब्ध कराएगी, जिससे उच्च-मूल्य ऑनलाइन लेनदेन अधिक सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनेंगे।
- **संपर्क रहित भुगतान का विस्तार (यूपीआई टैप एवं पे):** यूपीआई टैप एवं पे के व्यापक कार्यान्वयन की कार्यनीति बनाई जा रही है। नियर फील्ड कम्यूनिकेशन (एनएफसी) तकनीक के उपयोग द्वारा खुदरा भुगतान अनुभव को नया स्वरूप देने का लक्ष्य है, जिससे क्यूआर स्कैनिंग की आवश्यकता समाप्त होगी तथा त्वरित एवं संपर्क रहित भुगतान संभव हो सकेंगे।
 - **व्यापारी सशक्तिकरण सूट:** मर्चेन्ट एक्वायरिंग बिज़नेस (पीओएस एवं यूपीआई क्यूआर) हेतु व्यापक **रियल-टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड** लागू करने का लक्ष्य है। यह प्रणाली उन्नत एमआईएस रिपोर्टिंग तथा मल्टी-मोबाइल अलर्ट सुविधाएँ प्रदान करेगी, जिससे व्यापारियों को अपने डिजिटल संग्रह पर बेहतर दृश्यता एवं नियंत्रण प्राप्त होगा।
 - **प्रस्तावित पीजी पेआउट प्लेटफॉर्म:** यह एक लचीली प्रबंधन प्रणाली होगी, जिसे विभिन्न हितधारकों के मध्य धनराशि के त्वरित संग्रह एवं वितरण को सुव्यवस्थित करने हेतु विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से कॉर्पोरेट ग्राहक वेतन भुगतान, विक्रेता भुगतान तथा ऋण अंतरण जैसे सुरक्षित एवं बड़े पैमाने के भुगतान 24x7 आधार पर **आईएमपीएस, यूपीआई, नेफ्ट, एवं आरटीजीएस** माध्यमों से कर सकेंगे। यह समाधान स्वचालित बल्क प्रोसेसिंग, रियल-टाइम स्टेटस विजिबिलिटी तथा सुदृढ़ “मेकर-चेकर” गवर्नेंस फ्रेमवर्क के माध्यम से परिचालन दक्षता एवं नियंत्रण को और सशक्त बनाएगा।
 - बैंक व्यापक **एनएसीएच (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस)** प्रयोजक बैंक सेवाएं प्रारंभ कर अपने डिजिटल भुगतान पोर्टफोलियो का विस्तार करेगा। केवल डेस्टिनेशन बैंक की भूमिका से आगे बढ़ते हुए, बैंक अब आरबीआई-अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर्स, एनबीएफसी तथा बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं को अपनी सुदृढ़ आंतरिक अवसंरचना के माध्यम से ईएमआई एवं सिप जैसे उच्च-मात्रा आवर्ती लेनदेन सीधे संसाधित करने में सक्षम बनाएगा। **एनएसीएच एग्रीगेटर्स** के प्रायोजन के माध्यम से बैंक का उद्देश्य शुल्क आधारित आय में वृद्धि, कासा जमा में बढ़ोतरी तथा भारत की डिजिटल भुगतान संरचना में अपनी भूमिका को और सशक्त बनाना है।
 - बैंक ऑफ़ इंडिया, **बीओआई डिजिटल रूपी (सीबीडीसी)** को अधिक स्मार्ट, समावेशी तथा संस्थागत रूप से एकीकृत बनाने हेतु डिजिटल नवाचार के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है।
 - **प्रोग्रामेबल सीबीडीसी:** हम सरकारी संवितरण एवं सब्सिडी प्रबंधन हेतु सशर्त ढाँचे विकसित कर रहे हैं:
 - **प्रायोजक स्तर:** संस्थाओं अथवा सरकार को उद्देश्य-विशिष्ट निधियों (जैसे ईंधन अथवा खाद्य वाउचर) के वितरण हेतु सक्षम बनाना।
 - **उपयोगकर्ता स्तर:** व्यक्तिगत ग्राहकों को अपने व्यय एवं बजट हेतु स्वचालित नियम निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करना।
 - **ऑफलाइन लेनदेन:** सीमित अथवा बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भुगतान सक्षम बनाने हेतु एनएफसी-आधारित तकनीक लागू की जा रही है।
 - **आधार-लिंकड ऑनबोर्डिंग:** आधार सत्यापन के माध्यम से निर्बाध पंजीकरण प्रक्रिया विकसित की जा रही है।
 - **होलसेल सीबीडीसी (e२-डबल्यू):** अंतर-बैंक निपटानों में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं तीव्रता लाने हेतु संस्थागत स्तर की डिजिटल मुद्रा प्रारंभ की जाएगी।
 - **सरकारी निधि एकीकरण:** केंद्र एवं राज्य सरकार की निधियों के प्रवाह को सीधे e२वॉलेट में सुव्यवस्थित करने हेतु पीएफएमएस-एनएसीएच के साथ पूर्ण एकीकरण किया जाएगा।
 - **बीबीपीएस के साथ एकीकरण:** बिलडिस्क के सहयोग से डिजिटल रुपया वॉलेट के माध्यम से **उपयोगिता बिल भुगतान** (बिजली, पानी, गैस) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
 - **समर्पित मर्चेन्ट ऐप:** कारोबारियों हेतु संग्रह एवं नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिए **एंड्रोइड एवं आईओएस** आधारित विशेष इंटरफेस लॉन्च किए जाएंगे।
 - **दृष्टिबाधित व्यक्तियों हेतु सुगमता:** डिजिटल रुपयों को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पूर्णतः सुलभ एवं उपयोगी बनाने हेतु वर्तमान एप्लिकेशन में समावेशी यूआई/यूएक्स सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
 - **भीम प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता:** बीओआई डिजिटल रूपी को लाखों मौजूदा यूपीआई उपयोगकर्ताओं हेतु सरलता से खोज योग्य बनाने के लिए भीम इकोसिस्टम के साथ एकीकरण किया जाएगा।
- ### क्रेडिट कार्ड विस्तार
- **निर्बाध क्रेडिट कार्ड जारी करना:** क्रेडिट अधिग्रहण में क्रांति लाने की प्रक्रिया में हम पूर्व-अनुमोदित क्रेडिट कार्ड के लिए **“2-क्लिक”** यात्रा शुरू करेंगे, जो पात्र ग्राहकों के लिए एक सहज, लगभग-तत्काल जारी करने का अनुभव प्रदान करेगा।
 - **कार्यनीतिक ऋण संरेखित:** प्रमुख राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ साझेदारी में **सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड** लॉन्च करके अपने बाजार पदचिह्न का विस्तार करना, विविध उपभोक्ता खंडों को क्यूरेटेड मूल्य प्रस्ताव पेश करना।
 - **वास्तविक समय सामर्थ्य समाधान:** ई-कॉमर्स और भौतिक पीओएस टर्मिनलों दोनों में क्रेडिट कार्ड के लिए एक **वास्तविक समय ईएमआई सुविधा** को एकीकृत करना, ग्राहकों को खरीद के बिंदु पर तत्काल वित्तपोषण विकल्प प्रदान करना।
- ### विशेष उत्पाद
- **‘अक्षय प्रीपेड,’** विशेष रूप से सरकारी संस्थानों की संवितरण और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया एक समर्पित रुपे प्रीपेड कार्ड समाधान।
 - **त्वरित डिजिटल ऑन-बोर्डिंग:** एक उन्नत **एंड-टू-एंड डिजिटल ऑन-बोर्डिंग प्लेटफॉर्म** को परिनियोजन कर नए

ग्राहकों हेतु त्वरित, कागज़ रहित तथा बाधा रहित खाता खोलने का अनुभव तथा देयताएं वृद्धि के वर्धन सुनिश्चित करना।

- **उन्नत लॉयल्टी फ्रेमवर्क: 'स्टार रिवार्ड्स' कार्यक्रम** के लिए एक सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म का ऑन-बोर्डिंग, जिसे अधिक सहज और पुरस्कृत लॉयल्टी अनुभव के माध्यम से ग्राहकों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु बनाया गया है।
- **लॉजिस्टिक्स पारदर्शिता: कार्ड प्रिंटिंग सेवाओं के लिए एक नया आरएफपी** शुरू करना, जो हमारे ग्राहकों को कार्ड की सुरक्षित और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक एंड-टू-एंड ट्रैकिंग तंत्र पेश करेगा।

उच्च गतिशीलता और उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल

- **कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक समर्पित मोबाइल बैंकिंग** समाधान, जो व्यावसायिक संस्थाओं को नकदी प्रबंधन, थोक भुगतान और वास्तविक समय तरलता ट्रैकिंग तक सुरक्षित, ऑन-द-गो पहुंच प्रदान करता है।
- **अगली-पीढ़ी की बायोमेट्रिक सुरक्षा:** खुदरा मोबाइल बैंकिंग (एमबी) और इंटरनेट बैंकिंग (आईबी) दोनों प्लेटफॉर्मों पर **बायोमेट्रिक फेशियल प्रमाणीकरण** को एकीकृत करके उन्नत डिजिटल सुरक्षा, एक बाधा रहित लेकिन अत्यधिक सुरक्षित लॉगिन और लेनदेन सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- खुदरा मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए **आधार आधारित प्रमाणीकरण**, उपयोगकर्ता ऑन-बोर्डिंग को सुव्यवस्थित करने और उच्च मूल्य वाले डिजिटल लेनदेन की अखंडता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पहचान अवसंरचना का लाभ उठाना, लागू किया जाएगा।

नई पहले - वित्त वर्ष 2025 - 26

नैश निरसन सेवा का कार्यान्वयन

- सीआरएम नेक्स्ट एप्लिकेशन अब नैश अधिदेश को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने तथा रद्द करने के लिए मेसर्स मॉड्रान के एपीआई को एकीकृत करता है। यह परिचालन परिशुद्धता और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है जबकि नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है।

इस परिवर्तन अनुरोध के लाभ

- सीआरएम नेक्स्ट के माध्यम से नैश निरसन का कार्यान्वयन शाखाओं को प्रधान कार्यालय को मैनुअल अनुरोध भेजने के बजाय ग्राहकों की ओर से नैश अधिदेश रद्द करने में सक्षम करेगा।
- डिजिटल रूप से सीआरएम नेक्स्ट एप्लिकेशन के माध्यम से शाखाएं ग्राहक की ओर से यात्रा शुरू कर सकती हैं, जहां मेकर और चेकर प्रदान किए जाते हैं।

नैश अधिदेश पंजीकरण के लिए सरलीकृत प्रमाणीकरण- पैन और ग्राहक आइडी

- ग्राहक अब डेबिट कार्ड और आधार प्रमाणीकरण के साथ-साथ पैन और ग्राहक आइडी का उपयोग करके अधिदेश पंजीकृत कर सकते हैं।

ब्रेल डेबिट कार्ड

- ब्रेल डेबिट कार्ड एक विशेष डेबिट कार्ड है जिसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आसान पहचान और उपयोग के लिए ब्रेल शामिल है। इन कार्डों में उभरे हुए ब्रेल बिंदु होते हैं, जिनमें अक्सर बैंक का नाम शामिल होता है और इसमें विपरीत रंग और उचित अभिविन्यास के लिए एक गोल नॉच जैसी अन्य पहुंच सुविधाएँ हो सकती हैं।

बीओआई मास्टर कार्ड वर्ल्ड डेबिट कार्ड

- बैंक ऑफ़ इंडिया मास्टरकार्ड वर्ल्ड एक प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड है जिसे हमारे बैंक द्वारा हमारे उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों को प्रीमियम यात्रा और जीवन शैली लाभ प्रदान करने हेतु ग्राहकों के लिए आरंभ किया है।
- बैंक में बचत बैंक खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए, खाताधारक को खाते में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
- यह एटीएम, पीओएस और ई-कॉमर्स चैनलों पर उन्नत दैनिक सीमा के साथ एक प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड है जो हमारे उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों पर केंद्रित है।
- इस कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट के साथ कई ऑफ़र और लाभ उपलब्ध हैं। व्यापारी, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, यात्रा विशेषाधिकार, जीवन शैली और भोजन और बहुत कुछ पर छूट के रूप में लाभ प्रदान किए जाते हैं।

कार्ड पर सीमाएं

सीमा के प्रकार	राशि
दैनिक एटीएम नकद निकासी सीमा	₹ 1,00,000
कार्ड पर मौजूद संव्यवहार (पीओएस)	₹ 2,50,000
कार्ड पर मौजूद संव्यवहार नहीं (ईकॉम)	₹ 2,50,000

बीओआई सेलेस्टिया क्रेडिट कार्ड

- सेलेस्टिया क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा एक अल्ट्रा-प्रीमियम रूपे क्रेडिट कार्ड है, जिसे उच्च वित्तीय विशेषाधिकार वाले उच्च श्रेणी के ग्राहकों के लिए बनाया गया है।
- सेलेस्टिया क्रेडिट कार्ड एक रूपे एका कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, जो सभी चैनलों एटीएम, पीओएस और ई-कॉमर्स पर स्वीकार्य है।

कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- जुड़ने/निर्गम करने पर ईवाउचर
- असीमित हवाई अड्डे लाउंज एक्सेस और विशेष रूप से रूपे दिल्ली एक्सक्लूसिव लाउंज अभिगमन
- स्वास्थ्य जांच तथा एक्सक्लूसिव रूपे मर्चेन्ट ऑफ़र
- प्रमुख व्यय श्रेणियों पर लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट: भोजन, एयरलाइन बुकिंग और ईंधन।
- ₹ 50 लाख का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, ₹ 1 करोड़ का हवाई दुर्घटना बीमा; ₹ 2 लाख की खरीद संरक्षण और यात्रा बीमा

- सेलेस्टिया क्रेडिट कार्ड के साथ, ग्राहक विशेषाधिकार, परिष्कार और वैश्विक पहचान की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं।

स्टार लक्ष्मी क्रेडिट कार्ड

स्टार लक्ष्मी क्रेडिट कार्ड" महिला ग्राहकों के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा रुपये क्रेडिट कार्ड का एक नया प्लेटिनम उत्पाद है, ताकि महिलाओं को सुलभ ऋण प्रदान किया जा सके, जिससे अधिक न्यायसंगत और समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान किया जा सके।

- स्टार लक्ष्मी क्रेडिट कार्ड एक रुपये प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, जो सभी चैनलों एटीएम, पीओएस और ई-कॉमर्स पर व्यापक रूप से स्वीकार्य है।
- महिला क्रेडिट कार्ड की प्रमुख विशेषताएं और लाभ निम्नानुसार हैं:
- मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
- प्रति वर्ष 8 घरेलू और 2 अंतरराष्ट्रीय कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस प्रति वर्ष
- एनपीसीआई द्वारा प्रदान किए गए रु 2 लाख तक का बीमा कवर (वैयक्तिक दुर्घटना और स्थायी विकलांगता) - वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा।
- प्रतिबंधित श्रेणियों को छोड़कर, पीओएस और ईकॉम लेनदेन में लॉयल्टी रिवॉइ पॉइंट का 2 गुना।

क्रेडिट कार्ड में आरक्षित भुगतान

- आरक्षित भुगतान सुविधा बैंक को ग्राहक के क्रेडिट कार्ड खाते में एक ही राशि को ब्लॉक करने की अनुमति देती है, लेकिन कुल अवरुद्ध राशि समाप्त होने तक उस ब्लॉक के विरुद्ध कई डेबिट करने में सक्षम बनाती है।
- जब कोई ग्राहक लेनदेन शुरू करता है (जैसे होटल बुकिंग, ईंधन खरीद, ई-कॉमर्स वॉलेट टू-पप, कैब सेवाएं), तो बैंक क्रेडिट सीमा पर एक निश्चित राशि के लिए पूर्व-प्राधिकरण रोक (ब्लॉक) लगाता है।

यूपीआई लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण

- वर्तमान में, यूपीआई लेनदेन को यूपीआई पिन का उपयोग करके प्रमाणित किया जाता है। जबकि प्रभावी, पिन आधारित प्रमाणीकरण की कुछ सीमाएं हैं जैसे कि पिन का मैनुअल इनपुट।
- सुरक्षा और ग्राहक सुविधा दोनों को बेहतर बनाने के लिए, हमने अब भुगतान अनुभव की बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू की है, जो डिवाइस के अंतर्निहित बायोमेट्रिक ढांचे (जैसे एंड्रॉइड उपयोगकर्ता के लिए फिंगरप्रिंट और आईओएस उपयोगकर्ता के लिए फेस आईडी) का लाभ उठाती है, जिसे एक सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्प के रूप में पहचाना गया है।
- यह लेनदेन यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता को समाप्त कर सुविधाजनक बनाती है। यह एक सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और लेनदेन की सफलता दर में वृद्धि करता है और भूले हुए या गलत पिन प्रविष्टियों के कारण ड्रॉप ऑफ को कम करता है, जिससे ग्राहकों में संतुष्टि बढ़ती है।

- लेनदेन सीमा: इस प्रमाणीकरण तंत्र के तहत प्रति लेनदेन सीमा ₹1,000 है।

हमारे कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए भारत कनेक्ट बिलर सेवाओं का परिचय

- बिना ईआरपी वाले बिलरों के लिए एक तैयार वेब मॉड्यूल सहित एपीआई आधारित ईआरपी एकीकरण के साथ भारत कनेक्ट।
- ग्राहकों को एक ही स्थान पर बिजली, पानी, गैस, स्कूल फीस और अन्य बिलों का भुगतान जल्दी और सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। दूसरी ओर, बिलर ग्राहकों से कुशलतापूर्वक भुगतान एकत्र करने के लिए भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जिससे सुचारू लेनदेन और तेजी से निपटान सुनिश्चित होता है।
- सिस्टम विभिन्न भुगतान मोड जैसे कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट का समर्थन करता है, जिससे तत्काल भुगतान की पुष्टि के साथ निर्बाध लेनदेन सुनिश्चित होता है।
- भारत कनेक्ट बिलर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बिलरों से लिए जाने वाले मर्चेट सर्विस शुल्क (एमएसएफ) के माध्यम से बैंक प्रति लेनदेन लागत अर्जित करेगा।
- यह एमएसएफ एनबीबीएल (इंटरचेंज और स्विचिंग शुल्क) को भुगतान की गई लागत को कवर करता है और फ्रंट-एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई निवेश नहीं होने के साथ बैंक के लिए निवल धनात्मक राजस्व सुनिश्चित करता है।

उन्नत व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय:

- व्यापारियों के लिए एक पोर्टेबल यूपीआई क्यूआर साउंड बॉक्स शुरू करके बैंक ने अपने डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकीय तंत्र को बेहतर बनाया है, जिससे यूपीआई लेनदेन की वास्तविक समय में ऑडियो पुष्टि संभव हो सकेगी और पारदर्शिता और सुलह में आसानी होगी।

सीबीडीसी

- **केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)**, जिसे **डिजिटल रुपया (ई ₹)** के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी मुद्रा नोटों का डिजिटल रूप है। यह **कानूनी मुद्रा** और एक **संप्रभु मुद्रा** है, जो आरबीआई द्वारा समर्थित है, और जो डिजिटल मोड की गति और दक्षता के साथ भौतिक नकदी के समान विश्वास और सुरक्षा प्रदान करती है।
- वित्तीय वर्ष 25-26 में, बैंक ऑफ़ इंडिया ने **सीबीडीसी पायलट चरण** को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है, जिससे मजबूत उपयोगकर्ता जुड़ाव और कई लाइव नवीन सुविधाओं के माध्यम से एक उच्च-प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हो सके:
- **उपयोगकर्ता अनुभव संवर्द्धन:**

- **ऑटो-लोड सुविधा:** ऑटो-लोड विशेषता के साथ सफलतापूर्वक लाइव हो गया है, जिससे निर्बाध लेनदेन अनुभव के लिए वॉलेट को लिंक किए गए बैंक खातों के

माध्यम से स्वचालित रूप से टॉप अप करने की अनुमति मिलती है।

- **पिन-रहित भुगतान:** छोटे-मूल्य के लेनदेन के लिए एक पिन-रहित अनुभव शुरू किया है, जो डिजिटल भुगतान को भौतिक नकदी को संभालने जितना ही त्वरित और घर्षण रहित बनाता है।
- **लेनदेन माइलस्टोन:** मार्च 2026 में ₹ 2,386 लाख का अधिकतम मासिक लेनदेन मूल्य प्राप्त किया।
- **यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी:** "इंटरऑपरेबल यूपीआई क्यूआर" करने की सुविधा को सक्षम किया गया है, जिससे बीओआई e ₹ वॉलेट उपयोगकर्ता किसी भी व्यापारी के यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन और भुगतान कर सकते हैं।
- **सुरक्षा और ब्रांडिंग:** धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए संदिग्ध वॉलेट निगरानी (एसडब्ल्यूआर) एकीकृत और नए आधिकारिक सीबीडीसी लोगो और थीम के साथ एप्लिकेशन को अपडेट किया गया।

वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान अन्य पहलें

- कार्पोरेट ओमनी नियोजन बिज को लाइव किया गया।
- पूर्व-अनुमोदित क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया।
- एटीएम और सीआरएम में पुनः केवाईसी करने की सुविधा को सक्षम की गई।
- एटीएम/सीआरएम में क्यूआर-आधारित शिकायत पंजीकरण लागू किया गया।
- सीआरएमएनईएक्सटी के माध्यम से डेबिट कार्ड का आवेदन।
- शाखाओं के माध्यम से कार्डों को सक्रिय करने के लिए फिनेकल के माध्यम से इंस्टापिन मॉड्यूल शुरू किया गया है।

14. डिजिटल ऋण कारोबार

- **ई-प्लेटफॉर्म:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने 87% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ कुल ₹ 128734 करोड़ का डिजिटल ऋण कारोबार जेनरेट किया जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 68732 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, यह स्तर 98% के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कुल ₹ 128734 करोड़ में से, ₹ 22058 करोड़ स्व-सेवा वेब यात्रा के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। (501% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)।

पहल:-

- ₹ 5.00 करोड़ तक के एमएसएमई कारोबार ऋण और ₹ 1.00 करोड़ तक के वाहन एक्सप्रेस ऋण की शुरुआत, सरलीकृत डिजिटल प्रसंस्करण, तेजी से अनुमोदन, न्यूनतम दस्तावेजीकरण और बढ़ी हुई ग्राहक सुविधा।
- आवास ऋण और वाहन ऋण के लिए स्व-सेवा यात्रा का शुभारंभ।
- आवास ऋण और वाहन ऋण में बीएसए समर्थित डिजिटल वेब आधारित यात्रा की शुरुआत।

- शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के साथ एकीकरण।
- हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में ई-साइनिंग और ई-डॉक्यूमेंटेशन लागू किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक लाख से अधिक डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादित किए गए हैं, जो डिजिटल प्रक्रिया को दृढ़ता से अपनाने और परिचालन दक्षता में सुधार को दर्शाता है। एनईएसएल के सहयोग से परियोजना को लागू किया गया।
- बीओआई ट्रेडइंजी और फिनास्ट्रा के तहत श्रृंखलाबद्ध वित्त के लिए ऋण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) पैकेज लाइव है।
- ट्रेड्स कारोबार हेतु चौथे प्लेटफॉर्म के रूप में सी2 ट्रेड्स के साथ टाई-अप किया गया।
- सह-ऋण के तहत, विभाग आरबीआई के दिनांक 06.08.2025 के दिशानिर्देशों के अनुसार नए सीएलए (सह-ऋण व्यवस्था) के साथ तैयार है।
- पीएसबी एलायंस के माध्यम से केसीसी ऋण के लिए सैटेलाइट आधारित डिजिटल रिपोर्ट 7 राज्यों में भूमि और फसल हेतु लाइव बनाई गई है।
- 'ई-स्मार्ट डेयरी' उत्पाद के तहत डेयरी वित्तपोषण के लिए दूध से संबंधित डाटा और आय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु आरबीआईएच के यूएलआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक का फिनटेक के साथ टाई-अप है।
- केसीसी एसटीपी यात्रा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के लिए जनसमर्थ पोर्टल पर लाइव की गई।
- फसल आधारित स्वर्ण ऋण के लिए भूमि अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु बैंक का 24 राज्यों में पीएसबी एलायंस के साथ टाई-अप है।
- फसल आधारित कृषि स्वर्ण ऋण के लिए सैटेलाइट रिपोर्ट हेतु फिनटेक साझेदार को ऑनबोर्डिंग करना।
- विभाग अंचलों, एसकेवीके, आरबीसी, एसएमईसीसी और शाखाओं में तैनात अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, हमारे पास फील्ड पदाधिकारियों को उनकी डिजिटल यात्रा में मदद करने के लिए एक समर्पित सहायक टीम है। हमने अंचलों /एफजीएमओ में अधिकारियों को डिजिटल चैपियन के रूप में भी पदनामित किया है जो अपने संबंधित अंचलों /एफजीएमओ में डिजिटल रूप से उपलब्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं।
- बैंक कई सोशल मीडिया पर डिजिटल उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है और वेब यात्रा के माध्यम से कारोबार प्राप्त करने पर अधिक जोर दे रहा है। विपणन टीम / डिजिटल लेंडिंग चैपियंस को आवास ऋण, वैयक्तिक

ऋण और कृषि ऋण जैसे ऋणों को मंजूरी देने के लिए त्वरित टर्न-अराउंड के लिए लैपटॉप और टैबलेट प्रदान किए गए हैं। इस स्वचालन ने मंजूरी के लिए टीएटी को कम कर दिया है, इसके अलावा, फील्ड स्तर पर कई अनुपालन और परिचालन मुद्दों को कम किया है।

• ट्रेड्स कारोबार :

ट्रेड्स (ट्रेड्स) एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई की व्यापार प्राप्ति को वित्तपोषण/छूट की सुविधा प्रदान करता है। बैंक ऑफ़ इंडिया की चार ट्रेड्स प्लेटफॉर्मों पर एक सक्रिय भागीदारी है और ट्रेड्स कारोबार के समग्र प्रवाह की 8% बाजार हिस्सेदारी रखता है।

बैंक का ट्रेड्स कारोबार बकाया वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान यथा 31.03.2026 को वर्ष-दर-वर्ष 40% बढ़ा है और रु 9559 करोड़ के स्तर पर था और इस वित्तीय वर्ष में रु 11000 करोड़ के बकाया स्तर के लक्ष्य के साथ 15% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

बैंक ने ट्रेड्स के तहत कारोबार प्राप्त करने के लिए 4 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म यानी आरएक्सआईएल, इनवॉयसमार्ट, सी2 ट्रेड्स और एम1 एक्सचेंज को शामिल किया है।

• पूल बाय-आउट:

हम 18 एनबीएफसी को शामिल करके साझेदारी नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें 12 पहली बार भागीदारी में शामिल हैं, जो 49 एनबीएफसी में पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण विविधता ला रहे हैं।

यथा 31.03.2026 को कारोबार की मात्रा रु 5143 करोड़ से बढ़कर रु 7557 करोड़ हो गयी है, जिससे पूल खरीद परिचालन में 47% की वृद्धि हुई है।

बैंक के पास रु 8700 करोड़ के लक्ष्य की ओर एक विकास कार्यनीति है, जो नए कारोबार में रु 600 करोड़ और सक्रिय असंवितरित निधि में रु 1000 करोड़ की मजबूत पाइपलाइन द्वारा समर्थित है।

• सह-ऋण: -

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हमने रु 1200 करोड़ की कुल 6 नई सह-ऋण व्यवस्थाओं को संस्वीकृति दी है और इसी अवधि के दौरान रु 570 करोड़ संवितरित किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान क्रमिक वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 55.62% रही, जिसमें यथा 31.03.2026 तक कुल बकाया रु 868 करोड़ है।

हमने एनबीएफसी के साथ नए टाई-अप और साझेदारी के माध्यम से दिनांक 31.03.2027 तक रु 1500 करोड़ के स्तर पर सह-ऋण कारोबार तक पहुंचने का अनुमान लगाया है।

• आपूर्ति शृंखला वित्त:

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 89.80% की क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें यथा 31.03.2026 को रु 153 करोड़ की बकाया राशि है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, हम बकाया आधार पर 15 कार्यक्रम सीमा मूल्यों से रु 1000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें रु 3125 करोड़ ऑनबोर्ड किए गए और रु 1730 करोड़ के 8 कार्यक्रम सीमा के तहत चर्चा में है।

15. जोखिम प्रबंधन:

जोखिम तथा नियंत्रण:

बैंक के पास जोखिमों तथा प्रतिलाभों के बीच तालमेल को बनाये रखने के लिए, उधारकर्ता स्तर और पोर्टफोलियो स्तर पर प्रासंगिक जोखिमों का अनवरत मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र है। बैंक का निदेशक मण्डल विशिष्ट जोखिमों पर ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विशिष्ट समिति के माध्यम से बैंक में सभी जोखिमों की समग्र निगरानी करता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आर.कॉम.) बोर्ड की एक उप समिति है जो जोखिम प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई है, जिसे विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर की समितियों जैसे आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को), सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति), एमआरएमसी (बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति) और ओआरएमसी (परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति) से सहयोग प्राप्त होता है।

जोखिम प्रबंधन में बैंक में सभी गतिविधियों तथा उत्पादों से संबंधित जोखिम की पहचान, माप, निगरानी, शमन और सभी संभावित जोखिमों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शामिल है। इन प्रक्रियाओं से संबंधित नीतियों अर्थात् उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन, एक्सपोजर (बैंक एक्सपोजर एवं बृहत् एक्सपोजर ढांचा), आस्ति देयता प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज और डीलिंग रूम परिचालन आदि में इनके विषय में विस्तार से बताया गया है।

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढांचा, अपने परिचालनों और संस्कृति में, जोखिम प्रबंधन के पूर्ण एकीकरण पर केंद्रित है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा जोखिम प्रबंधन चक्र से आरंभ होता है, जिसमें कई चरण होते हैं: जोखिम वहन-क्षमता स्थापित करना, दबावग्रस्तता संबंधी जाँच आयोजन करना, परिस्थितियों का विश्लेषण, सभी खण्डों में जोखिम मूल्यांकन का संपूर्ण क्षेत्र तैयार करना। जोखिमों की पर्याप्त रूप से पहचान, विश्लेषण, मापन, रिपोर्ट व शमन किया जाता है। जोखिम प्रबंधन बैंक के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि सभी जोखिम क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली श्रेष्ठतम वैश्विक पद्धतियों को अपनाया जाए। इस जिम्मेदारी को मानव संसाधन और सिस्टम में निवेश करके तथा जोखिम वहन करने की संस्कृति को तैयार करके पूरा किया जा रहा है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों तथा तकनीकों जैसे विवेकपूर्ण व आंतरिक सीमाओं की निगरानी, बासेल के अनुरूप ऋण रेटिंग मॉडल, सक्रिय तरलता प्रबंधन, ईआरएम स्कोरकार्ड, पीक्यूआई आदि का उपयोग किया है।

ऋण रेटिंग की सीमाएं विशिष्ट उद्योग/क्षेत्र के कार्य-निष्पादन पर आधारित थीं। उधारकर्ताओं की साख योग्यता का आकलन करने के लिए बैंक विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोरकार्ड का उपयोग करता है। बदलते आर्थिक परिवेश और परिवर्तित होते व्यवसाय मॉडल को ध्यान में रखते हुए, जोखिम चालकों को बेहतर ढंग

से दर्ज करने और अंडरराइटिंग मानकों को और मजबूत करने के लिए रेटिंग मॉडल को पुनर्समायोजित किया गया है।

व्यापार के सामान्य क्रम में बैंकों को मुख्य रूप से विभिन्न जोखिमों जैसे - ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम, तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ऋण जोखिम ऋण चुकाने या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ता की विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की संभावना है। ऋण जोखिम गणना के लिए बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) को अपनाया है।

बाजार के कारकों में उतार-चढ़ाव के कारण, बैंक को नुकसान की संभावना बाजार जोखिम है जैसे कि ब्याज दर, विदेशी मुद्रा दर, इक्विटी मूल्य आदि। बैंक ने **बाजार जोखिम** गणना के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति (एसडीएम) को अपनाया है।

परिचालनात्मक जोखिम को अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल है, लेकिन इसमें कार्यनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं। बैंक मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के माध्यम से परिचालनात्मक जोखिम भारत आस्तियों की गणना करता है। बैंक आरबीआई दिशानिर्देशों के मसौदे में उल्लिखित परिचालनात्मक जोखिम भारत परिसंपत्तियों की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है। परिचालनात्मक जोखिमों से होने वाले नुकसान की संभावना और संभावित प्रभाव को कम करने के लिए बैंक प्रक्रियाओं के एक व्यापक दायरे, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और नीतियों के साथ परिचालनात्मक जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करता है।

आस्ति और देयता प्रबंधन : बैंक ने आस्ति और देयता के संतुलन न होने के उपरांत आने वाले वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत एएलएम प्रथाओं को अपनाया है। जोखिम को कम करते हुए अधिक दक्षता और लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए बैंक की सतत और गुणात्मक वृद्धि के लिए प्रभावी आस्ति और देयता प्रबंधन (एएलएम) आवश्यक है। आपके बैंक का एएलएम, बाजार की गतिशीलता की समीक्षा कर उससे प्राप्त संकेतों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट को मजबूत करने का प्रयास करता है और विनियामक अपेक्षाओं को बनाए रखता है। मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की प्रतिबद्धता के तौर पर आपका बैंक नियमित रूप से बाजार स्थितियों में उतार-चढ़ाव को अपनाने के लिए 'ऋण और अग्रिमों हेतु मूल्य निर्धारण, 'वैश्विक आस्ति और देयता प्रबंधन', 'दबाव परीक्षण नीति' पर अपनी आंतरिक नीतियों की समीक्षा करता है। आपका बैंक अतिरिक्त दबावग्रस्तता परीक्षण और रिवर्स दबावग्रस्तता परीक्षण करता है ताकि सबसे खराब स्थिति में भी किसी भी तरह के जोखिम को दूर किया जा सके। बैंक के घरेलू बैंकिंग परिचालनों के लिए तरलता का प्रबंधन सीधे प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है। बैंक की विदेशी शाखाएं और ऑफशोर इकाई प्रधान कार्यालय के समर्थन से स्वतंत्र रूप से अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं। इसी तरह, बैंक की सहायक कंपनियां स्वतंत्र रूप से आर.कॉम के मार्गदर्शन में अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं और आर.कॉम सहायक कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ सहायक कंपनियों में भौतिक जोखिमों के जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा

करता है। इसके अलावा, बैंक अन्य मुद्राओं में तरलता आवश्यकताओं की निगरानी के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं का रखरखाव करता है।

आपके बैंक की तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन ढांचा सुस्पष्ट बोर्ड अनुमोदित वैश्विक आस्ति देयता प्रबंधन नीति के माध्यम से निर्देशित होता है। इस प्रक्रिया के रूप में आपके बैंक ने बैंकिंग बही में तरलता और ब्याज दर जोखिमों के लिए विभिन्न बोर्ड अनुमोदित सीमाएं स्थापित की हैं। आस्ति देयता समिति (एल्को) एक निर्णय लेने वाली इकाई है, जो बैंक की तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन कार्यनीति को अपने जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप लागू करने के लिए जिम्मेदार है और बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहन/सीमाओं का पालन सुनिश्चित करती है। एल्को नीति के कार्यान्वयन और सीमाओं की निगरानी की समीक्षा करता है। परिपक्वता अंतर को कम करने में बासेल III अनुपात, और स्टॉक अनुपात सीमाएं तरलता जोखिम को प्रबंधित करने में, निवल ब्याज आय और बाजार मूल्य प्रभाव बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसे तरलता और ब्याज दर जोखिम दोनों को कवर करने हेतु बोर्ड अनुमोदित व्यापक परीक्षण योजना को मंजूरी देकर मजबूती से लागू किया गया है।

मजबूत व्यवहार विश्लेषण निश्चित रूप से प्रभावी एएलएम प्रबंधन परिदृश्य का मूल है। आपके बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर व्यवहार अध्ययन किए जाते हैं ताकि ग्राहक व्यवहार का आकलन किया जा सके और गैर-संविदात्मक आस्तियों और देयताओं तथा ग्राहकों के लिए उपलब्ध विकल्पों पर उचित कार्रवाई की जा सके जिनका उपयोग परिपक्वता अंतराल के प्रबंधन और जोखिम को दोहराते समय किया जाता है। तरलता और ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणों में बहिर्प्रवाह/अंतर्वाहों का उचित स्थापन सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार संबंधी अध्ययन किए जाते हैं, जो मीयादी ऋणों/मीयादी जमा राशियों के पूर्व भुगतान, कासा में रन-ऑफ आदि जैसे तुलन-पत्र एक्सपोजर और बीजी/एलसी आदि में विकास एवं लागूकरण जैसे तुलन-पत्र एक्सपोजर के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। गैर-संविदागत आस्तियों और देयताओं से संबंधित पूर्वानुमानों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है और नवीनतम अध्ययनों के परिणामों के अनुसार उनमें संशोधन किया जाता है। इसके अलावा, आपके बैंक के पास अंतर्द्वितीय चलनिधि जोखिम को प्रबंधित करने और कम करने के लिए आवश्यक ढांचा और बोर्ड अनुमोदित नीति है।

विनियामक और बैंक की आंतरिक नीति बेंचमार्क द्वारा निर्धारित एलसीआर के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) और निवल नकदी बहिर्गमन के स्टॉक की दैनिक निगरानी की जाती है। आपके बैंक ने आरबीआई के एनएसएफआर दिशानिर्देशों को लागू किया है, जो तरलता के संदर्भ में आपके बैंक के दीर्घकालिक आघात-सहनीयता को मापते हैं। आपका बैंक अपनी तुलन पत्र (ऑन/ऑफ) एक्सपोजर पर बदलती ब्याज दरों से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की पहचान अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोणों से करता है। इस प्रयोजन के लिए जोखिम पर आय (ईएआर) और इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन पूर्व-परिभाषित सहन सीमाओं के साथ किया जाता है, जिससे प्रबंधन एनआईआई/निवल मूल्य में क्षरण के संभावित परिदृश्य में उपयुक्त निवारक कदम शुरू करने में सक्षम होता है। आपका बैंक अपनी बेंचमार्क उधार दरों के माध्यम से पर्याप्त

मौद्रिक नीति अंतरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करता है। आपके बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) तुलन पत्र में आस्ति-देयता मिश्रण को संशोधित करके और समय-समय पर आस्ति और देयता के मूल्य निर्धारण को पुनर्व्यवस्थित करके तरलता और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करती है। एल्को अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दर परिदृश्यों, देयता उत्पादों के विकास पैटर्न, ऋण वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक लाभों, तरलता स्थितियों में परिवर्तन, विनियामक निर्देशों के अनुपालन आदि की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

आपका बैंक जून 2023 से बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) को माप रहा है और उसकी निगरानी कर रहा है। बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) बैंकों की पूंजी और ब्याज दरों में प्रतिकूल गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली आय के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थितियों को प्रभावित करता है जिसमें आपका बैंक 6 निर्धारित विनियामकीय मानकीकृत ब्याज दर के आधार पर इक्विटी और अर्जन (एनआईआई) के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव की गणना करता है।

बैंक वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) करता है जिसमें स्तंभ-I जोखिम, बैंक की जोखिम वहन-क्षमता और बैंकों के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में बैंक द्वारा अपेक्षित आंतरिक पूंजी के उचित स्तर के साथ-साथ विभिन्न जोखिमों (स्तंभ II जोखिम) का आंकलन/माप शामिल है। अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बैंक को संभावित प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करके जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए सूट्रेस परीक्षण प्रक्रिया मौजूद है। आईसीएपी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वह उचित स्तर की पूंजी के साथ काम करे। इसमें एक पूर्ण उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के रूप में माने जा सकने वाले एक बड़े हिस्से को शामिल किया गया है। आईसीएपी जोखिम और पूंजी प्रबंधन गतिविधियों को एक ऐसे रूप में एक साथ लाता है जिसका उपयोग व्यावसायिक निर्णयों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। बैंक, स्तंभ-II के प्रासंगिक जोखिमों की भी पहचान, आंकलन और माप करता है और जोखिम समिति को रिपोर्ट करते समय उनके शमन की योजना बताता है।

पिछले ढाई वर्ष में जलवायु जोखिम, धारणीय वित्त और ईएसजी से संबंधित विनियम तेजी से विकसित हो रहे हैं। बैंक ने आईसीएपी में जलवायु जोखिम की स्तंभ-II जोखिम के रूप में पहचान कर ली है। इसके अलावा, चूंकि जलवायु जोखिम संबंधी विनियम और शासन विकसित हुए हैं, अतः बैंक के बोर्ड ने बैंक के लिए ईएसजी नीति (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन) को अपनाया है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ईएसजी नीति में प्रशासनिक ढांचे को शामिल किया गया है और बैंक के विभिन्न विभागों हेतु की जाने वाली कार्रवाई भी निर्धारित की गई है। बैंक ने एक समर्पित जलवायु जोखिम नीति का भी मसौदा तैयार किया है, जिसके माध्यम से बैंक ने अपने कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के जलवायु जोखिम स्कोर का आकलन करना शुरू कर दिया है। जलवायु जोखिम नीति मेट्रिक्स और लक्ष्यों को भी निर्दिष्ट करती है जो बैंक को भारतीय राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लक्ष्यों के साथ संरेखित करती है।

इसके अतिरिक्त, बैंक के पास फील्ड स्तर पर भी जोखिम संस्कृति को समझाने के लिए सभी भौगोलिक केंद्रों (अंचलों और फील्ड महाप्रबंधक

कार्यालय और विदेशों में स्थित शाखाओं) में फील्ड स्तर के जोखिम प्रबंधक हैं।

16. तृतीय पक्ष उत्पाद प्रभाव

1. बैंक ऑफ़ इंडिया दो जीवन बीमा कंपनियों, चार साधारण बीमा कंपनियों और तीन एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंट है। स्टारहेल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता दिनांक 30.01.2026 से समाप्त हो गया है।
2. बैंक ने म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए निष्पादन मॉडल अपनाया है। म्यूचुअलफंड कारोबार में, बैंक एक खुले संरचना मॉडल का अनुसरण करता है इसी कारण कई भागीदारों के साथ टाई-अप व्यवस्था में समझौते कर सकता है। तदनुसार, बैंक ने म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए दस आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एसेट मैनेजमेंट कंपनियों) के साथ एक टाई-अप समझौता किया है।
3. बैंक बीमा और म्यूचुअल फंड एएमसी के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते समय, बैंक आरबीआई/आईआरडीएआई/एएमएफआई / एसडीबीआई या किसी अन्य विनियामक जो उस पर बाध्यकारी है, के संगत दिशानिर्देशों का पालन करता है।
4. प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड एएमसी के साथ बैंक के मौजूदा समझौते निम्नलिखित हैं:

मौजूदा टाई-अप :-

क्र. सं.	उत्पादने	टाई अप पार्टनर
i	जीवन बीमा	1) स्टार यूनिजन दाई-इची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि. 2) भारतीय जीवन बीमा निगम
ii	साधारण बीमा	1) इंडसइंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.) 2) बजाज जनरल इश्योरेंस लि. (पूर्व में बजाज एलायंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.) 3) जनरली सेंट्रल इश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में फ्यूचर जनरल इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.) 4) न्यू इंडिया एश्योरेंसक. लि.
iii	स्वास्थ्य बीमा	1) केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि. 2) निवा बूपा इश्योरेंस कंपनी लि. 3) आदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.
iv	म्यूचुअल फंड	<u>एएमसी का नाम</u> 1) बैंक ऑफ़ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. 2) यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. 3) एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. 4) कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. 5) फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट प्रा.लि. 6) बंधन म्यूचुअल फंड (पूर्व में आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.) 7) डीएसपी म्यूचुअल फंड (पूर्व में डीएसपी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लि.)

	8) आदित्य बिरला सन लाइफ़ म्यूचुअल फंड (पूर्व में बिरला सन लाइफ़ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.)
	9) निष्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (पूर्व में रिलायंस म्यूचुअल फंड)
	10) एसबीआई फंडज़ मैनेजमेंट प्रा. लि.

5. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जीवन, गैर-जीवन और म्यूचुअलफंडकारोबार से ₹259.90 करोड़ की कुल कमीशन आय अर्जित की है, जिसका विवरण निम्नानुसार दिया गया है

(राशि करोड़ में)

टीपीपी अनुभाग	कमीशन आय
जीवन बीमा	200.29
साधारण बीमा	34.03
स्वास्थ्य बीमा	14.60
म्यूचुअलफंड	10.98
कुल	259.90

17. विपणन एवं प्रचार

सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग पहल सहित प्रचार एवं जनसंपर्क

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने एकीकृत प्रचार एवं जनसंपर्क गतिविधियों तथा डिजिटल विपणन अभियानों के माध्यम से अपने उत्पादों और डिजिटल क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए अपनी ब्रांड दृश्यता को मजबूत किया है। इन पहलों का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण बाजारों में बैंक की उपस्थिति को मजबूत करते हुए ग्राहकों, संभावनाओं और हितधारकों को शामिल करना था।

आउट-ऑफ-होम (ओओएच) मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, डिजिटल विज्ञापन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित विविध मीडिया माध्यम का उपयोग करके प्रमुख स्थानों पर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रचार एवं जनसंपर्क अभियान चलाए गए। इस दृष्टिकोण ने ग्राहक खंडों में व्यापक पहुंच को सक्षम किया।

- मुख्य आकर्षण बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर बैंक के 120वें स्थापना दिवस के अवसर पर विज्ञापन का प्रदर्शन था, जो किसी भी बीएफएसआई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस तरह की पहली ब्रांडिंग पहल थी।
- बीओआई के 120वें स्थापना दिवस के लिए, प्रत्येक हितधारक - ग्राहकों, कर्मचारियों, के संभावनाओं को छूने और दृश्यता को व्यवसाय में बदलने के लिए टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 360-डिग्री विज्ञापन गतिविधियां अभियान चलाया गया।
- आगे ब्रांड दृश्यता को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में हैकथॉन जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के माध्यम से बढ़ाया गया।
- पारगमन मीडिया अभियानों में प्रमुख शहरों की मेट्रो ट्रेनों और बसों पर पूर्ण-रैप विज्ञापन शामिल थे।
- भारत के विभिन्न शहरों के हवाई अड्डों तथा रेलवे में विज्ञापन किया गया।

- बैंक ने जियोस्टार पर विज्ञापन के माध्यम से महिला प्रीमियर लीग के दौरान मजबूत दृश्यता भी बनाए रखी, जिससे ब्रांड रिकॉल बढ़ाने के लिए उच्च दर्शक संख्या का लाभ उठाया गया।

ग्राहक जुड़ाव, दृश्यता और समकालीन संचार कार्यनीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, बैंक ने प्रचार और जनसंपर्क, सोशल मीडिया और डिजिटल विपणन के लिए नई विशेष एजेंसियों को शामिल किया है।

बीओआई में सोशल मीडिया और डिजिटल विपणन

डिजिटल और सोशल मीडिया चैनलों ने विशेष रूप से हैकथॉन सोशल मीडिया अभियानों में सटीक लक्ष्य, वास्तविक समय सहभागिता और परिमय परिणामों को सक्षम करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, कार्यनीतिक प्लेटफॉर्म साझेदारी ने अभियान की पहुंच तथा आवृत्ति को और मजबूत किया। अभियान जेट्रो, सिटी ऐप्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आईआरसीटीसी, फोनपे, जियोसावन और स्पॉटिफाई सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निष्पादित किए गए। दि टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के डिजिटल प्रकाशनों में रोडब्लॉक जैसे उच्च प्रभाव वाले डिजिटल प्रारूपों को भी दर्शकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रसारित किया गया था।

ब्रांड निर्माण और प्रभाव

बैंक की प्रचार, जनसंपर्क तथा डिजिटल विपणन पहलों ने ब्रांड रिकॉल, विश्वास और ग्राहक जुड़ाव को मजबूत करना जारी रखा है। ये पहल प्रमुख खंडों में परिमय व्यवसाय वृद्धि के साथ दीर्घकालिक ब्रांड इक्विटी में कार्यनीतिक निवेश बनी हुई हैं, जो बैंक की स्थिति को एक विश्वसनीय, प्रगतिशील और ग्राहक-केंद्रित वित्तीय संस्थान के रूप में मजबूत करती हैं।

18. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान परिचालन दक्षता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने हेतु बीपीआर विभाग ने विभिन्न पहलें कीं। विभाग ने सेवा वितरण में सुधार, प्रणालियों के अनुकूलन तथा बैंक के परिवर्तन एजेंडा को समर्थन देने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलें प्रारंभ की।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की गई प्रमुख पहलें:

- **नई शाखाओं हेतु केंद्रों की पहचान:** बैंक की विस्तार कार्यनीति के अनुरूप नई शाखाओं की पहचान हेतु डाटा आधारित आकलन किया गया। शाखा स्थान चयन के लिए क्रेडिट ब्यूरो डाटा, पिन कोड-वार अग्रिम डाटा तथा आरबीआई (RBI) जमा डाटाबेस का उपयोग किया गया। अध्ययन के आधार पर वर्ष के दौरान 207 नई शाखाओं की पहचान कर उन्हें संचालित किया गया।
- **घरेलू शाखाओं का पुनर्वर्गीकरण:** बैंक द्वारा मौजूदा मानकों के आधार पर शाखाओं का पुनर्वर्गीकरण किया गया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की उपयुक्त तैनाती सुनिश्चित करना तथा ग्राहक सेवा वितरण में सुधार करना था।
- **बैंक की वेबसाइट का अद्यतन:** डिजिटल इंटरफेस को बेहतर बनाने हेतु बैंक की वेबसाइट को लगातार अद्यतन किया गया तथा अप्रासंगिक सामग्री को हटाया गया, जिससे ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ।

- **अनुदेश पुस्तिका का वास्तविक समय पर अद्यतन:** बैंक ने मैनुअल ऑफ इंडस्ट्रक्शन्स का समयानुकूल अद्यतन किया, जो बैंक के परिचालन दिशानिर्देशों के लिए प्रमुख संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। इससे बैंक में अद्यतन निर्देशों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई तथा अनुपालन एवं प्रक्रियागत एकरूपता को सुदृढ़ किया गया।
- **स्टार परामर्श – स्टाफ सुझाव योजना:** इस योजना को और अधिक सशक्त एवं विस्तारित किया गया ताकि सभी स्तरों एवं मंचों से कर्मचारियों के व्यावहारिक और क्रियान्वयन योग्य सुझाव प्राप्त किए जा सकें। इससे सहभागिता एवं सतत सुधार की संस्कृति को प्रोत्साहन मिला।

उन्नत पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (EASE) 8.0:

ईज सुधार (EASE) एजेंडा भारत सरकार ने जनवरी, 2018 में पेश किया था, जिसकी शुरुआत नवंबर, 2017 में हुए 'पीएसबी मंथन' से हुई थी। ईज (EASE), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) हेतु एक सामान्य सुधार एजेंडा है, जिसे आईबीए लागू और निगरानी करता है, जिसका उद्देश्य क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। सुधार प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी 2018 में ईज 1.0 (EASE 1.0) के प्रथम संस्करण का आरंभ करके की गई थी। जहाँ प्रथम संस्करण ईज-1.0 (EASE-1.0) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में सुधारों की नींव रखी, वहीं बाद के संस्करण 2.0 से 8.0 ने प्रक्रिया और सिस्टम को मज़बूत करके और परिणामों के साथ सुधारों की यात्रा को अपरिवर्तनीय बना दिया।

ईज 8.0 (EASE 8.0) सुधार एजेंडा को वित्त वर्ष 2025-26 हेतु **EASErise** के रूप में आरंभ किया है, जिसमें नए युग की ऋण हामीदारी क्षमताओं को मजबूत करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम आकलन ढांचे का निर्माण, बाजार का आकलन करने हेतु जेन-एआई आधारित केंद्रीकृत कारोबार खुफिया इकाइयों और कार्यनीतिक लागत अनुकूलन और प्रबंधन पर जोर दिया गया है।

ईज 8.0 (EASE 8.0) के केंद्र में चार मुख्य विषय हैं:

- जोखिम और लचीलापन
- नवाचार
- विकसित भारत का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
- उत्कृष्टता

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) में सुधार एजेंडा की प्रगति और कार्यान्वयन के तिमाही मूल्यांकन के दौरान, बैंक को आधार रेखा (31.4%) की तुलना में 151% सुधार के साथ 6 वां (78.8%) स्थान मिला है और ति3 विव 26 के दौरान सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के बीच विषय-2 (नवाचार) के तहत 3रा (84.9%) स्थान भी प्राप्त किया।

ईज 8.0 (EASE 8.0) के तहत बैंक द्वारा की गई मुख्य पहलों की सूची नीचे दी गई है

1. संदिग्ध धोखाधड़ी/म्यूल मामलों के लिए ईसीडीडी (उन्नत पहुँच और सेवा उत्कृष्टता) हेतु डेडिकेटेड डिजिटल यात्रा।
2. बाह्य और आंतरिक एपीआई की निगरानी हेतु एपीआई लाइफसाइकिल मैनेजमेंट सेटअप।
3. लचीलापन परिचालन केंद्र (आरओसी) की स्थापना

4. दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ब्रेल सक्षम डेबिट/क्रेडिट कार्ड
5. गिग कामगारों हेतु विशेष रूप से डिज़ाइन की गई बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद
6. केंद्रीकृत 'कॉस्ट मैप' डैशबोर्ड जो विभिन्न स्तर पर परिचालन व्यय और आय को ट्रैक एवं आबंटित करता है।
7. ग्राहक अनुभव (सीएक्स) टीम प्रतिपुष्टि के माध्यम से ग्राहक अनुभव प्राप्त करती है और विभिन्न सेवाओं और उत्पादों पर सर्वेक्षण करती है।
8. कर्मचारी हेतु भावनात्मक कल्याण आकलन
9. सरफेसी (SARFAESI) से संबंधित मामलों हेतु डिजिटल स्वचालित टूल
10. कार्यपालक निदेशक बीपीआर विभाग के साथ समन्वयन में अपने पर्यवेक्षण में आने वाले विभागों की समीक्षा कर रहे हैं।

जैसा कि उपर्युक्त पहलों से स्पष्ट है, बैंक ईज 8.0 (EASE 8.0) सुधार एजेंडा के अनुसार स्वयं को परिवर्तन हेतु डिजिटलाइज़ेशन, डिजिटलाइज़ेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जोखिम आकलन फ्रेमवर्क के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।

19. विधि एवं सूचना अधिकार अधिनियम

बैंक का विधि विभाग एक आवश्यक सहायक विभाग के रूप में कार्य करता है और प्रधान कार्यालय, एफसीजीएमओ/एफजीएमओ एवं आंचलिक कार्यालयों के विभिन्न अन्य कार्यात्मक विभागों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मामलों पर सलाह, प्रलेखीकरण, वाद इत्यादि के संबंध में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है।

विभिन्न एफसीजीएमओ/एफजीएमओ/अंचलों, घरेलू शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक की अनुषंगियों के संदर्भित मामलों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न संविदाओं/सेवा स्तरीय करारों (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्था /नए उत्पाद इत्यादि के प्रलेखों की ड्राफ्टिंग और वेटिंग के द्वारा विशेषीकृत विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग, कोषागार विभाग, डिजिटल बैंकिंग विभाग, डिजिटल लेंडिंग विभाग, कार्ड उत्पाद विभाग, संव्यवहार बैंकिंग विभाग इत्यादि की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम ने समाज में एक अहम भूमिका निभाई है और विभिन्न स्तरों पर बैंक को कई आवेदन प्राप्त होते हैं। बैंक ने विभिन्न एफजीएमओ/अंचलों/एलसीबी में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा अपीलीय प्राधिकारी नामित किए हैं। प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (विधि)/उप महाप्रबंधक (विधि) को प्रधान कार्यालय के लिए सीपीआईओ और प्रधान कार्यालय में विधि विभाग के महाप्रबंधक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। आवेदन या अपील को निपटाने की प्रक्रिया में विभिन्न विभागों से वांछित सूचना को एकत्र करना और उसे 30 दिन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदक को उपलब्ध कराना शामिल है; और साथ ही, इसमें अन्य एफजीएमओ/अंचलों को विशिष्ट बिंदुओं पर मार्गदर्शन देना भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, स्टाफ सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, विधि विभाग नए विधानों, संविधियों में संशोधनों तथा माननीय

उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णय (निर्णयों) के संबंध में एफजीएमओ/अंचलों को विभिन्न परिपत्र और मार्गदर्शन जारी करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विधि विभाग निम्न लिखित से संबंधित कार्य भी करता है :

- बैंक द्वारा दायर वादों के संबंध में वाद पत्र का अनुमोदन तथा उक्त वादों की निगरानी।
- बैंक के विरुद्ध दायर रिट, वादों, अपीलों, दावों इत्यादि पर परामर्श देना; तथा जहां भी आवश्यक हो, आवेदनों/शपथ पत्रों आदि की जांच।
- विभिन्न अधिनियमों के तहत विचाराधीन नए विधानों/ संशोधनों सहित विभिन्न मामलों पर मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आईबीए के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देना।
- बैंक के विरुद्ध मामले/बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है /प्रावधान की आवश्यकता/अंचलों इत्यादि के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- एफजीएमओ/अंचलों से प्राप्ति लोक अदालत के डेटा का समेकन करना।
- दायर किया गया वाद/डिक्री किए गए मामलों/लोक अदालत और आरटीआई रिटर्न से संबंधित डाटा/सांख्यिकी का संग्रह एवं संकलन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, डीएफएस, सीआईसी आदि जैसे विभिन्न प्राधिकरणों को उनकी प्रस्तुति।

20. अनुपालन

बैंक के पास एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसे समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी कहा जाता है। इस विभाग का मुख्य कार्य घरेलू और विदेशी, इन दोनों परिचालनों के लिए सांविधिक, विनियामक और बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। यह विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए संपर्क का एकल बिंदु है और प्रचलित एसपीएआरसी फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन कार्य नीति लागू है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है और इसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाता है। इस नीति में निम्नलिखित घटक शामिल हैं: i) प्रशासन ii) अनुपालन जोखिम मूल्यांकन iii) नीतियां, प्रक्रिया और संबंधित नियंत्रण iv) अनुपालन निगरानी और परीक्षण v) रिपोर्टिंग और संप्रेषण vi) अनुपालन में सुधार के लिए प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं vii) विनियामक संपर्क और समन्वय।

विभाग ने पारदर्शिता, कार्यक्षमता, निगरानी और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए, तथा अनिश्चितता से निपटने और ज्ञात व उभरते, दोनों तरह के जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाई है; जिससे कार्यनीति, कार्यनिष्पादन और निर्णय लेने के लिए अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद कर सकता है। विभाग, आरबीआई के दिशानिर्देशों/निर्देशों के पालन और निरंतरता की पुष्टि करने के लिए, प्रधान कार्यालय और फ़ील्ड दोनों स्तरों पर नियमित रूप से समय-समय भी परीक्षण का कार्य भी कर रहा है। अनुपालन परीक्षण

की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती जा रही है, और परीक्षण परिणामों की रिपोर्टिंग मासिक आधार पर शीर्ष प्रबंधन को की जाती है। अनुपालन परीक्षण के परिणामों को, अन्य नियंत्रण उपायों के साथ-साथ, फ़ील्ड स्तर पर अनुपालन जोखिम मूल्यांकन में शामिल किया जाता है।

विभाग ने हाल ही में, पूरे बैंक में कार्यरत कर्मचारियों के लाभ हेतु, एक 'अनुपालन नियमावली' जारी की है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के संपूर्ण अनुपालन कार्य के स्वचालन का कार्य पहले से ही प्रगति पर है।

अनुपालन विभाग, उन विदेशी प्रतिष्ठानों के अनुपालन कार्य की भी निगरानी कर रहा है जो अपने संबंधित देश आधारित अनुपालन नीतियों के साथ-साथ केवाईसी-एमएल-सीएफटी नीतियों का पालन करते हैं। प्रत्येक विदेशी केंद्र/शाखा/अनुषंगी के पास संबंधित अनुपालन कार्य की देखभाल करने के लिए एक स्वतंत्र अनुपालन अधिकारी होता है। विदेशी शाखाएं, लागू विनियामक आवश्यकताओं स्वदेश/मेजबान देश के विनियामक दिशानिर्देश, इनमें से जो भी कठोर हों) का पालन करती हैं और पुष्टिकरण/अनुपालन स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक विदेशी शाखा का अनुपालन अधिकारी, मासिक, अनुपालन परीक्षण करता है और प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। निचले स्तर पर संस्कृति विकसित करने के लिए, समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी की सीधी रिपोर्टिंग लाइन के तहत पूरे भारत में प्रत्येक अंचल और फ़ील्ड महाप्रबंधक कार्यालयों (एफजीएमओ) में फ़ील्ड स्तर के अनुपालन अधिकारियों को तैनात किया गया है।

बैंक में, वर्तमान में 69 आंचलिक अनुपालन अधिकारी (जेडसीओ) हैं, जिन्हें संपूर्ण भारत में अलग-अलग अंचल में तैनात किया गया है, ताकि वे फ़ील्ड स्तर पर अनुपालन के फ्रेमवर्क की निगरानी कर सकें और इसे सुदृढ़ कर सकें। अलग-अलग जगहों पर फैली शाखाओं में विनियामकीय एवं आंतरिक अनुपालन की आवश्यकताओं को प्रभावी कार्यान्वयन से लागू करने के लिए ज़ेडसीओ की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है। ज़ेडसीओ शाखाओं में ऑन-साइट अनुपालन परीक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे विनियामकीय दिशानिर्देशों, आंतरिक नीतियों तथा नियंत्रण तंत्रों के अनुपालन का वास्तविक समय में सत्यापन संभव हो पाता है। इससे यह सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होगा कि अनुपालन की स्थिति का सटीक आकलन किया जाए, न की केवल ऑफ-साइट निगरानी या स्व-प्रमाणन पर निर्भर रहा जाए। अनुपालन ढांचे को सुदृढ़ करने, जोखिम-आधारित निगरानी को सशक्त बनाने तथा संचालन स्तर पर सतत विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हमने आंचलिक अनुपालन अधिकारियों (जेडसीओ) एवं एफजीएमओ अनुपालन अधिकारियों (एफजीएमओसीओ) द्वारा किए जाने वाले फ़ील्ड अनुपालन परीक्षण के लिए एक संरचित और सुदृढ़ ढांचा लागू किया है।

भविष्य में, इस वित्तीय वर्ष (2026-27) से, अंचल के कारोबार मिश्रण के आधार पर फ़ील्ड अनुपालन परीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक अंचल में, मिश्रितकारोबार के आधार पर शीर्ष 70% शाखाओं की पहचान वर्तमान वित्तीय वर्ष में परीक्षण हेतु की जाएगी, एवं इस 70% में से शीर्ष 20 शाखाओं की प्रत्येक तिमाही आधार पर गहन परीक्षण किया जाएगा। शेष 30% शाखाओं की अनुपालन परीक्षण अगले वर्ष अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह प्रस्तावित ढांचा उच्च प्रभाव वाली शाखाओं पर पर्यवेक्षी ध्यान केंद्रित करने, अनुपालन जोखिमों की प्रारंभिक पहचान में सुधार लाने तथा सुधारात्मक कार्यों के प्रभावी

समापन और उनके स्थायित्व को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हमने एक अनुपालन मैट्रिक्स तैयार किया है, जिसके आधार पर अंचलों का उनके अनुपालन मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया जा रहा है।

21. राजभाषा:

बैंक में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करता है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के योजनाबद्ध कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप हमारे बैंक द्वारा वार्षिक कार्य-योजना 2025-26 तैयार की गई जिसका विमोचन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया गया। बैंक में हिंदी दिवस 2025 तथा विश्व हिंदी दिवस 2026 को पूरे उत्साह से मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे बैंक में अनेक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया जिसमें विदेशी शाखाओं की भी सहभागिता रही। दिनांक 24.09.2025 को हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिनांक 07.02.2026 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार तथा लेखक श्री अखिलेंद्र मिश्र मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे।

प्रत्येक माह में अद्यतन विषयों जैसे कि वंदे मातरम के 150 वर्ष, साहित्यकारों की जयंती इत्यादि विषयों पर प्रश्न मंजूषा का आयोजन किया गया। ऑनलाइन अखिल भारतीय राजभाषा एवं बैंक उत्पाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें सभी 69 अंचलों एवं प्रधान कार्यालय के स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। राजभाषा नीति, नियम एवं कार्यान्वयन संबंधी ई-लर्निंग मॉड्यूल सभी स्टाफ सदस्यों के लिए एचआरएमएस में उपलब्ध कराए गए हैं। हिंदी माह के दौरान सभी अंचलों ने वित्तीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत वित्तीय समावेशन संतुष्टि (सैचुरेशन) का आयोजन किया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजभाषा अधिकारियों के क्षमता निर्माण एवं बेहतर कार्यनिष्पादन पर बल दिया गया एवं इसी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 24-25 जून 2025 को अखिल भारतीय वार्षिक समीक्षा बैठक, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए विभिन्न आईटी टूल्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उन्नत राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय के विभागों एवं अंचलों हेतु “राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता” आयोजित की गई। अंचल में तैनात पत्रिका प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। प्रधान कार्यालय में पूरे वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में हिंदी ईमेल प्रतियोगिता और कार्यपालकों हेतु “हिंदी टिप्पण लेखन” प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए विभाग द्वारा धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। वर्ष 2025-26 में 14 नए राजभाषा अधिकारियों ने कार्यभार-ग्रहण किया। समस्त अंचलों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट और शाखा निरीक्षण रिपोर्ट बैंक के आंतरिक पोर्टल “स्टार डेस्क” पर भरी जा रही है। अंचलों द्वारा प्रकाशित ई-पत्रिकाओं एवं संदर्भ साहित्य को स्टार डेस्क पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है, ताकि बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों को उनकी ई-प्रतियां आसानी से उपलब्ध हो सकें।

राजभाषा में कार्य को बढ़ावा देने और मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक द्वारा हिंदी तिमाही गृहपत्रिका “बीओआई वार्ता” एवं

तिमाही द्विभाषी गृहपत्रिका “तारंगण” का प्रकाशन किया जा रहा है तथा इस वर्ष इनके लेखकों के मानदेय को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। वर्ष के दौरान दो निबंध संकलन पुस्तक - “बैंक, भाषा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता” और “भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आधुनिक बैंकिंग: डेटा, भाषा और जेन ज़ी” का विमोचन किया गया। “अनुदेश पुस्तिका – जमा राशि” की अद्यतन द्विभाषी ई-प्रति बैंक के आंतरिक पोर्टल पर अपलोड कराई गई है। “बैंकिंग शब्दावली – रिटेल ऋण” पुस्तिका भी तैयार की गई। प्रति सप्ताह ई-मेल के माध्यम से “सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व शृंखला” का नियमित परिचालन किया जा रहा है, जिसमें महान साहित्यकारों, समाज सुधारकों, संगीतज्ञों आदि के जीवन एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अंचलों द्वारा भी अनेक संदर्भ साहित्य तैयार किए गए हैं। साथ ही, सभी अंचलों ने निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया।

दिनांक 14 एवं 15 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस 2025 तथा पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक ऑफ़ इंडिया को 800 कर्मचारियों से अधिक की श्रेणी में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार “द्वितीय” प्राप्त हुआ। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी बैठक में बैंक ऑफ़ इंडिया को राजभाषा नीति और कार्यों के श्रेष्ठ निष्पादन हेतु “ख” क्षेत्र के अंतर्गत “द्वितीय” स्थान प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन में बैंक के संयोजन में नराकास (बैंक), एसटीसी नोएडा को “नराकास राजभाषा सम्मान” प्रथम प्राप्त हुआ। साथ ही, बैंक के संयोजन में कार्यरत कुल 5 नराकासों; नराकास नागपुर (सर्वश्रेष्ठ), नराकास गुरुग्राम, नराकास मैनपुरी, नराकास केंदुझर और नराकास रत्नागिरी को भी प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा घोषित क्षेत्रीय पुरस्कारों में पश्चिम क्षेत्र के “ग” वर्ग में गोवा आंचलिक कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार, पश्चिम क्षेत्र “ख” वर्ग में पुणे आंचलिक कार्यालय को तृतीय पुरस्कार, पश्चिम क्षेत्र “ख” वर्ग में बैंक के संयोजन में कार्यरत नराकास, नागपुर तथा पूर्वी क्षेत्र के “क” वर्ग में नराकास, मुजफ्फरपुर को पुरस्कृत किया गया। वर्ष के दौरान 39 कार्यालयों तथा शाखाओं को विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से पुरस्कार प्राप्त हुए। साथ ही, विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक के 21 स्टाफ सदस्यों ने पुरस्कार प्राप्त किए।

इस वर्ष बैंक ने करीब 250 राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें 5923 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। हमारा बैंक, सरकार द्वारा निर्धारित 16 नराकास के संयोजन का दायित्व सफलतापूर्वक निभा रहा है। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के माननीय सदस्यों द्वारा वर्ष के दौरान हमारे 10 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और सभी निरीक्षण सुचारु रूप से संपन्न हुए।

22. मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास:

ए. मानव संसाधन:

मानव संसाधन में निर्णय-निर्माण को अधिक डेटा-आधारित बनाने का उद्देश्य दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। बैंक ने क्षमता निर्माण तथा लगातार अध्ययन एवं विकास के माध्यम से सुसंगति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

- यथा 31.03.2026 तक, बैंक के रोल पर 51,010 कर्मचारी थे। इनमें से 29194 अधिकारी, 17238 लिपिक तथा 4578 अधीनस्थ स्टाफ सदस्य हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने सामान्य बैंकिंग तथा विशेषज्ञ संवर्ग में 870 स्टाफ अधिकारी तथा लिपिकीय संवर्ग में 639 नियुक्तियाँ की हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, अनुकंपा नियुक्ति योजनाके अंतर्गत बैंक ने 48 लिपिकों और 33 अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति की। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान बैंक 1219 क्रेडिट अधिकारियों (705 (कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-I में 700 सामान्य बैंकिंग + 5 विशेषज्ञ संवर्ग) + 514 स्टाफ अधिकारी (मध्य प्रबंधन ग्रेड-II से वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-IV के ऋण अधिकारी) तथा 1700 लिपिकीय स्टाफ की भर्ती की योजना बना रहा है।
- उत्तराधिकार योजना के अंतर्गत, कॉरपोरेट ऋण, ऋण निगरानी, वसूली, कोषागार आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौशल की कमी को व्यवस्थित रूप से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के अनुरूप दक्षताओं के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बुनियादी संरचना वित्तपोषण तथा वित्तीय समावेशन जैसे उभरते क्षेत्रों में भी प्रयास जारी है।
- प्रतिभा प्रबंधन क्षेत्र में, एक केंद्रित प्रतिभा समीक्षा एवं विकास प्रक्रिया संचालित की जा रही है, ताकि वर्तमान पदधारियों तथा संभावित स्टाफ सदस्यों को समय पर इन भूमिकाओं को संभालने हेतु उपर्युक्त रूप से प्रशिक्षित और तैयार किया जा सके।
- कागज रहित मानव संसाधन की दिशा में, विभिन्न डिजिटलीकरण पहले जैसे सेवाएं देय आवेदन की ऑनलाइन स्वीकृति, शिकायत प्रबंधन, प्रबंधन के लिए निवेश डैशबोर्ड आदि तथा एचआरएमएस में फॉर्म 12बीबी जमा करना लागू किया गया है।
- बैंक ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार भारत सरकार के निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन में एक लैंगिक तटस्थ 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) नीति' लागू की है। बैंक का यह प्रयास रहा है कि किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को समाप्त किया जाए तथा सुरक्षित, अनुकूल और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी कर्मचारियों को समानता, गरिमा और सम्मान का अनुभव हो सके।
- ऐसे अधिकारी जिनकी रुचि है तथा ऋण, जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी इत्यादि जैसे विशेषज्ञता क्षेत्र में काम करने की रुचि और क्षमता रखते हैं उन्हें 'स्टार हंट' योजना के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है। चयन के बाद ऐसे अधिकारियों को चयनित वर्टिकल में प्रशिक्षित तथा निर्धारित फील्ड में तैनात किया जाता है।
- स्वाध्याय को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित संस्थानों तथा एमओओसीएस के अंतर्गत भी अनेक पाठ्यक्रम बैंक के क्षमता निर्माण में शामिल हैं। ऋण, अनुपालन, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए क्रिसल, आईआईबीएफ, सीएबी मनिपाल इंस्टीट्यूट जैसे बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।
- बैंक का लक्ष्य है कि विभिन्न एच.आर. पहल जैसे जॉब फैमिली, उत्तराधिकार योजना तथा प्रतिभा प्रबंधन प्रक्रिया एवं अधिक अभिगम तथा सेवा उत्कृष्टता (ईज़) के लिए पीएसबी सुधार एजेंडा में परिकल्पित किसी अन्य सरकारी निदेश का बाधा रहित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- बैंक ने नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित तथा किसी प्रकार के पक्षपात/ भेदभाव तथा शोषण से मुक्त कार्य वातावरण वाली संस्था सुनिश्चित करने की दिशा में 'बैंक ऑफ इंडिया नैतिकता तथा हितों का टकराव नीति' को कार्यान्वित किया है।
- हम सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांग व्यक्ति समानता और आत्मसम्मान से रहें तथा अन्यो के बराबर प्रदर्शन करने के लिए सशक्त रहें, हम अपने बैंक में समान अवसर नीति के कड़ाईपूर्वक अनुपालन तथा कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- **स्टाफ ऋण लेने वाले कर्मचारियों हेतु क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस:** बैंक ने अपने बीमा साझेदार सुड लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि. के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत स्टाफ ऋण योजनाओं का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को कम लागत पर क्रेडिट लाइफ कवर प्रदान किया जाएगा। इसमें स्टाफ आवास ऋण योजना, स्टाफ वाहन ऋण योजना तथा स्टाफ सदस्यों को व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की योजना शामिल हैं। यह पहल न केवल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि कर्मचारियों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के बैंक के लक्ष्य के अनुरूप भी है।
- **स्टाफ आवास ऋण में आशोधन:** इस योजना में दो प्रमुख आशोधन किए गए हैं- (i) आवासीय इकाइयों की संख्या को तीन (THREE) तक बढ़ाना तथा तीसरी आवासीय इकाई को वाणिज्यिक भूसंपदा एक्सपोजर मानते हुए उस पर ब्याज दर लागू करना। (ii) स्टाफ आवास ऋण योजना (स्टाफ अधिकारी एवं अवार्ड स्टाफ) के अंतर्गत अधिकतम चार (FOUR) आवासीय इकाइयों/संपत्तियों के लिए पात्रता प्रदान करना।
- **बीओआई माइलस्टोन अवार्ड योजना की समीक्षा:** माइलस्टोन योजना की समीक्षा की गई है, जिसमें निश्चित मौद्रिक सीमा के स्थान पर चाहे सिल्वर पदक की लागत कुछ भी हो, निश्चित वजन जैसे 25 ग्राम की अवधारणा लागू करने का प्रस्ताव है।
- **श्रम-शक्ति योजना :** वर्ष 2026-27 के लिए श्रम-शक्ति योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें अधिकारियों और ग्राहक सेवा सहयोगी की सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों को ध्यान में रखा गया है। बैंक में श्रम-शक्ति संसाधनों के उचित आबंधन, बैंक के व्यवसाय/सेवा प्रशासनिक उत्कृष्टता बढ़ाने तथा बैंक के कार्यों के कुशल प्रबंधन हेतु प्रधान कार्यालय द्वारा स्थानांतरण किए जा रहे हैं।
- **डिजिटल रुपये को बढ़ावा एवं तिमाही प्रति पूर्ति का डिजिटल रुपये वॉलेट के माध्यम से भुगतान:** बैंक ने इस पहल को एक ऐसे कदम के रूप में लागू किया है जो डिजिटल रूप से सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी बैंक ऑफ इंडिया के

निर्माण के सामूहिक मिशन को आगे बढ़ाता है। सभी कार्यालयों और शाखाओं को डिजिटल जागरूकता बढ़ाने तथा व्यक्तिगत एवं आधिकारिक संव्यवहार में डिजिटल

- **स्टार बॉन्डिंग:** कर्मचारी सह भागिता एवं संपर्क के अंतर्गत सभी शाखाओं के लिए यह पहल शुरू की गई है। इसके तहत टीम भावना, सहयोग, पुरस्कार एवं मान्यता को बढ़ावा देने तथा एक खुशहाल कार्यस्थल बनाने के लिए विभिन्न कर्मचारियों द्वारा गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इस उद्देश्य के लिए सभी अंचलों को उपयोग करने हेतु धनराशि आबंटित की गई है तथा उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए हैं।
- **03.12.2025 को दिव्यांगजनों का सम्मान (अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की पूर्व संध्या पर) -** अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की पूर्व संध्या पर दिव्यांग कर्मचारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी अंचलों में सम्मानित किया गया। ग्राहक सेवा, कारोबार श्रेष्ठता और प्रेरणादायक कार्यनिष्पादन जैसी श्रेणियों (6 अवार्ड स्टाफ एवं 6 अधिकारी संवर्ग) में कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेताओं को प्रमाणपत्र, ट्रॉफी एवं उपहार प्रदान किए गए तथा वरिष्ठ एचआर प्रबंधन ने उनसे बातचीत की। इस कार्यक्रम से कर्मचारियों में सम्मान, प्रेरणा और गर्व की भावना उत्पन्न हुई।
- **स्टाफ जवाबदेही पोर्टल** को दिनांक 24.12.2025 को लाइव किया गया है। अनुशासनिक कार्यवाहियों में टीएटी में उल्लेखनीय कमी आई है। दस्तावेज़ साझा करने और जांच पैनलों की प्रक्रियाओं में सुधार से पहले ही सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। टीएटी को और कम करने तथा परदर्शिता बढ़ाने के लिए वीसी सेट-अप के माध्यम से स्वचालन एवं जांच की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- **सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए हॉलिडे होम बुकिंग ऑनलाइन की गई -** हॉलिडे होम की बुकिंग को बीओआई अल्युमनी पोर्टल पर सेवा निवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे वे आसानी से हॉलिडे होम बुक कर सकते हैं।
- वित्तीयवर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारियों को प्रदान किए गए रियायती तथा ब्याज-मुक्त ऋणों के कारण उत्पन्न परिलब्धियों के मूल्य पर कर देयता का वहन।
- **स्टार प्रतिबिंब (मानव संसाधन मूल्यांकन) वर्ष 2025-26 के लिए मानव संसाधन मूल्यांकन 3 स्तरों पर किया गया है,** जैसे आंचलिक कार्यालय से आंचलिक कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण केंद्र, तथा शाखा से शाखा। इस प्रक्रिया को वर्ष के लिए पूरा किया जा चुका है, जिसमें 100 अंकों की मार्किंग प्रणाली के साथ 10 मापदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया एचआर नीतियों के मूल्यांकन को सुनिश्चित करती है तथा श्रेष्ठ एचआर प्रथाओं को अपनाने/लागू करने में सहायक है।
- **बैंक ने अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार लागू किए हैं,** जिससे मामलों का तेजी से निपटान और बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। बड़ी संख्या में मामलों का निपटान किया गया है, जिससे फील्ड पदाधिकारी को समय पर राहत मिली है।

- **शी बॉक्स पोर्टल** को बैंक के सभी एफ़जीएमओ/अंचलों के विवरणों के साथ अपडेट किया गया है।
- एचआरएमएस में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया है:
 - लगातार 30 दिन की अनधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में वेतन को शून्य करने की स्वचालन प्रक्रिया।
 - पासवर्ड रिसेट हेतु आरपीए बोट के माध्यम से ऑटो मेलर सुविधा।
 - सभी अंचलों तथा किराया भुगतान हेतु टीओएस - सहायता-प्राप्त आवास मॉड्यूल।
 - संवेदनशील पोस्ट - 3 महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ऑटो मेलर।
 - एफ़ एंड एफ़ के भुगतान दावों का एचआरएमएस के माध्यम से भुगतान।
 - फैमिली पेंशन आवेदन

एचआर रूपांतरण: हमने अब बीओआई स्टारलाइट प्रोजेक्ट के दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं, जिसने बैंक की एचआर प्रणालियों, प्रक्रियाओं और क्षमताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। 15+ कर्मचारी-केंद्रित डिजिटल टूल्स और 40 लाख+ पेज हिट्स के साथ, यह परियोजना एक अधिक कार्यनिष्पादन-उन्मुख, प्रोद्योगिकी-सक्षम और कर्मचारी-केंद्रित संगठन बनाने में सहायक रही है। समीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं।

- **कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस):** भूमिका-आधारित केआरए, विस्तारित मापनीयता तथा भूमिकाओं के बीच अधिक निष्पक्ष तुलना के माध्यम से एक अधिक सुदृढ़ और वस्तुनिष्ठ पीएमएस स्थापित किया गया है। 2000+ विशिष्ट भूमिकाओं, 1000+ डेटा पॉइंट्स और 290+ समूहों के साथ, इस नए ढांचे ने मूल्यांकन की निष्पक्षता को मजबूत किया है तथा फील्ड और प्रशासनिक भूमिकाओं के बीच पक्षपात को कम करने में सहायता की है।
- **डिजिटल मान्यताएं:** अधिक सशक्त कार्यनिष्पादन-उन्मुख संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने मासिक डिजिटल वॉल ऑफ़ फेम जैसी संरचित मान्यता पहलों को लागू किया है, जिनमें 900+ अधिकारियों को 5 प्रमुख व्यावसायिक मापदंडों—जैसे कासा, अग्रिम, एनपीए, सीएसएटी तथा डिजिटल संव्यवहार के आधार पर सम्मानित किया गया है।
- **स्थानांतरण एवं पदोन्नति:** स्टारलाइट पोर्टल पर स्थानांतरण और पदोन्नति की प्रक्रियाओं को एंड-टू-एंड डिजिटल बना दिया गया है, इसके अंतर्गत 1,500+ द्विभाषीय स्थानांतरण आदेश डिजिटल रूप से जारी किए गए हैं तथा 8.4K+ पदोन्नति आवेदन प्राप्त/प्रसंस्कृत किए गए हैं, जिससे कार्यक्षमता, पारदर्शिता और प्रक्रिया की निगरानी में सुधार हुआ है।
- **स्टार सारथी:** बैंक ने स्टार सारथी नामक GenAI-संचालित ट्रांजिशन रेडी रेकनर शुरू किया है, जो कर्मचारियों को स्थान-विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएँ, आवास एवं रहने की सुविधा, शिक्षण सुविधाएँ, देखभाल एवं थैरेपी केंद्र तथा शाखा विवरण जैसे कई मापदंडों से संबन्धित

जानकारी शामिल हैं। इस टूल को प्रारंभिक स्तर पर अच्छा प्रतिसाद मिला है और इसने कर्मचारियों के स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद की है।

- **स्टार विद्या एआई:** बैंक की उद्योग में पहली GenAI अध्ययन पहल पर आधारित स्टार विद्याएआई को GenAI-संचालित लर्निंग ट्यूटर के रूप में सुदृढ़ किया गया है, जो कार्यात्मकतया व्यवहारिक क्षमता निर्माण में सहायता करता है। इंटर एक्टिव और परिदृश्य-आधारित अध्ययन के माध्यम से यह टूल अधिकारियों को उत्पाद, नीति तथा संप्रेषण संबंधी क्षमताओं को अधिक आकर्षक और व्यावहारिक तरीके से विकसित करने में सहायता कर रहा है।
- **स्टार समर्थ 2.0:** स्टार समर्थ 2.0 बैंक का कर्मचारी सहायता कार्यक्रम है, जिसे परामर्श, भावनात्मक सहायता तथा जागरूकता मध्यक्षेप के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर 3,000 + कर्मचारी पंजीकरण, 300+ परिवार सदस्य पंजीकरण तथा 1,000+ परामर्श सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, इसमें भावनात्मक देखभाल चैपियन, काउंसलिंग सुविधाएँ तथा वेबिनार के माध्यम से आत्म-विकास, कार्य-संबंधित चिंताओं, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक समस्याओं और जीवनशैली सहयोग जैसे विषयों को शामिल किया जाता है।
- **लक्ष्य निर्धारण:** वैज्ञानिक लक्ष्य निर्धारण को बाजार-आधारित और शाखा-परिप्रेक्ष्य इन पुट के माध्यम से और मजबूत किया गया है, जिससे लक्ष्यों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पुनः डिजाइन किए गए इस दृष्टिकोण से सुझाए गए लक्ष्यों की लगभग 70% स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा बाजार वृद्धि के साथ 32 गुना अधिक मजबूत संबंध स्थापित हुआ है, जिससे व्यावसायिक अपेक्षाओं को स्थानीय वास्तविकताओं के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सका है।
- **उत्कृष्टता केंद्र:** तीन स्टार एपेक्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना एमडीआई बेलापुर, एसटीसी नोएडा और आईआईटीसी पुणे में की गई है, इसमें उन्नत कार्यप्रणाली के अंतर्गत 13 प्रशिक्षण बैच संचालित किए गए तथा उन्नत बैंकिंग और व्यावहारिक क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने हेतु 15+ बाह्य भागीदारों को जोड़ा गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सम्पूर्ण कर्मचारी सेवाकाल में कार्यनिष्पादन उन्मुखता, प्रतिभा प्रबंधन को मजबूत करने तथा अन्य एचआर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न पहलें लागू की गई हैं, जिनमें कर्मचारी कल्याण को इस परिवर्तन के केंद्र में रखा गया है।

एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व-सैनिक के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन:

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय के साथ-साथ सभी आंचलिक कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कक्ष स्थापित किया गया है जो आरक्षण नीति को लागू करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से

संबंधित शिकायतों के निवारण में विशेष ध्यान रखता है। बैंक में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्गों के लिए सीधी भर्ती में 01 फरवरी 2019 से आरक्षण लागू किया गया था।

यथा दिनांक 31.03.2026 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस स्टाफ का प्रतिनिधित्व:

संवर्ग	एससी	कुल स्टाफ का %	एसटी	कुल स्टाफ का %	ओबीसी	कुल स्टाफ का %	ईडब्ल्यूएस	कुल स्टाफ का %	कुल
अधिकारी	5216	17.86%	2633	9.01%	8983	30.77%	564	1.93%	29194
लिपिक	2567	14.89%	2092	12.13%	4996	28.98%	476	2.76%	17238
अधीनस्थ कर्मचारी	1580	34.51%	542	11.83%	1308	28.57%			4578
कुल	9363	18.35%	5267	10.32%	15287	29.96%	1040	2.03%	51010

23. अध्ययन एवं विकास :

अध्ययन एवं विकास (एल एंड डी) विभाग ने व्यापक कर्मचारी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की पहलों के माध्यम से बैंक के कार्यनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभायी है। प्रौद्योगिकीय उन्नति, विनियामकीय परिवर्तनों और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं से आकारित विकसित बैंकिंग परिदृश्य में एल एंड डी टीम कर्मचारियों को गतिशील वातावरण में कामयाब होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है।

इस वर्ष के दौरान, 32,000 से अधिक कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें नेतृत्व विकास, क्रेडिट, विदेशी मुद्रा, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा, डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा जागरूकता आदि जैसे विषयों की एक विस्तृत शृंखला शामिल थी।

सतत अध्ययन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एल एंड डी टीम ने बैंक के आंतरिक ज्ञान मंच को मजबूत किया और व्यक्तिगत करियर आकांक्षाओं के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षण यात्राएं शुरू कीं हैं। बैंक इसके अलावा प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आईआईएम उदयपुर, आईआईएम कोषिकोड, आईडीबीआई हैदराबाद, आईएमआई नई दिल्ली, सीएफआरएल, सीएबी पुणे, एनआईबीएम पुणे, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद और मोहाली, एससीआई हैदराबाद, आईआईबीएफ, आईआईबीएम, बीआईआरडी लखनऊ/मंगलूरु, यूनेस्को, बीमा एवं जोखिम प्रबंधन संस्थान (आईआईआरएम), हैदराबाद आदि के साथ भी सहयोग करता है।

सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय सामूहिक रूप से मासिक पत्रिका 'स्टार दर्पण' प्रकाशित कर रहे हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा प्रकाशित 'सांदीपनी' और 'विजेता' जैसे अन्य प्रकाशन कर्मचारियों के कौशल उन्नयन में सहायक हैं।

तीन प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है, जिनका शुभारंभ निम्नानुसार किया गया :

उत्कृष्टता केंद्र	उद्घाटन की तिथि
जन एवं नेतृत्व विकास हेतु स्टारएपेक्स, बेलापुर	08 सितंबर, 2025
क्रेडिट एवं जोखिम प्रबंधन हेतु स्टार एपेक्स, नोएडा	08 दिसंबर, 2025
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्राहक सेवा हेतु स्टार एपेक्स, पुणे	23 फरवरी, 2026

शेष प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण हेतु एसटीसी भोपाल
- विक्रय एवं विपणन हेतु एसटीसी कोलकाता
- सामान्य परिचालन हेतु एसटीसी चेन्नै
- लेखापरीक्षा एवं अनुपालन हेतु एसटीसी गोवा

भविष्य की ओर देखते हुए, अध्ययन एवं विकास (एलएंडडी) विभाग प्रशिक्षण प्रयासों को बैंक के परिवर्तन एजेंडा और दीर्घकालिक परिदृष्टि के साथ संरेखित करके एक लचीला और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है।

24. ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग

- ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग विभाग वेब पोर्टल, कॉल सेंटर, ईमेल, हैंड डिलीवरी आदि जैसे विभिन्न चैनलों पर ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण करता है। शिकायतों के प्रभावी और समय पर निवारण सुनिश्चित करते हुए, हमारा विभाग ग्राहकों के बीच सेवा श्रेष्ठता की भावना को भी बढ़ावा देता है, जिसके लिए फ़िल्ड स्टाफ को मुस्कुराहट के साथ ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- हमारे विभाग में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए विभिन्न स्तर हैं, जिनमें बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) सर्वोच्च है। विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र पर एक व्यापक नोट प्रत्येक तिमाही में सीएसबी के समक्ष रखा जाता है, ताकि विभाग की कार्यक्षमता और गतिविधियों के साथ-साथ विभिन्न मापदंडों पर कार्यनिष्पादन का आकलन किया जा सके।
- ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति (एससीसीएस) की बैठक मासिक आधार पर आयोजित की जाती है, जिसमें बैंक में शिकायत निवारण प्रणाली एवं ग्राहक सेवा की समीक्षा की जाती है। समिति की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक करते हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक शामिल हैं। विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दे, जिन्हें समाधान के लिए हमारे विभाग को भेजा जाता है, इन बैठकों में समाधान किए जाते हैं और उन पर चर्चा की जाती है, जिसमें शिकायतों के त्वरित, प्रभावी और निर्णायक निवारण के लिए शीर्ष प्रबंधन द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाते हैं।
- ईज (EASE) 8.0 में भी हमारे बैंक का प्रदर्शन तिमाही-दर-तिमाही में उल्लेखनीय सुधार दिख रहा है।
- हमने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में डीएफएस द्वारा नवंबर 25 से फरवरी 26 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और जुलाई 25 से अक्टूबर 2025 के महीनों में तथा मार्च 26 के महीने में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- हमारे पास मजबूत शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, अर्थात् स्टार संपर्क (सीआरएम नेक्स्ट) जो विभिन्न चैनलों से आने वाली सभी शिकायतों को दर्ज करती है। प्रत्येक शिकायत की एक यूनिक आईडी होती है जिसे ग्राहक ऑनलाइन ट्रैक कर सकता

है। शिकायत से संबंधित अपडेट की सूचना शिकायतकर्ता को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है। बैंक द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट न होने पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पुनः दर्ज कर सकता है।

- हमने अपने ग्राहकों के बीच बैंक की सेवाओं के संतुष्टि स्तर का आकलन करने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से फीडबैक कैप्चरिंग मैकेनिज्म भी लागू किया है। शाखा में आने वाले ग्राहकों से क्यूआर कोड के माध्यम से फीडबैक लिया जाता है। हमने अपने ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र अर्थात् क्यूलिक सेंस पोर्टल (Qlik Sense Portal) भी लागू किया है। क्यूलिक सेंस पोर्टल (Qlik Sense Portal) ग्राहक संतुष्टि स्कोर (सीएसएटी) की निगरानी करता है जो हमारे बैंक के ग्राहकों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

हमारे कॉल सेंटर को नवीकृत किया जा रहा है और इस वित्तीय वर्ष में एक अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन एआई कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। कॉल सेंटर हमारे ग्राहकों हेतु 24x7x365 विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है।

25. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

बैंक का शाखा नेटवर्क भौगोलिक रूप से भारत और विदेश में काफी विस्तृत है। यथा दिनांक 31.03.2026 तक बैंक की भारत में 5511 शाखाएं थीं। बैंक के घरेलू शाखा नेटवर्क की संरचना निम्नलिखित है:

श्रेणी	31.03.2025		31.03.2026	
	शाखाओं की संख्या	कुल का %	शाखाओं की संख्या	कुल का %
महानगरीय	974	18.36	1022	18.54
शहरी	851	16.04	913	16.57
अर्ध-शहरी	1573	29.66	1642	29.79
ग्रामीण	1906	35.94	1934	35.09
कुल घरेलू शाखाएँ	5304	100	5511	100
डिजिटल बैंकिंग यूनिट	02	---	02	---

वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने 207 नई शाखाएं खोली हैं। नई खोली गई 207 शाखाओं का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-

महानगरीय	शहरी	अर्ध-शहरी	ग्रामीण	कुल
50	57	68	32	207

26. घरेलू अनुषंगी प्रबंधन प्रभाग:

बीओआई सर्विसेज लिमिटेड (बीओआईएसएल) (जो पूर्व में बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड था):

बैंक ने बीओआईएसएल में ₹6.65 करोड़ का निवेश किया है, जो बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। बीओआईएसएल, दोनों निक्षेपागार (डिपॉजिटरी)—नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

(एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के लिए निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के रूप में कार्य करती है। कंपनी ने अप्रैल 2024 में अपनी कॉर्पोरेट बीएसए गतिविधि भी शुरू कर दी गई थी।

बैंक ऑफ़ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. (बीओआईआईएमपीएल) तथा बैंक ऑफ़ इंडिया ट्रस्टी सर्विसिस प्रा. लि. (बीओआईटीएसपीएल) (पूर्व में बीओआई एक्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. तथा बीओआई एक्स ट्रस्टी सर्विसिस प्रा. लि.)

ये अनुषंगी, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विनियमन के तहत म्यूचुअल फंड और निवेश परामर्श सेवाओं के कारोबार में हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया रु.98.10 करोड़ के निवेश के साथ बीओआईआईएमपीएल और बीओआईटीएसपीएल में 100% शेयरधारक है।

बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि. (बीओआईएमबीएल) :

वर्ष 2014 में स्थापित, बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड, सामूहिक ऋण, बॉण्ड्स तथा डिबेंचर की व्यवस्था करने सहित मर्चेन्ट बैंकिंग कारोबार से जुड़ा है। यह बैंक की रु.10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड

1994 में स्थापित, एसटीसीआई फाइनेंस लि. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बैंक ऑफ़ इंडिया एसटीसीआई में 29.96% (रु.130.10 करोड़ का निवेश) धारिता वाला सबसे बड़ा हितधारक है। एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआईपीडी), एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। एसटीसीआईपीडी ने जून 2007 से परिचालन शुरू किया तथा यह देश के अग्रणी प्राइमरी डीलरों में से एक है।

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (सुड लाइफ)

अपने ग्राहकों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया तथा दाई-इची लाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स, जापान ने “स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी” संयुक्त उद्यमी का गठन किया है। कंपनी ने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार आरंभ किया। कंपनी में बीओआई की धारिता 27.48% (रु. 132.92 करोड़ का निवेश) है, यूबीआई की धारिता 25.10% तथा दाई-इची लाइफ आंतरराष्ट्रीय होल्डिंग्स की धारिता 47.42% है।

एसआरआईसी (इंडिया) लि.

को प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्गठन गतिविधियां करने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (एसयूटीआई) के विनिर्दिष्ट उपक्रम द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी में बैंक की हिस्सेदारी 26.02% (रु.27.60 करोड़ का निवेश) है।

निवेश/गठबंधन:

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (एनएआरसीएल) - आईबीए ने बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए समस्या के समाधान करने के लिए बैड बैंक स्थापित किया है। बैंक ने 9% धारिता के साथ एनएआरसीएल में रु. 247.50 करोड़ का निवेश किया है।

इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लि. (आईडीआरसीएल) - आईबीए द्वारा एनएआरसीएल को डेब्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करने हेतु आईडीआरसीएल की भी स्थापना की गई है। आईडीआरसीएल अपनी क्षेत्रीय विशेषज्ञता एवं टर्न अराउंड विशेषज्ञों की टीम के साथ विशेषज्ञता प्रदान करती है। बैंक ने 4% धारिता सहित कंपनी में रु.0.80 करोड़ का निवेश किया है।

नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएल) नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित है। इसे दिनांक 28.09.2004 को प्रतिभूतियों एवं कमोडिटीज की सुरक्षा, प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु संपार्श्विक प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। रु.3 करोड़ के निवेश के साथ कंपनी की इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 2.34% है।

स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्रा.लि. एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे स्विफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 9 प्रमुख बैंकों द्वारा संवर्धित किया गया है। स्विफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेयर 45% धारिता 9 प्रमुख बैंकों के पास है। कंपनी में रु.7.71 करोड़ के निवेश के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया की शेयर धारिता 2.81% है।

एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिपिडेट (पूर्व में एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एसएमईआरए)) की स्थापना वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान सिडबी द्वारा डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से की गई थी, जो वाणिज्यिक डेटा और एनालिटिक्स के अग्रणी प्रदाताओं में से एक है। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में तथा आसानी से ऋण की उपलब्धता होगी। रु.0.28 करोड़ के निवेश के साथ इसकी इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 1.96% है।

अन्य कार्यनीतिक निवेश :

बैंक ने निम्नलिखित संस्थाओं में भी कार्यनीतिक निवेश किया है:

(रु. करोड़ में, यथा 31.03.2026 तक)

कंपनी का नाम	बही मूल्य#	अंकित मूल्य
सिडबी	650.53	15.10
मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज लि. ऑफ़ इंडिया	0.00	5.00
ओएनडीसी	14.47	20.00
एनपीसीआई	10.00	10.00
इन्वेंट एसेट सिक्यूरिटाजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	5.35	4.00
एसबीआई डीएफएचआई लि.	29.99	4.42
सीईआरएसएआई	50.70	2.16
एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉरपोरेशन	1.82	1.26
सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लि.	39.92	1.03
पीएसबी एलायंस	1.76	2.00
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लि.	12.10	1.00
सीसीआईएल	14.09	0.50
यू.वी.एसेट रिकंस्ट्रक्शन कं. लि.	0.32	0.15
स्विफ्ट	1.81	0.14

- # भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 12.09.2023 को जारी “वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के स्पष्टीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन पर मास्टर निर्देश, 2023” के अनुपालन में, सभी निवेशों का प्रारंभिक मान्यता के समय उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया गया तथा तत्पश्चात उत्पन्न मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को दिनांक 01.04.2024 तक सामान्य रिजर्व में बदल दिया गया। तदनुसार, गैर-सूचीबद्ध कार्यनीतिक निवेशों का उचित मूल्यांकन ब्रेक-अपवैल्यू के आधार पर किया गया तथा निवेश का बही मूल्य दिनांक 01.04.2024 से संशोधित किया गया।

27. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

उत्तम कार्पोरेट सुशासन, धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। यह सच है कि धोखाधड़ी को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सक्रिय प्रेमवर्क के साथ, अन्य कारोबारी जोखिमों की तरह धोखाधड़ी जोखिमों का प्रबंधन कर उसे कम किया जा सकता है, जैसे कि -

- परिचालन मैनुअल एवं एसओपी द्वारा समर्थित बोर्ड - अनुमोदित नीति के अनुसार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार करना और उसका प्रबंधन करना,
- विनियामकों एवं बोर्ड को धोखाधड़ियों की समय से रिपोर्टिंग करना,
- प्रधान कार्यालय के हितधारक विभागों की मदद से धोखाधड़ी मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और निदान तथा उपचारी उपायों का कार्यान्वयन, साथ ही उत्पाद की कमियों के संबंध में जोखिम कम करने के लिए कदम उठाना।
- परिपत्रों/अनुदेशों के माध्यम से समान प्रवृत्ति की धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ी के कारणों की जानकारी देना ताकि शाखाओं में उक्त प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके,
- एमएमएस के माध्यम से टिकर्स/आवधिक संदेशों से शॉर्ट अलर्ट संदेशों के माध्यम से तथा अध्ययन एवं विकास विभाग के समन्वय से धोखाधड़ी को रोकने संबंधी प्रशिक्षण / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से कर्मचारियों को जागरूक करना।
- सीओआरएम अनुमोदित एसओपीसेकार्ड को छोड़कर जिसकी अलग समाधान के माध्यम से निगरानी की जा रही है, सभी नॉन-क्रेडिट सुपुर्दगी चैनलों को शामिल करने वाले इंटरप्राइज वाइड धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएम) को घरेलू शाखाओं एवं एक विदेशी केंद्रों के साथ कवर करते हुए लागू किया गया है,
- डिजिटल बैंकिंग विभाग के साथ समन्वय में, आवश्यक डेटा प्रदान करने के लिए एलईए द्वारा प्रबंधित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) पोर्टल पर काम करते हुए, ग्राहकों को और नुकसान से रोकने के लिए खातों को फ्रीज करना,
- शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों द्वारा विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईएएस) के पास शिकायतें दर्ज कराना।

- आईबीए (भारतीय बैंक संघ) के दिशानिर्देशों तथा एम.एच.ए. (गृह मंत्रालय) के निर्देशों के अनुसार एल.ओ.सी. जारी करना।

वर्ष के दौरान हुई घटनाएँ:

- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान रिपोर्ट की गई नई धोखाधड़ी की घटनाओं की राशि **रु.732.42 करोड़** (रु.1094.09 करोड़ की 12 धोखाधड़ी को छोड़कर जिसे पुनःजांच के बाद पुनः रिपोर्ट किया गया है) है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की घटनाओं की राशि रु.1073.4 करोड़ की तुलना में कम है (रु.375.42 करोड़ की 5 धोखाधड़ियों को छोड़कर, जिसे पुनः जांच के बाद पुनः रिपोर्ट किया गया था)। रु. 1094.09 करोड़ की राशि वाले बारह मामलों को दिनांक 27.03.2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार निष्क्रिय कर दिया गया था, हमारे द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पुनः जांच के बाद पुनः रिपोर्ट किया गया है। इसलिए, इन 12 मामलों को छोड़कर, जिनमें रु.1094.09 करोड़ की राशि शामिल है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल राशि केवल रु.732.42 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्टाफ की भागीदारी वाली आंतरिक धोखाधड़ी रु. 23.29 करोड़ की थी, जो रु. 732.42 करोड़ की रिपोर्ट की गई नई धोखाधड़ी का केवल 3.18% है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान I4सी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों/सूचनाओं के आधार पर, हमारे बैंक के ग्राहकों के खातों में प्राप्त राशि पर रु. 151.44 करोड़ का ग्रहणाधिकार अंकित किया गया। इसके अलावा हमारे बैंक के पीड़ित ग्राहक के लिए I4सी पोर्टल पर हमारी प्रतिक्रिया के अनुसार अन्य बैंकों द्वारा भी I4सी (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) पोर्टल पर साइबर धोखाधड़ी शिकायतों के निस्तारण के दौरान अपने ग्राहकों के खातों में रु.50.76 करोड़ का ग्रहणाधिकार अंकित किया गया।

28. सतर्कता प्रबंधन:

“सतर्कता प्रबंधन: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सामान्य निगरानी में, बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए, सतर्कता विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। घरेलू परिचालनों, विदेशी परिचालनों तथा अनुषंगियों में बैंक के अधिकारियों के सभी सतर्कता संबंधी मामलों को सतर्कता विभाग देखता है।

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यथा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के सतर्कता प्रशासन की देखरेख भी सतर्कता विभाग करता है।

सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है जिनको एक अतिरिक्त सीवीओ (एसीवीओ) एवं दो उप महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारी सहायता करते हैं जिन्हें परिचालन, अन्वेषण तथा अनुशासनात्मक मामलों के क्षेत्र में अनुभव है। परिचालनात्मक सहायता के लिए, सतर्कता विभाग ने सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय के सीधे नियंत्रण में प्रत्येक अंचल में एक सतर्कता अधिकारी तैनात

किया है। विदेशी केंद्रों में काम करने वाले समवर्ती लेखा परीक्षक, विदेशी शाखाओं के लिए सतर्कता अधिकारी की भूमिका निभाते हैं।

सतर्कता प्रशासन के सभी 3 कार्यप्रणाली जैसे निवारक, दंडात्मक तथा निगरानी संबंधी सतर्कता के मूलभूत आधार पर सतर्कता विभाग कार्य करता है तथा इसका लक्ष्य यह है कि संस्था की प्रबंधकीय दक्षता के स्तर को बढ़ाया। डीएफएस, डीओपीटी, सीवीसी द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों इत्यादि के सार को शामिल करते हुए सूचनाएं निवारक सतर्कता के अन्य संबंधित विषय के साथ-साथ समय समय पर फील्ड पदाधिकारियों/ कार्यालयों को परिचालित किया जाता है।”

29. विदेशी कारोबार विभाग

ऐसे वित्तीय वर्ष में, जो लगातार भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं एवं बदलती आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से प्रभावित रहा, बैंक ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। अपने विशेषीकृत फॉरेक्स बैंक ऑफिस तथा पूरे भारत में फैली 206 प्राधिकृत डीलर शाखाओं की व्यापक उपस्थिति का लाभ लेते हुए, बैंक विनियामकीय अनुपालन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विदेशी मुद्रा समाधान प्रदान करता है।

विकसित भारत विज़न के तहत 2030 तक निर्यात में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के राष्ट्र के लक्ष्य के साथ, बैंक अपने निर्यातकों हेतु “सिंगल-एवेन्यू” समाधान उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बढ़ते संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक के निर्यात ऋण में लगभग 10% की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का निर्यात कारोबार 10.49% बढ़ा, जो भारत की कुल निर्यात वृद्धि दर लगभग 6% से काफी अधिक रहा, जबकि समीक्षा अवधि के दौरान धन-प्रेषण कारोबार में 11.86% की वृद्धि दर्ज की गई।

- **केंद्रीयकृत विदेशी मुद्रा बैंक ऑफिस (एफईबीओ):** परिचालन में एकरूपता तथा अनुपालन मानकों का कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा परिचालन को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में केंद्रीकृत किया है। निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु मुंबई में एक समर्पित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) केंद्र भी स्थापित किया गया है।
- **एनआरआई हेल्प डेस्क:** अत्याधुनिक हेल्प डेस्क भारतीय प्रवासी समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उन्हें मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करती है तथा एनआरआई ग्राहकों के लिए परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है।
- **निर्यातक बैठकें:** बैंक ने देशभर के सभी प्रमुख निर्यात केंद्रों में आंचलिक अधिकारियों के साथ मिलकर निर्यातकों हेतु नियमित संवादात्मक सत्र आयोजित किए।
- **विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (एसआरवीए):** रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को समर्थन देते हुए बैंक ने वैश्विक कारोबार के महत्वपूर्ण गंतव्यों में 12 बैंकों हेतु एसआरवीए खाते खोले हैं।
- **विकास के डिजिटल प्रेरक:** आवक धन-प्रेषण के लिए स्ट्रेट

थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) लागू करके बैंक ने टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में उल्लेखनीय कमी की है। इसके अतिरिक्त, व्यापार वित्त प्लेटफॉर्म “FINASTRA” का चरणबद्ध कार्यान्वयन शीघ्र ही ग्राहकों को उनके कार्यालय से ही कारोबार-संबंधित लेनदेन हेतु डिजिटल अनुरोध प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करेगा।

- **मानव संसाधन क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन:** बैंक में प्रतिभा विकास हेतु परिचालन एवं कार्यनीतिक प्रशिक्षण निरंतर आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें एडी शाखाओं एवं एसएमईसीसी प्रमुखों के अधिकतम फील्ड अधिकारियों को शामिल किया जाता है, ताकि विदेशी मुद्रा ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जा सकें तथा अनुपालन संस्कृति को सुदृढ़ किया जा सके।

30. सरकारी कारोबार विभाग

सरकारी कारोबार विभाग पूरे भारत में केंद्र/राज्य सरकारों, पीएसयू और स्वायत्त निकायों के साथ बैंक की भागीदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। यह विभाग सरकारी बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें पेंशन वितरण, कर संग्रह, कोषागार परिचालन, डाक संव्यवहार और लघु बचत तथा निवेश योजनाओं जैसे लोक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, आरबीआई बॉण्ड आदि का प्रबंधन शामिल है।

यह विभाग सरकारी संगठनों हेतु खाता खोलने की सुविधा भी प्रदान करता है और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण का समर्थन करता है। अनुकूलित प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों और शाखाओं को समर्पित सहयोग के माध्यम से यह विभाग परिचालन दक्षता को बढ़ाता है और संस्थागत संबंधों को मजबूत करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सहित प्रमुख मंत्रालयों के लिए एक मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में, बैंक नवीन, ग्राहक-केंद्रित और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे राष्ट्र के शासन और आर्थिक विकास में योगदान करता है।

1. बैंक ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान दिया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 102021 लघु बचत खाते खोले हैं।
2. बैंक ने थल सेना, वायु सेना, नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल जैसे रक्षा और अर्धसैनिक बलों के सेवारत कर्मिकों और पेंशनभोगियों के वेतन खातों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. बैंक ने कुछ प्रमुख पीएसयू/पीएसई/रेलवे जैसे सेल, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के साथ-साथ बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों के कर्मचारियों हेतु वेतन संबंधी एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

4. बैंक ने केंद्रीय/राज्य सरकार के उमंग एप्लिकेशन की डिजिटल सेवाओं को बीओआई ओमनी नियो ऐप के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत एनईजीडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
5. बैंक को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से 'डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र शिखरों' में किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु एक प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ, जो डिजिटल सेवा वितरण में बैंक की मजबूती को दर्शाता है।
6. पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शुरू किए गए विभिन्न अभियानों में समग्र प्रदर्शन हेतु बैंक को दिनांक 12 सितंबर 2025 को सम्मानित किया गया।

31. ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग एवं केवाईसी-एमएल

साइबर-समर्थित धोखाधड़ी को कम करने एवं एमएल/सीएफटी ढांचे को मजबूत करने के उपाय

बैंक ने निम्नलिखित उपायों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित साइबर-समर्थित धोखाधड़ी, मूल खातों और जोखिमों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान देने के लिए अपने नियंत्रण ढांचे को मजबूत किया है:

- **MuleHunter.AI का कार्यान्वयन**

बैंक ने मूल खातों की पहचान के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा विकसित **MuleHunter.AI** को तैनात किया है। यह प्रणाली धोखाधड़ी और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल खातों को तत्काल में पता लगाने और तत्काल डेबिट फ्रीज करने को सक्षम बनाती है।

- **नए खोले गए खातों के लिए संव्यवहार निगरानी**

छह महीने तक की आयु वाले खातों के लिए वेग जांच लागू की गई है। खातों की पूर्व परिभाषित प्रारम्भिक सीमा अधिक होने पर जैसे यथा असामान्य संव्यवहार वॉल्यूम अथवा 2-3 वार से परे संव्यवहार घोषित वार्षिक टर्नओवर को चिह्नित किया जाता है एवं साथ ही पर्याप्त समुचित सावधानी के तहत तत्काल डेबिट फ्रीज किया जाता है। ईडीडी परिणामों के आधार पर, उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

- **रियल-टाइम वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई)**

बैंक ने डिजिटल संव्यवहार निगरानी के लिए एफआरआई को एकीकृत किया है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा प्रदान किए गए जोखिम स्कोर के आधार पर उच्च जोखिम के रूप में मूल्यांकित संव्यवहार को संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल अस्वीकार कर दिया जाता है।

- **एआई/एमएल-आधारित एमएल लेनदेन निगरानी प्रणाली**

आई4सी, एनपीसीआई और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) से प्राप्त अलर्ट के साथ सभी संव्यवहार, एआई/एमएल-

आधारित एमएल/सीएफटी निगरानी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं:

- एफआईयू-आईएनडी द्वारा निर्धारित 23 साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी 125 रेड फ्लैग इंडिकेटर (आरएफआई) के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है।
- शाखा स्तर पर संचालित 72 ऑफ़लाइन आरएफआई द्वारा समर्थित

उत्पन्न अलर्ट की जांच की जाती है, और खातों को ईडीडी के अधीन किया जाता है। प्रतिकूल निष्कर्ष वाले खातों को तुरंत डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है।

- **विनियामक रिपोर्टिंग और प्रवर्तन समन्वय**

मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण के संदेह से जुड़े मामलों में, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) समय पर एफआईयू-आईएनडी के साथ दायर की जाती है। बैंक जांच और प्रवर्तन कार्यों का समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से एफआईयू-आईएनडी और एलईए के साथ समन्वय करता है।

कुल मिलाकर, ये पहल वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करते हुए, प्रारंभिक पहचान, वास्तविक समय के हस्तक्षेप और नियामक अनुपालन के लिए बैंक की क्षमता को बढ़ाती हैं।

32. लाभांश वितरण नीति

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह हमारी वेबसाइट -

<https://bankofindia.bank.in/documents/20121/25744421/5-Dividend-Distribution-policy.pdf>

आभार:

बैंक का निदेशक मंडल (बोर्ड), भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड तथा अन्य विनियामकीय प्राधिकरणों के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं प्रतिनिधि बैंकों के सहयोग एवं सहायता के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। बोर्ड ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों, बॉण्डधारकों एवं शेयरधारकों को उनके असीमित सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही, बोर्ड बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए भी उनकी प्रशंसा करता है।

बोर्ड के निदेशकों हेतु एवं उनकी ओर से

ह/-

रजनीश कर्नाटक
एमडी एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 8 मई 2026

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. GLOBAL SCENARIO

The global economic landscape for CY2025 was defined by a persistent struggle between resilience and disruption. A sweeping wave of trade protectionism – centered on the United States' escalating tariff agenda collided with an otherwise stabilizing macroeconomic backdrop of easing inflation and softening interest rates.

Growth forecasts diverged sharply across institutions. The World Bank projected global GDP growth of 3.0%, while the IMF's January 2026 Report pegged global growth at 3.2% for 2025, reflecting private sector adaptability and technology driven investment, particularly in AI.

Global inflation continued its descent in 2025, enabling major central banks – including the US Federal Reserve and the European Central Bank to pivot towards monetary easing. However, the tariff induced price pressures and geopolitical flashpoints, including the Middle East tensions impacting energy markets introduced fresh uncertainty into the inflation trajectory. Policy uncertainty, trade fragmentation, and AI driven investment disruptions remained the dominant risk themes as the year closed.

2. DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

India emerged as a rare beacon of growth stability in an otherwise turbulent global environment. FY2025-26 saw the Indian economy power ahead with renewed vigor, building on the foundations laid in the preceding financial year and reaffirming its standing as the world's fastest growing major economy.

Real GDP growth for FY2026 is estimated at 7.4% under the revised national accounts series (base year 2022-23), released by MoSPI in February 2026, while Nominal GDP is expected to grow at 8.6%. The IMF identified India as the only major economy expected to record growth above 6% in FY2026, even as global trade faced significant disruption.

The growth engine was powered by a confluence of domestic factors: private consumption, which now accounts for ~61.5% of GDP, grew at ~7% - supported by low inflation, stable employment, and rising real incomes following personal income tax rationalization. Gross Fixed Capital Formation grew by 7.8%, reflecting accelerated government capital expenditure, which nearly reached 60% of the budgeted allocation by November 2025. A cumulative 125 basis point reduction in the RBI's policy repo rate since February 2025 complemented fiscal support through cheaper credit.

Despite US tariff headwinds, India's external sector held firm. Merchandise exports grew 2.4% during April-December 2025, while services exports expanded 6.5%. The current account deficit remained moderate at 0.8% of GDP in H1FY26. Gross GST collections set multiple all-time highs during the year, while direct tax collections tracked ahead of budget targets, signaling the underlying strength of the formal economy.

By sector, financial services, real estate and professional services led with 9.9% growth, trade and hospitality expanded by over 7%. Agriculture recorded a steady 3.1% growth, supported by a good monsoon and strong food grain output. The secondary and tertiary sectors together grew

above 10%, demonstrating the breadth of India's economic momentum.

On the policy front, FY2026 was marked by a decisive emphasis on fiscal consolidation and structural reform. The Union Budget 2025-26 committed to a fiscal deficit target below 4.5% of GDP, restructured personal income tax slabs to boost disposable incomes, rationalized GST rates, and channeled record capital outlays into infrastructure. Under the overarching Viksit Bharat 2047 vision, employment linked incentives, expanded ITI capacity, and support for working women were further reinforced, keeping human capital at the center of India's development narrative.

3. BANKING AND FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENTS

FY2025-26 was a year in which the Indian banking system demonstrated both maturity and adaptability. Capital buffers remained well above regulatory requirements, asset quality reached multi-decadal highs, and profitability held firm even as interest rate cycle shifted decisively toward easing. The system navigated the year with balance – sustaining growth without compromising prudence.

Gross Non Performing Asset (NPA) ratio of Scheduled Commercial Banks touched a historic low of 2.15% as of September 2025. Net NPAs stood at 0.5%, a reflection of the deep and proactive provisioning culture that has taken root across the system. Capital adequacy remained well cushioned, with the aggregate Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of PSBs improving to 16.6% as on 31.03.2026, providing a strong buffer against any emergency stress.

Profitability remained healthy at the system level through FY2025-26, even as the transmission of rate cuts introduced some pressure on the net interest margins. Return indicators moderated from their FY25 highs as repo-linked lending yields adjusted faster than deposit costs – a typical feature of an early easing cycle. Despite this compression, the overall earnings profile of the system remained comfortable, supporting continued balance sheet expansion and adequate provisioning buffers.

Credit growth witnessed a marked revival in FY2026. Non-food credit expanded 15.9% YoY, sharply higher than 10.9% in FY25, with aggregate outstanding credit reaching ₹212.9 lakh crore by March 2026. Growth was broad based: agriculture and allied credit grew 15.7%, micro and small industries surged 33.1%, and medium industries rose 21.7%. Key sectors driving industrial credit included infrastructure, basic metals, chemicals, petroleum related industries. This recovery was enabled by the RBI's accommodative monetary stance, surplus system liquidity, and government capex driving downstream credit demand.

On the deposit side, mobilization remained a challenge through much of the year, though it gathered pace towards year end. Despite this improvement, the system wide credit-deposit (CD) ratio stayed elevated – above 80%, reflecting the sustained pace of credit expansion relative to deposit accretion. This remains a structural challenge for the sector, as banks continue to navigate the trade-off between lending growth and funding stability. Net Interest Margins (NIMs) faced some compression as repo linked lending rates

adjusted faster than term deposit costs, making liability management a key priority for the year ahead.

The Reserve Bank of India's policy interventions during FY2026 were among the most consequential in recent years, and their impact on the banking system was both swift and wide ranging. The MPC delivered a cumulative 125 basis points reduction in the policy repo rate across 2025 – from 6.5% at the start of the cycle in February 2025 to 5.25% by December 2025, in a calibrated response to softening inflation and global uncertainty. The rate was subsequently held unchanged at 5.25% through early 2026, as the RBI assessed the evolving growth-inflation balance. Complementing the rate action, the RBI cut the Cash Reserve Ratio by a cumulative 100 basis points to 3%, injecting ₹2.5 lakh crore of durable liquidity into the system. Open Market Operations worth ₹6.95 lakh crore and forex swaps of ~\$25 billion further ensured that liquidity conditions remained supportive. With CPI inflation projected at 2.1% for FY26, well within the target band, the RBI demonstrated that an accommodative policy stance and price stability are not mutually exclusive. This gave the central bank room to support growth without compromising its inflation-targeting mandate.

On the regulatory front, the RBI maintained a vigilant eye on unsecured retail credit, where rising slippage rates in personal loans and credit cards warranted continued caution. This increase in risk weights on such exposures helped moderate overheating this segment. The proposed Expected Credit Loss (ECL) framework and revised project finance provisioning norms remained important medium term surveillance parameters for the system. On the inclusion front, the roll out of the revamped Central KYC system and the 'Grameen Credit Score' for rural borrowers – announced in the Union Budget were meaningful steps towards building a more granular and inclusive credit architecture.

Looking ahead, the banking system is well placed to support India's growth ambitions. A supportive rate environment, recovering private investment, infrastructure led capex, and a clean balance sheet set the stage for sustained credit expansion in FY2027. Governance discipline, compliance culture, and the careful management of emerging asset quality risks will, however, remain the sector's most critical watch points.

BUSINESS REVIEW :

1. RESOURCE MOBILISATION

There has been an overall growth of ₹ 20,450 Crore in CASA during FY 2025-26 with Y-O-Y growth of 7.30%. During the period, Saving Deposits have grown by ₹19,200 Crore registering Y-O-Y growth of 7.85%. Current Deposits have increased by ₹1,250 Crore with Y-O-Y growth of 3.51%. Term Deposit portfolio has grown by ₹ 82,746 Crore with Y-O-Y growth of 19.92%. Total Deposit portfolio has grown by ₹1,00,145 Crore with Y-O-Y growth of 14.30%.

A total of 60,990 new HNI Savings Customers with average balance of ₹5,00,000/- & above were added during the year resulting Y-O-Y growth of ₹6,268 Crore i.e. 6.56% in this segment.

Similarly, a total of 10,329 new Current Deposits of HNI customers with average balance of above ₹ 2,00,000/- were added during the year resulting Y-O-Y growth of ₹ 590 Crore i.e. 2.70% in this segment.

With continued focus on CASA & thrust on customer acquisition, CASA Ratio of the Bank stood at 37.64% at the end of FY 2025-26.

During the year, Bank has launched a strategic business plan named "Star Udaan" for transformation of Bank's CASA and Term Deposits which will strengthen Bank's position in liability portfolio.

2. ADVANCES:

Bank's Global Gross Advances grew from ₹6,66,047 Crore as of 31.03.2025 to ₹7,71,391 Crore as of 31.03.2026, reflecting a strong year-on-year growth of 15.82%. Gross Domestic Credit saw a steady rise of 16.10%, increasing from ₹5,63,550 Crore to ₹6,54,292 Crore over the same period. Gross Corporate Credit grew from ₹ 2,40,874 Crore as of 31.03.25 to ₹ 2,69,965 Crore as of 31.03.26., thereby showing a growth of 12.08% Y-o-Y.

To better serve the evolving needs of the Corporate especially the Mid-Market segment, we have significantly strengthened our specialized delivery channels. In addition to our nine dedicated Large Corporate Branches, during FY25-26, we established 9 new Emerging Corporate Credit Branches (ECCBs) at key economic hubs, taking our total ECCB count to 19. This specialized network allows us to provide localized, expert-led financial solutions while maintaining a sharp focus on increasing our wallet share within the corporate ecosystem.

With an intent to support national goal of green energy, Bank has established a dedicated Green Financing Cell. This specialized unit focuses on promoting sustainable investments, facilitating funding for eco-friendly projects; and driving financial solutions that contribute to a greener economy. By prioritizing green finance, Bank is actively supporting businesses and initiatives that align with the country's clean energy transition. Strengthening this commitment, we have entered into strategic MoU with NABARD. These partnerships leverage collective expertise to co-finance large-scale sustainable initiatives and drive financial solutions that accelerate the country's sustainable energy transition.

Further to support the country's mission of fostering a digital economy, Bank has enhanced the issuance of Electronic Bank Guarantees, ensuring faster, more secure, and efficient transactions. We have on boarded PSB Alliance for online issuance of Balance Certificate to the Auditors and Auditee. Additionally, we are actively working on multiple fronts to digitize service availability for our corporate clients, streamlining processes and improving accessibility. These efforts reinforce our commitment to adopt technological innovation, increasingly help businesses navigate the digital transition with ease and reliability.

3. RETAIL:

Retail credit portfolio of the Bank increased from ₹ 1,33,699 Crore as on 31/03/2025 to ₹ 1,62,025 Crore as on 31/03/2026, registering Y-O-Y growth of 21.19% with an increase of ₹ 28,326 Crore. We continued with our special focus on Home Loan, Vehicle loan and LAP segments during the year.

The Home loan segment recorded a growth of 16.74% from ₹ 67,826 Crore to ₹ 79,178 Crore during the year. The Vehicle Loan segment recorded growth of 18.72% from ₹ 20,828 Crore to ₹ 24,726 Crore during the year. Tie-up arrangements with auto manufacturers for vehicle loans during the year helped to increase vehicle loan portfolio.

Our Bank has approved Special Concessions for our retail products to the employees of corporate borrowers and the employees of other PSUs/ PSEs/ Reputed Corporates/ Institutions under tie-up arrangement with employers. Concession in ROI on Personal/HL/ Vehicle/ Education loan have been approved for Central Government Employees under Elite Salary Savings Account.

In Retail loan, the growth is contributed mainly by three major loan segments like Home Loan, Vehicle loan and LAP. We are focusing more on takeovers and acquisition of customers. In addition, we are focusing on Loan against mortgaged properties for increasing share of secured retail portfolio. Our focus for current year will be reducing dependency on BSA and increase of direct leads through branch/ marketing team and further increase in percentage of salaried profile under retail loan.

We are also focusing on growth of Education Loan segment through attractive product features.

We have end to end integrated our LOS with PM Surya Ghar Portal for PM Surya Ghar scheme and with PM Vidyalakshmi portal for Education loan. Further, we have introduced digital journey for all retail loan products viz. Personal Loan, Vehicle Loan, Education Loan, Loan against property and Home Loan during the year. End to End - STP journey for PM Surya Ghar and BOI Star Affordable Home Loan is on advanced stage of development and both these STP journey will be rolled out soon.

4. MSME (MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)

The MSME sector is the backbone of Indian economy and plays an important role in the employment and income generation, adding to the decentralized growth of the economy with low per capita investment. MSME Sector contributes 30% to India's GDP, 45% to manufacturing output and around 45% of total exports.

During FY 2025-26, Bank has achieved Total MSME growth of ₹16,021 cr. (17.68%).

The growth has been supported by new business generations under Bank's flagship Schemes like Welcome Offer, Asset Backed Loan, Doctor Plus Scheme, THALA etc. and it would be aided by lending under Pool-Buyout, Co-Lending, TReDS and Supply Chain Finance.

The performance under MSME segment of the Bank is as under:

₹ in Crore

GROSS MSME ADVANCES (EXCLUDING PWO & URI)					
Particulars	Mar-25	Dec-25	Mar-26	Growth YOY	Growth YOY (%)
GROSS MSME	90,639	1,03,191	1,06,660	16,021	17.68%

Total Gross MSME increased from ₹90,639 crore to ₹1,06,660 crore having Y-o-Y growth of ₹16,021 crore (17.68%).

Highlights of FY 2025-26:

- As on 31.03.2026 MSME portfolio having total accounts 13,93,499 with Gross amount outstanding of ₹1,06,660 crore.
- The total NPA in MSME segment is ₹16,912 crore.
- Delinquencies in MSME book of our bank with respect to GNPA has gone down from 8.23% on 31.03.2025 to 4.96% on 31.03.2026.
- During the financial year 2025-26, in MSME 2,19,753 new accounts have been added with sanctioned limit of ₹39,141 crore. These new accounts have contributed ₹28,475 crore to the MSME book.
- Under Mudra loan bank has disbursed ₹11,585 crore, out of total sanction of ₹12,376 crore in FY 2025-26.
- Bank of India has received prestigious SKOCH Gold Award for MSME growth, MSME Banking Excellence Award 2025 (CIMSME) and Award for Best Digital Adoption under CGTMSE.
- ECCB:** In order to give the boost to Mid Corporate Segment and to expand banks share in this segment the approval has been given for opening of 10 new ECCBs (Emerging Corporate Credit Branches) in addition to existing 10 ECCBs. As on 31.03.2026 total 20 ECCB branches are operational.
- Bank in coordination with CRISIL has launched "Project Saksham". The project is undertaken to improve our sector specific knowledge and to develop financial solutions for cluster based finance scheme and capacity building of selected officers.
- E-Platform:** Bank has successfully implemented e-platform for processing of loan through digital medium. Mudra loans has already been processed through branch & web journey. The facility of processing of MSME loan having sanction limit of ₹10.00 Lakh to ₹ 7.50 crore. on E-Platform is also successfully implemented. Digitisation of process help to reduce T-A-T & improve underwriting quality
- New Products:**
 - **"Star Gurukul Loan"** is a product introduced by bank to cater financial needs of educational institutes with simplified assessment and offering. The scheme aims to strengthen the education ecosystem by providing financial assistance for infrastructure development, modernization, and expansion.

- A new MSME product, “**BOI STAR Professional Loan**” has been introduced. It helps to cater instant financial credit needs of professionals like Chartered Accountants, Company Secretaries, Cost & Management Accountants, Architects & Engineers.
- “**Star Gig Grow Loan**” a new product has been launched to cater the business related credit needs of Gig workers.
- As an alternative method of lending “**STAR DIGI BIZ Loan**” scheme has been launched to provide end-to end digital loan product for working capital funding.
- The flagship products like BOI Star Asset Backed Loan, BOI Star Vehicle Express, BOI Star Equipment Express and BOI Star Contractor Loan has been modified in terms of quantum of finance and in line with industry business standard.
- **Champion Sector:** Bank has identified Tourism, Hospitality & Logistics as champion sector. Bank has developed, “MSME THALA” product under champion sector specific products.
- During FY 2025-26 Memorandum of Understanding has been signed with TATA Hitachi, Bajaj Electrical, Cash Invoice for Supply Chain Finance for strengthening business.
- **Green Energy Financing:** To promote green financing, tie-ups have been undertaken with Tata Power for solar energy projects. Further, financing support for MSMEs is being extended under **MSME GIFT** (Green Investment & Financing for Transformation) and **MSME SPICE** (Scheme for Promotion & Investment in Circular Economy) initiatives in association with SIDBI, with the objective of encouraging a green and circular economy. The bank has signed Memorandum of Understanding with SIDBI for implementation of MSME GIFT & MSME SPICE schemes.
- To promote adoption of energy efficient technologies, bank actively encourage financing under **ADEETIE** (Assistance in Deploying Energy Efficient Technologies in Industries & Establishments) scheme.
- **Sunrise Sector:** Bank is also keen to promote financing under sunrise sectors like semiconductors, Renewable energy, EVs (Electric Vehicles).
- Bank has made major changes in MSME Credit at bank level as a response to Government of India's flagship initiative programs such as Make in India, Start Up India, PMMY, DJAY, Digital India, Atmanirbhar Bharat etc.

5. AGRICULTURE FINANCE:

a) Priority Sector Advances:

- The bank is serving for the upliftment of the agriculture and priority sector, through its network of rural and semi-urban branches.
- As of 31.03.2026, the Bank's total Priority Sector Advances stood at ₹2,47,393 crore (46.08% of March-26 ANBC).

- Advances under the Agriculture sector amounted to ₹1,03,974 crore (19.37% of March-26 ANBC), of which lending to Small and Marginal Farmers (SF & MF) is ₹73,130 crore (13.62% of March-26 ANBC).
- Under the MSME sector, total outstanding advances were ₹1,06,311 crore, of which Micro Enterprises contributing ₹51,086 crore (9.52% of March-26 ANBC).
- Outstanding exposure under Education Loans stood at ₹2,805 crore, Housing Loans at ₹34,192 crore, and other Priority Sector Advances at ₹14 crore.
- The Bank has successfully achieved all regulatory targets for FY 2025–26 across key segments, including Priority Sector Lending, Agriculture, Small and Marginal Farmers, MSME (Micro), and lending to Weaker Sections.

(Amt in ₹ Crore)

Particulars	Actual O/S Level March-25 (Audited)	Actual O/S Level Dec-25 (Audited)	Actual O/S Level March-26 (Audited)	Y-O-Y Growth (Mar 25/ Mar 26)		% of Mar-26 Qtrs. ANBC	Regulatory Requirement
				Amt	%		
ANBC	4,73,348	5,25,971	5,36,823				
1) Agriculture	1,00,126	1,02,119	1,03,974	3,848	3.84	19.37	18.00
2) Small & Marginal Farmers	58,185	71,961	73,130	14,945	25.69	13.62	10.00
3) Micro Enterprises	46,215	50,854	51,086	4,871	10.54	9.52	7.50
Priority Sector	2,13,227	2,41,743	2,47,393	34,166	16.02	46.08	40.00

(Total Priority Sector Advances are net of PWO, URI, RIDF and PSLC)

- During FY 2025–26, the Bank disbursed ₹88,673.54 crore under Agriculture, out of which ₹66,678.78 crore was extended to Small and Marginal Farmers(SF & MF).
- Our Bank also undertook PSLC transactions, selling of ₹11,980 crore under PSLC–SF & MF, with no purchases under PSLC–Agriculture. Net earnings from PSLC trading amounted to ₹253.31 crore (inclusive of GST) during the year.
- The Bank issued 1.50 lakh Kisan Credit Cards during the year, facilitating disbursements of ₹10,781.88 crore.
- Bank's credit exposure to Minority Communities stood at ₹30,865 crore, representing 11.32% of Priority Sector Lending.
- Amount outstanding under Weaker Sections is ₹92,778 crore(17.28% of March-26 ANBC).

- Further, the Bank's exposure to Food and Agro-based Industries stood at ₹12,163 crore.

b) Gold Loan: The Bank's Gold Loan portfolio recorded an incremental growth of ₹18,070 crore during FY 2025-26, reaching an outstanding level of ₹53,409 crore as on 31.03.2026..

c) Self Help Groups (SHGs): Bank has customer base of 6.90 lakhs Self Help Groups (SHGs), out of which 3.57 lakhs SHGs are credit linked including 3.35 lakhs women SHGs as on 31.03.2026.

d) National Rural Livelihood Mission (NRLM): Under the NRLM initiative, a key poverty alleviation programme for rural households, the Bank sanctioned ₹3,987 crore to 52,623 SHGs during FY 2025-26.

e) Agriculture Processing Centers (Star Krishi Vikas Kendra (SKVK) & Agri Desk)

- To harness the potential available in cluster areas for substantial and sustainable quality growth of Agriculture credit in general and investment credit in particular while ensuring adherence to Turnaround Time (TAT), Star Krishi Vikas Kendras (SKVKs) have been established.
- Presently, 164 SKVKs are functional in 63 Zones across all 13 FGMOs tagged with 3,629 branches including 2,999 Rural / Semi Urban Branches for the processing of loans.
- SKVK disbursed ₹ 14,994 crore during FY 2025-26.
- Additionally, 69 Agri Desks are operationalized in Zonal Office Credit department for focused & quality-driven growth in agriculture segment specially to cater Food and Agro and Agri Infra business.
- Agri Desk disbursed ₹ 3,928 crore during FY 2025-26.

6. FINANCIAL INCLUSION:

Bank considers Financial Inclusion as a viable business proposition and has shifted outlook from "CSR" to "economic viability". ICT based solutions to support and secure sufficiently low cost transactions are required by the financial sector. Financial inclusion drive gained momentum with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) programme. Bank has provided banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondent model.

PMJDY and Social Security Schemes:

During FY25-26, 13.73 Lakh PMJDY accounts were opened. Bank has also actively participated in Social Security Schemes launched by Govt. of India. During the year (2025-26), Bank has covered 19.22 Lakh accounts under PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) and 12.05 Lakh accounts under PMJJBY (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) in this period. 4.52 Lakh new APY subscribers (Atal Pension Yojana) have been enrolled by the Bank in FY 2025-26.

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL)

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL)-PMSVANidhi was launched in June 2020 to provide hassle free Working Capital Demand Loan (WCDL) up to 10,000/-, repayable in 12 EMI to street vendors under Tranche I. Second Tranche under PMSVANidhi was for those street vendors who repaid their 1st PMSVANidhi Loan. Under Tranche II, WCDL upto ₹20000/- (minimum ₹15000/-) - repayable in 18 months installments was provided to street vendors. Under Tranche III, WCDL up to ₹50000/- (Minimum ₹30000/-) - repayable in 36 months installments has been provided to street vendors.

Since September 2025, Scheme has been revised. Revised Limits are as below :

Revised Scheme (PMS 2.0) (From Sept'2025)	
1st Loan-	₹15,000 (Repayable in 12 Months)
2nd Loan-	₹25,000 (Repayable in 18 Months)
3rd Loan-	₹50,000 (Repayable in 36 Months)

Additionally, Rupay Credit card up to limit of ₹30000/- also has been introduced for SVs who have repaid Second Tranche Successfully.

Till 31/03/2026, we have sanctioned 7.79 lakh cases (91.86%) out of 8.48 lakh applications received, with total disbursement in 7.66 lakh cases (98.33% of sanctioned applications).

PM VISHWAKARMA

In September 2023, PM VISHWAKARMA was launched for the artisans and craftspeople, who work with their hands and tools, are usually self-employed and part of the informal or unorganized sector of the economy. These individuals are referred to as 'Vishwakarmas' and are primarily engaged in occupations like Blacksmiths, Goldsmiths, Potters, Carpenters, Sculptors etc. These skills or occupations are passed from generation-to-generation following a Guru-Shishya model of traditional training and it is aimed to ensure that these are integrated with the domestic and global value chains. It is the goal to offer holistic end-to-end support to the Vishwakarmas (18 trades), i.e. the artisans and craftspeople, to enable them to move up the value chain in their respective trades. The Scheme is being implemented by the Ministry of MSME, DFS & Ministry of Finance. MoMSME is the Nodal Ministry for the Scheme. PM Vishwakarma is initially implemented for five years up to 2027-28. Loan up to ₹ 1,00,000/- is provided at 5% interest rate (fixed) in 1st Tranche, repayable in 18 months. Loan up to ₹ 2,00,000/- is provided at 5% interest rate (fixed) in 2nd Tranche, repayable in 30 months. The beneficiary will be eligible for 2nd tranche when first tranche loan is fully repaid. Further, the second loan shall not be granted before six months of the disbursement of first tranche loan. MoMSME will provide interest subvention upto 8% to the Bank as upfront.

Till 31/03/2026, we have sanctioned 22660 applications (80%) out of 28260 eligible applications and disbursed 19812 applications (87%).

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs):

Bank is sponsoring 44 RSETIs across the states of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal to impart training to Rural Youth. During the Financial year 2025-2026, RSETIs have conducted 1550 training programs and imparted training to 45,192 candidates ensuring settlement of 74.00% (33441) and providing credit linkage to 60.31% (19940) candidates to enable them for gainful employment. Out of 44 RSETIs, 43 RSETIs are graded in "AA" category for FY 2024-25 by MoRD and one is a new RSETI, which is exempted from grading upto next two years.

Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCC)

FLCC/ FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban centres at district locations, where Bank is having Lead Bank responsibility. Bank's total 50 FLCs are functional in all 49 Lead districts and one is in Non-Lead district centre. The FLCs, in addition to imparting training, also undertake remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars. Till 31st March 2026, total 20.68 lakh needy distressed people were given counselling in 52,123 camps.

Centre For Financial Literacy (CFL): Pilot Project

In terms of communication dated December 10, 2020 from RBI, we have been advised that RBI had announced expanding the reach of CFL to every block in the Country in phased manner by March 2024. We have been associated as one of the sponsor banks since initial implementation of CFL Pilot Project which stands scaled up w.e.f. 01.12.2021. We were entrusted responsibilities for sponsoring of total 186 CFL, funded from Depositor Education and Awareness (DEA) / Financial Inclusion Fund (FIF) with some portion to be funded by sponsor bank. Accordingly, we have opened / scaled up 186 CFLs in five States (Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh & Uttar Pradesh) in collaboration with RBI Identified Five NGOs from 1st December, 2021. Put together, all 186 CFL have conducted 2,63,464 camps and total 88,82,261 distressed people have been counselled up to 31.03.2026..

Regional Rural Banks:

Post amalgamation, we are sponsoring only one RRB, Madhya Pradesh Gramin Bank (MPGB) in Madhya Pradesh after merger with Madhyanchal Gramin Bank, covering 55 districts with a network of 1320 branches as on 31.03.2026. MPGB is managed by the Chairman deputed from Bank of India and the performances are being monitored by General Manager FI & RRB (Div.) from Head Office. All the branches and administrative offices of MPGB are on CBS platform with system generated report facility. MPGB is enabled on RTGS, NEFT and ATM platforms. Our RRB has a business mix of ₹58,931.29 Crore as on 31.03.2026.

Lead Bank Scheme:

Our Bank has Lead Bank responsibility in 49 districts of the country across five states (spread over 21 Zones), details of which are as under:

S. No.	Name of State	No. of Lead Districts	Name of Lead Districts
1	Jharkhand	15	West-Singhbhum, Seraikela-Kharsawan, Ranchi, Bokaro, Dhanbad, Ramgarh, Hazaribagh, Gumla, Lohardaga, East-Singhbhum, Koderma, Chatra, Giridih, Simdega and Khunti
2	Maharashtra	12	Gadchiroli, Kolhapur, Bhandara, Sindhudurg, Nagpur, Raigad, Sangli, Wardha, Ratnagiri, Chandrapur, Gondia and Solapur
3	Madhya Pradesh	13	Bhopal, Sehore, Khandwa, Khargone, Rajgarh, Dhar, Agar-Malwa, Burhanpur, Dewas, Barwani, Indore, Ujjain and Shajapur.
4	Uttar Pradesh	07	Barabanki, Unnao, Lucknow, Hardoi, Farrukhabad, Mainpuri and Kannauj
5	Odisha	02	Mayurbhanj and Keonjhar

a) Main functions envisaged for LDMs:

- Monitoring the implementation of the District Credit Plan
- Associate with the setting up of Financial Literacy Centres (FLCs), RSETIs by banks
- Associate with organizing financial literacy camps by FLCs and rural branches of banks
- Holding annual sensitization workshops for banks and Government officials with participation by NGOs/ Panchayati Raj Institutions (PRIs)
- Arranging for quarterly awareness and feedback public meetings, grievance redressal etc.
- Convening meeting of DCC/ DLRC/ BLBC in their districts/ blocks
- Organizing periodical meetings of DDM/ LD/ Government Officials for resolving outstanding issues
- Flow of credit to priority sector and weaker sections of the society
- Timely submission of data to SLBC/ Government/ NABARD/ RBI
- Review of relief measures (in case of natural calamities wherever applicable)
- To act as business facilitator for growth of Bank in the district.
- Monitoring of progress under 4 KPIs (CASA, PMJJBY, PMSBY and APY) in Aspirational Districts.

Under Lead Bank Scheme, the Bank is assigned the role of coordinating the efforts of all lending institutions for a planned growth through branch network and credit deployment in the districts for sustainable growth to meet the social objectives in terms of GOI guidelines. In nutshell, Lead District Manager acts as a catalyst between the Government and Financial Institutions. LDMs are extended arm of banks for coordinating between District Administration, NABARD, RBI, other formal & non-formal agencies directly or indirectly involved in the development of the District.

7. INTERNATIONAL

The Bank has 22 Overseas Branches, 1 Representative Office at Jakarta (Indonesia), 4 Subsidiaries, 1 Associate/Joint Venture, all spread across 15 countries in 5 Continents of all time zones. The contribution of foreign operations in Bank's global business mix has been **14.36%** as on 31.03.2026.

Overseas Subsidiaries and Associates:

- i) PT Bank of India Indonesia Tbk
- ii) Bank of India (Tanzania) Ltd
- iii) Bank of India (New Zealand) Ltd
- iv) Bank of India (Uganda) Ltd
- v) Indo-Zambia Bank Ltd. (IZB) - Joint Venture

8. CREDIT MONITORING:

Monitoring of the credit portfolio is essential in order to maintain and improve the asset quality of the bank and minimize credit risks. The main objective of Credit Monitoring is to safeguard the quality of loan portfolio and minimize the risk of loan turning into Non-Performing Assets (NPAs). It has to endeavor for roll back of identified stressed accounts/watch list accounts in standard category. The Department is using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness/potential default/delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively.

Tools for efficient monitoring & control process:

Zonal Collection Centre (ZCC):

Zonal collection Centre (ZCC) was formed in August 2023 in all the Zones. The primary objective of the ZCC is to focus on reduction of SMA and DNPA by timely collection of dues and various matters of credit monitoring to be carried out by other officials in CrMD of the Zones. The ZCC will be responsible for SMA account of ₹25 lakh and above, with target of roll back of SMA to regular category.

They are required to educate and counsel the borrowers regarding consequences of account moving to SMA category with emphasis on deteriorating credit scores and lesser power to negotiate loan amount and interest rates. ZCC members are also required to insist on the borrower to pay the entire overdue and the critical amount. Prompt repayment will lead to better credit scores and ability to negotiate for better rate of interest. ZCC members should also insist the borrower to shift their primary operative account to our Bank. They should also insist for takeover of business accounts of retail borrowers.

If the borrowers are not able to shift their primary operative account to our Bank, the ZCC members should obtain ECS/NACH/e-NACH.

For accounts with exposure less than ₹ 25.00 lakh, the main responsibility of follow-up lies with the Branches, however, if necessitated, they are permitted to avail the services of ex-Staff and BC's and suitable instructions were given to the field functionaries for the same.

Introduction of in-house MIS System - Qlik:

With the support of HO IT & MIS, we have introduced in-house reporting system (BOI-Pulse) to avail the daily position of SMA & DNPA data on daily basis to the field functionaries. In addition to this information pertaining to our Department, seventeen reports were made available in the module viz., Latest SMA, Repetitive SMA, Valuation Expiry, Stock Statement Expiry, Review Expiry, Future Demands in TL/DL etc., to enable the FGMS / Zone / Branches to take benefit of readymade information for their effective monitoring of advances. We are developing, predictive models using AI & ML for identifying pre delinquency in the RAM accounts. The Model is developed based on data factors like Borrower behavior predicting SMA which takes into account historical data such as Timely repayment, repeated SMA, avg balance outstanding, cheque bounce. Model for MSME accounts has been made live based on CBS data and to enhance model maturity by incorporating external data fields like CIC data.

SMA Monitoring:

Apart from SASCL, focus is there on SMA monitoring. Branches have been made disciplined to start monitoring SMA 0 accounts so that the remedial actions can be taken at initial steps and the concerned account do not move further to SMA 1 or SASCL.

Reminder calls from Call Centre:

A dedicated team of 100 people deployed at our call Centre is working for Monitoring of advances. They are engaged in outbound calling for SASCL & SMA borrowers.

Collection Management System (CMS):

We have already implemented Collection Management System, which will help us in managing SMA/DNPA portfolio by providing Digital Platform to Branch officials. Following are the scope of work:

1. SMA Risk Gradation
2. SMA/DNPA account list with all relevant information like overdue amount/address/Contact Details etc.
3. Tracking of SMA movement (Roll Forward/Backward)
4. Updating of Collection actions & Customer response, including Promise to Pay (PTP)
5. Visibility of past communication
6. Pushing of reminder SMS/IVR/email to the borrower
7. Suggestive corrective action
8. Integrated with Call Centre to capture customer response through outbound calling
9. Geo tagging & Suggested next visits based on field officer location
10. MIS for Branch/ZO/NBG/HO for better monitoring

Collection in SMA account through Pay-link: To strengthen our Recovery in SMA accounts, Bank share customized Pay-link in Reminder SMS/Whatsapp to the SMA borrower to make instant payment through multiple payment channel. We also initiated UPI payments for the loan accounts to enable instant and frictionless collection from borrowers

System Asset Classification (SASCL):

A predictive program in identifying the probable slippages showing overdue of more than two months' period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock statement over three months insufficient/ no credit in CC accounts etc. This may cause downgrading of accounts if timely corrective action is not taken. These accounts are monitored specifically by various verticals for containment of downgrading of standard assets. A new SASCL format has been devised which is more user friendly and will provide more focused information to the field. Going forward, we have moved to daily generation of SASCL and marking of NPA. At present, NPA identification and marking is taken place on daily basis. The SASCL Data is circulated on monthly basis at the beginning of the month and also Daily SASCL Reports are circulated on daily basis along with maintaining the same in internal 'Garuda' folder for access of everybody. Generally, the accounts are identified from the List of Accounts as per the Daily SASCL Reports, but while NPA marking at the EOD, all the accounts are verified and the accounts, other than the Daily SASCL are also marked, if eligible under the IRAC&P Norms, due to any modification/changes carried out during the day.

Daily marking of NPA:

The Bank has migrated to daily marking of NPA w.e.f. 15.04.2021 to have more transparency in identification of NPA & for compliance of regulatory guidelines.

IRAC&P Automation:

RBI vide their Circular No: RBI/2020-21/37 Ref No: DoS.CO.PPG./SEC.03/11.01.005/2020-21 dated 14.09.2020 advised all the Banks to put in place and upgrade their Systems by 30.06.2021 to fully automate the processes for identification, Income recognition, Asset classification of advances / investments as NPA / NPA, provisioning and generation of related returns. Accordingly, we have implemented the Automation of IRAC&P Norms in our Bank. Deloitte has conduct the Audit for the same.

Early Warning Signal:

A fully tech based EWS solution is implemented in our Bank since August 2020. Our EWS is fully automated solution with in built well defined work flow. Alerts are generated based on both internal (CBS and Rating Data) and external Data (MCA, CIC etc). The generated alerts help the Bank for identifying incipient weakness and initiate proactive timely remedial measures. The solution helps the Bank in early identification of Fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches for close monitoring of accounts. At present, EWS alerts are being generated in the accounts with exposure above ₹ 1.00 Crore.

Credit RFA/ Fraud examination:

RBI issued master direction on Fraud Risk management dated 15.07.2024 for Banks. Accordingly, based on the EWS and other aspects accounts are marked as RFA and

subsequently, examined from Fraud angle based on internal/ external audit. Thereafter, the process of fraud examination is completed and decision is taken within the regulatory timeframe.

CRILC Reporting:

Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's revised guidelines, stressed accounts with credit limit of ₹ 5 Crore and above are reported to RBI on CRILC platform on weekly/monthly basis.

End to end collection Services:

With adherence to the Industry best practices and EASE 8.0 suggestive reform agenda, we are considering to outsource collection activity by onboarding collection partner. In this regard, we have given the Bank's consent to participate in shared collection platform run by PSB Alliance under DFS direction.

Under this initiative, we will get facilitated with Feet on Street services for collection in RAM Accounts having exposure upto ₹5 Cr and DPD more than 30 days. In this regard approval has been taken by the competent authority and the same is conveyed to PSB Alliance. At present, Expression of Interest (EOI), floated by PSB Alliances to explore the number of participants and services available. Accordingly, RFP floated

Credit Inspection:

A system of review of Accounts through credit inspection has been put in place for review of Accounts with limit of ₹ 5 Lakh.

Credit Process Audit (CPA):

Credit Process Audit is to ensure compliance of Pre and Post disbursement terms of sanction terms / covenants, where in the disbursing officer, before parting with the Bank's funds, has taken all necessary measures for creation/perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities. Now, CPA in Finacle is already integrated to monitor in real-time.

PSRS Scrutiny & Certificate:

PSRS is an important tool to evaluate and ensure the quality of sanction/ appraisal which has a bearing on the asset portfolio and in turn a healthy bottom-line of the Bank. We also timely conduct Post Sanction Review System Scrutiny for all Accounts with exposure of ₹5 Lakh and above in respect of sanctions accorded at FGMO level and also ensure that this exercise is conducted at FGMO and Zonal level. We also made available PSRS statement in Qlik Portal.

Stock Audit:

We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/preventive steps wherever warranted. The stock audit is presently applicable to standard advance accounts having working capital exposure of ₹5 crore and above. It is required to be conducted annually. Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels through Tele / Video conferencing.

A new menu for stock audit (STKADT) has been developed in Finacle for stock audit MIS, which will enable us to get

timely information about the status of Stock Audit in any applicable account.

Monitoring of Restructured Accounts (RFCRS portfolio):

To guard the asset quality of accounts restructured under RFCRS, a dedicated team is formed at Head Office, FMGO and Zonal Office level/Zonal Collection Centre, which ensures close monitoring of RFCRS accounts. Apart from the same, SMS are being sent from HO level to all RFCRS borrowers including the DNPA borrowers with enhanced monitoring of the account the portfolio is being reduced by regular payment.

Agencies for Specialised Monitoring (ASM):

As per IBA guide lines ASM (Agencies for Specialised Monitoring) is appointed in accounts having total Banking exposure of above ₹250 Crores and accounts with exposure of a specialised nature except in some exempted category accounts like Navaratna Accounts and PSU / Government Guaranteed accounts. We are also engaging services of ASM in stressed accounts wherever required.

Other monitoring tools:

- Centralized monitoring of Pre-disbursement & post disbursement covenants implemented for strengthening Compliance level.
- Policies are in place for Red Flagging of accounts on observance of EWS & examination of Fraud angle within a specified timeline in terms of regulatory guidelines. Prompt reporting is ensured once account is declared fraud, in RBI's CRILC platform.
- Whatsapp, SMS & IVR are being sent to SMA borrowers and CC/OD & TL borrowers for repayment intimation. In addition to this, SMS are being sent in vernacular languages as well.
- Separate list of accounts where review is overdue for more than a month and where stock statement is due for more than a month is being provided to branches on a monthly frequency for aversion of technical slippages.

9. NON-PERFORMING ASSETS

NPA Reduction & Performance Metrics

(₹ Crore)

Parameter	Mar'25	Mar'26
	Actual	Actual
Gross NPA	21,749	15,306
Net NPA	5,359	4,250
Gross NPA (%)	3.27%	1.98%
Net NPA (%)	0.82%	0.56%

- On a Year-on-Year (y-o-y) basis, Gross NPA improved by 29.62% in absolute terms, while the GNPA ratio improved by 129 bps, declining from 3.27% to 1.98%.
- The target for FY27 is to bring the GNPA ratio below 1.50%.
- Net NPA reduced by 20.69% in absolute terms, with the NNPA ratio improving by 26 bps, from 0.82% to 0.56%.

- Cash Recovery and Upgradation, as a percentage of Opening GNPA, improved to 28.79% in FY26 as against 24.90% in FY25.
- Total Cash Recovery from Written-off Accounts stood at ₹2,674 Crore during FY26, compared to ₹2,365 Crore in FY25, registering a growth of 13.07%.

Key Highlights

- Significant reduction in both Gross and Net NPA levels.
- Strong improvement in recovery and upgradation efficiency.
- Enhanced recovery from written-off accounts

Strategies for Recovery Enhancement

Resolution and Recovery Mechanisms

- **Resolution of NPA accounts is actively pursued through:**
 - SARFAESI actions
 - NCLT proceedings
 - Enforcement of guarantor securities via SARFAESI/DRT
 - Sale of assets to ARC/NARCL
 - Mega E-Auctions
 - Compromise and OTS schemes
 - Settlement of Guaranteed claims
- **Operational Initiatives**
- ₹5,067.44 Cr recovered in FY26 due to:
 - Activation of field functionaries
 - Regular virtual recovery camps for OTS
 - Periodical Recovery campaigns
 - Mega E-Auctions for unresolved properties
- 31 Asset Recovery Branches (ARBs) established across India for early resolution.
- **Campaigns and Drives**
 - Ongoing initiatives include:
 - Samjhauta Day, Weekly Recovery Camps, Mega E-Auctions & Intensive Recovery Camps
 - Recovery momentum sustained through consistent nationwide efforts.
- **OTS Schemes**
 - Special schemes—Star Sanjeevani and BOI OTS—reviewed and relaunched from 01.04.2026 for FY27.
 - In FY26:
 - Star Sanjeevani and BOI OTS schemes extended until 31.03.2027

- OTS approvals granted in 1,68,558 accounts with outstanding balance of ₹3,868 Crore
 - Estimated cash realization: ₹1,771 Crore (repayment ongoing)
- **Written-off Accounts Recovery**
- Recovery strategies for PWO accounts mirror core resolution mechanisms, including:
- SARFAESI/DRT enforcement
 - NCLT resolution
 - Compromise settlements
 - ARC/NARCL sales
 - Star Sanjeevani and BOI-OTS schemes
- **Auction Strategy**
- Mega E-Auctions conducted bi-monthly.
 - Additional focused auctions:
 - Home Loans, LAP, ARB accounts, Vehicles.
 - Aim: Resolve 50% of listed properties through sale/OTS/upgradation.
 - Publicity undertaken at HO level through multiple channels.
- **CGTMSE Claim Settlement**
- Claim lodgement drive launched in FY26.
 - 16,127 claims settled, resulting in NPA reduction by ₹814 Crore

10. TREASURY

Forex Business: The Treasury manages the foreign exchange business of the bank, providing hedging solutions to the customers through forwards and swaps. Apart from having Centralized Treasury at Mumbai, the Bank has 1(one) satellite dealing room situated at New Delhi, 1(one) BCP site at Kolkata and 1(one) centralized back office in Gift city (Ahmedabad) so as to provide better services to the customers. During the financial year 2025-26, Merchant and Interbank turnover was ₹1.32 lakh Crore and ₹110.80 lakh Crore respectively. The aggregate turnover of Bank's forex business during the year was ₹112.12 lakh Crore. Aggregate forex turnover increased 15.54% compared to last FY 2024-2025. The Treasury actively participates in trading in Currency Futures and is one of the leading banks in all the exchanges. During the Financial Year 2025-2026, Bank's Turnover in Currency Futures was USD 9.55 Bn.

Treasury Operations & Investments:

Bank continued to play an active role in all segments of the market – Money market, Bonds and Derivatives in FY 2025-26. Treasury Branch actively manages liquidity through various sources of funding including refinances, Overnight borrowings against excess SLR and CD borrowings. This helped in keeping cost of funds under check and supporting sustainable Net Interest Income. Bank has maintained a

higher level of investments by holding SLR investments in excess of the regulatory requirement of 18.00% of NDTL from time to time to ensure that sufficient liquidity is available by the way of borrowing against excess SLR from Repo/TREPS windows. As on 31.03.2026 the gross SLR investments were ₹ 2,08,663.03 Crore (81.92% of total Investments) and Non-SLR investments stood at ₹ 46,039.68 Crore (18.08% of total investments). The Non-SLR investments also includes Recapitalization bonds of ₹ 23,490.39 Crore. M-Duration of SLR AFS portfolio stood at 2.70% as on 31.03.2026 against 3.64% as on 31.03.2025. M-duration of Total AFS portfolio as on 31.03.2026 stands at 2.45%. In concurrence with the Green initiatives taken by Government of India, RBI had issued notification for sale of Sovereign Green Bonds. As on 31.03.2026 the Treasury branch has investment exposure of ₹997.09 Crore in Sovereign Green Bonds. All the investments are made in accordance with the Board approved investment policy which is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

11. INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

1) Intelligent Process Automation (IPA)

Intelligent Process Automation (IPA) aims at optimizing Bank's operational efficiency by automating manual, repetitive tasks within the Banking system and Banking operations using technologies such as Robotic Process Automation(RPA), Machine Learning(ML), APIs, Intelligent Document Processing (IDP) and other hyper automation tools.

Through this Bank aims to streamline operations, enhance efficiency, optimize resource allocation, increase accuracy, freeing up human resources to focus more on strategic activity.



2) Resilience Operation Centre (ROC)

RoC is established to enhance IT infrastructure resilience and ensure continuous monitoring of critical systems at the Bank. It leverages AI-driven root cause analysis (RCA) and predictive insights to resolve incidents proactively. RoC focuses on minimizing disruptions, ensuring high availability, and maintaining compliance.

The ROC team monitors a total of 22 critical applications using an advanced suite of tools.

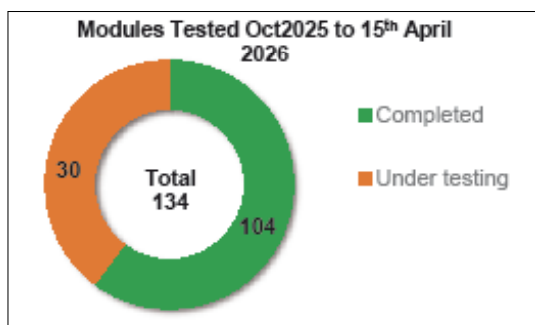
Tools	Applications	No. of Applications
Dynatrace	CBS, DCMS, CRMNXT, E-platform, IMPS, IDAM, NACH, NEFT, SMS, Treasury, UPI, UPI Recon, CBDC & FO Treasury	14

Tools	Applications	No. of Applications
Entuity	Core Network devices Domestic, FCBS & RRB	3
Heal	UA (Mobile Banking & Internet Banking)	2
Elastic	ATM Switch	1
Manage Engine	CCMS (Credit Card Management System)	1
TSOM	SWIFT (DC/DR)	1
TOTAL		22

3) Star Quality Test Centre (SQAT)

This initiative aims to streamline testing operations, enhance the quality of digital services, and align with the Bank's digital transformation strategy, which is increasingly complex due to the expansion of IT systems. Previously, QA testing was managed independently by individual application owner/business departments, leading to high turnaround time for testing, inconsistent processes, limited automation use, and operational inefficiencies.

Average TAT Per Module	Before Testing COE	After Testing COE
Small modules	~12 Days	~7 Days
Large modules	~24 Days	~9 Days



4) Centralised Digital Payment Processing System (CDPPS)

This solution offers a centralized, integrated platform that brings together major payment rails under one umbrella, ensuring seamless transactions, enhanced control, and improved efficiency.

Key Features

- Comprehensive Payment Integration:** Supports UPI, IMPS, NACH, RTGS, NEFT, BBPS, and SWIFT, enabling seamless domestic, regional, and high-value international payments.
- End-to-End Payment Management:** Provides a centralized view of all payment processes, covering initiation, execution, messaging, and external system connectivity.
- Multi-Tenancy Architecture:** Designed for deployment across Bank of India, its Sponsored

RRBs, Foreign Centres, and Indian subsidiaries, ensuring scalability and adaptability.

- Future-Ready Infrastructure:** Supports emerging technologies including **Digital Currency, E-Toll, and ONDC**, with **CBDC** already implemented.

With its robust capabilities, this platform reinforces operational efficiency, enhances financial connectivity, and ensures a smarter, more secure payment ecosystem.

12. DATA ANALYTICS :

New initiatives:

During the year under review, the Bank significantly advanced its data, analytics and Artificial Intelligence agenda under Project Star ADITYA (Analytics-Driven Insights to Yield Actions). The programme, which began as a foundational data and analytics build, has now matured into an enterprise-wide intelligence platform that powers customer engagement, credit underwriting, risk and fraud defence, regulatory reporting and channel modernisation across the Bank. The major initiatives undertaken by the Data Analytics Department during the year are summarised below.

1. Project Star ADITYA – Building the Bank's Intelligence Platform

Project Star ADITYA continues to anchor the Bank's transformation into a data-driven institution. The foundational build, comprising an enhanced Data Lakehouse, enterprise-wide data governance, advanced analytics and a modern business intelligence layer, was completed during the previous year. During FY 2025-26, the focus shifted to expanding analytics use cases, deepening adoption across the Bank, and laying the groundwork for the next wave of Generative and Agentic AI capabilities.

Modernised data platform: The enhanced Data Lakehouse now ingests data from over 40 internal and external source systems, offers more than three times the storage capacity of the legacy platform, and makes business-critical and regulatory data available substantially earlier each day. New external data sources such as Account Aggregator, MCA, Udyam and bureau feeds have been integrated to enrich customer and credit insights.

Enterprise data governance: A comprehensive data governance framework comprising data quality monitoring, data lineage, business glossary, metadata management and a network of data stewards across business departments is now operational. The Bank's Data Quality Index has improved to over 99.8%, and the Bank received the TransUnion CIBIL Best Runner-Up Award for Data Quality Improvement during the year.

Advanced analytics and machine learning: The Bank now operates 35 production machine learning models across eight business domains, supporting credit underwriting, early warning of stress, cross-sell, customer retention, share of wallet estimation, fraud detection, customer intelligence, and audit

and compliance. These models have driven a 10–40% increase in sanctioned business across cross-sell campaigns and substantial improvements in collections and recovery outcomes.

2. Customer Experience and Engagement

A core objective of Project Star ADITYA is to translate analytics into a more personalised and responsive customer experience. Key outcomes during the year include:

- **StarFinSnap interactive monthly statement:** A single, secure, interactive monthly statement combining eight legacy customer statements into one, delivered to customers via Email, WhatsApp and SMS. Customers can track product holdings, monitor spending, view personalised offers, and search and download transactions. The Bank now dispatches close to 9 lakh interactive statements every month.
- **Personalised Customer Engagement:** Pre-qualified offers, Next Best Action recommendations, spending insights through the Spend Analyzer feature, and proactive engagement nudges are now delivered through the mobile and internet banking channels, supported by analytics-driven customer segmentation.
- **Improved Customer Outcomes:** Product per Customer has improved from 1.5 to 2.6, the Customer Satisfaction Score has improved from 89.9% to 96.2%, and the average complaint turnaround time has reduced from 50 days to 12 days, reflecting the combined impact of analytics, automation and process redesign.

3. Universal Application enhancements

The Bank's omni-channel Universal Application has been enriched with new functionalities during the year, including digital insurance journeys, Senior Citizen Savings Scheme extension, instant e-Debit Card issuance, online address update, Aadhaar OTP-based registration, additional state and central tax payment facilities, and accessibility enhancements for differently abled customers.

4. Risk Intelligence, Fraud Defence and Regulatory Reporting

Fraud and mule account detection: The Bank's mule account detection capability is among the fastest in the public sector banking space. During the year, a large number of mule accounts were identified and frozen, protecting customer balances and strengthening the Bank's defences against financial fraud.

Early warning and risk monitoring: An expanded early warning signals framework now operates across all branches of the Bank, supporting proactive identification of stress in retail, MSME, agriculture and corporate portfolios.

Regulatory reporting modernisation: All RBI returns of the Bank are now submitted through the Centralised

Information Management System (CIMS), and all Element-Based Reporting (EBR) returns released by the Reserve Bank of India have been fully automated end-to-end. This places Bank of India among a small group of banks to have completed full automation of EBR returns. Risk-based regulatory returns including LCR, NSFR, ALM and capital adequacy continue to be generated through the Bank's enterprise risk platform with revised RBI guidelines incorporated during the year.

Forward-looking risk frameworks: Implementation of the Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) framework and the Expected Credit Loss (ECL) framework under Indian Accounting Standards has been initiated, with parallel runs planned during the coming year.

5. Business Intelligence and Decision Support

The Bank's enterprise BI platform, BOI Pulse, has emerged as the single source of truth for management and field decision-making. Over 28,000 employees across the Bank – from Head Office to branch level – now actively use the platform, with role-based access to more than 500 reports and 40 live dashboards. Key dashboards delivered during the year cover business performance, customer experience, cross-sell pipeline, complaint management, financial inclusion, market analysis, data quality and risk monitoring, with self-service and drill-down capabilities reducing dependence on intermediate offices.

A new Market Intelligence dashboard has been built during the year to support strategic branch and business planning. The dashboard maps the addressable banking market at district level, highlights priority growth markets, and supports informed decisions on branch network expansion.

6. EASE Reform Performance

The Department continued to be a key contributor to the Bank's performance under the Enhanced Access and Service Excellence (EASE) reform agenda of the Department of Financial Services. The Bank was placed third nationally on the Innovation Metrics under EASE 8.0, with the Department contributing the substantive analytics, governance and AI parameters of the Innovation pillar. The Department's customer-facing initiatives have been aligned with the "Responsive, Inclusive, Seamless and Engaging" themes of EASE 9.0.

7. API Banking

API Banking has enabled secure and standardized communication between a bank's systems and third-party applications such as corporate clients, and government platforms, Third party applications — to directly integrate through APIs. These APIs are typically exposed via an API Gateway, which ensures security, traffic management, authentication, and monitoring. API banking is a key enabler of digital transformation, allowing them to deliver faster, more innovative, and customer-centric services.

a) Third Party & Government platforms Integrations at API Gateway –

- 350+ API requirements received for third party integrations.
- 150+ APIs deployed and live on Bank's API Gateway.
- API Gateway currently integrated with 50+ external entities/systems like NeSL, NSDL, RBIH, BESCO, CERSAI, ICEGATE, SIDBI, UIDAI etc.
- API Gateway is currently integrated with Government entities like **DoT (Department of Telecommunication)**, **DoT (Department of Telecommunication)**, **Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)**, **NHB – CDRIHL**, **NeSL – Digital Balance Confirmation Portal (DBCIP)**, **UIDAI**.

b) Corporate Customer On boarding to BOI Open Banking –

- Developer portal has been made live, enabling customers and partners to access Bank's API services. This enables simple API integration with your existing systems, allowing for a smoother digital experience.
- Non-Financial APIs like **"Account Statement Enquiry, Account & Loan Statement by Email, Account Balance, Account Details Enquiry, Mini Statement, Get Consolidated Account Balance, Customer Enquiry"** are available in production for Corporate customer onboarding.
- Financial APIs for **"NEFT/RTGS/IFT/IMPS payments"** are available in Testing Environment.
- BOI Corporate customers are on boarded for Non- Financial APIs successfully. Financial API On boarding is under process.

8. External Recognition

The Bank's data and analytics capabilities received wide external recognition during the year, including the IBEX Innovation Award for the most innovative use of technology for value realisation through analytics, the TransUnion CIBIL Best Runner-Up Award for Data Governance and Data Quality Improvement, a Special Mention for Best AI/ML Adoption at the 21st Annual Banking Technology Conference of the Indian Banks' Association, and awards for Best Use of Data Analytics in Collections and Pioneer in Data-Driven Collections at the Bharat Collections Summit & Awards 2025.

13. DIGITAL BANKING :

The Digital Product base as on 31.03.2026 is as below:

Product	As on 31.03.2026
Total Credit Card	1,21,655
Merchant Acquiring (POS + BHIM Aadhaar)	19,502
UPI based QR	14,88,848
Mobile Banking	1,31,48,152
Internet Banking	6,12,516
UPI	2,71,24,278
SB Accounts via Online Journey	23,16,071
CD Accounts via Online Journey	63,617
CBDC	1,57,118

Planned launch of products in FY 2026-27

Digital Transformation & Payments Innovation

- **Next-Generation Digital Payments (Banking Connect):** Preparing for the integration of **Banking Connect (Net Banking 2.0)** via NPCI's Bharat BillPay Limited (NBBL). This unified infrastructure will replace legacy individual bank-aggregator connections with a standardized switch, streamlining high-value online transactions and enhancing security.
- **Contactless Evolution (UPI Tap & Pay):** Strategizing the full-scale rollout of **UPI Tap and Pay**. By leveraging Near Field Communication (NFC) technology, we aim to redefine the retail checkout experience through instantaneous, contactless payments that eliminate the need for QR scanning.
- **Merchant Empowerment Suite:** Aiming to deploy a comprehensive **Real-time Transaction Monitoring Dashboard** for Merchant Acquiring Business (POS and UPI QR). This ecosystem provides advanced MIS reporting and multi-mobile alert capabilities, ensuring business owners have unparalleled visibility and control over their digital collections.
- Our upcoming **PG Payouts** platform is a flexible management system designed to streamline the instant collection and distribution of funds across multiple stakeholders. It will enable corporate clients to execute secure, high-scale disbursements—covering payroll, vendor payments, and loan transfers—with 24/7 support across **IMPS, UPI, NEFT, and RTGS rails**. The solution further enhances operational integrity through **automated bulk processing**, real-time status visibility, and a robust "Maker-Checker" governance framework.
- Bank to expand its digital payments portfolio by launching comprehensive **NACH (National Automated Clearing House)** Sponsor Bank services. Moving beyond its role as a destination bank, our bank will now empower RBI-authorized Payment Aggregators, NBFCs, and large corporates to process high-volume recurring transactions, such as EMIs and SIPs, directly through its robust internal infrastructure. By leveraging sponsorship for **NACH Aggregators**, the Bank aims to boost fee income, increase CASA

balances, and strengthen its role in India's digital payments infrastructure.

- Bank of India is entering the next phase of digital innovation to make the **BOI Digital Rupee (CBDC)** smarter, more inclusive, and institutionally integrated
- **Programmable CBDC:** We are building conditional frameworks to manage subsidies and government disbursements:
 - **Sponsor-Level:** Enabling organizations or the Government to disburse purpose-bound funds (e.g., fuel or food vouchers).
 - **User-Level:** Permitting individual customers to set their own automation rules for spending and budgeting.
- **Offline Transactions:** Implementing **NFC-based technology** to enable payments in rural and semi-urban areas with limited or no internet connectivity.
- **Aadhaar-Linked Onboarding:** Developing a frictionless registration process utilizing Aadhaar verification.
- **Wholesale CBDC (e₹-W):** Launching institutional-grade digital currency to revolutionize and accelerate inter-bank settlements.
- **Government Fund Integration:** Full integration with **PFMS-NACH** to streamline the flow of central and state government funds directly into e₹ wallets.
- **Integration with BBPS:** Partnering with Billdesk to enable **Utility Bill Payments** (Electricity, Water, Gas) directly via the Digital Rupee wallet.
- **Dedicated Merchant App:** Launching specialized interfaces for **Android and iOS**, tailored for business owners to manage collections and cash flow.
- **Accessibility for Visually Impaired:** Developing inclusive UI/UX features within the existing application to ensure the Digital Rupee is fully accessible and usable for individuals with visual disabilities through assistive technologies.
- **BHIM Platform Discoverability:** Integrating with the BHIM ecosystem to make the BOI Digital Rupee easily discoverable for millions of existing UPI users.

Credit Card Expansion

- **Frictionless Credit Issuance:** In process to revolutionize the credit acquisition we will be launching a **"2-Click" journey** for pre-approved credit cards, delivering a seamless, near-instant issuance experience for eligible customers.
- **Strategic Credit Alliances:** Expanding our market footprint through the launch of **Co-Branded Credit Cards** in partnership with premier national brands, offering curated value propositions to diverse consumer segments.
- **Real-time Affordability Solutions:** Integrating a **Real-time EMI facility** for credit cards across both E-commerce and physical POS terminals, providing customers with instant financing options at the point of purchase.

Specialized Products

- **'Akshaya Prepaid,'** a dedicated RuPay prepaid card solution specifically engineered to meet the disbursement and operational requirements of Government institutions.
- **Expedited Digital On-boarding:** To enhance the liabilities growth engine by deploying an **improved end to end digital on-boarding platform**, ensuring a faster, paperless, and frictionless account-opening experience for new customers.
- **Elevated Loyalty Framework:** On-boarding of a best-in-class platform for the **'STAR REWARDS' program**, designed to deepen customer engagement through a more intuitive and rewarding loyalty experience.
- **Logistics Transparency:** Initiating a new **RFP for Card Printing Services**, which will introduce an end-to-end tracking mechanism to ensure secure and transparent delivery of cards to our customers.

Enterprise Mobility & Advanced Security Protocols

- A dedicated **Mobile Banking Solution for Corporate Customers**, providing business entities with secure, on-the-go access to cash management, bulk payments, and real-time liquidity tracking.
- **Next-Generation Biometric Security:** Enhanced digital security by integrating **Biometric Facial Authentication** across both Retail Mobile Banking (MB) and Internet Banking (IB) platforms, ensuring a frictionless yet highly secure login and transaction verification process.
- **Aadhaar-based Authentication** for Retail Mobile and Internet Banking users, leveraging the national identity infrastructure to streamline user on-boarding and enhance the integrity of high-value digital transactions, will be implemented.

New Initiatives – FY 2025-26

Implementation of NACH Cancellation Service

- The CRM Next application now integrates M/S Montran's APIs to fetch and cancel NACH mandates efficiently. This enhances operational precision and user experience while ensuring regulatory compliance.

Benefits of this change request

- Implementation of NACH Cancellation through CRM Next will enable branches cancel NACH mandates on behalf of customers instead of sending manual request to Head office.
- Branches can start the journey on behalf of customer, digitally through CRM Next application, where Maker and Checker are provided.

Simplified authentication for NACH mandate registration- PAN & CUSTOMER ID

- Customers can now register mandates using PAN and Customer ID, alongside Debit Card and Aadhaar authentication.

Braille Debit Card

- A braille debit card is a specialized debit card designed for visually impaired individuals, incorporating Braille

for easy identification and use. These cards feature raised Braille dots, often including the bank's name and may have other accessibility features like contrasting colors and a rounded notch for proper orientation.

BOI Master Card World Debit Card

- Bank of India MasterCard World is a premium international Debit Card being launched by our Bank for customers providing access to premium travel and lifestyle benefits to our high net worth customers.
- Available to customers maintaining a Savings Bank account with the Bank, the account holder need not maintain any Minimum Balance in the Account.
- This is a premium international Debit Card with enhanced daily limit on ATM, POS and Ecommerce Channels focusing on our high net worth customers.
- Multiple offers and benefits with Reward Points are available on this card. The benefits are offered in the form of discounts on Merchants, Airport Lounge Access, Travel Privileges, Life Style & Dining and much more.

Limits on the Card

Limit Type	Amount
Daily ATM Cash withdrawal limit	₹ 1,00,000
Card present transactions (POS)	₹ 2,50,000
Card not present transactions (Ecom)	₹ 2,50,000

BOI RuPay Celestia Credit Card

- Celestia Credit Card is an ultra-premium RuPay Credit Card by Bank of India, designed for high end customers with an elevated standard of financial privilege.
- Celestia Credit Card is a RuPay Ekaa Contactless International Credit Card, acceptable at all channels ATM, POS and Ecommerce.

Some of the major benefits are as follows:

- Evouchers on joining/issuance
- Unlimited Airport lounge access and exclusive access to RuPay Delhi Exclusive Lounge,
- Health Checkup and Exclusive RuPay Merchant offers,
- Loyalty reward points on major spend categories: Dining, Airline booking and Fuel.
- Personal Accidental Insurance of INR 50 Lakhs, Air Accidental Insurance of INR 1 Cr; Purchase Protection of INR 2 lakhs and Travel Insurance
- With Celestia Credit Card, customers can experience the power of privilege, sophistication and global recognition.

Star Lakshmi Credit Card

Star Lakshmi Credit Card is a new Platinum variant of RuPay Credit Card by Bank of India for female customers, in order to provide women with accessible credit, thereby contributing to a more equitable and inclusive financial ecosystem.

- Star Lakshmi Credit Card is a RuPay Platinum Contactless International Credit Card, widely acceptable at all channels ATM, POS and Ecommerce.

- The major features and benefits of Women's Credit Card are as follows:
- Complimentary Annual Health checkup.
- 8 Domestic and 2 International complimentary lounge access per annum
- Insurance cover of up to 2 Lakhs (Personal Accidental and Permanent Disability), provided by NPCI — will be renewed on yearly basis.
- 2 times the Loyalty Reward points in POS and ECOM transactions, excluding restricted categories.

Reserve Pay in Credit Cards

- The reserve pay feature allows the bank to block a single amount in the customer's credit card account, but enable multiple debits to be made against that block until the total blocked amount is exhausted.
- When a customer initiates a transaction (such as hotel booking, fuel purchase, ecommerce wallet top-up, cab services), the bank places a preauthorization hold (block) for a certain amount on the credit limit.

Biometric Based Authentication for UPI Transactions

- Currently, UPI transactions are authenticated using a UPI PIN. While effective, PIN based authentication has certain limitations such as manual inputting of PIN.
- In order to enhance both security and customer convenience, we have now introduced the Biometric Authentication process of payment experience leveraging the device's inbuilt biometric framework (such as fingerprint for Android user and face ID for iOS user), identified as a secure and user friendly alternative.
- This transaction provides convenience eliminating the need for entering UPI PIN, ensures a secured authentication process and will increase transaction success rates and reduce drop offs due to forgotten or incorrect PIN entries, thereby improving customer satisfaction.
- Transaction Limit: The per transaction limit is ₹1,000 under this authentication mechanism.

Introduction of Bharat Connect Biller Services for our Corporate Clients

- API based ERP integration with Bharat Connect, along with a ready web module for Billers without ERPs.
- Customers can pay their electricity, water, gas, school fees and other bills quickly and securely in one place. On the other hand, Billers can use Bharat Connect platform to collect payments from customers efficiently, ensuring smooth transactions and faster settlements.
- The system supports various payment modes such as Cards, Internet Banking, UPI & wallets, ensuring seamless transaction with instant Payment confirmation.
- The Bank will earn per transaction cost via Merchant Service Fee (MSF) charged to billers for availing Bharat Connect Biller services.
- This MSF covers the cost paid to NBBL (Interchange and Switching Fee) and ensures net positive

revenue for the bank, with no investment in front-end infrastructure.

Enhanced Merchant Acquiring Business:

- Bank enhanced its digital payments ecosystem by introducing a Portable UPI QR Sound Box for merchants, enabling real-time audio confirmation of successful UPI transactions and improving transparency and ease of reconciliation.

CBDC

- The **Central Bank Digital Currency (CBDC)**, also known as the **Digital Rupee (₹₹)**, is the digital form of currency notes issued by the Reserve Bank of India (RBI). It is **Legal Tender** and a **Sovereign Currency**, backed by the RBI, offering the same trust and safety as physical cash with the speed and efficiency of digital mode.
- In FY25-26, Bank of India significantly advanced the **CBDC Pilot** Phase, developing a high-performance ecosystem characterized by robust user engagement and several live innovative features:
- **User Experience Enhancements:**
 - **Auto-Load Facility:** Successfully went live with the Auto-load feature, allowing wallets to be topped up automatically via linked Bank Accounts for a seamless transaction experience.
 - **Pin-less Payments:** Introduced a PIN-less experience for small-value transactions, making digital payments as quick and frictionless as handling physical cash.
- **Transaction Milestone:** Achieved a peak monthly transaction value of **₹2,386 Lakhs** in March 2026.
- **UPI Interoperability:** Enabled **"Interoperable UPI QR"** functionality, allowing BOI ₹₹ wallet users to scan and pay at any merchant's UPI QR code seamlessly.
- **Security & Branding:** Integrated **Suspicious Wallet Monitoring (SWR)** for fraud prevention and updated the application with the new official CBDC logo and theme.

Other Initiatives taken during FY25-26

- Corporate Omni Neo Biz was made live.
- Pre-approved Credit card journey has been launched.
- Enabled Re-KYC functionality in ATM and CRM.
- Implemented QR-based complaints registration at ATMs/CRMs.
- Application of Debit Cards through CRMNEXT
- InstaPIN module has been introduced through Finacle for activation of cards through branches

14. DIGITAL LENDING

- **E-Platform:** During FY 2025-26, Bank garnered total digital lending business of ₹ 128734 Crore up from ₹ 68732 crore during FY 2024-25 i.e. 87 % YoY growth. During FY 2025-26, adoption level touching a new high of 98%. Out of the total ₹ 128734 crore, ₹ 22058 Crore has been sourced through the self-served Web Journey. (501% YOY growth).

Initiatives:-

- Launch of MSME Business loan up to ₹5.00 Cr and Vehicle Express loan up to ₹1.00 Cr offering simplified digital processing, faster approvals, minimal documentation and enhanced customer convenience
- Launch of self serve journey for Home Loan & Vehicle Loan.
- Introduction of BSA assisted digital web based journey in home loan and Vehicle loan.
- Integration with PM Vidyalakshmi Portal for sourcing Education loan.
- E- Signing & E-documentation have been implemented across all states, except Haryana with over one lakh digital document executed in FY 2025-26, demonstrating strong adoption of digital process and improved operational efficiency. The project implemented in collaboration with NESL.
- Loan management system (LMS) package is live for channel finance under BOI TradeEasy and Finastra.
- Tie up with C2TReDS as 4th platform for TReDS business.
- Under Co-lending, department is ready with new CLA (Co-lending arrangement) as per RBI guidelines dated 06.08.2025.
- Satellite based digital report for land and crop made live in 7 states for KCC loan through PSB Alliance.
- Bank has a tie up with fintech through ULI platform of RBIH to enable fetching milk pouring data and income related information for dairy financing under the 'e-Smart Dairy' product.
- KCC STP journey made live on Jansamarth portal for Maharashtra & Karnataka state.
- Bank has a tie up with PSB alliance for online verification of Land records for crop-based gold loans across 24 states.
- On boarding of fintech partner for satellite report for crop based agriculture gold loan.
- Department is actively providing trainings to officers posted in Zones, SKVK, RBCs, SMECCs and Branches. Additionally, we have a dedicated support team to help the field functionaries in their digital journeys. We have also designated Officers in Zones/FGMOs as **Digital Champions** who are responsible for promoting digitally available products in their respective Zones/FGMOs.
- Bank is promoting Digital products on several social media platform emphasising on generating business through web journeys. The Marketing team / Digital Lending champions have been provided with laptops for quick turn-around times for sanctioning loans like Housing

loan, Personal loans, Business Loans & Agriculture loans. This automation has reduced the TAT for sanction besides, mitigating several compliance and operational issues at field level.

- **TReDS Business:**

TReDS is an electronic platform for facilitating the financing/ discounting of trade receivables of MSMEs through multiple financiers. Bank of India is an active participant on four TReDS platforms and has 8% of market share of overall throughput of TReDS business.

Bank's TReDS business outstanding has grown up by 40% YOY during FY 2025-26 and was at the level of ₹ 9559 Crore as on 31.03.2026 and is expected to grow at 15% with outstanding level target of ₹ 11000 crore this FY.

Bank has on-boarded 4 TReDS platforms viz. RXIL, Invoicemart, C2Trades & M1 Exchange for generating business under TReDS.

- **Pool Buy-out:**

We are expanding partnership network by on boarding 18 NBFC including 12 first time partner, significantly diversifying the portfolio across 49 NBFC.

Scaled pool buyout operations by 47 % YoY, increasing business volume from ₹ 5143 crore to ₹ 7557 crore as on 31.03.2026.

Bank is having a growth strategy towards a target of ₹ 8700 crore supported by strong pipeline of ₹ 600 crore in new business and ₹1000 crore in active undisbursed funds.

- **Co-lending:**

During FY 2025-26, we have sanctioned 6 new co lending arrangements aggregating to ₹ 1200 crore and disbursed ₹ 570 Crores during the same period.

Incremental growth during FY 2025-26 is 55.62% over the previous FY 2024-25 with total outstanding of ₹ 868 crore as on 31.03.2026.

We have estimated to reach co lending business at the level of ₹ 1500 crore by 31.03.2027 through new tie ups and partnership with NBFCs.

- **Supply Chain Finance:**

During current FY 2025-26 incremental growth of 89.80% recorded over the previous year FY 2024-25 with outstanding of ₹153 Crore as on 31.03.2026

During FY2026-27, we are expecting to reach ₹1000 crore on outstanding basis from 15 programme limit values of ₹ 3125 crore on boarded and 8 programme limit of ₹ 1730 crore under discussion.

approach to specific risks. The Risk Management Committee of the Board (R.Com), is the subcommittee of the Board which is the apex body for Risk Management, supported by operational level committees of Top Executives for managing various risks, such as Asset Liability Management Committee (ALCO), CRMC (Credit Risk Management Committee), MRMC (Market Risk Management Committee) and ORMC (Operation Risk Management Committee).

Risk Management includes process of risk identification, measurement, monitoring, mitigation and reporting of all potential risks, in all activities and products in the Bank. These processes are well elaborated under respective policies viz. on Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Exposure (Bank Exposure & Large Exposure Framework), Asset Liability Management, Foreign Exchange and Dealing Room operations etc.

Bank's Risk Management Framework is focused on full integration of risk management into its operations and culture. The integrated risk management framework starts with a risk management cycle, consisting of several steps: setting up the risk appetite, conducting stress testing, scenario analysis, preparing full scope risk assessment of all segments. Risks are adequately identified, assessed, measured, mitigated and reported. Risk Management is one of the core focus areas of the Bank. The Bank is working to ensure that it adopts global best practices in all the risk areas. This commitment is being achieved by investing both in people & systems and building an enduring risk culture. Bank deploys various tools and techniques for achieving Risk Management objectives viz. Prudential and internal limits Monitoring, Basel Compliant Credit Rating Models, Active liquidity management, ERM Scorecards, PQI etc.

Credit Rating thresholds are based on the performance of the specific industry/sector. Bank uses different internal Credit Risk Assessment Models and scorecards for assessing borrowers credit worthiness. The Internal Rating Model is recently recalibrated in view of the changing economic environment and evolving business models, to better capture the risk drivers and further strengthen the onboarding & underwriting standards.

In the normal course of business Banks experience various risks viz. Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk.

Credit Risk is the possibility of loss resulting from a borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligations. Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk Computation.

Market Risk is possibility of loss to the bank due to movement in market factors viz. Interest Rate, Foreign Exchange Rate, Equity Prices etc. Bank has adopted Standardized Duration Method (SDM) for Market Risk computation.

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, people and systems or external events. Operational Risk includes legal risk, but excludes strategic and reputation risk. Bank calculates Operational Risk Weighted Assets through Basic Indicator Approach (BIA). Bank is in the readiness to adopt New standardized approach for computing Operational Risk

15. RISK MANAGEMENT:

Risk and Control:

The Bank has an appropriate mechanism in place to ensure ongoing assessment of relevant risks on a Borrower Level as well as on a Portfolio level to maintain the trade-off between risks and returns. The Board of Directors of the Bank has an overall oversight of all risks in the Bank with specific Committees of the Board constituted to facilitate focused

Weighted Assets, as mentioned in the draft RBI Guidelines. The Bank monitors and manages operational risks on an ongoing basis. Comprehensive set of processes, systems of internal controls, and policies are also in place, to reduce the probability and potential impact of losses from Operational Risks.

Asset & Liability Management: Bank has adopted robust ALM Practices to mitigate financial risks resulting from mismatch of assets and liabilities. Effective Assets and Liabilities Management (ALM) is essential for a bank's sustainable and qualitative growth to achieve greater efficiency and profitability while reducing risk. Your Bank's ALM endeavors to strengthen the Balance Sheet by reviewing the market dynamics, picking up signals emanating therefrom, and maintaining regulatory requirements. As a part of commitment for sound Risk Management practices, your Bank regularly reviews its Internal Policies on 'Pricing for Loans & Advances', 'Global Asset and Liability Management', 'Stress Test Policy' to adapt to oscillations in market conditions. Your Bank further undertakes Stress Tests and Reverse Stress Tests to address any risks that may arise as a worst-case scenario. Liquidity for the Bank's domestic banking operations is directly managed at the Head Office. The overseas branches and offshore unit of the Bank independently manage their liquidity requirements with support from the Head Office. Similarly, the Bank's subsidiaries independently manage their liquidity requirements with adequate oversight by Risk Management committee of the Bank. Further, the Bank maintains suitable systems and processes to monitor liquidity requirements in other currencies as appropriate.

Your Bank's liquidity and interest rate risk management framework is guided by a well-defined Board approved Global Asset Liability Management Policy. As part of this process, your Bank has established various Board-approved limits for liquidity and interest rate risks in the banking book. The Asset Liability Committee (ALCO) is a decision-making unit responsible for implementing the liquidity and interest rate risk management strategy of the Bank in line with its risk management objectives and ensures adherence to the risk tolerance/limits set by the Board. ALCO reviews the policy's implementation and monitoring of limits. While the maturity gap, Basel III ratios, and stock ratio limits help manage liquidity risk, Interest rate risk in the banking book is monitored and managed by assessing & acting on the potential impact of interest rates changes on Net Interest Income and economic value of equity. This is reinforced by a comprehensive Board approved stress testing programme covering both liquidity and interest rate risk.

Robust behavioral analysis is certainly the core of effective ALM Management landscape. Behavioral Studies are carried out by your Bank at regular intervals to assess customer behavior to impart proper treatment of non-contractual assets and liabilities and embedded options available to customers, which are used while managing maturity gaps and repricing risk. Behavioral studies are conducted to ensure the proper placement of outflows/inflows in liquidity and interest rate sensitivity statements, which may result from balance sheet exposures like prepayment of Term Loans/Term Deposits, run-off in CASA etc. and Off-Balance Sheet (OBS) exposures like devolvement and invocation in BGs/LCs etc. The assumptions relating to non-contractual assets and

liabilities are reviewed periodically, back-tested and revised as per the outcomes of the latest studies. Further, your Bank has the necessary framework and Board Approved policy in place to manage and mitigate intraday liquidity risk.

The stock of High-Quality Liquid Assets (HQLA) and net cash outflows are monitored daily under to ensure the maintenance of LCR as prescribed by the Regulator and Bank's internal Policy benchmarks. Your Bank has implemented the NSFR guidelines of RBI, measuring the long-term resilience of your Bank in terms of liquidity. Your Bank identifies the inherent risks associated with changing interest rates on its Balance Sheet (On/Off) exposures from both short-term and long-term perspectives. For this purpose, the impact of change in the interest rates on Earnings at Risk (EaR) and Economic Value of Equity (EVE) is assessed with pre-defined tolerance limits, enabling the management to initiate appropriate preventive steps in a likely scenario of erosion in NII/ Net Worth. Your Bank constantly strives to ensure adequate monetary policy transmission through its benchmark lending rates. Your Bank's Asset Liability Management Committee (ALCO) monitors and manages Liquidity and Interest Rate risks by modulating the asset-liability mix in the Balance Sheet and recalibrating the pricing of liabilities and assets from time to time. The ALCO, inter alia, regularly reviews the interest rate scenarios, the growth pattern of liability products, credit growth, competitive advantages, evolving liquidity conditions, adherence to regulatory prescriptions, etc.

Your Bank is measuring and monitoring Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) since June'2023. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) refers to the current or prospective risk to banks' capital and earnings arising from adverse movements in interest rates that affect its banking book positions wherein your Bank compute the impact on Economic Value of Equity and earning (NII) based on the 6 prescribed regulatory standardized interest rate shocks.

The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis which contains assessment / measurement of various risks (Pillar II Risk) along with the pillar I risk, the Risk Appetite of the Bank and appropriate level of internal capital required by the bank in relation to the Banks risk profile. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the Bank a better understanding of the likely impact even in extreme unfavorable circumstances. The ICAAP is the process by which the bank ensures that it operates with an appropriate level of capital. It encompasses a large part of what could be considered a complete Enterprise Risk Management (ERM) framework. The ICAAP brings together risk and capital management activities in a form that can be used to support business decisions. Bank also identify the Pillar II risks relevant for the Bank, assess and measure them and suggest the mitigation plan while reporting to risk committee.

In last two and a half years the regulation around Climate Risk, Sustainable Finance and ESG has been evolving rapidly. Bank has already identified climate risk as an pillar II risk in ICAAP. Further, as the regulation and governance around climate risk has evolved, Bank's Board has adopted ESG Policy (Environment, Social and Governance) for the Bank. ESG policy include the governance structure for taking the cause ahead and also set deliverables for the various

departments in the Bank. The bank has also drafted a dedicated climate risk policy, through which bank has started assessing the climate risk score of its corporate borrowers. The Climate Risk policy also specifies metrics and targets which aligns the bank with the goals of Indian Nationally Determined Contributions (NDCs).

In addition, Bank has field level Risk Managers at all geographical centers (Zones, Field General Manager Office, and Overseas Branches) to inculcate the risk culture at the field functionary level also.

Bank's Information Risk Management System has clear objective to protect the bank from Information Security risks in the face of acceleration in cyber-attacks and cyber security threat, specifically to financial institutions. Information security department strengthens controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank. Bank is vigilant of the security and privacy of the data related to its patrons and account holders and takes utmost care to protect it from cyber-attacks. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC). Bank has implemented information security tools for Real-Time monitoring of Information Security breach attempts / incidents / events on 24x7 basis in order to timely prevent, detect and respond. Advanced security tools like SIEM (Security Information and Event Management), PIM (Privilege Identity Management), DAM (Database Activity Monitoring), WAF (Web Application Firewall), NBAD (Network Behaviour Anomaly Detection), Anti-APT (Advance Persistence Threat) for Web & Email Channels, Anti-DDoS, Data DLP (Data Leakage Prevention) are some of the many security solutions are deployed. Various new security solutions such as BAS (Breach & Attack Simulation), Honeypot Solution, XDR (Extended Detection & Response), TIP (Threat Intelligence platform) primarily focusing on threat hunting, prevention, detection and response are also put in place. Bank has also established Digital Forensics & Incident Response (DFIR) Lab, a strategic initiative aimed at strengthening the organization's in-house capabilities to effectively detect, investigate and respond to cybersecurity incidents. The Bank is ISO 27001:2022 (ISMS) and ISO 22301:2019 (BCMS) and PCIDSS certified. Effective brand protection services are put in place to protect Bank's customers from Phishing attacks by way of fake sites. Bank has put in place mechanism to identify digital footprints of sensitive data in dark webs. Bank conducts periodic Vulnerability assessments, Penetration testing and Red teaming exercises across all CIS systems, ensuring timely remediation of identified gaps. Security awareness campaigns, especially with respect to social engineering, are conducted across the Bank encompassing staffs as well as customers through various channels of learning and communication.

16. THIRD PARTY PRODUCTS DIVISION

1. Bank of India is a Corporate Agent for **Two** Life Insurance companies, **Four** General Insurance Companies and **Three** Standalone Health Insurance companies. The agreement with Star Health & Allied Insurance Company Ltd. stands terminated w.e.f. 30-01-2026.
2. Bank has adopted Execution model for distribution of Mutual Fund products. In the Mutual Funds business,

Bank follows an open architecture model therefore can enter into tie-up arrangements with multiple partners. Accordingly, Bank has entered into a tie-up agreement with **Ten** Asset Management Companies to distribute Mutual Fund products.

3. While offering the products and services of Bancassurance & Mutual Fund AMCs, the Bank adheres to the relevant guidelines of RBI / IRDAI / AMFI / SEBI or any other regulator which are binding upon it.
4. The Existing Tie up arrangement of the Bank with various Insurance companies under each category as well as with Mutual Fund AMC is as follows:

Existing Tie-ups :-

S r . No	Products	Tie-up Partner
i	Life Insurance	1) Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. 2) LIC of India
ii	General Insurance	1) IndusInd General Insurance Co. Ltd. (Formerly known as Reliance General Insurance Co. Ltd.) 2) Bajaj General Insurance Ltd. (Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co.Ltd.) 3) Generali Central Insurance Co. Ltd (Formerly known as Future General India Insurance Co.Ltd.) 4) New India Assurance Co. Ltd
iii	Health Insurance	1) Care Health Insurance Co. Ltd. 2) Niva Bupa Insurance Co. Ltd. 3) Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.
iv	Mutual Funds	<u>Name of AMCs</u> 1) Bank of India Investment Managers Pvt Ltd. 2) UTI Asset Management Co. Pvt. Ltd. 3) HDFC Asset Management Co. Ltd.
		4) Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd. 5) Franklin Templeton Asset Mgmt. Pvt. Ltd. 6) Bandhan Mutual Fund (Formerly IDFC Asset Management Co. Pvt. Ltd.) 7) DSP Mutual Fund (Formerly DSP BlackRock Investment Managers Ltd.) 8) Aditya Birla Sun Life Mutual Fund (Formerly Birla Sun Life Asset Management Co. Ltd.) 9) Nippon India Mutual Fund (Formerly Reliance Mutual Fund). 10) SBI Funds Management Private Limited

5. Bank has earned a total Commission income of ₹ **259.90 Crore** during FY 2025-26 from Life, Non-Life & Mutual Fund businesses, as detailed below:

(Amt. in Crore)

TPP Segment	Commission Income
Life Insurance	200.29
General Insurance	34.03
Health Insurance	14.60
Mutual Fund	10.98
Total	259.90

17. MARKETING AND PUBLICITY

Publicity, PR including Social Media & Digital Marketing Initiatives:

During FY 2025-26, the Bank strengthened its brand visibility through integrated Publicity & PR activities, and digital marketing campaigns showcasing its products and digital capabilities. These initiatives were aimed at engaging customers, prospects, and stakeholders while reinforcing the Bank's presence across urban and rural markets.

Publicity and PR campaigns were executed across geographies at prominent locations using a diversified media mix comprising out-of-home (OOH) media, radio, television, print, digital advertising, and social media platforms. This approach enabled extensive outreach across customer segments.

- A key highlight was the advertisement display at the Bandra-Worli Sea Link to mark the Bank's 120th Foundation Day, the first such branding initiative by any BFSI/Public Sector Bank.
- For BOI's 120th Foundation Day, a 360-degree advertisement activities campaign was carried out across various media platforms including TV, Radio and Print media to touch every stakeholder—customers, staff, prospects, and convert visibility into business.
- Brand visibility was further enhanced through participation in marquee events such as the Global Fintech Fest at the Jio World Convention Centre and hackathon initiatives at Indian Institute of Technology Hyderabad.
- Transit media campaigns included full-wrap advertisements on metro trains and buses across major cities.
- Airport and railway advertising was undertaken in various cities across India.
- The Bank also maintained strong visibility during the Women's Premier League through advertising on JioStar, leveraging high viewership to enhance brand recall.

To have a sharper focus on customer engagement, visibility, and contemporary communication strategies, the Bank has onboarded new specialized agencies for Publicity & PR, Social Media & Digital Marketing.

Social Media & Digital Marketing at BOI

Digital and social media channels played a key role by enabling precise targeting, real-time engagement, and measurable outcomes, particularly in hackathon social media campaigns. Strategic platform partnerships further strengthened campaign reach and frequency. Campaigns were executed across platforms including Zepto, City Apps, YouTube, Instagram, IRCTC, PhonePe, JioSaavn, and Spotify. High-impact digital formats such as roadblocks in digital publications of The Times of India Group were also deployed to maximize audience attention.

Brand Building and Impact

The Bank's publicity, PR, and digital marketing initiatives continued to strengthen brand recall, trust, and customer engagement. These initiatives remain strategic investments in long-term brand equity, reinforcing the Bank's position as a reliable, progressive, and customer-centric financial institution while contributing to measurable business growth across key segments.

18. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

BPR Department continued its focus on enhancing operational efficiency, streamlining processes and strengthening customer-centric initiatives during FY 2025-26. The department undertook several key initiatives aimed at improving systems, optimizing service delivery, and supporting the Bank's transformation agenda.

Key Initiatives undertaken during FY 2025-26:

- **Identification of Centers for New Branches:** In line with the Bank's expansion strategy, a data based assessment was carried out for identification of new branch locations using inputs from credit bureau data, PIN code wise advances data and RBI deposit database. Based on the study, 207 new branches were identified and operationalised during the year.
- **Re-categorization of domestic Branches:** The Bank carried out re-categorization of branches based on existing norms, with the objective of ensuring optimal staff deployment and improving customer service delivery.
- **Updating of Bank's Website:** Continuous efforts were made to improve digital interface by updating the Bank's website and removing obsolete content to enhance customer experience.
- **Real-time updating of Manual of Instructions:** The Bank undertook real time updation of the Manual of Instructions, which serves as the primary reference for operational guidelines. This has ensured availability of updated instructions across the Bank and strengthened compliance and process uniformity.
- **Star Paramarsh- Staff Suggestion Scheme:** The scheme was further strengthened and expanded to capture practical and actionable suggestions from staff across all level and forums, thereby promoting a culture of participation and continuous improvement.

Enhanced Access and Service Excellence (EASE) 8.0:

The EASE Reforms Agenda was unveiled by the Government of India in January, 2018, having its genesis in the 'PSB Manthan' held in November, 2017. EASE is a common reform agenda for PSBs, implemented and monitored by IBA, aimed at institutionalizing clean and smart banking. The reform process was kick started by launching the first edition of EASE 1.0 in January 2018. While the first edition EASE-1.0 laid the foundation for reforms in PSBs, the subsequent versions 2.0 to 8.0 made the reforms journey irreversible by strengthening processes and systems and driving outcomes.

EASE 8.0 reform agenda launched as **EASERise** for FY 2025-26 with an emphasis on Strengthening New age credit underwriting Capabilities, Building Artificial Intelligence based risk assessment framework, Gen-AI based Centralized Business Intelligence Units to assess market and Strategic cost optimization & management.

The focus of EASE 8.0 is on four key themes:

- Risk and Resilience
- Innovation
- Socio-economic Impact for Viksit Bharat
- Excellence

During the Quarterly assessment of progress and implementation of the reform agenda in the PSBs, Bank has been ranked 6th (78.8%) with 151% improvement over the Baseline (31.4%) and also Ranked 3rd (84.9%) under Theme-2 (Innovation) among all PSBs during Q3 FY26.

Major initiatives undertaken by the Bank under EASE 8.0 are listed hereunder

1. Dedicated digital journey for ECDD (Enhanced Customer Due Diligence) for suspected fraud/mule cases
2. API Lifecycle Management setup for monitoring External and Internal APIs
3. Establishment of Resilience Operations Centre (RoC)
4. Braille enabled Debit/ Credit Cards for visually impaired customers
5. Banking services and products designed specifically for GIG Workers
6. Centralized 'Cost Map' dashboard which tracks & allocates operating expenditure and Income across various levels
7. Customer Experience (CX) team for capturing customer experience through feedback and conducting surveys on various services & products
8. Emotional well-being assessment for employees
9. Digital automated tool for SARFAESI related cases
10. Executive Directors are conducting reviews of the departments under their supervision in coordination with BPR Department.

As evident from the initiatives mentioned above, Bank will continue to focus on digitization, digitalization and building Artificial Intelligence based risk assessment framework as the key to transform itself in line with EASE 8.0 reform

agenda.

19. LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT:

Legal Department of the Bank acts as an essential support department and provides platform for various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various other functional departments at Head Office, FCGMOs / FGMOs & Zonal Offices.

Besides attending to referral matters of various FCGMOs / FGMOs, Zones, Domestic Branches / Foreign Branches and Bank's subsidiaries, the Department also caters to the specific needs of specialized Departments like Information Technology Department, International Department, Treasury Department, Digital Banking Department, Digital Lending Department, Card Products Department, Transaction Banking Department etc. by Drafting and Vetting of documents of various contracts including Service Level Agreements (SLAs), agreements for Software/Hardware procurement, various types of tie-up arrangements /new products etc.

The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officers (CPIOs) and Appellate Authority at various FGMOs/ Zones/LCBs. AGM (Law) / DGM (Law) at Head Office is designated as the CPIO for Head Office and the General Manager, Legal Department is the Appellate Authority at Head Office. The procedure for disposing of application or appeals involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time duration of 30 days and also to guide the other FGMOs/Zones on specific points.

Moreover, with a view to create awareness among the staff, Legal Department issues various circulars and guidance to FGMOs/Zones on new Legislations, amendments in Statutes and landmark judgment(s) of the Hon'ble Supreme Court and various High Courts.

In addition to the above, the Legal Department also attends to:

- Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank and Monitoring of said cases.
- Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against the Bank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank of India and IBA on different matters including new Legislation/amendments under consideration on various Acts.
- Cases against Bank/Claim against Bank not acknowledged as debt/provision requirement/follow up with Zones etc.
- Consolidation of Lok Adalat data received from FGMOs / Zones
- Collection and compilation of data/statistics pertaining to suit filed/decreed cases/Lok Adalat, RTI returns and submission to various authorities like Reserve Bank of India, DFS, CIC etc.

20. COMPLIANCE

Bank has an independent Compliance Department which is headed by an officer of the rank of Chief General Manager referred to as the Group Chief Compliance Officer. The core function of the department is to ensure compliance of statutory, regulatory and Bank's internal guidelines for both domestic as well as overseas operations. The department works as the single point of contact for RBI and ensures smooth conduct of Risk Based Supervision (RBS) as per prevalent SPARC framework.

Bank has in place a Board approved Compliance Function Policy which is framed as per Reserve Bank of India guidelines and is reviewed and updated annually. The policy covers the following aspects: i) Governance ii) Compliance Risk Assessment iii) Policies, Procedure and related controls iv) Compliance Monitoring and Testing v) Reporting and Communication vi) Training and use of technology to improve compliance and vii) Regulatory interaction and Co-ordination.

The department has adopted state-of-the-art technology in compliance to improve transparency, efficacy, oversight and effectiveness and to deal with uncertainty and manage risks, both known and emerging, thereby strengthening strategy, performance and decision making insights. The Department conducts regular testing exercises, both at head office and field levels, to confirm adherence and sustenance of RBI guidelines/instructions. The number of Compliance testing carried out is in increasing trend year on year and reporting of test results is made to the Top Management on monthly basis. Compliance testing outcomes along-with the other control measures are included for assessment of field level compliance risk assessment.

The department has recently introduced a Compliance Manual for the benefit of the entire workforce across the Bank. Automation of the entire compliance function in the bank, in line with RBI guidelines is already underway.

The Compliance Department is also overseeing compliance function of overseas establishments which follow their respective territory based compliance policies as well as KYC-AML-CFT Policies. Each overseas centre/ branch/subsidiary has an independent compliance officer to look after the respective compliance function. Overseas branches comply with the applicable regulatory requirements (home country /host country regulatory guidelines whichever is stringent) and submit confirmations / compliance sustainability reports. The compliance officer of each overseas branch undertakes monthly compliance testing and submits report to Head Office. To inculcate compliance culture at grass roots level, field level compliance officers are posted in each zone and Field (Chief) General Manager Offices (FCGMO) across India under direct reporting line of the Group Chief Compliance Officer.

The Bank, at present, has 69 Zonal Compliance Officers (ZCOs) positioned across various zones on a pan-India basis to oversee and strengthen the compliance framework at the field level. The presence of ZCOs is critical for ensuring effective implementation of regulatory and internal compliance requirements across geographically dispersed branches. ZCOs play a pivotal role in conducting on-site compliance testing of branches, which enables real-

time verification of adherence to regulatory guidelines, internal policies, and control mechanisms. This will pave way for ensuring that compliance status is assessed accurately, rather than relying solely on off-site monitoring or self-certifications. With the objective of strengthening the compliance architecture, enhancing risk-based supervision, and ensuring sustained regulatory adherence at the operating level, we have introduced a structured and intensified framework for field compliance testing to be carried out by Zonal Compliance Officers (ZCOs) and FGMO Compliance Officers (FGMOCO's).

Going forward, from this FY (2026-27) onwards, field compliance testing based on the business mix of the Zone will be carried out. In each zone, top 70% of the branches based on business mix will be identified for testing in the present FY and the TOP 20 branches in that 70% will be subjected to rigorous testing on a quarterly basis. The 30% branches left out will invariably be subjected to compliance testing, the following year. The proposed framework aims to focus supervisory attention on high-impact branches, improve early identification of compliance risks, and ensure effective closure and sustenance of corrective actions. To meet this end, we have framed a compliance matrix based on which we are scoring the zones on their compliance parameters.

21. OFFICIAL LANGUAGE:

The Bank has a well-established Official Language Department, which ensures the implementation of the provisions of the Official Language Policy of the Government of India and promotes the progressive use of Hindi in the Bank. In accordance with the Annual Programme for the planned implementation of the Official Language Policy of the Government of India, the Bank prepared its "Warshik Karya Yojana" for 2025-26, which was released by the Managing Director & Chief Executive Officer. Hindi Day 2025 and World Hindi Day 2026 were celebrated with great enthusiasm across the Bank. On the occasion of World Hindi Day, an All-India Inter-Bank Hindi Essay Writing Competition-2026 was organized. Several competitions were conducted throughout the Bank on the occasion of Hindi Day, with participation from overseas branches as well. A Hasya Kavi Sammelan was organized on 24.09.2025. An All-India Official Language Conference was held on 07.02.2026, wherein renowned film actor and author Shri Akhilendra Mishra graced the occasion as the Chief Guest.

Monthly quizzes were organized on contemporary themes such as 150 years of Vande Mataram, birth anniversaries of eminent litterateurs, etc. An Online All-India Official Language and Bank Product Competition was also organized, in which staff members from all 69 Zones and the Head Office participated. E-learning modules on Official Language Policy, rules and implementation have been made available to all staff members on HRMS. During Hindi Month, all Zones organized Financial Inclusion Saturation drives under Financial Literacy Campaigns.

During the financial year 2025-26, emphasis was laid on capacity building of Official Language Officers and improving their performance. Accordingly, an All-India Annual Review Meeting was held on 24-25 June 2025, along with training programmes on various IT tools developed by the Government of India and Advanced Official Language Workshops. A

"Rajbhasha Shield Competition" was organized for Head Office Departments and Zones. Magazine representatives posted in Zones were felicitated. At the Head Office, Hindi Email Competitions along with "Hindi Noting & Drafting Competitions" for executives were conducted every quarter throughout the year. The Department ensures compliance with Section 3(3) to promote the progressive use of Hindi in official work. During the year 2025-26, 14 new Official Language Officers joined the Bank. Quarterly Progress Reports and Branch Inspection Reports are being submitted by all Zones on the Bank's internal portal "Star Desk". E-magazines and reference materials published by Zones are regularly uploaded on the portal to ensure easy access for all staff members.

To promote work in Hindi and encourage original writing, the Bank publishes the quarterly Hindi house journal "BOI Varta" and the quarterly bilingual house journal "Tarangan". During the year, the honorarium for contributors has been doubled. Two essay compilation books—"Bank, Bhasha aur Kritrim Budhdimatta (Artificial Intelligence)" and "Bharatiya Arthvyawastha evam Adhunik Banking: Data, Bhasha and Gen Z"—were released during the year. An updated bilingual e-version of the "Manual of Instruction – Deposits" has been uploaded on the Bank's internal portal. The booklet "Banking Terminology – Retail Loans" has also been prepared. The weekly "Suprashidh Vyaktitwa Shrinkhala" is being regularly circulated through email, providing information about the lives and achievements of eminent litterateurs, social reformers, musicians, etc. Various reference materials have also been prepared by Zones to promote the use of Hindi. In addition, all Zones organized Essay Writing Competitions and Official Language Seminars.

On 14th and 15th September 2025, during Hindi Day 2025 and the 5th All-India Official Language Conference, Bank of India received the "Second Prize" under the Rajbhasha Kirti Awards in the category of organizations with more than 800 employees. In a seminar organized by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, the Bank secured the "Second Position" under Region 'B' for excellent implementation of the Official Language Policy. In the Conference, TOLIC (Bank), STC Noida, under the coordination of the Bank, received the "First Prize" under the TOLIC Rajbhasha Awards. Additionally, five TOLICs coordinated by the Bank—Nagpur (Sarvshreshth), Gurugram, Mainpuri, Keonjhar and Ratnagiri—were also awarded "Certificates of Appreciation". Under the Regional Awards declared by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India: Goa Zonal Office received the Second Prize in the Western Region under Category 'C', Pune Zonal Office received the Third Prize in the Western Region under Category 'B', TOLIC, Nagpur (under the Bank's coordination) was awarded in the Western Region under Category 'B'. TOLIC Muzaffarpur was awarded in the Eastern Region under Category 'A'. During the year, 39 offices and branches received awards from various Town Official Language Implementation Committees. Further, 21 staff members of the Bank received awards in All-India Level Essay Writing Competitions organized by various banks.

During the year, approximately 250 Official Language Workshops were conducted, in which 5,923 staff members were trained. The Bank is successfully discharging the responsibility of coordinating 16 TOLIC as assigned by the Government. During the year, 10 offices of the Bank were inspected by the Hon'ble Members of the Third Sub-

Committee of the Parliamentary Committee on Official Language and all inspections were completed smoothly.

22. HUMAN RESOURCES, LEARNING AND DEVELOPMENT:

A. HUMAN RESOURCES:

Decision making in HR is aimed to be more data-driven to improve efficiency and transparency. Bank aims to achieve consistency through building capability and continuous learning and development.

- As on 31.03.2026, there were **51,010** employees on the rolls of the Bank. Out of this, there are **29194 Officers, 17238 Clerks and 4578 Subordinate Staff**. During FY 2025-26, Bank recruited **870** Staff Officers in General Banking and Specialist cadre and **639** in Clerical cadre. Further, during FY 2025-26, under Compassionate Appointment Scheme, Bank has appointed **48** Clerks and **33** Sub-Staff. During FY26-27, the Bank plans to recruit **1219** (705 (700 GBOs + 5 Specialist Officers in JMG-I) + 514 (Credit Officers in MMG-II to SMG-IV) Staff Officers and **1700** clerical staff.
- In Succession Planning, endeavour is being made to bridge systematically the gaps of skill shortage in critical areas of Corporate Credit, Credit Monitoring, Recovery, Treasury etc. and also in the emerging areas such as Infrastructure Financing and Financial Inclusion, through mapping of competencies vis-à-vis critical roles identified.
- In Talent Management sphere, a focussed Talent Review & Development Process is being undertaken to ensure that the current incumbents and potential employees in these roles will be suitably trained and groomed to assume these roles in time.
- Towards paperless HR, various digitisation initiatives such as Online acceptance of terminal dues applications, complaint handling, Investment dashboard for the management etc., submission of Form 12BB in HRMS have been implemented.
- Bank has implemented a gender neutral 'Prevention of Sexual Harassment at workplace (POSH) Policy' in strict compliance of Government of India instructions as are advised from time to time, for empowerment of women. It has been the endeavour of the Bank to eliminate any form of sexual harassment and ensure safe & conducive and harmonious work environment to guarantee that all employees enjoy equality, dignity and respect
- Officers who are interested and are having flair of working in specialized areas like Credit, Risk Management, Treasury etc., are being identified through 'Star Hunt' scheme. After selection, such officers are trained in the vertical they are selected for and are posted in identified fields.
- To promote self-learning many courses from identified institutes as well as under MOOCS were included in the Bank's Capacity Building. Customized training programmes have also been formulated in collaboration with external training institutes like CRISIL, IIBF, CAB Manipal Institute etc. for imparting trainings in areas like Credit, Compliance etc.

- Bank aims to ensure seamless implementation of various HR initiatives like Job Family, Succession Planning & Talent Management Process and any other Government directive envisaged in PSB Reforms Agenda for Enhanced Access & Service Excellence (EASE).
- Bank has implemented 'Bank of India Code of Ethics & Conflict of Interest Policy' towards ensuring an organization based on ethics and moral values and a work environment free of any kind of bias/discrimination and harassment.
- We are committed to strict compliance and implementation of Equal Opportunity Policy in our bank towards eliminating all forms of discrimination and ensure that the persons with disabilities enjoy equality, dignity and are empowered and better equipped to perform at par with others.
- **Credit Life Insurance to Staff Members availing Staff Loans :** Bank has entered in an Memorandum of Understanding (MOU) with its Insurance Partner, SUD Life Insurance Co. Pvt. Ltd. which will provide Credit Life cover at low cost to the employees of the Bank who avail loan under Staff Loan schemes, viz. Staff Housing Loan scheme, Staff Vehicle Loan scheme and Scheme for extending Personal Overdraft facility to Staff Members. This initiative will not only ensure the financial security of employees but also aligns with the bank's goal of providing comprehensive protection to its employees.
- **Modification in Staff Housing Loan:** The Scheme has been modified with the 2 major modifications with regard to (i) increase in number of dwelling units to THREE, interest rate to third dwelling unit/ residential property considering it as Commercial Real Estate Exposure and (ii) eligibility of Staff Housing Loan for maximum FOUR dwelling units/ residential properties) in Staff Housing Loan Scheme (Staff Officers & Award Staff members).
- **Review of BOI Milestone Award Scheme:** The Milestone scheme has been reviewed wherein it is proposed to bring the concept of fixed weight i.e. **25 grams** irrespective of the cost of the silver medallion instead of fixed monetary ceiling.
- **Manpower Plan :** The Manpower Plan for the year 2026-27 has been finalized taking into account the vacancies to be filled in through direct recruitment for Officers and Customer Service Associates; To have appropriate allocation of Manpower resources across the Bank, to augment and improve business / service excellence of the Bank and to manage affairs of the Bank efficiently administrative transfers are being issued by Head Office.
- **Promotion of Digital Rupee and credit of quarterly reimbursements through Digital Rupee Wallet:** The Bank has implemented this initiative as a step forward in our collective mission of building a digitally empowered and financially inclusive Bank of India. All Offices and Branches take proactive steps in promoting digital awareness and encouraging day-to-day use of the Digital Rupee for personal and official transactions
- **Star Bonding** an initiative under Employee Engagement and Connect has been undertaken for all the Branches. Under this initiative various employee engagement activities are designed to foster the spirit of team bonding, collaboration, rewards, recognition, having fun and above all creating a Happy Workplace. The amount has been allocated to all the Zones for utilization and utilization certificates obtained.
- **Recognition of Divyangjan on 03.12.2025 (On the eve of International Day of Persons with Disabilities) –** On the eve of International Day of Persons with Disabilities, Divyangjan employees were honoured for their achievements across all Zones via video conference. 12 awards were presented in categories like Customer Service, Business Excellence, and Inspirational Performance (6 in Award Staff and 6 in Officer Cadre). Winners received certificates, trophies, and gifts, and Senior HR management interacted with them. The programme left employees feeling valued, motivated, and proud.
- **Staff Accountability Portal** has been made live on 24.12.2025. There has been significant reduction in TAT in Disciplinary Proceedings. Process improvements in document sharing and inquiry panels already yielding results. It has been proposed for Automation & Inquiry through VC setup to further reduce TAT and improve transparency.
- **Holiday Home Booking made online for retired staff –** The booking on holiday homes has been made online on BOI Alumni Portal for retired staff members thereby enabling them to book the holiday home with ease.
- **Absorption of Tax Liability** arising out of Perquisites value on account of concessional and interest free loans extended to the employees for the FY 2025-26.
- **Star Pratibimb (HR Evaluation) for year 2025-26- HR Evaluation at 3 levels** i.e. Zonal Office to Zonal Office, Training Centre to Training Centre and Branch to Branch. The process has been completed for the year wherein evaluation is done on 10 parameters with marking system in 100. The process ensures in evaluation of HR policies and incorporate/ implement the best HR practices.
- **The Bank has implemented significant structural reforms in disciplinary proceedings**, resulting in faster resolution of cases and improved transparency. A large number of cases have been concluded, providing timely relief to field functionaries.
- **SHE Box Portal has been updated** with the details of all FGMOs/ Zones of the Bank
- **The following processes have been automated in HRMS**
 - **Automation of Salary Zero** in case of Unauthorized Absence for continuous 30 days
 - Auto mailer facility of **Password Reset** through RPA Bot
 - **TOAS – Subsidized Accommodation Module** for all zones and Rent payments
 - **Sensitive Post** – Auto Mailer for staff superannuating within 3 months
 - **Payment of F&F claims** through HRMS
 - **Family pension application**

HR Transformation: We have now completed two years of the BOI STARLIGHT Project, which has driven meaningful change across the Bank's HR systems, processes, and capabilities. With 15+ employee-centric digital tools and 40 lakh+ page hits, the project is helping build a more performance-oriented, technology-enabled, and employee-centric organization. During the period under review, the following key milestones have been achieved.

- **Performance Management System (PMS):** A more robust and objective PMS has been institutionalized through role-based KRAs, expanded measurability, and fairer comparisons across roles. With **2,000+ unique roles, 1,000+ data points, and 290+ cohorts**, the new framework has strengthened appraisal objectivity and helped reduce bias between field and administrative roles.
- **Digital Recognitions:** To reinforce a stronger performance-oriented culture, the Bank has institutionalized structured recognition initiatives like monthly Digital Wall of Fame, with 900+ officers recognized across 5 core business parameters including CASA, Advances, NPA, CSAT and digital transactions.
- **Transfer & Promotions:** End-to-end transfer and promotion processes have been digitized on the StarLIGHT portal, with 1,500+ bilingual transfer orders issued digitally and 8.4K+ promotion applications received / processed, improving efficiency, transparency, and process tracking.
- **Star Saarthi:** The Bank has introduced **Star Saarthi**, a **GenAI-powered transition ready reckoner** designed to support employees with location-specific insights across multiple parameters such as healthcare, housing and accommodation, education facilities, care and therapy centers, and branch details. The tool has seen strong early adoption and has helped simplify employee transition journeys.
- **Star VidyAi:** Building on the Bank's first-in-industry GenAI learning interventions, **Star VidyAi** has been strengthened as a **GenAI-powered learning tutor** for functional and behavioral capability-building. Through interactive and scenario-based learning, the tool is helping officers build product, policy, and communication capabilities in a more engaging and practical format.
- **Star Samarth 2.0:** Star Samarth 2.0 is the Bank's Employee Assistance Program, designed to support employee well-being through counselling, emotional support, and awareness interventions for officers and their families. The platform has seen 3,000+ employee registrations, 300+ family member registrations, and 1,000+ counselling sessions, supported by Emotional Care Champions, counselling access, and webinars across themes such as self-development, work-related concerns, mental health, family issues, and lifestyle support.
- **Target Setting:** Scientific target setting has been further strengthened through market-linked and

branch-contextual inputs, resulting in materially improved target quality. The redesigned approach has shown ~70% acceptance of suggested targets and a 32x stronger correlation with market growth, helping align business expectations more closely with local realities.

- **Centres of Excellence:** Three STAR APEX Centres of Excellence have been established at MDI Belapur, STC Noida, and ITTC Pune, with 13 training batches conducted under the revamped methodology and 15+ external partners engaged to strengthen advanced banking and behavioral capability-building.

Beyond the above, initiatives are in place across the entire employee journey to strength performance orientation, talent management, and streamline other HR processes, while keeping employee well-being at the centre of the transformation.

Compliance with Reservation Policy for representation of SC/ST/OBC/EWS/PwD/Ex-SM:

The Bank is strictly complying with the reservation policy of Government of India. Separate cell for SC/ST and OBC has been set up at Head Office as well as in all Zonal Offices which takes exclusive care in implementing the reservation policy and redressal of grievances related to SC/ST/OBC Employees. EWS reservation in Direct Recruitment was implemented in the Bank since 01st February 2019.

Representation of SC/ST/OBC/EWS staff as on 31.03.2026:

Cadre	SC	% to total staff	ST	% to total staff	OBC	% to total staff	EWS	% to total staff	Total
OFFICER	5216	17.86%	2633	9.01%	8983	30.77%	564	1.93%	29194
CLERK	2567	14.89%	2092	12.13%	4996	28.98%	476	2.76%	17238
SUBSTAFF	1580	34.51%	542	11.83%	1308	28.57%			4578
TOTAL	9363	18.35%	5267	10.32%	15287	29.96%	1040	2.03%	51010

23. LEARNING AND DEVELOPMENT:

Learning and Development (L&D) Department has played a pivotal role in advancing the Bank's strategic objectives through comprehensive employee training and capacity building initiatives. In an evolving banking landscape shaped by technological advancements, regulatory changes, and shifting customer expectations, the L&D team continues to focus on equipping employees with the skills and knowledge required to thrive in a dynamic environment.

During this year, more than 32000 employees participated in various training programmes covering a wide range of topics such as leadership, credit, forex, risk management, customer service, digital banking, and cyber security awareness, etc.

To foster a culture of continuous learning, the L&D team strengthened the Bank's internal knowledge platform and introduced personalized learning journeys aligned with individual career aspirations. The bank further collaborates with reputed training institutions viz. IIM Udaipur, IIM Kozhikode, IDBI Hyderabad, IMI New Delhi, CAFRAL, CAB Pune, NIBM Pune, Indian School of Business (ISB)

Hyderabad & Mohali, ASCI Hyderabad, IIBF, IIBM, BIRD Lucknow/Mangaluru, Unext, Institute of Insurance and Risk Management (IIRM), Hyderabad, etc.

All training colleges are collectively bringing out monthly magazine, Star Darpan. Other publications like Sandipani and Vijeta by training colleges are instrumental in the skill upgradation of employees

Three training colleges have been designated as Centres of Excellence and were launched as under:

Centre of Excellence	Date of launch
Star APEX, Belapur for People and Leadership Development	September 08, 2025
Star APEX, Noida for Credit and Risk Management	December 08, 2025
Star APEX, Pune for IT and Customer Service	February 23, 2026

It is proposed to designate the remaining training colleges as Centres of Excellence, the details of which are as under: -

- STC Bhopal for Agriculture & Priority Sector Lending
- STC Kolkata for Sales & Marketing
- STC Chennai for General Operations
- STC Goa for Audit & Compliance

Looking ahead, the Learning and Development Department remains committed to building a resilient, future-ready workforce by aligning training efforts with the bank's transformation agenda and long-term vision.

24. CUSTOMER EXCELLENCE BRANCH BANKING:

- Customer Excellence Branch Banking Department redresses the grievances raised by customers on different channels such as web portal, Call Centre, email, hand delivery etc. While ensuring effective and timely redressal of the grievances, our Department also fosters the sense of service excellence among the customers, by way of motivating the field staff to serve the customers with smile.
- There are various levels for supervision and monitoring of Internal Grievance Redressal Mechanism in our Department, Customer Service Committee of the Board (CSCB) being on the Top of the ladder. A comprehensive note on the Internal Grievance Redressal Mechanism is placed before the CSB every quarter, as per regulatory requirements, for their assessment of the functionality and activities of the Department coupled with the performance on various parameters.
- Standing Committee on Customer Service (SCCS) meeting is conducted on monthly basis to review the grievance redressal mechanism and customer service in the Bank. The Committee is headed by Executive Director, participants being CGMs/General Managers

of various verticals. Issues pertaining to different departments, which are escalated to our Department for resolution are sorted out and discussed in these meetings wherein directions by the Top Management are passed on to the respective departments for speedy, effective and conclusive redressal of the grievances.

- In EASE 8.0 also our Bank's performance has been showing marked improvement quarter on quarter.
- We have been ranked 1st amongst Public Sector Banks by DFS in CPGRAMS portal from Nov'25 to Feb'26 and stood 2nd in the months from July'25 to Oct'25 and in the month of Mar'26.
- We have robust Complaint Management System i. e. Star Sampark (CRM Next) which captures all complaints emanating through various channels. Every complaint is having unique ID which can be tracked online by the customer. Notification of updates with regard to the complaint is sent to the complainant through SMS /email on their registered mobile number/ email ID. Complainant can also reopen complaints if not satisfied with the resolution provided by the Bank.
- We have also implemented Feedback Capturing Mechanism through various sources to assess the satisfaction level of our Bank's services among our customers. Feedback through QR code is captured for branch visiting customers. We have also implemented robust mechanism to monitor feedback received from our customer i.e. Qlik Sense Portal. Qlik Sense portal monitors the Customer Satisfaction Score (CSAT) which represents feedback responses provided by the customer of our Bank.
- Our Call Centre is being revamped and new state of the art next gen AI call centre will be established in this Fiscal. Call Centre caters to various services to our customers 24x7x365.

25. BRANCH NETWORK & EXPANSION

Bank has a geographically well spread branch network in India and abroad. Bank had 5511 branches in India as on 31.03.2026. Composition of Bank's domestic branch network is as under:

Category	31.03.2025		31.03.2026	
	No of Branches	% to total	No of Branches	% to total
Metropolitan	974	18.36	1022	18.54
Urban	851	16.04	913	16.57
Semi-Urban	1573	29.66	1642	29.79
Rural	1906	35.94	1934	35.09
Total Domestic Branches	5304	100	5511	100
Digital Banking Units	02	---	02	---

During the year 2025-2026, Bank has opened 207 new branches. The category wise break up of newly opened 207 branches is as under:-

Metro	Urban	Semi-Urban	Rural	Total
50	57	68	32	207

26. DOMESTIC SUBSIDIARY MANAGEMENT DIVISION:

BOI Services Limited (BOISL) (formerly known as BOI Shareholding Ltd):

Bank has investment of ₹ 6.65 Crore in BOISL, a wholly owned subsidiary of the Bank. BOISL acts as Depository Participant (DP) for both the depositories - National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). The Company also commenced its Corporate BSA activity in April 2024.

Bank of India Investment Managers Pvt. Ltd. (BOIIMPL) & Bank of India Trustee Services Pvt. Ltd. (BOITSPL) (Erstwhile BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd.):

These subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Investment Advisory Services under SEBI Investment Advisor Regulations. Bank of India is holding 100% stake in BOIIMPL and BOITSPL with investment of ₹ 98.10 Crore.

BOI Merchant Bankers Limited (BOIMBL):

Established in 2014, BOI Merchant Bankers Limited is engaged in merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures. It is a wholly owned subsidiary of the Bank with paid up capital of ₹ 10.00 Crore.

STCI Finance Limited:

Established in 1994, STCI Finance Ltd., acts as a non-deposit taking NBFC. Bank of India with 29.96% holding (investment of ₹ 130.10 crore) is the largest stakeholder in STCI. STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations in June 2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLIFE):

Bank of India, Union Bank of India and Dai-Ichi Life International Holdings, Japan have formed a Joint Venture "Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company" to provide life insurance services to its clients. The company commenced insurance business in February 2009. BOI holds 27.48% (investment of ₹ 132.92 Crore), with UBI holding 25.10% and Dai-Ichi Life International Holdings holding 47.42% stake in the Company.

ASREC (India) Ltd. was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Bank holds 26.02% stake

(investment of ₹ 27.60 Crore), in the Company.

INVESTMENT / ALLIANCES:

National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL) – IBA has set up Bad Bank to resolve the NPA issue in Banking Sector. Bank has invested ₹ 247.50 Crore in NARCL with 9.00% holding.

India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL) - IBA has also set up IDRCL to provide debt management service to NARCL. IDRCL brings expertise to the table – with its team of sectoral experts and turnaround specialists. Bank has invested ₹ 0.80 Crore in the company with 4.00% holding

National Commodities Management Services Ltd. (NCML) is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. Bank holds stake of 2.34% in the equity capital of the company with Investment of ₹ 3.00 Crore.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd. a joint venture company promoted by SWIFT and 9 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 2.81% in the company with an Investment of ₹ 7.71 Crore.

Acuite Ratings & Research Limited (Earlier SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)) was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading providers of commercial data and analytics. The Company's objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easy flow of credit to SME sector. Bank holds a stake of 1.96% in the equity capital with an investment of ₹ 0.28 Crore.

OTHER STRATEGIC INVESTMENTS:

Bank also has strategic investments in following entities:

(₹ in crore, as on 31.03.2026)

Name of the Company	Book Value#	Face Value
SIDBI	650.53	15.10
METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA	0.00	5.00
ONDC	14.47	20.00
NPCI	10.00	10.00
Invent Assets Securitization and Reconstruction Pvt Ltd	5.35	4.00
SBI DFHI LTD	29.99	4.42
CERSAI	50.70	2.16
AGRICULTURE FINANCE CORPORATION	1.82	1.26
Central Ware Housing Corporation Ltd	39.92	1.03
PSB Alliance	1.76	2.00
CSC e-Governance services India Ltd	12.10	1.00

Name of the Company	Book Value#	Face Value
CCIL	14.09	0.50
U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd	0.32	0.15
SWIFT	1.81	0.14

- # In compliance with RBI Master Direction on Clarification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Commercial Banks (Directions) 2023 dated 12.09.2023. All investments were fair valued on initial recognition and the subsequent Appreciation / Depreciation was transformed to General Reserve as on 01.04.2024. Accordingly, the investment in unlisted strategic investment were fair valued through breakup value and Book value of investment was changed w.e.f. 01.04.2024.

27. FRAUD RISK MANAGEMENT

Good corporate governance serves as an important factor in control of fraudulent activities. It may be true that Fraud itself cannot be eliminated but fraud risks can be managed and mitigated like other business risks with a proactive framework such as -

- Devising and managing Fraud Risk Management Framework with board approved Policy supported by Operational Manual & SOPs,
- Timely Reporting of Frauds to Regulators and Board,
- Diagnosis and root cause analysis of fraud cases and implementation of remedial measures and steps to mitigate risks thereof in respect of product deficiencies with support from stake-holders departments at HO,
- Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud by way of Circulars / instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature, at branches,
- Sensitizing staff through short alert messages through tickers / periodical messages through MMS and training/ Video Conferencing on Fraud prevention in coordination with Learning & Development Dept,
- Enterprise wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) encompassing all non-credit delivery channels except cards; which is being monitored through separate solution, has been implemented covering domestic branches and one overseas centre, with CORM approved SOP.
- Working on 'Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) portal managed by LEAs to provide required data in coordination with Digital Banking Department and Freezing of the accounts for blocking further damage to customers,
- Filing of Complaints with Law Enforcement Agencies (LEAs) by branches/ controlling offices.
- Issuance of LOCs as per extant guidelines of IBA (Indian Banks' Association) basing on direction from MHA (Ministry of Home Affairs).

Highlights during the year:

- Perpetration of **new** frauds reported during the FY 2025-26 is **₹732.42 crore** (excluding 12 frauds of ₹1094.09 crore which are re-reported after re-examination) which shows decrease on comparing with frauds reported in FY 2024-25 amounting to ₹1073.49 crore (excluding five frauds of ₹375.72 crore which were re-reported after re-examination). Twelve cases with amount involved ₹1094.09 crore which were de-activated as per Supreme Court verdict dated 27.03.2023 are re-reported by us during FY 2025-26 after re-examination, complying with Principle of Natural Justice. Hence, excluding these 12 cases, involving amount of ₹1094.09 crore, total amount of fraud reported in FY 2025-26 is ₹732.42 crore only.
- Internal frauds due to staff involvement was amounting to ₹23.29 crore in FY 2025-26 which consist of 3.18% of newly reported frauds of ₹732.42 crore.
- Based on the complaints/Information received on I4C portal during the FY 2025-26, we have marked lien of ₹151.44 crore. against credit received in our bank's customer's account. Further as per our response on I4C portal for the victim customer of our Bank, other banks have also marked lien of ₹50.76 crore.in their customer's account while attending the cyber fraud complaints on I4C (Indian Cyber Crime Co-ordination Centre) Portal.

28. VIGILANCE MANAGEMENT:

"VIGILANCE MANAGEMENT: Vigilance department is headed by Chief Vigilance Officer for vigilance administration in the Bank under the general superintendence of Central Vigilance Commission (CVC). Vigilance department covers all vigilance related matters of bank's officials in domestic operations, overseas operations, and subsidiaries.

The Vigilance Administration of Regional Rural Bank sponsored by Bank of India, viz. Madhya Pradesh Gramin Bank is also supervised by Vigilance Department.

Vigilance department works under Chief Vigilance Officer assisted by one additional CVO (ACVO) and two Deputy General Managers and other officials having background / experience in the field of operations, investigation and disciplinary matters. For operational convenience, Vigilance Department has stationed one Vigilance Officer in each zone under the direct control of Vigilance Department, Head Office. Concurrent Auditors, working at overseas centres, perform the role of Vigilance Officer for overseas branches.

The Vigilance Department deals with all 3 functions of Vigilance Administration such as Preventive, Punitive and Surveillance Vigilance, with the objective of enhancing the level of managerial efficiency and effectiveness in the organisation. Communications covering gist of circulars, guidelines, and instructions etc., issued by the DFS, DoPT, CVC are circulated to field functionaries / Offices from

time to time along with other related subjects of preventive vigilance”.

29. FOREIGN BUSINESS DEPARTMENT

In a fiscal year marked by persistent geopolitical uncertainties and evolving supply chain disruptions, the Bank reinforced its position as a reliable partner in international trade. By leveraging its specialized Forex Back Office and a widespread presence of 206 Authorized Dealer branches across India, the Bank provides tailored forex solutions while maintaining an unwavering commitment to regulatory compliance.

In alignment with the nation's goal of reaching USD 2 trillion in exports by 2030 under the **Viksit Bharat** vision, the Bank consistently strives to provide "single-avenue" solutions for its exporters. Despite rising protectionism and geopolitical shifts, the Bank's export credit registered steady growth of approximately 10% in FY 2025-26. Export turnover in the Bank grew by 10.49%—significantly outperforming India's overall export growth of ~6%—while the remittance business recorded an 11.86% increase during the review period.

- **Centralized Foreign Exchange Back Office (FEBO):** To ensure operational uniformity and strict adherence to compliance standards, the Bank has centralized its forex operations at GIFT City, Gandhinagar. A dedicated Business Continuity Planning (BCP) site has also been established in Mumbai to ensure uninterrupted service.
- **NRI Help Desk:** A state-of-the-art help desk caters to the Indian diaspora, providing handholding support and driving operational excellence for NRI clientele.
- **Exporters' Meets:** The Bank organized frequent interactive sessions for exporters alongside Zonal Officers, covering all major export hubs across the country.
- **Special Rupee Vostro Accounts (SRVA):** Supporting the internationalization of the Rupee, the Bank has opened SRVAs for 12 banks across vital global trade destinations.
- **Digital Drivers of Growth:** By implementing Straight Through Processing (STP) for inward remittances, the Bank has significantly reduced turnaround times (TAT). Additionally, the phased implementation of the trade finance platform, FINASTRA will soon allow customers to initiate digital requests for trade related transactions directly from their office.
- **Capacity Building and upskilling of Manpower:** To develop the talent pool in the Bank, operational and strategic training is provided on continuous basis by arranging various training programmes covering maximum number of field functionaries of AD Branches and SMECC Heads for delivering best in class services to Forex Customers and imbibing a compliance culture.

30. GOVERNMENT BUSINESS DEPARTMENT

The Government Business Vertical plays a vital role in strengthening the Bank's engagement with Central/State Governments, PSUs, and autonomous bodies across India. The Vertical provides a wide range of government banking services including pension disbursement, tax collections, treasury operations, postal transactions, and management of small savings and investment schemes such as Public Provident Fund, Senior Citizens' Savings Scheme, Sukanya Samridhi Yojana, National Pension System, RBI Bonds etc.

The Vertical also facilitates account opening for Government organizations and supports integration with digital platforms such as the Public Financial Management System (PFMS). Through customized technology-driven solutions and dedicated support to branches, the Vertical enhances operational efficiency and strengthens institutional relationships.

As an accredited banker to key ministries including the Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Steel, and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, the Bank remains committed to delivering innovative, customer-centric, and value-added services, thereby contributing to the nation's governance and economic development.

Key Initiatives:

1. The bank has contributed in the Social Security Schemes and mobilised 102,021 Small Savings Account in FY 2025-26.
2. Bank has signed MoUs with Defence and Paramilitary forces like Army, Air Force Navy, BSF, CRPF and ITBP for salary accounts of their active personnel and for the pensioners.
3. Bank also signed salary MOUs with some of the major PSU / PSE / Railways like SAIL, Western Railways, Central Railways, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) and with State Governments of Bihar, Jharkhand, Uttarakhand, Tamil Nadu and Chhattisgarh for their employees.
4. Bank has signed MOU with NeGD under the Ministry of Electronics & IT (MeitY) to promote the digital services of UMANG application of Central/ State Government through BOI Omni Neo App.
5. Bank received an appreciation letter from Department of Pension and Pensioners Welfare for the good work in Digital Life Certificate Camps, reflecting the strength in Digital Service Delivery.
6. Bank was felicitated by PFRDA on 12th September 2025 for overall performance in various campaigns launched by PFRDA during FY 2024-25.

31. TRANSACTION MONITORING AND KYC - AML

Measures to Mitigate Cyber-Enabled Fraud and Strengthen AML/CFT Framework

The Bank has strengthened its control framework to address the rising incidence of cyber-enabled frauds, mule accounts, and risks relating to money laundering and terrorist financing through the following measures:

- **Implementation of MuleHunter.AI**
The Bank has deployed MuleHunter.AI, developed by Reserve Bank Innovation Hub (RBIH), for identification of mule accounts. The system enables real-time detection and immediate debit freeze of accounts involved in fraudulent and suspicious activities.
- **Transaction Monitoring for Newly Opened Accounts**
Velocity checks have been implemented for accounts with age up to six months. Accounts exceeding predefined thresholds—such as abnormal transaction volumes or transactions beyond 2–3 times the declared annual turnover—are flagged and immediate debit freeze further subjected to Enhanced Due Diligence (EDD). Based on EDD outcomes, appropriate restrictions are imposed.
- **Real-Time Financial Fraud Risk Indicators (FRIs)**
The Bank has integrated FRIs for monitoring digital transactions. Transactions assessed as high-risk, based on risk scores provided by the Department of Telecommunications (DoT), are declined in real time to prevent potential frauds.
- **AI/ML-Based AML Transaction Monitoring System**
All transactions, along with alerts received from I4C, NPCI, and Law Enforcement Agencies (LEAs), are processed through an AI/ML-based AML/CFT monitoring system:
- Configured with **125 Red Flag Indicators (RFIs) including 23 related to Cyber enabled financial frauds-prescribed** by FIU-IND
- Supported by **72 offline RFIs** operationalized at branch level

Alerts generated are examined, and accounts are subjected to EDD. Accounts with adverse findings are immediately debit frozen.

➤ **Regulatory Reporting and Enforcement Coordination**

In cases involving suspicion of money laundering or terrorist financing, Suspicious Transaction Reports (STRs) are filed with FIU-IND in a timely manner. The Bank actively coordinates with FIU-IND and LEAs to support investigation and enforcement actions.

Overall, these initiatives enhance the Bank's capability for early detection, real-time intervention, and regulatory compliance, thereby safeguarding the integrity of the financial system.

32. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

In terms of Regulation 43A of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on our website –

<https://bankofindia.bank.in/documents/20121/25744421/5-Dividend-Distribution-policy.pdf>

ACKNOWLEDGEMENT:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks the financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates, bondholders and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : 8 May, 2026

Sd/-
Rajneesh Karnatak
MD & CEO

कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग 2025-26

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (2) (एफ) के अनुसार कारोबार उत्तरदायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट हमारी वेबसाइट www.bankofindia.bank.in पर निवेशक - कारोबार उत्तरदायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट के अंतर्गत उपलब्ध है। यह <https://bankofindia.bank.in/business-responsibility> से भी प्राप्त किया जा सकता है।

BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORTING-2025-26

In terms of Regulation 34 (2)(f) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Business Responsibility and Sustainability Report is available on our website - www.bankofindia.bank.in under Investor Corner ----- Business Responsibility and Sustainability Report. The same can be accessed at <https://bankofindia.bank.in/business-responsibility>

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बैंक की विचारधारा का एक मुख्य स्तंभ बना हुआ है, जो सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक स्थिरता के साथ कारोबार विकास को संरेखित करता है। विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से, बैंक समाज के वंचित, उपेक्षित और अतिसंवेदनशील वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कल्याणकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को आयोजित करता है। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, बैंक महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और कौशल विकास का समर्थन तथा दिव्यांग व्यक्तियों और अनाथों की सहायता करता है और सतत आजीविका के अवसर पैदा करने और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए वित्तीय साक्षरता और समावेशन आदि को बढ़ावा देता है।

बैंक 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को बढ़ावा और समर्थन देने के लिए "स्टार एंजेल स्कीम" ब्रांड नाम के तहत अपनी प्रमुख सीएसआर पहल को लागू करना जारी रखता है। इस कार्यक्रम के तहत, कक्षा I में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं की पहचान की जाती है और उनके शिक्षा व्ययों में सहायता हेतु प्रति वर्ष ₹1,200/- की वित्तीय सहायता के लिए चुना जाता है, जो स्नातक स्तर तक जारी रहती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक द्वारा पहले से ही शुरू की जा रही कुछ सीएसआर पहलें इस प्रकार हैं:

• महिला सशक्तिकरण

- स्टार एंजेल योजना 'बेटी बचाओ', 'बेटी पढ़ाओ' अभियान को बढ़ावा दे रही है।
- शिक्षा तक पहुंच और लगातार सीखने को प्रोत्साहित करने हेतु लड़कियों को 500 साइकिल का संवितरण किया गया, ताकि लड़कियां विद्यालय न छोड़ें।
- अनाथालय और लड़कियों के हॉस्टल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और सुधारना।
- महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर में सुधार हेतु कौशल विकास कार्यक्रम में सहायता करना

• स्वास्थ्य सेवा

- नशा मुक्ति और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर राज्य सरकारों की एंटी-नारकोटिक्स पहलों में सहायता की।
- एम्बुलेंस, आवश्यक मेडिकल उपकरण, जिसमें वेंटिलेटर, मल्टीपैरा इन्फ्यूजन पंप, अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर के लिए इलेक्ट्रिक ऑपरेटिंग टेबल, व्हीलचेयर और स्ट्रेचर, ऑक्सीमीटर और बच्चों के नवजात रेडिएंट वार्मर, बच्चों की स्वास्थ्य सेवा हेतु एनआईसीयू उपकरण इत्यादि शामिल हैं।
- थेरेपी केंद्र बनाने, ऑटिज़्म केयर, कैंसर केयर पहलों में सहायता का विस्तार, इलाज में मदद और रोगी कल्याण में सहायता
- आंगनवाड़ी केंद्र को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस देकर प्रारंभिक बाल्य स्वास्थ्य में सहायता

• स्वच्छता

- स्वच्छ भारत अभियान के तहत विद्यालयों में शौचालय निर्माण, विद्यालयों और सामुदायिक स्थानों पर वॉटर प्यूरीफायर लगाना।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility (CSR) remains a core pillar of the Bank's philosophy, aligning business growth with social, environmental and economic sustainability. Through various CSR initiatives, the Bank undertakes welfare oriented projects and programmes aimed at improving the quality of life of underprivileged, marginalized, and vulnerable sections of society. As a responsible Corporate citizen, the Bank supports women empowerment, education & skill development, assists differently abled persons and orphans and promotes Financial Literacy & Inclusion etc. to create sustainable livelihood opportunities and contribute meaningfully to nation building.

The Bank continues to implement its flagship CSR initiative under the brand name "Star Angel Scheme", for promoting and supporting the 'Beti Bachao, Beti Padhao' Abhiyan. Under this programme, girl students from economically weaker sections are identified in Standard I and selected for extending financial assistance of ₹1,200/- per annum to support their education expenses, which continues up to the level of graduation.

Some of the CSR initiatives already being undertaken by the Bank during FY 2025-26 are:

• Women Empowerment

- Star angel Scheme promoting 'Beti Bachao, Beti Padhao' Abhiyan
- Contribution towards distribution of 500 bicycles to girl students to promote access to education and encourage continued learning so as to avoid school dropouts
- Setting up and improving infrastructure in orphanage and girls' hostels
- Support skill development programs to enhance livelihood opportunities for women

• Healthcare

- Supported anti-narcotics initiatives of State Governments by promoting drug de-addiction and awareness programs
- Strengthened healthcare infrastructure by providing Ambulances, essential medical equipment, including ventilators, multipara infusion pump, electric operating tables for operation theatres to the hospitals, wheelchairs and stretchers, oximeters and infant radiant warmers, NICU equipment etc. for child healthcare
- Extended support for establishment of therapy centres, autism care, cancer care initiatives, supporting treatment and patient welfare
- Supported early childhood health by supplying Growth Monitoring Devices to Anganwadi Kendra

• Sanitation

- Construction of toilets in schools, installation of water purifiers in schools and community spaces under the Swacchh Bharat Abhiyan

• शिक्षा और कौशल विकास

- कक्षाओं का निर्माण करना और स्कूल किट और यूनिफॉर्म प्रदान करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहायता हेतु आधारभूत विद्यालय अवसंरचना का विकास।
- अनाथ/दृष्टिबाधित/दिव्यांग छात्रों/व्यक्तियों की सहायता
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल)
- कौशल विकास कार्यक्रमों में सहायता

• पर्यावरणीय स्थिरता तथा पारिस्थितिक संतुलन

- ग्रामीण क्षेत्रों में सौर स्ट्रीट लाइटों; सौर वॉटर हीटिंग सिस्टम की स्थापना, ऊर्जा पार्क के नवीकरण में सहयोग देकर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- सतत सार्वजनिक परिवहन हेतु इलेक्ट्रिक बसें, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इलेक्ट्रिक कार्ट/वाहनों की उपलब्धता
- कचरा संग्रहण और निपटान हेतु ई-रिक्शा उपलब्ध कराकर कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

• समुदाय विकास और आजीविका संवर्धन

- भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं एवं उनके आश्रित बच्चों के कल्याण और पुनर्वास हेतु सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि के लिए सहयोग प्रदान करना
- भोजन/मध्याह्न भोजन प्रदान करने वाले संस्थानों को सहयोग देना
- जनजातीय समुदायों के रहन-सहन में सुधार हेतु आवास व्यवस्था प्रदान करना
- राहत और पुनर्वास सहायता हेतु एक आपदा पुनर्वास केंद्र की स्थापना
- सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु पुलिस कर्मियों को हेलमेट प्रदान किया जाना
- सरकार द्वारा संचालित साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम को समर्थन और डिजिटल सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने हेतु कियोस्क मशीनें उपलब्ध कराई गईं

• खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना

ग्रामीण खेल आयोजनों, फुटबॉल टूर्नामेंटों को समर्थन तथा युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट किट प्रदान करना

• राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण

- आगंतुकों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु हैंड रेल्स और रूफिंग जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को विकसित करके विरासत स्थलों को परिरक्षित करना
- वृद्ध और दिव्यांग आगंतुकों हेतु इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराना
- पर्यटक सूचना केंद्र की स्थापना करना

• Education and Skill Development

- Construction of classrooms and providing school kits & uniforms
- Development of basic school infrastructure to support quality education
- Support to orphaned/blind/differently-abled students/ persons
- Centres for Financial Literacy (CFLs)
- Support skill development programs

• Environmental Sustainability and Ecological Balance

- Installation of solar street lights in Rural areas; Solar water Heating Systems, contribution to renewal energy awareness by supporting renovation of Urja Park
- Providing Electric buses for sustainable public transport, electric carts/vehicles for elderly and differently abled individuals transport facility
- Strengthened waste management system by providing E-Rickshaws for waste collection and disposal

• Community Development and Livelihood Enhancement

- Support extended towards Armed Forces Flag Day Fund for welfare and rehabilitation of veterans, war widows, and their dependents
- Support to institutions providing food/mid-day meal
- House repairing for tribal communities to improve living conditions
- Established a disaster rehabilitation centre for relief and recovery support
- Provided Helmets to Police personnel to support road safety
- Supported Government led Cyber Safety Awareness program and provided Kiosk Machines to enhance public access to digital services

• Promoting Sports Activities and Training

Supporting Rural sports events, football tournaments and providing cricket kits to young players

• Protection of national heritage, art and culture

- Preserving Heritage sites by developing essential infrastructures such as hand rails and roofing for visitors' safety and protection
- Providing Electric Vehicles for elderly and differently abled visitors
- Establishment of Tourist Information centre

क्र. सं.	श्रेणी	राशि (लाख में)
1	बुनियादी शिक्षा और कौशल विकास	290.14
2	स्वच्छ भारत अभियान	35.64
3	सामाजिक कल्याण सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	311.40
4	दिव्यांगों की सहायता	12.84
5	"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान" के तहत महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण	133.41
6	पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना	21.43
7	राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण	41.18
8	खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना	17.30
9	सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों का कल्याण	58.21
10	स्टार बॉन्डिंग पहल (प्रधान कार्यालय-मानव संसाधन)	361.10
	कुल	1282.65

- बैंक ने दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक विकास के माध्यम से सतत एवं समावेशी वृद्धि में सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति बैंक की बढ़ती प्रतिबद्धता को विस्तार देने के लिए सीएसआर गतिविधियों को संचालित करने हेतु एक समर्पित ट्रस्ट के रूप में "बीओआई सोशल फाउंडेशन" की स्थापना की है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भारत भर में बड़े पैमाने पर संरचित और सतत सीएसआर पहलों को संचालित करना है जो बैंक की सीएसआर नीति और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) तथा भारत सरकार के सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुरूप हों। यह ट्रस्ट समाज के निर्धारित, उच्च जोखिम एवं वंचित वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से मापनीय सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- अप्रैल 2026 से बैंक की सीएसआर पहलों का संचालन "बीओआई सोशल फाउंडेशन" द्वारा किया जाएगा।

Sr No.	Category	Amt (In Lakh)
1	Basic Education and Skill Development	290.14
2	Swachh Bharat Abhiyan	35.64
3	Health and Family Welfare including Social welfare	311.40
4	Supporting Physically Challenged	12.84
5	Empowering Women & Girl Child under "Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan"	133.41
6	Ensuring Environmental sustainability and ecological balance	21.43
7	Protection of National Heritage	41.18
8	Promoting Sports activities and training	17.30
9	Welfare of armed forces veterans, war widows and their dependents	58.21
10	Star Bonding Initiative (HO-HR)	361.10
	Total	1282.65

- Bank has established "BOI Social Foundation", a dedicated Trust for undertaking CSR activities, with a view to expanding Bank's growing commitment towards social responsibilities in sustainable and inclusive growth through long-term social impact and community development. The prime objective of the Trust is to undertake structured & sustainable CSR initiatives on a large scale across India which are aligned with the Bank's CSR Policy and in tandem with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and Government of India's CSR guidelines. The Trust focuses on creating measurable social impact through targeted interventions to address the unique needs of defined, high risk & underserved strata of the society.
- From April 2026 onwards, Bank's CSR initiatives will be undertaken by "BOI Social Foundation".

कॉरपोरेट प्रशासन

प्रशासन संहिता पर बैंक का दर्शन:

बैंक का कॉरपोरेट प्रशासन दर्शन इस विश्वास के इर्द-गिर्द बुना गया है कि कॉरपोरेट प्रशासन, दक्षता में सुधार और विकास के साथ-साथ निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में एक प्रमुख तत्व है। बैंक, कॉरपोरेट प्रशासन के उच्च मानक प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों और आत्म-अनुशासन में दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है और शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार और व्यापक समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करके कारोबार संचालन में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखता है। तदनुसार, कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन को निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है:

“नैतिक व्यवसाय प्रथाओं के माध्यम से हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना”।

कॉरपोरेट गवर्नेंस के कार्यान्वयन के मूल में बोर्ड है, जो इस बात की देखरेख करता है कि प्रबंधन कैसे बैंक के सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों को पूरा तथा इसकी रक्षा कर रहा है। बैंक का मानना है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, अच्छी तरह से सूचित और स्वतंत्र बोर्ड आवश्यक है। बैंक की कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का उद्देश्य भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, बीआईएस कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अलावा पेशेवर निकायों द्वारा अनुशंसित अच्छी प्रथाओं या भारत में अग्रणी बैंकों / कंपनियों द्वारा प्रथाओं के पालन पर भी ध्यान दिया जाता है।

बोर्ड, कार्यपालकों और अन्य पदाधिकारियों के बीच अंतर संबंध इस प्रकार से रखा गया है कि इनकी भूमिकाओं का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाए और कॉरपोरेट प्रदर्शन में सुधार हो। बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों और पारदर्शिता का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, बैंक ने व्यवसाय के हर पहलू की निगरानी के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

यथा 31.03.2026 तक, बोर्ड की संरचना निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी	नियुक्ति दिनांक	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की होल्डिंग	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1.	श्री एम आर कुमार गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (गैर-कार्यपालक स्वतंत्र)	21.02.2024	1. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 2. आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति 3. निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति	-	2	0	बीमा

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (राष्ट्रीयकरण अधिनियम) के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीयकरण अधिनियम के उपबंधों, यथासंशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970, यथासंशोधित द्वारा शासित होती है।

बोर्ड की जिम्मेदारियों में बैंक के समग्र कार्यसंचालन की निगरानी करना शामिल है, जिसमें व्यवसाय के संचालन के लिए नीतियों के अनुमोदन, व्यवसाय समीक्षा, लेखा परीक्षा और जोखिम कार्य की स्वतंत्रता का आकलन करना, त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत जांच, एनपीए प्रबंधन और प्रावधान में सत्यनिष्ठा, नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधनों का समग्र पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं परन्तु यह इतने तक सीमित नहीं है।

बोर्ड ने विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है और इसने बोर्ड की समितियों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। बोर्ड तथा इसकी समितियां आवधिक अंतराल पर बैठक करती हैं।

31 मार्च 2026 तक, बोर्ड में पांच पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् एमडी एवं सीईओ, भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार कार्यपालक निदेशक और पांच गैर-कार्यपालक निदेशक (एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष, दो नामिती निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक) शामिल थे, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। उनका समृद्ध और विविध अनुभव बैंक को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रगति और उपलब्धियों में मार्गदर्शन करता है।

केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कामगार कर्मचारी निदेशक और अधिकारी कर्मचारी निदेशक के पद वर्ष के दौरान रिक्त थे। केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए श्रेणी के निदेशक और दो अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों के पद 31.03.2026 तक खाली थे।

क्र. सं.	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी	नियुक्ति दिनांक	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की होल्डिंग	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र
			4. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 5. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति 6. अत्यधिक मूल्य के एनपीए और हानि आस्तियों की निगरानी हेतु समिति 7. बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक समिति 8. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 9. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति 10. समूह प्रशासन इकाई समिति				
2.	श्री रजनीश कर्नाटक, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (कार्यपालक)	29.04.2023	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. निदेशक पदोन्नति समिति 3. बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति 4. शेयर अंतरण समिति 5. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 6. ग्राहक सेवा के लिए निदेशक समिति 7. आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति 8. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 9. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 10. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति 11. अत्यधिक मूल्य के एनपीए और हानि आस्तियों की निगरानी हेतु समिति 12. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 13. समूह प्रशासन इकाई समिति 14. जोखिम प्रबंधन समिति	-	-	-	बैंकिंग

क्र. सं.	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी	नियुक्ति दिनांक	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की होल्डिंग	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र
3.	श्री पी. आर. राजगोपाल कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	18.03.2020	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. हितधारक संबंध समिति 3. शेयर अंतरण समिति 4. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 5. जोखिम प्रबंधन समिति 6. ग्राहक सेवा के लिए निदेशक समिति 7. आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति 8. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 9. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 10. अत्यधिक मूल्य के एनपीए और हानि आस्तियों की निगरानी के लिए समिति 11. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 12. समूह प्रशासन इकाई समिति	-	1	0	बैंकिंग
4.	श्री सुब्रत कुमार कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	21-11-2022	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. हितधारक संबंध समिति 3. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 4. ग्राहक सेवा के लिए निदेशक समिति 5. आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति 6. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. अत्यधिक मूल्य के एनपीए और हानि परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए समिति 9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 10. समूह प्रशासन इकाई समिति	-	1	0	बैंकिंग

क्र. सं.	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी	नियुक्ति दिनांक	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की होल्डिंग	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र
5.	श्री राजीव मिश्रा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	01.03.2024	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. हितधारक संबंध समिति 3. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 4. ग्राहक सेवा के लिए निदेशक समिति 5. आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति 6. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. अत्यधिक मूल्य के एनपीए और हानि परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए समिति 9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 10. समूह प्रशासन इकाई समिति	-	1	0	बैंकिंग
6.	श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	24.11.2025	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. हितधारक संबंध समिति 3. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 4. ग्राहक सेवा के लिए निदेशक समिति 5. आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति 6. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. अत्यधिक मूल्य के एनपीए और हानि परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए समिति 9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 10. समूह प्रशासन इकाई समिति	-	1	0	बैंकिंग

क्र. सं.	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी	नियुक्ति दिनांक	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की होल्डिंग	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र
7.	श्री अशोक नारायण आरबीआई नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	14.07.2023	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति, 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 3. निदेशक पदोन्नति समिति 4. बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति	-	1	0	बैंकिंग
8.	श्री मनोज एम अय्यप्पन (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	05.08.2024	1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 2. निदेशक पदोन्नति समिति 3. बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति 4. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 5. ग्राहक सेवा के लिए निदेशक समिति 6. आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. अत्यधिक मूल्य के एनपीए और हानि परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए समिति 9. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति	-	1	0	बैंकिंग
9.	श्रीमती जमुना रवि शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक)	04.12.2025	1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 2. हितधारक संबंध समिति 3. शेयर अंतरण समिति 4. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 5. जोखिम प्रबंधन समिति 6. आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति 7. नामांकन और पारिश्रमिक समिति 8. बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक समिति 9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	500	1	1	आईटी

क्र. सं.	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी	नियुक्ति दिनांक	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की होल्डिंग	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र
			10. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति 11. समूह प्रशासन इकाई समिति				
10	श्री प्रबोध पारिख, शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक)	29-11-2025	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. निदेशकों की पदोन्नति समिति 3. बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति 4. शेयर अंतरण समिति 5. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 6. जोखिम प्रबंधन समिति 7. ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति 8. आईटी कार्यनीति एवं डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति 9. नामांकन और पारिश्रमिक समिति 10. एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति 11. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति 12. बोर्ड की स्वतंत्र निदेशकों की समिति 13. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 14. समूह प्रशासन इकाई समिति	205	0	1	बैंकिंग

नोट:

- बैंक के किसी भी निदेशक ने बतौर निदेशक वर्ष 2025-26 के दौरान 10 से अधिक समितियों में सदस्य के तौर पर या किसी भी सूचीबद्ध संस्थाओं/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया।
- निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बैंक के कारोबार और समग्र मामलों के लिए निदेशक मंडल उत्तरदायी रहा है, और बैंक की रिपोर्टिंग संरचनाएँ, चाहे औपचारिक हों या अनौपचारिक इसी के अनुरूप हैं।
- बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र का कोई मामला सामने नहीं आया है।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों के अलावा सभी निदेशक बोर्ड में गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक और एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी-एलओडीआर) के विनियम 16 (बी) के अर्थ में स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण हमारी वेबसाइट अर्थात् <https://bankofindia.bank.in/familiarization> पर उपलब्ध है।

बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

निदेशकों की समिति की सदस्यता:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के अनुसार इस प्रकटीकरण के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) और हितधारक की संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता और सदस्यता पर विचार किया जाता है।

बैंक और अन्य सूचीबद्ध/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों में निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण निम्नलिखित है जहां वे 31.03.2026 तक निदेशक थे:

	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम (एसीबी/एसआरसी)	सदस्य
1	श्री एम. आर. कुमार (गैर-कार्यपालक अध्यक्ष)	1. बैंक ऑफ़ इंडिया 2. चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फ़ाइनेंस कंपनी लि. 3. औरोबिंदो फार्मा लि.	एसीबी एसआरसी	सदस्य
2	श्री रजनीश कर्नाटक (एमडी एवं सीईओ)	1. बैंक ऑफ़ इंडिया 2. एक्सिम बैंक 3. भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान	एसीबी एसआरसी	सदस्य
3	श्री पी. आर. राजगोपाल (कार्यपालक निदेशक)	1. बैंक ऑफ़ इंडिया 2. बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि.	एसआरसी, एसीबी	सदस्य
4	श्री सुब्रत कुमार (कार्यपालक निदेशक)	1. बैंक ऑफ़ इंडिया 2. बीओआई इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. 3. बीओआई सर्विसेस लि. 4. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि	एसआरसी	सदस्य
5	श्री राजीव मिश्रा (कार्यपालक निदेशक)	1. बैंक ऑफ़ इंडिया 2. एसटीसीआई फ़ाइनेंस लिमिटेड 3. स्टार यूनियन डार्क-ईची लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लि	एसआरसी	सदस्य
6	श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी (कार्यपालक निदेशक)	1. बैंक ऑफ़ इंडिया 2. एमपी कॉन लि.	एसआरसी	सदस्य
7	श्री मनोज़ एम अय्यप्पन (गैर-कार्यपालक निदेशक)	1. बैंक ऑफ़ इंडिया 2. एनसीजीटीसी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	एसीबी	सदस्य
8	श्री अशोक नारायण (गैर - कार्यपालक निदेशक)	1. बैंक ऑफ़ इंडिया 2. स्टार यूनियन डार्क-ईची लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लि.	एसीबी	सदस्य
9	श्रीमती जमुना रवि (गैर - कार्यपालक निदेशक)	1. बैंक ऑफ़ इंडिया	एसीबी एसआरसी	अध्यक्ष-एसीबी सदस्य-एसआरसी

	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम (एसीबी/एसआरसी)	सदस्य
10	श्री प्रबोध पारिख	बैंक ऑफ़ इंडिया	एसआरसी	अध्यक्ष

बैंक के बोर्ड में नियुक्त/नामित किए गए और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पदभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का परिचय निम्नलिखित है:

श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी (कार्यपालक निदेशक)

श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी को बैंक ऑफ़ इंडिया का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने 24.11.2025 को पदभार ग्रहण किया।

श्री द्विवेदी, आयु 58 वर्ष, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं एमबीए (वित्त) हैं; उन्होंने वर्ष 1995 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के प्रमाणित सहयोगी सदस्य हैं। उनके पास इंस्टीट्यूट फ़ॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) से वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आईटी एवं साइबर सुरक्षा में तथा इंस्टीट्यूट ऑफ़ रिस्क मैनेजमेंट, लंदन से जोखिम प्रबंधन के मूल सिद्धांतों में भी प्रमाण है। 30 वर्षों से अधिक के अपने करियर में, उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है और देश-विदेश में अपनी सेवाएँ दी हैं। उन्होंने बैंकिंग परिचालन एवं प्रशासनिक कार्यालयों के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। उन्होंने महाप्रबंधक, एफजीएमओ भोपाल जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ आते हैं तथा मुख्य महाप्रबंधक, एफसीजीएमओ पुणे के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

श्री प्रबोध पारिख (शेयर होल्डर निदेशक)

श्री प्रबोध पारिख, आयु 63 वर्ष, एम. कॉम एवं एम.बी.ए. में स्नातकोत्तर हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। उन्होंने 1985 में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) में नौकरी शुरू की और 2023 में उपप्रबंधन निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके पास बैंकिंग का 37 वर्षों का समृद्ध अनुभव है और वे अवसंरचना और परियोजना वित्तपोषण में विशेषज्ञता प्राप्त की हैं।

उन्हें एसबीआई द्वारा ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआईइफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

वे एनएबीएफआईडी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यपालक उपाध्यक्ष - विशेष कर्तव्य अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे - जहाँ उन्होंने एनएबीएफआईडी के लिए आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने, इसके संचालन शुरू करने और कारोबार विकास से जुड़े सभी पहलुओं की देखरेख की।

सेवा समाप्ति: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित सदस्यों का निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	सेवा समाप्ति की तिथि	कारण
1.	श्री विश्वनाथ वी शेनॉय	शेयरधारक निदेशक	28-11-2025	कार्यकाल पूरा होना

बोर्ड बैठकों का आयोजन:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निम्नलिखित तिथियों को 20 (बीस) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

25-04-2025	30-04-2025	09-05-2025	30-05-2025	26-06-2025	28-07-2025
29-07-2025	26-08-2025	26-09-2025	17-10-2025	30-10-2025	01-11-2025
28-11-2025	16-12-2025	30-12-2025	21-01-2026	27-01-2026	27-02-2026
16-03-2026	27-03-2026				

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम	कुल बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या	अवधि	
			से	तक
रजनीश कर्नाटक	20	20	01-04-2025	31-03-2026
पी. आर. राजगोपाल	20	17	01-04-2025	31-03-2026
सुब्रत कुमार	20	19	01-04-2025	31-03-2026
राजीव मिश्रा	20	18	01-04-2025	31-03-2026
प्रमोद कुमार द्विवेदी	8	8	24-11-2025	31-03-2026
मनोज एम. अय्यप्पन	20	14	01-04-2025	31-03-2026
अशोक नारायण	20	20	01-04-2025	31-03-2026

निदेशकों का नाम	कुल बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या	अवधि	
			से	तक
जमुना रवि	20	20	01-04-2025	31-03-2026
*वी वी शेनॉय	13	13	01-04-2025	28-11-2025
एम आर कुमार	20	20	01-04-2025	31-03-2026
प्रबोध पारिख	7	7	29-11-2025	31-03-2026

* वर्ष के दौरान वी वी शेनॉय सदस्य पद से हट गए

बोर्ड समितियाँ

कॉरपोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समितियाँ इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	समिति का नाम
1	बोर्ड की प्रबंधन समिति
2	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
3	निदेशक पदोन्नति समिति
4	अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति
5	हितधारकों की संबंध समिति
6	शेयर अंतरण समिति
7	धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति
8	जोखिम प्रबंधन समिति
9	ग्राहक सेवा हेतु निदेशकों की समिति
10	आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति
11	निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
12	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
13	मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति
14	इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
15	उच्च मूल्य एनपीए एवं हानि आस्तियों की निगरानी हेतु समिति
16	बोर्ड की स्वतंत्र निदेशकों की समिति
17	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
18	एमडी एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों एवं महाप्रबंधकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति
19	समूह प्रशासन इकाई समिति

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। प्रबंधन समिति वित्तीय संस्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते लिखने संबंधी प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2026 इस समिति में एमडी एवं सीईओ, 4 कार्यपालक निदेशक तथा एक शेयरधारक निदेशक और एक आरबीआई नामित निदेशक सहित 7 सदस्य शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित 26 बैठकें हुई :

30-04-2025	13-05-2025	22-05-2025	30-05-2025	13-06-2025	24-06-2025
10-07-2025	24-07-2025	06-08-2025	25-08-2025	10-09-2025	17-09-2025
25-09-2025	09-10-2025	23-10-2025	19-11-2025	28-11-2025	12-12-2025
20-12-2025	30-12-2025	16-01-2026	27-01-2026	09-02-2026	26-02-2026
10-03-2026	23-03-2026				

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रबंधन समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :

निदेशकों के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज	अवधि	
			से	तक
रजनीश कर्नाटक	26	26	01-04-2025	31-03-2026
पी. आर. राजगोपाल	26	20	01-04-2025	31-03-2026
सुब्रत कुमार	26	25	01-04-2025	31-03-2026
राजीव मिश्रा	26	23	01-04-2025	31-03-2026
प्रमोद कुमार द्विवेदी	10	9	24-11-2025	31-03-2026
अशोक नारायण	26	25	01-04-2025	31-03-2026
*वी वी शेनॉय	17	16	01-04-2025	28-11-2025
प्रबोध पारिख	9	9	29-11-2025	31-03-2026

* वी वी शेनॉय वर्ष के दौरान सदस्य पद से हट गए

2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं. 13/1/2006-130.1 दिनांक 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु. 800 करोड़ तक किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक एक्सपोजर के मामलों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी सीजीएम/महाप्रबंधक और ऋण के प्रभारी सीजीएम/महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित 47 बैठकें हुईं :

04-04-2025	09-04-2025	16-04-2025	02-05-2025	08-05-2025	16-05-2025
22-05-2025	31-05-2025	06-06-2025	12-06-2025	19-06-2025	25-06-2025
04-07-2025	15-07-2025	24-07-2025	31-07-2025	07-08-2025	14-08-2025
21-08-2025	28-08-2025	10-09-2025	19-09-2025	22-09-2025	25-09-2025
06-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	30-10-2025	18-11-2025	27-11-2025
04-12-2025	11-12-2025	18-12-2025	26-12-2025	01-01-2026	08-01-2026
14-01-2026	22-01-2026	29-01-2026	05-02-2026	11-02-2026	18-02-2026
25-02-2026	05-03-2026	13-03-2026	24-03-2026	31-03-2026	

3. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति:

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के विनियमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है। यह एसीबी निर्देश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन की देखरेख भी करती है।

यथा दिनांक 31.03.2026, लेखापरीक्षा समिति में 3 सदस्य हैं, अर्थात् शेयरधारक निदेशक, सरकार नामिती निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक। निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखने से पहले बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा वर्ष के लिए बैंक के अलेखापरीक्षित तिमाही परिणामों और लेखापरीक्षित परिणामों की समीक्षा की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित 17 बैठकें हुई।

22-04-2025	09-05-2025	20-05-2025	05-06-2025	26-06-2025	17-07-2025
29-07-2025	13-08-2025	17-09-2025	09-10-2025	17-10-2025	19-11-2025
18-12-2025	16-01-2026	21-01-2026	16-02-2026	18-03-2026	

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज	अवधि	
			से	तक
जमुना रवि	17	17	01-04-2025	31-03-2026
मनोज एम. अय्यप्पन	17	17	01-04-2025	31-03-2026
अशोक नारायण	17	17	01-04-2025	31-03-2026

4. स्टैकहोल्डर संबंध समिति:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉरपोरेट प्रशासन पर सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण/प्रेषण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टैकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/संदर्भों का उत्तर दिया गया/निपटारा गया। निवेशकों की शिकायतों का आम तौर पर प्रासंगिक सूचना प्राप्त होने के सात दिन के भीतर समाधान किया जाता है। समिति में बैंक के चार कार्यपालक निदेशक और दो शेयरधारक शामिल हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक को 32 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी का निवारण कर दिया गया है। समिति की वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई :

19-04-2025	08-08-2025	17-12-2025	10-02-2026

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

निदेशकों के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज	अवधि	
			से	तक
पी. आर. राजगोपाल	4	4	01-04-2025	31-03-2026
सुब्रत कुमार	4	4	01-04-2025	31-03-2026
राजीव मिश्रा	4	4	01-04-2025	31-03-2026
प्रमोद कुमार द्विवेदी	2	2	24-11-2025	31-03-2026
*वी वी शेनॉय	2	2	01-04-2025	28-11-2025
जमुना रवि	4	4	01-04-2025	31-03-2026
प्रबोध पारिख	2	2	29-11-2025	31-03-2026

* वी वी शेनॉय वर्ष के दौरान सदस्य पद से हट गए

5. शेयर अंतरण समिति :

बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 के अनुसार इस समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई कार्यपालक निदेशक और दो शेयरधारक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं :

19-04-2025	08-08-2025	17-12-2025	10-02-2026

6. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक ने सेबी के दिशा-निर्देशों, बैंक के आकार, जटिलता के स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन के दायरे के अनुरूप उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीतियां विकसित की हैं। बैंक द्वारा उठाए गए समग्र जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था।

इस समिति में बैंक के एमडी एवं सीईओ, कोई एक कार्यपालक निदेशक और दो शेयरधारक निदेशक शामिल हैं। अन्य कार्यपालक निदेशक आमंत्रित हैं। समिति की वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 14 बार बैठकें हुईं

22-04-2025	19-05-2025	10-06-2025	24-06-2025	10-07-2025
13-08-2025	25-09-2025	15-10-2025	18-11-2025	11-12-2025
20-12-2025	16-01-2026	10-02-2026	16-03-2026	

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्ड निम्नलिखित है :

निदेशकों के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज	अवधि	
			से	तक
रजनीश कर्नाटक	14	13	01-04-2025	31-03-2026
पी. आर. राजगोपाल	14	11	01-04-2025	31-03-2026
जमुना रवि	14	14	01-04-2025	31-03-2026
* वी वी शेनॉय	9	9	01-04-2025	28-11-2025
प्रबोध पारिख	5	5	29-11-2025	31-03-2026

* वी वी शेनॉय वर्ष के दौरान सदस्य पद से हट गए

7. ग्राहक सेवा हेतु निदेशकों की समिति :

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन सितंबर 2004 में किया गया था। समिति के कार्य बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (प्रधान कार्यालय में) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना है। इसमें पूर्णकालिक निदेशक, भारत सरकार के नामित निदेशक और एक शेयरधारक शामिल हैं। समिति की वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठकें हुईं :

17-07-2025	06.09.2025	17.12.2025	09-03-2026

8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एंड प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। इस समिति को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71/मास्टर निदेश डीबीआर-आवेदन सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 को बनाया गया। एनआरसी में बैंक के तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठकें हुईं :

19-04-2025	27-10-2025	30-12-2025	27-02-2026

निदेशकों के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज	अवधि	
			से	तक
एम आर कुमार	4	4	01-04-2025	31-03-2026
जमुना रवि	4	4	01-04-2025	31-03-2026
* वी वी शेनॉय	2	2	01-04-2025	28-11-2025
प्रबोध पारिख	2	2	29-11-2025	31-03-2026

* वी वी शेनॉय वर्ष के दौरान सदस्य पद से हट गए

9. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति

इस समिति का गठन बृहद मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए किया गया था। इस समिति में बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और दो शेयरधारक निदेशक शामिल हैं। समिति की वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठकें हुईं:

10-06-2025	06-09-2025	29-11-2025	10-03-2026

10. आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति:

आईटी कार्यनीतियों पर निर्णय लेने और आईटी परियोजनाओं के क्षेत्र में विकास की निगरानी करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में समिति गठित की गई थी। आईटी कार्यनीति समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और तीन अन्य गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 13 बार बैठकें हुईं :

22-04-2025	19-05-2025	10-06-2025	10-07-2025	13-08-2025	20-09-2025
15-10-2025	17-11-2025	11-12-2025	20-12-2025	16-01-2026	16-02-2026
16-03-2026					

11. निदेशकों की पदोन्नति समिति :

इस समिति का गठन वित्त मंत्रालय (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था। इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और आरबीआई द्वारा नामित निदेशक हैं। समिति की वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 2 बार बैठकें हुईं :

12-03-2026	13-03-2026

12. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति:

इस समिति का गठन मानव संसाधन से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक, शेयरधारक निदेशक और गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इसकी निम्नलिखित तिथियों पर 12 बार बैठक हुईं:

30-05-2025	26-06-2025	28-07-2025	26-08-2025	26-09-2025	30-10-2025
28-11-2025	16-12-2025	30-12-2025	27-01-2026	27-02-2026	30-03-2026

13. उच्च मूल्य वाले एनपीए और हानि आस्तियों की निगरानी के लिए समिति:

समिति वसूली की निगरानी और उच्च 50 एनपीए की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। इस समिति में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक, वसूली विभाग के महाप्रबंधक संयोजक हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इसकी निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुईं:

10.06.2025	26.08.2025	26.12.2025	09-03-2026

14. इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति:

इस समिति के सदस्य गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, एक शेयरधारक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, इसकी निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुईं:

30.05.2025	24.07.2025	26.12.2025	10-03-2026

15. स्वतंत्र निदेशक समिति:

दो शेयरधारक निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष इस समिति के सदस्य हैं। बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक समिति की बैठक दिनांक 23-05-2025 को हुई:

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैठक हेतु स्वतंत्र निदेशकों की समिति की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशकों के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज	अवधि	
			से	तक
*वी.वी. शेनॉय	1	1	01-04-2025	28-11-2025
एम. आर. कुमार	1	1	01-04-2025	31-03-2026
जमुना रवि	1	1	01-04-2025	31-03-2026

* वी वी शेनॉय वर्ष के दौरान सदस्य पद से हट गए

16. अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति:

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, सरकार द्वारा नामित निदेशक, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इसकी 4 बार बैठक हुई।

10-07-2025	25-08-2025	23-10-2025	10-03-2026

17. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

भारत सरकार - सीएसआर - स्वैच्छिक दिशानिर्देश - 2009 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति गठित की गई। प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, चार कार्यपालक निदेशक, दो स्वतंत्र निदेशक एवं बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष इस समिति के सदस्य हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई।

17-07-2025	08.08.2025	17.12.2025	09-03-2026

18. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों के कार्य निष्पादन के लिए समिति

यह समिति भारत सरकार, वित्तीय मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के निर्देश एफ. संख्या 9/5/2009-आईआर दिनांक 30.08.2019 के अनुसार गठित की गई है। इस समिति के सदस्य गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, एक शेयरधारक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 3 बार बैठक हुई।

23-05-2025	29-07-2025	20.03.2026

19. समूह प्रशासन इकाई समिति

इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, चार कार्यपालक निदेशक और दो शेयरधारक निदेशक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 11 बार बैठक हुई।

19-04-2025	23-05-2025	10-06-2025	10-07-2025	08-08-2025	06-09-2025
15-10-2025	18-11-2025	11-12-2025	16-02-2026	16-03-2026	

यथा 31 मार्च, 2026 को वरिष्ठ प्रबंधन (मुख्य महाप्रबंधक) का विवरण

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि	विभाग
1	श्री अभिजीत बोस	28-01-2022	सामान्य परिचालन, परिसर
2	श्री अशोक कुमार पाठक	28-01-2022	कॉर्पोरेट ऋण, कोषागार, अंतरराष्ट्रीय, एफबीडी
3	श्री सुधीरंजन पाढ़ी	31-03-2023	मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास, वित्तीय, आयोजना, बीपीआर, ईज
4	श्री पी.के. गिरि	31-03-2023	अनुपालन एवं जीसीसीओ
5	श्री पी. हरिकिशन	01-04-2023	जोखिम प्रबंधन
6	श्री शारदा भूषण राय	01-04-2023	वसूली एवं ऋण निगरानी, दबावग्रस्त आस्ति वसूली, विधि
7	श्री नितिन जी. देशपांडे	01-04-2023	रिटेल, ग्रामीण, एमएसएमई, वित्तीय समावेशन, डिजिटल लेडिंग
8	श्री राजेश एस इंगले	06-11-2023	निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा
9	श्री प्रशांत थपलियाल	01-03-2024	संसाधन संग्रहण, प्रचार एवं जनसंपर्क, विपणन, तृतीय पक्ष उत्पाद एवं सरकारी कारोबार, सीईबीबी, कॉल सेंटर
10	श्री सुनील शर्मा	01-04-2025	एफसीजीएमओ मुंबई
11	श्री राघवेंद्र कुमार	29-09-2025	प्रतिनियुक्ति पर पंजाब नेशनल बैंक के सीवीओ
12	श्री सत्येंद्र सिंह	25-11-2025	सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल लेडिंग विभाग., डाटा एनालिटिक्स (डीएडी), आईटी (सुशासन एवं श्रेष्ठता) एवं सीटीओ
13	श्री शंकर सेन	01-01-2026	एफसीजीएमओ पुणे

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक ने शेयरों के अंतरण और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति का गठन किया है। सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों और 03.12.2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 31.03.2019 के बाद शेयरों के भौतिक अंतरण की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे एक डीमैट खाता खोलें और अपनी भौतिक शेयरधारिता को डिमटेरियलाइज करें।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में लेन-देन को आसान बनाने की दृष्टि से, एसईआईबी ने अपने दिनांक 25.01.2022 के परिपत्र के माध्यम से यह निर्णय लिया कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय ही अभौतिकीकृत मोड में शेयर जारी करेंगी:

- डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना;
- अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट से दावा;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण / विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाण पत्र का सब डिवीजन/विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र/फोलियो का समेकन;
- ट्रांसमिशन;
- ट्रांसपोजीशन

शेयरधारक/दावेदार फॉर्म आईएसआर-4 विधिवत भरकर जमा करेगा और आरटीए/सूचीबद्ध इकाई सेवा अनुरोधों को प्रोसेस करने के पश्चात् यदि कोई आपत्तियां होती हैं तो उनको हटाने के बाद ही ऐसे अनुरोधों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक/दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय "पुष्टि पत्र" जारी करेगी।

पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध होगा, इतने समय के भीतर शेयरधारक/ दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को डिमटेरियलाइज करने के लिए डिपॉजिटरी भागीदार से अनुरोध करेगा।

आरटीए पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद एक अनुस्मारक जारी करेगा, जिसमें प्रतिभूति धारक/ दावेदार को डीमैट अनुरोध जमा करने हेतु सूचित किया जाएगा।

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाणपत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने के बाद प्रमाणपत्र के मुखपृष्ठ/ पिछले पृष्ठ पर " पुष्टि पत्र जारी किया गया" की मुहर के साथ प्रमाण पत्र को विरूपित करेगा।

डिपॉजिटरी प्रतिभागी पुष्टि पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध उत्पन्न करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई/ आरटीए को अप्रेषित करेगा।

यदि पुष्टि पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को इकाई के एस्क्रो उचित डीमैट खाते में जमा किया जाएगा।

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, बैंक ने मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है, जो शेयरों के हस्तांतरण, ट्रांसमिशन, लाभांश, शेयरधारकों के अनुरोधों की रिकॉर्डिंग और शेयरों के मामलों से संबंधित अन्य गतिविधियों के बीच

शेयरधारकों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया के लिए अधिदेशित है। शेयरधारकों और निवेशकों से उक्त से किसी भी दस्तावेज को दर्ज करने के लिए और पूछताछ/ शिकायतों/ सुझावों के लिए संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है:

इक्विटी शेयरों और डिबेंचर/बाण्ड्स के लिए :

बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लि.,
ईकाई : बैंक ऑफ़ इंडिया,
कार्यालय सं एस6-2, छठवां तल, पिनाकल बिजनेस पार्क
अहुरा सेंटर से आगे, महाकाली केव्स रोड,
अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400093,

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक बैंक के निवेशक संबंध कक्ष से यहाँ संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वां तल,
पूर्व खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई- 400 051,
फोन 022-66684490/4491
ई-मेल:headoffice.share@bankofindia.bank.in

निजी तौर पर रखे गए बाण्ड्स के लिए, बैंक ने निम्नलिखित डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त किए हैं।

1) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,
17, आर. कामानी मार्ग, बैलार्ड एस्टेट,
मुंबई - 400 001
फोन नंबर 022 -4080 7000
फ़ैक्स नंबर . 022 -6631 1776
ईमेल आईडी : itsl@idbitrustee.com

2) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
मिस्ट्री भवन 4वीं मंजिल,
122, दिनशां वच्चा रोड,
चर्चगेट मुंबई - 400 020
बोर्ड नं. 022 -4302 5500/5566
फोन 022-43025525
ईमेल आईडी : Corporate@sbicaptrustee.com

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति:

बैंक की विगत वार्षिक आम बैठक अर्थात् 29वीं वार्षिक आम बैठक 27 जून, 2025 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशकों ने भाग लिया।

1. श्री एम. आर. कुमार अध्यक्ष
2. श्री रजनीश कर्नाटक, एमडी एवं सीईओ
3. श्री सुब्रत कुमार, कार्यपालक निदेशक
4. श्री राजीव मिश्रा, कार्यपालक निदेशक
5. श्रीमती जमुना रवि, शेयरधारक निदेशक
6. श्री विश्वनाथ वी शेनॉय, (यथा तिथि तक शेयरधारक निदेशक नहीं है)

विगत 3 आम सभा की बैठकें बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में आयोजित की गईं। आम सभा की बैठकें:

क्र. सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	संकल्प
1.	उनतीसवीं वार्षिक आम बैठक	शुक्रवार, 27 जून 2025 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	- वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया गया। - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश अनुमोदित और घोषित किया गया। - मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स की बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में पांच साल की निरंतर अवधि के लिए नियुक्ति को अनुमोदित किया गया।
2.	असाधारण आम बैठक	शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 को दोपहर 1.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	- बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल के कार्यकाल के विस्तार को अनुमोदित किया गया। - बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार के कार्यकाल के विस्तार को अनुमोदित किया गया।
3.	अठाईसवीं वार्षिक आम बैठक	मंगलवार, 25 जून 2024 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	- वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया गया। - वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु लाभांश अनुमोदित और घोषित किया गया। - श्री पी आर राजगोपाल के बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल के विस्तार को अनुमोदित किया गया। - श्री एम. कार्तिकेयन के बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल के विस्तार को अनुमोदित किया गया। - श्री अशोक नारायण की बैंक के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया गया। - श्री राजीव मिश्रा की बैंक के कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया गया। - श्री एम आर कुमार की बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में बैंक के कार्यपालक निदेशक के तौर पर नियुक्ति को अनुमोदित किया गया।
4.	असाधारण आम बैठक	मंगलवार, 3 दिसंबर, 2024 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीसी) के माध्यम से	- केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयर धारकों में से एक निदेशक का चुनाव। - श्री मनोज एम. अय्यप्पन की बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।
5.	सत्ताईसवीं वार्षिक आम बैठक	मंगलवार, 27 जून 2023 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	- वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक वित्तीय परिणाम अनुमोदित किया गया। - वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लाभांश को अनुमोदित और घोषित किया गया। - श्री भूषण कुमार सिन्हा की बैंक के गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति। - श्री सुब्रत कुमार की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति। - श्री रजनीश कर्नाटक की बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति। - श्री मुनीश कुमार रल्लहन की बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति। - नए इक्विटी शेयरों को जारी करके और अथवा बेसएल-3 के दिशानिर्देशों के अनुसार टियर-1 और टियर-2 पूंजी जारी करके पूंजी जुटाना।

प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के जिन प्रावधानों की राष्ट्रीयकरण अधिनियम और आरबीआई तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ समरूपता नहीं है उनको छोड़कर सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों (पूर्ण कालिक निदेशकों) को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। वर्तमान में बैंक के पास कोई स्टॉक विकल्प योजना नहीं है। प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रं सं	नाम	पदनाम	2025-26	2024-25
1.	श्री रजनीश कर्नाटक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	62,94,742	52,69,865
2.	श्री पी आर राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक	68,16,348	59,42,538
3.	श्री एम. कार्तिकेयन	कार्यपालक निदेशक (31 मार्च, 2025 को सेवानिवृत्त हुए)	18,68,640	49,17,186
4.	श्री सुब्रत कुमार	कार्यपालक निदेशक	76,93,522	51,40,710
5.	श्री राजीव मिश्रा	कार्यपालक निदेशक	72,54,345	35,65,716
6.	श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी*	कार्यपालक निदेशक	16,36,274	-

* श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी कार्यपालक निदेशक 24.11.2025 से

बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है (पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशकों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है):

क्रं सं	नाम	पदनाम	भुगतान किया गया बैठक शुल्क
1.	* श्री वी वी शेनॉय	शेयरधारक निदेशक	30,90,000
2.	श्री अशोक नारायण	आरबीआई नामिती निदेशक	36,05,000
3.	श्री एम आर कुमार	अध्यक्ष	42,45,000
4.	श्रीमती जमुना रवि	शेयरधारक निदेशक	48,00,000
5.	श्री प्रबोध पारिख	शेयरधारक निदेशक	26,00,000

* वी वी शेनॉय 29.11.2025 से बोर्ड के सदस्य पद से हट गए

बोर्ड और इसकी उप-समिति की बैठकों में भाग लेने/अध्यक्षता करने के लिए निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क दिनांक 28-10-2025 से निम्नानुसार है। कृपया यह भी ध्यान दें कि दिनांक 28.10.2025 से 25 लाख रुपये की मौजूदा सीमा को हटा दिया गया है।

क्रं सं	बैठक	प्रति बैठक राशि
(ए)	बोर्ड बैठक में शामिल होने हेतु	रु. 90,000
(बी)	बोर्ड समिति की बैठक में शामिल होने हेतु	रु. 45,000
(सी)	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने हेतु	रु. 10,000/- (उपर्युक्त के अतिरिक्त)
(डी)	बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु	रु. 5,000/- (उपर्युक्त के अतिरिक्त)

बैठक शुल्क के अतिरिक्त, बैंक कार्य के संबंध में यात्रा करने वाले ऐसे प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 के खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा और विराम व्यय, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आधार पर की जाएगी।

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन:

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर- कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, बोर्ड और बोर्ड की उपसमितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जिनसे उनसे संबंधितता उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों, टियर 2 बांड, इन्फ्रा बांड्स आदि से प्राप्त आगम राशियाँ:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पूंजी जुटाई है:

क्र. सं.	आबंटन की तिथि	विवरण (निवेशकों)	शेयरों/ बांड्स की संख्या	निर्गम आकार करोड़ में
1.	12.12.2025	प्रतिभूत-रहित, गौण गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, पूर्णतः प्रदत्त, प्रतिदेय बेसल III अपरिवर्तनीय 7.28 % टियर II बांड्स, श्रृंखला XVIII अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक रु.1 करोड़ ("बांड्स")	2,500	2,500
2.	26.12.2025	बैंक ने लॉन्ग टर्म इन्फ्रा बॉन्ड सीरीज I के माध्यम से 7.23% की ब्याज दर पर रु. 10,000 करोड़ के लॉन्ग टर्म इन्फ्रा बॉन्ड जुटाए हैं। बॉन्ड का अंकित मूल्य रु. 1,00,000/- है।	10,00,000	10,000

- iv. रु. 2,500 करोड़ की पूंजी निधि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत करने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों में सुधार के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य से जुटाई गई थी और इसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों और किफायती आवास में दीर्घकालिक परियोजना के वित्तपोषण के लिए रु. 10,000 करोड़ के बुनियादी ढांचे के बांड्स जुटाए गए थे और इसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया।
- v. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव की फर्म के द्वारा तिमाही आधार पर एक कैपिटल रिपोर्ट का समाधान (reconciliation) किया जाता है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।
- vi. पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक पर सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा मार्च, 2025 हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में यथा प्रकटित जानकारी के अतिरिक्त कोई प्रतिबंध/दंड नहीं लगाया गया है।
- vii. कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण - लागू नहीं
- viii. वर्तमान में बैंक की कोई भी महत्वपूर्ण अनुषंगी नहीं है।

- ix. **स्वतंत्र निदेशकों की बैठक** : स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठक 23.05.2025 को आयोजित की गई।

x. गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रशिक्षण:

गैर-कार्यपालक निदेशकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण दिया गया

क्र. सं.	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	प्रशिक्षण विवरण
1	श्री एम.आर. कुमार	बोर्ड सदस्यों हेतु आईटी और साइबर सुरक्षा के लिए प्रमाणन कार्यक्रम
2	श्री जमुना रवि	बोर्ड सदस्यों हेतु आईटी और साइबर सुरक्षा के लिए प्रमाणन कार्यक्रम
3	श्री प्रबोध पारिख	बोर्ड सदस्यों हेतु आईटी और साइबर सुरक्षा के लिए प्रमाणन कार्यक्रम
4	श्री अशोक नारायण	बोर्ड सदस्यों हेतु आईटी और साइबर सुरक्षा के लिए प्रमाणन कार्यक्रम

- xi) निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता बैंक की वेबसाइट - https://bankofindia.bank.in/documents/20121/442930/BOI Code of Conduct Dir_19042021.pdf/c54b5953-f8df-6d80-0b31-19b3bc4d3cdc?t=1663586179347 पर पोस्ट की गई है।
- xii) व्हिसल ब्लोअर नीति बैंक की वेबसाइट - <https://bankofindia.bank.in/documents/20121/25744421/2-Whistle-Blower-Policy-2024.pdf> पर पोस्ट की गई है।
- xiii) **संबंधित नीति संव्यवहार** - संबंधित पार्टी संव्यवहार की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है। संबंधित पार्टी संव्यवहार पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट - https://bankofindia.bank.in/documents/20121/22604236/POLICY ON RELATED PARTY TRANSACTIONS_1.pdf/ पर पोस्ट की गई है।
- संबंधित पार्टी के संव्यवहार का विस्तृत विवरण एएस-18 के अंतर्गत है।
- xiv) **पारिश्रमिक नीति** - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अन्य स्टाफ सदस्यों का वेतन आईबीए के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार है।
- xv) **अधिग्रहण संहिता**: बैंक ने समय-समय पर संशोधित सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 के प्रावधानों का भी अनुपालन किया गया है।
- xvi) **सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का अनुपालन**:
विनियम के आलोक में, बैंक ने भेदिया व्यापार को रोकने के लिए पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों हेतु बैंक के शेयरों में व्यापार करने के लिए आचार संहिता तैयार की है। पदनामित कर्मचारियों और बैंक के निदेशकों से आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रपत्र

तैयार किए गए हैं, जैसा कि इन विनियमों के संदर्भ में अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बैंक के शेयरों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो को बैंक के निदेशकों और नामित कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बंद रखा गया था:

ट्रेडिंग विंडो बंद होने की तिथियां	बंद करने का उद्देश्य
बुधवार, 01.07.2025 से शुक्रवार 29.07.2025 तक प्रभावी	30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
बुधवार, 01.10.2025 से रविवार 19.10.2025 तक प्रभावी	30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
गुरुवार, 01.01.2026 से शुक्रवार 23.01.2026 तक प्रभावी	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
बुधवार, 01.04.2026 से रविवार 11.05.2026 तक प्रभावी	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।

xvii) लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस का विवरण:

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)
1	वर्ष 2025-26 हेतु बैंक के लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि	86.46
2	वर्ष 2025-26 हेतु बैंक और उसकी अनुषंगियों के लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि	89.31

xviii. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	6
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	6
वित्तीय वर्ष 2025-26 में समाधान हेतु लंबित शिकायतें	0

बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों का विवरण : बैंक की कोई भी अनुषंगी महत्वपूर्ण अनुषंगी नहीं है।

संचार के साधन:

तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित लेकिन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन) और लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम समाचार पत्रों - अंग्रेजी में बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदी में बिजनेस स्टैंडर्ड एवं मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में लोकसत्ता में प्रकाशित किए गए। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.bank.in पर भी प्रदर्शित किए गए। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियाँ भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया अपनी वित्तीय और अन्य जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करता है।

वित्तीय कैलेंडर: 1 अप्रैल, 2026 से :

बैंक ऑफ़ इंडिया के वार्षिक लेखापरीक्षित खातों तथा लाभांश की अनुशंसा, पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक, यदि कोई हो	08.05.2026
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	ईमेल/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा।
प्राधिकृत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	08.06.2026
लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि	29.05.2026
30वीं एजीएम की तिथि, समय, स्थल	15.06.2026 बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान ऑफिस, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से
प्रथम तीन तिमाहियों के अलेखा परीक्षित परिणाम पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक	प्रासंगिक तिमाही के 45 दिनों के भीतर।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

बैंक के शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड इस प्रकार हैं:

बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	532149
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	BANKINDIA
आईएसआईएन नंबर	INE084A01016

दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

वर्ष 2025-26 के दौरान एनएसई में कंपनी के शेयर मूल्य का उच्चतम एवं न्यूनतम स्तर निम्नानुसार है:

अवधि	उच्चतम रु.	न्यूनतम रु.	ट्रेड किए गए शेयर की मात्रा
अप्रैल-2025	121.65	103.00	20,74,21,753
मई-2025	122.61	104.20	25,36,90,530
जून -2025	130.24	111.56	26,01,35,395
जुलाई-2025	121.63	110.30	18,65,60,751
अगस्त-2025	117.31	108.81	8,63,52,775
सितंबर-2025	123.87	110.68	15,06,94,409

अवधि	उच्चतम रु.	न्यूनतम रु.	ट्रेड किए गए शेयर की मात्रा
अक्तूबर-2025	142.71	122.20	27,59,35,728
नवंबर-2025	151.43	138.55	17,38,36,328
दिसंबर-2025	149.40	136.71	15,11,82,114
जनवरी-2026	169.90	142.90	29,92,19,527
फरवरी -2026	178.36	146.40	23,73,96,614
मार्च-2026	174.40	136.20	18,06,32,390

बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर (अतिरिक्त टियर I, टियर II पूंजी) और इफ्रा बॉन्ड के रूप में बेसल III अनुपालक गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड जारी किए हैं। तत्संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:

बैंक ऑफ़ इंडिया - यथा 31.03.2026 तक टियर I, टियर II और दीर्घकालिक इफ्रा बॉन्ड की स्थिति

निर्गम का विवरण	कूपन दर	कुल मूल्य (रुपए करोड़ में)	आईएसआईएन सं.
अतिरिक्त टियर I			
श्रृंखला VIII	8.57%	1500	INE084A08169
टियर II बॉन्ड			
श्रृंखला XV	7.14%	1,800	INE084A08151
श्रृंखला XVI	7.88%	2,000	INE084A08177
श्रृंखला XVII	7.49%	2,500	INE084A08193
श्रृंखला XVIII	7.28%	2,500	INE084A08227
दीर्घावधि इफ्रा बॉन्ड			
श्रृंखला I	7.54%	5,000	INE084A08185
श्रृंखला II	7.41%	5,000	INE084A08201
श्रृंखला III	7.50%	2,690	INE084A08219
श्रृंखला IV	7.23%	10,000	INE084A08235
कुल		32,990	

इन सभी बॉन्डों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है।~

बैंक ऑफ़ इंडिया वित्त वर्ष 2025 -26 क्रेडिट रेटिंग का सारांश:

रेटिंग एजेंसी	लिखत	वर्तमान रेटिंग	रेटिंग कार्रवाई
क्रिसिल लिमिटेड	बासेल III टियर I बॉन्ड	AA (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना
	बासेल III टियर II बॉन्ड	AA+ (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना
	दीर्घावधि इफ्रा बॉन्ड	AA+ (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना

रेटिंग एजेंसी	लिखत	वर्तमान रेटिंग	रेटिंग कार्रवाई
भारत रेटिंग इंडिया	बासेल III टियर II बॉन्ड	AA+ (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना
	दीर्घावधि इफ्रा बॉन्ड	AA+ (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना
केयर रेटिंग्स लिमिटेड	बासेल III टियर II बॉन्ड	AA+ (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना
	दीर्घावधि इफ्रा बॉन्ड	AA+ (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना
	जमा प्रमाणपत्र	A1+	सौंपा गया
इन्फोमेर वल्युएशन एवं रेटिंग	बासेल III टियर I बॉन्ड	AAA (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना
एक्यूट रेटिंग्स	बासेल III टियर I बॉन्ड	AA+ (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना
	बासेल III टियर II बॉन्ड	AAA (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना
आईसीआरए	बासेल III टियर II बॉन्ड	AA+ (स्थिर)	सौंपा गया
फिच रेटिंग्स (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग)	कॉर्पोरेट रेटिंग (दीर्घ/लघु)	BBB- (स्थिर)	पुनः अभिपुष्ट करना

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश/ब्याज भुगतान

बैंक निवेशकों को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से शेयरों पर लाभांश/बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान कर रहा है, जहाँ भी निवेशकों द्वारा अधिदेश दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी और डायरेक्ट क्रेडिट आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

निवेशक अपना अधिदेश बैंक के रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट, मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास इस रिपोर्ट में दिए गए पते पर दर्ज करा सकते हैं।

लाभांश भुगतान/रिकॉर्ड तिथि :

बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए शेयरधारकों को रु.10 अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु. 4.65 (अर्थात् 46.50%) का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह निर्णय लिया गया है कि उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 29.05.2026 (बाद में रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) को एनएसडीएल/सीडीएसएलद्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर दर्ज हैं। वार्षिक आम बैठक (15.06.2026, सोमवार) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

अघोषित लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं है/ लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10बी के अनुसार, सात वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या दावा न किए गए लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना आवश्यक है। सात वर्षों की अवधि (वित्त वर्ष 2014-15 तक) के लिए दावा न किए गए सभी लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए गए हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

अदावाकृत शेयर:

उन सभी शेयरों के संबंध में जिनका संबंध में वित्तीय वर्ष 2014-15 तक घोषित लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक अवधि तक अप्रदत्त/अदावा रहे

तथा जिनके संबंध में 07 मार्च 2026 तक या पहले, कोई वैध दावा प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें बैंक द्वारा आईईपीएफ को अंतरित कर दिया गया है।

अंतरण से पूर्व, बैंक/रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए)/ डिपॉजिटरी के अभिलेखों में उपलब्ध पंजीकृत पते/ई-मेल आईडी पर संबंधित शेयरधारकों को 08.12.2025 को व्यक्तिगत सूचना प्रेषित की गई थी। बैंक द्वारा 08.12.2025 को समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कर शेयरधारकों से 07 मार्च 2026 तक अपने दावे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

ऐसे शेयरधारकों तथा आईईपीएफ को अंतरित शेयरों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.bank.in पर उपलब्ध है।

सस्पेंस एस्करो खाते में शेयरों की स्थिति:

यथा 01.04.2025 को प्रारंभिक शेष राशि		वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वृद्धि		वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या और डेबिट किए गए शेयरों की संख्या		यथा 31.03.2026 तक अंतिम शेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
12	1700	10	2100	4	600	18	3200

इन शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक अवरोधित रहेगा जब तक कि इन शेयरों का वास्तविक स्वामी इन शेयरों पर दावा नहीं करता।

31.03.2026 को शेयरधारिता पैटर्न :

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयर की संख्या	धारिता का %	लॉक-इन के अंतर्गत शेयर	लॉक-इन के अंतर्गत शेयरों का %
प्रवर्तक (भारत सरकार)	1	3,34,08,61,720	73.38	0	0.00
म्यूचुअल फंड्स	32	15,52,70,254	3.41	0	0.00
वैकल्पिक निवेश फंड	11	20,77,958	0.05	0	0.00
वित्तीय संस्थान/बैंक	13	8,691	0.00	0	0.00
बीमा कंपनी	22	46,75,71,536	10.27	0	0.00
योग्य संस्थागत निवेशक	1	1,06,02,943	0.23	0	0.00
कॉर्पोरेट निकाय	1,466	2,10,62,757	0.46	0	0.00
विदेशी वित्तीय संस्थान निवेशक	329	33,06,71,756	7.26	0	0.00
भारतीय जनता	6,17,121	21,38,16,144	4.70	0	0.00
अन्य	7,193	107,24,107	0.24	0	0.00
कुल	6,26,189	4,55,26,67,866	100.00	0	0.00

कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक शेयर रखने वाले एकल व्यक्तियों (जन सामान्य) की शेयरधारिता:

शेयरधारक का नाम	शेयर की संख्या	धारिता का %
भारतीय जीवन बीमा निगम	36,88,28,543	8.10

यथा 31 मार्च, 2026 शेयरधारिता का वितरण :

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	फोलियो		शेयर	
	संख्या	% प्रतिशत	संख्या	% प्रतिशत
500 तक	5,74,622	90.09	567,65,170	1.25
501 से 1000	31,231	4.90	243,91,620	0.54
1001 से 5000	26,785	4.20	576,69,973	1.27
5001 से 10000	2,786	0.44	203,00,647	0.44
10001 एवं इससे अधिक	2,359	0.37	43,935,40,456	96.50
कुल	6,37,783	100.00	4,55,26,67,866	100.00

शेयरों का अमूर्तकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में ही किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया गया है।

यथा 31.03.2026 को शेयरधारकों द्वारा धारित अमूर्त एवं प्रत्यक्ष रूप में धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयर की संख्या	शेयरधारिता %
एनएसडीएल	1,84,629	28.95	106,95,40,552	23.49
सीडीएसएल	3,68,038	57.71	347,06,02,460	76.23
प्रत्यक्ष	85,116	13.35	1,25,24,854	0.28
कुल	6,37,783	100.00	455,26,67,866	100.00

अन्य अनुपालन:

- स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता समझौते के संदर्भ में कॉर्पोरेट प्रशासन की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।
- कार्यरत कंपनी सचिव से यह प्रमाण-पत्र संलग्न है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट :** सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 24ए के अनुपालन में, वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट (फॉर्म एमआर 3) संलग्न है।
- अनुषंगियों के वित्तीय विवरण :** सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 46(2) के अनुपालन में, अनुषंगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.bank.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।

अनिवार्य/गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन:

बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग-ई के अंतर्गत उल्लिखित निम्नलिखित विवेकाधीन आवश्यकता का अनुपालन किया है:

क्र. सं.	गैर- अनिवार्य अपेक्षाएँ	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बोर्ड - एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखने का हकदार है।	अध्यक्ष का पद गैर-कार्यपालक है और बैंक में उनका पृथक् कार्यालय है।
2.	शेयरधारकों के अधिकार - पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है।	तिमाही/वर्ष से तिथि/वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को भेजे जाते हैं और समाचार पत्रों में तथा बैंक की वेबसाइट पर मुख्य अंशों सहित प्रकाशित किए जाते हैं। तिमाही परिणाम, प्रेस विज्ञप्ति और विश्लेषक प्रस्तुति सभी शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेजी जाती है।

क्र. सं.	गैर- अनिवार्य अपेक्षाएँ	कार्यान्वयन की स्थिति
3.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत - सूचीबद्ध संस्था आशोधित लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरणों की व्यवस्था का चयन करती है।	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण आशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ हैं।
4.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग	सभी आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हमारे निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जाती है, जो लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।
5.	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पृथक पद - सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है।	बैंक में यह पद है। भारत सरकार ने श्री एम.आर. कुमार को गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन अपेक्षाओं की अनुपालन स्थिति:

निम्नलिखित को छोड़कर, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 से 27 और उप-विनियमन 46 के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन करता है :

(ए) बोर्ड संरचना (विनियमन 17(1)) : बैंक का अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक होता है।

बोर्ड की संरचना - 23.11.2025 तक, हमारे बैंक ने बोर्ड की संरचना संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया है। 24.11.2025 को कार्यपालक निदेशक श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी की नियुक्ति के बाद, बैंक के बोर्ड में निदेशकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जिनमें से 3 निदेशक स्वतंत्र हैं। अतः 24.11.2025 से, बोर्ड की संरचना का 1/3 भाग स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि केंद्र सरकार बैंक के अन्य निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया में थी और रिक्तियां अभी तक भरी नहीं गई थीं, इसलिए बैंक संदर्भित विनियमों का पालन करने की स्थिति में नहीं था। उपरोक्त कारणों से, 24.11.2025 से बोर्ड का एक-तिहाई भाग स्वतंत्र नहीं था।

(बी) लेखापरीक्षा समिति की संरचना (विनियमन 18): हमारा बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) के तहत गठित एक नया बैंक है। बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इस अधिनियम द्वारा शासित होती है।

केन्द्र सरकार प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करती है और अधिनियम के तहत विभिन्न परिभाषित श्रेणियों से पहचाने गए और चयनित गैर-कार्यपालक निदेशकों को नामित करने का हकदार है, जिन्हें स्वतंत्र निदेशक माना जा सकता है।

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक बैंक में गैर-सरकारी शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 3 निदेशकों तक का चुनाव करने के हकदार हैं। वर्तमान में, बैंक के दो शेयरधारक निदेशक हैं जिन्हें स्वतंत्र निदेशक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो गैर-आधिकारिक निदेशकों को भी स्वतंत्र निदेशक माना जाता है।

वर्तमान में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार किया जाता है।

डीएफएस के दिशानिर्देश सं 16/11/2015-बीओ.1 दिनांक 17.06.2016 के अनुसार, कोई भी निदेशक जो प्रबंधन समिति/ऋण अनुमोदन समिति में है, वह किसी भी क्षमता में लेखा परीक्षा समिति में नहीं होगा। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड का अध्यक्ष लेखा परीक्षा का सदस्य नहीं हो सकता है।

एक स्वतंत्र निदेशक, श्री वी वी शेनॉय प्रबंधन समिति और अन्य समितियों के सदस्य हैं और इस प्रकार एसीबी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।

श्री एम आर कुमार गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक हैं और वे आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एसीबी के सदस्य नहीं हो सकते।

इसलिए, बैंक एसीबी पर दो तिहाई स्वतंत्र सदस्य रखने की स्थिति में नहीं है।

बैंक ने बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पहले ही इस मामले को उठाया है। एक बार जब ये रिक्तियां भारत सरकार द्वारा भरी जाती हैं, तो हमारा बैंक लेखा परीक्षा समिति की संरचना की अपेक्षाओं का पालन करने में सक्षम होगा।

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on Code of Governance:

The Bank's Corporate Governance philosophy is woven around the belief that Corporate Governance is a key element in improving efficiency and growth as well as enhancing investor confidence. The Bank strongly believes in ethical values and self-discipline to achieve higher standard of Corporate Governance and continues to strive for excellence in business operations by ensuring accountability, transparency, fairness and responsibility towards all stakeholders, including shareholders, customers, employees, Government and the wider community. Accordingly, the Corporate Governance philosophy has been scripted as under:

"Enhancing stakeholders' value through ethical business practices".

At the core of its Corporate Governance practice is the Board, which oversees how the management serves and protects the long-term interests of all the stakeholders of the Bank. The Bank believes that an active, well informed and independent Board is necessary to ensure the highest standards of Corporate Governance. The Bank's Corporate Governance practices are aimed at meeting the Corporate Governance requirements as per the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities Exchange Board of India (SEBI) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, BIS-Corporate Governance Guidelines, besides good practices either recommended by professional bodies or practices by leading Banks / Companies in India.

The interrelation between the Board, Executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various Committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors:

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (the Nationalisation Act) as amended from time to time. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Nationalisation Act, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA Management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources, etc.

The Board has constituted various Sub-Committees and delegated its powers for different functional areas to the Committees of the Board. The Board as well as its Committees meet at periodic intervals.

As on 31st March 2026, the Board comprised of five whole time Directors viz. MD & CEO, Four Executive Directors appointed by the Government of India and Five Non-Executive Directors (One Non-Executive Chairman, two Nominee Directors and Two Independent Directors) who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience guides the Bank in its progress and achievements in various spheres.

The positions of Workmen Employee Director and Officer Employee Director to be nominated by the Central Government were vacant during the year. The Positions of CA category Director and two Part-Time Non Official Directors to be nominated by the Central Government were vacant as on 31.03.2026.

As on 31.03.2026, the Composition of the Board was as under:

Sr. No	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	No of shares held	Number of Membership of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Number of Chairmanship of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Area of Expertise
1.	Shri M R Kumar Non-Executive Chairman & Part-Time Non-Official Director (Non-Executive - Independent)	21.02.2024	1. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up Cases of Fraud 2. IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee 3. Nomination & Remuneration Committee of Directors 4. Steering Committee of the Board on HR 5. Review Committee of Wilful Defaulters 6. Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets	-	2	0	Insurance

Sr. No	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	No of shares held	Number of Membership of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Number of Chairmanship of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Area of Expertise
			7. Independent Directors Committee of the Board 8. Corporate Social Responsibility Committee 9. Board Committee for Performance evaluation of Managing Director & CEOs/Executive Directors/ Chief General Managers/General Managers 10. Group Governance Unit Committee				
2.	Shri Rajneesh Karnatak Managing Director & CEO (Executive)	29.04.2023	1. Management Committee of the Board 2. Directors Promotion Committee 3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 4. Share Transfer Committee 5. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up Cases of Fraud 6. Committee of Directors for Customer Service 7. IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee 8. Credit Approval Committee of Board 9. Steering Committee of the Board on HR 10. Review Committee of Wilful Defaulters 11. Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets 12. Corporate Social Responsibility Committee 13. Group Governance Unit Committee 14. Risk Management Committee	-	-	-	Banking
3.	Shri P. R. Rajagopal Executive Director (Executive)	18.03.2020	1. Management Committee of the Board 2. Stakeholder Relationship Committee 3. Share Transfer Committee 4. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up Cases of Fraud 5. Risk Management Committee 6. Committee of Directors for Customer Service 7. IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee	-	1	0	Banking.

Sr. No	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	No of shares held	Number of Membership of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Number of Chairmanship of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Area of Expertise
			8. Credit Approval Committee of Board 9. Steering Committee of the Board on HR 10. Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets 11. Corporate Social Responsibility Committee 12. Group Governance Unit Committee				
4.	Shri Subrat Kumar Executive Director (Executive)	21-11-2022	1. Management Committee of the Board 2. Stakeholder Relationship Committee 3. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up Cases of Fraud 4. Committee of Directors for Customer Service 5. IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee 6. Credit Approval Committee of Board 7. Steering Committee of the Board on HR 8. Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets 9. Corporate Social Responsibility Committee 10. Group Governance Unit Committee	-	1.	0	Banking
5.	Shri Rajiv Mishra Executive Director (Executive)	01.03.2024	1. Management Committee of the Board 2. Stakeholder Relationship Committee 3. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up Cases of Fraud 4. Committee of Directors for Customer Service 5. IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee 6. Credit Approval Committee of Board 7. Steering Committee of the Board on HR 8. Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets 9. Corporate Social Responsibility Committee 10. Group Governance Unit Committee	-	1	0	Banking.

Sr. No	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	No of shares held	Number of Membership of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Number of Chairmanship of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Area of Expertise
6.	Shri Pramod Kumar Dwivedi Executive Director (Executive)	24.11.2025	1. Management Committee of the Board 2. Stakeholder Relationship Committee 3. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up Cases of Fraud 4. Committee of Directors for Customer Service 5. IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee 6. Credit Approval Committee of Board 7. Steering Committee of the Board on HR 8. Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets 9. Corporate Social Responsibility Committee 10. Group Governance Unit Committee	-	.1	0	Banking
7.	Shri Ashok Narain RBI Nominee Director (Non-Executive)	14.07.2023	1. Management Committee of the Board, 2. Audit Committee of the Board 3. Directors Promotion Committee 4. Disciplinary Proceedings Committee of the Board	-	1	0	Banking
8.	Shri Manoj M Ayyappan (Govt Nominee Director)	05.08.2024	1. Audit Committee of the Board 2. Directors Promotion Committee 3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 4. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up Cases of Fraud 5. Committee of Directors for Customer Service 6. IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee 7. Steering Committee of the Board on HR 8. Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets 9. Board Committee for Performance evaluation of Managing Director & CEOs/Executive Directors/ Chief General Managers/General Managers	-	1	0	Banking

Sr. No	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	No of shares held	Number of Membership of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Number of Chairmanship of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Area of Expertise
9.	Smt. Jamuna Ravi Shareholder Director (Non-Executive, Independent Director)	04.12.2025	1. Audit Committee of the Board 2. Stakeholder Relationship Committee 3. Share Transfer Committee 4. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up Cases of Fraud 5. Risk Management Committee 6. IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee 7. Nomination & Remuneration Committee 8. Independent Directors Committee of the Board 9. Corporate Social Responsibility Committee 10. Board Committee for Performance evaluation of Managing Director & CEOs/Executive Directors/ Chief General Managers/General Managers 11. Group Governance Unit Committee	500	1	1	IT
10.	Shri Prabodh Parikh Shareholder Director (Non-Executive Independent Director)	29-11-2025	1. Management Committee of the Board 2. Directors Promotion Committee 3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 4. Share Transfer Committee 5. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up Cases of Fraud 6. Risk Management Committee 7. Committee of Directors for Customer Service 8. IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee 9. Nomination & Remuneration Committee 10. Steering Committee of the Board on HR 11. Review Committee of Wilful Defaulters 12. Independent Directors Committee of the Board 13. Corporate Social Responsibility Committee 14. Group Governance Unit Committee	205	0	1	Banking

Note:

- No Director of the Bank was a member in more than 10 committees or acted as Chairperson of more than 5 Committees across all listed entities/public limited companies in which he/she was a Director during the year 2025-26.

2. There is no inter-se relationship between Directors.
3. The Board of Directors has been responsible for the business and overall affairs of the Bank in the FY 2025-26 and that the reporting structures of the Bank, formal and informal are in consistent with the same.
4. In the opinion of the Board, the independent directors fulfil the conditions specified in SEBI (LODR) regulations, 2015 and are independent of the management.
5. During FY 2025-26, there has been no instance of resignation by any of the Independent Directors.

All Directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-Executive Directors on the Board. Two Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government and one Part-time non-official Director are Independent directors within the meaning of Regulation 16(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI-LODR).

Details of familiarization programmes imparted to Independent Directors are available at <https://bankofindia.bank.in/familiarization>.

In the opinion of the Board, independent directors fulfil the conditions specified in these Regulations and are independent of the Management.

Committee Membership of Directors :

In terms of regulations 26(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Chairpersonship and Membership of Audit Committee of the Board (ACB) and Stakeholders Relationship Committee (SRC) are considered for this disclosure.

Details of positions held by the Directors on the Committees of the Bank and unlisted/other listed/public limited companies where he/she was a Director as on 31.03.2026 are as given here under:

Sr. No	Name & Designation of Director	Name of the Company	Name of the Committee (ACB/SRC)	Member
1.	Shri M.R. Kumar (Non-Executive Chairman)	1.Bank of India 2.Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. 3.Aurobindo Pharma Ltd.	ACB, SRC	Member
2.	Shri Rajneesh Karnatak (MD & CEO)	1.Bank of India 2.EXIM Bank 3.Indian Institute of Banking & Finance	ACB, SRC	Member
3.	Shri P.R. Rajagopal (Executive Director)	1.Bank of India 2.BOI Merchant Bankers Ltd.	SRC, ACB	Member
4.	Shri Subrat Kumar (Executive Director)	1.Bank of India 2.BOI Investment Managers P Ltd. 3.BOI Services Ltd., 4.Indo Zambia Bank Ltd.	SRC	Member
5.	Shri Rajiv Mishra (Executive Director)	1.Bank of India 2.STCI Finance Ltd., 3.Star Union Daichi Life Insurance Co.Ltd.	SRC	Member
6.	Shri Pramod Kumar Dwibedi (Executive Director)	1.Bank of India 2.MPCon Ltd.	SRC	Member
7.	Shri Manoj M. Ayyappan (Non-Executive Director)	1.Bank of India 2.NCGTC, Small Industries Development Bank of India	ACB	Member
8.	Shri Ashok Narain (Non-Executive Director)	1.Bank of India 2.Star Union Daichi Life Insurance Co.Ltd.	ACB	Member
9.	Smt Jamuna Ravi (Non-Executive Director)	1.Bank of India	ACB, SRC	Chairperson - ACB Member- SRC
10.	Shri Prabodh Parikh	Bank of India	SRC	Chairperson

The profiles of the directors who were appointed / nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2025-26 are furnished hereunder:

Shri Pramod Kumar Dwibedi (Executive Director)

Shri Pramod Kumar Dwibedi has been appointed as Executive Director of Bank of India and assumed charge on 24.11.2025.

Shri Dwibedi, aged 58 Years, is a postgraduate in Economics & MBA (Finance) started his career in Banking in the year 1995 as Probationary Officer. He is certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a certification in IT and Cyber Security from the Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) for Senior Management and Fundamentals of Risk Management from Institute of Risk Management, London. In a career spanning over 30 years, he has worked in different capacities and has worked across the country and abroad. He has functioned in almost all areas of banking operations and Administrative offices. He

successfully handled responsibilities as General Manager, FGMO Bhopal, comprising of Madhya Pradesh & Chhattisgarh and as a Chief General Manager, FCGMO Pune.

Shri Prabodh Parikh (Shareholder Director)

Shri Prabodh Parikh, aged 63 years, is a post graduate in M.Com, M.B.A and is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He joined State Bank of India (SBI) in 1985 and retired as Deputy Managing Director in 2023. He has 37 years of rich banking experience and has specialized in Infrastructure and Project financing.

He was nominated as Director by SBI on the board of Oman India Joint Investment Fund - Trustee Company Private Limited, Oman India Joint Investment Fund – Management Company Private Limited and SBI Infra Management Solutions Pvt. Ltd.

He was on deputation at NaBFID as Executive Vice President – Officer on Special Duty – looking after all the aspects to set up necessary infrastructure and kick starting the operations of NaBFID and business development.

Cessation: The following members ceased to be the Directors during the financial year 2025-26:

Sr.No.	Name of Director	Category	Date of Cessation	Reason
1.	Shri Vishwanath V Shenoy	Shareholder Director	28-11-2025	Completion of tenure

Conduct of Board Meetings:

During the FY 2025-26, 20 (Twenty) Board Meetings were held on the following dates:

25-04-2025	30-04-2025	09-05-2025	30-05-2025	26-06-2025	28-07-2025
29-07-2025	26-08-2025	26-09-2025	17-10-2025	30-10-2025	01-11-2025
28-11-2025	16-12-2025	30-12-2025	21-01-2026	27-01-2026	27-02-2026
16-03-2026	27-03-2026				

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2025-26 are as follows:

Directors Name	Total no. of meetings	No. of meetings attended	Period	
			From	To
Rajneesh Karnatak	20	20	01-04-2025	31-03-2026
P. R. Rajagopal	20	17	01-04-2025	31-03-2026
Subrat Kumar	20	19	01-04-2025	31-03-2026
Rajiv Mishra	20	18	01-04-2025	31-03-2026
Pramod Kumar Dwivedi	8	8	24-11-2025	31-03-2026
Manoj M Ayyappan	20	14	01-04-2025	31-03-2026
Ashok Narain	20	20	01-04-2025	31-03-2026
Jamuna Ravi	20	20	01-04-2025	31-03-2026
*V V Shenoy	13	13	01-04-2025	28-11-2025
M R Kumar	20	20	01-04-2025	31-03-2026
Prabodh Parikh	7	7	29-11-2025	31-03-2026

* V V Shenoy ceased to be member during the year

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

Sr. No	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board
2.	Audit Committee of the Board
3.	Directors Promotion Committee
4.	Disciplinary Proceeding Committee
5.	Stakeholders' Relationship Committee
6.	Share Transfer Committee
7.	Special Committee of the Board for Monitoring & Follow Up Cases for Frauds
8.	Risk Management Committee
9.	Committee of Directors for Customer Services
10.	IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee

11.	Nomination and Remuneration Committee of Directors
12.	Credit Approval Committee of the Board
13.	Steering Committee of the Board on HR
14.	Review Committee for Willful Defaulters
15.	Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
16.	Independent Directors' Committee of the Board
17.	Corporate Social Responsibility Committee
18.	Committee for Performance Evaluation of MD&CEO, Executive Directors and General Managers
19.	Group Governance Unit Committee

1. The Management Committee of the Board

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals, etc. As on 31.03.2026, it comprised of 7 members consisting of MD & CEO, 4 Executive Directors and One Shareholder Director and One RBI Nominee Director.

The Management Committee of the Board met 26 times during the FY 2025-26 on the following dates:

30-04-2025	13-05-2025	22-05-2025	30-05-2025	13-06-2025	24-06-2025
10-07-2025	24-07-2025	06-08-2025	25-08-2025	10-09-2025	17-09-2025
25-09-2025	09-10-2025	23-10-2025	19-11-2025	28-11-2025	12-12-2025
20-12-2025	30-12-2025	16-01-2026	27-01-2026	09-02-2026	26-02-2026
10-03-2026	23-03-2026				

Details of attendance of the Directors at the Management Committee of the Board Meetings in FY 2025-26 are as follows:

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
Rajneesh Karnatak	26	26	01-04-2025	31-03-2026
P. R. Rajagopal	26	20	01-04-2025	31-03-2026
Subrat Kumar	26	25	01-04-2025	31-03-2026
Rajiv Mishra	26	23	01-04-2025	31-03-2026
Pramod Kumar Dwivedi	10	9	24-11-2025	31-03-2026
Ashok Narain	26	25	01-04-2025	31-03-2026
*V V Shenoy	17	16	01-04-2025	28-11-2025
Prabodh Parikh	9	9	29-11-2025	31-03-2026

* V V Shenoy ceased to be member during the year

2. Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-130.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs.800 Crore in case of our Bank and exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the Committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance, CGM / General Manager in-charge of Risk Management and CGM/General Manager in charge of Credit. The Committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 47 times during the FY 2025-26 on the following dates:

04-04-2025	09-04-2025	16-04-2025	02-05-2025	08-05-2025	16-05-2025
22-05-2025	31-05-2025	06-06-2025	12-06-2025	19-06-2025	25-06-2025
04-07-2025	15-07-2025	24-07-2025	31-07-2025	07-08-2025	14-08-2025
21-08-2025	28-08-2025	10-09-2025	19-09-2025	22-09-2025	25-09-2025
06-10-2025	16-10-2025	23-10-2025	30-10-2025	18-11-2025	27-11-2025
04-12-2025	11-12-2025	18-12-2025	26-12-2025	01-01-2026	08-01-2026
14-01-2026	22-01-2026	29-01-2026	05-02-2026	11-02-2026	18-02-2026
25-02-2026	05-03-2026	13-03-2026	24-03-2026	31-03-2026	

3. Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India, the Government of India and Securities and Exchange Board of India Regulations as amended from time to time. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

As on 31.03.2026, the Audit Committee comprises of 3 members viz. Shareholder Director, Government Nominee Director and Reserve Bank of India Nominee Director.

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to placing before the Board of Directors for approval.

During the FY 2025-26, the Audit Committee met 17 times on the following dates.

22-04-2025	09-05-2025	20-05-2025	05-06-2025	26-06-2025	17-07-2025
29-07-2025	13-08-2025	17-09-2025	09-10-2025	17-10-2025	19-11-2025
18-12-2025	16-01-2026	21-01-2026	16-02-2026	18-03-2026	

Details of attendance of the Directors at the Audit Committee of the Board Meetings in FY 2025-26 are as follows:

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
Jamuna Ravi	17	17	01-04-2025	31-03-2026
Manoj M Ayyappan	17	17	01-04-2025	31-03-2026
Ashok Narain	17	17	01-04-2025	31-03-2026

4. Stakeholders Relationship Committee:

In compliance of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer / transmission of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Four Executive Directors and Two Shareholder Directors of the Bank.

During the year 2025-26, Bank has received 32 Complaints. All of these complaints have been resolved. The Committee met 4 times during the FY 2025-26 on the following dates:

19-04-2025	08-08-2025	17-12-2025	10-02-2026

The attendance record of the members in the above meeting is shown below:

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
P. R. Rajagopal	4	4	01-04-2025	31-03-2026
Subrat Kumar	4	4	01-04-2025	31-03-2026
Rajiv Mishra	4	4	01-04-2025	31-03-2026
Pramod Kumar Dwivedi	2	2	24-11-2025	31-03-2026
*V V Shenoy	2	2	01-04-2025	28-11-2025
Jamuna Ravi	4	4	01-04-2025	31-03-2026
Prabodh Parikh	2	2	29-11-2025	31-03-2026

* V V Shenoy ceased to be member during the year

5. Share Transfer Committee:

In terms of Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2007 meeting of this committee is to be held as and when necessary. The committee comprises of Managing Director & CEO or in his absence any Executive Director and two Shareholder Directors. The Committee met 4 times during the FY 2025-26 on the following dates:

19-04-2025	08-08-2025	17-12-2025	10-02-2026

6. Risk Management Committee of the Board:

The Bank has evolved suitable risk management policies consistent with the SEBI guidelines, size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operation of the Bank. Risk Management Committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The committee consists of MD & CEO of the Bank any one Executive Director, and Two Shareholder Directors. Other Executive Directors are invitees. The Committee met 14 times during the FY 2025-26 on following dates:

22-04-2025	19-05-2025	10-06-2025	24-06-2025	10-07-2025
13-08-2025	25-09-2025	15-10-2025	18-11-2025	11-12-2025
20-12-2025	16-01-2026	10-02-2026	16-03-2026	

The attendance record of the members in the above meeting is shown below:

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
Rajneesh Karnatak	14	13	01-04-2025	31-03-2026
P.R. Rajagopal	14	11	01-04-2025	31-03-2026
Jamuna Ravi	14	14	01-04-2025	31-03-2026
*V V Shenoy	9	9	01-04-2025	28-11-2025
Prabodh Parikh	5	5	29-11-2025	31-03-2026

* V V Shenoy ceased to be member during the year

7. Committee of Directors for Customer Service:

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the Committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the Head Office). It comprises of Whole Time Directors, GOI Nominee Director, one Shareholder's Director. The Committee met 4 times during the FY 2025-26 on following dates:

17-07-2025	06.09.2025	17.12.2025	09-03-2026

8. Nomination and Remuneration Committee:

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as Directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Committee was formed in terms of Reserve Bank of India Notification No: RBI/DBR/2019-20/71/ Master Direction DBR-Appl. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019. The NRC consists of Three Independent Director of the Bank. The Committee met four times during the FY 2025-26 on following dates:

19-04-2025	27-10-2025	30-12-2025	27-02-2026

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
M R Kumar	4	4	01-04-2025	31-03-2026
Jamuna Ravi	4	4	01-04-2025	31-03-2026
*V V Shenoy	2	2	01-04-2025	28-11-2025
Prabodh Parikh	2	2	29-11-2025	31-03-2026

* V V Shenoy ceased to be member during the year

9. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up cases of frauds

The Committee was formed to monitor large value frauds. This Committee consist of Non Executive Chairman of the Bank, Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and two Shareholder Director. The Committee met 4 times during the FY 2025-26 on following dates:

10-06-2025	06-09-2025	29-11-2025	10-03-2026

10. IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee:

The Committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and three other Non-Executive Independent Directors. During the FY 2025-26. The Committee met 13 times on following dates:

22-04-2025	19-05-2025	10-06-2025	10-07-2025	13-08-2025	20-09-2025
15-10-2025	17-11-2025	11-12-2025	20-12-2025	16-01-2026	16-02-2026
16-03-2026					

11. Directors Promotion Committee:

The Committee was formed on Ministry of Finance (DFS) Guidelines. The members of this Committee are Managing Director & CEO, GOI Nominee Director and RBI Nominee Director. During the FY 2025-26, it met 2 times on following dates:

12-03-2026	13-03-2026

12. Steering Committee of the Board on HR:

The Committee was formed to consider the HR related matters. The Members of this Committee are Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director, Shareholder Director and Non-Executive Independent Director. During the FY 2025-26 it met 12 times on following dates:

30-05-2025	26-06-2025	28-07-2025	26-08-2025	26-09-2025	30-10-2025
28-11-2025	16-12-2025	30-12-2025	27-01-2026	27-02-2026	30-03-2026

13. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets:

The Committee was formed to monitor recovery & review of top 50 NPAs. This Committee consist of Non-Executive Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director, General Manager – Recovery Department is the convener. During the FY 2025-26, it met 4 times on following dates:

10.06.2025	26.08.2025	26.12.2025	09-03-2026

14. Review Committee for Wilful Defaulters:

The Members of this Committee are Non-Executive Chairman, Managing Director & CEO, One Shareholder Directors During the FY 2025-26, it met 4 times on following dates:

30.05.2025	24.07.2025	26.12.2025	10-03-2026

15. Independent Directors' Committee:

Two Shareholder Directors and Non-Executive Chairman of the Bank are the members of this Committee. The independent Director's Committee of the Board met once on 23-05-2025.

Details of attendance of the Independent Directors' Committee for Meetings in FY 2025-26 are as follows:

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
*V V.Shenoy	1	1	01-04-2025	28-11-2025
M R Kumar	1	1	01-04-2025	31-03-2026
Jamuna Ravi	1	1	01-04-2025	31-03-2026

* V V Shenoy ceased to be member during the year

16. Disciplinary Proceedings Committee:

The Members of this Committee are Managing Director & CEO, Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and one Shareholder Director. During the FY 2025-26, it met on 4 times on

10-07-2025	25-08-2025	23-10-2025	10-03-2026

17. Corporate Social Responsibility Committee:

Corporate Social Responsibility Committee constituted in terms of Government of India – CSR – Voluntary Guidelines – 2009. Managing Director & CEO, four Executive Directors, two Independent Director and Non-Executive Chairman of the Bank are members of this Committee. The Committee met 4 times during the FY 2025-26 on following dates.

17-07-2025	08.08.2025	17.12.2025	09-03-2026

18. Committee for Performance Evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Director, Chief General Managers and General Managers:

This Committee is constituted as per Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services Directives F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019. The Members of this Committee are Non-Executive Chairman, one Shareholder Directors, Govt. Nominee Director. The Committee met 3 times during FY 2025-26 on following dates :

23-05-2025	29-07-2025	20.03.2026

19. Group Governance Unit Committee:

The Committee consists of Chairman, Managing Director & CEO, four Executive Directors and Two Shareholder Directors. The Committee met 11 times during the Financial Year 2025-26 on the following dates.

19-04-2025	23-05-2025	10-06-2025	10-07-2025	08-08-2025	06-09-2025
15-10-2025	18-11-2025	11-12-2025	16-02-2026	16-03-2026	

Details of Senior Management (Chief General Managers) as on 31st March 2026:

Sr. No.	Name	Date of Appointment	Department
1	Shri Abhijit Bose	28-01-2022	General Operation, Premises
2	Shri Ashok Kumar Pathak	28-01-2022	Corporate Credit, Treasury, International, FBD
3	Shri Sudhiranjan Padhi	31-03-2023	Human Resources, Learning & Development, Finance, Planning, BPR, EASE
4	Shri P. K. Giri	31-03-2023	Compliance & GCCO
5	Shri P. Harikishan	01-04-2023	Risk Management
6	Shri Sharda Bhushan Rai	01-04-2023	Recovery & Credit Monitoring, Stressed Asset Recovery, Legal
7	Shri Nitin G. Deshpande	01-04-2023	Retail, Rural, MSME, Financial Inclusion, Digital Lending
8	Shri Rajesh S Ingle	06-11-2023	Inspection & Audit
9	Shri Prashant Thapliyal	01-03-2024	Resource Mobilisation, Publicity & PR, Marketing, Third Party Products & Government Business, CEBB, Call Centre
10	Shri Sunil Sharma	01-04-2025	FCGMO, Mumbai
11	Shri Raghvendra Kumar	29-09-2025	On Deputation CVO of Punjab National Bank
12	Shri Satyendra Singh	25-11-2025	Information Technology, Digital Banking, Digital Lending Dept., Data Analytics (DAD), IT (Governance & Excellence) & CTO
13	Shri Sankar Sen	01-01-2026	FCGMO, Pune

Share Transfers and Redressal of Shareholders' Investors' Grievances:

The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters. In terms of SEBI guidelines dated 08-06-2018 and SEBI Press Release dated 03-12-2018, physical transfer of shares is not permitted after 31-03-2019. Thus, shareholders are requested to open a demat account and dematerialise their physical shareholding.

Further, in the interest of investors and with a view to enhance ease of dealing in securities markets by investors, SEBI, vide its circular dated 25-01-2022, decided that the listed entities shall henceforth issue the shares in dematerialised mode only while processing the following service requests:

- Issue of duplicate securities certificate;
- Claim from Unclaimed Suspense Account;
- Renewal / Exchange of securities certificate;
- Endorsement;
- Sub-division / Splitting of securities certificate;
- Consolidate of securities certificate / folios;
- Transmission;
- Transposition

The shareholder / claimant shall submit duly filled up Form ISR-4 and the RTA / listed entity shall, after processing the service requests, issue a "Letter of Confirmation" instead of physical certificates to the shareholder / claimant within 30 days of such requests after removing objections, if any.

The Letter of confirmation shall be valid for 120 days from the date of its issuance within which the shareholder / claimant shall make

a request to the depository participant for dematerialising the said securities.

The RTA shall issue a reminder after the end of 45 days and 90 days from the date of issuance of Letter of Confirmation, informing the securities holder / claimant to submit the demat request.

The RTA shall retain the physical share certificate as per the existing procedure and deface the certificate with a stamp "Letter of Confirmation issued" on the face / reverse of the certificate, subsequent to processing the service request.

Depository Participant shall generate the demat request on the basis of the Letter of Confirmation and forward the same to the Listed entity / RTA for processing the demat request.

If demat request is not received within 120 days of the Letter of Confirmation, shares shall be credited to the Suspense Escrow Demat Account of the entity.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., as its Registrar and Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, transmission, dividend, recording of shareholders' requests, and solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact:

For Equity Shares and Debentures/ Bonds:

Bigshare Services Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India,
Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park,
Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,
Andheri (East) Mumbai – 400093

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Cell at:

Star House, 8th Floor,
East Wing, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051,
Phone: 022 – 6668 4490/4491,
E-mail: headoffice.share@bankofindia.bank.in.

For Privately placed Bonds, the Bank has appointed following Debenture Trustees:

1) IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,
17, R. Kamani Marg, Ballard Estate,
Mumbai – 400 001.
Ph.No. 022-4080 7000
Fax No. 022-6631 1776
Email id : itsl@idbitrustee.com

2) SBI CAP Trustee Company Limited
Mistry Bhavan 4th Floor,
122, Dinshaw Vaccha Road,
Churchgate Mumbai – 400 020
Board No.022-4302 5500/5566
022-43025525
Email id : Corporate@sbicaptrustee.com

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting i.e. 29th Annual General Meeting of the Bank held on 27th June, 2025, in which following directors participated

1. Shri M. R. Kumar Chairman,
2. Shri Rajneesh Karnatak, MD & CEO
3. Shri Subrat Kumar, Executive Director
4. Shri Rajiv Mishra, Executive Director
5. Smt. Jamuna Ravi, Shareholder Director
6. Shri Vishwanath V. Shenoy, (as on date ceased to shareholder director)

Last 3 General Body Meetings held at Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Resolution
1.	Twenty Ninth Annual General Meeting	Friday, 27th June 2025 at 11.00 am through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)	1) Approved Annual Financial results for the year 2024-25 2) Approved and declared dividend for the Financial Year 2024-25 3) Approved appointment of M/s. Sawant & Associates, as Secretarial Auditor of the Bank for a continuous period of five years
2.	Extraordinary General Meeting	Friday, 7th November, 2025 at 1.00 P.M through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVC).	1) Approved extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank. 2) Approved extension of term of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.
3.	Twenty Eighth Annual General Meeting	Tuesday, 25th June 2024 at 11.00 am through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)	1) Approved Annual Financial results for the year 2023-24 2) Approved and declared dividend for the Financial Year 2023-24 3) Approved extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank. 4) Approved extension of term of Shri M. Karthikeyan as Executive Director of the Bank. 5) Approved appointment of Shri Ashok Narain as Non- Executive Nominee Director of the Bank 6) Approved appointment of Shri Rajiv Mishra as Executive Director of the Bank 7) Approved appointment of Shri M.R. Kumar as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.
4.	Extraordinary General Meeting	Tuesday, 3rd December, 2024 at 11.00 A.M through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVC).	1) Election of One Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government. 2) Appointment of Shri Manoj M.Ayyappan as Govt. Nominee Director of the Bank.
5.	Twenty Seventh Annual General Meeting	Tuesday, 27th June 2023 at 11.00 am through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)	1) Approved Annual Financial results for the year 2022-23 2) Approved and declared dividend for the Financial Year 2022-23 3) Appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of the Bank. 4) Appointment of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.

			5) Appointment of Shri Rajneesh Karnatak as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank. 6) Appointment of Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non-Official Director of the Bank. 7) Raising of capital by way of issuing fresh equity shares and or by way of issuance of Tier I & Tier II Capital as per BASEL III guidelines.

Disclosures:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has complied with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with the Nationalisation Act and the guidelines issued by RBI and Government of India.

i) Remuneration of Directors:

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. Details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Directors are given below:

Sr. No.	Name	Designation	2025-26	2024-25
1.	Shri Rajneesh Karnatak	Managing Director & CEO	62,94,742	52,69,865
2.	Shri P R Rajagopal	Executive Director	68,16,348	59,42,538
3.	Shri M. Karthikeyan	Executive Director (Super annuated on 31 st March, 2025)	18,68,640	49,17,186
4.	Shri Subrat Kumar	Executive Director	76,93,522	51,40,710
5.	Shri Rajiv Mishra	Executive Director	72,54,345	35,65,716
6.	Shri Pramod Kumar Dwivedi *	Executive Director	16,36,274	-

* Shri Pramod Kumar Dwivedi Executive Director w.e.f. 24.11.2025

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2025-26 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India):

Sr. No.	Name	Designation	Sitting Fees Paid (in Rs.)
1.	*Shri V V Shenoy	Shareholder Director	30,90,000
2.	Shri Ashok Narain	RBI Nominee Director	36,05,000
3.	Shri M R Kumar	Chairman	42,45,000
4.	Smt. Jamuna Ravi	Shareholder Director	48,00,000
5.	Shri Prabodh Parikh	Shareholder Director	26,00,000

* Shri V V Shenoy ceased to be member of the Board w.e.f. 29.11.2025

The sitting fees paid to the Directors for attending/chairing the Board and its sub-committee Meetings w.e.f. 28-10-2025 is as below. Please also note that the existing ceiling of Rs. 25 lakhs has been removed w. e. f. 28.10.2025

Sr. No.	Meeting	Amount per meeting
(a)	For attending Board meeting	Rs.90,000
(b)	For attending meeting of Board committee	Rs.45,000
(c)	For chairing Board meeting	Rs.10,000/- (in addition to above)
(d)	For chairing meeting of Board committee	Rs.5,000/- (in addition to above)

In addition to sitting fees, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc., which may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues, Tier 2 bonds, Infra Bonds etc.

During the year under review, the Bank has raised the following funds:

Sr. No.	Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares/ Bonds	Issue Size In Crore
1.	12.12.2025	Unsecured, Subordinate Non-Convertible, Taxable, fully paid-up, Redeemable Basel III compliant 7.28 % Tier II Bonds, Series XVIII in the nature of debentures of face value Rs.1Crore each (the "Bonds")	2,500	2,500

Sr. No.	Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares/Bonds	Issue Size In Crore
2.	26.12.2025	Bank has raised Long Term Infra Bonds of Rs.10,000 Crore through Long Term Infra Bond Series IV at 7.23%. Face Value of the bond is Rs.1,00,000/-	10,00,000	10,000

- iv) The capital funds of Rs. 2,500 Crore were raised with the primary objective of augmenting Tier-II Capital for Strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long - term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose. Infrastructure Bonds of Rs. 10,000 Crore was raised for funding long term project in infrastructure sub sectors and affordable housing as prescribed by Reserve Bank of India and the same were utilised for the said purpose.
- v) In terms of SEBI's circular No. D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Share Capital Audit is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositories and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.
- vi) There are no strictures / penalties imposed on the Bank by SEBI / Stock Exchanges during the last three years except as disclosed in the Corporate Governance Report for March, 2025.
- vii) Disclosure of commodity price risk and commodity hedging activities – Not Applicable
- viii) At present, the Bank does not have any material subsidiary.
- ix) **Independent Directors Meeting:** The separate meeting of Independent Directors was held on 23.05.2025.
- x) **Training of Non-Executive Directors:**

Following training was imparted to Non-Executive Directors

Sr. No.	Name of Non-Executive Director	Training details
1.	Shri M. R. Kumar	Certification Programme for IT & Cyber Security for Board Members
2.	Smt. Jamuna Ravi	Certification Programme for IT & Cyber Security for Board Members
3.	Shri Prabodh Parikh	Certification Programme for IT & Cyber Security for Board Members

Sr. No.	Name of Non-Executive Director	Training details
4.	Shri Ashok Narain	Certification Programme for IT & Cyber Security for Board Members

- xi) Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – https://bankofindia.bank.in/documents/20121/442930/BOI_Code_of_Conduct_Dir_19042021.pdf/c54b5953-f8df-6d80-0b31-19b3bc4d3cdc?t=1663586179347
- xii) Whistle Blower Policy is posted at Bank's website – <https://bankofindia.bank.in/documents/20121/25744421/2-Whistle-Blower-Policy-2024.pdf>.
- xiii) **Related Party Policy transaction** – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted on Bank's website– <https://bankofindia.bank.in/documents/20121/25744421/2-Whistle-Blower-Policy-2024.pdf>.
- Details of related party transactions are as detailed under AS-18.
- xiv) **Remuneration Policy** - The Remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of other staff members is as per the Tripartite Agreement of the IBA.
- xv) **Takeover Code:** The Bank has also complied, from time to time, with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended.
- xvi) **Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015:**

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was kept closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of trading window	Purpose of closure
w.e.f Wednesday, 01.07.2025 To Friday 29.07.2025	Declaration of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2025.
w.e.f Wednesday, 01.10.2025 To Sunday 19.10.2025	Declaration of Financial Results for the Quarter ended 30th September, 2025.
w.e.f Thursday, 01.01.2026 To Friday 23.01.2026	Declaration of Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2025.
w.e.f Wednesday, 01.04.2026 To Sunday 11.05.2026	Declaration of Financial Results for the year ended 31st March, 2026.

xvii) Details of fees paid to Auditors:

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs. In Crore)
1	Amount paid to Auditors of the Bank for the year 2025-26	86.46
2	Amount paid to Auditors of the Bank and its subsidiaries for the year 2025-26	89.31

xviii) Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

No of Complaints Filed during the FY 2025-26	6
Complaints resolved during the year FY 2025-26	6
Complaints Pending for Resolution FY 2025-26	0

Details of Material Subsidiaries of the Bank: None of the Subsidiaries of the Bank is a Material Subsidiary.

Means of Communication:

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the newspapers - Business Standard in English, Business Standard in Hindi and Loksatta in Marathi (Regional language). The results were also displayed on the Bank's website at www.bankofindia.bank.in. The presentations made to Institutional Investors are also available on Bank's website.

As required by SEBI LODR Regulations, Bank of India files its financial and other information online on the web portals of the Stock Exchanges.

Financial Calendar: From 1st April, 2026:

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend, if any	08.05.2026
Posting of Annual Report	By Email /Speed Post/Courier.
Last date for receipt of Authorised Representation	08.06.2026
Record Date for payment of dividend	29.05.2026
Date, Time, Venue of 30th AGM	15.06.2026 At Bank of India, Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 through Video Conferencing (VC/Other Audio Visual Means(OAVM))
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd., and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

The BSE Ltd. (BSE)	532149
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA
ISIN Number	INE084A01016

Annual listing fee for 2025-26 has been paid to both the Stock Exchanges.

The high & low of the share price of the Company during the year 2025-26 on NSE is as follows:

Period	Highest Rs.	Lowest Rs.	Volume of Share Traded
April-2025	121.65	103.00	20,74,21,753
May-2025	122.61	104.20	25,36,90,530
June -2025	130.24	111.56	26,01,35,395
July-2025	121.63	110.30	18,65,60,751
Aug-2025	117.31	108.81	8,63,52,775
Sep-2025	123.87	110.68	15,06,94,409
Oct-2025	142.71	122.20	27,59,35,728
Nov-2025	151.43	138.55	17,38,36,328
Dec-2025	149.40	136.71	15,11,82,114
Jan-2026	169.90	142.90	29,92,19,527
Feb -2026	178.36	146.40	23,73,96,614
March-2026	174.40	136.20	18,06,32,390

The Bank has issued Basel III Compliant Non-Convertible Bonds in the nature of Debentures (Additional Tier I, Tier II capital) and Infra Bonds from time to time. The relevant details thereof are as under:

BANK OF INDIA – TIER I, TIER II AND LONG TERM INFRA BONDS POSITION AS ON 31.03.2026

Particulars of the Issue	Coupon Rate	Total Value (Rs. in Crores)	ISIN No.
Additional Tier I			
Series VIII	8.57%	1500	INE084A08169
Tier II Bonds			
Series XV	7.14%	1,800	INE084A08151
Series XVI	7.88%	2,000	INE084A08177
Series XVII	7.49%	2,500	INE084A08193
Series XVIII	7.28%	2,500	INE084A08227
Long Term Infra Bonds			
Series I	7.54%	5,000	INE084A08185
Series II	7.41%	5,000	INE084A08201
Series III	7.50%	2,690	INE084A08219
Series IV	7.23%	10,000	INE084A08235
TOTAL		32,990	

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2025-26 to the Stock Exchange.

Summary of Credit Ratings Bank of India FY2025-26:

Rating Agency	Instrument	Present Rating	Rating Action
CRISIL Limited	Basel III Tier I Bonds	AA (Stable)	Reaffirmed
	Basel III Tier II Bonds	AA+ (Stable)	Reaffirmed
	Long Term Infra Bonds	AA+ (Stable)	Reaffirmed
India Ratings	Basel III Tier II Bonds	AA+ (Stable)	Reaffirmed
	Long Term Infra Bonds	AA+ (Stable)	Reaffirmed
Care Ratings Ltd.	Basel III Tier II Bonds	AA+ (Stable)	Reaffirmed
	Long Term Infra Bonds	AA+ (Stable)	Reaffirmed
	Certificate of Deposit	A1+	Assigned
Infomeric Valuation & Rating	Basel III Tier I Bonds	AAA (Stable)	Reaffirmed
Acuite Ratings	Basel III Tier I Bonds	AA+ (Stable)	Reaffirmed
	Basel III Tier II Bonds	AAA (Stable)	Reaffirmed
ICRA	Basel III Tier II Bonds	AA+ (Stable)	Assigned
Fitch Ratings (International Rating)	Corporate Rating (Long/Short)	BBB- (Stable)	Reaffirmed

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the Investors. For this purpose, Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit, etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar and Transfer Agent, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., at the address given in this report.

Status of shares lying in Suspense Escrow Account:

Opening Balance as on 01.04.2025		Addition during the FY 2025-26		No. of request recd. & Shares Debited during the FY 2025-26		Closing Balance as on 31.03.2026	
No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares
12	1700	10	2100	4	600	18	3200

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE:

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs. 4.65 per equity share (i.e. 46.50%) of face value of Rs.10/- each to the Shareholders for the year 2025-26, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as on, 29.05.2026 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (15.06.2026, Monday).

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend for the year 2021-22, 2022-23, 2023-24 and 2024-25 are requested to contact the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Bank, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., for receiving the dividend.

As per Section 10B of the Nationalisation Act, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 125 of the Companies Act, 2013. All the dividends unclaimed for a period of seven years (pertaining to FY upto 2014-15) have been transferred to the IEPF Authority. Bank has not declared any dividend during FY 2015-16 to FY 2020-21.

UNCLAIMED SHARES:

All shares in respect of which dividend declared up to FY 2014-15 has remained unpaid/unclaimed for seven consecutive years or more and in respect of which no valid claim was received on or before **07 March 2026**, have been transferred by the Bank to IEPF.

Prior to transfer, individual communication was sent on 08.12.2025 to the concerned shareholders at their registered addresses/e-mail ID as per records available with the Bank/RTA/Depositories. The Bank had also published notice on 08.12.2025 in newspapers requesting shareholders to lodge their claims by 07 March 2026.

The details of such shareholders and shares transferred to IEPF are available on the Bank's website: www.bankofindia.bank.in.

Shareholding Pattern as on 31.03.2026:

Category of Shareholders	Number of Shareholders	Number of Shares	% of Holding	Shares under Lock-in	% of Shares under Lock-in
Promoter(Government of India)	1	3,34,08,61,720	73.38	0	0.00
Mutual Funds	32	15,52,70,254	3.41	0	0.00
Alternate Investment Funds	11	20,77,958	0.05	0	0.00
Financial Institution/Bank	13	8,691	0.00	0	0.00
Insurance Company	22	46,75,71,536	10.27	0	0.00
Qualified Institutional Investors	1	1,06,02,943	0.23	0	0.00
Bodies Corporate	1,466	2,10,62,757	0.46	0	0.00
Foreign Financial Institution Investor	329	33,06,71,756	7.26	0	0.00
Indian public	6,17,121	21,38,16,144	4.70	0	0.00
Others	7,193	107,24,107	0.24	0	0.00
Total	6,26,189	4,55,26,67,866	100.00	0	0.00

Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares:

Name of the Shareholder	Number of Shares	% of Holding
LIC of India	36,88,28,543	8.10

Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2026:

No. of Equity Shares held	Folio		Shares	
	Nos.	% age	Nos.	% age
Upto 500	5,74,622	90.09	567,65,170	1.25
501 to 1000	31,231	4.90	243,91,620	0.54
1001 to 5000	26,785	4.20	576,69,973	1.27
5001 to 10000	2,786	0.44	203,00,647	0.44
10001 & Above	2,359	0.37	43,935,40,456	96.50
Total	6,37,783	100.00	4,55,26,67,866	100.00

Dematerialisation of Shares:

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31.03.2026 are as under:

	No. of Shareholders	Shareholders in %	No. of Shares	Shareholding %
NSDL	1,84,629	28.95	106,95,40,552	23.49
CDSL	3,68,038	57.71	347,06,02,460	76.23
Physical	85,116	13.35	1,25,24,854	0.28
Total	6,37,783	100.00	455,26,67,866	100.00

Other Compliances:

- The certificate issued by the practicing Company Secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.
- A Certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority, is enclosed.
- Secretarial Audit Report:** In Compliance of Regulation 24A of SEBI LODR 2015, the Annual Secretarial Compliance Report (Form MR 3) is enclosed.
- Financial Statements of Subsidiaries:** In compliance of Regulation 46(2) of SEBI LODR 2015, the Audited Financial Statements of subsidiaries have been uploaded on our website i.e. www.bankofindia.bank.in.

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements:

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI Listing Regulations, 2015:

Sr. No.	Non Mandatory requirements	Status of implementation
1.	The Board – A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expenses	The Chairman's Position is Non- Executive and there is a separate office in the Bank.
2.	Shareholder's Rights- A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. Quarterly results, press release and analyst presentation is sent to all shareholders by email.
3.	Modified Opinion (s) in Audit Report –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The Bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion.
4.	Reporting of Internal Auditor	All internal auditors are appointed by our Inspection and Audit Department, which reports to Audit Committee.
5.	Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer- The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	The Bank is having this position. GOI has appointed Non-Executive Chairman Shri M.R. Kumar.

Compliance status of corporate governance requirements:

Bank is in compliance with corporate governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 except following:

(a) Board Composition (Regulation 17(1)): Bank has Chairperson who is non-executive director.

Board Composition - Till 23.11.2025, our Bank has complied with Board composition requirements. Upon appointment of Executive Director Shri Pramod Kumar Dwivedi on 24.11.2025, the number of Directors on Bank's Board has increased to 10, out of which 3 Directors are independent. Hence from 24.11.2025, 1/3rd of the Board composition is not independent. As the Central Government was in the process of nominating other Directors of the Bank and the vacancies have not been filled in, the Bank was not in a position to comply with the referred regulations. Due to above reasons, one third of the Board was not independent from 24.11.2025.

(b) Audit Committee Composition (Regulation 18): Our Bank is a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act). Composition of the Board of Directors of the Bank is governed by this Act.

The Central Government appoints Whole time Directors including the Managing Director and is entitled to nominate Non- Executive Directors identified and selected from various defined categories under the Act who can be considered as Independent Directors.

Shareholders other than the Central Government are entitled to elect up to 3 Directors depending on the percentage of non-governmental shareholding in the Bank.

At present, Bank is having two Shareholder's Directors who are considered as Independent Directors. One Non-Official Director appointed by Government of India is also considered as Independent Director.

Presently, Audit Committee of the Board (ACB) is constituted as per the Circulars issued by RBI from time to time.

As per DFS guidelines no. 16/11/2015-BO.I dated 17.06.2016, any director who is on the Management Committee / Credit Approval Committee shall not be on the Audit committee in any capacity. As per the RBI guidelines, the Chairperson of the Board cannot be a member of the Audit Committee.

One Independent Director, Mr. Prabodh Parikh, is member of Management Committee and other Committees and thus cannot be part of the ACB.

Shri M R Kumar is Non-Executive Chairman and Independent Director and he cannot be a member of the ACB as per RBI guidelines.

Hence, the Bank is not in a position to have two third of the independent members on ACB.

The Bank has already taken up this matter with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for immediate filling up of various vacancies at the Board level. Once these vacancies are filled up by the Government of India, our Bank will be able to comply with the requirements of Audit Committee composition.

सावंत एंड एसोसिएट्स

प्राक्टिस करने वाले कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण,
बैंक ऑफ़ इंडिया
स्टार हाऊस, सी-5, 'जी' ब्लॉक,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.

हमने 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक के वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है, के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया ("दी बैंक/कंपनी") के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह प्रमाणपत्र न कोई लेखा परीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय की कोई अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लेख किए गए सेबी (एलओडीआर) 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

यूडीआईएन : A041210H000267194

कृते सावंत एंड एसोसिएट्स
प्राक्टिस करने वाले कंपनी सचिव

प्राची प्रकाश सावंत

सदस्य सं: A41210
सीओपी नं: 16317
पीआर: 2615/2022

स्थान: मुंबई
दिनांक : 04/05/2026

SAWANT & ASSOCIATES

PRACTISING COMPANY SECRETARY

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members,
Bank of India,
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 051

We have examined all the relevant records of the Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliance with the conditions of the Corporate Governance under Regulation 17 to 27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 entered into with National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited (Stock Exchanges) for the financial year from April 01, 2025 to March 31, 2026.

The compliance with conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation processes adopted by the bank to ensure compliance with the conditions of Corporate Governance. This Certificate is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations and information furnished to us, we certify that the Bank has complied with all the conditions of Corporate Governance as stipulated in the SEBI (LODR) 2015.

UDIN: A041210H000267194

For Sawant & Associates
Practising Company Secretary

Prachi Prakash Sawant
Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

Place: Mumbai
Date: 04/05/2026

सावंत एंड एसोसिएट्स

प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव

SAWANT & ASSOCIATES

PRACTISING COMPANY SECRETARY

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V, पैरा सी, खण्ड 10(i) के अनुसार]

प्रति,

बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्य

हमने बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका प्रधान कार्यालय, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 (इसके बाद इसे "बैंक" कहा जाएगा), है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न तथा प्रकटनों की जांच की है, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) के साथ पठित अनुसूची V पैरा सी, खण्ड 10(i) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध सत्यापनों/निदेशकों की पहचान संख्या(डीआईएन) सहित एवं बैंक, और उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताये गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र देने/ सेवा समाप्ति की तिथि
1	श्री एम.आर. कुमार	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष	21/02/2024	-
2	श्री रजनीश कर्नाटक	कार्यपालक निदेशक, सीईओ - प्रबंध निदेशक	29/04/2023	-
3	श्री पी.आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक	18/03/2020	-
4	श्री सुब्रत कुमार	कार्यपालक निदेशक	02/11/2022	-
5	श्री राजीव मिश्रा	कार्यपालक निदेशक	01/03/2024	-
6	श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी	कार्यपालक निदेशक	24/11/2025	-
7	श्री मनोज मुटुतिल अय्यप्पन	गैर-कार्यपालक, सरकार द्वारा नामित निदेशक	05/08/2024	-

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para Clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members of Bank of India.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of India having its Head office at Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Category	Date of Appointment	Date of Resignation/ Cessation
1	Mr. M. R. Kumar	Non-Executive - Independent Director, Chairperson	21/02/2024	-
2	Mr. Rajneesh Kamatak	Executive Director, CEO- MD	29/04/2023	-
3	Mr. P. R. Rajgopal	Executive Director	18/03/2020	-
4	Mr. Subrat Kumar	Executive Director	02/11/2022	-
5	Mr. Rajiv Mishra	Executive Director	01/03/2024	-
6	Mr. Pramod Kumar Dwivedi	Executive Director	24/11/2025	-
7	Mr. Manoj Muttathil Ayyappan	Non-Executive Government Nominee Director	05/08/2024	-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र देने/ सेवा समाप्ति की तिथि
8	श्री अशोक नारायण	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	14/07/2023	-
9	श्रीमती जमुना रवि	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	04/12/2024	-
10	श्री विश्वनाथ वी. शेनॉय	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	29/11/2022	28/11/2025
11	श्री प्रबोध पारिख	गैर-कार्यपालक शेयरधारक निदेशक,	29/11/2025	-

Sr. No.	Name of Director	Category	Date of Appointment	Date of Resignation/ Cessation
8	Mr. Ashok Narain	Non-Executive Nominee Director	14/07/2023	-
9	Smt. Jamuna Ravi	Non-Executive Independent Director	04/12/2024	-
10	Mr. Vishwanath V Shenoy	Non-Executive - Independent Director	29/11/2022	28/11/2025
11	Mr. Prabodh Parikh	Non-Executive Shareholder director	29/11/2025	-

बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, बैंक के बोर्ड में निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

नियुक्ति की पात्रता को सुनिश्चित करना/ बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखना, बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर, विचार प्रकट करना है।

The Bank, being a nationalised bank, is governed by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, and the Banking Regulation Act, 1949. The provisions of the Companies Act, 2013, do not apply to the Bank. Hence, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

यूडीआईएन : A041210H000267073

UDIN: A041210H000267073

कृते सावंत एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव

For Sawant & Associates
Practising Company Secretary

प्राची प्रकाश सावंत

Prachi Prakash Sawant

सदस्य सं: A41210
सीओपी नं: 16317
पीआर: 2615/2022

Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

स्थान: मुंबई
दिनांक : 04/05/2026

Place: Mumbai
Date: 04/05/2026

फार्म सं. एमआर-3
31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मिकों की नियुक्ति और परिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के साथ पठित सेबी के परिपत्र संख्या आईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2009 दिनांक 08.02.2019 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य गण,
बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई

हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (इसके बाद इसे 'बैंक' कहा जायेगा) के द्वारा, लागू विधिक प्रावधानों तथा अच्छी कॉरपोरेट परिपाटी के अनुपालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार से की गयी कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/विधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है। यह सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान बैंक ऑफ़ इंडिया के बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा बैंक के द्वारा रखे गये अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी पर आधारित है।

हम एतद्-द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार से, बैंक ने, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया और इसके अतिरिक्त बैंक के पास उचित प्रक्रियाएं तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है- उक्त व्यवस्था उस सीमा तक तथा उस प्रकार की है जैसा कि यहाँ इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के द्वारा रखी गयी बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त बही, दायर विवरणी तथा फार्म एवं अन्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया है :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;

- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970;
- (iii) बैंककारी विनियमन, 1949 और बैंकिंग विनियमन (कंपनी) नियम, 1949 (समय-समय पर संशोधित);
- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1945 और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निदेश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश;
- (v) बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007;
- (vi) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (vii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996, और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (viii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमन और दिशानिर्देश:-
 - (ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015;
 - (बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2018;

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
For The Financial Year Ended 31st March 2026.

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, read along with SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 DATED 08.02.2019]

To,

The Members of
Bank of India, Mumbai.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance with applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of India** (hereinafter called the 'Bank'). A Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/ statutory compliances and expressing our opinion thereon. Based on our verification of the **Bank of India** books, papers, minute books, forms, and returns filed and other records maintained by the Bank, and also the information provided by the Bank officials during the conduct of the secretarial audit.

We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March 2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Processes and compliance- mechanisms in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed, and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2026, according to the provisions of:

- (i) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;
- (ii) The Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
- (iii) The Banking Regulation Act, 1949 & Banking Regulation (Companies) Rules, 1949 (as amended from time to time);
- (iv) The Reserve Bank of India Act, 1945, and Master Directions, Notifications and Guidelines, etc., issued by the RBI from time to time;
- (v) The Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007;
- (vi) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (vii) The Depositories Act, 1996, and the Regulations and Byelaws framed thereunder;
- (viii) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
 - b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - c) Securities and Exchange Board of India (Substantial

- (सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमन, 2011;
- (डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियमन, 2015;
- (ई) सेबी (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियमन, 2018
- (एफ) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबंधी नियम एवं विनियम; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- (जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्णय और इनकी सूचीबद्धता) विनियमन, 2008; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- (आई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियमन, 2021
- (जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमन, 2009; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- (के) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की क्रय वापसी) विनियमन, 1998 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

हमने निम्नलिखित लागू उपबंधों के अनुपालन का भी अध्ययन किया है :-

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- (ii) बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण संबंधी करार। समीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है:-
 - विनियम 6 (1) सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई अनुपालन अधिकारी के रूप में अर्हता प्राप्त कंपनी सचिव नियुक्त करेगी, बशर्ते अनुपालन अधिकारी एक ऐसा अधिकारी होगा, जो सूचीबद्ध इकाई में पूर्णकालिक रोजगार में कार्यरत हो, तथा निदेशक मंडल के स्तर से एक स्तर से अधिक कम न हो और इसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया जाएगा। बैंक ने एक अर्हता प्राप्त कंपनी सचिव नियुक्त किया है और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया है, लेकिन निदेशक मंडल के स्तर से एक स्तर से अधिक कम न होने वाले अनुपालन अधिकारी के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।
 - विनियम 17(1) (बी) सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर-कार्यपालक निदेशक है, निदेशक मंडल के कम से कम एक-तिहाई में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे और जहां सूचीबद्ध इकाई में नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, निदेशक मंडल के कम से कम आधे में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 23.11.2025 तक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हालांकि, 24.11.2025 को

- Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- d) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- e) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.
- f) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment, and External Commercial Borrowings; (Not Applicable during the year under review)
- g) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not Applicable during the year under review)
- h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (Not Applicable during the year under review).
- i) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.
- j) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not Applicable during the year under review)
- k) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not Applicable during the year under review)

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd (NSE). During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except following:-
 - As per Regulation 6 (1) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a listed entity shall appoint a qualified Company Secretary as the Compliance Officer, provided that the Compliance Officer shall be an officer, who is in whole time employment of the listed entity, not more than one level below the board of directors and shall be designated as a Key Managerial Personnel (KMP). The Bank has appointed a qualified Company Secretary and designated as KMP, but has not complied with the provision of a Compliance officer not more than one level below the board of directors.
 - As per Regulation 17(1) (b) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, where the chairperson of the board of directors is a non-executive director, at least one-third of the board of directors shall comprise of independent directors and where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board of directors shall comprise of independent directors.

कार्यपालक निदेशक श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी की नियुक्ति पर, बोर्ड की संख्या 3 स्वतंत्र निदेशकों के साथ 10 तक बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित एक-तिहाई आवश्यकता का अनुपालन नहीं हो सका। चूंकि केंद्र सरकार अतिरिक्त निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया में थी और रिक्तियां अधूरी रहीं, इसलिए बैंक 24.11.2025 से अनुपालन सुनिश्चित करने में असमर्थ था।

- विनियम 18 (1) (ए) (बी) सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई संदर्भ की शर्तों के अनुसार एक अर्हता प्राप्त और स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी:

(क) लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे; और

(ख) लेखा परीक्षा के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। बैंक के पास दो तिहाई स्वतंत्र सदस्य नहीं हैं।

तीन स्वतंत्र निदेशकों में से एक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य हैं, एक प्रबंधन समिति का हिस्सा है, और अन्य गैर-कार्यपालक अध्यक्ष है और इस प्रकार लेखापरीक्षा समिति का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इसलिए, बैंक अधिनियम के विनियम 18 का अनुपालन नहीं कर रहा है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक ऑफ़ इंडिया बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) के तहत गठित एक नया तदनु रूप बैंक है। बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इस अधिनियम द्वारा शासित होती है।

वर्तमान में, बैंक में दो शेयरधारक निदेशक हैं जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है।

बैंक के निदेशक मंडल में बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई) और 9 (3) (एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो कर्मचारी निदेशक शामिल नहीं थे।

बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के अनुसार, बोर्ड में एक निदेशक होगा जो कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। यह पद 21/06/2019 से खाली है।

बैंक के निदेशक मंडल में बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो निदेशक शामिल नहीं थे।

बैंक अधिकारियों ने बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार अन्य निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति होने पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

बोर्ड बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है। एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को लिया जाता

During FY 2025–26, the Bank complied with the requirement up to 23.11.2025. However, upon the appointment of Executive Director Shri Pramod Kumar Dwivedi on 24.11.2025, the Board strength increased to 10, with 3 Independent Directors, resulting in non-compliance with the prescribed one-third requirement. As the Central Government was in the process of nominating additional Directors and vacancies remained unfilled, the Bank was unable to ensure compliance from 24.11.2025 onwards.

- Regulation 18(1)(a)(b) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Every listed entity shall constitute a qualified and independent audit committee in accordance with the terms of reference, subject to the following:

(a) The audit committee shall have a minimum of three directors as members; and

(b) At least Two-thirds of the members of the audit committee shall be independent directors. The Bank does not have two thirds of the members are not independent.

Out of Three Independent Directors, one is Members of the Audit Committee, one is part of the Management Committee, and the other is the Non-Executive Chairman and thus cannot be a part of the Audit Committee. Hence, the Bank is non-compliant with Regulation 18 of the Act.

We further report that

Bank of India is a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act). Composition of the Board of Directors of the Bank is governed by this Act.

At present, Bank is having two shareholders' directors who are also classified as Independent Directors.

The Board of Directors of the Bank was not comprised of two Employee Directors required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(e) and 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In terms of section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board shall have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. The post has been vacant since 21/06/2019.

The Board of Directors of the Bank did not comprise the two Directors required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The Bank officials have taken up with the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, for immediate filling up of various vacancies at the Board level and the Central Government is in the process of nominating other Directors. The vacancies shall be filled in as and when the Directors are appointed by the Government of India.

Adequate notice is given to all the directors to schedule the Board Meetings. Agenda and detailed notes on the agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking

है और कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे सूचित करते हैं कि नियमों, कानूनों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निगरानी रखने के लिए बैंक के आकार और परिचालनों के अनुरूप बैंक के पास उचित प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान:

1. बैंक ने 27 जून, 2025 को आयोजित वर्ष 2024-25 की अपनी वार्षिक आम बैठक में अपेक्षित बहुमत के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:

- ए) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी।
- बी) वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु. 4.05 @ (40.50%) लाभांश घोषित किया।
- सी) मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स की बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में पांच साल की निरंतर अवधि के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी।

2. बैंक, बासेल III पूंजी विनियमों पर आरबीआई द्वारा जारी आरबीआई मास्टर परिपत्र -बासेल III पूंजी विनियम, आरबीआई/2025-26/08/डीओआर.सीएपी.आरईसी 2/21.06.201/2025-26 दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में निम्नानुसार अप्रतिभूत, अधीनस्थ, मोचनीय, कर योग्य, गैर परिवर्तनीय, सूचीबद्ध, प्रतिभूति रहित, पूर्ण रूप से भुगतान किए गए बासेल III अनुपालन वाले बॉण्ड आबंधित किए गए हैं:

- 12 दिसंबर 2025 को रु. 2500 करोड़ (केवल दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये) राशि के रु. 1 करोड़ के अंकित मूल्य वाले डिबेंचर की प्रकृति में 7.28% टियर II बॉण्ड श्रृंखला XVII
- 26 दिसंबर 2025 को रु. 10000 करोड़ (केवल दस हजार करोड़ रुपये) राशि के रु. 1 लाख के अंकित मूल्य वाले डिबेंचर की प्रकृति में 7.23% दीर्घकालिक इन्फ्रा बॉण्ड श्रृंखला I

3. बैंक ने क्रय विकल्प का उपयोग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) खंड में सूचीबद्ध अपने अतिरिक्त टियर I बॉण्ड के संबंध में बॉण्डधारकों को मूल राशि के साथ-साथ खंडित अवधि के ब्याज की चुकौती की है, जैसा कि नीचे दिया गया है-

- बीओआई अतिरिक्त टियर I बॉण्ड सीरीज़ - VI, रु. 750 करोड़ का, दिनांक 28 जनवरी, 2026,
- बीओआई अतिरिक्त टियर I बॉण्ड सीरीज़ - VII, रु. 602 करोड़ का, दिनांक 30 मार्च, 2026,

4. बैंक ने बीओआई टियर II बॉण्ड सीरीज़ - XII के रु. 3000 करोड़ के बॉण्डधारकों को इसकी परिपक्वता की तारीख 31 दिसंबर, 2025 को मूल राशि के साथ-साथ खंडित अवधि का ब्याज भी चुका दिया है।

5. बैंक के प्रबंधन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:-

विस्तार:-

- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल के कार्यकाल को उनकी पूर्व अधिसूचित अवधि से आगे जो 28.02.2026 को समाप्त हो रही थी दिनांक

and obtaining further information and clarifications on agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. The majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, and guidelines.

We further report that during the audit period:

1. The Bank in its Annual General Meeting for the year 2024-25 held on 27th June 2025 passed the following resolutions with the requisite majority:

- a) Approve the financial results of the Bank for the year ending 31st March 2025.
- b) Declared dividend for the year 2024-25 @ Rs. 4.05 (40.50%) per equity share.
- c) Approved appointment of M/s. Sawant & Associates, as Secretarial Auditor of the Bank for a continuous period of five years.

2. The Bank, in compliance with RBI Master Circular – Basel III Capital Regulation RBI/2025-26/08/DOR.CAP.REC 2/21.06.201/2025-26 dated 1st April 2025 issued by Reserve Bank of India (RBI) on Basel III Capital Regulations, has allotted Unsecured, Subordinated, Redeemable, Taxable, Non-Convertible, Listed, Fully Paid-up, Long-Term Bonds, Basel III Compliant Bonds as follows:

- 7.28% Tier II Bonds Series XVIII in the nature of debentures of the face value of Rs. 1 Crore each, amounting to Rs. 2,500 Crore (Rupees Two Thousand Five Hundred Crores Only) on 12th December 2025.
- 7.23% Long Term Infra Bonds Series IV In the nature of Debenture of Face value of Rs. 1 Lakh each, amounting to Rs. 10,000 Crore (Rupees Ten Thousand Crore Only) on 26th December 2025.

3. The Bank has exercised call options and effected repayment of the principal amount along with broken period interest to the bondholders in respect of its Additional Tier I Bonds listed on the Wholesale Debt Market (WDM) segment of the National Stock Exchange of India Limited, as detailed below-

- BOI additional Tier I Bond Series -VI of Rs. 750 Crore dated 28th January, 2026,
- BOI Additional Tier I Bond Series -VII of Rs. 602 Crore dated 30th March, 2026,

4. The Bank has made repayment of the principal amount along with the broken period interest to the Bondholders of BOI Tier II Bond Series – XII of Rs. 3000 Crore on its maturity date, 31st December, 2025.

5. Following Changes Took place in the management of the Bank:-

Extension: -

- The extension of the term of Shri P. R. Rajagopal as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer

31.07.2027 तक विस्तारित किया गया।

- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार के कार्यकाल को उनकी पूर्व अधिसूचित अवधि से आगे जो 20.11.2025 को समाप्त हो रही थी, 3 वर्ष की अवधि, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया।

नियुक्ति

- श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24 नवंबर 2025 को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पद धारण करने के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। (अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख तक, यानी 30.06.2028)
- श्री प्रबोध पारिख को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत शेयरधारकों द्वारा दिनांक 29.11.2025 को तत्काल प्रभाव से दिनांक 28.11.2028 तक पद धारण करने के लिए एक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

समाप्ति:

- श्री वी.वी. शेनॉय दिनांक 28 नवंबर, 2025 को गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के पद से कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गए।

of Undertakings) Act, 1970, beyond his previously notified term, which expires on 28.02.2026, till the date of superannuation, i.e., 31.07.2027

- The extension of the term of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, beyond his previously notified term, which expires on 20.11.2025, for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier.

Appointments:

- Mr. Pramod Kumar Dwivedi was appointed as an Executive Director w.e.f. 24th November, 2025, by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders (till the date of attaining the age of superannuation, i.e., 30.06.2028)
- Mr. Prabodh Parikh was appointed as a Non-Executive Shareholder Director on 7th November 2025 and has assumed the office w.e.f 29.11.2025 for a period Three year i.e upto 28.11.2028 u/s 9 (3)(i) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings. Act, 1970

Cessations:

- Mr. V. V. Shenoy ceased as Non-Executive Independent Director w.e.f. 28th November, 2025, on completion of tenure.

यूडीआईएन : A041210H000266809

कृते सावंत एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव

प्राची प्रकाश सावंत

सदस्य सं: A41210

सीओपी नं: 16317

पीआर: 2615/2022

स्थान: मुंबई

दिनांक : 04/05/2026

UDIN: A041210H000266809

For Sawant & Associates
Practicing Company Secretary

Prachi Prakash Sawant
Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

Place: Mumbai

Date: 04/05/2026

अनुलग्नक-1 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

Annexure-I to the Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31st March 2026

सेवा में,
सदस्यगण, बैंक ऑफ़ इंडिया

सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के लिए लागू सभी नियमों, कानूनों, विनियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से परीक्षण जांच आधार पर रिकॉर्ड्स और कार्यप्रणाली के सत्यापन तक सीमित थी।
2. सचिवीय तथा अन्य लागू नियमों के रिकॉर्ड्स का रखरखाव बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरणों सहित रखे गए तथा प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड्स की लेखा-परीक्षा पर आधारित, सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।
3. हमने उन लेखा कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में तर्कसंगत, आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड्स में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, परीक्षण जांच आधार पर सत्यापन किया गया है। सचिवीय तथा हमें प्रस्तुत अन्य रिकॉर्ड्स में सही तथ्य दर्शाए गए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण जांच आधार पर सत्यापन किया गया है। हमें विश्वास है कि सचिवीय रिपोर्ट जारी करने के लिए, हमारे द्वारा पालन की गई प्रक्रियाएँ एवं प्रणालियाँ हमारी राय हेतु तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती हैं।
4. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ भी अपेक्षित था, हमने विधि, नियम एवं विनियमों के अनुपालन तथा लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान घटित घटनाओं के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

यूडीआईएन : A041210H000266809

कृते सावंत एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव

प्राची प्रकाश सावंत
सदस्य सं: A41210
सीओपी नं: 16317
पीआर: 2615/2022

स्थान: मुंबई
दिनांक : 04/05/2026

नोट: हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के साथ दस्तावेजों, अभिलेखों और जानकारी के आधार पर वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा की गयी थी।

To,

The Members of Bank of India

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Bank of India (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue a Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.
3. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on a test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of the Financial Records and Books of Accounts of the Bank.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules, and regulations and the happening of events during the Audit period.

UDIN: A041210H000266809

For Sawant & Associates
Practicing Company Secretary

Prachi Prakash Sawant
Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

Place: Mumbai

Date: 04/05/2026

Note: Annual Secretarial audit was conducted based on the documents, records and information along with explanations provided through hybrid mode.

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

प्रति,
निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ इंडिया,
मुंबई

सेबी (एलओडीआर) विनियमन-2015 के विनियम 17(8) तथा अनुसूची II भाग बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र

एतद्-द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि :

- (ए) हमने संबंधित वर्ष (2025-26) के वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
- इन विवरणों में तथ्यपूर्ण रूप से कोई गलत कथन नहीं है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हों।
 - ये सभी विवरण कुल मिलाकर बैंक की गतिविधियों की सही और उचित स्थिति दर्शाती हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।
- (बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ीपूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।
- (ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा-परीक्षक और लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष किया गया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।
- (घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है :
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में किया गया है; तथा
 - ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो तथा जिसमें प्रबंधन अथवा कोई कर्मचारी शामिल हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

कृते बैंक ऑफ़ इंडिया

(बी कुमार)

महाप्रबंधक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 08.05.2026

(रजनीश कर्नाटक)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(रजनीश कर्नाटक)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 08.05.2026

CEO / CFO CERTIFICATION

To
The Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai.

Re : Certificate Under Regulation 17(8) & Schedule II Part B of SEBI (LODR) Regulations, 2015

This is to certify that

- We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2025-26) and that to the best of our knowledge and belief
 - these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the auditors and the Audit Committee –
 - significant changes in internal control over financial reporting during the year
 - significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

(B Kumar)

General Manager &
Chief Financial Officer

Place: Mumbai
Date: 08.05.2026

(Rajneesh Karnatak)

Managing Director &
Chief Executive Officer

(Rajneesh Karnatak)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Mumbai
Date: 08.05.2026

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है, जिसका पाठ बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं कोर प्रबंधन ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

DECLARATION BY CEO

Bank has laid down a Code of Conduct for all the Directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management has affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2026.

हमारे बैंक में सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को अपनाना और कार्यान्वित करना

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, अन्य वित्तीय संस्थाओं और स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सभी प्रमुख खरीदों के संबंध में स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) के आवश्यक अवयवों को रेखांकित करते हुए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।

हमारे बैंक ने सीवीसी के अनुमोदन से 28.08.2018 से नियुक्त आईईएम के माध्यम से हमारे बैंक में आईपी का कार्यान्वयन शुरू किया। हमारे बैंक की वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद (अनुमानित मूल्य रु. 1.0 करोड़ और उससे अधिक) की आईईएम द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की गई है। हमारे बैंक के लिए वर्तमान आईईएम (28.08.2024 से) निम्नानुसार हैं:

	आईईएम-1	आईईएम-2
नाम	डॉ. राजेंद्र कुमार तिवारी (सेवानिवृत्त आईएएस)	लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडुरी
पता	हाउस नं.-बी-58, सेक्टर-105 नोएडा जिला-गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201304	हाउस नं. ए-5/8 तीसरा तल, डीएलएफ़ वेली, पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स सेक्टर-3 पंचकुला, हरियाणा-134107
संपर्क ब्यौरे	ईमेल : rajendratiwari@rediffmail.com	ईमेल : navkkhanduri@yahoo.co.in

Adoption and Implementation of Integrity Pact (IP) in our Bank

Central Vigilance Commission has prepared the Standard Operative Procedure (SOP) outlining the essential ingredients of Integrity Pact (IP) for implementation of the same through Independent External Monitors (IEMs) in respect of all major procurements by the Govt. organizations, Public Sector Enterprises, Public Sector Banks, Insurance Companies, Other Financial Institutions and Autonomous bodies etc.

Our Bank started implementation of IP in our Bank through IEMs appointed w.e.f 28.08.2018 with the approval of CVC. Our Bank's all procurement of goods and services (estimated value Rs. 1.0 Crore and above) have been reviewed by the IEMs on quarterly basis. Present IEMs for our Bank (w.e.f 28.08.2024) are as under:

	IEM-1	IEM-2
Name	Dr. Rajendra Kumar Tiwari (Retd. IAS)	Lt. Gen. Nav K Khanduri
Address	House No. —B-58, Sector-105 Noida Distt-Gautam Budhha Nagar, Uttar Pradesh-201304	House No. A-5/8 3rd Floor, DLF Valley, Pinjore Kalka Urban Complex Sector-3 Panchkula Haryana-134107
Contact details	Email : rajendratiwari@rediffmail.com	Email : navkkhanduri@yahoo.co.in



बैंक ऑफ़ इंडिया

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2026

एवं

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2026

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2026

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2026

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2026

(000 छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
I. पूंजी और देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	4,55,34,070	4,55,34,070
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves and Surplus	2	83,43,68,081	74,04,80,346
जमा राशियां	Deposits	3	9,27,27,08,820	8,16,54,14,874
उधार	Borrowings	4	1,18,59,15,386	1,23,85,64,269
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	29,58,01,509	23,58,25,907
कुल	TOTAL		11,63,43,27,866	10,42,58,19,466
II. आस्तियां	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	47,30,00,679	51,73,04,253
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	51,60,47,893	48,55,04,826
निवेश	Investments	8	2,68,62,93,034	2,59,11,18,048
अग्रिम	Advances	9	7,60,33,48,819	6,49,65,70,414
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	11,74,93,418	11,93,87,144
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	23,81,44,023	21,59,34,781
कुल	TOTAL		11,63,43,27,866	10,42,58,19,466
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	6,65,20,27,629	6,43,64,94,068
बसूली के लिए बिल	Bills for Collection		27,91,61,746	27,99,73,822
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलनपत्र बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

वी कुमार	सुधीरंजन पाढ़ी	प्रमोद द्विवेदी	राजीव मिश्रा	सुब्रत कुमार	पी आर राजगोपाल	रजनीश कर्नाटक	एम आर कुमार
B Kumar	Sudhiranjan Padhi	Pramod Dwivedi	Rajiv Mishra	Subrat Kumar	P R Rajagopal	Rajneesh Karnatak	M R Kumar
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	अध्यक्ष Chairman

निदेशकगण DIRECTORS

मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन
Manoj Muttathil Ayyappanअशोक नारायण
Ashok Narainजमुना रवि
Jamuna Raviप्रबोध पारिख
Prabodh Parikh

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एस. जयकिशन For S.Jaykishan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन:000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन:109262W/W100673) (FRN:109262W/W100673)
रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 062410	कार्तिक खंडेलवाल Kartik Khandelwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 426965	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	निरंजन जोशी Niranjan Joshi भागीदार Partner एम.नं. M. No. 102789

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 8 मई, 2026 / Date : May 8, 2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(000 छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2026	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2025
			₹	₹
I. आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	75,16,12,687	70,82,62,982
अन्य आय	Other income	14	9,87,42,756	8,99,36,226
कुल	TOTAL		85,03,55,443	79,81,99,208
II. व्यय	EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	49,98,85,143	46,43,23,503
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	17,99,82,989	16,97,54,609
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		6,52,15,786	7,19,30,897
कुल	TOTAL		74,50,83,918	70,60,09,009
III. लाभ/(हानि)	PROFIT/(LOSS)			
वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the year		10,52,71,525	9,21,90,199
जोड़े :आगे लाया गया लाभ/(हानि)	Add: Profit/(Loss) brought forward		12,70,43,976	7,27,81,447
कुल	TOTAL		23,23,15,501	16,49,71,646
IV. विनियोग	APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		2,63,20,000	2,30,50,000
निवेश घट-बढ़ आरक्षित को अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		10,92,108	-
पूंजी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		42,04,100	21,30,200
राजस्व एवं अन्य आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		-	-
प्रदत्त लाभांश	Dividend paid		1,84,38,305	1,27,47,470
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		-	-
लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss Account		18,22,60,988	12,70,43,976
कुल	TOTAL		23,23,15,501	16,49,71,646
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		
प्रति शेयर अर्जन (मूलभूत एवं तनुकृत) ₹	Earnings Per Share in ₹ (Basic and Diluted)		23.12	20.25

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

बी कुमार	सुधीरंजन पाढ़ी	प्रमोद द्विवेदी	राजीव मिश्रा	सुब्रत कुमार	पी आर राजगोपाल	रजनीश कर्नाटक	एम आर कुमार
B Kumar	Sudhiranjan Padhi	Pramod Dwivedi	Rajiv Mishra	Subrat Kumar	P R Rajagopal	Rajneesh Karnatak	M R Kumar
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	अध्यक्ष Chairman

निदेशकगण DIRECTORSमनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन
Manoj Muttathil Ayyappanअशोक नारायण
Ashok Narainजमुना रवि
Jamuna Raviप्रबोध पारिख
Prabodh Parikh**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

कृते एस. जयकिशन For S.Jaykishan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 062410	कार्तिक खंडेलवाल Kartik Khandelwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 426965	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	निरंजन जोशी Niranjan Joshi भागीदार Partner एम.नं. M. No. 102789

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 8 मई, 2026 / Date : May 8, 2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2026

(000 छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2026	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2025
ए. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	A. Cash Flow from Operating Activities:		
करपूर्व निवल लाभ	Net Profit before taxes	13,94,56,672	12,43,44,442
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेश पर परिशोधन/मूल्यहास	Amortisation/Depreciation on Investments	2,97,000	(29,60,644)
निवेशों के (निष्पादन कर रहे निवेशों पर मूल्यहास सहित) पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि)	(Profit)/Loss on Revaluation of investments (including depreciation on performing investments)	46,33,579	(15,93,278)
भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ	Depreciation on Fixed Assets	72,03,902	59,40,916
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	Profit on sale of land, buildings and other assets	(23,79,278)	(20,30,017)
एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	3,39,26,711	4,59,27,180
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	9,96,142	(38,70,612)
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other items	(38,92,214)	5,41,030
एटी 1 एवं टियर II बॉण्ड पर ब्याज (एथक माना गया)	Interest on AT 1 & Tier II Bonds (treated separately)	2,09,93,039	1,30,24,745
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	(6,53,148)	(3,60,826)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
जमा राशियों में वृद्धि /(कमी)	Increase /(Decrease) in Deposits	1,10,72,93,946	78,62,12,816
उधार में वृद्धि /(कमी)	Increase /(Decrease) in Borrowings	(3,41,28,883)	40,43,23,591
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	7,67,61,042	(89,81,290)
निवेश में (वृद्धि)/कमी	(Increase) / Decrease in Investments	(10,76,73,134)	(31,08,34,360)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(Increase) / Decrease in Advances	(1,14,07,05,116)	(91,10,50,940)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(Increase) / Decrease in Other Assets	(5,32,53,039)	4,45,81,473
आयकर पूर्व परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	Cash Flow from Operating Activities before Income Tax	4,88,77,221	18,32,14,227
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	(26,13,801)	(7,96,114)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	Net Cash Flow from Operating Activities (A)	4,62,63,420	18,24,18,113
बी. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:	B. Cash Flow from Investing Activities:		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(61,42,763)	(69,69,448)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of Fixed Assets	1,48,010	4,15,528
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में (अतिरिक्त) निवेश/ बिक्री/ मोचन (निवल)	Sale / Redemption / (Additional) investment in Subsidiaries/Jt Ventures/Associates (Net)	32,69,022	(20,15,049)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Subsidiaries, Joint Venture & Associates	6,53,148	3,60,827
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(20,72,583)	(82,08,142)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash Flow from Financing Activities:		
शेयर पूंजी	Share Capital	-	-
शेयर प्रीमियम	Share Premium	-	-
टियर II पूंजी बॉण्ड (निवल) का निर्गम / (मोचन)	Issue/(redemption) of Tier II Capital bonds (Net)	(1,85,20,000)	2,50,00,000
लाभांश (अंतरिम और अंतिम) का भुगतान	Dividend (Interim & Final) paid	(1,84,38,305)	(1,27,47,470)
एटी 1, टियर II बॉण्ड पर ब्याज	Interest on AT 1 & Tier II Bonds	(2,09,93,039)	(1,30,24,745)

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2026

(000 छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2026	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2025
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	Net Cash Flow from Financing Activities (C)	(5,79,51,344)	(7,72,215)
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (ए)+(बी)+(सी)	Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	(1,37,60,507)	17,34,37,756
वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	1,00,28,09,079	82,93,71,324
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	98,90,48,572	1,00,28,09,079
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य का समाधान	Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	47,30,00,679	51,73,04,253
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	51,60,47,893	48,55,04,826
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the period	98,90,48,572	1,00,28,09,079

नोट्स:

- नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि (एएस-3) के तहत तैयार किया गया है और पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनर्समूहीकृत किया गया है।
- नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, एटीएम में नकदी, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमा राशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि जिसे तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके, शामिल है।

Notes:

- The Cash flow Statement has been prepared under the Indirect Method (AS-3) and figures of the previous year have been regrouped wherever considered necessary
- Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

बी कुमार B Kumar	सुधीरंजन पाढ़ी Sudhiranjan Padhi	प्रमोद द्विवेदी Pramod Dwivedi	राजीव मिश्रा Rajiv Mishra	सुब्रत कुमार Subrat Kumar	पी आर राजगोपाल P R Rajagopal	रजनीश कर्नाटक Rajneesh Karnatak	एम आर कुमार M R Kumar
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	अध्यक्ष Chairman

निदेशकगण DIRECTORSमनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन
Manoj Muttathil Ayyappanअशोक नारायण
Ashok Narainजमुना रवि
Jamuna Raviप्रबोध पारिख
Prabodh Parikh**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

कृते एस. जयकिशन For S.Jaykishan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 062410	कार्तिक खंडेलवाल Kartik Khandelwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 426965	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	निरंजन जोशी Niranjan Joshi भागीदार Partner एम.नं. M. No. 102789

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 8 मई, 2026 / Date : May 8, 2026

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	SCHEDULE - 1 : CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी	AUTHORISED CAPITAL		
प्रत्येक ₹ 10 के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष के अंत में 600,00,00,000)	600,00,00,000 (Previous year 600,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	6,00,00,000	6,00,00,000
जारी पूँजी	ISSUED CAPITAL		
प्रत्येक ₹ 10 के 455,38,44,966 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 455,38,44,966)	Equity Shares 455,38,44,966 (Previous year 455,38,44,966) of ₹10 each	4,55,38,450	4,55,38,450
कुल	TOTAL	4,55,38,450	4,55,38,450
अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी	SUBSCRIBED & PAID-UP CAPITAL		
प्रत्येक ₹ 10 के 455,26,67,866 इक्विटी शेयर (*) (विगत वर्ष के अंत में 455,26,67,866)	455,26,67,866 Equity Shares (*) (Previous year 455,26,67,866) of ₹10 each	4,55,26,679	4,55,26,679
जोड़ें: जल्ल शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल *	TOTAL *	45,534,070	45,534,070
* उपर्युक्त में से प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त 334,08,61,720 शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 334,08,61,720) जिनकी कीमत ₹ 3,34,08,617 (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 3,34,08,617) है, भारत सरकार द्वारा धारित हैं।	* Of the above, 334,08,61,720 Equity Shares (Previous year ended 334,08,61,720) of ₹ 10 each fully paid up amounting to ₹ 3,34,08,617 (Previous year ended ₹ 3,34,08,617) is held by Central Government		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ और अधिशेष	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षितियाँ :	I. Statutory Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	13,37,08,842	11,06,58,842
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	2,63,20,000	2,30,50,000
कुल (I)	TOTAL (I)	16,00,28,842	13,37,08,842
II. पूँजी आरक्षितियाँ :	II. Capital Reserves:		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	8,26,66,513	6,81,87,030
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	7,23,009	1,58,02,420
घटाएँ : वर्ष के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	15,82,852	(1,97,238)
घटाएँ : राजस्व आरक्षिति को अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to Revenue reserve	22,04,013	15,20,174
(क) का कुल	Total of (A)	7,96,02,657	8,26,66,513
बी) अन्य	B) Others:		
i पूँजी आरक्षिति (अनुषंगी/सहायक/स.यु.का विक्रय)	i Capital Reserve (Sale of Investment in Subsidiary/ Associate/Joint Venture)		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	Less : Deductions during the year	-	-
(i) का उप-जोड़	Sub-total of (i)	-	-
ii. निवेश को विक्री पर लाभ - "परिपक्वता तक धारित"	ii. Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	3,63,46,779	3,42,16,579
अवधि के दौरान संवर्धन	Additions during the period	42,04,100	21,30,200
(ii) का उप-जोड़	Sub-total of (ii)	4,05,50,879	3,63,46,779
iii. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	iii. Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2,55,65,356	2,28,54,918
जोड़ें/(घटाएँ) : वर्ष के दौरान संवर्धन/समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Additions / Deductions during the year (Net)	1,27,60,997	27,10,438
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	3,83,26,353	2,55,65,356

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ एवं अधिशेष (जारी)	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)		
iv. पूँजी आरक्षिति (एफएस के अंतर्गत इक्विटी का विक्रय)	iv. Capital Reserve (Sale of equity under AFS)		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौत	Less : Deductions during the year	-	-
(iv) का उप-जोड़	Sub-total of (iv)	-	-
(ख) का कुल	Total of (B)	7,88,77,232	6,19,12,135
कुल (II)	TOTAL (II)	15,84,79,889	14,45,78,648
III. शेयर प्रीमियम :	III. Share Premium :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	20,28,55,883	20,28,55,883
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धित	Add : Additions during the year	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती / (उपयोग)	Less : Deductions/ Utilization during the year	-	-
कुल (III)	TOTAL (III)	20,28,55,883	20,28,55,883
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ :	IV. Revenue and Other Reserves :		
i) राजस्व आरक्षिति :	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	9,09,69,185	8,85,98,555
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	16,55,921	23,70,630
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less: Deductions during the year	-	-
IV(i) का उप-जोड़	Sub-total of IV(i)	9,26,25,106	9,09,69,185
ii) निवेश आरक्षिति खाता	ii) Investment Reserve Account :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	40,65,618
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	-	-
घटाएँ : राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण	Less: Transfer to Revenue Reserve	-	40,65,618
IV (ii) का उप-जोड़	Sub-total of IV(ii)	-	-
iii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति	iii) Investment Fluctuation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	1,28,53,771	1,28,53,771
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	10,92,108	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less: Deductions during the year	-	-
IV (iii) का उप-जोड़	Sub-total of IV(iii)	1,39,45,879	1,28,53,771
iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2,62,00,000	2,62,00,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	-	-
IV (iv) का उप-जोड़	Sub-total of IV(iv)	2,62,00,000	2,62,00,000
कुल (IV)	TOTAL (IV)	13,27,70,985	13,00,22,956
V) एफएस आरक्षिति :	V) AFS Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	22,70,041	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	-	22,70,041
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less: Deductions during the year	42,98,547	-
कुल (V)	TOTAL (V)	(20,28,506)	22,70,041
VI. लाभ-हानि खाते में शेष:	VI) Balance in Profit and Loss Account:	18,22,60,988	12,70,43,976
कुल (I से VI)	TOTAL (I TO VI)	83,43,68,081	74,04,80,346

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
अनुसूची - 3 : जमा राशियां	SCHEDULE - 3 : DEPOSITS		
ए. I. मांग जमा राशियां :	A. I. Demand Deposits :		
i) बैंकों से	i) From Banks	38,48,372	54,84,792
ii) अन्यो से	ii) From Others	39,62,49,344	38,35,55,624
कुल (I)	TOTAL (I)	40,00,97,716	38,90,40,416
II. वचत बैंक जमा राशियां	II. Savings Bank Deposits	2,64,76,60,501	2,45,56,15,000
III. मीमादी जमा राशियां :	III. Term Deposits :		
i) बैंकों से	i) From Banks	50,62,64,238	48,85,60,194
ii) अन्यो से	ii) From Others	5,71,86,86,365	4,83,21,99,264
कुल (III)	TOTAL (III)	6,22,49,50,603	5,32,07,59,458
कुल ए (I, II, III)	TOTAL A (I, II, III)	9,27,27,08,820	8,16,54,14,874
बी. i) भारत में शाखाओं की जमा राशियां	B. i) Deposits of branches in India	8,00,44,30,271	7,00,29,79,918
ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमा राशियां	ii) Deposits of branches outside India	1,26,82,78,550	1,16,24,34,956
कुल (बी)	TOTAL (B)	9,27,27,08,821	8,16,54,14,874
नोट: ₹ 57,035 करोड़ की ग्रहणधिकार जमा राशि सहित कुल जमा राशि (पूर्व वर्ष ₹ 49,572 करोड़)	Note: Total Deposits include lien marked deposits of ₹ 57,035 Crore (Previous year ₹ 49,572 Crore)		
अनुसूची - 4 : उधार	SCHEDULE - 4 : BORROWINGS		
I. भारत में उधार:	I. Borrowings in India:		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	12,00,00,000	30,00,00,000
ii. अन्य बैंक	ii. Other Banks		
ए. टियर I पूंजी बॉण्ड	a. Tier I Capital Bonds	47,30,000	74,90,000
बी. टियर II पूंजी बॉण्ड	b. Tier II Capital Bonds	87,40,000	90,90,000
सी. अन्य	c. Others	1,57,54,375	2,40,08,797
कुल (ii)	Total (ii)	2,92,24,375	4,05,88,797
III) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	III) Other Institutions and Agencies		
ए. टियर I पूंजी बॉण्ड	a. Tier I Capital Bonds	1,02,70,000	2,10,30,000
बी. टियर II पूंजी बॉण्ड	b. Tier II Capital Bonds	7,92,60,000	8,39,10,000
सी. अन्य	c. Others	75,31,37,883	55,35,98,552
कुल (iii)	Total (iii)	84,26,67,883	65,85,38,552
कुल (I)	Total (I)	99,18,92,258	99,91,27,349
II. भारत के बाहर उधार	II. Borrowings outside India		
ए. टियर I पूंजी बॉण्ड	a. Tier I Capital Bonds	-	-
बी. टियर II पूंजी बॉण्ड	b. Tier II Capital Bonds	-	-
सी. अन्य	c. Others	19,40,23,128	23,94,36,920
कुल (II)	Total (II)	19,40,23,128	23,94,36,920
कुल (I, II)	Total (I, II)	1,18,59,15,386	1,23,85,64,269
उपर्युक्त I & II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	Secured borrowings included in I & II above	64,83,87,883	73,04,98,552
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल	I. Bills Payable	1,65,41,148	1,60,76,630
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निबल)	II. Inter-office adjustments (net)	49,02,600	29,64,920
III. उपचित व्याज	III. Interest accrued	3,19,45,895	3,64,35,935
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax Liabilities	1,34,521	-
V. अन्य (प्रावधान सहित)*	V. Others (Including Provisions)*	24,22,77,345	18,03,48,422
कुल	TOTAL	29,58,01,509	23,58,25,907
*मानक आस्तियों के लिए प्रावधान ₹ 4,62,70,068 (पिछले वर्ष ₹ 4,47,42,848) शामिल	* Includes provision for Standard Assets ₹ 4,62,70,068 (Previous Year ₹ 4,47,42,848)		

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशि	SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1,70,53,102	1,75,14,475
II. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेषराशि :*	II. Balances with Reserve Bank of India : *		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	30,87,69,478	39,86,11,207
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	14,71,78,099	10,11,78,571
कुल (II)	TOTAL (II)	45,59,47,577	49,97,89,778
कुल (I, II)	TOTAL (I, II)	47,30,00,679	51,73,04,253
*भारत के बाहर के केंद्रीय बैंकों के पास शेष राशि को मिलाकर	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में :	I. In India :		
i) बैंकों में शेष राशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	9,71,950	4,53,221
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	-	1,70,95,000
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों में	a) With Banks	1,05,07,111	71,51,000
बी) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	-	-
कुल (i & ii)	TOTAL (i & ii)	1,14,79,061	2,46,99,221
II. भारत के बाहर :	II. Outside India :		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	1,91,38,217	1,08,04,245
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	23,52,03,726	22,98,77,390
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	iii) Money at call and short notice	25,02,26,889	22,01,23,970
कुल (i, ii & iii)	TOTAL (i, ii & iii)	50,45,68,832	46,08,05,605
कुल (I & II)	TOTAL (I & II)	51,60,47,893	48,55,04,826
अनुसूची - 8 : निवेश	SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश :	I. Investments in India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	2,32,15,34,182	2,22,69,82,408
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	-	-
iii) शेयर	iii) Shares	1,80,46,053	1,56,82,840
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	iv) Debentures and Bonds	15,62,56,985	15,17,05,700
v) अनुषंगिया और/अथवा संयुक्त उद्यम (सहायक कंपनियाँ सहित)	v) Subsidiaries and/or Joint ventures (including Associates)	1,29,24,780	1,61,93,802
vi) अन्य (कमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड के यूनिट, पास थ्रू सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, उद्यम निधि, स्वर्ण इत्यादि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund, Gold etc.)	1,48,04,501	3,96,07,537
कुल (I)	TOTAL (I)	2,52,35,66,501	2,45,01,72,287
सकल	Gross	2,52,91,54,908	2,44,56,15,372
जोड़/(घटाना): मूल्यवृद्धि/मूल्यहास और परिशोधन	Add/(Less): Appreciation/Depreciation and Amortisation	(55,88,407)	45,56,915

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
निवल	Net	2,52,35,66,501	2,45,01,72,287
II. भारत के बाहर निवेश:	II. Investments outside India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	12,15,83,372	10,21,45,390
ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों में	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	2,34,60,525	2,34,60,525
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बॉण्ड आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	1,76,82,636	1,53,39,846
कुल (II)	TOTAL (II)	16,27,26,533	14,09,45,761
सकल	Gross	16,31,39,924	14,10,63,383
जोड़/(घटाना): मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास और परिशोधन	Add/(Less): Appreciation/Depreciation and Amortisation	(4,13,392)	(1,17,622)
निवल	Net	16,27,26,533	14,09,45,761
कुल (I & II)	TOTAL (I & II)	2,68,62,93,034	2,59,11,18,048
अनुसूची - 9 : अग्रिम	SCHEDULE - 9 : ADVANCES		
ए. i) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	52,48,81,893	43,73,10,953
ii) केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	2,83,07,17,992	2,55,48,98,307
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	4,24,77,48,934	3,50,43,61,154
कुल (ए)	TOTAL (A)	7,60,33,48,819	6,49,65,70,414
बी. अग्रिमों का विवरण :	B. Particulars of Advances :		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के निमित्त अग्रिमों सहित)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	5,54,23,01,266	4,66,01,59,039
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	40,19,89,552	37,98,80,735
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	1,65,90,58,001	1,45,65,30,640
कुल (बी)	TOTAL (B)	7,60,33,48,819	6,49,65,70,414
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	C. Sectoral Classification of Advances :		
I. भारत में अग्रिम	I. Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	2,49,14,96,429	1,99,57,08,036
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	1,40,58,80,488	1,25,74,28,680
iii) बैंक	iii) Banks	3,99,73,257	14,65,83,097
iv) अन्य	iv) Others	2,49,59,95,929	2,07,49,57,783
कुल (सी-I)	Total (C-I)	6,43,33,46,103	5,47,46,77,596
II. भारत के बाहर अग्रिम :	II. Advances outside India :		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	35,70,85,763	36,78,70,788
II) अन्य से देय	II) Due from others		
ए) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	9,24,18,126	7,42,42,311
बी) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	52,24,15,516	40,88,06,675
सी) अन्य	c) Others	19,80,83,311	17,09,73,044
कुल (सी-II)	TOTAL (C-II)	1,17,00,02,716	1,02,18,92,818
कुल (सी - I, सी - II)	TOTAL (C - I, C - II)	7,60,33,48,819	6,49,65,70,414
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS		
I. परिसर :	I. PREMISES :		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance, at cost	2,16,02,656	2,13,28,479
वर्ष के दौरान संवर्धन/समायोजन	Add: Additions / Adjustments during the year	6,01,823	2,74,884
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	Less: Deductions / Adjustments during the year	1,576	707
उप-जोड़	Sub-total	2,22,02,903	2,16,02,656
जोड़: पुनर्मूल्यांकन के कारण अब तक संवर्धन	Add: Additions to date on account of revaluation	8,18,40,898	8,32,68,793
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	80,85,717	59,05,690

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
कुल (I)	TOTAL (I)	9,59,58,084	9,89,65,759
II. अन्य अचल आस्तियां : (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित)	II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	6,13,91,531	5,46,21,068
जोड़: वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	Add: Additions / Adjustments during the year	65,31,101	71,85,284
घटाएं :वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	4,02,287	4,14,821
उप-जोड़	Sub-total	6,75,20,345	6,13,91,531
घटाएं: तिथि पर मूल्यहास	Less: Depreciation to date	4,80,09,857	4,27,58,063
कुल (II)	TOTAL (II)	1,95,10,488	1,86,33,468
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	III. CAPITAL WORK IN PROGRESS	20,24,846	17,87,917
कुल (I, II से III)	TOTAL (I, II to III)	11,74,93,418	11,93,87,144
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS		
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निबल)	I. Inter-office adjustments (net)	-	-
II. उपचित व्याज	II. Interest accrued	7,31,93,229	6,41,13,656
III. अग्रिम में अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर	III. Tax paid in advance/tax deducted at source	1,66,26,977	4,01,69,245
IV. लेखन सामग्री एवं स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	1,77,468	1,58,959
V. आस्थगित कर आस्तियां (निबल)	V. Deferred Tax Assets (Net)	55,34,314	1,30,35,844
VI. अन्य*	VI. Others*	14,26,12,035	9,84,57,077
कुल	TOTAL	23,81,44,023	21,59,34,781
* इसमें नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के पास ₹ 1,64,36,274 की राशि की जमा राशि (पिछले वर्ष ₹ 2,43,01,210) शामिल है	* Includes Deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹1,64,36,274 (Previous Year ₹ 2,43,01,210)		
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	4,32,56,868	3,92,41,584
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	II. Liability for partly paid Investments	5,60,709	5,24,446
III. अतिदेय वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	5,96,35,69,880	5,88,06,95,554
IV. गारंटियों की ओर से दी गई गारंटी:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए. भारत में	a. In India	30,09,54,469	26,41,34,763
बी. भारत के बाहर	b. Outside India	2,81,51,566	2,77,47,972
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	V. Acceptances, endorsements and other obligations	21,47,90,836	17,43,05,732
VI. उपरोक्त III में सूचीबद्ध के अलावा डेरिवेटिव संविदाएं	VI. Derivative contracts other than listed at III above	5,46,52,203	91,38,000
VII. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	4,60,91,098	4,07,06,017
कुल	TOTAL	6,65,20,27,629	6,43,64,94,068

लाभ एवं हानि खाता की अनुसूची

SCHEDULES TO THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2026 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2025 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित व्याज	SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर व्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	53,47,23,281	50,04,49,392
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	18,05,04,791	17,20,50,348
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि पर व्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	2,77,69,003	3,19,52,901
IV. अन्य	IV. Others	86,15,612	38,10,341
कुल	TOTAL	75,16,12,687	70,82,62,982
अनुसूची - 14 : अन्य आय	SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME	31-03-2026	31-03-2025
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज	I. Commission, exchange and brokerage	2,17,69,227	1,99,45,794
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	II. Profit on sale of Investments Less: Loss on sale of Investments	2,13,69,729 -	1,71,36,596 -
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	III. Profit on revaluation of Investments Less: Loss on revaluation of Investments	22,03,751 68,37,330	30,41,540 14,48,263
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ घटाएं: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	IV. Profit on sale of land, buildings and other assets Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	23,87,093 7,815	20,38,836 8,819
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ घटाएं: विनिमय संव्यवहारों पर हानि	V. Profit on exchange transactions Less: Loss on Exchange Transactions	60,08,734 4,28,462	43,06,458 (1)
VI. अनुषंगी/कंपनी और/अथवा विदेश/भारत में संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	VI. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India	6,53,148	3,60,826
VII. विविध आय*	VII. Miscellaneous Income*	51,624,681	44,563,257
कुल	TOTAL	98,742,756	89,936,226
* बट्टे खाते में कोई गई वसूली राशि ₹ 2,67,39,444 (पिछले वर्ष ₹ 2,36,54,591) शामिल है	* Includes Recoveries made in write-off accounts amounting to ₹ 2,67,39,444 (Previous Year ₹ 2,36,54,591)		
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया व्याज	SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED		
I. जमा राशियों पर व्याज	I. Interest on Deposits	40,85,20,755	37,76,59,689
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर व्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	6,93,54,752	7,31,49,871
III. अन्य*	III. Others*	2,20,09,636	1,35,13,943
कुल	TOTAL	499,885,143	464,323,503
* टियर I, टियर II और अन्य बॉण्ड पर व्याज शामिल है ₹ 20,993,039 (पिछले वर्ष ₹ 13,024,745)	*(Includes Interest on Tier I, Tier II and other Bonds ₹ 20,993,039 (Previous Year ₹ 13,024,745))		
अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय	SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	10,31,17,710	10,29,96,025
II. किराया, कर एवं लाइटिंग	II. Rent, Taxes and Lighting	1,04,87,756	99,00,745
III. प्रिंटिंग एवं लेखन सामाग्री	III. Printing and Stationery	10,51,727	10,27,739
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	5,37,051	3,95,523
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	V. Depreciation on Bank's property	72,03,902	59,40,916
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	23,237	15,415
VII. लेखा-परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क एवं भत्ते सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including branch Auditors' fees & expenses)	8,64,694	8,88,876
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	8,15,561	5,78,460
IX. डाक-व्यय, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	31,22,315	32,84,544
X. मरम्मत एवं रख-रखाव	X. Repairs and Maintenance	11,11,253	10,40,513
XI. बीमा	XI. Insurance	1,04,13,386	91,50,064
XII. अन्य व्यय	XII. Other Expenditure	4,12,34,397	3,45,35,789
कुल	TOTAL	179,982,989	169,754,609

अनुसूची 17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन परिपाटी:

संस्था की निरन्तरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर, वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं जो सभी महत्वपूर्ण पक्षों में भारत में 'सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएएपी) का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामकीय नियम, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। यदि अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है। यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

2. आकलन का आधार:

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरणों की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में निर्धारित किया जाता है।

3. राजस्व का निर्धारण:

- ए) यदि अन्यथा न उल्लिखित हो तो, आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय/व्यय निर्धारित की जाती है।
- बी) अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर, आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है। गैर कार्य-निष्पादित निवेशों सहित गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से आय को वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- सी) बैंक गारंटी(बीजी) तथा साख पत्र(एलसी) जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।
- डी) अन्य सभी कमीशन एवं विनियम, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की जब प्राप्ति हो जाती है तब उसका आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।
- ई) सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों और डिबेंचर के लिए आय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं होता है।
- एफ) म्यूचुअल फंड, एआईएफ और अन्य ऐसे पूल/सामूहिक निवेश फंडों की इकाइयों से आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।

जी) सभी प्रतिभूतियों पर छूट या प्रीमियम को स्थिर प्रतिफल पद्धति पर लिखतों के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को "निवेश पर आय" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

एच) इक्विटी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि को लागत में शामिल किया जाता है।

आई) ऋण निवेश पर भुगतान/प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन, टूटी अवधि ब्याज को व्यय/आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है।

जे) निवेश की सदस्यता पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

के) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को "अन्य आय" शीर्षक के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ के मामले में, एक समतुल्य राशि (करों और सांविधिक रिजर्व में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर) लाभ और हानि खाते से 'पूँजी रिजर्व खाते' में विनियोजित की जाती है।

एल) एफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस रिजर्व में उस प्रतिभूति हेतु संचित लाभ/हानि एफएस रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दी जाती है और इक्विटी लिखत के मामले में एफएस श्रेणी में, इसे एफएस रिजर्व से पूँजी रिजर्व - इक्विटी की बिक्री (एफएस) खाते में अंतरित किया जाता है।

एम) किसी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनःवर्गीकरण/बिक्री पर अभिलाभ/लाभ पहले लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और फिर पूँजी रिजर्व - सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी खाते में निवेश की बिक्री के लिए विनियोजित किया जाता है।

एन) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है।

ओ) आयकर वापसी पर ब्याज आय को मूल्यांकन आदेश पारित करने के वर्ष में मान्यता दी जाती है।

पी) एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन:

एनपीए खाते के संबंध में, ए.) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, बी.) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय और सी.) एआरसी/एससी को समनुदेशन के माध्यम से की गई वसूली निम्नलिखित क्रम में की जानी है:

- खाते में नाम किए गए प्रभार ;
- व्यय/जेब से किए गए व्यय लेकिन नाम नहीं किए गए;
- न वसूले गए ब्याज;
- अप्रभारित ब्याज; और
- मूलधन

अन्य मामलों में, संबंधित प्राधिकारी के आदेश के अनुसार वसूलियों को विनियोजित किया जाता है।

इसके अलावा, ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में जिनके पास कई खाते हैं:

एक खाते में की गई वसूली को सिस्टम द्वारा उपर्युक्त क्रम में, अर्थात् उक्त खाते का व्यय, ब्याज और मूलधन बकाया में विभाजित किया जाता है। अतिरिक्त वसूली राशि, यदि कोई है, तो उसी ग्राहक के अन्य खाते/खातों के व्यय, ब्याज और मूलधन बकाया का ध्यान रखती है।

4. अग्रिम:

- (ए) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों को “अर्जक” और “अनर्जक अग्रिमों” (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (बी) इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (सी) घरेलू शाखाओं के संबंध में, एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किए जाते हैं :

एनपीए की श्रेणी	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान %
अवमानक आस्ति:	
ऐसे एक्सपोजर, जो आरंभ से अप्रतिभूत हैं (अर्थात् जहां प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य आरंभ से 10% से अधिक नहीं है)	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोजर जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान, जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति-इंफ्रा)	20%
अन्य	15%
संदिग्ध :	
अप्रतिभूत (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा)	
- एक वर्ष तक	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	40%
- तीन वर्ष से अधिक	100%
अप्रतिभूत हिस्सा	100%
हानि	100%

- (डी) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हो, के अनुसार होंगे।

- (ई) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार, निवल अग्रिम के परिकलन हेतु, कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्त ब्याज, ईसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।

- (एफ) विशिष्ट खातों/योजनाओं/क्षेत्रों आदि के मामले में वृद्धि प्रावधानों को उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन से बनाए रखा जाता है।

- (जी) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में, यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो, इस कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते से नामे किया जाना है। यदि बिक्री का मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है, उस वर्ष में, एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जाना है। परंतु किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी), प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआर/पीटीसी के रिडेम्पशन के द्वारा) से अधिक होगा।

- (एच) यदि किसी एआरसी को शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए ऋण अंतरित किया जाता है और एसआर की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है, यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकदी और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं तो अंतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में संपूर्ण अतिरिक्त प्रावधान (बिक्री प्रतिफल कम एनबीवी) को रिवर्स कर दिया जाता है। इसके अलावा, अतिरिक्त प्रावधान का गैर-नकद घटक (अर्थात्, अंतरण के समय प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान कम) सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाता है, और इस घटक से कोई लाभांश नहीं दिया जाता है।

- (आई) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनःसंचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों हेतु प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार किए जाते हैं।

- (जे) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवल निधिकृत कंट्री एक्सपोजर का (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), ग्रेड किए गए स्केल के आधार पर प्रावधान किए जाते हैं।

5. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित, केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, आकस्मिकताओं के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवाई प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवाई प्वाइंट का प्रावधान, प्रारंभिक आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवाई प्वाइंट के लिए प्रावधान, जमा हुए बकाया प्वाइंट के आधार पर किया जाता है।

7. निवेश :

बैंक सभी प्रतिभूतियों में खरीद और बिक्री के लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए निपटान तिथि लेखांकन का पालन करता है।

ए) वर्गीकरण:

निवेश को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ए. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
 - बी. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
 - सी. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)
- (ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश श्रेणी है)
- डी. सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम

तुलन पत्र (अनुसूची 8 के अंतर्गत) में प्रकटीकरण के प्रयोजन हेतु निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

भारत में निवेश	भारत के बाहर निवेश
सरकारी प्रतिभूतियां	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम
शेयरों	अन्य
डिबेंचर और बांड	
सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	
अन्य	

मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- ए) स्तर 1
- बी) स्तर 2
- सी) स्तर 3

स्तर 1/स्तर 2/स्तर 3 निम्नानुसार हैं:

स्तर 1: किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन हेतु उपयोग किए जाने वाले इनपुट सक्रिय बाजारों में समान लिखतों के लिए उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं, जिन्हें बैंक माप की तिथि पर एक्सेस कर सकता है।

स्तर 2: किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट उद्धृत कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट हैं, जो संपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हैं (जैसे उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड आदि)।

स्तर 3: किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट अप्रत्यक्ष इनपुट हैं।

वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अधिग्रहण के समय किया जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

- ए. संविदागत नकदी प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिपक्वता तक धारण करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित निवेश।
- बी. ऐसे निवेश जो एसपीपीआई (केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज) मानदंड को पूरा करते हैं।
- सी. प्रतिभूतिकरण नोटों (इक्विटी अंश के अलावा) में निवेश को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यदि वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल भी एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है।

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

- ए. निवेशों को इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है यदि प्रतिभूति को ऐसे उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने और प्रतिभूतियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और संविदात्मक शर्तें एसपीपीआई (केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज) मानदंडों को पूरा करती हैं।
- बी. प्रारंभिक मान्यता पर, बैंक के पास एएफएस के अंतर्गत इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने का अपरिवर्तनीय चुनाव होता है, जिसे ट्रेडिंग के उद्देश्य से नहीं रखा जाता है।

iii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

- ए. जो निवेश एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- बी. अनिवार्यतः, वैकल्पिक रूप से या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताओं वाले निवेश और संविदात्मक हानि अवशोषण विशेषताओं वाले निवेश।
- सी. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल की एक उप-श्रेणी है।

iv) सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

बी) प्रारंभिक मान्यता:

- i) सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियां यह सुझाव नहीं देती हैं कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से अलग है, यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत उचित मूल्य है।

- ii) नीलामी, स्विच परिचालन और खुले बाजार परिचालन के माध्यम से प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है वह उचित मूल्य होगा।
- iii) प्रतिभूतियों पर पहले दिन का लाभ/हानि, जिनका उद्धरण/उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उन्हें लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- iv) लेवल 3 निवेशों से होने वाले पहले दिन के नुकसान को लाभ और हानि खाते में तुरंत मान्यता दी जाती है जबकि पहले दिन के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण उपकरणों के मामले में पहले दिन के लाभ को परिपक्वता तिथि तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी उपकरणों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

सी) अनुवर्ती माप:

i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

- ए. प्रारंभिक मान्यता के समय, इस श्रेणी के अंतर्गत किए गए निवेश को लागत पर रखा जाता है, न कि मार्क-टू-मार्केट पर।

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

- ए. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।
- बी. एएफएस के अंतर्गत रखे गए सभी निवेशों के मूल्यांकन लाभ और हानि को, चाहे वे किसी भी वर्गीकरण के हों, एकत्रित किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है।

iii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

- ए. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है तथा ऐसे मूल्यांकन से होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या नामे किया जाता है।
- बी. एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है तथा ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या नामे कर दिया जाता है।

iv) सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम

- ए. इस श्रेणी के अंतर्गत अस्थायी प्रकृति के अलावा अन्य निवेश अधिग्रहण लागत पर रखे जाते हैं।
- बी. इस श्रेणी के तहत निवेश का मूल्यांकन तिमाही आधार पर हानि के लिए किया जाता है। निवेश के मूल्य में किसी भी कमी को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता देकर प्रदान किया जाता है और लाभ और हानि खाते के माध्यम से उलट दिया जाता है, यदि मूल्य में कमी का उलटफेर होता है।

डी) मूल्यांकन की विधि:

भारत में निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है तथा विदेशी शाखाओं में किए गए निवेश का मूल्यांकन संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार या समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो भी कम हो, किया जाता है।

लिखत का प्रकार	मूल्यांकन का आधार/पद्धति
उद्धृत प्रतिभूतियाँ (उद्धृत एआईएफ सहित)	एफबीआईएल/मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य
गैर- उद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियाँ	एफआईबीआईएल द्वारा प्रकाशित परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर
भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/विशेष प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	परिपक्वता पर प्राप्ति के आधार पर एफआईबीआईएल द्वारा दी गई प्राप्ति से 25 आधार अंक अधिक अंकन करके
गैर- उद्धृत डिबेंचर और बांड	उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर
शून्य कूपन बांड	बाजार मूल्य पर यदि बाजार मूल्य उपलब्ध न हो तो 'शून्य कूपन प्रतिफल वक्र' का उपयोग करते हुए जेडसीबी का वर्तमान मूल्य
इक्विटी शेयर (सूचीबद्ध नहीं/ अंतरलता)	नवीनतम बैलेंस शीट (18 महीने से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य (स्तर 3) पर, अन्यथा प्रति कंपनी 1 रु.
अधिमान्नी शेयरों	उद्धृत: अधिकतम कारोबार मूल्य गैर-उद्धृत: उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर
वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र/राजकोष बिल	वहन लागत पर
पीएसयू/कॉर्पोरेट बांड्स	जी-सेक दर पर उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर
म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	प्रत्येक योजना के संबंध में फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर यदि एनएवी उपलब्ध न हो, तो लागत पर
वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) (गैर-उद्धृत)	एआईएफ द्वारा घोषित एनएवी

ई. श्रेणियों के बीच निवेश का पुनःवर्गीकरण:

- i) विभिन्न श्रेणियों के बीच निवेश का पुनःवर्गीकरण केवल बोर्ड और आरबीआई से पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाता है।
- ii) पुनः वर्गीकरण, पुनः वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाता है और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में इसका लेखांकन किया जाता है।

एफ. अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

- घरेलू कार्यालयों के संबंध में निवेश को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- अनर्जक निवेशों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी जाती है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान किया जाता है।
- एनपीआई निवेशों पर प्रावधान को अर्जक निवेशों के मूल्यांकन लाभ और हानियों पर नहीं जोड़ा जाता है।
- किया गया प्रावधान आईआरसीएपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान और निवेश पर मूल्यहास में से अधिक है। एनपीआई (श्रेणी के बावजूद) के लिए प्रावधान लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।
- एफएस निवेश के मामले में, आवश्यक प्रावधान एफएस-रिजर्व में ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक चार्ज करके बनाया जाता है और एफएस रिजर्व में घाटे के मामले में, संचयी घाटे को एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
- परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में 'अन्य आस्ति' (प्रावधान समायोजित कर) के तहत दर्शाया गया है।
- विदेशी कार्यालयों के संबंध में, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए वर्गीकरण और प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, जो भी आवश्यक हों, किए जाते हैं।

जी। रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन, संपार्श्विक ऋण और ऋण के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तारीख पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है।

तरलता समायोजन सुविधा सहित रेपो खाता/सीमांत स्थायी सुविधा में शेष राशि को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तरलता समायोजन सुविधा/स्थायी जमा सुविधा के अंतर्गत आने वाले रिवर्स रेपो सहित भारतीय रिजर्व बैंक के पास सभी प्रकार के रिवर्स रेपो को अनुसूची 6 'नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष' के अंतर्गत मद (II) भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष के उप मद (ii) 'अन्य खातों' में के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ 14 दिनों तक की मूल अवधि वाले रिवर्स रेपो को तुलन पत्र में अनुसूची 7 "बैंकों के साथ शेष एवं माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि" के तहत माँग एवं अल्प सूचना पर

प्रतिदेय राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिनों से अधिक है, उन्हें अनुसूची 9 "अग्रिम" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाएगा: ए.(ii) 'नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और माँग पर चुकाने योग्य ऋण' बी.(i) 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूति' सी.(I). (iii) बैंक (iv) 'अन्य' (जैसा भी मामला हो)।

आरबीआई या अन्य के साथ रेपो लेनदेन की उधार लागत और रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को क्रमशः ब्याज व्यय और ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

एच। आस्तियाँ द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश :-

बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/159 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (वाणिज्यिक बैंक- ऋण जोखिम का संवितरण और अंतरण) निदेश, 2025 किया गया है।

- एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है, जो ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होता है।
- बैंक द्वारा एआरसी को हस्तांतरित संकटग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में निवेश, हस्तांतरण या वसूली होने तक, बैंक की बहियों में सतत आधार पर, उपरोक्त एनएवी के आधार पर प्राप्त एसआर के मोचन मूल्य और हस्तांतरण के समय हस्तांतरित संकटग्रस्त ऋण के एनबीवी में से जो भी कम हो, दर्ज किया जाता है।
- जब बैंक द्वारा हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों द्वारा समर्थित एसआर में निवेश, उसके हस्तांतरित ऋणों द्वारा समर्थित सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक होता है, तो ऐसे एसआर का मूल्यांकन एसआर के अंकित मूल्य में से कम होता है, जो बैंक की बहियों में अंतर्निहित ऋणों के जारी रहने पर लागू काल्पनिक प्रावधान दर से कम होता है या एसआर का एनएवी होता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित एनएवी की गणना किया जाता है।
- एसआर/पीटीसी जो समाधान अवधि (अर्थात् पांच वर्ष या आठ वर्ष, जैसा भी मामला हो) के अंत तक भुनाए नहीं जाते हैं, उन्हें हानि वाली आस्ति माना जाता है तथा उनके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।
- आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर उपकरणों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बॉन्ड/एसआर/पीटीसी में बैंक निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी किए गए उपरोक्त लिखतों में से कोई भी संबंधित योजना में उपकरणों को सौंपे गए वित्तीय परिपत्तियों की वास्तविक प्राप्ति तक सीमित है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए एआरसी से समय-समय पर प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

8. डेरिवेटिव

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला, ब्याज दर डेरिवेटिव, रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वेप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किए जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं – ऑप्शन, करेंसी स्वेप तथा करेंसी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

- i) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं।
 - ii) हेजिंग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है।
 - iii) सभी डेरिवेटिव अनुबंधों को तुलन पत्र की तिथि पर मान्यता दी जाती है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।
 - iv) जहाँ भी हेज अकाउंटिंग का विकल्प नहीं चुना जाता है, डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर हिसाब में लिया जाता है और उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
 - v) ट्रेडिंग स्वेप की समाप्ति पर लाभ/हानि को आय/व्यय के रूप में समाप्ति तिथि पर दर्ज किया जाता है। हेजिंग स्वेप की समाप्ति पर कोई भी लाभ/हानि स्थगित कर दी जाती है और स्वेप के शेष संविदात्मक जीवन या नामित परिपक्वता/देनदारियों के शेष जीवन
- iii. मूल्यहास की दरें और मूल्यहास लगाने की विधि निम्नलिखित है:

में से जो भी कम हो, उस पर मान्यता दी जाती है।

- vi) विकल्प शुल्क/प्रीमियम को विकल्प अनुबंध की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- vii) डेरिवेटिव अनुबंधों के संदर्भ में उचित मूल्य 'निकास मूल्य' का प्रतिनिधित्व करता है।
- viii) डेरिवेटिव आस्तियों और डेरिवेटिव देनदारियों का नेटिंग नहीं किया जाता है।

9. अचल आस्तियां:

- i. अचल आस्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यहास/परिशोधन और हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। जिन आस्तियों का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उन्हें पुनर्मूल्यांकित राशि में से संचित मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा की जाती है।
- ii. खरीद लागत सहित लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत, पेशेवर शुल्क आदि जैसे सभी व्यय शामिल हैं, जो आस्ति के उपयोग के लिए तैयार होने या उपयोग के लिए तैयार होने से पहले किए गए हैं। उपयोग के लिए तैयार आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब इससे ऐसी आस्तियों से भविष्य के लाभ या उनकी कार्यशील क्षमता में वृद्धि होती है।

क्र.सं.	विवरण	मूल्यहास की दर	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन	मूल्यहास प्रभारित करने का विधि
1.	भवन एवं भूमि:			
1क)	भूमि (फ्री होल्ड)	शून्य		
1ख)	पट्टाधारित भूमि		पट्टे की अवधि में लीज प्रीमियम परिशोधित की जाती है।	
1ग)	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	1.58 %	60 वर्ष	सीधी आरेख
2.	अन्य अचल आस्तियां:-			
क)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख
ख)	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख
ग)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	6.33%	15 वर्ष	सीधी आरेख
घ)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	11.88%	8 वर्ष	सीधी आरेख
ङ)	साइकल	20.00%	5 वर्ष	सीधी आरेख
च)	मोबाइल फोन	33.33%	3 वर्ष	सीधी आरेख
छ)	कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	33.33%	3 वर्ष	सीधी आरेख
ज)	सर्वर	20%	5 वर्ष	सीधी आरेख
झ)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	20%	5 वर्ष	सीधी आरेख

- iv. पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में, यदि कोई हो तो पट्टा प्रीमियम, पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

- v. वर्ष के दौरान परिवर्धन/बिक्री के संबंध में, वर्ष के दौरान आस्तियों के उपयोग के लिए तैयार रहने के दिनों की संख्या के अनुपातिक आधार पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
- vi. कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग न बनने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- vii. 5 वर्ष से कम अनुमानित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों (जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं) को छोड़कर सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है, जहां आस्तियों की पूरी लागत उपयोगी जीवन पर परिशोधित की जाती है।
- viii. पुनर्मूल्यांकित आस्ति का मूल्यहास पुनर्मूल्यांकन के समय निर्धारित आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर किया जाता है। इस तरह के मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और एक समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में स्थानांतरित की जाती है। बैंक की अपनी आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है।
- ix. भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है, सिवाय उन केंद्रों के जहां स्थानीय वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा अलग-अलग दरें/पद्धति निर्धारित की गई हैं।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखमानक (एएस)11, “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव” के अनुसार किया जाता है:

ए) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है:

- i) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित दैनिक क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।
- ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर, रिपोर्ट किया जाता है।
- iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें पूर्व के लागत के अनुसार लगाया जाता है, उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।
- iv) विदेशी मुद्रा में रखी गयी आकस्मिक देयताओं को एफईडीआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

- v) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामतः लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- vi) एफईडीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को, संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।
- vii) मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुआ।
- viii) मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान, दैनिक आधार पर, विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को, लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

बी) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :

- i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है।
- ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर, एफईडीआई द्वारा सूचित तिमाही औसत क्लोजिंग दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को, संबंधित विदेशी शाखाओं में, निवल निवेशों के निपटान तक, एक अलग खाते - ‘विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व’ में संचित किया जाता है।
- iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियों और देयताओं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित जाता है।

11. कर्मचारी लाभ

ए. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है, उसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

बी. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:**ए. परिनिश्चित लाभ योजना:-****i) उपदान (ग्रेच्युटी):**

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ, निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। यह राशि, प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय, 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 अथवा बीओआई उपदान निधि नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में, जो भी अधिक हो, के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक, निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा किया जाता है जो तिमाही आधार पर एक स्वतंत्र बाह्य एक्चुरियल मूल्यांकन पर आधारित है।

ii) पेंशन:

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई पेंशन विनियमन, 1995 के अनुसार बैंक, पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता, स्वतंत्र एक्चुरियल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के अंतर्गत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

बी. परिनिश्चित अंशदान योजना :**i) भविष्य निधि:**

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने का हक है। बैंक, एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करता है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक, ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे

पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

सी) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

- छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन अवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, बिमारी अवकाश इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व हैं जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।
- विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में, प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना, संबंधित देशों में विद्यमान कानूनों के आधार पर की जाती है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

13. पट्टा(लीज) संव्यवहार

पट्टा जहां स्वामित्व के जोखिम और रिवाइड पट्टेदार द्वारा प्रतिधारित किए जाते हैं, को एएस 19 (पट्टा) के अनुसार परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टे पर पट्टा व्यय लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किए जाते हैं।

14. प्रति शेयर अर्जन

एएस 20 “अर्जन प्रति शेयर” के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट किए जाते हैं। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना, कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लाकर की जाती है।

15. आय पर कर

बैंक द्वारा किये गये वर्तमान कर तथा आस्थायित कर के व्यय की कुल राशि, आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 “आय पर कर के लिए लेखांकन” के प्रावधानों अनुसार क्रमशः वर्तमान कर व्यय तथा आस्थायित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित, भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

आस्थगन कर समायोजन में, वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर, समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णतः लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर, आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव, लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यहास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

16. आस्तियों का हास

“स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर हासित हानि, यदि कोई हो तो, एस 28 ‘आस्तियों का हास’ के अनुरूप, लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर हासित हानि को सीधे

आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहाँ तक, एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम हासित हानि से अधिक न हो।”

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां:

एस 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों का निपटान करने की आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है। वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

18. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

SCHEDULE-17**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****1. BASIS OF PREPARATION:**

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. The actual results could differ from the estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION:

- a. Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/standards of host country.
- b. Interest income is recognised on time proportion basis. Income from Non-Performing Assets (NPAs) including Non-Performing investments is recognised on realisation basis.
- c. Commission on issue of Bank Guarantee (BG) and Letter of Credit (LC) is recognised over the tenure of BG/LC.
- d. All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation basis.
- e. Income is recognised on accrual basis for Government Securities, bonds and debentures where interest is serviced regularly and is not in arrears.
- f. Income from units of Mutual funds, AIFs and other such pooled/collective investment funds is recognised on realisation basis.

- g. Discount or Premium on all securities is amortized over the remaining life of the instruments on constant yield method. The amortized amount is shown under the head "Income on Investments".
- h. Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.
- i. Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
- j. Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.
- k. Profit or loss on sale of investments under "Held to maturity" (HTM) is recognised in the Profit and Loss Account under the head "Other Income". In case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account' from Profit and Loss Account.
- l. On sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in AFS Reserve is transferred from AFS Reserve to Profit and Loss Account and in case of equity instrument in the AFS category, it is transferred from AFS Reserve to Capital Reserve – Sale of Equity (AFS) Account.
- m. The gain/profit on reclassification/sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and then appropriated to the Capital Reserve – Sale of Investment in Subsidiary/Joint Venture/associate Account.
- n. Dividend Income is recognised when the right to receive the dividend is established.
- o. Interest Income on Income-tax refund is recognised in the receiving the refund order/intimation from the Income Tax Department.
- p. Appropriation of recoveries in NPA accounts:
In respect of NPA account, recoveries effected except through a) Compromise settlement /special OTS; b) Judgement of a Court/DRT/NCLT; and c) Assignment to ARC's/SC's are to be made in the following order:
 - Charges debited to the account;
 - Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited;
 - Unrealised interest;

- Uncharged interest; and
- Principal

In other cases, the recoveries made are appropriated as per the order of relevant authority.

Further, in case of borrowers who are having multiple accounts:

Recovery made in one account is apportioned by the system in the above mentioned order i.e. Expenditure, interest and Principal outstanding of the said account. Surplus recovery amount, if any, takes care of Expenditure, Interest and Principal outstanding of other account(s) of the same customer.

4. ADVANCES:

- Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.
- NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.
- In respect of domestic branches, NPA Provisions (on the Outstanding Advances) are made at the rates given as under:

Category of NPAs	Provision % on net outstanding advance
Sub Standard:	
Exposures, which are unsecured ab-initio (i.e. where realizable value of security is not more than 10% ab-initio)	25%
Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
Others	15%
Doubtful:	
Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- Upto one year	25%
- One year to three years	40%
- More than three years	100%
Unsecured portion	100%
Loss	100%

- In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

- Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc. are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.
- Escalated provisions in case of specific accounts/scheme/sector etc. are maintained with approval of the appropriate authority.
- In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs is reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/ PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.
- In case of loan transferred to an ARC for value higher than the net book value (NBV) and SRs are guaranteed by the Government of India, the entire excess provision (Sale consideration less NBV) is reversed to Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by Government of India. Further, the non-cash component of the excess provision (viz. excess provision less cash received at the time of transfer) is deducted from CET 1 capital, and no dividends are paid out of this component.
- Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.
- Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5. FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific

purposes. These provisions are netted off from gross NPAs to arrive at Net NPAs.

6. DEBIT/CREDIT CARDS REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7. INVESTMENTS:

Bank follows Settlement date accounting for recording purchase and sale of transactions in all Securities.

A. Classification:

- i. Investments are classified under the following categories:
 - a. Held to Maturity (HTM)
 - b. Available for Sale (AFS)
 - c. Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)

(Held for Trading (HFT) is a separate investment sub-category under FVTPL)
 - d. Subsidiaries, Associates and Joint Ventures
- ii. Investments for the purpose of disclosure in the Balance Sheet (under Schedule 8) are classified under the following categories:

Investments in India	Investments outside India
Government Securities	Government Securities (including local authorities)
Other approved Securities	Subsidiaries and/or Joint ventures
Shares	Others
Debentures and Bonds	
Subsidiaries and/or Joint ventures	
Others	

- iii. Investments for the purpose of valuation are classified under the following categories:
 - a. Level 1
 - b. Level 2
 - c. Level 3

Level 1/Level 2/ Level 3 are as follows:

Level 1: The inputs used for valuation of a financial instrument are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the bank can access at the measurement date.

Level 2: The inputs used for valuation of a financial instrument are inputs other than quoted prices, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (such as yield curve, credit spread etc).

Level 3: The inputs used for valuation of a financial instrument are unobservable inputs.

Basis of Classification

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

i. Held to Maturity (HTM)

- a. Investments acquired with an intention and objective to hold till maturity for collecting contractual cash flows.
- b. Investments that meet SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) criterion on specified dates.
- c. Investments in securitization notes (other than equity tranche) is classified under HTM if the underlying pool of financial instruments also meets the SPPI criterion.

ii. Available for Sale (AFS)

- a. Investments acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities and the contractual terms meet SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) criterion.
- b. On Initial recognition, the Bank makes an irrevocable election to classify an equity instrument under AFS, that is not held with an objective of trading.

iii. Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)

- a. Investments that do not qualify for inclusion in HTM or AFS are classified under FVTPL.
- b. Investments with compulsorily, optionally or contingently convertible features and Investments with Contractual loss absorbency features.

- c. Held for Trading (HFT) is a sub-category of FVTPL.

iv. Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

- a. Investments made in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are classified under this category.

B. Initial Recognition:

- All Investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value.
- In respect of Government securities acquired through auction, switch operations and open market operations, the price at which the security is allotted shall be the fair value.
- Day 1 gain/loss on Level 1 and Level 2 securities are recognised in Profit and Loss Account.
- Day 1 loss arising from Level 3 investments are recognised immediately in Profit and Loss Account while Day 1 gains are deferred. In case of Debt instruments Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

C. Subsequent Measurement:

i. Held to Maturity (HTM)

- a. Upon initial recognition, Investments held under this category are carried at cost and not at mark-to-market.

ii. Available for Sale (AFS)

- Investments under this category, are fair valued on daily basis.
- The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification held under AFS are aggregated and the net appreciation or depreciation is directly credited or debited to AFS Reserve.

iii. Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)

- a. Investments under this category are fair valued on daily basis and the net gain or loss arising on such valuation are directly credited or debited to the Profit and Loss Account.

- b. Investments under HFT category are fair valued on daily basis and the net gain or loss arising on such valuation are directly credited or debited to the profit and loss account.

iv. Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

- Investments under this category are held at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.
- Investments under this category are evaluated for impairment on quarterly basis. Any diminution in the value of investment is provided by recognizing it as an expense in the Profit and Loss Account and is reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution in the value.

D. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Type of Instrument	Basis of Valuation/Methodology
Quoted Securities (including Quoted AIF)	Prices declared by FBIL/Recognised stock exchanges/ FIMMDA
Unquoted SLR Securities	On Yield to Maturity basis published by FIBIL
Other approved securities/ Special Securities issued by GoI(Non-SLR)	On Yield to Maturity basis by marking up by 25 basis points above yields put out by FIBIL
Unquoted debentures and bonds	On Yield to Maturity basis with appropriate mark up
Zero Coupon Bonds	At market value If market value not available, Present value of ZCB using 'Zero coupon yield curve'
Equity Shares (Not listed/ illiquid)	At break-up value (Level 3) as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Rs.1 per company
Preference Shares	Quoted: Max. Traded price Unquoted: on Yield to Maturity basis with appropriate mark up
Commercial Paper/ Certificate of Deposit/ Treasury Bills	At carrying cost
PSU/Corporate Bonds	On Yield to Maturity basis with appropriate mark up over G-sec rate

Type of Instrument	Basis of Valuation/Methodology
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme If NAV not available, at Cost
Alternate Investment Funds (AIF) (Unquoted)	Declared NAV by AIF

E. Reclassification of Investments between Categories:

- Reclassification of Investments between various categories is done only upon prior approval from Board and RBI.
- Reclassification is applied prospectively from the reclassification date and is accounted in compliance with RBI guidelines.

F. Non-performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

- In respect of domestic offices investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI.
- In respect of non-performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.
- The provision on NPI investments is not netted against the valuation gains and losses of performing investments.
- Provision made is higher of provision required as per IRCAP norms and depreciation on the Investment. The provision for NPI (irrespective of category) are recognised in Profit and Loss Account.
- In case of AFS investment, the provision required is created by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains and in case of losses in AFS reserve, the cumulative losses shall be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.
- Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule 11 (Net of Provision).
- In respect of foreign offices, classification and provisions for non-performing investments (NPI) are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever are stringent.

G. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal

outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity.

Balance in Repo Account / Marginal Standing facility including those under Liquidity Adjustment facility is classified as Borrowings.

All type of Reverse Repos with RBI including those under Liquidity Adjustment Facility/Standing Deposit Facility are presented under sub item (ii) 'In Other Accounts' of item (II) Balances with RBI under Schedule 6 'Cash and balances with RBI'.

Reverse Repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days are classified as Money at Call & Short Notice under Schedule 7 "Balance with Banks and Money at call & short notice" in the Balance sheet.

Reverse Repo with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be shown under Schedule 9 "Advances" under following head: A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand' B.(i) 'Secured by tangible assets' C.(I). (iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be).

Borrowing cost of repo transactions and revenue on reverse repo transactions, with RBI or others, is accounted for as interest expense and interest income, respectively.

H. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets: -

The Bank has valued SRs under securitization in line with RBI guidelines issued vide circular no. and RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.REC. No.78/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 Reserve Bank of India (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025

- Investments in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs are valued periodically at the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.
- Investments in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by the Bank, are recognised, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

When the investment by bank in SRs backed by stressed loans transferred by it, is more than 10 percent of all SRs backed by its transferred loans, the valuation of such SRs is

- at lower of face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the underlying loans continued in the books of the Bank or NAV of the SRs.
- iii. SRs guaranteed by the Government of India is valued periodically by reckoning the NAV declared by the ARC based on recovery ratings received for such instruments. The unrealised gain recognised in the Profit and Loss Account on account of fair valuation of such investments is deducted from CET1 capital and no dividends are paid out of such unrealised gains. Any SRs outstanding after the final settlement of the government guarantee or expiry of the guarantee period, whichever is earlier, are valued at Rs.1.
 - iv. SRs/PTCs which are not redeemed as at the end of the resolution period (i.e., five years or eight years as the case may be) are treated as loss asset and fully provided for.
 - v. The valuation, classification and other norms applicable to investment in Non-SLR instruments prescribed by RBI from time to time are applicable to bank's investment in debentures/ bonds/ SRs /PTCs issued by ARC. However, if any of the above instruments issued by ARC is limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the bank reckons the NAV obtained from ARC from time to time, for valuation of such investments.

8. DERIVATIVES:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

- i. The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.
- ii. Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.
- iii. All Derivative contracts are recognised on the Balance Sheet date and measured at fair value.
- iv. Wherever, hedge accounting is not opted, derivatives are accounted at fair value with changes in fair value being recognised in the Profit and Loss Account.
- v. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.
- vi. Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.
- vii. Fair value in the context of derivative contracts represents the 'exit price'.
- viii. Netting of Derivative assets and Derivative liabilities is not carried out.

9. FIXED ASSETS:

- i. Fixed assets are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses, if any. Assets which have been periodically revalued are stated at revalued amount less accumulated depreciation. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- ii. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is ready to use or capable of ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets ready to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- iii. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below:

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation	Estimated useful life as determined by the Bank	Method of charging depreciation
1	Land & Building:			
1.a.	Land (Freehold)	NIL		
1.b.	Leasehold Land		Lease premium is amortised over the period of lease	
1.c.	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 Years	Straight Line
2.	Other Fixed Assets:-			
a.	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 Years	Straight Line
b.	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 Years	Straight Line
c.	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 Years	Straight Line

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation	Estimated useful life as determined by the Bank	Method of charging depreciation
d.	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years	Straight Line
e.	Cycle	20.00%	5 Years	Straight Line
f.	Mobile phones	33.33%	3 Years	Straight Line
g.	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 Years	Straight Line
h.	Servers	20%	5 Years	Straight Line
i.	Computer Software, which do not form integral part of computer hardware	20%	5 Years	Straight Line

- iv. In respect of leasehold land, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease.
- v. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been ready to use during the year.
- vi. Computer Software, not forming integral part of computer hardware is classified as intangible asset and amortised over a period of 5 years.
- vii. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Mobile Phones, Computers and Computer Software forming integral part of hardware), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.
- viii. The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & Loss Account and an equivalent amount is transferred from the Revaluation Reserve to Revenue Reserve. The revaluation of Bank's own properties is carried out every 3 years.
- ix. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

10. TRANSACTION INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

A. Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian

branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

- i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page on date of the transaction.
- ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.
- iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- vi. Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.
- vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- viii. Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss Account.

B. Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

- i. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

- ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.
- iii. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.
- iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

11. EMPLOYEE BENEFITS:

A. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

B. Long Term Employee Benefits:

a. Defined Benefit Plan: -:

i. Gratuity:

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days' basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ii. Pension:

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes

monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India Pension Regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

b. Defined Contribution Plan:

i. Provident Fund:

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii. Pension:

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

C. Other Long Term Employee Benefit:

All eligible employees are entitled to the following-

- i. Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.
- ii. Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the

basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

- iii. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. SEGMENT REPORTING:

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. LEASE TRANSACTIONS:

Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on straight line basis over the lease term.

14. EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

15. TAXES ON INCOME:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred

tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the Profit and Loss account.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

16. IMPAIRMENT OF ASSETS:

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

17. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

18. SHARE ISSUE EXPENSES

Share issue expenses are charged to Share Premium Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, सभी आंकड़े ₹ करोड़ में हैं, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

लेखों के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ

आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी गयी है:

1. पूंजी (बेसल-III के अनुसार):

(i) विनियामकीय पूंजी की संरचना :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	74,794.23	66,193.86
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1,500.00	2,801.65
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	76,294.23	68,995.52
iv)	टियर 2 पूंजी	13,189.33	10,244.05
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	89,483.56	79,239.57
vi)	कुल जोखिम भारत आस्तियों (आरडब्ल्यूए)	4,96,849	4,45,961
vii)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (सीईटी1) (%)	15.05%	14.84%
viii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	15.36%	15.47%
ix)	टियर 1+2 पूंजी अनुपात (%)	2.65%	2.30%
x)	पूँजी से जोखिम भारत आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	18.01%	17.77%
xi)	लैबरेज अनुपात	6.13%	6.23%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.38%	73.38%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	0.00
xiv)	आवंटन के लिए लॉबित शेयर आवंटन राशि	0.00	0.00
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से:		
	ए) बेसल III अनुवर्ती स्थायी गैर-संचयी अधिमानीय शेयर	0.00	0.00
	बी) बेसल III अनुवर्ती स्थायी अतिरिक्त टियर-1 ऋण लिखत	0.00	0.00
xvi)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से	2500.00*	2,500.00
	ए) स्थायी संचयी अधिमानीय शेयर	0.00	0.00
	बी) बेसल III अनुवर्ती प्रतिदेय टियर-1 बॉण्ड	2500.00*	2,500.00

*बैंक ने दिसंबर 2025 के दौरान ₹2500 की टियर 2 बॉण्ड जुटाए हैं (कूपन दर: 7.28%)

2. आस्ति देयता प्रबंधन

(i) यथा 31 मार्च 2026 को आस्ति एवं देयताओं की कुछ वस्तुओं के परिपक्वता का स्वरूप

विवरण	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 महीने	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 साल तक	1 साल से अधिक और 3 साल तक	3 साल से अधिक और 5 साल तक	5 साल से अधिक	कुल (1 से 10)
जमा\$	25,694.48 (24,983.57)	28,355.29 (24,616.51)	22,190.01 (15,285.96)	35,188.61 (23,463.27)	59,354.40 (43,965.05)	32,246.88 (41,244.76)	54,736.91 (54,887.10)	1,14,341.78 (74,539.81)	1,03,491.57 (94,948.92)	1,08,559.61 (80,013.49)	3,43,111.34 (3,38,593.04)	9,27,270.88 (8,16,541.49)
अग्रिम#	23,203.46 (23,547.69)	7,261.96 (8,153.88)	9,146.67 (8,057.40)	14,063.33 (15,865.04)	18,143.31 (16,934.50)	24,281.88 (18,119.14)	35,141.37 (31,203.10)	60,079.58 (38,077.72)	3,38,937.68 (2,78,383.39)	73,348.99 (65,633.77)	1,56,726.65 (1,45,681.41)	7,60,334.88 (6,49,657.04)
निवेश	0.00 (114.97)	1,536.05 (1,464.95)	37.18 (0.00)	199.56 (1,163.89)	1,260.24 (3,985.42)	1,761.82 (2,240.38)	5,356.74 (7,699.14)	5,276.87 (2,952.27)	4,0097.94 (28,149.22)	51,688.23 (39,776.52)	1,61,414.67 (1,71,565.05)	2,68,629.30 (2,59,111.80)
उधारियां	961.25 (2,474.17)	7,578.01 (30,289.73)	254.62 (232.25)	6,268.14 (653.21)	2,902.94 (676.38)	2,052.55 (2,923.76)	12,841.49 (12,114.38)	18,672.47 (33,552.74)	36,522.88 (19,429.84)	7,813.45 (8,802.30)	22,723.75 (12,707.67)	1,18,591.54 (1,23,856.43)
विदेशी मुद्रा आस्तियां ##	4,035.90 (3,586.40)	5,934.96 (9,386.78)	3,728.71 (1,151.29)	19,421.42 (16,185.28)	13,793.75 (18,629.89)	21,773.39 (20,261.29)	29,532.59 (21,525.73)	24,991.47 (9,284.04)	48,111.86 (32,943.63)	20,983.32 (23,532.40)	10,192.55 (10,287.59)	2,02,499.91 (1,66,774.32)
विदेशी मुद्रा देयताएं \$\$	2,248.01 (4,625.14)	15,851.51 (11,622.27)	7,622.31 (2,811.39)	11,611.45 (10,709.84)	17,667.49 (13,898.84)	9,728.72 (12,954.58)	28,014.75 (24,019.04)	26,117.77 (37,173.87)	27,086.94 (20,905.02)	12,821.13 (15,027.87)	124.23 (140.49)	1,58,894.31 (1,53,888.34)

\$ विदेशी मुद्रा में जमा सहित

विदेशी मुद्रा में अग्रिम सहित

बैलेन्स शीट आस्तियों पर विदेशी मुद्रा, अग्रिम और निवेश को प्रतिपादित करती हैं।

\$\$ बैलेन्स शीट देयताओं पर विदेशी मुद्रा, ऋण और जमा को प्रतिपादित करती हैं।

(ए1) टियर-1 पूंजी को बढ़ाने हेतु जुटाए गए अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बॉण्ड के बकाया का विवरण निम्नानुसार है: -

यथा 31.03.2026 तक

जिस वर्ष में जुटाये	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2022-23	अतिरिक्त टियर 1	1,500.00	1,500.00
	कुल	1,500.00	1,500.00

बैंक ने क्रय विकल्प का प्रयोग किया तथा 28 जनवरी 2026 को ₹750 राशि की एटी1 बॉण्ड सीरीज VI रीडिम किया।

बैंक ने क्रय विकल्प का प्रयोग किया तथा 30 मार्च 2026 को ₹602 राशि की एटी1 बॉण्ड सीरीज VII रीडिम किया।

(ए2) टियर-1 पूंजी बढ़ाने हेतु जुटाए गए टियर-1 लिखतों के बकाया ब्यौरे निम्नानुसार है:

यथा 31.03.2026 तक

जिस वर्ष में जुटाये	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2020-21	टियर II	1,800.00	1,800.00
2023-24	टियर II	2,000.00	2,000.00
2024-25	टियर II	2,500.00	2,500.00
2025-26	टियर II	2,500.00	2,500.00
	कुल	8,800.00	8,800.00

बैंक ने 31 दिसंबर 2025 को ₹3000 के टियर II सीरीज XII को रीडिम किया है।

बैंक ने 26 सितंबर 2024 को ₹2500 के बेसल III टियर 2 बॉण्ड सीरीज XVII जुटाए हैं।

बैंक ने 12 दिसंबर 2025 को 7.28% कूपन दर पर ₹2500 के बेसल III टियर 2 बॉण्ड सीरीज XVIII जुटाए हैं।

(ii) आरक्षितियों से आहरण: 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, लाभ एवं हानि खाता में आरक्षितियों से कोई आहरण नहीं हुआ है।

नोट: 31 मार्च 2026, तक जमा, उधार, अग्रिम और निवेश का परिपक्वता पैटर्न निम्नलिखित पर आधारित है:

- एएलएम पर आरबीआई दिशानिर्देश
- आस्तियों और देयताओं का व्यवहारिक संबंधी अध्ययन जिनकी निश्चित परिपक्वता नहीं है और अंतर्निहित वैकल्पिकता के लिए

(ii) चलनिधि कवरेज अनुपात: प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

क्र. सं.	राशि रु. करोड़ में	वित्तीय वर्ष 2025-26*		वित्तीय वर्ष 2024-25*	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) (a)	कुल भारित मूल्य (औसत) (a)	कुल अभारित मूल्य (औसत) (a)	कुल भारित मूल्य (औसत) (a)
उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियाँ					
1	कुल उच्च स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए)		1,95,347.11		1,77,088.23
नकदी प्रवाह					
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से	5,42,801.95	42,193.33	5,08,561.04	39,505.95
(i)	स्थिर जमाराशियां	2,41,737.32	12,086.87	2,27,003.04	11,350.15
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	3,01,064.62	30,106.46	2,81,558.00	28,155.80
3	अप्रतिभूत थोक निधियां, जिसमें से :	2,13,342.98	1,31,421.04	1,80,279.42	1,07,686.92
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	-	-	-	-
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	1,36,536.56	54,614.63	1,20,987.50	48,395.00
(iii)	अरक्षित ऋण	76,806.41	76,806.41	59,291.92	59,291.92
4	जमानती थोक निधियन		1,391.57		1,243.16
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	1,20,127.10	24,687.04	1,07,379.97	27,983.99
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन	8,361.10	8,361.10	10,194.61	10,194.61
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन	-	-	-	-
(iii)	(iii) ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं	1,11,766.00	16,325.94	97,185.36	17,789.38
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व	19,345.27	19,345.27	20,147.32	20,147.32
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	46,855.33	1,405.72	40,641.41	1,219.24
8	कुल नकदी बहिर्गमन		2,20,443.96		1,97,786.59
नकदी अंतर्वाह					
9	जमानती उधार (उदा: रिवर्स रेपो)	3,408.32	2,335.46	4,011.36	2,657.96
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	39,596.79	32,483.91	33,369.69	25,766.48
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	19,390.78	17,694.41	22,707.41	20,076.36
12	कुल नकदी अंतर्वाह	62,395.89	52,513.78	60,088.47	48,500.80
13	कुल एचक्यूएलए		1,95,347.11		1,77,088.23
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		1,67,930.18		1,49,285.79
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		116.33		118.62

टिप्पणी:-

*समेकित आधार पर (घरेलू परिचालन, विदेशी केंद्र और विदेशी अनुषंगियां शामिल)

(a) यथा 31.03.2026 साथ-साथ 31.03.2025 तक के डाटा हेतु विगत 4 तिमाहियों में दैनिक अवलोकनों का साधारण औसत लेकर (अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2024-25 क्रमशः हेतु औसत) प्रकटन किए गए हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 में आरबीआई के निर्देश के अनुसार है।

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटीकरण

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) अधिक मजबूत बैंकिंग क्षेत्र विकसित करने के लिए बेसल समिति के प्रमुख सुधारों में से एक है। एलसीआर, एक वैश्विक मानक है जिसका उपयोग आपके बैंक की तरलता स्थिति को मापने के लिए भी किया जाता है। एलसीआर यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है जिसे 30 दिवसीय कैलेंडर तरलता दबाव परिदृश्य के अन्दर अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। एलसीआर, वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न झटकों को अवशोषित करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है, चाहे इसका कुछ भी स्रोत हो। इस प्रकार यह वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था में फैलने के जोखिम को कम करता है। बेसल III मानदंडों के आधार पर, आपके बैंक का औसत एलसीआर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समेकित आधार पर 116.33 प्रतिशत था, जबकि नियामकीय सीमा 100 प्रतिशत थी।

एलसीआर मानक का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एलसीआर) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता रहे जिससे अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 30 कैलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने हेतु एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सके। गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य में चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सहायता से बैंक, कम से कम अगले 30 कैलेंडर दिवस गुजर सके

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च कोटी की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

चलनिधि आस्तियां में शामिल उच्च गुणवत्ता आस्तियां जो कि तुरंत नकदीकृत किए जा सकते हैं या तनाव की अवस्थाओं में नकदी प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के तौर उपयोग किए जा सकते हैं।

यहां,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाजार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है। लेवल 1 एसेट 0% हेयरकट के साथ हैं, लेवल 2ए और लेवल 2बी एसेट क्रमशः 15% और 50% हेयरकट के साथ हैं।
- आरबीआई/बासेल की परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अंतर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल अंतर्वाह निवल नकदी बहिर्गमन है। निवल नकदी बहिर्गमन के परिकलन के लिए अंतर्वाह को पूर्व परिभाषित हेयरकट पर माना जाता है तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित रन-ऑफ फैक्टर पर माना जाता है। नकदी बहिर्वाह का निर्धारण करने के लिए, बैंक अपनी जमाओं को विभिन्न ग्राहक खंडों में अलग करता है, जैसे खुदरा (जिसमें व्यक्तियों से जमा शामिल है), लघु व्यवसाय ग्राहक (7.5 करोड़ रुपये तक जमा वाले), और थोक (जो सभी अवशिष्ट जमा को कवर करेंगे)। थोक के भीतर, जमा जो समाशोधन, अभिरक्षा और नकदी प्रबंधन सेवाओं के कारण होते हैं, उन्हें परिचालन जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य संविदात्मक धन, जिसमें अन्य देनदारियों का एक हिस्सा शामिल है, जो 30 दिन की समय सीमा में नीचे चलने की उम्मीद है, नकदी बहिर्वाह में शामिल हैं। मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर ये वर्गीकरण, बैंक के एलसीआर ढांचे का हिस्सा है, और आरबीआई को भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

- कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह की गणना संविदात्मक प्राप्ति की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष को उन दरों से गुणा करके की जाती है, जिन पर उन्हें कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75% की कुल सीमा तक प्रवाह करने की उम्मीद है। यदि दबावग्रस्त अंतर्वाह दबावग्रस्त बहिर्वाह से अधिक है, तो एलसीआर पर गणना के लिए कुल बहिर्वाह का 25% कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह के रूप में लिया जाएगा।

एलसीआर के मुख्य संचालक : एलसीआर के मुख्य संचालक, उच्च गुणवत्ता को चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) और खुदरा ग्राहकों से उच्च निधियन स्रोत की वजह से न्यून निवल नकदी हैं। की पर्याप्तता और खुदरा ग्राहकों से उच्च वित्त पोषण स्रोतों के कारण कम शुद्ध नकदी बहिर्वाह हैं। एचक्यूएलए के पर्याप्त स्टॉक ने एलसीआर बनाए रखने में बैंक की सहायता की है।

एचक्यूएलए की संरचना: उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अतिरिक्त एसएलआर, अतिरिक्त सीआरआर, एमएसएफ के तहत प्रतिभूतियाँ तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात केलिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा) होता है।

मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के प्रकटीकरण की तिथि के अनुसार औसत एचक्यूएलए की संरचना नीचे दी गई है:

हाथ में नकदी	3.01%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	3.26%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियाँ	20.20%
अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियाँ, एमएसएफ के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक (वर्तमान में एमएसएफ के लिए अनुमत एनडीटीएल के 2 प्रतिशत की सीमा तक)	8.00%
बासेल 2 मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 0% जोखिम भार वाले विदेशी संप्रभु द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ और रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के कारण अन्य प्रतिभूतियों का समायोजन	3.25%
तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता का लाभ उठाने की सुविधा	62.47%
स्तर 2 की आस्तियाँ	0.65%
तरलता हस्तांतरण प्रतिबंधों को दशाने के लिए एचक्यूएलए में समायोजन	(0.84%)

निधियन स्रोत का संकेंद्रीकरण: बैंक के अधिकांश फंडिंग स्रोत खुदरा ग्राहकों और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से हैं, इसलिए तनावग्रस्त बहिर्वाह तुलनात्मक रूप से कम हैं। बैंक का, किसी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से अत्यधिक निधि प्राप्त नहीं है। भारतीय संदर्भ में, दबावग्रस्त परिदृश्यों के लिए रन-ऑफ कारक आरबीआई द्वारा देनदारियों की विभिन्न श्रेणियों (जैसे, जमा, गैर जमानती और जमानती थोक उधार), अनाहरित प्रतिबद्धताओं, डेरिवेटिव संबंधित एक्सपोजर, और उसी समय अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से उत्पन्न अंतर्वाहों के साथ ऑफसेट के लिए निर्धारित किए जाते हैं। नीचे दी गई जमा के लिए रन-ऑफ कारकों की एक तालिका है:

विवरण	रन ऑफ कारक
खुदरा जमाराशि	5% - 10%
लघु व्यवसाय ग्राहक	5% - 10%
परिचालन जमाराशि	5% - 25%
गैर-वित्तीय निगम, संप्रभु, केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और पीएसई	40%
अन्य विधिक संस्थाएं	100%

डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभाव्य संपार्श्विक कॉल: व्युत्पन्न व्यवसाय में बैंक का बहुत कम एक्सपोजर है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा का असंतुलन: आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या उससे अधिक होती हैं। हमारे मामले में, केवल अमेरिकी डॉलर ही महत्वपूर्ण मुद्रा है।

चलनिधि प्रबंधन के संकेंद्रीकरण के स्तर का वर्णन तथा समूह की इकाइयों में पारस्परिक क्रिया : उद्यम स्तर पर बैंक का चलनिधि प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड की एक अलग उप-समिति (आर. कॉम) इस पर निगाह रखती है। एएलसीओ द्वारा नियमित अंतराल पर चलनिधि प्रबंधन की आवधिक निगरानी की जाती है। बैंक की संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया, बैंक की ग्लोबल एएलएम नीति से शासित होती है। घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। बैंक की विदेशी शाखाएं और ऑफशोर इकाई प्रधान कार्यालय के समर्थन से स्वतंत्र रूप से अपनी चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं। इसी तरह, बैंक की सहायक कंपनियां स्वतंत्र रूप से आर. कॉम के मार्गदर्शन में अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं, जो सहायक कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ, सहायक कंपनियों में महत्वपूर्ण जोखिमों के जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करती हैं। इसके अलावा, बैंक अन्य मुद्राओं में चलनिधि आवश्यकताओं की निगरानी के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं का रखरखाव करता है।

औसत एलसीआर, मार्च 31, 2026 तक के आंकड़ों हेतु, पिछले 4 तिमाहियों (अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 के औसत) के दैनिक प्रेक्षणों के औसत के आधार पर 116.33% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 118.62% था तथा वर्तमान निर्धारित न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता 100% से काफी अधिक रहा। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए औसत एचक्यूएलए ₹1,95,347.11 रहा, जिसमें 100.19% भाग लेवल-1 आस्तियों का था, जबकि लेवल 2ए एवं लेवल 2बी आस्तियां क्रमशः 0.53% एवं 0.12% थीं। वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत औसत एचक्यूएलए स्तर में ₹18,258.88 की वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण एमएसएफ एवं एफएलएलसीआर के अंतर्गत प्रतिभूतियों में वृद्धि तथा अतिरिक्त एलसीआर था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान भारत औसत शुद्ध नकद बहिर्वाह की स्थिति में ₹18,644.39 की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण असुरक्षित थोक वित्तपोषण शीर्ष के अंतर्गत नकद बहिर्वाह में वृद्धि रहा।

बैंक एचक्यूएलए का रख-रखाव अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा मुख्य रूप से एसएलआर निवेश के रूप में कर रहा है। खुदरा जमाएं कुल वित्तपोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा हैं, जिनमें विविधता है। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास अपनी संभावित भविष्य की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

(iii) निवल स्थिर निधीयन अनुपात

₹ करोड़ में		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारहीन मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1वर्ष	
एसएफ मद						
1	पूंजी: (2+3)	85,031.66	0.00	0.00	31,490.00	1,16,521.66
2	विनियामक पूंजी	85,031.66	0.00	0.00	8,800.00	93,831.66
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा: (5+6)	2,54,090.36	1,21,082.35	89,019.49	1,03,837.21	5,23,393.05
5	स्थिर जमा	1,49,962.63	34,981.64	26,290.24	32,097.24	2,31,165.16
6	कम स्थिर जमा	1,04,127.73	86,100.71	62,729.25	71,739.97	2,92,227.89
7	थोक निधीयन: (8+9)	34,527.26	82,155.93	1,37,592.97	8,006.10	1,31,141.13
8	परिचालन जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन	34,527.26	82,155.93	1,37,592.97	8,006.10	1,31,141.13
10	अन्य देयताएं: (11+12)	13,149.30	1,02,310.40	0.00	1,05,716.31	40,744.07
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां एनएसएफआर व्युत्पन्न परिसंपत्तियों की निवल राशि		0.00	0.00	0.00	0.00
12	अन्य सभी देयताएँ और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	13,149.30	1,02,310.40	0.00	1,05,716.31	40,744.07
13	कुल एसएफ (1+4+7+10)					8,11,799.91
आरएसएफ मद						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					9,862.88
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा राशियां	2,011.02	0.00	0.00	0.00	1,005.51
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	0.00	3,14,032.02	1,84,930.33	1,40,937.58	3,40,048.92
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

₹ करोड़ में		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारहीन मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण	0.00	23,934.46	18,005.27	0.00	12,592.80
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	0.00	2,90,097.56	1,66,925.06	60,261.97	2,67,681.59
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	2,90,097.56	1,66,925.06	60,261.97	2,67,681.59
21	आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	43,998.71	28,599.16
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	43,998.71	28,599.16
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0.00	0.00	0.00	36,676.90	31,175.37
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	4,348.10	23,124.24	8,548.46	2,79,992.17	2,89,338.82
25	सोना सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां एनएसएफआर व्युत्पन्न परिसंपत्तियों की निवल राशि		19,145.06	8,548.46	2,122.17	29,815.69
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		4.06	0.00	0.00	4.06
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	4,348.10	3,975.12	0.00	2,77,870.00	2,59,519.07
30	ऑफ-बैलेंस शीट मदें		34,970.15	24,887.60	1,14,888.29	7,649.51
31	कुल एसएफए					6,47,905.64
32	एनएसएफआर %					125.30%

'नो मेच्योरिटी' टाइम बकेट में रिपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स की कोई निश्चित परिपक्वता नहीं होती है।

इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूंजी, गैर-परिपक्वता जमा, शॉर्ट पोজীशन, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एचक्यूएलए इक्विटी, और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। घरेलू, विदेशी केंद्रों और सहायक कंपनियों को कवर करने वाले समेकित आधार पर एनएसएफआर की गणना की जाती है।

एनएसएफआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) का उद्देश्य बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की, विपरीत परिस्थितियों से फिर से उभरने की क्षमता को बढ़ावा देना और लंबे समय तक फिर से उभरने की क्षमता वाले बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। एनएसएफआर दिशा-निर्देश भविष्य में वित्तपोषण के तनाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को अपनी गतिविधियों को वित्तपोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोतों से वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा दीर्घ अवधि में वित्तपोषण जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{स्थिर निधियन की उपलब्ध राशि (एसएफ)}}{\text{स्थिर निधियन की अपेक्षित राशि (आरएसएफ)}} \geq 100\%$$

आरबीआई ने मई 2018 में कम से कम 100% के बराबर की न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधियन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियम जारी किए। इसका कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफआर की गणना बैंक स्टैंडअलोन और समेकित स्तर पर की जाती है।

उपलब्ध स्थिर निधियन (एसएफ) को पूंजी और देयताओं के विश्वसनीय होने की उम्मीद के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 100 भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाली देनदारियों के साथ देनदारियों की प्रकृति और परिपक्वता के अनुसार विभिन्न कारक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अपेक्षित स्थिर निधियन (आरएसएफ) को बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे सतत आधार पर वित्त पोषित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यक स्थिर निधि की राशि चलनिधि विशेषताओं और धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का एक कार्य है।

बैंक के एनएसएफआर के बारे में संक्षिप्त

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) के मुख्य चालक पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार, और गैर-वित्तीय कंपनियों से वित्त पोषण और संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्त पोषण हैं। संबंधित भार को लागू करने के बाद, पूंजी आधार लगभग 14%, खुदरा जमा (छोटे आकार के व्यावसायिक ग्राहकों से जमा सहित) का गठन 64% और थोक वित्त पोषण कुल उपलब्ध स्थिर फंडिंग का 16% बनाता है।

स्थिर निधियन में मुख्य रूप से कॉरपोरेट, खुदरा ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों को उधार देना शामिल था, जो प्रासंगिक भार लागू करने के बाद कल आरएसएफ का 52% था। उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों का स्टॉक जिसमें प्रमुख रूप से आरबीआई के साथ नकद और आरक्षित शेष शामिल हैं, सरकारी ऋण जारी करने से उनकी उच्च गुणवत्ता और तरल विशेषता के कारण स्थिर वित्त पोषण की मात्रा कम या कम नहीं हुई। तदनुसार, प्रासंगिक भारों को लागू करने के बाद एचक्यूएलए, आवश्यक स्थिर निधियन का केवल 2% है। अन्य परिसंपत्तियां और आकस्मिक फंडिंग दायित्व, जैसे कि प्रतिवद्ध क्रेडिट सुविधाएं, गारंटी और साख पत्र, आवश्यक स्थिर फंडिंग का 46% है।

बैंक का एनएसएफआर 31 मार्च 2026 को समेकित आधार पर 125.30% पर है और आरबीआई द्वारा निर्धारित 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है। 31 मार्च 2026 तक, भारत बिक्री के लिए उपलब्ध (एएसएफ) स्थिति ₹8,11,799.91 करोड़ और भारत आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) स्थिति ₹6,47,905.64 करोड़ थी।

3. निवेश

(i) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

निवेश यथा 31.03.2026

विवरण	31 मार्च 2026					
	एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		सहायक सहयोगी और जेवी
	मूल्य पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	
I. भारत में निवेश						
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (पुनर्पूँजीकरण बांड सहित)	1,71,048.03	1,67,029.56	20,468.96	17,146.04	0.00	0.00
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) शेयर	0.00	0.00	0.00	293.74	1,510.86	0.00
(iv) प्रतिभूतियाँ और बांड	3,108.28	3,110.29	8,713.65	2,563.81	1,239.96	0.00
(v) सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.48
(vi) अन्य	23,490.39	23,935.00	396.01	123.11	961.33	
कुल	1,97,646.70	1,94,074.84	29,578.62	20,126.70	3,712.16	1,292.48
घटाएं: हास / एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	1,97,646.70	1,94,074.84	29,578.62	20,126.70	3,712.16	1,292.48
II. भारत के बाहर निवेश						
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	4,872.19	5,112.51	6,201.73	814.26	248.51	0.00
(ii) सहायक कंपनी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.05
(iii) अन्य निवेश	170.83	171.12	1392.30	0.00	268.12	0.00
कुल	5,043.02	5,283.63	7,594.03	814.26	516.63	2,346.05
घटाएं: हास / एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	(-)31.16	8.39	64.11	0.00
निवल	5,043.02	5,283.63	7,625.18	805.88	452.52	2,346.05
कुल निवेश (I+II)	2,02,689.72	1,99,358.47	37,203.80	20,932.58	4,164.67	3,638.53

निवेश यथा 31.03.2025

विवरण	31 मार्च 2025						
	एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		सहायक सहयोगी और जेवी	
	मूल्य पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	मूल्य पर	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (पुनर्पूँजीकरण बांड सहित)	1,56,996.21	1,58,311.19	26,176.43	16,155.79	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) शेयर	0.00	0.00	0.00	246.98	1,321.30	0.00	0.00
(iv) प्रतिभूतियाँ और बांड	3,216.45	3,251.32	8,663.26	2,041.96	1,248.91	0.00	0.00
(v) सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.38	1,619.38
(vi) अन्य	23,369.81	23,617.28	2,000.62	926.99	1,033.14	0.00	0.00
कुल	1,83,582.47	1,85,179.79	36,840.31	19,371.72	3,603.35	1,619.38	1,619.38
घटाएँ: हास / एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	1,83,582.47	1,85,179.79	36,840.31	19,371.72	3,603.35	1,619.38	1,619.38
II. भारत के बाहर निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	3,502.83	3,658.71	5,521.33	712.97	438.86	0.00	0.00
(ii) सहायक कंपनी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.05	2,346.05
(iii) अन्य निवेश	153.32	153.67	1,164.44	0.00	266.54	0.00	0.00
कुल	3,656.15	3,812.38	6,685.77	712.97	705.40	2,346.05	2,346.05
घटाएँ: हास / एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	(-)47.82	3.97	55.61	0.00	0.00
निवल	3,656.15	3,812.38	6,733.59	708.99	649.78	2,346.05	2,346.05
कुल निवेश (I+II)	1,87,238.62	1,88,992.17	43,573.90	20,080.71	4,253.14	3,965.43	3,965.43

(ii) निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम तुलनपत्र पर उचित मूल्य पर मापित

	2025-26						2024-25					
	एएफएस			एफवीटीपीएल			एएफएस			एफवीटीपीएल		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
I. भारत में निवेश												
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	20,488.95	0.00	0.00	20,488.96	14,512.16	2,633.88	0.00	17,146.04	26,176.43	16,155.79	0.00	16,155.79
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	308.62	0.00	1,495.98	1,804.61	0.00	285.14	0.00	1,283.14
(iv) प्रतिभूतियाँ और बांड	8,655.87	57.78	0.00	8,713.65	3,652.57	151.21	0.00	3,803.77	8,406.14	2,936.50	354.37	3,290.87
(v) सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) अन्य	0.00	396.01	0.00	396.01	386.72	123.11	574.61	1,084.44	2,000.62	1,445.84	0.00	514.29
कुल	29,124.83	453.79	0.00	29,578.62	18,860.07	2,908.19	2,070.59	23,838.86	36,583.19	20,823.27	354.37	22,975.07
घटाएँ: हास / एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	29,124.83	453.79	0.00	29,578.62	18,860.07	2,908.19	2,070.59	23,838.86	36,583.19	20,823.27	354.37	22,975.07
II. भारत के बाहर निवेश												
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	6,201.73	0.00	0.00	6,201.73	1,062.77	0.00	0.00	1,062.77	5,521.33	1,151.83	0.00	1,151.83
(ii) सहायक कंपनी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) अन्य निवेश	1,392.30	0.00	0.00	1,392.30	201.19	0.00	66.93	268.12	1,164.44	207.50	0.00	59.03
कुल	7,594.03	0.00	0.00	7,594.03	1,263.96	0.00	66.93	1,330.89	6,685.77	1,359.33	0.00	59.03
घटाएँ: हास / एनपीआई के लिए प्रावधान	(-)31.16	0.00	0.00	(-)31.16	5.57	0.00	66.93	72.50	(-)47.82	0.55	0.00	59.59
निवल	7,625.18	0.00	0.00	7,625.18	1,258.39	0.00	0.00	1,258.39	6,733.59	1,358.78	0.00	1,358.78
कुल निवेश (I+II)	36,750.01	453.79	0.00	37,203.80	20,118.47	2,908.19	2,070.59	25,097.25	43,316.78	22,182.05	354.37	24,333.85

- राशि ₹24,080.92 (पिछले वर्ष ₹54,267.64) की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आखीआई, सीसीआईएल, क्लियरिंग हाउस और एक्सचेंजों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक के संयुक्त उद्यम स्टार यूनिन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मौजूदा शेयरधारकों को राइट बेसिस आधार ₹291 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹10 अंकित मूल्य के 1,82,72,424 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर जारी किए हैं। हालांकि, बैंक ने कोई अतिरिक्त शेयर नहीं खरीदा, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की हिस्सेदारी 28.96% से घटकर 27.48% हो गई। तदनुसार, उक्त संयुक्त उद्यम के रिजर्व में बैंक की हिस्सेदारी ₹22.10 घटी है।
- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, बैंक को अपने एक मौजूदा सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् आर्यावर्त बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में लंबित शेयर एलिकेशन राशि पर ₹152.04 की अनुपातिक इक्विटी शेयर पूंजी आबंटित की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड में ₹49.46 के अतिरिक्त निवेश के लिए शेयर भी आबंटित किए गए।

(iii) स्तर 3 वित्तीय लिखतों पर शुद्ध लाभ/(हानि) एफएस-आरक्षित और लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त

	2025-26	2024-25
एफएस-आरक्षित में मान्यता प्राप्त	0.00	0.00
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त	(-)406.64	207.31

नोट: प्रकटीकरण में स्तर 3 की संपत्ति शामिल है जहां संपत्ति का मूल्यांकन एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित संपत्ति की कीमत है। इसमें पीएंडएल में मान्यता प्राप्त स्तर 3 डेरिवेटिव पर शुद्ध लाभ/(हानि) शामिल है।

(iv) एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण:

		2025-26	2024-25
ए	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य	164,221.56	164,668.00
बी	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	34,457.36	17,013.01
सी	घटाएँ: विनियामक सीमा से छूट प्राप्त स्थितियों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	26,702.34	10,362.20
डी	बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी=बी-सी)	7,755.02	6,650.82
ई	एचटीएम में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियाँ (ई=डी/ए)	4.72%	4.04%
एफ	आरक्षित पूंजी में अंतरित की गई राशि एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में जो लाभ पर बेची गई	0.00	0.00

(v) निवेश की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के दौरान एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री का कुल मूल्य 1 अप्रैल, 2025 तक एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के प्रारंभिक वहन मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि 12 सितंबर, 2023 को जारी वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई मास्टर निदेश (निर्देश) 2023 के अनुपालन में है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मास्टर निर्देशों के अनुसार, बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी और उसके बाद आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग से अनुमोदन के बिना श्रेणियों के बीच निवेश को पुनर्वर्गीकृत नहीं करेंगे।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा)	7,755.02	बिक्री में % (<5%) =4.72%
यथा 01.04.2025 तक एचटीएम श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य	1,64,221.56	

(vi) गैर-आस्ति निवेशों और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि के लिए प्रावधानों का संचालन

विवरण	2025-26	2024-25
i) एनपीआई की ओर रखे गए प्रावधानों का संचालन		
ए) प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.02	0.00
सी) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ / राइट-बैक	0.02	0.00
डी) अंतिम शेष	0.00	0.00
ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि का संचालन		
ए) प्रारंभिक जमा	1,285.38	1,285.38
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	109.21	0.00
सी) घटाएँ: ड्राडाउन	0.00	0.00
डी) अंतिम शेष	1,394.59	1,285.38
iii) एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2.24%	2.03%

*वाणिज्यिक बैंक (निदेश) के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई मास्टर निदेश 2023 के अनुपालन में, यथा 31.03.2024 तक बही खातों में दर्ज किए गए मूल्यहास को निवेश पोर्टफोलियो के पुनर्वर्गीकरण के दौरान सामान्य रिजर्व में अंतरित कर दिया गया है।

(vii) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

ए) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(ए)	प्रारंभिक शेष	0.00	2,601.29
(बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.02	0.00
(सी)	घटाएँ: उक्त अवधि के दौरान	0.02	2,601.29*
(डी)	अंतिम शेष	0.00	0.00
(ई)	धारित कुल प्रावधान	0.00	0.00

* यह कटौती 12 सितंबर, 2023 के आरबीआई के नए मास्टर निदेशों के कारण है।

बी) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थानन की मात्रा	'निवेश ग्रेड' प्रतिभूतियों से कम की मात्रा*	'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की मात्रा*	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	2,283.01	1,631.55	0.00	351.65	43.07
		(3,412.73)	(2,897.99)	(0.00)	(410.80)	(0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाओं	6,757.56	6,693.92	0.00	0.00	650.53
		(6,257.87)	(6,257.87)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
iii.	बैंकों	2,104.15	962.42	0.00	0.00	0.00
		(3,569.73)	(2,650.29)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
iv.	निजी कॉर्पोरेट	799.03	415.48	0.00	0.00	130.50
		(548.21)	(398.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
v.	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम#	3,638.53	3,638.53	0.00	0.00	3,638.53
		(3,965.43)	(3,965.43)	(0.00)	(0.00)	(3,965.43)
vi.	अन्य *\$	44,149.12	31,615.98	0.00	24,433.16	24,320.82
		(41,837.20)	(31,661.21)	(0.00)	(25,818.49)	(1,635.34)
	कुल	59,731.40	44,957.88	0.00	24,784.81	28,783.45
		(59,591.17)	(47,830.89)	(0.00)	(26,229.29)	(5,600.77)
vii.	घटा: मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	(-)234.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		((-)192.20)	((-)203.96)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	निवल	59,966.28	44,957.88	0.00	24,784.81	28,783.45
		(59,783.37)	(48,034.85)	(0.00)	(26,229.29)	(5,600.77)

इक्विटी में निवेश, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वेचर कैपिटल, रेटेड एसेट्स बैक्ड प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत अलग नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हे रेटिंग/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

\$ अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों/आरआरबी में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया जाता है।

\$ ₹23,490.39 (पिछले वर्ष ₹23,369.81) का भारत सरकार गैर-एसएलआर पुनर्पूजीकरण बॉण्ड में निवेश शामिल है।

(viii) वर्ष के दौरान किए गए रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में):

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		बकाया यथा 31 मार्च, 2026	
	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी
(i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ:								
(ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	1.00	1.10	29,762.51	30,347.85	4,596.22	4,728.23	11,408.32	12,701.44
(बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ:								
(ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	10.00	10.05	1,865.00	1,909.32	242.86	249.55	0.00	0.00
(बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(ix) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य शर्तों में)

यथा 31 मार्च 2026 तक

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2026 तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां			शून्य		

यथा 31 मार्च 2025 तक

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2025 तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां			शून्य		

4. आस्ति गुणवत्ता**(ए) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण**

यथा 31 मार्च 2026 तक

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष	6,44,298.55	4,484.69	9,178.43	8,085.77	21,748.89	6,66,047.44
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन					5,552.76	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटीती					11,995.63	
अंतिम शेष	7,56,084.91	4,419.63	8,114.25	2,772.14	15,306.02	7,71,390.93
*निम्नलिखित के कारण सकल एनपीए में कटीती:						
i) अपग्रेडेशन					1,194.02	
ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से वसूली को छोड़कर)					5,067.44	
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					2,100.96	
iv) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना					3,633.21	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	4,474.28	1,229.08	7,075.55	8,085.77	16,390.40	
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					3,392.67	
घटाएँ: रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते डाले गए ऋण					8,727.04	
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	4,627.01	2,154.20	6,129.69	2,772.14	11,056.03	
निवल अनर्जक आस्तियां						
प्रारंभिक शेष		3,255.61	2,102.88	0.00	5,358.49	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन					2,160.09	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटीती					3,268.59	
अंतिम शेष		2,265.43	1,984.56	0.00	4,249.99	

नोट: एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में प्राप्त ईसीजीसी दावे (वित्त वर्ष 2025-26 ₹ (-) 732.12/वित्त वर्ष 2024-25 ₹1,041.70), आंशिक भुगतान प्राप्त और सस्पेंस खाते में रखा गया (वित्त वर्ष 2025-26 ₹ 73.79/वित्त वर्ष 2024-25 ₹ 141.66) और एनपीए खातों के संबंध में सुंदरी खाते में शेष (वित्त वर्ष 2025-26 ₹ 685.15/वित्त वर्ष 2024-25 ₹ 777.26) और पुनर्गठित एनपीए के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान (वित्त वर्ष 2025-26 ₹ शून्य/वित्त वर्ष 2024-25 ₹ शून्य)

अस्थायी प्रावधान यथा 31.03.2026 तक

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रारंभिक शेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरण						0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						0.00

तकनीकी आधार पर बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली यथा 31.03.2026 तक

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
तकनीकी/विवेकपूर्ण आधार पर बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष						48,645.14
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए*						7,539.03
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों में की गई वसूली						5,438.07
अंतिम शेष						50,746.10

*विनिमय अंतर सहित

यथा 31.03.2025 तक

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष	5,56,412.13	4,633.65	12,401.91	12,147.21	29,182.77	5,85,594.90
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन					7,588.56	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					15,022.44	
अंतिम शेष	6,44,298.55	4,484.69	9,178.43	8,085.77	21,748.89	6,66,047.44
*निम्नलिखित के कारण सकल एनपीए में कटौती:						
(i) अपग्रेडेशन					1302.94	
(ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से वसूली को छोड़कर)					5962.93	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					5074.05	
(vi) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना					2682.52	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	4,847.64	923.21	9,267.09	12,147.21	22,337.51	
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					4,593.00	
घटाएँ: रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते डाले गए ऋण					10,540.11	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	4,474.28	1,229.08	7,075.55	8,085.77	16,390.40	

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
निवल अनर्जक आस्तियां						
प्रारंभिक शेष		3,710.44	3,134.82	0.00	6,845.26	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन					2,995.56	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					4,482.33	
अंतिम शेष		3,255.61	2,102.88	0.00	5,358.49	

नोट. एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में प्राप्त ईसीजीसी दावे शामिल हैं (विव 2024-25 ₹ 1,041.70 /विव 2023-24 ₹1,149.02) आंशिक भुगतान प्राप्त और उचित खाते में रखा गया (विव 2024-25 ₹141.66 / विव FY 2023-24 ₹106.23), एनपीए खातों के संबंध में विविध खातों में शेष (विव 2024-25 ₹777.26 / विव 2023-24 ₹860.96)।

अस्थायी प्रावधान यथा 31.03.2025 तक

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रारंभिक शेष						0.00
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरण						0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						0.00

तकनीक बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली यथा 31.03.2025

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
तकनीकी/विवेकपूर्ण आधार पर बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष						43,571.09
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए*						8,853.38
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों में की गई वसूली						3,779.33
अंतिम शेष						48,645.14

अनुपात

विवरण	2025-26	2024-25
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए (% में)	1.98	3.27
निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए (% में)	0.56	0.82
प्रावधान कवरेज अनुपात (% में)	93.57	92.39

(बी) क्षेत्र-वार अग्रिम (विवेकपूर्ण/तकनीकी राइट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

क्र. सं.	क्षेत्र	2025-26			2024-25		
		बकाया सकल अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का %	बकाया सकल अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का %
ए	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,14,593.33	7,166.68	6.25	98,338.13	9,387.68	9.55
2	उद्योगों को अग्रिम जो प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पात्र हैं	34,083.69	1,691.32	4.96	27,707.09	2,410.53	8.70
3	सेवाएं	72,213.39	3,761.71	5.21	61,998.73	5,265.37	8.49
4	वैयक्तिक ऋण	36,843.44	587.96	1.60	22,752.52	781.75	3.44
	उप-जोड़ (ए)	2,57,733.85	13,207.67	5.12	2,10,796.47	17,845.33	8.47
बी	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	31.27	0.00	0.00	25.62	0.00	0.00
2	उद्योग	1,45,232.90	463.68	0.32	1,52,474.48	769.23	0.50
3	सेवाएं	2,40,214.89	896.76	0.36	1,89,576.67	2,008.63	1.06
4	वैयक्तिक ऋण	1,28,178.01	764.92	0.60	1,13,174.20	1,125.70	0.99
	उप-जोड़ (बी)	5,13,657.08	2,098.35	0.41	4,55,250.97	3,903.56	0.86
	कुल (एबी)	7,71,390.92	15,306.02	1.98	6,66,047.44	21,748.89	3.27

(सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व:

क्रमांक	विवरण	2025-26	2024-25
1	कुल आस्तियां	1,71,866.16	1,60,997.60
2	कुल एनपीए	6,485.67	6,712.90
3	कुल राजस्व	9,687.78	9,543.19

(iv) संकल्प योजना और पुनर्गठन का विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दबाव आस्तियों का संकल्प) निदेश, 2025 - डीओआर.एसटीआर.आरईसी.84/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के संदर्भ में, ₹ 1,500 और उससे अधिक के कुल बैंकिंग एक्सपोजर वाले सभी खातों में, 31 मार्च, 2026 को ₹ 1,190.56 का अतिरिक्त प्रावधान है। 5 उधारकर्ता खातों के संबंध में, जहां व्यवहार्य समाधान योजना समीक्षा अवधि के 180 दिन/365 दिन के भीतर लागू नहीं की गई है, विवरण निम्नानुसार है:

आरबीआई परिपत्र (एफबी + एनएफबी) से प्रभावित ऋणों की राशि	(एफबी+एनएफबी) में से यथा 31.03.2026 एनपीए ऋणों की राशि।	(बी) के अनुसार 31.03.2026 पर एफबी एनपीए ऋण की राशि	(ए) में से 31.03.2026 को मानक ऋणों की संख्या	यथा 31.03.2026 को कुल आयोजित प्रावधान	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान/वापसी	यथा 31.03.2026 को कुल आयोजित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
3,401.60	54.22	0.00	3,347.38	1,537.16	(-)346.60	1,190.56

(v) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन:

वित्तीय विवरण प्रस्तुति और प्रकटीकरण, परिसंपत्ति के वर्गीकरण में विचलन तथा प्रावधान पर आरबीआई के दिनांक 30 अगस्त, 2021 (यथा 13.12.2022 अद्यतन) के मास्टर निदेश संख्या. डीओआर. एसीसी. आरईसी. सं.45/21.04.018/2021-22 प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटन आस्तियों के वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन के अनुसार यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं वर्गीकरण और प्रावधान, बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना है:

(ए) संदर्भ अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में मूल्यांकित एनपीए हेतु अतिरिक्त प्रावधान, प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं से पूर्व लाभ के 5% से अधिक होने पर, उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाएं, और

(बी) आरबीआई द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि हेतु रिपोर्ट की गई वर्धित सकल एनपीए से 5% अधिक है।

उपरोक्त पहलू पर आरबीआई द्वारा कोई विचलन आकलित नहीं किया गया है, इस कारण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

(vi) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण:

आरबीआई डीओआर.एसटीआर.आरईसी.नंबर.78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के संदर्भ में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित/अधिग्रहीत किए गए ऋणों का विवरण - भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025:

ए. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान जो चूक या विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) में नहीं है। ऋणों अंतरित का विवरण (समनुदेशन, नवीयन और ऋण सहभागिता के माध्यम से): शून्य

विवरण	2025-26	2024-25
स्थानांतरित ऋणों की कुल राशि	शून्य	शून्य
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में)	शून्य	शून्य
भारित औसत होल्डिंग अवधि (महीनों में)	शून्य	शून्य
उत्पत्तिकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	शून्य	शून्य
स्पष्ट सुरक्षा कवर (समय में)	शून्य	शून्य

बी. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान चूक में अधिग्रहित नहीं किया गया है, ऋणों का विवरण (समनुदेशन, नवीयन और ऋण सहभागिता के माध्यम से):

प्रत्यक्ष समनुदेशन

विवरण	2025-26	2024-25
अधिग्रहीत ऋण की कुल राशि	4,278.04	3,261.76
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में)	141.65	119.45
भारित औसत होल्डिंग अवधि (महीनों में)	15.61	13.89
उत्पत्तिकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण (प्रतिशत में)	15.66	15.74
स्पष्ट सुरक्षा कवर (समय में)	2.56	1.98

सह-उधार

विवरण	2025-26	2024-25
अधिग्रहीत ऋण की कुल राशि (करोड़ में)	570.60	431.80
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में)	142.24	129.52
भारित औसत होल्डिंग अवधि (महीनों में)	2.55	1.67
उत्पत्तिकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण (प्रतिशत में)	20.83	20.64
पर मूर्त सुरक्षा (समय में)	1.98	2.47

रेटेड ऋणों के रेटिंग-वार वितरण का विवरण जो (ए) और (बी) के तहत बेचा/अधिग्रहित किया गया है:

रेटिंग	ऋण अधिग्रहण			ऋण हस्तरांति		
	असाइनमेंट	नवीनीकरण	ऋण भागीदारी	असाइनमेंट	नवीनीकरण	ऋण भागीदारी
बाध्यताओं के खातों की रेटिंग लागू नहीं है क्योंकि बाध्यताओं के पूल में अधिकतम जोखिम ₹ 25.00 से कम है।						

सी. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिग्रहीत दवावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए):

क्रम संख्या	विवरण	एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंकों, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) से	एआरसी से
ए.	प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन	शून्य	शून्य
बी.	कुल भुगतान की गई राशि	शून्य	शून्य
सी.	अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि (महीनों में)	शून्य	शून्य

डी. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) का विवरण:

क्र. सं.	विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	विदेशी
ए.	खातों की संख्या	6 (6)	1 (1)	0 (0)
बी.	अंतरित ऋणों का कुल मूलधन	693.86 (594.04)	39.37 (82.16)	0.00 (0.00)
सी.	अंतरित ऋणों की भारत औसत अवशिष्ट अवधि	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
डी.	अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ई.	कुल राशि	228.85 (222.35)	72.07 (53.20)	0.00 (0.00)
एफ़.	पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
जी.	दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा	227.18 (173.34)	39.37 (53.20)	0.00 (0.00)

31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही और वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निर्देश, 2025 पर आरबीआई/डीएचआर/2025-26/159 डीएचआर एसआरआर. सं. 78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार बैंक ने भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा रसीदों के संबंध में लाभ और हानि खाते में क्रमशः ₹47.18 और ₹100.71 की शुद्ध अप्राप्त राशि जमा की है।

ई) यथा 31 मार्च 2025 एवं 31 मार्च 2026 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को दी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का वितरण:

रिकवरी रेटिंग बैंड	वहन मूल्य 2025-26	वहन मूल्य 2024-25
आरआर1+	32.61	32.61
आरआर1	333.67	285.60
आरआर2	0.00	33.95
आरआर3	0.00	0.00
आरआर4	0.00	0.00
आरआर5	0.00	0.00
रेटिंग लागू नहीं	0.00	0.00
अनरेटेड	82.38	45.60
कुल	448.66	397.76

एफ़) एनपीए की बिक्री से लाभ

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	एनपीए की बिक्री से प्राप्त लाभ	300.92	226.54

(vii) सह-उधार व्यवस्था (सीएलए) पर प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार कुल आधार पर सह-उधार व्यवस्था (सीएलए) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	2025-26
1	सीएलए भागीदारों की संख्या	शून्य
2	सीएलए की मात्रा	शून्य
3	वेटेड औसत ब्याज दर (%)	शून्य
4	भुगतान की गई फीस	शून्य
5	व्यापक क्षेत्र जिनमें सीएलए बनाया गया था	शून्य
6	के तहत ऋणों का प्रदर्शन	शून्य
-	मानक	
-	एनपीए	
7	डिफॉल्ट हानि गारंटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हो-	शून्य

(viii) धोखाधड़ी खाते

विवरण	2025-26	2024-25
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	*100	152
धोखाधड़ी में शामिल राशि	1,826.51	1,449.21
वर्ष के दौरान ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि	**1,117.65	1,079.76
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि	शून्य	शून्य

*इसमें पहले के वर्षों से संबंधित 12 मामले शामिल हैं, जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया था और जिन्हें पुनः परीक्षण पर धोखाधड़ी के मामलों के रूप में पुनः रिपोर्ट किया गया था, जिसमें ₹1,094.09 राशि शामिल थी और 31 मार्च, 2026 तक बकाया शेष ₹442.75 थी।

**बैंक दिनांक 31 मार्च, 2026 तक ₹1,117.65 की बकाया राशि के संबंध में 100% प्रावधान रख रहा है।

(ix) परियोजना वित्त संबंधी प्रकटीकरण:

31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही हेतु

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की सं.	कुल बकाया
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत परियोजनाएं	248	8,145
2	तिमाही के दौरान संस्वीकृत कार्यान्वित खातों के अंतर्गत परियोजनाएं	3	301
3	कार्यान्वित खातों के तहत परियोजनाएं जहां तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त किया गया है	17	239
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन खातों के तहत परियोजनाएं। (1 + 2-3)	234	8,207
5	जैसा भी मामला हो, 4 में से - जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित संकल्प प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है	17	422
5.1	5 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना लागू की गई है।	17	422
5.2	5 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना कार्यान्वित की जा रही है।	0	0
5.3	5 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना विफल हो गई है।	0	0
6	जैसा भी मामला हो, 5 में से, जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित संकल्प प्रक्रिया शुरू की गई है।	0	0
7	जैसा भी मामला हो, 5 में से, जिसके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से जुड़ी लागत अतिप्रवाह, वित्त पोषित किया गया था	0	0
7.1	7 में से, ऐसे खाते जहां वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और लगातार नवीनीकृत किया गया था	0	0
7.2	7 में से, ऐसे खाते जहां एसबीसीएफ को पूर्व-स्वीकृत या लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया था	0	0
8	जैसा भी मामला हो, 4 में से - जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है, समाधान प्रक्रिया लागू की गई है।	0	0
8.1	8 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना को कार्यान्वित किया गया है।	0	0
8.2	8 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना कार्यान्वित की जा रही है।	0	0
8.3	8 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना विफल रही है।	0	0

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही हेतु

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की सं.	कुल बकाया
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत परियोजनाएं	234	8,207
2	तिमाही के दौरान संस्वीकृत कार्यान्वित खातों के अंतर्गत परियोजनाएं	37	612
3	कार्यान्वित खातों के तहत परियोजनाएं जहां तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त किया गया है	70	1,643
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन खातों के तहत परियोजनाएं। (1+2-3)	201	7,176
5	जैसा भी मामला हो, 4 में से - जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित संकल्प प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है	23	738
5.1	5 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना लागू की गई है।	23	738
5.2	5 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना कार्यान्वित की जा रही है।	0	0
5.3	5 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना विफल हो गई है।	0	0
6	जैसा भी मामला हो, 5 में से, जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित संकल्प प्रक्रिया शुरू की गई है।	0	0
7	जैसा भी मामला हो, 5 में से, जिसके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से जुड़ी लागत अतिप्रवाह, वित्त पोषित किया गया था	0	0
7.1	7 में से, ऐसे खाते जहां वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और लगातार नवीनीकृत किया गया था	0	0
7.2	7 में से, ऐसे खाते जहां एसबीसीएफ को पूर्व-स्वीकृत या लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया था	0	0
8	जैसा भी मामला हो, 4 खातों में से - जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है, समाधान प्रक्रिया लागू की गई है।	0	0
8.1	8 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना को कार्यान्वित किया गया है।	0	0
8.2	8 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना कार्यान्वित की जा रही है।	0	0
8.3	8 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना विफल रही है।	0	0

- (x) समाधान फ्रेमवर्क 2.0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबंधी दवाव का समाधान विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 तथा परिपत्र सं डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 21/21.04.048/2021-22 दिनांक 4 जून, 2021, के अनुरूप पुनः संचारित खातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(खातों की संख्या के अलावा ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	यथा 31.03.2026 तक राशि
20,100 (33,772)	783.64 (1,151.60)

आरबीआई परिपत्र सं डीओआर.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0), यथा दिनांक 30 सितंबर, 2025 के अनुसार समाधान योजना का विवरण:

कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए संकल्प ढांचे के तहत प्रकटीकरण

उधारकर्ता का प्रकार	ऋण लेने वाले का प्रकार समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए जोखिम-पिछले छमाही के अंत में स्थिति, यानी 31 मार्च, 2025 (ए)	कुल ऋण राशि जो 30 सितंबर, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए में चली गई थी	(ए) की राशि 30 सितंबर, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में लिखी गई थी (	(ए) की राशि 30 सितंबर, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई थी	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति, यानी 30 सितंबर, 2025
वैयक्तिक ऋण	3,435.20	113.47	0.08	433.57	3,145.00
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	1,212.68	69.89	0.13	877.90	987.72
जिनमें से, एमएसएमई	1,151.60	69.89	0.13	729.03	936.74
अन्य	20.30	0.02	0.00	11.98	20.98
कुल	4,667.91	183.38	0.21	1,323.45	4,153.70

31 मार्च, 2026 तक समाधान योजना का विवरण:

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति, यानी 30 सितंबर, 2025 (ए)	(ए) का, कुल ऋण जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया	(ए) 31 मार्च, 2026 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि की	(ए) 31 मार्च, 2026 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि की	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति, यानी 31 मार्च, 2026
वैयक्तिक ऋण	3,145.00	89.26	0.00	600.35	2,882.09
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	987.72	70.52	0.00	878.45	813.46
जिनमें से, एमएसएमई	936.74	44.22	0.00	776.80	783.64
अन्य	20.98	0.08	0.00	2.12	10.65
कुल	4,153.70	159.86	0.00	1,480.92	3,706.20

*जैसा कि दिवाला और शोधन संहिता 2016 की धारा 3(7) में यथा परिभाषित

मार्च 31, 2025

आरबीआई परिपत्र संख्या./21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 (संकल्प ढांचा 1.0) और डीएचआर. एस.टीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 (संकल्प ढांचा 2.0) के संदर्भ में, 30 सितंबर, 2024 तक समाधान योजना का विवरण:

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति, यानी 31 मार्च, 2024 (ए)	(ए) का, कुल ऋण जो 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया	(ए) 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति, यानी 30 सितंबर, 2024
वैयक्तिक ऋण	4,094.48	185	0.32	495.49	3,700.77
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	2,050.24	158.59	0.82	1,420.15	1,498.23
जिनमें से, एमएसएमई	1,790.69	158.59	0.82	924.47	1,398.96
अन्य	25.35	0.28	0.00	13.78	23.19
कुल	6,170.07	343.87	1.14	1,929.42	5,222.19

31 मार्च, 2025 तक समाधान योजना का विवरण:

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति, यानी 31 मार्च, 2024 (ए)	(ए) का, कुल ऋण जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया	(ए) 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति, यानी 31 मार्च, 2025
वैयक्तिक ऋण	3,700.77	159.80	0.23	818.83	3,435.20
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	1,498.23	103.85	0.27	2,277.01	1,212.68
जिनमें से, एमएसएमई	1,398.96	103.85	0.27	1,709.45	1,151.60
अन्य	23.19	3.38	0.00	30.21	20.03
कुल	5,222.19	267.03	0.50	3,126.05	4,667.91

*जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 3(7) में यथा परिभाषित

5. एक्सपोजर

बैंक ऐसे क्षेत्रों को ऋण दे रहा है, जो आस्तियों की कीमत के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है।

i. रियल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोजर, प्रबंधन द्वारा यथा संकलित

क्र. सं.	श्रेणी	31.03.2026	31.03.2025
1	प्रत्यक्ष एक्सपोजर	1,04,536.64	86,474.79
	(ए) आवासीय बंधक (गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं सहित)	95,792.32	80,723.50
	(i) आवासीय संपत्ति पर ऋण, बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता द्वारा काबिज है या काबिज किया जाएगा या किराये पर दिया है (नीचे दिये गए (ii) के अलावा)	61,509.41	58,443.81
	(ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण	34,282.91	22,279.69
	(बी) वाणिज्यिक रियल इस्टेट	8,744.32	5,491.70
	वाणिज्यिक रियल इस्टेट (कार्यालय इमारत, रिटेल जगह, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, मल्टी-फैमिली आवासीय इमारत, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेबर हाउस जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकसित एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारितसीमा भी शामिल होगी।	7,026.09	5,491.70
	(सी) गिरवी रखी गयी ड्यूटी (एमबीएस (और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश	0.00	259.59
	ए) आवासीय	0.00	10.53
	बी) व्यवसायिक रियल इस्टेट	0.00	249.06
2	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	28,999.91	22,509.01
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज़) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	28,991.91	22,509.01
रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर (1+2)		1,33,536.55	1,08,983.80

ii. पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

क्र. सं.	श्रेणी	31.03.2026	31.03.2025
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी-अभिमुख म्यूचुअल फंड में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी आधारभूत निधि केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है ;	834.41	885.66
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	4.34	1,167.11
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है ;	55.78	186.10
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात् जहां मूलभूत प्रतिभूति शेयरों / परिवर्तनीय बॉण्डों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	2,033.26	603.37
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर-जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियां ;	3,071.57	1,982.36
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए संस्वीकृत ऋण;	0.00	0.03
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	0.00	0.02
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	0.00	0.00
x)	उद्यम पूंजी निधियों हेतु सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	141.91	126.51
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर		6,141.27	4,951.17

iii. जोखिम श्रेणी-वार देश जोखिम :

आरबीआई की वर्तमान दिशा-निर्देश के अनुसार, बैंक का देश में एक्सपोजर को विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत कर निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है :

क्र. सं.	जोखिम श्रेणी	यथा दिनांक 31.03.2026		यथा दिनांक 31.03.2025	
		एक्सपोजर (निवल)	धारित प्रावधान	एक्सपोजर (निवल)	धारित प्रावधान
1	नगण्य	72,910.52	67.77	64,421.66	47.62
2	न्यून	42,820.72	10.65	26,003.28	9.48
3	साधारण	793.01	0.00	8,862.82	0.00
4	उच्च	5,158.43	0.00	1,093.00	0.00
5	बहुत उच्च	647.47	0.00	2,484.50	0.00
6	प्रतिबंधित	3.29	0.00	1.47	0.00
7	ऑफ़ क्रेडिट	0.00	0.00	211.01	0.00
	कुल	1,22,333.44	78.42	1,03,077.73	57.10

iv. गैर-जमानती अग्रिम

विवरण	2025-26	2024-25
बैंक के कुल गैर-जमानती अग्रिम	1,65,905.80	1,45,653.06
जिसमें से	0.00	0.00
i) अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि जो बैंक को संपार्श्विक के रूप में प्रभारित किए गए हैं के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि		
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (जैसा कि उपर्युक्त (i))	0.00	0.00

vi. इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर (यथा प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और लेखा परीक्षकों पर निर्भर है):

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
ए	इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	4,909.03	8,385.39
बी	शीर्ष 20 इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	4,909.03	8,385.39
सी	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का %	0.45%	0.88%
डी	इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन और उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो।	शून्य	शून्य

v. फैक्टरिंग एक्सपोजर

विवरण	2025-26	2024-25
टीआरईडीएस के तहत बकाया राशि	9,559.09	6,827.40

vii. अप्रतिबंधित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
ए	शेष राशि प्रावधान खाता खोलना	83.23	72.09
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा	0.00	11.14
सी	लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि	28.46	0.00
डी	प्रावधान खाते में शेष राशि	54.77	83.23

गैर-हेज किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीडी) के साथ संस्थाओं के एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधान आवश्यकताओं के संबंध में बैंक की नीति है जो आरबीआई परिपत्रों पर आधारित है।

एफजीएमओ/एलसीबी/शाखा लेखा परीक्षकों से प्राप्त ऑडिटेड प्रमाणपत्रों के आधार पर आरडब्ल्यूए और आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से संबंधित डेटा संकलित किया गया है। यथा 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, जहाँ भी नीति के अनुसार आवश्यक है, इस एक्सपोजर पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹299.22 है (पिछले वर्ष ₹ 459.19)। इसके विपरीत, अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यक ₹34.41 रही। (पिछले वर्ष ₹52.85)

viii. स्वर्ण और रजत संपार्श्विक पर ऋण

(ए) वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पात्र स्वर्ण और रजत संपार्श्विक पर दिए गए ऋणों का विवरण

विवरण	बकाया ऋण		औसत टिकट साइज (₹ करोड़)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋणों के % के रूप में			
1. वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक शेष राशि [(ए)+(बी)]	35,339.01	100%	0.02	72%	0.48%
(ए) उपभोग + ऋण	2,230.47	6%	0.03	61%	0.66%
जिनमें से एकबारगी चुकौती ऋण	496.43	1%	0.03	62%	0.68%
(बी) आय उत्पन्न करने वाले ऋण	33,108.54	94%	0.02	73%	0.47%
2. वित्तीय वर्ष के दौरान संस्वीकृत और संवितरित किए गए नए ऋण [(सी)+(डी)]	54,873.68	100%	0.03	71%	NA
(सी) उपभोग ऋण	7,447.82	14%	0.02	59%	NA
जिनमें से एकबारगी चुकौती ऋण	5,833.87	11%	0.02	61%	NA
(डी) आय उत्पन्न करने वाले ऋण	47,425.86	86%	0.03	73%	NA
3. वित्तीय वर्ष के दौरान संस्वीकृत और संवितरित नवीनीकरण	17,083.88	48%	0.03	65%	NA
4. वित्तीय वर्ष के दौरान संस्वीकृत और संवितरित टॉप-अप ऋण	0.00	0.00	0.00	NA	NA
5. वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण [(ई)+(एफ)]	36,761.61	100%	0.02	NA	NA
(ई) उपभोग ऋण	2,324.47	6%	0.02	NA	NA
जिनमें से एकबारगी चुकौती ऋण	669.71	2%	0.01	NA	NA
(एफ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण	34,437.14	94%	0.02	NA	NA
6. वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किए गए अनर्जक ऋण [(जी) + (एच)]	42.17	100%	0.01	NA	NA
(जी) उपभोग ऋण	2.92	7%	0.01	NA	NA
जिनमें से एकबारगी चुकौती ऋण	0.73	2%	0.01	NA	NA
(एच) आय उत्पन्न करने वाले ऋण	39.25	93%	0.01	NA	NA
7. वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण [(आई) + (जे)]	0.17	100%	0.003	NA	NA
(आई) उपभोग ऋण	0.00	0%	0.00	NA	NA
जिनमें से एकबारगी चुकौती ऋण	0.00	0%	0.00	NA	NA
(जे) आय उत्पन्न करने वाले ऋण	0.17	100%	0.003	NA	NA
8. वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष राशि [(के) + (एल)]	53,408.74	100%	0.03	69%	0.09%
(के) उपभोग ऋण	7,350.90	14%	0.02	58%	0.05%
जिनमें से एकबारगी चुकौती ऋण	5,659.86	11%	0.02	59%	0.02%
(एल) आय उत्पन्न करने वाले ऋण	46,057.84	86%	0.03	71%	0.10%

(बी) स्वर्ण और रजत संपाश्रिक और नीलामी का विवरण

क्र. सं.	विवरण	2025-26
(ए)	वित्तीय वर्ष के अंत में अदावाकृत स्वर्ण या रजत संपाश्रिक (ग्राम में)	8.60
(बी)	उन ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी की गई	1,356
(सी)	(बी) में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया	16.86
(डी)	ऋणों के चूक के कारण वि. व. के दौरान अर्जित स्वर्ण या रजत संपाश्रिक (ग्राम में)	68,341
(ई)	वि. व. के दौरान नीलामी की गई स्वर्ण या रजत की संपाश्रिक (ग्राम में)	35,875
(एफ)	वि. व. के दौरान नीलामी के माध्यम से की गई वसूली (₹ करोड़ में)	17.16
(जी)	वसूली प्रतिशत :	
(एच)	स्वर्ण या रजत के संपाश्रिक के मूल्य के % के रूप में	91%
(आई)	बकाया ऋण के % के रूप में	102%

* स्वर्ण संपाश्रिक का भार निवल भार है

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा एनपीए का संकेंद्रण**(ए) जमाराशियों का संकेंद्रण:**

विवरण	2025-26	2024-25
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	67,750.31	50,527.88
बैंक की कुल जमाराशियों में से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	7.31%	6.19%

7. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)**(i) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) पोर्टफोलियो का विवरण**

विवरण	2025-26			2024-25		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)						
एमटीएम - आस्तियां	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
एमटीएम - देयताएं	0.00	69.11	117.46	0.00	10.86	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया निवल लाभ / हानि	0.00	(-)2.25	(-)117.46	0.00	(-)10.86	0.00
विनिमय दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)						
एमटीएम - आस्तियां	11,390.57	0.00	5.14	557.33	0.00	0.00
एमटीएम - देयताएं	11,724.15	0.00	703.93	667.14	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया निवल लाभ / हानि	(-)333.58	0.00	(-)698.79	(-)109.81	0.00	0.00
क्रेडिट जोखिम व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)						
एमटीएम - आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमटीएम - देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया निवल लाभ / हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(बी) अग्रिमों का संकेंद्रण:

विवरण	2025-26	2024-25
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की कुल अग्रिम	1,30,150	1,09,733
बैंक की कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	15.76%	15.40%

(सी) एक्सपोजर का संकेंद्रण

विवरण	2025-26	2024-25
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,35,832	1,14,585
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	12.41%	11.79%

(डी) एनपीए संकेंद्रण::

विवरण	2025-26	2024-25
बीस शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर *	717.00	1,986.00
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत	4.68%	9.13%

* निवल विवेकपूर्ण बट्टे खाते (पीडब्ल्यूओ) में गए का निवल एवं अप्राप्त ब्याज (यूआरआई)

विवरण	2025-26			2024-25		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
अन्य व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) (निर्दिष्ट करें)						
एमटीएम - आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमटीएम - देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया निवल लाभ / हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(ii) वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वेप

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2026	यथा 31.03.2025
i)	स्वेप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	5,465.22	913.80
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	0.00	0.00
iii)	स्वेप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपाश्विक प्रतिभूति	0.00	0.00
iv)	स्वेप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वेप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।*	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वेप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।
v)	स्वेप बही का उचित मूल्य	(-)119.71	10.86

*नोट: स्वेप व्यवस्था के कुल कल्पित मूलधन (बिंदु 1) में से ₹ 838.80 अंतर-बैंक एक्सपोजर और सीसीआईएल के साथ शेष राशि से संबंधित है।

(iii) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2026	यथा 31.03.2025
(i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	0.00	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	0.00	0.00
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) की कल्पित मूल राशि और जो "उच्च प्रभावी" नहीं हो (लिखत-वार)	0.00	0.00
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो "बहुत प्रभावी" नहीं हो (लिखत-वार)	0.00	0.00

(iv) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन**a) गुणात्मक प्रकटन**

बैंक, तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव), मुद्रा स्वेप और मुद्रा ऑप्शन ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा प्रतिफल बढ़ाने के लिए

प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग है। जोखिम को पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं को निरंतर आधार पर, अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियों तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन, जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) परिचालन में ट्रेडिंग गतिविधियों के एक्सपोजर का आकार तथा जोखिमों के विषय में पर्याप्त जागरूकता है।

बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है जिसका सभापतित्व अध्यक्ष करते हैं।

हेज/गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स वायदा संविदाओं को बाजार पर चिह्नित किया गया है और परिणामतः लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से विनिमय आधार व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) के अलावा ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) और मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) को बाजार पर चिह्नित किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई, को लाभ: हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामतः लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार स्वेप की समाप्ति पर लाभ हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वेप की समाप्ति पर किसी भी लाभ हानि का स्थगन स्वेप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा निर्धारित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि, इनमें से जो भी कम हो, से संबद्ध किया जाता है।

ऑप्शन संविदा के परिपक्वता काल पर ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) दिशा-निर्देश हैं। डेरिवेटिव संव्यवहार समवर्ती, आंतरिक, सांविधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के शर्तों के अध्वधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक, प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कापेरिट्स इकाइयाँ हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संव्यवहारों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित

चालू ऋण जोखिम विधि अपनाई है। मौजूदा ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम को जोड़ है।

चालू ऋण एक्सपोज़र, इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कल्पित मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वेप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल कल्पित मूल राशि पर लगाया जाने वाला ऋण परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.25%	1.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	0.50%	5.00%
पांच वर्ष से अधिक	1.50%	7.50%

ऋण जोखिम की गणना करते समय “बिक्रीगत ऑप्शन” को वहाँ छोड़ दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती है।

इस पर संबंधित प्रतिपक्षकार की “मानक” श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान आवश्यकताएं भी लागू हैं। वर्तमान में जोखिम वाली आस्तियों पर 0.40% प्रावधान किया जाना है। खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)	ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)
1	व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) (कल्पित मूल राशि)		
	ए) हेजिंग हेतु	7277.04 (5,780.70)	0.00 (0.00)
	बी) कारोबार हेतु	452.58 (337.08)	4626.42 (75.00)
2	मार्क्स टू मार्केट स्थिति		
	ए) आस्ति (+)	0.23 (0.13)	0.00 (0.00)
	बी) देयता (-)	117.60 (10.80)	2.25 (0.22)
3	क्रेडिट जोखिम	97.07 (143.71)	89.48 (0.75)
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100*PV01)	0.26	1.77
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	0.26 (0.36)	0.00 (0.00)
	बी) ट्रेडिंग व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) पर	0.00 (0.00)	1.77 (0.26)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)		ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)	
		अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*PV01 की अधिकतम एवं न्यूनतम				
	ए) हेजिंग पर	0.30	0.26	0.00	0.00
		(0.36)	(0.32)	(0.00)	(0.00)
	बी) ट्रेडिंग पर	0.00	0.00	1.93	1.23
		(0.00)	(0.00)	(0.26)	(0.00)

(v) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप

बैंक ने वर्तमान वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष में भी कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप्स नहीं किया है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबद्ध प्रकटन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

9. ऑफ बैलेन्स शीट प्रायोजित एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड (डीईएफ) को अंतरण :

विवरण	2025-26	2024-25
डीईएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	3,754.04	2,949.20
जोड़ : वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित राशि	767.89	915.15
घटाएं : दावों के तहत डीईएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	233.15	110.31
डीईएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	4,298.78	3,754.04

नोट: डीईएफ निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुसूची -12 आकस्मिक देयताएं - अन्य मदों के तहत शामिल है।

11. शिकायतों का प्रकटन

(i) बैंक को कस्टमर्स और ओबीओ [बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिस] से मिली शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

क्रमांक	विवरण	2025-26	2024-25
बैंक को अपने ग्राहकों से मिली शिकायतें			
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1,372	1,030
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2,92,121	3,04,705
3	साल के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2,91,479	3,04,363
3.1	इनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	4,983	5,891
4	साल के आखिर में पेडिंग शिकायतों की संख्या	2,014	1,372
बैंक को ओबीओ से मिली सुनवाई लायक शिकायतें			
5	बैंक को ओबीओ से मिली शिकायतों की संख्या	5,284	4,505
5.1	5 में से, बीओ ने बैंक के पक्ष में शिकायतों का समाधान किया	1,799	1,484
5.2	5 में से, शिकायतों का समाधान सुलह / मीडिएशन / बीओ द्वारा जारी एड्वाइज़री से किया गया	3,463	3,021
5.3	बीओ द्वारा बैंक के खिलाफ अवार्ड पास करने के बाद सुलझाई गई शिकायतों की संख्या 5,000 थी।	3	0
6	तय समय में लागू नहीं हुए अवॉर्ड्स की संख्या (अपील किए गए अवॉर्ड्स को छोड़कर)	0	0

नोट: अनुरक्षणीय शिकायतें एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर की गई शिकायतें हैं और इस योजना के तहत कवर की जाती हैं।

(ii) बैंक को ग्राहकों से मिली शिकायतों के मुख्य पांच कारण

शिकायतों का आधार, (यानी इससे जुड़ी शिकायतें)	साल की शुरुआत में पेंडिंग शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले साल मिली शिकायतों की संख्या में % बढ़ोतरी/कमी	साल के आखिर में पेंडिंग शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से ज़्यादा समय से पेंडिंग शिकायतें
1	2	3	4	5	6
एटीएम/डेबिट कार्ड	468 (428)	83020 (118892)	(-)30.17 ((-)7.54)	153 (468)	0 (0)
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	628 (315)	112362 (93244)	20.50 (120.01)	921 (628)	1 (0)
खाता परिचालन से संबंधित	253 (36)	80500 (71892)	11.97 (164.05)	927 (253)	33 (7)
अग्रिम/ऋण संबंधी	4 (5)	10158 (7123)	42.61 (72.76)	8 (4)	1 (0)
प्रभार संबंधी लेवी	3 (3)	4640 (3948)	17.53 (25.69)	4 (3)	1 (0)
अन्य	16 (243)	1441 (9606)	(-)85.48 ((-)64.17)	1 (16)	0 (0)
कुल	1372 (1030)	292121 (304705)		2014 (1372)	36 (7)

12. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्मानों (पेनल्टीज) का प्रकटन

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्मानों का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 2025-26

विवरण	उल्लंघन की प्रकृति	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
		मामलों की संख्या	मात्रा	मामलों की संख्या	मात्रा	मामलों की संख्या	मात्रा
आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना	विनियामक/ परिचालन	144	0.83	-	0.00	144	0.83
विदेशी क्षेत्रों पर उनके संबंधित विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माना	विनियामक/ परिचालन	-	0.00	1	0.05	1	0.05

वित्तीय वर्ष 2024-25

विवरण	उल्लंघन की प्रकृति	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
		मामलों की संख्या	मात्रा	मामलों की संख्या	मात्रा	मामलों की संख्या	मात्रा
आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना	विनियामक/ परिचालन	163	0.20	0	0.00	163	0.20
विदेशी क्षेत्रों पर उनके संबंधित विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माना	विनियामक/ परिचालन	0	0.00	4	0.09	4	0.09

(ii) एसजीएल फॉर्म बाउंस होने पर जुर्माना लगाने का प्रकटीकरण

समाप्त वर्ष	एसजीएल फॉर्म बाउंस होने की तिथि	राशि	टिप्पणी
2025-26	-	0.00	-
2024-25	-	0.00	-

(iii) रिवर्स रेपो संव्यवहार में आरबीआई द्वारा लगाए गए जुमनि का प्रकटीकरण:

वर्ष समाप्त	राशि
2024-25	0.00
2023-24	0.00

डी. विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई द्वारा लगाए गए किसी अन्य जुमनि का विवरण:

विवरण	2025-26	2024-25
(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	0.00	1.00
(ii) भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007	0.00	0.004
(iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006	0.00	0.00

13. पारिश्रमिक प्रकटन:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	श्री रजनीश कर्नाटक	62,94,742	52,69,865
2	श्री पी.आर. राजगोपाल	68,16,348	59,42,538
3	श्री एम कार्तिकेयन (31.03.2025 को सेवानिवृत्त)	18,68,640	49,17,186
4	श्री सुब्रत कुमार	76,93,522	51,40,710
5	श्री राजीव मिश्रा	72,54,345	35,65,716
6	श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी (24.11.2025 से)	16,36,274	0.00

14. अन्य प्रकटीकरण

(i) कारोबार अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 (% में)	31.03.2025 (% में)
(i)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में व्याज आय	6.62	6.90
(ii)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में गैर-व्याज आय	0.87	0.88
(iii)	जमा लागत	4.80	4.90
(iv)	निवल व्याज मार्जिन	2.52	2.82
(v)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.50	1.60
(vi)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.93	0.90
(vii)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ में)	32.18	28.21
(viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ में)	0.21	0.18

(ii) बैंकएश्योरेंस बिज़नेस से प्राप्त फीस, पारिश्रमिक :

विवरण	2025-26	2024-25
जीवन बीमा व्यवसाय	200.29	223.43
गैर-जीवन बीमा व्यवसाय	34.03	30.68
स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	14.60	18.72
कुल	248.92	272.83

(iii) विपणन और वितरण से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक:

विवरण	2025-26	2024-25
म्यूचुअल फंड्स	10.98	8.42
कुल	10.98	8.42

(iv) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) का प्रकटीकरण (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है):

वर्ष के दौरान खरीदा गया	वर्ष के दौरान बेचा गया
0.00 (7,000.00)	11,980.00 (7,000.00)

बैंक ने लघु एवं सीमांत कृषकों के पोर्टफोलियो के लिए ₹11,980 मूल्य के 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र' बेचकर ₹253.31 की आय अर्जित की है, और कृषि पोर्टफोलियो के तहत कोई पीएसएलसी नहीं खरीदा है। निवल आय ₹ 253.31 है।

(v) प्रावधान और आकस्मिकताएं:

लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित होने वाले "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नानुसार है।:

विवरण	2025-26	2024-25
अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	(-)282.09
एनपीए के लिए प्रावधान	3,392.67	4,592.72
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	3,418.51	3,215.43
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	99.61	(-)387.06
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं		
• पुनर्चित खातों में हानि का प्रावधान	0.00	(-)155.27
• देश के जोखिम के लिए प्रावधान	21.33	10.35
• अन्य प्रावधान	(-)410.55	199.01
कुल	6,521.58	7,193.09

(vi) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एस):

आरबीआई ने दिनांक 22 मार्च, 2019 के अपने परिपत्र डीबीआर बोपी भीसी. सं. 29/21.07.001/2018-19 के माध्यम से इंड एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है, क्योंकि आरबीआई द्वारा अनुशंसित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में विधायी संशोधन हैं जो की भारत सरकार के विचाराधीन है। हालांकि, सभी बैंकों को आरबीआई को हर छमाही में प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण (पीएफएस) जमा करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, बैंक में इंड-एस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, बैंक सितंबर-2021 से आरबीआई प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण (पीएफएम) तैयार कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है। पीएफएस को सूचना और रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड एवं बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में, आरबीआई ने परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआई/2026-27/398 दिनांक 27.04.2026 के माध्यम से ईसीएल फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और आय निर्धारण) निर्देश, 2026 के रूप में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश 01.04.2027 से प्रभावी होंगे। बैंक ने इसके लिए पहले ही परामर्शदाता नियुक्त कर दिया है और ईसीएल फ्रेमवर्क को लागू करने की प्रक्रिया में है।

(vii) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान:

लागू जमा बीमा प्रीमियम, बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर डीआईसीजीसी को प्रदत्त कर दिया गया।

(viii) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105 डीओआर एसीसी आरईसी 57/21.04.018/2021-22 ने बैंकों को पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने को अनुमति दी है। प्रत्येक वर्ष की जाने वाली कल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग। बैंक ने पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹612.09 की अतिरिक्त देयता को मान्यता दी है और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि में उक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है।

तदनुसार बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में उक्त अतिरिक्त देयता हेतु ₹41.21 (पिछले वर्ष ₹142.42) को व्यय के रूप में मान्यता दी है और इस तिथि तक पारिवारिक पेंशन देयता की अपरिशोधित राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

(ix) “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों का पुनर्चना” पर दिनांक 1 जनवरी, 2019 को जारी आरबीआई परिपत्र संख्या DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 के अनुसार:

पुर्रचित खातों की संख्या	राशि
7,225 (13,039)	268.92 (367.83)

(x) बैंक द्वारा अनुबंधितों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज़) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अनुबंधितों की ओर से कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड लि. के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी की है।

यथा 31.03.2026 तक, उपर्युक्त वायदों से कोई वित्तीय दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

(xi) हरित जमाराशियों से जुटाई गई निधियों के उपयोग के बारे में पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष	संचयी*
जुटाई गई कुल हरित जमा (ए)	930.08	33.54	963.62
हरित जमा निधियों का उपयोग**			
1) नवीकरणीय ऊर्जा	930.08	33.54	963.62
सौर ऊर्जा	0.00	33.54	33.54
पवन ऊर्जा	885.61	0.00	885.61
हाइड्रिड (सौर + पवन)	44.47	0.00	44.47
2) ऊर्जा दक्षता	0.00	0.00	0.00
3) स्वच्छ परिवहन	0.00	0.00	0.00
4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	0.00	0.00	0.00
5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	0.00	0.00
6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण	0.00	0.00	0.00
7) हरित भवन	0.00	0.00	0.00
8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	0.00	0.00	0.00
9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण	0.00	0.00	0.00
कुल हरित जमा निधि आबंटित (बी = 1 से 9 तक का योग)	930.08	33.54	963.62
हरित जमा निधियों की राशि आबंटित नहीं की गई (सी = ए - बी)	0.00	0.00	0.00
पात्र हरित गतिविधियों /परियोजनाओं को आबंटित किए जाने तक हरित जमा राशि के अस्थायी आबंटन का विवरण	0.00	0.00	0.00

* इसमें बैंक द्वारा हरित जमा की पेशकश शुरू करने के बाद की संवयी राशि शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि बैंक ने 1 जून, 2023 से हरित जमाराशि जुटाना शुरू कर दिया है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आबंटित जमाराशियों का विवरण शामिल होगा।

** प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, बैंक ने प्रलोक उप-क्षेत्र को आबंटित धनराशि के आधार पर उप-श्रेणियां प्रदान की है।

(xii) आयकर :

- (ए) आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है जिसके अंतर्गत ₹2,057.06 (विगत वर्ष ₹2,048.01) की विवादित आय कर/ व्याज कर देवताएं सम्मिलित हैं जिनके लिए ऐसे विवादों पर विगत आकलनों के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। कथित विवादित देयताओं के विरुद्ध भुगतान/समायोजनों की अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
- (बी) वर्ष के लिए लागू कर-विधियों के प्रावधानों और कतिपय विवादित मामलों में प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों पर यथोचित विचार किये जाने के बाद कर के प्रावधान का परिकलन किया गया है।
- (सी) बैंक ने निर्धारण वर्ष 2023-24 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के तहत, पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में अंतरित होने के अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया था।
- (डी) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने वैश्विक न्यूनतम कर (पिलर टू मॉडल नियम) के लिए मॉडल नियम प्रकाशित किए हैं। पिलर टू कानून के प्रावधानों के अनुसार, समूह की सर्वोच्च मूल इकाई (यूपीई) (बैंक, उसकी शाखाएं, सहायक कंपनियां और/या अन्य घटक संस्थाएं) के समेकित राजस्व ओईसीडी फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है।

पिलर टू कानून भारत सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है, जहाँ मूल कंपनी निगमित है। पिलर टू कानून अधिकांश अधिकार-क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है, अथवा सारतः लागू किया जा चुका है, जहाँ यह ग्रुप (बैंक, उसकी शाखाएँ, अनुषंगियाँ और/या घटक संस्थाएँ) परिचालित है। प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर, बैंक को रिपोर्टिंग की तिथि तक अपने वित्तीय विवरणों पर पिलर टू कानून के लागू होने से कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की उम्मीद नहीं है। एक्सपोजर का मूल्यांकन समूह की घटक संस्थाओं के सबसे नवीनतम टैक्स फाइलिंग, देश-दर-देश रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की विस्तृत समीक्षा पर आधारित है। न्यूनतर कॉरपोरेट कर दर वाले क्षेत्राधिकार यानी संयुक्त अरब अमीरात में, बैंक ने स्थानीय पिलर टू कानून के तहत घरेलू न्यूनतम टॉप-अप करों के प्रति वर्तमान कर व्यवस्था को अलग से निर्धारित कर दी है और प्रकट किया है।

बैंक ने एस-22 (संशोधित) द्वारा अनिवार्य पिलर दो आयकर से संबंधित आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं के बारे में जानकारी को निर्धारित करने और प्रकट करने के संबंध में अपवाद लागू किया है। यह अपवाद तत्काल और पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है।

(xiii) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए निवेशकों की शिकायतों की संख्या का विवरण:

i)	वर्ष के आरंभ में लंबित	00
ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त	32
iii)	वर्ष के दौरान निपटाए गए	32
iv)	वर्ष के अंत में लंबित	00

(xiv) राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का सम्मेलन हुआ है और 1 मई, 2025 से दो आरआरबी के संबंध में प्रायोजक बैंक को बदला गया है। इन आरआरबी में बैंक के निवेश को 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

(ए) उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले का विवरण, जहां हस्तांतरित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित नहीं है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का नाम	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के सम्मेलन के बाद नया नाम	हस्तांतरित आरआरबी का प्रायोजक बैंक
1	महाराष्ट्र	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
		महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र		
2	उत्तर प्रदेश	आर्यावर्त बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ बड़ौदा
		बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ बड़ौदा		

(बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्मेलन का विवरण, जहां हस्तांतरित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का नाम	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के सम्मेलन के बाद नया नाम	हस्तांतरित आरआरबी का प्रायोजक बैंक
1	मध्य प्रदेश	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया
		मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया		

तदनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने विलय किए गए आरआरबी का प्रायोजक बैंक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी में ₹329.45 की अतिरिक्त राशि प्राप्त की है। इस वर्ष के दौरान, बैंक को विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के मामले में ₹450.46 और आर्यावर्त बैंक के मामले में ₹205.90 की पूंजी मोचन प्राप्त हुई है, जो आरआरबी में उसके निवेश का अंकित मूल्य है।

इसके अलावा, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त बैंक के मामले में, बैंक ने दिनांक 01.05.2025 की स्थिति के अनुसार निवेश के वहन मूल्य और पूंजी मोचन से प्राप्त राशि के बीच के अंतर के प्रतिवर्तन के लिए अपने समेकित लाभ और हानि खाते में क्रमशः ₹330.38 (क्रेडिट) और ₹849.18 (डेबिट) की राशि दर्ज की है; इसे समेकित वित्तीय परिणामों में असाधारण मद के तहत दिखाया गया है।

मध्यांचल ग्रामीण बैंक के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में विलय के कारण जहां बैंक, विलय किए गए आरआरबी का प्रायोजक बैंक है, दिनांक 01.05.2025 की स्थिति के अनुसार सहयोगी संस्था में बैंक के निवेश की वहन राशि को, लेखांकन मानक 23—'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन' के अनुसार, समेकित वित्तीय परिणामों के प्रारंभिक 'आरक्षित निधि और अधिशेष' में ₹171.87 से समायोजित किया गया है।

- (xv) आरबीआई द्वारा संदर्भित एनसीएलटी खातों (सूची 1 और 2) के संबंध में, दिनांक 31 मार्च, 2026 को बैंक के पास ₹2,905.38 (पिछले वर्ष ₹3,033.86) के कुल बकाया मूल्य का 100% प्रावधान है।
- (xvi) बैंक की अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त अधिशेष राशि ₹1,580.24 "पुनर्मूल्यांकन रिजर्व" में जोड़ा गया है।
- (xvii) बैंक ने 26 दिसंबर, 2025 को 7.23% की कूपन दर पर ₹10,000 के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड जुटाए हैं।
- (xviii) भारत सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी चार नए श्रमिक संहिताओं को अधिसूचित किया है, जिसमें इससे संबंधित 29 कानून शामिल हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए व्यापक आकलन के आधार पर, बैंक वित्तीय प्रभाव वाले प्रमुख प्रावधानों का अनुपालन करना जारी रखे हुए है। उक्त श्रमिक संहिताओं से संबंधित नियम अभी अधिसूचित किए जाने बाकी हैं, और इनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रभाव का ध्यान ऐसी अधिसूचना जारी होने पर रखा जाएगा।
- (xix) अन्य आय में कमीशन और ब्रोकरेज आय, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि, निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि (निवल) (निष्पादित निवेशों पर मूल्यहास सहित), विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न संव्यवहार से आय, पहले से बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली, लाभांश आय आदि शामिल है।
- (xx) निदेशक मंडल ने अपेक्षित अनुमोदन के अधीन 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹4.65 प्रति इक्विटी शेयर (46.50%) का लाभांश देने की अनुशंसा की है।
- (xxi) सहायक बही खातों का संतुलन, विदेशी शाखाओं के साथ शेष राशि की पुष्टि/समाधान, अंतर-कार्यालय खाते, नोस्ट्रो खाते, सस्पेंस, ड्राफ्ट देय, समाशोधन अंतर, अन्य कार्यालय खाते आदि का काम निरंतर आधार पर चल रहा है। प्रबंधन की राय में, उपरोक्त के लंबित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र असमायोजित प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।
- (xxii) कुल आय के 1% से अधिक अन्य आय/व्यय
- अन्य आय: अन्य आय में बैंक की कुल आय के 1% से अधिक की निम्न आय शामिल है।

विवरण	2025-26	2024-25
बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	2,673.94	2,365.46

लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन:

6.1 लेखांकन मानक 5 अवधि के लिए निवल लाभ हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन::

(i) पूर्व अवधि मदें:

वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय व्यय मद नहीं थे।

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन:

निम्न के अतिरिक्त, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

6.2 लेखांकन मानक 9 – राजस्व निर्धारण

लेखांकन पति की अनुसूची 17 के पैरा 3 प्रमुख लेखांकन नीतियों के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर गिना जाता है। तथापि उक्त आय को गिरको नहीं माना जाता है।

6.3 लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ:

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-2026		वित्तीय वर्ष 2024-2025	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
(i)	प्रयुक्त महत्वपूर्ण वीमांकिक अनुमानः:				
	छूट की दर	7.87%	7.16%	6.99%	6.71%
	योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.74%	7.41%	6.94%	7.52%
	वेतन वृद्धि दर	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	एट्रिशन रेट करंट	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	परिनिश्चित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शने वाली तालिका:				
	वर्ष की शुरुआत में देयता	2475.11	21,915.55	2,289.02	20,430.10
	ब्याज लागत	167.35	1,393.67	157.30	1,386.02
	वर्तमान सेवा लागत	137.85	1,164.75	126.39	1,128.23
	विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	41.21
	भुगतान किया गया लाभ	161.70	2,290.88	220.72	2,413.01
	बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	61.31	441.87	123.12	1,343.00
	वर्ष के अंत में देयता	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
	पिछली सेवा लागत जिनकी गणना नहीं की गई	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल परिभाषित लाभ दायित्व	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
(iii)	योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका :				
	वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	190.15	1,566.94	154.72	1,485.37
	योगदान	214.11	1,806.30	232.88	2,072.14
	भुगतान किया गया लाभ	161.70	2,290.88	220.72	2,413.01
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
	कुल वीमांकिक लाभ (हानि) जिसकी गणना की गई	(-)61.94	(-)857.14	(-)82.85	(-)1,021.55
(iv)	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:				
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	190.15	1,566.94	154.72	1,485.37
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ /(हानि)	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	189.52	1,151.67	194.99	1,806.82
(v)	तुलन पत्र में शामिल राशि				
	वर्ष के अंत में देयता	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
	पिछली सेवा लागत जिसे शामिल नहीं किया गया है	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलन पत्र शीट में शामिल राशि	7.50	569.23	44.62	526.92
(vi)	आय-विवरणी शामिल व्यय :				
	वर्तमान सेवा लागत	137.85	1,164.75	126.39	1,128.23
	ब्याज लागत	167.35	1,393.67	157.30	1,386.02
	योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	(-)190.15	(-)1,566.94	(-)154.72	(-)1,485.37
	पूर्व वर्षों से संबंधित व्यय जिसे शामिल किया गया है	0.00	0.00	0.00	0.00
	विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	41.21
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	61.94	857.14	82.85	1,021.55
	तुलन पत्र में शामिल राशि	176.99	1,848.62	211.82	2,091.64
(vii)	तुलन पत्र समाधान :				
	आरंभिक निवल देयता (गत वर्ष तुलना पत्र में शामिल निवल राशि)	44.62	526.92	65.68	507.42
	यथोक्त व्यय	176.99	1,848.62	211.82	2,091.64
	नियोक्ता का अंशदान	(-)214.11	(-)1,806.30	(-)232.88	(-)2,072.14
	अतिरिक्त विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलन पत्र में शामिल राशि	7.50	569.23	44.62	526.92

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-2026		वित्तीय वर्ष 2024-2025	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
(viii)	आस्तियों की श्रेणी :				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	5.10	2,442.70	10.21	2,569.54
	इक्विटी	0.00	1,136.52	0.00	1,071.34
	कॉरपोरेट बॉण्ड	0.00	5,914.39	35.04	5,911.16
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.00	4,446.44	0.00	3,986.63
	बीमा	2,468.15	7,655.92	2203.68	6,931.40
	अन्य	199.17	459.76	181.56	918.56
	कुल	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
(ix)	अनुभव समायोजन :				
	योजना दायित्व (लाभ)/हानि	321.93	1,174.08	41.01	(-)545.48
	योजनागत संपत्ति (हानि)/लाभ	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ *:

विवरण	31.03.2026		31.03.2025	
	देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(डब्ल्यू/बैक)	देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(डब्ल्यू/बैक)
अवकाश नकदीकरण	1,357.79	78.36	1,279.43	73.07
छुट्टी यात्रा रियायत	63.34	0.17	63.17	0.34
पुनर्वास लाभ	9.43	0.36	9.07	0.47
माइलस्टोन पुरस्कार	4.92	0.04	4.88	0.24
बीमारी छुट्टी **	5.01	0.73	4.28	1.20
चिकित्सा लाभ (पूर्णकालिक निदेशक)	7.05	7.05	0.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए एक्जूरियल अनुमान मैच्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही हैं।

बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, के लिए ₹565.64 (विगत वर्ष ₹544.39) का अंशदान दिया है।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नीट (एएस-15) (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए ₹1857.57 (विगत वर्ष ₹2,064.09) और ग्रेच्युटी के ₹29.58 (विगत वर्ष ₹27.61) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

योजना में अधिशेष/घाटा:

विशिष्ट	ग्रेच्युटी योजना				
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
परिभाषित लाभ देयता	2,679.92	2,475.11	2,289.02	2,070.55	1,898.52
योजनागत आस्तियाँ	2,672.42	2,430.49	2,223.34	2,055.47	1,887.32
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आधिशेष/ (घाटा)	(-)7.50	(-)44.62	(-)65.68	(-)15.09	(-)11.20
योजनागत देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	321.93	41.01	124.29	240.77	152.27
योजनागत आस्तियों (हानि)/लाभ पर अनुभव समायोजन	(-)0.63	40.27	11.51	(-)5.88	(-)42.37

विशिष्ट	पेंशन योजना				
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
परिभाषित लाभ देयता	22,624.96	21,915.55	20,471.32	19,180.02	18,379.20
योजनागत आस्तियां	22,055.73	21,388.63	19,922.68	18,459.42	17,604.64
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	0.00	0.00	41.22	183.62	489.67
आधिशेष/ (घाटा)	(-)569.23	(-)526.92	(-)507.42	(-)536.99	(-)284.88
योजनागत देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	1,174.08	(-)545.48	410.04	843.92	1,092.69
योजनागत आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	(-)415.27	321.46	(-)31.29	(-)45.52	(-)694.35

6.4 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग ए: कारोबार खंड

कारोबार खंड	कोषागार परिचालन (1)		थोक बैंकिंग परिचालन (2)		रिटेल बैंकिंग परिचालन (3)		डिजिटल बैंकिंग (3) (i)		अन्य रिटेल बैंकिंग (3)(ii)		(*)अन्य बैंकिंग परिचालन (4)		कुल (4+3+2+1)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व	23,267.62	22,741.41	29,011.27	26,838.20	32,910.75	31,053.26	0.62	0.63	32,910.13	31,052.63	0.00	0.00	85,189.64	80,632.86
गैर-आबंटित राजस्व													645.09	263.70
घटा: अंतर-खंड राजस्व													799.19	1,076.64
कुल राजस्व													85,035.54	79,819.92
परिणाम	6,826.92	6,082.48	2,810.23	1,894.43	7,281.57	7,220.81	(-)0.58	(-)0.46	7,282.15	7,221.26	0.00	0.00	16,918.72	15,197.71
गैर-आबंटित व्यय													(-)2973.06	(-)2,763.27
कर पूर्व लाभ/ (हानि)													13,945.66	12,434.44
आयकर													3,418.51	3,215.42
असाधारण लाभ/ (नुकसान)														
कुल लाभ (हानि)													10,527.15	9,219.02
अन्य जानकारी :														
खंड आस्तियां	3,66,468.14	3,51,187.63	4,27,115.58	3,80,856.80	3,40,935.46	2,82,218.80	11.10	6.65	3,40,924.36	2,82,212.13	0.00	0.00	11,34,519.18	10,14,263.2
गैर-आबंटित आस्तियां													28,913.61	28,318.75
कुल आस्तियां													11,63,432.79	10,42,581.95
खंड देयताएं	3,45,070.81	3,31,339.32	4,06,786.94	3,65,429.45	3,16,131.27	2,59,782.50	11.10	7.10	3,16,120.17	2,59,775.38	0.00	0.00	10,67,989.02	9,56,551.25
गैर-आबंटित देयताएं													7,453.55	7,429.25
कुल देयताएं													10,75,442.57	9,63,980.50
नियोजित पूंजी	21,397.33	19,848.30	20,328.64	15,427.35	24,804.19	22,436.30	0.00	(-)0.46	24,804.19	22,436.76			66,530.16	57,711.95
नियोजित गैर-आबंटित पूंजी													21,460.06	20,889.50
कुल नियोजित पूंजी													87,990.22	78,601.45

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण "अन्य बैंकिंग परिचालन" नहीं है।

भाग बी: भौगोलिक खंड

भौगोलिक खंड	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
विवरण	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व	75,347.76	70,276.73	9,687.78	9,543.19	85,035.54	79,819.92
आस्ति	9,91,566.63	8,81,584.35	1,71,866.16	1,60,997.60	11,63,432.79	10,42,581.95

बैंक ने लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप धमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड: कारोबारी खंड

ए) **कोषागार:** कोषागार खंड में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल है जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों की डीलिंग, डिस्केटिव कांटेक्ट सहित मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

बी) **थोक बैंकिंग :** थोक बैंकिंग में वह सभी उधार गतिविधियां सम्मिलित है जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

सी) **खुदरा बैंकिंग :** खुदरा बैंकिंग खंड में डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग शामिल हैं

डिजिटल बैंकिंग में डीबीयूज द्वारा अधिग्रहित डिजिटल बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं।

अन्य रिटेल बैंकिंग में सभी आवास ऋण खाते और ₹7.50 करोड़ तक एक्स्पोजर वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं।

अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत समूह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की पूर्ति जमा राशियों और उधार राशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन

ए) विशिष्ट खंड से सीधे तौर पर संबंधित आस्तियों एवं देयताओं को, संबंधित खंड को आबंटित किया जाता है।

बी) आस्तियां एवं देयताएं जो किसी विशिष्ट खंड से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होते, उन्हें उपार्जक आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया जाता है।

लागतों का आबंटन:

ए) किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षतः संबंधित व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

बी) जो व्यय किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षतः संबंधित न हो उन्हें कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खंड: भौगोलिक खंड

ए) घरेलू परिचालन

बी) अंतरराष्ट्रीय परिचालन

6.5 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्ष से संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया):

1) संबंधित पक्षकारों की सूची:

ए. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ:

श्री रजनीश कर्नाटक

कार्यपालक निदेशक:

श्री पी.आर. राजगोपाल

श्री सुब्रत कुमार

श्री राजीव मिश्रा

श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी (24.11.2025 से)

बी. अनुषंगियां:

i. बीओआई सर्विसेज लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड)

ii. बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड)

- iii. बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लि. (भूतपूर्व बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)
- iv. बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि.
- v. पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
- vi. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि.
- vii. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
- viii. बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.

सी. सहायक कंपनियां:

- i. एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड
- ii. एसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड
- iii. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड

डी. बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

- i. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
- ii. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (दिनांक 01 मई 2025 से स्वामित्व हस्तांतरित किया गया)
- iii. आर्यावर्त बैंक (दिनांक 01 मई 2025 से स्वामित्व हस्तांतरित किया गया)

ई. संयुक्त उद्यम:

- i. स्टार यूनियन दार्ज-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रयित)

विवरण	अनुषंगियाँ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों एवं उनके रिश्तेदार		कुल	
	31.03.2026 समाप्त वर्ष	31.03.2025 समाप्त वर्ष	31.03.2026 समाप्त वर्ष	31.03.2025 समाप्त वर्ष	31.03.2026 समाप्त वर्ष	31.03.2025 समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान संव्यवहार						
प्राप्त ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त ब्याज	487.00	423.22	0.00	0.00	487.00	423.22
प्राप्त लाभांश	16.87	19.25	0.00	0.00	16.87	19.25
अन्य आय	208.84	229.56	0.00	0.00	208.84	229.56
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिल की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कॉर्पोरेट बॉण्ड और अन्य मौद्रिक बाजार लिखत की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्त की गई जमाराशियां	8.73	14.07	0.00	0.00	8.73	14.07
परिपक्व जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदान किया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चुकाया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एनपीए की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
किए गए निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत जारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण	सहायक कंपनियों/सहयोगियों/ संयुक्त उद्यमों के साथ		प्रमुख प्रबंधन कर्मों और उनके रिश्तेदार		कुल	
	31.03.2026 समाप्त वर्ष	31.03.2025 समाप्त वर्ष	31.03.2026 समाप्त वर्ष	31.03.2025 समाप्त वर्ष	31.03.2026 समाप्त वर्ष	31.03.2025 समाप्त वर्ष
बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत जमाराशियां	141.41	132.69	0.00	0.00	141.41	132.69
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिए गए ऋण	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
जमाराशियों का नियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्य राशियां (अग्रिम)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश	180.51	180.51	0.00	0.00	180.51	180.51
गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्त पट्टे पर / एचपी व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त पट्टे पर / एचपी व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आस्तियां	5.16	5.49	0.00	0.00	5.16	5.49

पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों के साथ संव्यवहार और चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हैं उनके साथ संव्यवहारों का प्रकटन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार नहीं किया गया है जिसमें 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबद्ध पार्टियों, जो स्वयं 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के साथ उरके संव्यवहारों से संबंधित कोई भी प्रकटन करने से छूट प्राप्त है, के साथ किए गए अपने संव्यवहारों का प्रकटन करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मियों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल है, का प्रकटन नहीं किया गया है ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

6.6 लेखांकन मानक 19 – पट्टा: - परिचालनगत पट्टे बैंक के विकल्प पर रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालनगत पट्टों हेतु लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किए गए पट्टा व्ययों की राशि ₹819.35 (पिछले वर्ष ₹748.44) है।

6.7 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन ₹ में :

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1.	बेसिक ईपीएस	23.12	20.25
2.	डायल्यूटेड ईपीएस	23.12	20.25

मूलभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन :

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(ए)	वर्ष के लिए इक्विटी शेयाधारकों को प्राप्य निवल लाभ / (हानि)	10,527.15	9,219.02
(बी)	इक्विटी शेयर की भारत औसत संख्या (रु करोड़ में)	455.27	455.27
(सी)	मूलभूत प्रति शेयर आय (ए/बी) (रु.)	23.12	20.25
(डी)	इक्विटी शेयरों की डायल्यूटिव क्षमता सहित इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (करोड़ में)	455.27	455.27
(ई)	प्रतिशकयर डायल्यूटिव आय (ए/डी) (रु.)	23.12	20.25
(एफ)	प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (रु.)	10.00	10.00

6.8 लेखांकन मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन

6.8.1 आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
	आस्थगित कर आस्तियां		
i)	संदेहास्पद कर्ज तथा अमिर्मों के संबंध में प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	1,039.81	2,044.96
ii)	अन्य प्रावधान/मदों के निमित्त समय अन्तर के कारण	104.63	200.61
iii)	विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व के कारण	565.61	244.46
iv)	विदेशी कार्यालयों के कारण	105.58	118.06
v)	दिनांक 12 सितंबर, 2023 के आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार जेडसीबी के उचित मूल्यांकन के कारण डीटीए	355.95	355.95

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
vi)	निवेश के मूल्यांकन पर डीटीए - एएफएस पोर्टफोलियो	78.71	--
vii)	अन्य	233.00	218.08
	कुल आस्थगित कर आस्तियों	2,483.29	3,182.12
	आस्थगित कर देयताएं		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के कारण	157.69	179.79
ii)	प्रोद्गत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	1,054.12	957.68
iii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के कारण कटौती *	659.40	659.40
iv)	विदेशी कार्यालयों के कारण	13.45	--
v)	अन्य	58.65	81.67
	कुल आस्थगित कर देयताएं	1,943.31	1,878.54
	निवल आस्थगित कर आस्तियों/(देयताएं)	539.98	1,303.58

* ₹431.67 पुरानी आरक्षितियों में से और लाभ में से शेष

6.8.2 वर्ष के दौरान आय कर हेतु किए गए प्रावधानों की राशि

विवरण	2025-26	2024-25
मौजूदा कर	2,515.93*	1,343.51
आस्थगित कर	902.58**	1,871.92
कुल कर व्यय	3,418.51	3,215.43

* इसमें पिलर टू कानून के तहत ₹2.47 करोड़ के घरेलू न्यूनतम टॉप-अप कर शामिल हैं। ₹95.02 करोड़ के पूर्ववर्ती वर्षों के कर प्रावधान के प्रतिवर्तन होने के बाद वर्तमान कर की गणना की गई है।

** आस्थगित कर में घरेलू और विदेशी शाखाओं का कर शामिल है।

6.9 लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, हम पुष्टि करते हैं कि कोई भी परिचालन बंद नहीं किया जा रहा है।

6.10 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेशों में ₹98.17 (पिछले वर्ष ₹98.17) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में बैंक-हित को दर्शाता है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनिनन दार्ज-इची जीवन बीमा कंपनी लि.	98.17	भारत	27.48%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	516.41	507.62
जमाराशियां		
उधार	34.24	34.35
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	10,097.12	8,018.40
कुल	10,647.87	8,560.37
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	202.25	180.85
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	0.00	0.00
निवेश	10,028.00	8,210.49
अग्रिम	36.58	24.86
अचल आस्तियां	34.10	25.61
अन्य आस्तियां	346.94	118.56
कुल	10,647.87	8,560.37
गत प्रतिबद्धताएं	0.00	0.00

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
अन्य आकस्मिक देयताएं	61.12	36.61
आय		
अर्जित ब्याज	26.94	24.07
अन्य आय	89.90	70.87
कुल	116.84	94.94
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	2.66	2.66
परिचालन व्यय	105.44	68.55
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	(-)0.15	1.17
कुल	107.95	72.38
लाभ / (हानि)	8.89	22.56

6.11 लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियां

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों की संख्या)	प्रयुक्त परिशोधन दरें	परिशोधन पद्धति
सॉफ्टवेयर	5	20.00%	सीधी रेखा पद्धति

दिनांक 31/03/2025 को सकल ब्लॉक	दिनांक 31/03/2026 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्धन			दिनांक 31/03/2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कटौती			दिनांक 31/03/2026 को सकल ब्लॉक अंतिम शेष राशि
	खरीद	शाखाओं से अंतरण	एमओसी के कारण	बिक्री/ राइट ऑफ	शाखाओं को अंतरण	एमओसी के कारण	
858.32	92.85	0.00	0.00	13.57	0.00	0.00	937.60

दिनांक 31/03/2025 तक संचित मूल्यहास	दिनांक 31/03/2026 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्धन			दिनांक 31/03/2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कटौती			दिनांक 31/03/2026 को सकल ब्लॉक अंतिम शेष राशि
	लाभ-हानि खाते से	शाखाओं से अंतरण	एमओसी के कारण	बिक्री/ राइट ऑफ	शाखाओं को अंतरण	एमओसी के कारण	
439.90	133.11	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	569.13

दिनांक 31/03/2024 को सकल ब्लॉक	दिनांक 31/03/2025 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्धन			दिनांक 31/03/2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कटौती			दिनांक 31/03/2025 को सकल ब्लॉक अंतिम शेष राशि
	खरीद	शाखाओं से अंतरण	एमओसी के कारण	बिक्री/ राइट ऑफ	शाखाओं को अंतरण	एमओसी के कारण	
642.56	218.45	0.00	0.00	2.69	0.00	0.00	858.32

दिनांक 31/03/2024 तक संचित मूल्यहास	दिनांक 31/03/2026 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्धन			दिनांक 31/03/2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कटौती			दिनांक 31/03/2025 को सकल ब्लॉक अंतिम शेष राशि
	लाभ-हानि खाते से	शाखाओं से अंतरण	एमओसी के कारण	बिक्री/ राइट ऑफ	शाखाओं को अंतरण	एमओसी के कारण	
344.88	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.90

6.12 आस्तियों की क्षति (लेखांकन मानक 28):

बैंक की अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है और 31 मार्च 2026 के एएस 28 के अनुसार अचल आस्तियों की क्षति 'शून्य' है।

6.13 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" (लेखांकन मानक 29)

ए. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

विवरण	कानूनी मामले/आकस्मिकताएँ*	
	2025-26	2024-25
प्रारंभिक शेष	103.10	88.60
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	4.21	27.23
वर्ष के दौरान वापस ली गई/उपयोग की गई राशियाँ	11.80	12.73
अंतिम शेष	95.51	103.10
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

*अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

बी. आकस्मिक देयताएं:

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय मध्यस्थता / न्यायालय के बाहर का समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, संबंधित पक्षों द्वारा की गई मांग एवं विस्तार, जैसा भी मामला हो, पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

15. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनर्वर्गीकृत/पुनः श्रेणीबद्ध किया।

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated, figures in brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

1. Capital (As per BASEL-III):**(i) Composition of Regulatory Capital:**

S. No.	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	74,794.23	66,193.86
ii)	Additional Tier 1 capital	1,500.00	2,801.65
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	76,294.23	68,995.52
iv)	Tier 2 capital	13,189.33	10,244.05
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	89,483.56	79,239.57
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	4,96,849	4,45,961
vii)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)	15.05%	14.84%
viii)	Tier I Capital ratio (%)	15.36%	15.47%
ix)	Tier II Capital ratio (%)	2.65%	2.30%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	18.01%	17.77%
xi)	Leverage Ratio	6.13%	6.23%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	73.38%	73.38%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	0.00	0.00
xiv)	Share application money pending for allotment	0.00	0.00
xv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which:		
	a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	0.00	0.00
	b) Basel III compliant Perpetual Additional Tier-I Debt Instruments	0.00	0.00
xvi)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which	2500.00*	2,500.00
	a) Perpetual Cumulative Preference Shares	0.00	0.00
	b) Basel III Compliant Redeemable Debt Instruments	2500.00*	2,500.00

*The Bank has raised Tier 2 Bonds of ₹ 2,500 during December 2025 (Coupon rate: 7.28%).

2. Asset Liability Management**(i) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March, 2026**

Details	Day 1	2to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 Days to 2 months	Over 2 months and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	TOTAL (1 TO 10)
Deposits\$	25,694.48	28,355.29	22,190.01	35,188.61	59,354.40	32,246.88	54,736.91	1,14,341.78	1,03,491.57	1,08,559.61	3,43,111.34	9,27,270.88
	(24,983.57)	(24,616.51)	(15,285.96)	(23,463.27)	(43,965.05)	(41,244.76)	(54,887.10)	(74,539.81)	(94,948.92)	(80,013.49)	(3,38,593.04)	(8,16,541.49)
Advances#	23,203.46	7,261.96	9,146.67	14,063.33	18,143.31	24,281.88	35,141.37	60,079.58	3,38,937.68	73,348.99	1,56,726.65	7,60,334.88
	(23,547.69)	(8,153.88)	(8,057.40)	(15,865.04)	(16,934.50)	(18,119.14)	(31,203.10)	(38,077.72)	(2,78,383.39)	(65,633.77)	(1,45,681.41)	(6,49,657.04)
Investments	0.00	1,536.05	37.18	199.56	1,260.24	1,761.82	5,356.74	5,276.87	4,0097.94	51,688.23	1,61,414.67	2,68,629.30
	(114.97)	(1,464.95)	(0.00)	(1,163.89)	(3,985.42)	(2,240.38)	(7,699.14)	(2,952.27)	(28,149.22)	(39,776.52)	(1,71,565.05)	(2,59,111.80)
Borrowings	961.25	7,578.01	254.62	6,268.14	2,902.94	2,052.55	12,841.49	18,672.47	36,522.88	7,813.45	22,723.75	1,18,591.54
	(2,474.17)	(30,289.73)	(232.25)	(653.21)	(676.38)	(2,923.76)	(12,114.38)	(33,552.74)	(19,429.84)	(8,802.30)	(12,707.67)	(1,23,856.43)
Foreign Currency Assets##	4,035.90	5,934.96	3,728.71	19,421.42	13,793.75	21,773.39	29,532.59	24,991.47	48,111.86	20,983.32	10,192.55	2,02,499.91
	(3,586.40)	(9,386.78)	(1,151.29)	(16,185.28)	(18,629.89)	(20,261.29)	(21,525.73)	(9,284.04)	(32,943.63)	(23,532.40)	(10,287.59)	(1,66,774.32)
Foreign Currency Liabilities\$\$	2,248.01	15,851.51	7,622.31	11,611.45	17,667.49	9,728.72	28,014.75	26,117.77	27,086.94	12,821.13	124.23	1,58,894.31
	(4,625.14)	(11,622.27)	(2,811.39)	(10,709.84)	(13,898.84)	(12,954.58)	(24,019.04)	(37,173.87)	(20,905.02)	(15,027.87)	(140.49)	(1,53,888.34)

(a1) Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:

As on 31.03.2026

Raised during the Financial year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2022-23	Additional Tier 1	1,500.00	1,500.00
	Total	1,500.00	1,500.00

Bank has exercised Call Option and redeemed AT1 Bond Series VI amounting to ₹ 750 on Jan 28, 2026.

Bank has exercised Call Option and redeemed AT1 Bond Series VII amounting to ₹ 602 on Mar 30, 2026.

(a2) Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

As on 31.03.2026

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2020-21	Tier-II	1,800.00	1,800.00
2023-24	Tier-II	2,000.00	2,000.00
2024-25	Tier II	2,500.00	2,500.00
2025-26	Tier II	2,500.00	2,500.00
	Total	8,800.00	8,800.00

Bank has redeemed Tier II Bonds Series XII amounting to ₹ 3,000 on Dec 31, 2025.

Bank has raised Basel III Compliant Tier II Bonds Series XVII amounting to ₹ 2,500 on Sep 26, 2024.

Bank has raised Basel III Compliant Tier II Bonds Series XVIII amounting to ₹ 2,500 on Dec 12, 2025 at coupon rate of 7.28%.

(ii) **Draw down from Reserves:** During the year ended March 31, 2026, there has been no drawdown from reserves to the Profit and Loss Account

\$ including deposits in Foreign Currency

including advances in Foreign Currency

Foreign Currency on Balance Sheet Assets represent Advances and Investments

\$\$ Foreign Currency on Balance Sheet Liabilities represent Borrowings and Deposits

Note: The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2026 is based on the following:

- RBI Guidelines on ALM
- Behavioural studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality

(ii) Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management

Quantitative Disclosure:

Sr. No.	AMOUNT IN RS CRS	FY 2025-26*		FY 2024-25*	
		Total Unweighted Value (average) @	Total Weighted Value(average) @	Total Unweighted Value (average) @	Total Weighted Value(average) @
HIGH QUALITY LIQUID ASSETS					
1	Total High Quality Assets(HQLA)		1,95,347.11		1,77,088.23
CASH OUTFLOW					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	5,42,801.95	42,193.33	5,08,561.04	39,505.95
(i)	Stable deposits	2,41,737.32	12,086.87	2,27,003.04	11,350.15
(ii)	Less stable deposits	3,01,064.62	30,106.46	2,81,558.00	28,155.80
3	Unsecured wholesale funding of which:	2,13,342.98	1,31,421.04	1,80,279.42	1,07,686.92
(i)	Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	1,36,536.56	54,614.63	1,20,987.50	48,395.00
(iii)	unsecured debts	76,806.41	76,806.41	59,291.92	59,291.92
4	Secured wholesale funding		1,391.57		1,243.16
5	Additional requirements, of which	1,20,127.10	24,687.04	1,07,379.97	27,983.99
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	8,361.10	8,361.10	10,194.61	10,194.61
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
(iii)	Credit and liquidity facilities	1,11,766.00	16,325.94	97,185.36	17,789.38
6	Other contractual funding obligations	19,345.27	19,345.27	20,147.32	20,147.32
7	Other contingent funding obligations	46,855.33	1,405.72	40,641.41	1,219.24
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		2,20,443.96		1,97,786.59
CASH INFLOW					
9	Secured lending(e.g. reverse repos)	3,408.32	2,335.46	4,011.36	2,657.96
10	Inflows from fully performing exposurs	39,596.79	32,483.91	33,369.69	25,766.48
11	Other cash inflows	19,390.78	17,694.41	22,707.41	20,076.36
12	TOTAL CASH INFLOWS	62,395.89	52,513.78	60,088.47	48,500.80
13	TOTAL HQLA		1,95,347.11		1,77,088.23
14	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		1,67,930.18		1,49,285.79
15	LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		116.33		118.62

Note:-

*On consolidated basis (including domestic operations, overseas centres and overseas subsidiaries)

@ Disclosure as on 31.03.2026 as well as 31.03.2025 has been done by taking simple average of daily observations over previous 4 quarters (i.e. average for the FY 2025-26 & FY 2024-25 respectively). This is as per RBI directions in Reserve Bank of India (Commercial bank Financial Statements: Presentation & Disclosure) Directions, 2025.

Qualitative disclosures with regard to LCR

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is one of the Basel Committee's key reforms to develop a more resilient banking sector. The LCR, a global standard, is also used to measure your Bank's liquidity position. LCR seeks to ensure that the Bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs under a 30-day calendar liquidity stress scenario. The LCR helps in improving the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, thus reducing the risk of spill over from the financial sector to the real economy. Based on Basel III norms, your Bank's average LCR stood at 116.33 per cent on a consolidated basis for financial year 2025-26 as against the regulatory threshold at 100 per cent.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until next 30 calendar days under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Liquid assets comprise of high-quality assets that can be readily encashed or used as collateral to obtain cash in a range of stress scenarios.

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need. While Level 1 assets are with 0% haircut, Level 2A and Level 2 B assets are with 15% and 50% haircuts respectively.
- Net cash outflows are excess of total outflow over total inflow under stressed situation as defined by Basel / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors. In order to determine cash outflows, the Bank segregates its deposits into various customer segments, viz., Retail (which include deposits from individuals), Small Business Customers (those with deposits upto ₹ 7.5), and Wholesale (which would cover all residual deposits). Within Wholesale, deposits that are attributable to clearing, custody, and cash management services are classified as Operational Deposits. Other contractual funding, including a portion of other liabilities which are expected to run down in a 30 day time frame are included in the cash outflows. These classifications, based on extant regulatory guidelines, are part of the Bank's LCR framework, and are also submitted to the RBI.
- Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows. In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.

Main Drivers of LCR: The main drivers of the LCR are adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Sufficient stock of HQLA helped the Bank to maintain adequate LCR.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR, Securities under MSF and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

The composition of Average HQLA for the financial year ended March 2026 of disclosure is given below:

Cash in hand	3.01%
Excess CRR balance	3.26%
Government securities in excess of minimum SLR Requirement	20.20%
Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent of allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 percent of NDTL as allowed for MSF)	8.00%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardized approach and other securities adjustments on account of Repo/Reverse Repo transactions	3.25%
Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio	62.47%
Level 2 Assets	0.65%
Adjustment in HQLA to reflect liquidity transfer restrictions	(0.84%)

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers & small business customers therefore the stressed outflows are comparatively lower. Bank does not have significant funding concentration from any counterparty. In the Indian context, the run-off factors for the stressed scenarios are prescribed by the RBI, for various categories of liabilities (viz., deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), undrawn commitments, derivative-related exposures, and offset with inflows emanating from assets maturing within the same time period. Given below is a table of run-off factors for deposits:

Particulars	Run-off factors
Retail Deposits	5% - 10%
Small Business Customers	5% - 10%
Operational deposits	5% - 25%
Non-financial corporates, sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs	40%
Other legal entities	100%

Derivative Exposures and potential collateral calls: Bank has very little exposure in derivative business which is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, USD is the only significant currency.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units: The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board

level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored by the ALCO at regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank is being governed by Global ALM Policy of the Bank. Liquidity for the Bank's domestic banking operations is directly managed at the Head Office. The overseas branches and offshore unit of the Bank independently manage their liquidity requirements with support from the Head Office. Similarly, the Bank's subsidiaries independently manage their liquidity requirements under guidance of the R.COM, which, along with senior management of the subsidiaries, reviews the risk assessment of material risks at the subsidiaries. Further, the Bank maintains suitable systems and processes to monitor liquidity requirements in other currencies as appropriate.

The average LCR based on averages of daily observations over previous 4 quarters (i.e. average for the FY 2025-26) for data till March 31, 2026 was at 116.33% as against 118.62% for FY 2024-25 and well above the present prescribed minimum regulatory requirement of 100%. The average HQLA for the financial year ended March 31, 2026 was ₹ 1,95,347.11 with 100.19% being Level 1 Assets whereas Level 2A and level 2B assets constitute 0.53% and 0.12% respectively. The adjustment in average HQLA is (0.84%). During the financial year, the weighted average HQLA level has increased by ₹ 18,258.88 primarily on account of increase in securities under MSF & FALLCR along with excess SLR. Further, weighted average net cash outflows position has increased by ₹ 18,644.39 during the financial year, mainly on account of increase in cash outflows under the head unsecured wholesale funding.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, which are well diversified. Management is of the view that the Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future commitments.

(iii) **Net Stable Funding Ratio:**

Amount in (Rs. Crores)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥1 yr	
ASF Item						
1	Capital: (2+3)	85,031.66	0.00	0.00	31,490.00	1,16,521.66
2	Regulatory capital	85,031.66	0.00	0.00	8,800.00	93,831.66
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2,54,090.36	1,21,082.35	89,019.49	1,03,837.21	5,23,393.05
5	Stable deposits	1,49,962.63	34,981.64	26,290.24	32,097.24	2,31,165.16
6	Less stable deposits	1,04,127.73	86,100.71	62,729.25	71,739.97	2,92,227.89
7	Wholesale funding: (8+9)	34,527.26	82,155.93	1,37,592.97	8,006.10	1,31,141.13
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	34,527.26	82,155.93	1,37,592.97	8,006.10	1,31,141.13
10	Other liabilities: (11+12)	13,149.30	1,02,310.40	0.00	1,05,716.31	40,744.07
11	NSFR derivative liabilities net of NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	13,149.30	1,02,310.40	0.00	1,05,716.31	40,744.07
13	Total ASF (1+4+7+10)					8,11,799.91
RSF Item						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					9,862.88
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	2,011.02	0.00	0.00	0.00	1,005.51
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	3,14,032.02	1,84,930.33	1,40,937.58	3,40,048.92
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	23,934.46	18,005.27	0.00	12,592.80
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	2,90,097.56	1,66,925.06	60,261.97	2,67,681.59

Amount in (Rs. Crores)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr	
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	2,90,097.56	1,66,925.06	60,261.97	2,67,681.59
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	43,998.71	28,599.16
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	43,998.71	28,599.16
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	36,676.90	31,175.37
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	4,348.10	23,124.24	8,548.46	2,79,992.17	2,89,338.82
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	NSFR derivative assets net of NSFR derivative liabilities		19,145.06	8,548.46	2,122.17	29,815.69
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		4.06	0.00	0.00	4.06
29	All other assets not included in the above	4,348.10	3,975.12	0.00	2,77,870.00	2,59,519.07
30	Off-balance sheet items		34,970.15	24,887.60	1,14,888.29	7,649.51
31	Total RSF					6,47,905.64
32	NSFR %					125.30%

#Items to be reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity.

These may include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities. NSFR is computed based on consolidated basis covering Domestic, Overseas Centres and Subsidiaries.

Qualitative disclosures with regard to NSFR

The objective of the Net Stable Funding Ratio (NSFR) is to promote the resilience of bank's liquidity risk profiles and to incentivize a more resilient banking sector over a longer time horizon. Net Stable Funding Ratio (NSFR) guidelines ensure reduction in funding risk over a longer time horizon by requiring banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Amount of Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Amount of Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

RBI issued the regulations on the implementation of the Net Stable Funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 1st October, 2021. NSFR is computed at Bank's standalone and consolidated level.

Available Stable Funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable which is determined by various factors/weights according to the nature and maturity of liabilities viz. liabilities having maturity of 1 year or more receiving 100% weight.

Required Stable Funding (RSF) is defined as the portion of on balance sheet and off-balance sheet exposures which requires to be funded on an ongoing basis. The amount of such stable funding required is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held.

Brief about NSFR of the Bank

The main drivers of the Available Stable Funding (ASF) are the capital base, retail deposit base, and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. The capital base formed around 14%, retail deposits (including deposits from small sized business customers) formed 64% and wholesale funding formed 16% of the total Available Stable Funding, after applying the relevant weights.

The Required Stable Funding primarily comprised lending to corporates, retail clients and financial institutions which constituted 52% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High-Quality Liquid Assets which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, government debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, the HQLA and the deposits held for operational purpose constituted only 2% of the Required Stable Funding after applying the relevant weights. Other assets and Contingent funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 46% of the Required Stable Funding.

Bank's NSFR comes to 125.30% at consolidated basis as on 31st March 2026 and is above the minimum regulatory requirement of 100% set out in the RBI. As on 31st March 2026, the weighted Available Stable Funding (ASF) position stood at ₹ 8,11,799.91 and weighted Required Stable Funding

(RSF) position stood at ₹ 6,47,905.64

3. Investments

(i) Composition of Investment Portfolio

Investments as at 31.03.2026

Particulars	March 31, 2026						
	HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries Associates & JVs	
	At Cost	Fair Value		HFT	Non-HFT	At Cost	Fair Value
I. Investments in India							
(i) Government Securities (including recapitalization bonds)	1,71,048.03	1,67,029.56	20,468.96	17,146.04	0.00	0.00	0.00
(ii) Other Approved Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Shares	0.00	0.00	0.00	293.74	1,510.86	0.00	0.00
(iv) Debentures and Bonds	3,108.28	3,110.29	8,713.65	2,563.81	1,239.96	0.00	0.00
(v) Subsidiaries, associates and Joint Venture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.48	1,292.48
(vi) Others	23,490.39	23,935.00	396.01	123.11	961.33		
Total	1,97,646.70	1,94,074.84	29,578.62	20,126.70	3,712.16	1,292.48	1,292.48
Less: Provisions for Impairment/NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1,97,646.70	1,94,074.84	29,578.62	20,126.70	3,712.16	1,292.48	1,292.48
II. Investments Outside India							
(i) Government Securities (including Local Authorities)	4,872.19	5,112.51	6,201.73	814.26	248.51	0.00	0.00
(ii) Subsidiaries, associates and Joint Venture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.05	2,346.05
(iii) Other Investments	170.83	171.12	1392.30	0.00	268.12	0.00	0.00
Total	5,043.02	5,283.63	7,594.03	814.26	516.63	2,346.05	2,346.05
Less: Provisions for Impairment/NPI	0.00	0.00	(-)31.16	8.39	64.11	0.00	0.00
Net	5,043.02	5,283.63	7,625.18	805.88	452.52	2,346.05	2,346.05
Total Investments (I+II)	2,02,689.72	1,99,358.47	37,203.80	20,932.58	4,164.67	3,638.53	3,638.53

Investments as at 31.03.2025

Particulars	March 31, 2025						
	HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries Associates & JVs	
	At Cost	Fair Value		HFT	Non-HFT	At Cost	Fair Value
I. Investments in India							
(i) Government Securities (including recapitalization bonds)	1,56,996.21	1,58,311.19	26,176.43	16,155.79	0.00	0.00	0.00
(ii) Other Approved Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Shares	0.00	0.00	0.00	246.98	1,321.30	0.00	0.00
(iv) Debentures and Bonds	3,216.45	3,251.32	8,663.26	2,041.96	1,248.91	0.00	0.00
(v) Subsidiaries, associates and Joint Venture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.38	1,619.38
(vi) Others	23,369.81	23,617.28	2,000.62	926.99	1,033.14	0.00	0.00
Total	1,83,582.47	1,85,179.79	36,840.31	19,371.72	3,603.35	1,619.38	1,619.38
Less: Provisions for Impairment/NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1,83,582.47	1,85,179.79	36,840.31	19,371.72	3,603.35	1,619.38	1,619.38
II. Investments Outside India							
(i) Government Securities (including Local Authorities)	3,502.83	3,658.71	5,521.33	712.97	438.86	0.00	0.00
(ii) Subsidiaries, associates and Joint Venture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.05	2,346.05
(iii) Other Investments	153.32	153.67	1,164.44	0.00	266.54	0.00	0.00
Total	3,656.15	3,812.38	6,685.77	712.97	705.40	2,346.05	2,346.05
Less: Provisions for Impairment/NPI	0.00	0.00	(-)47.82	3.97	55.61	0.00	0.00
Net	3,656.15	3,812.38	6,733.59	708.99	649.78	2,346.05	2,346.05
Total Investments (I+II)	1,87,238.62	1,88,992.17	43,573.90	20,080.71	4,253.14	3,965.43	3,965.43

(ii) Fair Value Hierarchy of Investment Portfolio measured at Fair Value on Balance Sheet

	2025-26						2024-25					
	AFS			FVTPL			AFS			FVTPL		
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2
I. Investments in India												
(i) Government securities	20,468.95	0.00	0.00	20,468.96	14,512.16	2,633.88	0.00	17,146.04	0.00	26,176.43	16,155.79	0.00
(ii) Other approved securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	308.62	0.00	1,495.98	1,804.61	0.00	0.00	285.14	0.00
(iv) Debentures and Bonds	8,655.87	57.78	0.00	8,713.65	3,652.57	151.21	0.00	3,803.77	8,406.14	0.00	2,936.50	0.00
(v) Subsidiaries, associates and joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) Others	0.00	396.01	0.00	396.01	386.72	123.11	574.61	1,084.44	2,000.62	0.00	1,445.84	0.00
Total	29,124.83	453.79	0.00	29,578.62	18,860.07	2,908.19	2,070.59	23,838.86	36,583.19	0.00	20,823.27	354.37
Less: Provisions for Impairment/ NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	29,124.83	453.79	0.00	29,578.62	18,860.07	2,908.19	2,070.59	23,838.86	36,583.19	0.00	20,823.27	354.37
II. Investments outside India												
(i) Government securities (including local authorities)	6,201.73	0.00	0.00	6,201.73	1,062.77	0.00	0.00	1,062.77	5,521.33	0.00	1,151.83	0.00
(ii) Subsidiaries, associates and joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Other investments	1,392.30	0.00	0.00	1,392.30	201.19	0.00	66.93	268.12	1,164.44	0.00	207.50	0.00
Total	7,594.03	0.00	0.00	7,594.03	1,263.96	0.00	66.93	1,330.89	6,685.77	0.00	1,359.33	0.00
Less: Provisions for Impairment/ NPI	(-31.16)	0.00	0.00	(-31.16)	5.57	0.00	66.93	72.50	(-47.82)	0.00	0.55	0.00
Net	7,625.18	0.00	0.00	7,625.18	1,258.39	0.00	0.00	1,258.39	6,733.59	0.00	1,358.78	0.00
Total investments (I+II)	36,750.01	453.79	0.00	37,203.80	20,118.47	2,908.19	2,070.59	25,097.25	43,316.78	0.00	22,182.05	354.37

- (i) Government Securities (Face Value) amounting to ₹24,080.92 (previous year ₹54,267.64) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing House and Exchange towards margin/security settlement.
- (ii) In FY 2024-25, Bank's Joint Venture Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited has issued 1,82,72,424 fully paid equity shares, face value of ₹10 each at premium of ₹291 per share on right basis to existing shareholders. However, the Bank did not subscribe to any additional shares, which has resulted in reduction of Bank's stake from 28.96% to 27.48%. Accordingly, Bank's share in the reserves of said joint venture has reduced by ₹22.10.
- (iii) During the year ended March 31, 2025, the Bank has been allotted proportionate equity share capital by one of its existing associate Regional Rural Bank, namely Aryavart Bank of ₹152.04 against pending share application money made in FY 2022-23.
- (iv) During FY 2024-25, Bank was also allotted shares for the additional investment of ₹49.46 in one of its wholly owned subsidiary, namely, Bank of India (Uganda) Limited.

(iii) **Net gains / (losses) on Level 3 financial instruments recognised in AFS-Reserve and Profit and Loss Account**

	2025-26	2024-25
Recognised in AFS-Reserve	0.00	0.00
Recognised in Profit and Loss Account	(-)406.64	207.31

Note: The disclosure includes Level 3 asset where the valuation of the assets is the price declared by FBIL/ FIMMDA for the asset. This includes Net Gains / (Losses) on Level 3 Derivatives recognised in P&L.

(iv) **Details of sales made out of HTM:**

		2025-26	2024-25
A	Opening carrying value of securities in HTM	164,221.56	164,668.00
B	Carrying value of all HTM securities sold during the year	34,457.36	17,013.01
C	Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit	26,702.34	10,362.20
D	Carrying value of securities sold (D=B-C)	7,755.02	6,650.82
E	Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D/A)	4.72%	4.04%
F	Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	0.00	0.00

(v) **Reclassification between categories of Investments**

The total value of sale of securities from HTM category during April 1, 2025 to March 31, 2026 has not exceeded 5% of the opening carrying value of investments held in HTM category as on April 1, 2025 in compliance with RBI Master Directions on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions) 2023 dated September 12, 2023.

Further as per the above Master Directions, Banks shall not reclassify investments between categories without approval of their Board of Directors and subsequent approval from Department of Supervision, RBI.

Sale of Securities from HTM during FY 2025-26 (Other than one time Shifting & sale under OMO)	7,755.02	Sale in % (<5%) =4.72%
Opening carrying value of securities held in HTM Category as on 01.04.2025	1,64,221.56	

(vi) **Movement of Provisions for Non-Performing Investments and Investment Fluctuation Reserve**

Particulars	2025-26	2024-25
i) Movement of provisions held towards NPIs		
a) Opening balance*	0.00	0.00
b) Add: Provisions made during the year	0.02	0.00
c) Less: Write off/ write back of excess provisions during the year	0.02	0.00
d) Closing balance	0.00	0.00
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening balance	1,285.38	1,285.38
b) Add: Amount transferred during the year	109.21	0.00
c) Less: Drawdown	0.00	0.00
d) Closing balance	1,394.59	1,285.38
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and FVTPL (including HFT) category	2.24%	2.03%

*In Compliance with RBI Master Directions on Classification, Valuation and Operation of Investment portfolio of Commercial Bank (Directions) 2023, the Depreciation held in books as on 31.03.2024 has been transferred to General Reserve during reclassification of Investment portfolio.

(vii) **Non-SLR investment portfolio**

a) **Non-performing non-SLR investments**

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(a)	Opening balance	0.00	2,601.29
(b)	Additions during the year	0.02	0.00
(c)	Reductions during the above period	0.02	2,601.29*
(d)	Closing balance	0.00	0.00
(e)	Total provisions held	0.00	0.00

*Reduction is due to new RBI master direction dated September 12, 2023.

b) Issuer Composition of non-SLR Investments

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	Extent of 'Unrated' Securities*	Extent of 'Un-listed' Securities*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	2,283.01	1,631.55	0.00	351.65	43.07
		(3,412.73)	(2,897.99)	(0.00)	(410.80)	(0.00)
ii.	FIs	6,757.56	6,693.92	0.00	0.00	650.53
		(6,257.87)	(6,257.87)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
iii.	Banks	2,104.15	962.42	0.00	0.00	0.00
		(3,569.73)	(2,650.29)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
iv.	Private Corporates	799.03	415.48	0.00	0.00	130.50
		(548.21)	(398.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures#	3,638.53	3,638.53	0.00	0.00	3,638.53
		(3,965.43)	(3,965.43)	(0.00)	(0.00)	(3,965.43)
vi.	Others *\$	44,149.12	31,615.98	0.00	24,433.16	24,320.82
		(41,837.20)	(31,661.21)	(0.00)	(25,818.49)	(1,635.34)
	Total	59,731.40	44,957.88	0.00	24,784.81	28,783.45
		(59,591.17)	(47,830.89)	(0.00)	(26,229.29)	(5,600.77)
vii.	Less: Provision held towards Depreciation	(-)234.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		((-)192.20)	((-)203.96)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	Net	59,966.28	44,957.88	0.00	24,784.81	28,783.45
		(59,783.37)	(48,034.85)	(0.00)	(26,229.29)	(5,600.77)

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates/RRBs have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

\$ Include investment in GOI Non-SLR Re-capitalisation Bonds of ₹ 23,490.39 (previous year ₹ 23,369.81).

(viii) Repo Transactions (in face value and market value terms) undertaken during the year:

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily Average outstanding during the year		Outstanding as on 31-Mar-26	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
(i) Securities sold under repo:								
(a) Government Securities	1.00	1.10	29,762.51	30,347.85	4,596.22	4,728.23	11,408.32	12,701.44
(b) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(C) Any Other Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) Securities purchased under reverse repo:								
(a) Government Securities	10.00	10.05	1,865.00	1,909.32	242.86	249.55	0.00	0.00
(b) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(C) Any Other Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(ix) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

As at 31st March 2026

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2026
Securities lent through GSL transactions			Nil		
Securities borrowed through GSL transactions			Nil		
Securities placed as collateral under GSL Transactions			Nil		
Securities received as collateral under GSL Transactions			Nil		

As at 31st March 2025

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2025
Securities lent through GSL transactions			Nil		
Securities borrowed through GSL transactions Securities			Nil		
Securities placed as collateral under GSL Transactions			Nil		
Securities received as collateral under GSL Transactions			Nil		

4. Asset Quality

(a) Classification of Advances and Provisions held

As on 31.03.2026

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	6,44,298.55	4,484.69	9,178.43	8,085.77	21,748.89	6,66,047.44
Add: Additions during the year					5,552.76	
Less: Reductions during the year*					11,995.63	
Closing balance	7,56,084.91	4,419.63	8,114.25	2,772.14	15,306.02	7,71,390.93
*Reductions in Gross NPAs due to:						
(i) Upgradation					1,194.02	
(ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					5,067.44	
(iii) Technical/ Prudential Write-offs					2,100.96	
(iv) Write-offs other than those under (iii) above					3,633.21	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	4,474.28	1,229.08	7,075.55	8,085.77	16,390.40	
Add: Fresh provisions made during the year					3,392.67	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					8,727.04	
Closing balance of provisions held	4,627.01	2,154.20	6,129.69	2,772.14	11,056.03	
Net NPAs						
Opening Balance		3,255.61	2,102.88	0.00	5,358.49	
Add: Fresh additions during the year					2,160.09	
Less: Reductions during the year					3,268.59	
Closing Balance		2,265.43	1,984.56	0.00	4,249.99	

Note: Opening and closing balances of provisions for NPAs include ECGC claims received (FY 2025-26 ₹ (-)732.12 / FY 2024-25 ₹ 1,041.70), part payment received and kept in suspense account (FY 2025-26 ₹ 73.79 / FY 2024-25 ₹ 141.66) and Balance in sundries

account in respect of NPA accounts (FY 2025-26 ₹ 685.15 / FY 2024-25 ₹ 777.26) and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured NPAs (FY 2025-26 ₹ Nil / FY 2024-25 ₹ Nil)

Floating Provisions as on 31.03.2026

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00

Technical write-offs and the recoveries made thereon as on 31.03.2026

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						48,645.14
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year*						7,539.03
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						5,438.07
Closing balance						50,746.10

*including exchange difference

As on 31.03.2025

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	5,56,412.13	4,633.65	12,401.91	12,147.21	29,182.77	5,85,594.90
Add: Additions during the year					7,588.56	
Less: Reductions during the year*					15,022.44	
Closing balance	6,44,298.55	4,484.69	9,178.43	8,085.77	21,748.89	6,66,047.44
*Reductions in Gross NPAs due to:						
(i) Upgradation					1302.94	
(ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					5962.93	
(iii) Technical/ Prudential Write-offs					5074.05	
(iv) Write-offs other than those under (iii) above					2682.52	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	4,847.64	923.21	9,267.09	12,147.21	22,337.51	
Add: Fresh provisions made during the year					4,593.00	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					10,540.11	
Closing balance of provisions held	4,474.28	1,229.08	7,075.55	8,085.77	16,390.40	
Net NPAs						
Opening Balance		3,710.44	3,134.82	0.00	6,845.26	
Add: Fresh additions during the year					2,995.56	
Less: Reductions during the year					4,482.33	
Closing Balance		3,255.61	2,102.88	0.00	5,358.49	

Note: Opening and closing balances of provisions for NPAs include ECGC claims received (FY 2024-25 ₹ 1,041.70 / FY 2023-24 ₹ 1,149.02), part payment received and kept in suspense account (FY 2024-25 ₹ 141.66 / FY 2023-24 ₹ 106.23) and balance in sundries account in respect of NPA accounts (FY 2024-25 ₹ 777.26 / FY 2023-24 ₹ 860.96).

Floating Provisions as on 31.03.2025

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00

Technical write-offs and the recoveries made thereon as on 31.03.2025

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						43,571.09
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year*						8,853.38
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3,779.33
Closing balance						48,645.14

Ratios

Particulars	2025-26	2024-25
Gross NPA to Gross Advances (in %)	1.98	3.27
Net NPA to Net Advances (in %)	0.56	0.82
Provision coverage ratio (in %)	93.57	92.39

(b) Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by management)

Sr. No	Sector	2025-26			2024-25		
		O/S Gross Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	O/S Gross Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
A	Priority sector						
1	Agriculture and allied activities	1,14,593.33	7,166.68	6.25	98,338.13	9,387.68	9.55
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	34,083.69	1,691.32	4.96	27,707.09	2,410.53	8.70
3	Services	72,213.39	3,761.71	5.21	61,998.73	5,265.37	8.49
4	Personal loans	36,843.44	587.96	1.60	22,752.52	781.75	3.44
	Sub-total (A)	2,57,733.85	13,207.67	5.12	2,10,796.47	17,845.33	8.47
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	31.27	0.00	0.00	25.62	0.00	0.00
2	Industry	1,45,232.90	463.68	0.32	1,52,474.48	769.23	0.50
3	Services	2,40,214.89	896.76	0.36	1,89,576.67	2,008.63	1.06
4	Personal loans	1,28,178.01	764.92	0.60	1,13,174.20	1,125.70	0.99
	Sub-total (B)	5,13,657.08	2,098.35	0.41	4,55,250.97	3,903.56	0.86
	Total (A+B)	7,71,390.92	15,306.02	1.98	6,66,047.44	21,748.89	3.27

(c) Overseas Assets, NPAs and Revenue:

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1	Total Assets	1,71,866.16	1,60,997.60
2	Total NPAs	6,485.67	6,712.90
3	Total Revenue	9,687.78	9,543.19

(iv) Particulars of resolution plan and restructuring

In terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025 - DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 all accounts having total Banking exposure of ₹ 1,500 and above, the Bank is holding additional provision of ₹ 1,190.56 as on March 31, 2026, in respect of 5 borrower accounts, where the viable Resolution Plan has not been implemented within 180 days / 365 days of review period is detailed below:

Amount of loans impacted by RBI Circular (FB+NFB)	Amount of NPA loans as on 31.03.2026 out of (a) (FB+NFB)	Amount of FB NPA loans as on 31.03.2026 out of (b)	Amount of Standard loans as on 31.03.2026 out of (a)	Total Additional Provision held as on 31.03.2025	Additional Provision / (Reversal) made during the year ended 31.03.2026	Total Additional Provision held as on 31.03.2026
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
3,401.60	54.22	0.00	3,347.38	1,537.16	(-)346.60	1,190.56

(v) Divergence in asset classification and provisioning:

As per RBI Master Direction No. RBI/DOR/2025-26/167/DOR.ACC.REC.No.86 /21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025 (updated as on 01.04.2026) on Financial statements – Presentation and Disclosures, divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

- the additional provisioning for non-performing assets (NPAs) assessed by RBI as part of its supervisory process, exceeds 5% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and
- the additional Gross NPAs identified by the RBI as part of its supervisory process exceeds 5% of reported incremental Gross NPAs for the reference period.

No divergences on the above aspect have been assessed by RBI, hence no disclosure is required with respect to RBI's supervisory process for the year ended March 31, 2025.

(vi) Disclosure of transfer of loan exposures:

Details of Loans transferred /acquired during the year ended March 31, 2026 in terms RBI DOR.STR.REC.No.78/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 – Reserve Bank of India (Commercial Banks – Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025:

- Details of loans transferred that are not in default or Special Mention Accounts (SMA) during the year ended March 31, 2026 (through assignment, novation and loan participation):

Particulars	2025-26	2024-25
Aggregate amount of loans transferred	NIL	NIL
Weighted Average residual maturity (in months)	NIL	NIL
Weighted Average holding period (in months)	NIL	NIL
Retention of beneficial economic interest by the originator	NIL	NIL
Tangible security Cover (in times)	NIL	NIL

- Details of loans not in default that are acquired during the year ended March 31, 2026 (through assignment, novation and loan participation):

Particulars	2025-26	2024-25
Aggregate amount of loans acquired	4,278.04	3,261.76
Weighted Average residual maturity (in months)	141.65	119.45
Weighted Average holding period (in months)	15.61	13.89
Retention of beneficial economic interest by the originator (in percentage)	15.66	15.74
Tangible security Cover (in times)	2.56	1.98

Co-Lending

Particulars	2025-26	2024-25
Aggregate amount of loans acquired (₹ in crore)	570.60	431.80
Weighted Average residual maturity (in months)	142.24	129.52
Weighted Average holding period (in months)	2.55	1.67
Retention of beneficial economic interest by the originator (in percentage)	20.83	20.64
Tangible security over (in times)	1.98	2.47

Details of Rating-wise distribution of rated loans sold / acquired under (a) & (b) above:

Rating	Loans acquired			Loans Transferred		
	Assignment	Novation	Loan Participation	Assignment	Novation	Loan Participation
The rating of obligors accounts is not applicable as maximum exposure undertaken in the pool of obligors is less than ₹ 25.00.						

- c) Details of Stressed loans acquired during the year ended March 31, 2026 (for loans classified as NPA and SMA):

Sr. No.	Particulars	From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
a.	Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
b.	Aggregate consideration paid	NIL	NIL
c.	Weighted average residual tenor of loans acquired (in months)	NIL	NIL

- d) Details of Stressed Loans (NPAs) transferred during the year ended March 31, 2026:

Sr. No.	Particulars	To ARCs	To permitted transferees	Foreign
a.	No. of accounts	6 (6)	1 (1)	0 (0)
b.	Aggregate principal outstanding of loans transferred	693.86 (594.04)	39.37 (82.16)	0.00 (0.00)
c.	Weighted average residual tenor of the loans transferred (in months)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
d.	Net book value of the loans transferred (at the time of transfer)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
e.	Aggregate consideration	228.85 (222.35)	72.07 (53.20)	0.00 (0.00)
f.	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
g.	Quantum of excess provisions reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	227.18 (173.34)	39.37 (53.20)	0.00 (0.00)

In accordance with RBI circular no. RBI/DOR/2025-26/159 DOR STR REC. No. 78/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 on Reserve Bank of India (Commercial Banks Transfer and Distribution of Credit Risk) direction, 2025, during the quarter and year ended March 31, 2026 the Bank has credited a net unrealized amount of ₹ 47.18 and ₹ 100.71 respectively to the Profit and Loss account in respect of Security Receipts guaranteed by the Government of India.

- e) Distribution of the Security Receipts (SRs) held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2026 & March 31, 2025:

Recovery Rating Band	Carrying Value 2025-26	Carrying Value 2024-25
RR1+	32.61	32.61
RR1	333.67	285.60
RR2	0.00	33.95
RR3	0.00	0.00
RR4	0.00	0.00
RR5	0.00	0.00
Rating not applicable	0.00	0.00
Unrated	82.38	45.60
Total	448.66	397.76

- f) **Profit from sale of NPA**

Sr. No.	Particular	2025-26	2024-25
1	Profit booked in respect of sale of NPA	300.92	226.54

(vii) **Disclosure on Co-Lending Arrangements (CLA)**

Details of Co-Lending Arrangements (CLAs) on an aggregate basis as per Reserve Bank of India (Commercial Banks – Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025 dated November 28, 2025 are as under:

Sr. No.	Particulars	2025-26
1	Number of CLA Partners	NIL
2	Quantum of CLAs	NIL
3	Weighted average rate of interest (%)	NIL
4	Fees paid	NIL
5	Broad sectors in which CLA was made	NIL
6	Performance of loans under CLA	
-	Standard	NIL
-	NPA	NIL
7	Details related to default loss guarantee, if any	NIL

(viii) **Fraud Accounts**

Particulars	2025-26	2024-25
Number of frauds reported	*100	152
Amount involved in fraud	1,826.51	1,449.21
Amount of provision made for such frauds	**1,117.65	1,079.76
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	Nil	Nil

* This includes 12 cases pertaining to earlier years, which were deactivated and which were re-reported as fraud cases on re-examination, with amount involved of ₹ 1,094.09 and outstanding balance as on 31st March, 2026 of ₹ 442.75.

** The Bank is holding 100% provision in respect of amount outstanding of ₹ 1,117.65 as on 31st March, 2026.

(ix) Disclosure related to Project Finance:

For quarter ended 31st December 2025

Sl. No.	Item Description	Number of Accounts	Total Outstanding
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter	248	8,145
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter	3	301
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	17	239
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)	234	8,207
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	17	422
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	17	422
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	0	0
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0	0
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	0	0
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original / extended DCCO, as the case may be, was funded	0	0
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	0	0
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously	0	0
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	0	0
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	0	0
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	0	0
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0	0

For quarter ended 31st March 2026

Sl. No.	Item Description	Number of Accounts	Total Outstanding
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter	234	8,207
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter	37	612
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	70	1,643
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)	201	7,176
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	23	738
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	23	738
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	0	0
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0	0
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	0	0
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original / extended DCCO, as the case may be, was funded	0	0
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	0	0
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously	0	0
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	0	0
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	0	0
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	0	0
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0	0

- (x) In accordance with RBI circular No. DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 & RBI Circular No. DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated June 4, 2021 on Resolution Framework 2.0 –Resolution of COVID-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under:

(₹ in Crore except number of accounts)

No. of Accounts	Amount as on 31.03.2026
20,100 (33,772)	783.64 (1,151.60)

In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on September 30, 2025:

Disclosure under resolution framework for COVID-19-related Stress

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year, i.e., March 31, 2025 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended September 30, 2025	Of (A) amount written off during the half-year ended September 30, 2025	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year ended September 30, 2025	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e., September 30, 2025
Personal Loans	3,435.20	113.47	0.08	433.57	3,145.00
Corporate persons*	1,212.68	69.89	0.13	877.90	987.72
Of which MSMEs	1,151.60	69.89	0.13	729.03	936.74
Others	20.30	0.02	0.00	11.98	20.98
Total	4,667.91	183.38	0.21	1,323.45	4,153.70

The details of resolution plan as on March 31, 2026:

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of previous half year, i.e. September 30, 2025 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2026	Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2026	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year ended March 31, 2026	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e. March 31, 2026
Personal Loans	3,145.00	89.26	0.00	600.35	2,882.09
Corporate persons*	987.72	70.52	0.00	878.45	813.46
Of which MSMEs	936.74	44.22	0.00	776.80	783.64
Others	20.98	0.08	0.00	2.12	10.65
Total	4,153.70	159.86	0.00	1,480.92	3,706.20

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016

March 31, 2025

In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on September 30, 2024:

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year, i.e., March 31, 2024 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended September 30, 2024	Of (A) amount written off during the half-year ended September 30, 2024	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended September 30, 2024	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e., September 30, 2024
Personal Loans	4,094.48	185	0.32	495.49	3,700.77
Corporate persons*	2,050.24	158.59	0.82	1,420.15	1,498.23
Of which MSMEs	1,790.69	158.59	0.82	924.47	1,398.96
Others	25.35	0.28	0.00	13.78	23.19
Total	6,170.07	343.87	1.14	1,929.42	5,222.19

The details of resolution plan as on March 31, 2025:

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of previous half year, i.e. September 30, 2024 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2025	Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2025	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended March 31, 2025	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e. March 31, 2025
Personal Loans	3,700.77	159.80	0.23	818.83	3,435.20
Corporate persons*	1,498.23	103.85	0.27	2,277.01	1,212.68
Of which MSMEs	1,398.96	103.85	0.27	1,709.45	1,151.60
Others	23.19	3.38	0.00	30.21	20.03
Total	5,222.19	267.03	0.50	3,126.05	4,667.91

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016

5. Exposures

The Bank is lending to sectors, which are sensitive to asset price fluctuation.

i. Exposure to Real Estate Sector, as compiled by management

Sr. No.	Category	31.03.2026	31.03.2025
1	Direct Exposure	1,04,536.64	86,474.79
	(a) Residential Mortgages (include non-fund based (NFB) limits)	95,792.32	80,723.50
	(i) Lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented (other than (ii) below);	61,509.41	58,443.81
	(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	34,282.91	22,279.69
	(b) Commercial Real Estate-	8,744.32	5,491.70
	Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include NFB limits;	7,026.09	5,491.70
	(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures	0.00	259.59
	a) Residential	0.00	10.53
	b) Commercial Real Estate	0.00	249.06

Sr. No.	Category	31.03.2026	31.03.2025
2	Indirect Exposure	28,999.91	22,509.01
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies	28,991.91	22,509.01
Total exposure to Real Estate Sector (1+2)		1,33,536.55	1,08,983.80

ii. Exposure to Capital Market

Sr. No	Category	31.03.2026	31.03.2025
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	834.41	885.66
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	4.34	1,167.11
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	55.78	186.10
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	2,033.26	603.37
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	3,071.57	1,982.36
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.03
vii)	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.02
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	141.91	126.51
Total Exposure to Capital Market		6,141.27	4,951.17

iii. Risk Category-wise Country Exposure:

As per the extant RBI guidelines, the country exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table:

Sr. No.	Risk Category	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
		Exposure (Net)	Provision held	Exposure (Net)	Provision held
1	Insignificant	72,910.52	67.77	64,421.66	47.62
2	Low	42,820.72	10.65	26,003.28	9.48
3	Moderate	793.01	0.00	8,862.82	0.00
4	High	5,158.43	0.00	1,093.00	0.00
5	Very High	647.47	0.00	2,484.50	0.00
6	Restricted	3.29	0.00	1.47	0.00
7	Off Credit	0.00	0.00	211.01	0.00
	Total	1,22,333.44	78.42	1,03,077.73	57.10

iv. Unsecured Advances

Particulars	2025-26	2024-25
Total Unsecured Advances of the Bank	1,65,905.80	1,45,653.06
Out of which	0.00	0.00
i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral		
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	0.00	0.00

v. Factoring exposures:

Particulars	2025-26	2024-25
Outstanding amount under TReDS	9,559.09	6,827.40

vi. Intra-group exposures (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
A	Total amount of intra group exposures	4,909.03	8,385.39
B	Total amount of top 20 intra group exposure	4,909.03	8,385.39
C	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/Customers	0.45%	0.88%

viii. Loan against Gold and Silver Collateral**(a) Details of loans extended against eligible gold and silver collateral For FY 2025-26**

Particulars	Loan outstanding		Average ticket size (₹ crore)	Average LTV ratio	Gross NPA (%)
	₹ crore	As % of Total Loans			
1. Opening balance of the FY [(a)+(b)]	35,339.01	100%	0.02	72%	0.48%
(a) Consumption+ loans	2,230.47	6%	0.03	61%	0.66%
of which bullet repayment loans	496.43	1%	0.03	62%	0.68%
(b) Income generating loans	33,108.54	94%	0.02	73%	0.47%
2. New loans sanctioned and disbursed during the FY [(c)+(d)]	54,873.68	100%	0.03	71%	NA
(c) Consumption loans	7,447.82	14%	0.02	59%	NA
of which bullet repayment loans	5,833.87	11%	0.02	61%	NA
(d) Income generating loans	47,425.86	86%	0.03	73%	NA
3. Renewals sanctioned and disbursed during the FY	17,083.88	48%	0.03	65%	NA
4. Top-up loans sanctioned and disbursed during the FY	0.00	0.00	0.00	NA	NA
5. Loans repaid during the FY [(e)+(f)]	36,761.61	100%	0.02	NA	NA
e) Consumption loans	2,324.47	6%	0.02	NA	NA
of which bullet repayment loans	669.71	2%	0.01	NA	NA

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
D	Details of breach of limits on intra group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil	Nil

vii. Unhedged Foreign Currency Exposure

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
A	Opening balance provisions account	83.23	72.09
B	The quantum of provisions made in the accounting year	0.00	11.14
C	Amount Reverse during the accounting year	28.46	0.00
D	Closing balance in the provisions account	54.77	83.23

The bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on RBI Circulars.

The data related to RWA and Unhedged Foreign Currency exposures have been compiled based on audited certificates received from FGMO/LCB/Branch Auditors. As on 31.03.2026, wherever required in accordance with the policy, the additional RWA on this exposure is ₹ 299.22 (Previous year ₹ 459.19). As against this, additional minimum capital requirement is ₹ 34.41 (Previous Year ₹ 52.81).

Particulars	Loan outstanding		Average ticket size (₹ crore)	Average LTV ratio	Gross NPA (%)
	₹ crore	As % of Total Loans			
f) Income generating loans	34,437.14	94%	0.02	NA	NA
6. Non-Performing Loans recovered during the FY [(g) + (h)]	42.17	100%	0.01	NA	NA
(g) Consumption loans	2.92	7%	0.01	NA	NA
of which bullet repayment loans	0.73	2%	0.01	NA	NA
(h) Income generating loans	39.25	93%	0.01	NA	NA
7. Loans written off during the FY [(i) + (j)]	0.17	100%	0.003	NA	NA
(i) Consumption loans	0.00	0%	0.00	NA	NA
of which bullet repayment loans	0.00	0%	0.00	NA	NA
(j) Income generating loans	0.17	100%	0.003	NA	NA
8. Closing balance at the end of FY [(k) + (l)]	53,408.74	100%	0.03	69%	0.09%
(k) Consumption loans	7,350.90	14%	0.02	58%	0.05%
of which bullet repayment loans	5,659.86	11%	0.02	59%	0.02%
(l) Income generating loans	46,057.84	86%	0.03	71%	0.10%

(b) Details of gold and silver collateral and auctions

Sr. no.	Particulars	2025-26
(a)	Unclaimed gold or silver collateral at the end of the financial year (in grams)	8.60
(b)	Number of loan accounts in which auctions were conducted	1,356
(c)	Total outstanding in loan accounts mentioned in (b)	16.86
(d)	Gold or silver collateral acquired during the FY due to default of loans (in grams)	68,341
(e)	Gold or silver collateral auctioned during the FY (in grams)	35,875
(f)	Recovery made through auctions during the FY (in ₹ crore)	17.16
(g)	Recovery percentage:	
(h)	as % of value of gold or silver collateral	91%
(i)	as % of outstanding loan	102%

*Weight of Gold collateral is net weight

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs**(a) Concentration of deposits:**

Particulars	2025-26	2024-25
Total Deposits of twenty largest depositors	67,750.31	50,527.88
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	7.31%	6.19%

(b) Concentration of advances:

Particulars	2025-26	2024-25
Total Advances to twenty largest borrowers	1,30,150	1,09,733
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	15.76%	15.40%

(c) Concentration of exposures

Particulars	2025-26	2024-25
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	1,35,832	1,14,585
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	12.41%	11.79%

(e) Concentration of NPAs:

Particulars	2025-26	2024-25
Total Exposure to top twenty NPA accounts*	717.00	1,986.00
Percentage of exposure to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs	4.68%	9.13%

*Net of Prudential Write-off (PWO) and Unrealised Interest (URI)

7. Derivatives

(i) Details of derivative portfolio

Particulars	2025-26			2024-25		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Interest Rate Derivatives						
MTM – Assets	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
MTM – Liabilities	0.00	69.11	117.46	0.00	10.86	0.00
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	0.00	(-)2.25	(-)117.46	0.00	(-)10.86	0.00
Exchange Rate Derivatives						
MTM – Assets	11,390.57	0.00	5.14	557.33	0.00	0.00
MTM – Liabilities	11,724.15	0.00	703.93	667.14	0.00	0.00
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	(-)333.58	0.00	(-)698.79	(-)109.81	0.00	0.00
Credit Risk Derivatives						
MTM – Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MTM – Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Derivatives (specify)						
MTM – Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MTM – Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(ii) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
i)	The notional principal of swap agreements	5,465.22	913.80
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	0.00	0.00
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv)	Concentration of Credit Risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year.*	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year.
v)	The fair value of the swap book	(-)119.71	10.86

*Note: Out of total notional principal of swap arrangements (Point 1) ₹ 838.80 pertains to interbank exposure and balance with CCIL.

(iii) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	0.00	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00

(iv) Disclosures on risk exposure in derivatives**a) Qualitative Disclosure**

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions, the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading

purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit and Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure Method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instruments.

Residual Maturity	Credit Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.25%	1.00%
Over one year to five years	0.50%	5.00%
Over five years	1.50%	7.50%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines, credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present, the provision is to be maintained at 0.40% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. **Quantitative Disclosures**

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
1	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	7277.04	0.00		
		(5,780.70)	(0.00)		
	b) For trading	452.58	4626.42		
		(337.08)	(75.00)		
2	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)	0.23	0.00		
		(0.13)	(0.00)		
	b) Liability (-)	117.60	2.25		
		(10.80)	(0.22)		
3	Credit Exposure	97.07	89.48		
		(143.71)	(0.75)		
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	0.26	1.77		
	a) On hedging derivatives	0.26	0.00		
		(0.36)	(0.00)		
	b) On trading derivatives	0.00	1.77		
		(0.00)	(0.26)		
5	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	Max	Min	Max	Min
	a) On hedging	0.30	0.26	0.00	0.00
		(0.36)	(0.32)	(0.00)	(0.00)
	b) On trading	0.00	0.00	1.93	1.23
		(0.00)	(0.00)	(0.26)	(0.00)

(v) **Credit Default Swaps**

The Bank has not dealt with any Credit Default Swap in current as well as in the previous year.

8. **Disclosures relating to Securitisation**

The Bank has not floated any Special Purpose Vehicle (SPV) during the FY 2025-26 as well as during FY 2024-25.

9. **Off balance sheet SPVs sponsored**

Name of the sponsored SPV	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

Particulars	2025-26	2024-25
Opening balance of amounts transferred to DEAF	3,754.04	2,949.20
Add : Amounts transferred to DEAF during year	767.89	915.15
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	233.15	110.31
Closing balance of amounts transferred to DEAF	4,298.78	3,754.04

Note: The closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above is included under Schedule -12 Contingent Liabilities – Other Items.

11. Disclosure of Complaints**(i) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs [Offices of the Banking Ombudsman]**

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25
Complaints received by the bank from its customers			
1	Number of complaints pending at beginning of the year	1,372	1,030
2	Number of complaints received during the year	2,92,121	3,04,705
3	Number of complaints disposed during the year	2,91,479	3,04,363
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	4,983	5,891
4	Number of complaints pending at the end of the year	2,014	1,372
Maintainable complaints received by the bank from OBOs			
5	Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	5,284	4,505
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	1,799	1,484
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by BOs	3,463	3,021
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank	3	0
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

(ii) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
ATM/ Debit Cards	468 (428)	83020 (118892)	(-)30.17 ((-)7.54)	153 (468)	0 (0)
Internet/ Mobile/ Electronic Banking	628 (315)	112362 (93244)	20.50 (120.01)	921 (628)	1 (0)
Account operation related	253 (36)	80500 (71892)	11.97 (164.05)	927 (253)	33 (7)
Advances/ Credit Related	4 (5)	10158 (7123)	42.61 (72.76)	8 (4)	1 (0)
Levy of charges	3 (3)	4640 (3948)	17.53 (25.69)	4 (3)	1 (0)
Others	16 (243)	1441 (9606)	(-)85.48 ((-)64.17)	1 (16)	0 (0)
Total	1372 (1030)	292121 (304705)		2014 (1372)	36 (7)

12. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India and other regulators**(i) Disclosure of Penalties imposed by RBI /Overseas Regulators****FY 2025-26**

Particulars	Nature of Breach	Domestic		International		Total	
		No of Cases	Amount	No of Cases	Amount	No of Cases	Amount
Penalty imposed by RBI	Regulatory/ Operational	144	0.83	-	0.00	144	0.83
Penalties imposed on Overseas territories by their respective regulators	Regulatory/ Operational	-	0.00	1	0.05	1	0.05

FY 2024-25

Particulars	Nature of Breach	Domestic		International		Total	
		No of Cases	Amount	No of Cases	Amount	No of Cases	Amount
Penalty imposed by RBI	Regulatory/ Operational	163	0.20	0	0.00	163	0.20
Penalties imposed on Overseas territories by their respective regulators	Regulatory/ Operational	0	0.00	4	0.09	4	0.09

(ii) Disclosure of imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2025-26	-	0.00	-
2024-25	-	0.00	-

(iii) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction:

Year ended	Amount
2024-25	0.00
2023-24	0.00

d. Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of:

Particulars	2025-26	2024-25
(i) Banking Regulation Act, 1949	0.00	1.00
(ii) Payment and Settlement Act, 2007	0.00	0.004
(iii) Government Securities Act, 2006	0.00	0.00

13. Disclosure on remuneration:

(Amount in ₹)

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25
1	Shri Rajneesh Karnatak	62,94,742	52,69,865
2	Shri P. R. Rajagopal	68,16,348	59,42,538
3	Shri M Karthikeyan (superannuated on 31.03.2025)	18,68,640	49,17,186
4	Shri Subrat Kumar	76,93,522	51,40,710
5	Shri Rajiv Mishra	72,54,345	35,65,716
6	Shri Pramod Kumar Dwibedi (from 24.11.2025)	16,36,274	0.00

14. Other Disclosures**(i) Business Ratios**

Sr. No.	Particulars	31.03.2026 (in %)	31.03.2025 (in %)
(i)	Interest Income as a percentage to average Working Funds	6.62	6.90
(ii)	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.87	0.88
(iii)	Cost of Deposits	4.80	4.90
(iv)	Net Interest Margin	2.52	2.82
(v)	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.50	1.60
(vi)	Return on Assets	0.93	0.90
(vii)	Business per employee (in ₹)	32.18	28.21
(viii)	Profit per employee (in ₹)	0.21	0.18

(ii) Fees, remuneration received from Bancassurance Business:

Particulars	2025-26	2024-25
Life Insurance Business	200.29	223.43
Non-Life Insurance Business	34.03	30.68
Health Insurance Business	14.60	18.72
Total	248.92	272.83

(iii) Fees, remuneration received from Marketing and Distribution:

Particulars	2025-26	2024-25
Mutual Funds	10.98	8.42
Total	10.98	8.42

(iv) Disclosure of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (As compiled by the Management):

Purchased during the year	Sold During the Year
0.00 (7,000.00)	11,980.00 (7,000.00)

Bank has earned ₹253.31 by selling ₹11,980 in Priority Sector Lending Certificate (PSLCs) for Small Farmer & Marginal Farmer portfolio and not purchased any PSLC under Agriculture portfolio. The net earning is ₹253.31.

(v) Provisions and Contingencies:

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

Particulars	2025-26	2024-25
Provision for Non-Performing Investments	0.00	(-)282.09
Provision towards NPA	3,392.67	4,592.72
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	3,418.51	3,215.43

Particulars	2025-26	2024-25
Provision towards Standard Assets	99.61	(-)387.06
Other Provision & Contingencies		
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	0.00	(-)155.27
• Provision for Country Risk	21.33	10.35
• Other Provisions	(-)410.55	199.01
Total	6,521.58	7,193.09

(vi) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS):

RBI vide its circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 as recommended by RBI are under consideration of the Government of India. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) every half year. Accordingly, the Bank has been preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) half-yearly with effect from September, 2021, after seeking approval of Steering Committee formed for monitoring of implementation of Ind-AS in the Bank. The PFS are also presented to Audit Committee of Board and Board for information and reporting. Recently, the RBI Vide circular No.RBI/DOR/2026-27/398 dated 27.04.2026 has issued guidelines as Reserve Bank of India (Commercial Banks – Asset Classification, Provisioning and Income Recognition) Directions, 2026 for implementation of ECL framework. The directions will be effective from 01.04.2027. The Bank has already appointed the consultant for the same and is in process to implement the ECL framework.

(vii) Payment of DICGC Insurance Premium:

The deposit insurance premium as applicable was paid to DICGC by Bank within the prescribed timelines.

(viii) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, permitted Banks to amortise the additional liability on account of revision in family pension over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Bank recognised the additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 612.09 and has opted to amortise the said liability over a period not exceeding five years, beginning financial year ending March 31, 2022.

Accordingly, Bank has recognised ₹ Nil (Previous Year ₹ 41.21) as an expense in the Profit and Loss account, for the year ended March 31, 2026 towards the said additional liability and the unamortised amount of family pension liability as on the date is ₹ Nil (Previous Year ₹ Nil).

(ix) In accordance with RBI circular no. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019, on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances":

No. of accounts restructured	Amount
7,225 (13,039)	268.92 (367.83)

(x) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management):

During the year 2025-26, the bank has not issued any Letter of Comfort on behalf of Subsidiaries.

During the year 2010-11, the bank had issued unconditional parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, Bank of India (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, for the benefits of its creditors.

As on 31.03.2026, no financial obligations have arisen on the above commitments.

(xi) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year	Cumulative*
Total green deposits raised (A)	930.08	33.54	963.62
Use of green deposit funds**			
1) Renewable Energy	930.08	33.54	963.62
Solar Energy	0.00	33.54	33.54
Wind Energy	885.61	0.00	885.61
Hybrid (Solar + Wind)	44.47	0.00	44.47
2) Energy Efficiency	0.00	0.00	0.00
3) Clean Transportation	0.00	0.00	0.00
4) Climate Change Adaptation	0.00	0.00	0.00
5) Sustainable Water and Waste Management	0.00	0.00	0.00
6) Pollution Prevention and Control	0.00	0.00	0.00
7) Green Buildings	0.00	0.00	0.00
8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	0.00	0.00	0.00
9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	0.00	0.00	0.00
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	930.08	33.54	963.62
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	0.00	0.00	0.00
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	0.00	0.00	0.00

*This shall contain the cumulative amount since the Bank started offering green deposits. For example, if Bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, the annual financial statement for the period ending March 31, 2026 would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023 till March 31, 2026.

**Under each category, Bank has provided sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector.

(xii) Income Tax:

- Claims against the Bank not acknowledged as debt appearing under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 2,057.06 (previous year ₹ 2,048.01) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).
- Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial precedents on certain disputed issues.
- The Bank had exercised the irreversible option to shift from old tax regime to the new tax regime under section 115BAA of the Income Tax Act, 1961, effective from the Assessment Year 2023-24.
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has published the model rules for global minimum tax (Pillar Two model rules). As per the provisions of Pillar Two legislation, the Ultimate parent entity (UPE) of the Group (the Bank, its branches, subsidiaries and / or other constituent entities) has consolidated revenues exceeding the threshold prescribed under the OECD framework.

The Pillar Two legislation is not enacted by Government of India, where the Parent company is incorporated. Pillar Two legislation has been enacted, or substantively enacted, in most of the other jurisdictions where the Group (the Bank, its branches, subsidiaries and / or constituent entities) operates. Based on preliminary assessment, the Bank does not expect a material financial impact from the application of Pillar Two legislation on its financial statements as on reporting date. The evaluation of the exposure is based on broad review of the most recent tax filings, country-by-country reporting and financial statements for the constituent entities in the Group. In the jurisdiction with lower corporate tax rate i.e. United Arab Emirates, the Bank has recognized and disclosed separately, current tax expense towards the domestic minimum top-up taxes under the local Pillar Two legislation.

The Bank has applied the exception to recognizing and disclosing information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two Income Taxes as mandated by AS-22 (amended). This exception applies immediately and retrospectively.

(xiii) Details of Number of Investors complaints received and disposed-off during the year ended March 31, 2026:

i)	Pending at the beginning of the year	00
ii)	Received during the year	32
iii)	Resolved during the year	32
iv)	Pending at the end of the year	00

(xiv) Pursuant to Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated April 7, 2025, the following Regional Rural Banks (RRBs), sponsored by Bank of India, have been amalgamated and the sponsor bank has been changed in respect of two RRBs with effect from May 1, 2025. The Bank's investments in these RRBs are included in its financial statements as at March 31, 2025.

(a) The details of amalgamation of RRBs, where the transferee RRBs are not sponsored by Bank of India are as below:

Sr. No.	State	Name of transferor RRBs	Sponsor Bank of transferor RRBs	New Name after Amalgamation of RRBs	Sponsor Bank of transferee RRBs
1	Maharashtra	Vidharbha Konkan Gramin Bank	Bank of India	Maharashtra Gramin Bank	Bank of Maharashtra
		Maharashtra Gramin Bank	Bank of Maharashtra		
2	Uttar Pradesh	Aryavart Bank	Bank of India	Uttar Pradesh Gramin Bank	Bank of Baroda
		Baroda UP Gramin Bank	Bank of Baroda		

(b) The details of amalgamation of RRBs, where the transferee RRB is sponsored by Bank of India are as below:

Sr. No.	State	Name of transferor RRBs	Sponsor Bank of transferor RRBs	New Name after Amalgamation of RRBs	Sponsor Bank of transferee RRBs
1	Madhya Pradesh	Madhyanchal Gramin Bank	State Bank of India	Madhya Pradesh Gramin Bank	Bank of India
		Madhya Pradesh Gramin Bank	Bank of India		

Accordingly, during the year ended March 31, 2026, the Bank has subscribed an additional amount of ₹ 329.45 towards the share capital of Madhya Pradesh Gramin Bank, being the sponsor bank of the Amalgamated RRB. During the year, the Bank has received a capital redemption of ₹ 450.46 in case of Vidharbha Konkan Gramin Bank and ₹ 205.90 in case of Aryavart Bank, being the face value of its investment in the RRB.

Further, in case of Vidharbha Konkan Gramin Bank and Aryavart Bank, the Bank has debited / credited its Consolidated Profit and Loss Account by ₹ 330.38 (Credit) and ₹ 849.18 (Debit) respectively towards reversal of difference between the carrying value of investments as on 01.05.2025 and the proceeds received for capital redemption and the same has been shown under exceptional item in the Consolidated Financial Results.

On account of amalgamation of Madhyanchal Gramin Bank into Madhya Pradesh Gramin Bank, where the Bank is the Sponsor Bank of the Amalgamated RRB, the carrying amount of bank investment in associate as on 01.05.2025 has been adjusted by ₹ 171.87 in opening Reserves and Surplus of Consolidated Financial Results, in accordance with Accounting Standard 23 - 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements'.

- (xv) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2026, Bank holds 100% provision of the aggregate outstanding value of ₹ 2,905.38 (Previous year ₹ 3,033.86).
- (xvi) In terms of Bank's approved revaluation policy, during the year ended March 31, 2025 the immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amounts to ₹1,580.24 has been added to "Revaluation Reserve".
- (xvii) Bank has raised Infrastructure Bonds amounting to ₹ 10,000 on Dec 26, 2025 at coupon rate of 7.23%.
- (xviii) The Government of India has notified four New Labour Codes subsuming 29 legislations relating thereto effective November 21, 2025. Based on the broad assessment carried out by the management, the Bank continues to comply with the major provisions having financial impact. The rules relating to said Labour Codes are yet to be notified and any resultant impact arising out of the same shall be taken care on such notification
- (xix) Other Income includes commission and brokerage income, fee and other charges, profit/ loss on sale of fixed assets (net), profit/ loss on revaluation of investments (net) (FVTPL and HFT), earnings from foreign exchange and derivative transactions, recoveries from accounts previously written off, dividend income, etc.
- (xx) The Board of Directors has recommended a dividend of ₹ 4.65 per equity share (46.50%) for the year ended March 31, 2026 subject to requisite approvals.
- (xxi) Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall unadjusted impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.
- (xxii) **Other Income / Expenditure exceeding 1% of total income**
- Other Income: Other Income includes below income exceeding 1% of the total income of the Bank.

Particulars	2025-26	2024-25
Recovery in written off accounts	2,673.94	2,365.46

Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS):

6.1 Accounting Standard – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Change in accounting policy:

There is no change in the Significant Accounting Policies followed during the year ended March 31, 2026 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2025.

6.2 Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy para 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

6.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

Sr. No.	Particulars	FY 2025-2026		FY 2024-2025	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
(i)	Principal actuarial assumptions used :				
	Discount Rate	7.87%	7.16%	6.99%	6.71%
	Rate of Return on Plan Assets	7.74%	7.41%	6.94%	7.52%
	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

Sr. No.	Particulars	FY 2025-2026		FY 2024-2025	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
(ii)	Table showing changes in Present value of Defined Benefit Obligation :				
	Liability at the beginning of the year	2475.11	21,915.55	2,289.02	20,430.10
	Interest Cost	167.35	1,393.67	157.30	1,386.02
	Current Service Cost	137.85	1,164.75	126.39	1,128.23
	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	41.21
	Benefit Paid	161.70	2,290.88	220.72	2,413.01
	Actuarial (gain)/loss on Obligation	61.31	441.87	123.12	1,343.00
	Liability at the end of the year	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
	Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Defined Benefit obligation	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
(iii)	Table showing changes in Fair value of Plan Assets :				
	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
	Expected return on Plan Assets	190.15	1,566.94	154.72	1,485.37
	Contributions	214.11	1,806.30	232.88	2,072.14
	Benefit Paid	161.70	2,290.88	220.72	2,413.01
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
	Total Actuarial Gain/(Loss) recognised	(-)61.94	(-)857.14	(-)82.85	(-)1,021.55
(iv)	Actual return on Plan Assets :				
	Expected Return on Plan Assets	190.15	1,566.94	154.72	1,485.37
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46
	Actual return on Plan Assets	189.52	1,151.67	194.99	1,806.82
(v)	Amount recognised in the Balance Sheet				
	Liability at the end of the year	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
	Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount Recognised in the Balance Sheet	7.50	569.23	44.62	526.92
(vi)	Expenses recognised in the Income-Statement :				
	Current Service Cost	137.85	1,164.75	126.39	1,128.23
	Interest Cost	167.35	1,393.67	157.30	1,386.02
	Expected Return on Plan Assets	(-)190.15	(-)1,566.94	(-)154.72	(-)1,485.37
	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	41.21
	Actuarial (Gain) or Loss	61.94	857.14	82.85	1,021.55
	Expense Recognised in P & L	176.99	1,848.62	211.82	2,091.64
(vii)	Balance Sheet Reconciliation :				
	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	44.62	526.92	65.68	507.42
	Expenses as above	176.99	1,848.62	211.82	2,091.64
	Employer's Contribution	(-)214.11	(-)1,806.30	(-)232.88	(-)2,072.14
	Additional Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount Recognised in Balance Sheet	7.50	569.23	44.62	526.92

Sr. No.	Particulars	FY 2025-2026		FY 2024-2025	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
(viii)	Category of Assets :				
	Central Government of India Securities	5.10	2,442.70	10.21	2,569.54
	Equity	0.00	1,136.52	0.00	1,071.34
	Corporate Bonds	0.00	5,914.39	35.04	5,911.16
	State Government Securities	0.00	4,446.44	0.00	3,986.63
	Insurance	2,468.15	7,655.92	2203.68	6,931.40
	Other	199.17	459.76	181.56	918.56
	Total	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
(ix)	Experience Adjustment :				
	On Plan Liability (Gain)/Loss	321.93	1,174.08	41.01	(-)545.48
	On Plan Asset (Loss)/Gain	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46

Other long term employee benefits*:

Particulars	31.03.2026		31.03.2025	
	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year
Leave Encashment	1,357.79	78.36	1,279.43	73.07
Leave Travel Concession	63.34	0.17	63.17	0.34
Resettlement Benefits	9.43	0.36	9.07	0.47
Milestone Awards	4.92	0.04	4.88	0.24
Sick Leave**	5.01	0.73	4.28	1.20
Medical Benefits (Whole Time Directors)	7.05	7.05	0.00	0.00

* The actuarial assumptions for Other Long term employee benefits are same which are used for Gratuity.

The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 565.64 (Previous Year ₹ 544.39) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leave by employees.

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 1857.57 (Previous Year ₹ 2,064.09) and towards Gratuity is ₹ 29.58 (Previous Year ₹ 27.61).

Surplus /Deficit in the Plan:

Particular	Gratuity Plan				
	FY 2025-26	FY2024-25	FY2023-24	FY2022-23	FY2021-22
Defined benefit obligation	2,679.92	2,475.11	2,289.02	2,070.55	1,898.52
Plan assets	2,672.42	2,430.49	2,223.34	2,055.47	1,887.32
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/(deficit)	(-)7.50	(-)44.62	(-)65.68	(-)15.09	(-)11.20
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	321.93	41.01	124.29	240.77	152.27
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	(-)0.63	40.27	11.51	(-)5.88	(-)42.37

	Pension Plan				
Particular	FY 2025-26	FY2024-25	FY2023-24	FY2022-23	FY2021-22
Defined benefit obligation	22,624.96	21,915.55	20,471.32	19,180.02	18,379.20
Plan assets	22,055.73	21,388.63	19,922.68	18,459.42	17,604.64
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	41.22	183.62	489.67
Surplus/(deficit)	(-)569.23	(-)526.92	(-)507.42	(-)536.99	(-)284.88
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	1,174.08	(-)545.48	410.04	843.92	1,092.69
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	(-)415.27	321.46	(-)31.29	(-)45.52	(-)694.35

6.4 Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Part A: Business Segment

Business Segment	Treasury Operations (1)		Wholesale Banking Operations (2)		Retail Banking Operations (3)		Digital Banking (3) (i)		Other Retail Banking (3)(ii)		(*)Other Banking Operations (4)		Total (1+2+3+4)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	23,267.62	22,741.41	29,011.27	26,838.20	32,910.75	31,053.26	0.62	0.63	32,910.13	31,052.63	0.00	0.00	85,189.64	80,632.86
Unallocated revenue													645.09	263.70
Less: Inter segment revenue													799.19	1,076.64
Total Revenue													85,035.54	79,819.92
Results	6,826.92	6,082.48	2,810.23	1,894.43	7,281.57	7,220.81	(-)0.58	(-)0.46	7,282.15	7,221.26	0.00	0.00	16,918.72	15,197.71
Unallocated Expenses													(-)2973.06	(-)2,763.27
Profit/(Loss) Before Tax													13,945.66	12,434.44
Income Tax													3,418.51	3,215.42
Extraordinary Profit/ (Loss)														
Net Profit/ (Loss)													10,527.15	9,219.02
Other Information :														
Segment Assets	3,66,468.14	3,51,187.63	4,27,115.58	3,80,856.80	3,40,935.46	2,82,218.80	11.10	6.65	3,40,924.36	2,82,212.13	0.00	0.00	11,34,519.18	10,14,263.2
Unallocated Assets													28,913.61	28,318.75
Total Assets													11,63,432.79	10,42,581.95
Segment Liabilities	3,45,070.81	3,31,339.32	4,06,786.94	3,65,429.45	3,16,131.27	2,59,782.50	11.10	7.10	3,16,120.17	2,59,775.38	0.00	0.00	10,67,989.02	9,56,551.25
Unallocated Liabilities													7,453.55	7,429.25
Total Liabilities													10,75,442.57	9,63,980.50
Capital Employed	21,397.33	19,848.30	20,328.64	15,427.35	24,804.19	22,436.30	0.00	(-)0.46	24,804.19	22,436.76			66,530.16	57,711.95
Unallocated Capital Employed													21,460.06	20,889.50
Total Capital Employed													87,990.22	78,601.45

(*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

Part B: Geographical Segment

Geographical Segments	Domestic		International		Total	
Particulars	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	75,347.76	70,276.73	9,687.78	9,543.19	85,035.54	79,819.92
Assets	9,91,566.63	8,81,584.35	1,71,866.16	1,60,997.60	11,63,432.79	10,42,581.95

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

- Treasury:** 'Treasury' segment includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations including Derivative contracts.
- Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all lending activities to trust, partnership firms and companies which are not included Retail Banking.
- Retail Banking:** Retail Banking segment comprises of Digital Banking and Other Retail Banking. Digital Banking includes digital banking products acquired by DBUs. Other Retail Banking includes all housing loan accounts and borrower accounts having exposure up to ₹ 7.50.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits and borrowings incurred by it.

Allocation of Assets & Liabilities

- Assets & Liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.
- Assets & Liabilities not directly attributable to specific segment are allocated in proportion Earning Assets.

Allocation of Costs:

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.
- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

- Domestic Operations
- International Operations

6.5 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):**I) List of Related Parties:****a. Key Managerial Personnel :**

Managing Director & CEO :	Shri Rajneesh Karnatak
Executive Directors :	Shri P R Rajagopal Shri Subrat Kumar Shri Rajiv Mishra Shri Pramod Kumar Dwivedi (from 24.11.2025)

b. Subsidiaries:

- BOI Services Limited[~] (erstwhile BOI Shareholding Limited)
- Bank of India Investment Managers Pvt Ltd. (erstwhile BOI AXA Investment Managers Private Limited)
- Bank of India Trustee Services Pvt Ltd. (erstwhile BOI AXA Trustee Services Private Limited)
- BOI Merchant Bankers Limited
- PT Bank of India Indonesia Tbk
- Bank of India (Tanzania) Limited

vii. Bank of India (New Zealand) Limited

viii. Bank of India (Uganda) Limited

c. Associates:

i. STCI Finance Limited

ii. ASREC (India) Limited

iii. Indo Zambia Bank Limited

d. Regional Rural Banks sponsored by the Bank:

i. Madhya Pradesh Gramin Bank

ii. Vidharbha Konkan Gramin Bank (ownership transferred w.e.f. 01st May 2025)

iii. Aryavart Bank (ownership transferred w.e.f. 01st May 2025)

e. Joint Venture:

i. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Limited

Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

Particulars	With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		Key Management Personnel & their relatives		TOTAL	
	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025
Transactions during the period						
Interest Received	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interest Paid	487.00	423.22	0.00	0.00	487.00	423.22
Dividend received	16.87	19.25	0.00	0.00	16.87	19.25
Other Income	208.84	229.56	0.00	0.00	208.84	229.56
Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deposits accepted	8.73	14.07	0.00	0.00	8.73	14.07
Matured Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Loans Provided	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Loans Repaid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sale of NPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investments made	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equity shares issued under Employee's Stock Purchase Scheme (ESPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Particulars	With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		Key Management Personnel & their relatives		TOTAL	
	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025
Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Payable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deposits accepted	141.41	132.69	0.00	0.00	141.41	132.69
Borrowing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Loans given	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Placement of the Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receivables (Advances)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investments	180.51	180.51	0.00	0.00	180.51	180.51
Non Funded Commitment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing / HP arrangements availed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing / HP arrangements provided	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Particulars	With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		Key Management Personnel & their relatives		TOTAL	
	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025
Purchase of fixed assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sale of fixed assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Assets	5.16	5.49	0.00	0.00	5.16	5.49

The transactions with wholly owned subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

6.6 Accounting Standard 19 – Leases: - Operating leases are cancellable at the option of the Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit & Loss Account for such operating lease is ₹ 819.35 (Previous Year: ₹ 748.44).

6.7 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹:

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1.	Basic EPS	23.12	20.25
2.	Diluted EPS	23.12	20.25

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(A)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	10,527.15	9,219.02
(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	455.27	455.27
(C)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	23.12	20.25
(D)	Weighted Average Number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore)	455.27	455.27
(E)	Dilutive Earnings per Share (A/D) (₹)	23.12	20.25
(F)	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

6.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

6.8.1 The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

Sr. No.	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
	Deferred Tax Assets		
i)	On account of provision for doubtful debt and advances	1,039.81	2,044.96
ii)	On account of timing difference towards other provisions	104.63	200.61
iii)	On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	565.61	244.46
iv)	On account of Foreign Offices	105.58	118.06
v)	DTA on account of Fair Valuation of ZCB vide RBI Master Direction dated September 12, 2023	355.95	355.95
vi)	DTA on valuation of Investment - AFS Portfolio	78.71	--
vii)	Others	233.00	218.08
	Total Deferred Tax Assets	2,483.29	3,182.12
	Deferred Tax Liabilities		
i)	On account of Depreciation on fixed assets	157.69	179.79
ii)	On account of interest accrued but not due	1,054.12	957.68
iii)	On account of Deduction u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 *	659.40	659.40
iv)	On account of Foreign Offices	13.45	--
v)	Others	58.65	81.67
	Total Deferred Tax Liabilities	1,943.31	1,878.54
	Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)	539.98	1,303.58

* ₹ 431.67 out of past reserves and balance out of profit

6.8.2 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2025-26	2024-25
Current Tax	2,515.93*	1,343.51
Deferred Tax	902.58**	1,871.92
Total Tax Expense	3,418.51	3,215.43

*Includes the domestic minimum top-up taxes under Pillar Two legislation of ₹ 2.47 crore. The current tax expense has been arrived at after giving effect to the reversal of earlier years tax provision of ₹ 95.02 crore.

** Deferred tax includes tax of Domestic as well as Foreign branches.

6.9 Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations:

There are no discontinuing operations during the financial year 2025-26.

6.10 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹ 98.17 (Previous year ₹ 98.17) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.	98.17	India	27.48%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Liabilities		
Capital & Reserves	516.41	507.62
Deposits		
Borrowings	34.24	34.35
Other Liabilities & Provisions	10,097.12	8,018.40
Total	10,647.87	8,560.37
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	202.25	180.85
Balances with Banks and Money at call and short notice	0.00	0.00
Investments	10,028.00	8,210.49
Advances	36.58	24.86
Fixed Assets	34.10	25.61
Other Assets	346.94	118.56
Total	10,647.87	8,560.37
Capital Commitments	0.00	0.00
Other Contingent Liabilities	61.12	36.61
Income		
Interest Earned	26.94	24.07
Other Income	89.90	70.87
Total	116.84	94.94
Expenditure		
Interest Expended	2.66	2.66
Operating Expenses	105.44	68.55
Provisions & Contingencies	(-)0.15	1.17
Total	107.95	72.38
Profit / (Loss)	8.89	22.56

6.11 Accounting Standard 26 - Intangible Assets:

Particulars	Useful Life(No. of Years)	Amortization rates used	Amortisation Method
Software	5	20.00%	Straight Line Method

Gross block as on 31/03/2025	Additions during year ended 31/03/2026			Deductions during year ended 31/03/2026			Gross block closing bal. as on 31/03/2026
	Purchases	Transfers from Branches	Due to MOC	Sales/ write off	Transfers to branches	Due to MOC	
858.32	92.85	0.00	0.00	13.57	0.00	0.00	937.60

Accumulated Depreciation as on 31/03/2025	Additions during year ended 31/03/2026			Deductions during year ended 31/03/2026			Gross block closing bal. as on 31/03/2026
	From profit & loss a/c	Transfers from Branches	Due to MOC	Sales/ write off	Transfers to branches	Due to MOC	
439.90	133.11	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	569.13

Gross block as on 31/03/2024	Additions during year ended 31/03/2025			Deductions during year ended 31/03/2025			Gross block closing bal. as on 31/03/2025
	Purchases	Transfers from Branches	Due to MOC	Sales/ write off	Transfers to branches	Due to MOC	
642.56	218.45	0.00	0.00	2.69	0.00	0.00	858.32

Accumulated Depreciation as on 31/03/2024	Additions during year ended 31/03/2026			Deductions during year ended 31/03/2026			Gross block closing bal. as on 31/03/2025
	From profit & loss a/c	Transfers from Branches	Due to MOC	Sales/ write off	Transfers to branches	Due to MOC	
344.88	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.90

6.12 Impairment of Assets (Accounting Standard 28):

In terms of Bank's approved revaluation policy, the immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Bank's approved valuers in March 31, 2025 and the impairment of Fixed Assets year ended March 31, 2026 as per AS-28 is "NIL".

6.13 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” (Accounting Standard 29)**A. Movement of Provisions for contingent liabilities:**

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	2025-26	2024-25
Opening Balance	103.10	88.60
Provided during the year	4.21	27.23
Amounts reversed/used during the year	11.80	12.73
Closing Balance	95.51	103.10
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	

Excluding provisions for others*B. Contingent Liabilities:**

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

15. Figures of the previous period have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to conform to the current period's classification.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1) हमने बैंक ऑफ़ इंडिया ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2026 को तुलन पत्र, संबंधित वर्ष के अंत में लाभ-हानि विवरणी तथा नकद प्रवाह की विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोट्स एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं जिसमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के विवरण शामिल हैं:

- हमारे द्वारा प्रधान कार्यालय (विभिन्न विभागों सहित), 13 एफजीएमओ, 1 ट्रेजरी शाखा और 20 घरेलू शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई;
- संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 1821 घरेलू शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों की लेखापरीक्षा की गई; और
- संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा 22 विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई।

बैंक ने हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है।

तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी में उन 4180 घरेलू शाखाओं/प्रसंस्करण केन्द्रों तथा शून्य विदेशी शाखा की विवरणी भी शामिल है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं और अन्य कार्यालयों से 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु 17.42% अग्रिम, 29.60% जमाराशियाँ, 13.96% ब्याज आय तथा 23.03% ब्याज व्यय एवं यथा 31 मार्च, 2026 को 16.52% एनपीए है।

हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के द्वारा जैसा आवश्यक है, उसके अनुरूप जानकारी देती हैं तथा यह भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

ए) तुलन पत्र, उस पर दिए गए नोट्स सहित, एक संपूर्ण और स्पष्ट तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, इसे उपयुक्त ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2026 तक के बैंक के मामलों की स्थिति और स्पष्ट नज़रिया प्रदर्शित किया जा सके।

बी) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में लाभ का वास्तविक शेष; और

सी) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में सही व उचित स्थिति।

मत का आधार

2. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा पर मानक (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, जिसमें आईसीएआई लेखांकन मानक शामिल हैं, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन यथासंशोधित हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत का आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार, हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

3. 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी मानदंडों (आईआरएसी मानदंड) का अनुपालन। अग्रिम : बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के संबंध में हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। बैंक ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनपीए खातों की पहचान तथा वर्गीकरण के लिए आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक के वित्तीय विवरणों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वर्गीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएसई/एनएसई, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के वित्तीय विवरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमशः 65.35% तथा 23.09% है। चूंकि बैंक के कारोबार का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामकीय अनुपालन शामिल है, अतः हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों /परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पालिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। अग्रिम: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: ए) अग्रिम के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। बी) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं। सी) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी मानदंडों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। डी) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना। ई) हमें आबंटित शाखाओं की, लेखा-परीक्षण के दौरान, हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। एफ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। निवेश: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: ए) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। बी) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। सी) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यहास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। डी) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
2	अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन आयकर मुकदमों सहित बैंक अनेक मुकदमों में शामिल है जिनमें उन मुकदमों के खिलाफ विवादित दावे शामिल हैं, जो विभिन्न न्यायालयों/फोरम में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। बैंक के अप्रत्यक्ष कर के तहत कुछ भुगतानों पर इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता/रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की प्रयोज्यता के बारे में भी विवादित मामले हैं।	हमारे लेखा-परीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है: ए) मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। साथ ही प्रबंधन से 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष तक पूर्ण किए गए कर निर्धारणों और नवीनतम आदेशों, विभिन्न कर अधिकारियों से प्राप्त संचार और दायर अपीलों का विवरण प्राप्त किया। बी) कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं का मूल्यांकन करना। इसमें इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी मिसाल और अन्य फैसलों पर विचार करना शामिल है।
3.	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन: ए) संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, एकल वित्तीय विवरणी तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट देना आदि में आईटी कंट्रोल, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर बहुत अधिक निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: ए) बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश तथा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हुए प्रमुख परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। बी) बैंक द्वारा नियुक्त विभिन्न आईएस लेखा परीक्षकों/परामर्शदाताओं की रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा आईआरएसी स्वचालन नियंत्रण सहित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की गई। सी) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई। डी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाएं निष्पादित करने की आवश्यकता को पहचाना, हमने मैनुअल प्रतिपूरक नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे कि प्रणालियों और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य स्थापित करना या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, हमने अपने नमूना आकार को बढ़ाया।

अन्य मामले

4. हमने बैंक की एकल वित्तीय विवरणी में शामिल 1843 शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों सहित 22 विदेशी शाखाओं की वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी, यथा 31 मार्च 2026 को रु. 4,61,757.92 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 31,476.88 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जो एकल वित्तीय विवरणियों में विचारित हैं। ये शाखाएं तथा प्रसंस्करण केन्द्र यथा 31 मार्च 2026 को 46.23% अग्रिमों, 66.75% जमाराशियों तथा 40.48% अनर्जक आस्तियों और 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 37.84 % राजस्व को कवर करते हैं। इन शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखापरीक्षा, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारी

राय, जो इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है वह पूर्णरूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अपने लेखापरीक्षण में, हमने 4180 घरेलू शाखाओं और शून्य विदेशी शाखा के संबंध में संबंधित शाखा के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित विवरणों पर ध्यान दिया है। ये अलेखापरीक्षित शाखाएँ 31 मार्च 2026 तक अग्रिमों का 17.42%, जमाराशियों का 29.60% और अनर्जक आस्तियों का 16.52% और 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए राजस्व का 14.86% कवर करती हैं।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को आशोधित नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से भिन्न जानकारी

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो हमें अनुमानतः इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे।

एकल वित्तीय विवरणी पर हमारा मत, अन्य जानकारियों तथा बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटनों को शामिल नहीं करता है तथा इस पर हम किसी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष, व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी, अन्य जानकारियों का अध्ययन करना तथा ऐसा करने में यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारियाँ वित्तीय विवरणियों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत तो नहीं है या लेखा-परीक्षा या अन्यथा प्राप्त हमारा ज्ञान गंभीर रूप से गलत प्रस्तुत किया गया तो नहीं लग रहा है।

जब हम अन्य जानकारी का अध्ययन करते हैं तथा यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई गलत जानकारी है तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम प्रशासन के प्रभारी को उक्त मामले के विषय में बताएं तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित करें।

एकल वित्तीय विवरणी के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभाव दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी

6. बैंक का निदेशक मण्डल, इन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा बैंक के नकदी प्रवाह की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। उक्त विवरणी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों एवं समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में है। इस जिम्मेदारी में, निम्नलिखित शामिल हैं - बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित निदेशक मण्डल, बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता की निरंतरता की क्षमता का मूल्यांकन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों का प्रकटन, जो भी लागू हो तथा लेखांकन में संस्था की निरंतरता के आधार का प्रयोग, जब तक कि बैंक का प्रबंधन बैंक का परिसमापन या

परिचालन बंद न करना चाहते हों या ऐसे करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न हो, हेतु उत्तरदायी है।

बैंक के निदेशक मंडल, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों का ध्यान रखने वाली लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षड्यंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।
- वर्तमान परिस्थितियों में उचित लेखा-परीक्षा प्रक्रिया को तैयार करने के लिए लेखा-परीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना। आरबीआई के पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) के अपेक्षानुसार, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं निदेशक मण्डल द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी, प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह

उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षा को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।

- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन।

तथ्यात्मकता, वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्वता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को प्रशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी को इस विवरण के साथ यह भी सूचित करते हैं कि हम निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों एवं अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन करते हैं।

प्रशासन को सूचित, संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं।

इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से ज्यादा ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।
9. उपर्युक्त लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों (पैरा 7), प्रबंधन जिम्मेदारियों (पैरा 6) और अन्य मामलों (पैरा 4) पर पैराग्राफ में बताई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के

अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए. हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है तथा वे संतोषजनक हैं;
 - बी. हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के संव्यवहार बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और
 - सी. बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रही हैं।
10. “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं” पर पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020, जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट देते हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- ए. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करती हैं, उस सीमा तक जहां तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
 - बी. ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं हैं, जिससे बैंक के कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
 - सी. जैसा कि बैंककारी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।
 - डी. खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
 - ई. आर.बी.आई के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 के द्वारा यथा आवश्यक, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट यथा 31 मार्च, 2026 को वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपरिवर्तित मत प्रकट करता है।
11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

- ए. संबंधित बहियों के हमारे परीक्षण से हमारी राय में, यह प्रतीत होता है कि विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ, बैंक द्वारा उचित रूप से रखी गई हैं और जिन शाखाओं एवं प्रसंस्करण केन्द्रों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त विवरणियाँ हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं।
- बी. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण न की गई शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों से प्राप्त बही खातों और विवरणियों से मेल खाते हैं,

- सी. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्यवाई की है, और
- डी. हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक, अनुपालन करते हैं।

कृते एस. जयकिशन सनदी लेखाकार (एफआरएन: 309005E) रितेश अग्रवाल भागीदार// आईसीएआई सदस्यता सं.062410 यूडीआईएन:26062410XKRXAL6507	कृते ए. बाफना एवं कंपनी सनदी लेखाकार (एफआरएन: 003660C) कार्तिक खंडेलवाल भागीदार// आईसीएआई सदस्यता सं. 426965 यूडीआईएन: 26426965ASBFHP7284
कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन:000235N / N500089) आशीष अग्रवाल भागीदार// आईसीएआई सदस्यता सं. 093790 यूडीआईएन: 26093790YAZYWD5968	कृते सारदा और पारीक एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन: 109262W/W100673) भागीदार//आईसीएआई सदस्यता सं. 102789 यूडीआईएन: 26102789BZLGUE9361

स्थान - मुंबई

दिनांक - 8 मई, 2026

स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यों को सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ 10 (ई) का संदर्भ लें।)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आगे "आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संप्रेषण") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

मत

- हमने संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) की इस एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ तथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा की है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग भी शामिल है।
- हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे पैराग्राफ "अन्य मामले" में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, बैंक के पास, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- बैंक का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार होगा जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाये हुए था। इस जिम्मेदारी में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक की आस्तियों की रक्षा, धोखाधड़ियों एवं गलतियों की रोकथाम तथा पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता तथा पूर्णता तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत यथा आवश्यक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र तथा दिशा-निर्देशों द्वारा जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयपूर्वक तैयारी भी शामिल है।

लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा-परीक्षा

पर गड्डेंस नोट ("गाड्डेंस नोट") तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एस.ए), आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर लागू होने की सीमा तक के अनुसरण में अपनी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त गाड्डेंस नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ तथा लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा क्या सभी महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में ऐसे नियंत्रणों ने ठीक प्रकार से काम किया है।

- हमारी लेखा-परीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता के विषय में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल थी। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई गंभीर कमजोरी मौजूद है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जाँच एवं उसका मूल्यांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा-परीक्षा में शामिल था। चयनित प्रक्रिया, लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आश्रित होगी, जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की गंभीर गलती के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।
- हम मानते हैं कि निम्नलिखित "अन्य मामले" शीर्षक के निम्नलिखित अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

- वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर भरोसे तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में पर्याप्त भरोसे को उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं तथा यह पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों की प्रकृति तथा संबंधित संव्यवहारों को ठीक प्रकार से तथा सही रूप में बताती हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया जाता है तथा बैंक की प्राप्तियाँ तथा व्यय बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किये जाते हैं तथा (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, प्रयोग या डिस्पोजिशन की समयपूर्वक पहचान या बचाव के संबंध में पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना, जिसका वित्तीय विवरणियों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

8. आपसी मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों के ऊपर हावी होने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण गलती से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकती है तथा ऐसा भी संभव है कि यह पकड़ी न जाए। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान जोखिमों के अधधीन है। उक्त जोखिम यह है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण,

स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या पॉलिसियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

अन्य मामले

9. हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक यह 1821 घरेलू शाखाओं और प्रसंस्करण केन्द्रों एवं 22 विदेशी शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा-परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस संबंध में हमारा मत आशोधित नहीं है।

कृते एस. जयकिशन सनदी लेखाकार (एफआरएन: 309005E) रितेश अग्रवाल भागीदार// आईसीएआई सदस्यता सं. 062410 यूडीआईएन: 26062410XKRXAL6507	कृते ए. बाफना एवं कंपनी सनदी लेखाकार (एफआरएन: 003660C) कार्तिक खंडेलवाल भागीदार// आईसीएआई सदस्यता सं. 426965 यूडीआईएन: 26426965ASBFHP7284
कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन: 000235N / N500089) आशीष अग्रवाल भागीदार// आईसीएआई सदस्यता सं. 093790 यूडीआईएन: 26093790YAZYWD5968	कृते सारदा और पारीक एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन: 109262W/W100673) भागीदार//आईसीएआई सदस्यता सं. 102789 यूडीआईएन: 26102789BZLGUE9361

स्थान - मुंबई

दिनांक - 8 मई, 2026

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Bank of India**Report on the Audit of the Standalone Financial Statements****Opinion**

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Bank of India ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of:

- (i) The Head Office (including various verticals), 13 FGMOs, 1 Treasury Branch and 20 Domestic Branches audited by us
- (ii) 1821 Domestic Branches and Processing Centres audited by the respective Statutory Branch Auditors and
- (iii) 22 Foreign Branches audited by respective Local Auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India.

Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, and Cash Flow Statement are the returns from 4180 domestic branches/ Processing Centres and Nil foreign branch which have not been subjected to audit. These unaudited branches and other offices account for 17.42% of advances, 29.60% of deposits, 13.96% of interest income and 23.03% of interest expended for the year ended March 31, 2026 and 16.52% of Non-performing asset as at March 31, 2026.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for the bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2026;
- b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and
- c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the ICAI Accounting Standards, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

Sr	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1	<u>Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms)</u> <u>Advances:</u> Bank has to classify the accounts as performing advances or non-performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. The bank has implemented IRAC automation software for identification and classification of NPA as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the Standalone Financial Statements of the bank. <u>Investments:</u> Bank has to classify the investments as performing or non-performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non-performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA/FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the Standalone Financial Statements of the bank. Advances and Investments constitute 65.35% and 23.09% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank. <u>Advances: Our audit procedure included:</u> - Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances. - Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. - Communication to the Statutory Branch Auditors (SBAs) to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and reliance on the audit reports furnished by the SBAs. - Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us. - Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. <u>Investments: Our audit procedure included:</u> - Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. - Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. - Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines. - Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.
2	<u>Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities</u> The Bank has various litigations including Income-tax litigations, involving disputed claims against those litigations, which are pending at various courts / forums and are at various stages in the judicial process. Bank has also disputes regarding availability of input credits / applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Taxes.	<u>Our audit procedure included:</u> - Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Also obtained details of completed tax assessments and latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed till the year ended March 31, 2026, from the management. - Evaluating the management's underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. This includes considering the legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax positions.

Sr	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
3	<u>Assessment of Information Technology (IT):</u> a. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing Standalone Financial Statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	<u>Our audit procedure included:</u> a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. b) Reviewed the Reports of various IS Auditors / Consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with key IT controls, including IRAC Automation Controls. c) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. d) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

Other Matters

4. We did not audit the financial statements / financial information of 1843 branches and processing centres including 22 foreign branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/financial information reflects total assets of Rs. 4,61,757.92 Crores at March 31, 2026 and total revenue of Rs. 31,476.88 Crores for the year ended on that date as considered in the Standalone Financial Statements. These branches and processing centres cover 46.23 % of advances, 66.75% of deposits and 40.48% of Non performing assets as on March 31, 2026 and 37.84% of revenue for the period April 1, 2025 to March 31, 2026. The Financial statements/financial information of these branches and processing centres have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches and processing centres, are solely based on the report of such branch auditors.

In conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 4180 domestic branches/ processing centres and Nil foreign branch certified by the respective branch's management. These unaudited branches cover 17.42 % of advances, 29.60 % of deposits and 16.52 % of non-performing assets as on March 31, 2026 and 14.86 % of revenue for the period April 1, 2025 to March 31, 2026.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the Other Information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement (including annexures in the Annual Report) but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditor's report thereon, which is expected to be made available for us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. As required by the RBI letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls with reference to the Standalone Financial Statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and other factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs on Auditor's Responsibilities (para 7), Management Responsibilities (para 6) and Other Matters (para 4) above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks—Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
 - c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
 - d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at March 31, 2026.
11. We further report that:
 - a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches and processing centres not visited by us;
 - b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches and processing centres not visited by us;

- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India..

For S. Jaykishan Chartered Accountants (FRN: 309005E) Ritesh Agarwal Partner // ICAI M. No. 062410 UDIN: 26062410XKRXAL6507	For A. Bafna & Co. Chartered Accountants (FRN: 003660C) Kartik Khandelwal Partner // ICAI M. No. 426965 UDIN: 26426965ASBFHP7284
For SCV & Co. LLP Chartered Accountants (FRN:000235N / N500089) Ashish Agarwal Partner // ICAI M. No. 093790 UDIN: 26093790YAZYWD5968	For SARDA & PAREEK LLP Chartered Accountants (FRN:109262W/W100673) Niranjan Joshi Partner // ICAI M. No. 102789 UDIN: 26102789BZLGUE9361

Place: Mumbai
Date: May 8, 2026

Annexure-A to Independent Auditors' Report

Referred to in Paragraph 10(e) of the Independent Auditors' Report of even date to the members of Bank of India on the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2026

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

Opinion

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements of Bank of India ("the Bank") as of March 31, 2026 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements of the Bank's branches.
2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements and such Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2026, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI").

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

3. The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform

the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

5. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
6. We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

7. A Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

8. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements to future periods are

subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

9. Our aforesaid report, in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 1821 domestic branches and processing centres and 22 foreign branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For S. Jaykishan Chartered Accountants (FRN: 309005E) Ritesh Agarwal Partner // ICAI M. No. 062410 UDIN: 26062410XKRXAL6507	For A. Bafna & Co. Chartered Accountants (FRN: 003660C) Kartik Khandelwal Partner // ICAI M. No. 426965 UDIN: 26426965ASBFHP7284
For SCV & Co. LLP Chartered Accountants (FRN:000235N / N500089) Ashish Agarwal Partner // ICAI M. No. 093790 UDIN: 26093790YAZYWD5968	For SARDA & PAREEK LLP Chartered Accountants (FRN:109262W/W100673) Niranjan Joshi Partner // ICAI M. No. 102789 UDIN: 26102789BZLGUE9361

Place: Mumbai

Date: May 8, 2026



बैंक ऑफ़ इंडिया

समेकित

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2026

एवं

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

लाभ एवं हानि खाता

BANK OF INDIA

**CONSOLIDATED
BALANCE SHEET**

As at 31st March, 2026

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2026

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2026

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची सं. Schedule No.	यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
पूँजी एवं देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	45,534,070	45,534,070
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	854,051,382	761,723,477
शेयर आवेदन राशि, जो आबंटन हेतु लंबित है	Share Application Money, pending allotment		0	0
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	1,783,150	1,615,688
जमा राशियां	Deposits	3	9,309,734,128	8,198,059,755
उधार	Borrowings	4	1,186,258,884	1,238,694,557
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	398,154,275	318,622,515
कुल	TOTAL		11,795,515,889	10,564,250,062
आस्तियां	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	476,604,212	521,258,347
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	519,289,594	487,113,331
निवेश	Investments	8	2,790,837,288	2,680,022,897
अग्रिम	Advances	9	7,646,514,656	6,535,182,203
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	118,770,949	120,469,407
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	243,499,190	220,203,877
कुल	TOTAL		11,795,515,889	10,564,250,062
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	6,654,256,911	6,437,670,945
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		279,349,765	279,983,418
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलनपत्र बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

वी कुमार	सुधीरंजन पाढ़ी	प्रमोद द्विवेदी	राजीव मिश्रा	सुब्रत कुमार	पी आर राजगोपाल	रजनीश कर्नाटक	एम.आर. कुमार
B Kumar	Sudhiranjan Padhi	Pramod Dwivedi	Rajiv Mishra	Subrat Kumar	P. R. Rajagopal	Rajneesh Karnatak	M.R. Kumar
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष
General Manager & Chief Financial Officer	Chief General Manager	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO	Chairman

निदेशकगण DIRECTORS

मनोज मुत्ताथिल अध्यक्ष
Manoj Muttathil Ayyappanअशोक नारायण
Ashok Narainजमुना रवि
Jamuna Raviप्रबोध पारिख
Prabodh Parikh

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एस. जयकिशन For S.Jaykishan	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP
सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 062410	कार्तिक खंडेलवाल Kartik Khandelwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 426965	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	निरंजन जोशी Niranjan Joshi भागीदार Partner एम.नं. M. No. 102789

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 8 मई, 2026 / Date : May 8, 2026

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2026 ₹	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2025 ₹
I. आय	I. INCOME			
अर्जित आय	Interest earned	13	756,132,752	713,077,088
अन्य आय	Other income	14	100,362,868	91,047,344
कुल	TOTAL		856,495,620	804,124,432
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया व्याज	Interest expended	15	501,394,943	465,941,808
परिचालन व्यय	Operating expenses	16	182,505,544	172,099,099
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies		66,514,501	72,688,798
कुल	TOTAL		750,414,988	710,729,705
सहयोगी कंपनियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16A	2,199,882	2,126,999
अल्पसंख्यकों के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		103,092,470	95,521,726
घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Exceptional Loss		(5,188,045)	-
वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Less: Minorities' Interest		29,478	38,926
	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		103,062,992	95,482,800
जोड़ें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		130,943,134	130,943,134
कुल	TOTAL		234,006,126	226,425,933
III. विनियोजन	III. APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		26,320,000	23,050,000
निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		1,092,108	0
राजस्व आरक्षित को/(से) अंतरण	Transfer to/ (from) Revenue Reserve		-	-
पूंजी आरक्षित को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		4,204,100	2,130,200
निवेश आरक्षित खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		-	-
प्रदत्त लाभांश	Dividend Paid		18,438,305	12,747,470
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		-	-
सहयोगी कंपनी हेतु लाभांश कर	Dividend Tax - for Subsidiary		-	0
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (VIII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		-	0
समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance sheet		183,951,613	130,943,134
कुल	TOTAL		234,006,126	168,870,804
प्रति शेयर आय (₹) (बेसिक और डायल्यूटेड)	Earnings Per Share (Basic and Diluted) ₹		22.64	20.97

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

बी कुमार	सुधीरंजन पाढ़ी	प्रमोद द्विवेदी	राजीव मिश्रा	सुब्रत कुमार	पी आर राजगोपाल	रजनीश कर्नाटक	एम.आर. कुमार
B Kumar	Sudhiranjan Padhi	Pramod Dwivedi	Rajiv Mishra	Subrat Kumar	P. R. Rajagopal	Rajneesh Karnatak	M.R. Kumar
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष
General Manager & Chief Financial Officer	Chief General Manager	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO	Chairman

निदेशकगण DIRECTORS

मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन
Manoj Muttathil Ayyappanअशोक नारायण
Ashok Narainजमुना रवि
Jamuna Raviप्रबोध पारिख
Prabodh Parikh

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एस. जयकिशन For S.Jaykishan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 062410	कार्तिक खंडेलवाल Kartik Khandelwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 426965	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	निरंजन जोशी Niranjan Joshi भागीदार Partner एम.नं. M. No. 102789

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2026

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

विवरण	Particulars	को समाप्त वर्ष/ Year ended 31-03-2026	को समाप्त वर्ष/ Year ended 31-03-2025
ए. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	A. Cash Flow from Operating Activities:		
कर पूर्व निवल लाभ	Net Profit before taxes	137,697,358	127,671,345
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
निवेश पर परिशोधन/ मूल्यहास	Amortisation/Depreciation on Investments	297,000	(2,960,644)
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on Fixed Assets	7,309,672	6,035,552
भूमि, मकान एवं आस्तियों की बिक्री पर लाभ	Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	(2,379,278)	(2,030,017)
निवेशों के (निष्पादन कर रहे निवेशों पर मूल्यहास सहित)	(Profit) / Loss on Revaluation of Investments (Incl depn performing inv)	4,633,579	(1,593,278)
पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि)			
एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPA	34,633,506	46,601,366
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	1,025,164	(3,988,702)
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	(3,778,539)	708,432
एटी-1, टियर -II बॉण्ड पर ब्याज	Interest on AT I & Tier II bonds	20,993,039	13,024,745
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Associates	(294,503)	(305,557)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)	Increase / (Decrease) in Deposits	1,111,674,373	791,945,378
उधार में वृद्धि/ (कमी)	Increase/ (Decrease) in Borrowings	(33,915,673)	404,091,860
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	95,493,528	3,273,837
निवेश में वृद्धि/ (कमी)	(Increase) / Decrease in Investments	(124,738,822)	(325,139,630)
अग्रिमों में वृद्धि/ (कमी)	(Increase) / Decrease in Advances	(1,143,719,659)	(915,345,767)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/ (कमी)	(Increase) / Decrease in Other Assets	(54,331,108)	44,802,847
आयकर पूर्व परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	Cash Flow from Operating Activities before Income Tax	50,599,637	186,791,766
कर (प्रदत्त)/ धन वापसी	Taxes (Paid) / Refund	(3,071,021)	(1,447,300)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	Net Cash Flow from Operating Activities (A)	47,528,616	185,344,466
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	B. Cash Flow from Investing Activities:		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(8,901,124)	(7,230,490)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of Fixed Assets	446,639	499,545
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Associates	294,503	305,557
समेकन का प्रभाव	Impact of Consolidation	4,706,902	(2,126,999)
अल्पसंख्यक हित	Minority Interest	167,462	7,595
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(3,285,618)	(8,544,792)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	C. Cash Flow from Financing Activities:		
इक्विटी शेयर पूंजी	Equity Share Capital	-	-
शेयर प्रीमियम	Share Premium	1,230,474	1,114,598
शेयर आवेदन राशि	Share Application Money	-	-
टियर I और टियर II कैपिटल बॉण्ड का निर्गम/(मोचन) (निवल)	Issue / (Redemption) of Tier I and Tier II Capital Bonds (Net)	(18,520,000)	25,000,000
प्रदत्त लाभांश	Dividend Paid	(18,438,305)	(12,747,470)
एटी I, टियर II बॉण्ड पर ब्याज	Interest on AT I & Tier II bonds	(20,993,039)	(13,024,745)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	Net Cash Flow from Financing Activities (C)	(56,720,870)	342,383

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2026

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

विवरण	Particulars	को समाप्त वर्ष/ Year ended 31-03-2026	को समाप्त वर्ष/ Year ended 31-03-2025
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (ए+(बी)+(सी))	Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	(12,477,872)	177,142,057
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	1,008,371,678	831,229,621
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	995,893,806	1,008,371,678
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य का समाधान	Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	476,604,212	521,258,347
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	519,289,594	487,113,331
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	995,893,806	1,008,371,678

नोट्स:

- नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि (एएस-3) के तहत तैयार किया गया है और पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनर्समूहीकृत किया गया है।
- नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, एटीएम में नकदी, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमा राशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि जिसे तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके, शामिल है।

Notes:

- The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method (AS-3) and figures of Previous Years has been regrouped wherever considered necessary
- Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

वी कुमार B Kumar	सुधीरंजन पाढ़ी Sudhiranjan Padhi	प्रमोद द्विवेदी Pramod Dwivedi	राजीव मिश्रा Rajiv Mishra	सुब्रत कुमार Subrat Kumar	पी आर राजगोपाल P. R. Rajagopal	रजनीश कर्नाटक Rajneesh Karnatak	एम.आर. कुमार M.R. Kumar
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	अध्यक्ष Chairman

निदेशकगण DIRECTORS

मनोज मुत्ताथिल अध्यक्ष
Manoj Muttathil Ayyappan

अशोक नारायण
Ashok Narain

जमुना रवि
Jamuna Ravi

प्रबोध पारिख
Prabodh Parikh

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एस. जयकिशन For S.Jaykishan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 062410	कार्तिक खंडेलवाल Kartik Khandelwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 426965	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	निरंजन जोशी Niranjan Joshi भागीदार Partner एम.नं. M. No. 102789

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 8 मई, 2026 / Date : May 8, 2026

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	SCHEDULE - 1 : CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी	AUTHORISED CAPITAL		
प्रत्येक ₹10 के 600,00,00,000 (पिछले वर्ष 600,00,00,000) इक्विटी शेयर	600,00,00,000 (Previous year 600,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	60,000,000	60,000,000
निर्गमित पूँजी	ISSUED CAPITAL		
प्रत्येक ₹ 10 के 455,38,44,966 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 455,38,44,966)	Equity Shares 455,38,44,966 (Previous year ended 455,38,44,966) of ₹10 each	45,538,450	45,538,450
कुल	TOTAL	45,538,450	45,538,450
अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी	SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL		
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 455,26,67,866 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 455,26,67,866)	455,26,67,866 Equity Shares (Previous year 455,26,67,866) of ₹ 10 each fully paid-up.	45,526,679	45,526,679
जोड़े: जल शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	TOTAL*	45,534,070	45,534,070
* उपर्युक्त में से 334,08,61,720 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 334,08,61,720) प्रत्येक ₹10 के ₹3340.86 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹3340.86 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित है।	* Of the above, 334,08,61,720 Equity Shares (Previous year ended 334,08,61,720) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹3340.86 crore (Previous year ended ₹3340.86 crore) is held by Central Government.		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	I. Statutory Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	133,909,720	110,885,412
जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धन/समायोजन	Add: Additions/adjustments during the year	26,294,216	23,024,308
कुल (I)	TOTAL (I)	160,203,936	133,909,720
II. पूँजी आरक्षितियां :	II. Capital Reserves :		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	83,220,790	68,752,070
जोड़: परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़े गए	Add : Addition during the year on Revaluation of Premises	723,009	15,802,420
घटाएँ : अवधि के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	1,495,244	(186,475)
घटाएँ : पुनर्मूल्यांकन की वजह से मूल्यहास/समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	2,204,013	1,520,175
(ए) का कुल	Total of (A)	80,244,542	83,220,790
बी) अन्य	B) Others:		
i) पूँजी आरक्षिति (अनुषंगी/सहायक/स.उ.का विक्रय)	i) Capital Reserve (Sale of Subsidiary/Asso/JV)		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	Deductions during the year	-	-
(i) का उप-जोड़	Sub-total of (i)	-	-
ii) पूँजी मोचन आरक्षिति	ii) Capital Redemption Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	5,000	5,000
जोड़े/घटाएँ: संवर्धन/कटौतियां	Add /Less: Additions/deductions	-	-
(ii) का उप-जोड़	Sub-total of (ii)	5,000	5,000
iii) “परिपक्वता तक धारित” निवेशों को बिक्री पर लाभ	iii) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	36,346,779	34,216,579
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	4,204,100	2,130,200
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	40,550,879	36,346,779
iv) समेकन पर पूँजी आरक्षिति	iv) Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
जोड़े/ (घटाएँ) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add/ (Less) : Adjustment during the year	-	-
(iv) का उप-जोड़	Sub-total of (iv)	-	-
v) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	v) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	25,039,714	22,624,929
जोड़े: लेखांकन मानक 11 के अनुसार देयताओं एवं प्रावधानों से अंतरण	Add : Transfer from other liabilities & Provisions as per Accounting Standard 11	-	-
जोड़े/ (घटाएँ) : वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	14,342,256	2,414,785
(v) का उप-जोड़	Sub-total of (v)	39,381,970	25,039,714
vi) विशेष आरक्षित - मुद्रा विनिमय	vi) Special Reserve - Currency Swaps		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	0

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)		
जोड़ें/ (घटाएं) : वर्ष के दौरान कटौती	Add/(Less):Deductions during the year	-	0
(vi) का उप-जोड़	Sub-total of (vi)	-	0
vii) पूँजी आरक्षित (एफएस के अंतर्गत इक्विटी का विक्रय)	vii) Capital Reserve (Sale of equity under AFS)		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	Deductions during the year	-	-
(vii) का उप-जोड़	Sub-total of (vii)	0	0
(बी) का कुल	Total of (B)	79,937,849	61,391,493
कुल (II)	TOTAL (II)	160,182,391	144,612,283
III. शेयर प्रीमियम :	III. Share Premium :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	220,295,501	219,180,903
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	1,230,483	1,172,178
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ उपयोग	Less : Deductions / Utilization during the year	(9)	(57,580)
कुल (III)	TOTAL (III)	221,525,975	220,295,501
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	IV. Revenue and Other Reserves :		
i) राजस्व आरक्षित:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	90,626,525	88,106,190
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Addition during the year	1,655,921	2,370,630
जोड़ें: विलय पर पूँजी आरक्षितों अधिशेष से अंतरण	Add: Transfer from Capital Reserve-Surplus on Merger		
जोड़ें/ (घटाएं): समायोजन	Add / (Less): Adjustments	(492,552)	220,726
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less: Deductions during the year	1,743,898	71,022
(i) का उप जोड़	Sub-total of (i)	90,045,996	90,626,524
ii) निवेश आरक्षितियाँ :	ii) Investment Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	4,065,618
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Addition during the year	-	(4,065,618)
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less:Deduction during the year	-	-
(ii) का कुल	Sub-total of (ii)	-	-
iii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित :	iii) Investment Fluctuation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	12,853,771	12,853,771
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	1,092,108	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less: Deductions during the year	-	-
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	13,945,879	12,853,771
iv) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	26,200,000	26,200,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	-	-
(iv) का कुल-जोड़	Sub-total of (iv)	26,200,000	26,200,000
v) एफएस आरक्षित:	v) AFS Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2,282,544	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धित	Add: Additions during the year	11,597	2,282,544
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less: Deductions during the year	4,298,547	-
कुल (V)	Sub-total of (v)	(2,004,406)	2,282,544
कुल (IV)	TOTAL (IV)	128,187,469	131,962,839
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account	183,951,613	130,943,134
कुल (I से V)	TOTAL (I TO V)	854,051,382	761,723,477

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
अनुसूची - 2ए : अल्पसंख्यक हित	SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए	Minority interest at the date on which the parent-sub subsidiary relationship came into existence	1,615,688	1,608,093
तदुपरांत वृद्धि/(कमी)	Subsequent increase / (decrease)	167,462	7,595
तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance sheet	1,783,150	1,615,688
अनुसूची - 3 : जमा राशियां	SCHEDULE - 3 : DEPOSITS		
ए. I. माँग जमा राशियाँ :	A. I. Demand Deposits :		
i) बैंकों से	i) From Banks	3,848,372	5,484,792
ii) अन्य से	ii) From Others	401,128,813	388,092,136
कुल (I)	TOTAL (I)	404,977,185	393,576,928
II. बचत बैंक जमा राशियां	II. Savings Bank Deposits	2,649,135,288	2,456,876,451
III. मीयादी जमा राशियां :	III. Term Deposits :		
i) बैंकों से	i) From Banks	509,038,882	490,357,133
ii) अन्य से	ii) From Others	5,746,582,773	4,857,249,243
कुल (III)	TOTAL (III)	6,255,621,655	5,347,606,376
कुल ए (I to III)	TOTAL A (I to III)	9,309,734,128	8,198,059,755
बी. i) भारत में शाखाओं की जमा राशियां	B) i) Deposits of branches in India	8,003,548,808	7,002,106,279
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमा राशियां	ii) Deposits of branches outside India	1,306,185,320	1,195,953,476
कुल (बी)	TOTAL (B)	9,309,734,128	8,198,059,755
नोट: ₹ 57,035 करोड़ की ग्रहणधिकार जमा राशि सहित कुल जमा राशि (पूर्व वर्ष ₹ 49,572 करोड़)	Note: Total Deposits include lien marked deposits of ₹ 57,035 Crore (Previous year ₹ 49,572 Crore)		
अनुसूची - 4 : उधार	SCHEDULE - 4 : BORROWINGS		
I. भारत में उधार:	I. Borrowings in India:		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	120,000,000	300,000,000
ii) अन्य बैंक	ii. Other Banks		
ए. टियर I पूँजी बांड	a. Tier I Capital bonds	4,730,000	7,490,000
बी. टियर II पूँजी बांड	b. Tier II Capital bonds	8,740,000	9,090,000
सी. अन्य	c. Others	16,097,873	24,352,295
कुल (ii)	Total (ii)	29,567,873	40,932,295
ii) अन्य संस्थाएं और एजेंसी	iii. Other Institutions and Agencies		
ए. टियर I पूँजी बांड	a. Tier I Capital bonds	10,270,000	21,030,000
बी. टियर II पूँजी बांड	b. Tier II Capital bonds	79,260,000	83,910,000
सी. अन्य	c. Others	753,137,883	55,35,98,552
कुल (ii)	Total (iii)	84,26,67,883	65,85,38,552
	Total (I)	99,22,35,756	99,94,70,847
II. भारत के बाहर से उधार	II. Borrowings outside India		
ए. टियर I पूँजी बांड	a. Tier I Capital bonds	-	-
बी. टियर II पूँजी बांड	b. Tier II Capital bonds	-	-
सी. अन्य	c. Others	194,023,128	239,223,710
कुल (II)	Total (II)	194,023,128	239,223,710
कुल (I एवं II)	Total (I & II)	1,186,258,884	1,238,694,557
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	Secured borrowings included in above	648,387,883	730,498,552
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल	I. Bills Payable	16,542,483	16,077,840
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	4,902,600	2,964,920
III. उपार्जित व्याज	III. Interest Accrued	32,185,708	36,633,716
VI. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	134,521	0
VII. अन्य	V. Others	344,388,963	262,946,039
कुल	TOTAL	398,154,275	318,622,515

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
*मानक आस्तियों हेतु ₹ 46,455,430 (गत वर्ष ₹ 44,962,128) का प्रावधान शामिल है	* Includes provision for Standard Assets ₹46,455,430 (Previous Year ₹44,962,128),		
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. Cash in hand (including foreign currency notes & Gold)	17,407,210	17,819,052
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	II. Balances with Reserve Bank of India : *		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	311,815,968	401,982,930
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	147,381,034	101,456,365
कुल (II)	TOTAL (II)	459,197,002	503,439,295
कुल (I एवं II)	TOTAL (I & II)	476,604,212	521,258,347
* भारत के बाहर केन्द्रीय बैंकों के शेष सहित	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में :	I. In India :		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	982,926	454,496
बी) अन्य जमा राशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	1,704,250	17,095,029
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों में	a) With Banks	10,507,111	7,151,000
बी) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	-	-
कुल (I)	TOTAL (I)	13,194,287	24,700,525
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
II. भारत के बाहर :	II. Outside India :		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	20,416,949	12,490,746
ii) अन्य जमा राशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	234,503,719	229,512,247
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	251,174,639	220,409,813
कुल (II)	TOTAL (II)	506,095,307	462,412,806
कुल (I एवं II)	TOTAL (I & II)	519,289,594	487,113,331
अनुसूची - 8 : निवेश	SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश:	I. Investments in India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	2,364,996,909	2,256,780,900
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	22,608,698	18,390,627
iii) शेयर	iii) Shares	27,917,521	24,534,944
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड	iv) Debentures and Bonds	173,712,748	168,918,487
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	19,238,537	27,810,288
vi) अन्य	vi) Others	22,212,807	48,020,067
कुल (I)	TOTAL (I)	2,630,687,220	2,544,455,313
II. भारत के बाहर निवेश:	II. Investments outside India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	139,745,212	118,063,551
ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड	ii) Debentures & Bonds	-	-
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	2,569,465	1,973,637
iv) अन्य	iv) Others	17,835,391	15,530,396
कुल (II)	TOTAL (II)	160,150,068	135,567,584
कुल (I & II)	TOTAL (I & II)	2,790,837,288	2,680,022,897
III. भारत में निवेश :	III. Investments in India :		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	2,636,275,627	2,549,012,228
ii) मूल्यहास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	5,588,407	4,556,915
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	2,630,687,220	2,544,455,313
IV. भारत के बाहर निवेश:	IV. Investments outside India :		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	160,563,460	135,449,962
ii) मूल्यहास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	413,392	-117,622

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
iii) निवल निवेश कुल (III & IV)	iii) Net Investments TOTAL (III & IV)	160,150,068 2,790,837,288	135,567,584 2,680,022,897
अनुसूची - 9 : अग्रिम		SCHEDULE - 9 : ADVANCES	
ए i) खरीदे गए बिल और बढ़ाकृत बिल ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	A. i) Bills Purchased and Discounted ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand iii) Term Loans	524,881,892 2,855,682,307 4,265,950,457	437,310,953 2,579,430,807 3,518,440,443
iii) मीयादी ऋण कुल (ए)	TOTAL (A)	7,646,514,656	6,535,182,203
बी अग्रिम का विवरण	B. Particulars of Advances :		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	5,585,006,454	4,698,619,969
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	401,989,552	379,955,975
iii) अप्रतिभूत कुल (बी)	iii) Unsecured TOTAL (B)	1,659,518,650 7,646,514,656	1,456,606,259 6,535,182,203
सी अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण	C. Sectoral Classification of Advances :		
I. भारत में अग्रिम	I. Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घटाएं: अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र (निवल)	i) Priority Sector Less: Inter-Bank Participation Certificates (Net)	2,491,496,429 -	1,995,708,036 0
निवल	Net	2,491,496,429	1,995,708,036
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	1,405,880,488	1,257,428,680
iii) बैंक	iii) Banks	39,973,257	146,583,097
iv) अन्य	iv) Others	2,496,361,877	2,075,173,307
कुल (i,ii,iii,iv)	Total (i,ii,iii,iv)	6,433,712,051	5,474,893,120
कुल(I)	TOTAL (I)	6,433,712,051	5,474,893,120
अनुसूची - 9 : अग्रिम		SCHEDULE - 9 : ADVANCES	
II. भारत के बाहर अग्रिम	II. Advances outside India :		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	357,085,763	367,870,788
ii) अन्यो से देय	ii) Due from others		
ए) खरीदे गए बिल और बढ़ाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	92,418,126	74,242,311
बी) समूहित ऋण	b) Syndicated Loans	525,685,318	408,806,675
सी) अन्य	c) Others	237,613,398	209,369,309
कुल (II)	TOTAL (II)	1,212,802,605	1,060,289,083
कुल (I एवं II)	TOTAL (I & II)	7,646,514,656	6,535,182,203
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां		SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS	
I. परिसर :	I. PREMISES :		
लागत पर प्रारंभिक शेष	Opening Balance at cost	22,357,322	22,097,897
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन/समायोजन	Add: Additions /Adjustments during the year	727,205	267,271
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	13,593	7,846
उप-जोड़	Sub-total	23,070,934	22,357,322
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यांकन के कारण इस तारीख तक परिवर्धन	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	81,840,898	83,268,793
घटाएं : इस तारीख तक मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन के कारण सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	8,183,056	6,031,932
कुल (I)	TOTAL (I)	96,728,776	99,594,183
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित है)	II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)		
लागत पर प्रारंभिक शेष	Opening Balance at cost	62,652,100	55,725,672
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन/समायोजन	Add: Additions /Adjustments during the year	6,848,150	7,418,126
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	433,047	491,698
उप-जोड़	Sub-total	69,067,203	62,652,100

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2026 ₹	यथा As at 31-03-2025 ₹
घटाएँ: इस तारीख को मूल्यहास	Less: Depreciation to date	49,091,590	43,595,213
कुल (II)	TOTAL (II)	19,975,613	19,056,887
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	III. CAPITAL WORK IN PROGRESS	2,066,560	1,818,337
कुल (I से III)	TOTAL (I to III)	118,770,949	120,469,407
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	-	0
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	75,294,150	65,624,919
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	16,635,098	40,161,452
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	179,620	159,506
V. आस्थगित कर आस्तियां	V. Deferred Tax Assets	5,743,743	13,253,185
VI. अन्य	VI. Others	145,646,579	101,004,815
कुल	TOTAL	243,499,190	220,203,877
* नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गई ₹ 1,64,36,274 (गत वर्ष ₹ 2,43,01,210) की जमाराशियां शामिल हैं	* Includes Deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹1,64,36,274 (Previous Year ₹ 2,43,01,210)		
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	43,256,868	39,252,714
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	II. Liability for partly paid Investments	560,709	524,446
III. बकाया बायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	5,964,233,091	5,881,040,699
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए) भारत में	a. In India	300,988,420	264,165,973
बी) भारत के बाहर	b. Outside India	28,434,120	27,963,965
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	215,428,948	174,512,990
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	54,652,203	9,138,000
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	46,702,552	41,072,158
कुल	TOTAL	6,654,256,911	6,437,670,945

समेकित लाभ एवं हानि खाता की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		को समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2026 ₹	को समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2025 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED		
I. ब्याज/अग्रिमों पर बट्टा/ बिल	I. Interest/Discount on advances/bills	537,933,109	503,372,174
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	181,925,563	173,835,969
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	27,658,468	32,057,927
IV. अन्य	IV. Others	8,615,612	3,811,018
कुल	TOTAL	75,61,32,752	71,30,77,088
अनुसूची - 14 : अन्य आय	SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	21,995,449	20,122,162
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/(हानि)	II. Profit/(Loss) on sale of Investments	21,443,505	17,217,313
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) - निवल	III. Profit/(Loss) on Revaluation of Investments - net	(4,633,579)	1,593,277
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ/(हानि) घटाएं : स्थिर आस्तियों के विक्रय पर हानि	IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets Less : Loss on sale of fixed assets	2,379,278	2,030,017
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ / (हानि) घटाएं : विनिमय लेनदेन पर हानि	V. Profit / (Loss) on exchange transactions Less : Loss on exchange transaction	5,658,265	4,363,433
VI. अनुषंगियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	VI. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/ companies and /or/ joint ventures	294,503	305,557
VII. विविध आय	VII. Miscellaneous Income	53,225,447	45,415,585
कुल	TOTAL	100,362,868	91,047,344
* बट्टे खाते में डाले गए खातों में ₹ 267,39,444 (गत वर्ष ₹ 2,36,54,591) की राशि की वसूली शामिल है	* Includes Recoveries made in write-off accounts amounting to ₹ 267,39,444 (Previous Year ₹ 2,36,54,591)		
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED		
I. जमाओं पर ब्याज	I. Interest on Deposits	410,233,632	379,258,211
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	69,153,051	73,169,654
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc.	22,008,260	13,513,943
कुल	TOTAL	501,394,943	465,941,808
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	104,496,679	103,873,126
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	10,563,407	10,343,637
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	1,064,396	1,037,421
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	596,339	436,897
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	V. Depreciation on Bank's property	7,309,672	6,035,552
VI. निदेशकों की शुल्क, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	78,410	71,994
VII. लेखा परीक्षकों की शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' fees & expenses)	893,056	920,693
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	859,390	618,056
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	3,205,499	3,363,804
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	1,120,501	1,055,443
XI. बीमा	XI. Insurance	10,490,565	9,218,815
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	41,827,630	35,123,661
कुल	TOTAL	18,25,05,544	17,20,99,099
अनुसूची - 16 ए : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/ हानि में हिस्सेदारी	SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	(4,216,931)	1,465,796
II. अन्य	II. Others	1,228,768	661,203
कुल *(दो आरआरबी के अंतरण पर ₹ 51,88,045 की असाधारण हानि भी शामिल है)	TOTAL *(includes Exceptional loss of ₹ 51,88,045 on transfer of two RRBs)	(29,88,163)	21,26,999

अनुसूची 17:**महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (समेकित वित्तीय विवरणियां)****1) लेखांकन परिपाटी:**

संस्था की निरंतरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व की लागत के आधार पर संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किये गये हैं जो वस्तुतः 'सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों' (जीएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, कंपनी अधिनियम 2013, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी कार्यालयों/शाखाओं/सहायकों/सहयोगियों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्यलक्षी प्रभाव से निर्धारित किया जाता है।

2) समेकन का आधार:

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैं :-

- ए) बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों की "समेकित वित्तीय विवरणियां", भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार की गई हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है तथा अंतर समूह संव्यवहारों, शेष राशि, उगाही रहित लाभ/हानि को हटाकर इसमें समान प्रकार की आस्ति, देयताएं, आय तथा व्ययों को जोड़ा जाता है तथा एकरूप लेखांकन का पालन करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण प्रकृति का आवश्यक समायोजन किया जाता है।
- बी) अनुषंगियों में मूल बैंक के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में मूल बैंक के शेयर में अंतर को गुडविल/आरक्षित पूंजी के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि कुछ गुडविल हो तो उसे निर्धारित होने के तुरंत बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।
- सी) समेकित वित्तीय विवरणों में अल्पसंख्यक हित, अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में हैं।
- डी) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23 "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कंपनियों में निवेश का लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से किया जाता है।

- ई) संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार "आनुपातिक आधार" पर किया जाता है।

3) राजस्व का निर्धारण: (एएस-9- राजस्व निर्धारण)**3.1 बैंकिंग संस्थाएं :**

- (ए) आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।
- (बी) ब्याज आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है। गैर-निष्पादित निवेशों सहित गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से आय को उगाही के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- (सी) बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।
- (डी) अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों को उगाही आधार पर आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।
- (ई) जहां ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं होता है वहां सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों और डिबेंचर के लिए आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।
- एफ) म्यूचुअल फंड, एआईएफ और अन्य ऐसे संयोजित/सामूहिक निवेश निधि की इकाइयों से आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।
- जी) सभी प्रतिभूतियों पर छूट या प्रीमियम को स्थिर प्रतिफल पद्धति पर लिखत के शेष जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को "निवेश पर आय" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (एच) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया जाता है।
- (आई) कर्ज निवेशों पर ब्रोकरेज, कमीशन, खण्डित अवधि के लिए ब्याज भुगतान/प्राप्तियों को व्यय/आय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।
- (जे) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कुछ हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।
- (के) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को "अन्य आय" शीर्षक के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, एक समतुल्य राशि (करों और सांविधिक रिज़र्व में अंतरित की जाने वाली राशि को घटाकर) लाभ और हानि खाते से 'पूँजी रिज़र्व खाते' में विनियोजित की जाती है।
- (एल) एएफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस रिज़र्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिज़र्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है तथा एएफएस श्रेणी में इक्विटी लिखत के मामले में, इसे एएफएस रिज़र्व से पूंजी

रिजर्व- बिक्री इक्विटी (एएफएस) खाते में अंतरित किया जाता है।

एम) किसी अनुषंगियों कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर प्राप्त लाभ/मुनाफे को पहले लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और फिर पूंजी रिजर्व - निवेश की बिक्री सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी खाते में विनियोजित किया जाता है।

एन) जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप में पहचाना जाता है।

ओ) आयकर वापसी पर ब्याज आय आयकर विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए वापसी आदेश/सूचना में मान्यता प्राप्त है।

पी) एन.पी.ए. में वसूली का विनियोजन:

ए) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, बी) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा सी) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर, एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम में प्रभावी की जाती है :

- खाते से शुल्क डेबिट किया गया
- ऐसे खर्च / अपने जेब से खर्च, जो किए तो गए परंतु जिन्हें नामे नहीं किया गया;
- विविध जमाराशियों में रखे गए न उगाही किये गए ब्याज
- खाते में अप्रभारित ब्याज
- बकाया मूलधन जिसमें जबरन नामे जैसे जारी एलसी/गारंटी का न्यागमन शामिल है।

अन्य मामलों में प्रासंगिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार कृत वसूलियों को विनियोजित किया जाता है।

इसके अलावा, ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में जिनके पास एक से अधिक खाते हैं:

किसी की खाते में की गई वसूली को प्रणाली द्वारा उपर्युक्त क्रम अर्थात उक्त खाते का व्यय, ब्याज और बकाया मूलधन में विभाजित किया जाता है। अधिशेष वसूली राशि, यदि कोई हो, को उसी ग्राहक के अन्य खातों के व्यय, ब्याज और मूलधन की बकाया राशि हेतु विचार किया जाता है।

3.2 गैर बैंकिंग निकाय-बीमा:

ए) प्रीमियम आय:

पॉलिसीधारक से देय होने पर, गैर-लिंकड व्यवसाय के लिए, राइडर प्रीमियम सहित प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। सहायक इकाइयों के सृजित होने पर लिंकड व्यवसाय के लिए प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। यथा लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाकर, प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है।

सीमित भुगतान अवधि के साथ नियमित भुगतान योजनाओं वाले उत्पादों को पहले वर्ष तथा नवीनीकरण प्रीमियम के वर्गीकरण के सहित नियमित व्यवसाय के रूप में माना जाता है। पूर्वोक्त से भिन्न

उत्पादों पर प्रीमियम आय, एकल प्रीमियम के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

व्यपगत (लैप्स हुई) पॉलिसी पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब पॉलिसियां पुनः आरंभ की जाती हैं।

लिंकड कारोबार के तहत टॉप-अप प्रीमियम को एक सिंगल प्रीमियम माना जाता है तथा सहायक इकाइयां सृजित करने पर उन्हें आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

प्रीमियम का निर्धारण, जोखिम को स्वीकार करते समय किया जाता है।

पीएमजेबीवाई के मामले में प्रीमियम को, प्रशासनिक प्रभार तथा मध्यवर्तियों को देय व्ययों की प्रतिपूर्ति (यथा लागू) को हटाकर निर्धारित किया जाता है।

बी) पॉलिसी के विरुद्ध ऋणों पर ब्याज, उपचय के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

सी) अन्य आय को तब निर्धारित किया जाता है जब कंपनी अंतिम वसूली के लिए पर्याप्त रूप से निश्चित होती है।

डी) निवेश पर ब्याज आय उपचय के आधार पर पहचानी जाती है। इसका अपवाद अनर्जक निवेशों पर ब्याज आय है जिसे यथा निर्दिष्ट आईआरडीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्ति पर निर्धारित किया गया है।

ई) परिशोधित आय/लागत:

गैर-लिंकड निवेशों से संबंधित कर्ज प्रतिभूति/निश्चित आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम या डिस्काउन्ट, जैसा भी मामला हो, को परिपक्वता/धारित अवधि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

एफ) लाभांश:

उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय, पूर्व-लाभांश तारीख पर पहचानी जाती है तथा गैर-उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय तब पहचानी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है। गिफ्ट सिटी व्यवसाय के लिए, लाभांश आय उस तारीख को मान्यता प्राप्त होती है जब लाभांश की जानकारी अभिरक्षक द्वारा साझा की जाती है।

जी) लिंकड निधियों से आय:

लिंकड निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मॉर्टेलिटी प्रभार, अन्य प्रभार, जहाँ भी लागू है, शामिल है, उन्हें पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार लिंकड फंड से वसूला जाता है तथा देयता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

उपर्युक्त यूनिट लिंकड प्रभारों से वसूल किया गया वस्तु एवं सेवा कर राजस्व खाते के अंतर्गत "यूलिप प्रभारों पर वस्तु एवं सेवा कर" (जीएसटी) के रूप में दर्शाया जाता है जैसा की आईआरडीआई दिशानिर्देशों के द्वारा आवश्यक किया गया है।

एच) लिंकड कारोबार हेतु कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि):

व्यय को छोड़कर बिक्री राशि तथा बही लागत का अंतर लिंकड व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। बही लागत को बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

आई) गैर लिंकड कारोबार हेतु कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) :

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा परिशोधन लागत का अंतर, असम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। परिशोधन लागत को बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

जे) इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)/ अतिरिक्त टियर 1 बॉण्ड (एटी1)/इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी)/रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट(आरईआईटी)/ की बिक्री पर लाभ/हानि:

व्यय को हटाकर बिक्री तथा बिक्री के दिन भारित औसत आधार पर निर्धारित बही लागत का अंतर, इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड इकाइयों/ ईटीएफ/अतिरिक्त टियर 1 पर स्थायी बॉण्ड/ आईएनवीआईटी/ आरईआईटी की बिक्री पर लाभ/(हानि) है।

गैर-लिंकड व्यवसाय के मामले में “उचित मूल्य परिवर्तन खाते” के अंतर्गत, पूर्व में निर्धारित उचित मूल्य में उपचित परिवर्तन, लाभ/ (हानि) में शामिल हैं।

के) लिंकड कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि):

लिंकड कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है और संबंधित निधि के राजस्व खाते में पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य में परिवर्तन पर अंतरण/लाभ में परिवर्तन के तहत दर्शाया जाता है।

एल) उधार पर प्रतिभूति लेने और देने से आय:

उधार पर प्रतिभूति लेने और देने (एसएलबी) की व्यवस्था के अंतर्गत इक्विटी शेयर को देने पर प्राप्त फीस को देने की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

एम) प्रदत्त पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा करने वाले के साथ प्रासंगिक समझौतों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखांकित किया जाता है। पुनर्बीमा पर दिये गये प्रीमियम के विरुद्ध पुनर्बीमा पर दिये गये लाभ/कमीशन को घटा दिया जाता है। जीएसटी नियमों में बदलाव के अनुसार दिनांक 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी प्रदत्त पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.3 गैर बैंकिंग गतिविधियाँ – म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी सेवाएं:

ए) निवेश प्रबंधन करार के अनुसार, उपचय आधार पर, म्यूचुअल फंड योजना से प्रबंधन फीस का लेखांकन किया जाता है तथा जैसा की बीओआई म्यूचुअल फंड की योजना के द्वारा रिकॉर्ड किया गया

है, यह निवल आस्ति मूल्य पर आश्रित है। निवेश प्रबंधन फीस को उपचय आधार पर जीएसटी हटाकर निर्धारित किया जाता है। यह म्यूचुअल फंड योजनाओं के औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत (योजना में कंपनी द्वारा किये गए निवेश को छोड़कर) के रूप में होता है। यह इस प्रकार से रखा जाता है कि विनियमों या बाद के किन्हीं अन्य संशोधनों द्वारा निर्धारित सीमा का अतिक्रमण न करें।

बी) म्यूचुअल फंड की योजनाओं से प्राप्त ट्रस्टीशिप फीस को सेबी के नियमों और ट्रस्ट डीड के अनुसार उपचय आधार पर हिसाब किया जाता है और यह बैंक ऑफ़ इंडिया म्यूचुअल फंड की योजनाओं द्वारा दर्ज निवल आस्ति मूल्य पर निर्भर करता है।

सी) व्यापार की तारीख पर, निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को, लाभ/ हानि खाते में अंकित किया जाता है और एस-13 के अनुसार विशेष प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है।

3.4 गैर-बैंकिंग संस्थाएं - मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं:

(ए) कूपन वाली डेट प्रतिभूतियों के आउटराइट आधार पर खरीद या बिक्री में भुगतान या प्राप्ति पर कुल राशि, मूलधन राशि तथा उपचित ब्याज के रूप में अलग-अलग पहचाना जाएगा। ऐसी प्रतिभूति की खरीद पर उपचित / भुगतान राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि, व्यय के माध्यम से व्यय या आय के रूप में घटाई तथा परिकलित की जाएगी।

(बी) कंपनी के द्वारा किए गए बीम निर्गम के संबंध में इक्विटी शेयरों का अंतरण, यदि कोई हो तो इसे निवेश के रूप में माना जाएगा। इन निर्गमों पर अंडरराइटिंग आय, लाभ हानि खाते में जमा की जायेगी तथा निवेश के मूल्य के विरुद्ध नहीं घटाई जायेगी।

(सी) सेकेन्डी मार्केट परिचालन पर अर्जित ब्रोकरेज तथा कमीशन, कारोबार की तारीख के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। ऑनलाइन पोर्टल परिचालन पर ब्रोकरेज, कारोबार की तारीख पर निर्धारित किये जायेंगे। इश्यू मार्केटिंग तथा संसाधन संग्रहण के संबंध में ब्रोकरेज तथा कमीशन उपलब्ध जानकारी की सीमा तक उपचित किये जायेंगे। डिपोजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश बैंकिंग तथा अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जायेगा। तुलन पत्र की तारीख तक लाभभांश को तब पहचाना जाएगा जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाएगा। सेवा कर जहां भी वसूली गया है उसे राजस्व से हटा दिया जाएगा।

(डी) निवेशों की बिक्री पर लाभ को निपटान की तारीख पर पहचाना जाएगा। यह बिक्री/मोचन आगम एवं अधिग्रहण के बीच अंतर को दिखता है। लागत को भारांक औसत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। निवेशों की बिक्री पर लाभ को निवेशों की बिक्री पर हानि से घटाया जाएगा।

(ई) सेवाओं से राजस्व, पूरे हुए काम को समापन तथा प्राप्य राशि की निश्चितता से सम्बद्ध करके आनुपातिक समापन पद्धति से निर्धारित किया जाता है।

(एफ) तुलन पत्र की तारीख पर धारित निश्चित कूपन कर्ज प्रतिभूतियों पर ब्याज, खण्डित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होगी। अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दर पर समुपचित होगी।

4) गैर बैंकिंग संस्थाएं – बीमा : अन्य नीतियां**ए. बीमा****ए) प्रदत्त लाभ:**

भुगतान किए गए लाभ में, पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कुछ हो तो, शामिल है।

सूचना की प्राप्ति पर, मृत्यु, राइडर तथा अभ्यर्पण दावे, लेखांकित किये जाते हैं। सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत सरिन्डर में व्यपगत पॉलिसियों पर भुगतान योग्य राशि भी शामिल है जो लॉक इन अवधि की समाप्ति पर लेखांकित की जाती है। सरिन्डर और समापन को निवल प्रभार के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता, परिपक्वता तथा वार्षिक लाभ के दावे लेखांकित होते हैं।

जिस अवधि में संबंधित दावों का निपटान किया जाता है, उसी में पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विवादित दावे, विवेक के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, जैसा कि प्रबंधन, प्रत्येक ऐसे दावे के संबंध में तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर उचित समझता है।

बी) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो बदलती रहती है तथा यह मुख्य रूप से नये बीमा करारों या उसके नवीनीकरण से संबंधित है तथा इसमें बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन, रिवाई तथा प्रोत्साहन, सेल्स स्टाफ लागत, चिकित्सा जांच लागत, पॉलिसी प्रकाशन व्यय, स्टॉप ड्यूटी तथा अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। इन्हें उस अवधि में खर्च किया गया माना जाता है जिसमें ये होते हैं।

दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू जीएसटी नियमों में परिवर्तन के अनुसार, अधिग्रहण से संबंधित व्यय पर जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट आंशिक रूप से पात्र है। इस तरह के इनपुट कर क्रेडिट का अयोग्य हिस्सा प्रासंगिक अनुसूची में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भुगतान किये गये कमीशन के लिए, भविष्य में वापसी, यदि कुछ हो तो, उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिस वर्ष में वह प्राप्त होती है।

सी) पॉलिसी देयताएं:

वर्तमान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन कवायद की जाती है। सलाह पॉलिसी के लिए पॉलिसीधारकों की यथोचित अपेक्षाओं (पीआरई) पर भी विचार होता है। भविष्य की विभिन्न परिस्थितियों में सभी पॉलिसीधारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ रखी जाती हैं। प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन (एमएडी) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किन्हीं संभावित विपरीत परिस्थितियों में भी पॉलिसीधारक के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

लागू पॉलिसियों के लिए बीमाकृत देयता प्रीमियम पद्धति से तथा समूह व्यवसाय (क्रेडिट लाइफ व्यवसाय तथा रिवर्स बंधक ऋण

द्वारा संबद्ध वार्षिकी को छोड़कर जहां सकल प्रीमियम पद्धति का प्रयोग होता है) के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति से बीमाकृत देयता परिगणित होती हैं। सम्बद्ध देयताओं में यूनिट देयता तथा गैर-यूनिट देयता शामिल है। यूनिट देयता, पॉलिसी का निधि मूल्य प्रदर्शित करती है तथा गैर-यूनिट देयता बीमा दावा, व्ययों आदि के लिए है। मूल्यांकन के लिए शासित मुख्य दिशा-निर्देश हैं – बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई अधिनियम 1999, आईआरडीएआई (बीमाकृत रिपोर्ट एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016, आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता अंतर) विनियमन 2016, भारतीय बीमाकृत संगठन द्वारा जारी बीमाकृत व्यवसाय मानक तथा मार्गदर्शन टिप्पणियाँ एवं आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

डी) ऋण:

बही मूल्य (चुकौतियों को हटाकर) तथा अर्जित व्याज का समायोजन कर पॉलिसी के बदले ऋण का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह किसी भी मूल्य-हास, यदि कुछ हो तो, के अधीन है। तुलन पत्र की तारीख से 12 माह से कम परिपक्वता के मामले में ऋणों को अल्पावधि में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक ऋणों को छोड़कर, अन्य ऋण, दीर्घावधि ऋण में वर्गीकृत किए जाते हैं।

ई) भविष्य में विनियोजन के लिए निधि:

सहभागिता खण्ड में, भविष्य में विनियोजनों के लिए निधि (एफएफए), ऐसी निधि को प्रदर्शित करती है जो तुलन पत्र की तारीख को पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटित नहीं की गयी है। इस निधि में अंतरण तथा निधि से अंतरण, अधिकता या व्यय से कम आय तथा कंपनी के पॉलिसीधारक की निधि से प्रत्येक लेखांकन अवधि में निकलने वाले विनियोजन को प्रदर्शित करता है। सहभागिता करने वाली पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आबंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में भी अंतरण को आवश्यक करेगा।

एफ) बंद पॉलिसी निधि:

बंद पॉलिसी निधि का अर्थ है पृथक् निधि, जिसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा गया है –

ए) अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान न करना।

बी) पॉलिसी के बंद करने के विषय में पॉलिसीधारक से कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर।

बंद की गई पॉलिसियों के लिए निधि का भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बंद की गयी सम्बद्ध बीमा पॉलिसी के साथ व्यवहार) विनियमन, 2010 तथा उसके बाद जारी परिपत्रों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

जी) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

आईआरडीएआई की परिपत्र संख्या आईआरडीएआई/लाइफ/सीआईआर/एमआईएससी/412/2024 दिनांक 16.02.2024 की आवश्यकताओं के अनुरूप पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि

के लिए अदावाकृत आस्तियों को रखा गया है और उन्हें निम्नानुसार प्रबंधित किया गया है:

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि का निवेश मुद्रा बाज़ार लिखतों, लिक्विड म्यूचुअल फंड और/या अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमा राशियों में किया जाता है जिसे पूर्व की लागत से वैल्यू किया जाता है, यह परिपक्वता/धारिता की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रीमियम के परिशोधन या डिस्काउंट की अनुवृद्धि के अध्वधीन है।

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर प्राप्त आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जोड़ दिया जाता है और फंड प्रबंधन प्रभागों को घटाकर उपचय आधार पर लेखांकन किया जाता है।

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि की देयता, यथा वैल्यूएशन तारीख को, बकाया इकाइयों के एनएवी के आधार पर निर्धारित की जाती है।

बी. म्यूचुअल फंड एवं ट्रस्टी सेवाएँ:

ए) निधि व्यय

बैंक ऑफ़ इंडिया म्यूचुअल फंड की योजनाओं को आरंभ करने संबंधी व्ययों को कंपनी अवशोषित करती है तथा ऐसे व्यय सेबी विनियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त हैं।

बी) ब्रोकेज

दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी होकर ट्रेल ब्रोकेज सहित सभी ब्रोकरेजों तथा योजना संबंधी व्ययों का वहन म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाता है।

5) अग्रिम:

- ए) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों को “अर्जक” और “अनर्जक अग्रिमों” (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- बी) इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि प्राप्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- सी) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए प्रावधान (बकाया अग्रिमों पर), निम्नलिखित दरों पर किए जाते हैं:

एनपीए की श्रेणी	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान %
अवमानक आस्ति:*	
एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है (अर्थात् जहां प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य आरंभ से 10% से अधिक नहीं है)	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूतिरहित एक्सपोज़र जहां कुछ सुरक्षा प्रावधान जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर जमानती इंप्रा)	20%

एनपीए की श्रेणी	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान %
अन्य	15%
संदिग्ध :	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	
एक वर्ष तक	25%
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	40%
तीन वर्ष से अधिक	100%
गैर जमानती हिस्सा	100%
हानि	100%

- डी) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान, संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा बैंक के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होंगे।
- ई) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्य ब्याज, इसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।
- एफ) विशिष्ट खातों/योजनाओं/क्षेत्रों आदि के मामले में बढ़े हुए प्रावधानों को उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन से रख-रखाव किया जाता है।
- जी) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जाता है। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन द्वारा) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा। हालांकि भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा रसीदों (एसआर) और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर के मामले में, यदि विक्रय प्रतिफल में केवल नकदी है, तो अतिरिक्त प्रावधान को अंतरण वर्ष में लाभ और हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है।
- एच) यदि किसी एआरसी को शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए ऋण अंतरित किया जाता है और एसआर की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है, यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकदी और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं तो अंतरण के वर्ष में सम्पूर्ण अतिरिक्त प्रावधान (बिक्री प्रतिफल से कम एनबीवी) को लाभ और हानि खाते में प्रतिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अलावा, अतिरिक्त प्रावधान का गैर-नकद घटक (अर्थात्, अंतरण के समय

प्राप्त अतिरिक्त नकदी से कम अतिरिक्त प्रावधान) सीईटी 1 पूंजी से कटौती की जाती है, और इस घटक से कोई लाभांश नहीं दिया जाता है।

आई) पुनःसंचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबंधीत विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगा।

जे) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक विदेशी एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

6) अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित किये जाने वाले अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है। निवल एनपीए की गणना के लिए इन प्रावधानों को सकल एनपीए से घटाया जाता है।

7) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवाइड पॉइंट:

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवाइड पॉइंट का प्रावधान एक्विवैरियल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवाइड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

8) निवेश:

I. बैंकिंग संस्थाएं:

बैंक सभी प्रतिभूतियों में खरीद और बिक्री के लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए निपटान तिथि लेखांकन का पालन करता है।

ए. वर्गीकरण:

- निम्नलिखित श्रेणियों के तहत निवेश को वर्गीकृत किया गया है:
 - परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
 - बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
 - लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

(ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के तहत एक अलग निवेश श्रेणी है)
 - सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम
- तुलन पत्र (अनुसूची 8 के अंतर्गत) में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

भारत में निवेश	भारत के बाहर निवेश
सरकारी प्रतिभूतियां	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	अनुषंगिया और/या संयुक्त उद्यम (सहायक सहित)
शेयर	अन्य
डिबेंचर और बॉन्ड	
अनुषंगियों कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	
अन्य	

iii) मूल्यांकन के उद्देश्य से निवेश को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क) स्तर 1

ख) स्तर 2

ग) स्तर 3

स्तर 1/स्तर 2/स्तर 3 निम्नानुसार हैं:

स्तर 1: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट समान लिखतों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं) होते हैं जिन्हें बैंक मापन तिथि पर एक्सेस कर सकता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट उद्धृत कीमतों के अलावा सीधे या परोक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकनीय होते हैं। (जैसे प्रतिफल वक्र, क्रेडिट स्प्रेड आदि)।

स्तर 3: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट अप्राप्य इनपुट हैं।

वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

- संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिपक्वता तक धारण करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित निवेश।
- ऐसे निवेश जो एसपीपीआई (मूलधन का एकमात्र भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज) मानदंडों को विशेष तिथि पर पूरा करते हैं।
- प्रतिभूतिकरण नोटों (इक्विटी अंश के अलावा) में निवेश को एचटीएम के तहत वर्गीकृत किया जाता है यदि वित्तीय साधनों का अंतर्निहित पूल भी एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करता है।

(ii) बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)

- ए) एक उद्देश्य के साथ अर्जित निवेश जो दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके तथा प्रतिभूतियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है और संविदात्मक शर्तें एसपीपीआई (केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान) मानदंड को पूरा करती हैं।
- बी) प्रारंभिक मान्यता पर, बैंक के पास एएफएस के तहत एक इक्विटी उपकरण को वर्गीकृत करने का अपरिवर्तनीय चुनाव होता है जिसे व्यापार के उद्देश्य से नहीं रखा जाता है।

(iii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

- ए) जो निवेश एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- बी) अनिवार्यतः, वैकल्पिक रूप से या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताओं वाले निवेश और संविदात्मक हानि अवशोषण विशेषताओं वाले निवेश।
- सी) कारोबार के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल की एक उप-श्रेणी है।

iv) अनुषंगियों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों

अनुषंगियों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

बी. प्रारंभिक मान्यता:

- (i) सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक तथ्य और परिस्थितियां सुझाव न दें कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत उचित मूल्य है।
- (ii) नीलामी, स्विच परिचालन और खुले बाजार परिचालन के माध्यम से प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, वह उचित मूल्य होगा।
- (iii) लेवल 1 और लेवल 2 प्रतिभूतियों पर दिन 1 की लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- (iv) स्तर 3 निवेशों से उत्पन्न दिन 1 हानि को लाभ और हानि खाते में तुरंत मान्यता दी जाती है जबकि दिन 1 लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण उपकरणों के मामले में दिन 1 लाभ परिपक्वता तिथि तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी उपकरणों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

सी. अनुवर्ती माप:**i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)**

प्रारंभिक तौर पर इस श्रेणी के अंतर्गत रखे गए निवेशों को लागत पर रखा जाता है, न कि मार्क-टू-मार्केट पर।

(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

- ए) इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।
- बी) एएफएस के अंतर्गत रखे गए सभी अर्जक निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि को, चाहे वे किसी भी वर्गीकरण के हों, एकत्रित किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाता है।

iii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

- ए) इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है।
- बी) एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है।

iv) अनुषंगियों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों

- ए) इस श्रेणी के अंतर्गत किए गए निवेशों को अधिग्रहण लागत पर, उसमें से प्रकृति में अस्थायी न होने वाली कमी को घटाकर, रखा जाता है।
- बी) इस श्रेणी के तहत निवेश का मूल्यांकन तिमाही आधार पर हानि के लिए किया जाता है। निवेश के मूल्य में हास को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता देकर प्रदान किया जाता है तथा यदि मूल्य में हास का प्रतिवर्तन होता है तो लाभ और हानि खाते के माध्यम से प्रतिवर्तित कर दिया जाता है।

डी) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य, इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

लिखित का प्रकार	मूल्यांकन का आधार/पद्धति
उद्धृत प्रतिभूतियां (उद्धृत एआईएफ सहित)	एफबीआईएल/मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य
अउद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियां	एफआईबीआईएल द्वारा प्रकाशित परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/विशेष प्रतिभूतियां (गैर-एसएलआर)	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर एफआईबीआईएल द्वारा दी गई प्राप्ति से 25 आधार अंक अधिक अंकन करके
अउद्धृत डिबेंचर और बांड	उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
शून्य कूपन बांड	बाजार मूल्य पर यदि बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो 'शून्य कूपन प्रतिफल' का उपयोग करके जेडसीबी का वर्तमान मूल्य
इक्विटी शेयर (सूचीबद्ध नहीं/अतरल)	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीने से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य (स्तर 3) पर, अन्यथा प्रति कंपनी 1 रु.
अधिमानि शेयर	उद्धृत: अधिकतम कारोबार मूल्य अउद्धृत: उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र/ट्रेजरी बिल	कैरिंग कॉस्ट पर
पीएसयू/कॉर्पोरेट बांड	जी-सेक दर पर उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड की इकाइयां	प्रत्येक योजना के संबंध में फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो लागत पर
वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) (अउद्धृत)	एआईएफ द्वारा घोषित एनएवी

ई. श्रेणियों के बीच निवेश का पुनर्वर्गीकरण:

- ए) विभिन्न श्रेणियों के बीच निवेश का पुनर्वर्गीकरण केवल बोर्ड और आरबीआई से पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाता है।
- बी) पुनर्वर्गीकरण, पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाता है और आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इसका लेखांकन किया जाता है।

एफ. अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

- ए) घरेलू कार्यालयों के संबंध में निवेशों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- बी) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में हास हेतु प्रावधान किया जाता है।
- सी) एनपीआई निवेशों पर प्रावधान को अर्जक निवेशों के मूल्यांकन लाभ और हानियों के विरुद्ध नहीं जोड़ा जाता है।

डी) किए गए प्रावधान आईआरसीएपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान और निवेश पर मूल्यहास में से अधिक है। एनपीआई (श्रेणी के अतिरिक्त) के लिए प्रावधान लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।

ई) एफएस निवेश के मामले में, आवश्यक प्रावधान एफएस-रिजर्व में ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक चार्ज करके बनाया जाता है और एफएस रिजर्व में घाटे के मामले में, संचयी घाटे को एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित किया जाएगा।

एफ) परिपक्व एनपीआई को 'अन्य परिसंपत्तियों' के अंतर्गत, अनुसूची 11 (प्रावधान के बाद) में दर्शाया गया है।

जी) विदेशी कार्यालयों के संबंध में, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए वर्गीकरण और प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, जो भी कठोर हों, किए जाते हैं।

जी. रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक कृत ऋण और उधार के संव्यवहार के रूप में किया

जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा सहित रेपो खाता/सीमांत स्थायी सुविधा में शेष राशि को उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा/स्थायी जमा सुविधा के अंतर्गत आने वाले रिवर्स रेपो सहित भारतीय रिजर्व बैंक के पास सभी प्रकार के रिवर्स रेपो को अनुसूची 6 'नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष' के अंतर्गत मद (II) भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष के उप मद (ii) 'अन्य खातों में' के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ 14 दिन तक की मूल अवधि वाले रिवर्स रेपो को तुलन पत्र (तुलन पत्र) में अनुसूची 7 'बैंकों के साथ शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' के तहत मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन से अधिक है, उन्हें अनुसूची 9 "अग्रिम" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा: ए.(ii) 'नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती-योग्य ऋण' बी.(i) 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' सी. (I). (iii) बैंक (iv) 'अन्य' (जैसा भी मामला हो) ।

आरबीआई या अन्य के साथ रेपो लेनदेन की उधार लागत और रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को क्रमशः ब्याज व्यय और ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

एच. आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत एसआर का मूल्यांकन आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है, जो परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/159 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. एनओ.78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निर्देश, 2025 के माध्यम से जारी किए गए थे।

ए) एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है, जो ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होता है।

बी) बैंक द्वारा एआरसी को अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में निवेश, अंतरण या वसूली होने तक, बैंक की बहियों में निरंतरता के आधार पर जारी रहेगी, उपर्युक्त एनएवी के आधार पर प्राप्त एसआर के मोचन मूल्य और अंतरण के समय अंतरित दबावग्रस्त ऋण के एनबीवी में से जो भी कम हो, उस पर मान्यता दी जाती है।

जब बैंक अपने द्वारा अंतरित दबावग्रस्त ऋणों द्वारा समर्थित एसआर में किया गया निवेश, उसके द्वारा अंतरित ऋणों द्वारा समर्थित सभी एसआर का 10 प्रतिशत से अधिक होता है,

तो ऐसे एसआर का मूल्यांकन, एसआर के अंकित मूल्य में से उस स्थिति में लागू कल्पित प्रावधान दर को घटाकर, जो बैंक की बहियों में अंतर्निहित ऋणों के जारी रहने पर लागू हो, या एसआर के एनएवी में से जो भी कम हो, पर किया जाता है।

सी) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन समय-समय पर ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित एनएवी की गणना करके किया जाता है। ऐसे निवेशों के उचित मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त अवास्तविक लाभ को सीईटी1 पूंजी में से घटा दिया जाता है और ऐसे अवास्तविक लाभों में से कोई लाभोश नहीं दिया जाता है। सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद बकाया कोई भी एसआर, जो भी पहले हो, ₹1 पर मूल्यांकित किया जाता है।

डी) एसआर/पीटीसी जिन्हें समाधान अवधि (अर्थात् पांच वर्ष या आठ वर्ष जैसा भी मामला हो) के अंत में भुनाया नहीं गया है, उन्हें हानि वाली संपत्तियों के रूप में माना जाएगा और इसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया जाएगा।

ई) आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बाण्ड/एसआरएस/पीटीसी में बैंक निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी उपर्युक्त में से कोई भी लिखत संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली के अधीन है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

II. गैर-बैंकिंग संस्था - बीमा

बीमा संयुक्त उद्यम के मामले में निवेश, बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकिक, वित्त और बीमाकर्ताओं के निवेश कार्य) विनियमन, 2024, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है।

कारोबार तिथि पर निवेश को लागत पर दर्ज किया जाता है, जिसमें ब्रोकरेज और संबंधित कर, यदि कोई हो, शामिल हैं। खंडित अवधि के ब्याज का भुगतान/प्राप्ति, ब्याज प्राप्य खाते में डेबिट/क्रेडिट की जाती है और इसे खरीद/बिक्री से संबंधित लागत में शामिल नहीं किया जाता है।

बोनस पात्रता

बोनस पात्रता को प्रासंगिक 'एक्स-बोनस तिथि' पर निवेश के रूप में मान्यता दी जाती है।

अधिकार पात्रता

अधिकार पात्रता को प्रासंगिक 'एक्स-राइट्स डेट' पर निवेश के रूप में पहचाना जाता है।

बट्टा

निजी रूप से रखे गए निवेशों पर किसी भी तरह के बट्टे को ऐसे निवेशों की लागत से घटा दिया जाता है।

ए. वर्गीकरण

निवेश विशेष रूप से पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के लिए स्वतंत्र रूप से खरीदे और रखे जाते हैं और इन निवेशों से संबंधित आय को क्रमशः राजस्व खाते और लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

निवेश का अल्पावधि और दीर्घकालिक वर्गीकरण

तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर उन्हें निपटाने के विशिष्ट इरादे से किए गए निवेश को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक निवेश के अलावा अन्य निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बी. मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-लिंक्ड पॉलिसीधारकों के निवेश

सभी डेट प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' के रूप में माना जाता है और तदनुसार पूर्व की लागत पर प्रतिपादित किया जाता है, सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता/ होल्डिंग की बची हुई अवधि पर राजस्व खाते या लाभ-हानि खाते में प्रीमियम के परिशोधन या बट्टे की अभिवृद्धि के अधीन।

कोषागार बिल, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, त्रिपक्षीय रेपो का मूल्य निर्धारण, सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता की शेष अवधि में बट्टे की अभिवृद्धि के अधीन लागत पर किया जाता है।

सावधि जमा में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के अंतिम उद्धृत मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, एनएसई पर प्रतिभूति सूचीबद्ध / ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर अंतिम उद्धृत मूल्य पर विचार किया जाता है।

प्रतिभूतियां उधार देना और लेना (एसएलबी) व्यवस्था के तहत उधार दिए गए इक्विटी शेयरों को तुलन पत्र में संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि कंपनी इन प्रतिभूतियों की लाभकारी स्वामी है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए उपर्युक्त बताए अनुसार किया गया है।

आईआरडीएआई निवेश विनियमों द्वारा निर्धारित "इक्विटी" के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर 1 (बेसल III अनुपालन) स्थायी बांड, उचित मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं, जो सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड द्वारा बॉण्ड वैल्यूअर का उपयोग करके प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त टियर 1 बांड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ या हानि को तुलन पत्र में "उचित मूल्य परिवर्तन खाता" के तहत पहचाना जाता है।

म्युचुअल फंड इकाइयों का उचित मूल्य तुलन पत्र की तारीख पर शुद्ध आस्ति मूल्य है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्युचुअल फंडों के उचित मूल्यों में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य

परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है और तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है।

गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन, हानि के अधीन, यदि कोई हो, पूर्व की लागत पर किया जाता है।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) का मूल्यांकन तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि तुलन पत्र की तारीख पर ईटीएफ का प्राथमिक या द्वितीय एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जाता है, तो ईटीएफ का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख पर निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है। यदि तुलन पत्र की तारीख का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ईटीएफ के उचित मूल्यों में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है और तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन, तुलन पत्र की तारीख पर एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर उचित मूल्य पर किया जाता है। यदि प्रतिभूति, एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, इसका पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, तो यूनितों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यूनितों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन संबंधित अंतर्निहित फंडों के नवीनतम उपलब्ध शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है। फंड का एनएवी उपलब्ध न होने की स्थिति में, निवेश का मूल्य कम करने के प्रावधान (यदि कोई हो) के अधीन लागत पर लगाया जाता है।

सी. मूल्यांकन - लिंक्ड व्यवसाय

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त कीमतों पर किया जाता है।

कॉरपोरेट बॉण्ड और डिबेंचर का मूल्यांकन क्रिसिल बॉण्ड वैल्यूअर के आधार पर किया जाता है।

कोषागार बिल, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और त्रिपक्षीय रेपो का मूल्यांकन सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता की शेष अवधि में बट्टा की अभिवृद्धि के अधीन लागत पर किया जाता है।

सावधि जमा में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के अंतिम उद्धृत मूल्य के रूप में उचित मूल्य पर मापा जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। संबंधित निधि के राजस्व खाते में अप्राप्त लाभ और हानियों की पहचान की जाती है।

प्रतिभूतियां उधार देना और लेना (एसएलबी) व्यवस्था के तहत उधार दिए गए इक्विटी शेयरों को तुलन पत्र में संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि कंपनी इन प्रतिभूतियों की लाभकारी स्वामी होती है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए ऊपर बताई गयी पद्धति के अनुसार किया गया है।

आईआरडीआई निवेश विनियमों द्वारा निर्धारित "इक्विटी" के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर 1 (बेसल III अनुपालित) स्थायी बांड, उचित मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं, जो सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड द्वारा बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल का उपयोग करते हैं। संबंधित निधि के राजस्व खाते में अप्राप्त लाभ या हानि की पहचान की जाती है।

म्युचुअल फंड यूनिट्स का मूल्यांकन पिछले दिन के एनएवी पर किया जाता है। यदि पिछले दिन का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अप्राप्त लाभ और हानि संबंधित फंड के राजस्व खाते में पहचाने जाते हैं।

हानि के अधीन, गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, यदि कोई हो।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) का मूल्यांकन तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। गिफ्ट सिटी के लिए, उस स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूति की बंद भाव को माना जाता है, जहाँ वह सूचीबद्ध है। यदि ईटीएफ का तुलन पत्र की तारीख पर प्राथमिक या द्वितीयक एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जाता है, तो ईटीएफ को पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि पिछले दिन का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अप्राप्त लाभ और हानियों को संबंधित कोष के राजस्व खाते में पहचाना जाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन, तुलन पत्र की तारीख पर एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर उचित मूल्य पर किया जाता है। यदि प्रतिभूति, एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, इसका पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, तो यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यूनिटों

के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

डी. ब्याज दर डेरिवेटिव

ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं का उपयोग बीमा संविदाओं और जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में निवेश के नकदी प्रवाह पर अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित संव्यवहारों से बचाव के लिए किया जाता है। कंपनी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'डेरिवेटिव संविदा के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक नोट' और समय-समय पर संशोधित आईआरडीआईआई इनवेस्टमेंट मास्टर परिपत्र के अनुसार बचाव लेखांकन का पालन करती है।

कंपनी के पास बोर्ड अनुमोदित जोखिम बचाव नीति और प्रक्रिया दस्तावेज है जिसमें ब्याज दर जोखिम बचाव कार्यनीति के अनुसार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए किए गए डेरिवेटिव संव्यवहारों के कामकाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है। बचाव की शुरुआत में, कंपनी बचाव लिखत और बचाव मद, जोखिम प्रबंधन उद्देश्य, बचाव करने की रणनीति और बचाव करने की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के बीच संबंध को निर्धारित और दस्तावेजीकृत करती है। बचाव करने की प्रभावशीलता वह स्तर है जिस तक बचाव किए गए मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन, जो बचाव किए गए जोखिम के कारण होते हैं, बचाव लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन से दूर होते हैं। बचाव करने की प्रभावशीलता बचाव की शुरुआत के समय और उसके बाद समय-समय पर तुलन पत्र की तारीख में सुनिश्चित की जाती है।

फॉरवर्ड रेट करार (एफआरए) संविदा का मूल्यांकन सेबी द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेंसी से लिए गए स्पॉट रेफरेंस यील्ड पर अंतर्निहित बॉण्ड के बाजार मूल्य और एफआरए संविदा निपटान तिथि तक मूल्यांकन तिथि इंटरमीडिएट कूपन इनफ्लो के वर्तमान मूल्य सहित अंतर्निहित बॉण्ड के अनुबंधित फॉरवर्ड मूल्य के बीच के अंतर पर किया जाता है। यह लागू आईएनआर ओवरनाइट इंटररेस्ट स्वेप (ओआईएस) दर वक्र पर किया जाता है। उचित मूल्यांकन के लिए मार्जिन सेटलमेंट या डेरिवेटिव के मार्क टू मार्केट मूल्यांकन को फॉरवर्ड दर करार के अनुसार मूल्यांकनकर्ता एजेंट द्वारा मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

बचाव लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और बाद की रिपोर्टिंग तिथियों पर उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव पर उचित मूल्य लाभ/हानि का प्रभावी हिस्सा जो प्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे इक्विटी खाते में मान्यता दी जाती है, अर्थात् तुलन पत्र में 'क्रेडिट/(डेबिट) उचित मूल्य परिवर्तन खाते के तहत "बचाव उतार-चढ़ाव रिजर्व" या "एचएफआर" शीर्ष में और ऐसे डेरिवेटिव उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के अप्रभावी हिस्से को राजस्व खाते में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। ब्याज दर डेरिवेटिव पर उचित मूल्य लाभ/हानि जो अप्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित किया जाता है, वे राजस्व खाते में उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

बचाव उतार-चढ़ाव रिजर्व में पहचाने गए संचित लाभ या हानियों को उसी अवधि में राजस्व खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जिसके

दौरान अंतर्निहित पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह से अर्जित आय को राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।

बचाव लेखांकन को बंद कर दिया जाता है जब बचाव लिखत समाप्त हो जाता है या यह संभावना बन जाती है कि अपेक्षित पूर्वानुमान संव्यवहार अब नहीं होगा या जोखिम प्रबंधन उद्देश्य बदल गया है या अब पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इस तरह की समाप्ति पर, संचित लाभ या हानि जिन्हें बचाव उतार-चढ़ाव रिजर्व में मान्यता दी गई थी, उन्हें राजस्व खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। डेरिवेटिव संविदाओं से जुड़ी लागतों को एक बार के लागत के रूप में माना जाता है।

ई. निवेशों का अंतरण

शेयरधारकों के खाते से पॉलिसीधारकों के खाते में अंतरण:

पॉलिसीधारक के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरधारक के खाते से पॉलिसीधारक के खाते में प्रतिभूतियों का अंतरण डेट प्रतिभूतियों के अलावा लागत मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

डेट प्रतिभूतियों के मामले में अंतरण, बाजार मूल्य या शुद्ध परिशोधित लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। यदि अंतरण के समय किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो पिछले दिन जिस मूल्य पर प्रतिभूति का मूल्यांकन किया गया था, उस पर विचार किया जाता है।

गैर-लिंक्ड पॉलिसीधारकों के धन के बीच अंतरण:

विभिन्न गैर-लिंक्ड पॉलिसीधारकों के फंड के बीच प्रतिभूतियों का कोई अंतरण नहीं किया जाता है।

यूनिट-लिंक्ड फंड्स के बीच अंतरण:

विभिन्न यूनिट लिंक्ड फंडों के बीच निवेश का अंतरण प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है।

इक्विटी के अलावा अन्य प्रतिभूतियों के मामले में, यदि किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य अंतरण के समय उपलब्ध नहीं है, तो पिछले दिन जिस मूल्य पर प्रतिभूति का मूल्यांकन किया गया था, उस पर विचार किया जाता है।

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान

सभी संपत्तियां जहां तुलन पत्र की तारीख पर 90 दिनों से अधिक के लिए ब्याज और / या मूलधन चुकौती की किस्त अतिदेय रहती है, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। "डेट पोर्टफोलियो के संबंध में आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर विनियमों के अनुसार, सभी एनपीए के संबंध में बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

निवेश का हास

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में निवेश की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है, यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का

कोई संकेतक हो। हास हानि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और राजस्व/लाभ या हानि खाते में 'निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (शुद्ध)' शीर्षक के अंतर्गत प्रकटन किया जाता है, जैसा कि राजस्व/लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी पिछली हास हानि से घटाया गया पुनर्मापित उचित मूल्य और अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक होता है। राजस्व/लाभ और हानि खाते में पहले मान्यता प्राप्त हास हानि के किसी भी रिवर्सल को क्रमशः राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

क्रय और विक्रय विकल्प के साथ प्रतिभूतियां

क्रय विकल्प वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंतिम परिपक्वता तिथि या क्रय विकल्प तिथि तक, प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त मूल्य के कमतर स्तर पर किया जाता है। यदि कई क्रय विकल्प हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न क्रय विकल्प प्रयोग तिथियों या अंतिम परिपक्वता तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है।

विक्रय विकल्प वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तिथि या विक्रय विकल्प तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त मूल्य के उच्चतम मूल्य पर किया जाता है। यदि कई विक्रय विकल्प हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न विक्रय विकल्प प्रयोग तिथियों या अंतिम परिपक्वता तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त उच्चतम मूल्य पर किया जाता है।

एक ही दिन विक्रय और क्रय विकल्प दोनों वाली प्रतिभूतियों को विक्रय/क्रय तिथि पर परिपक्व माना जाएगा और तदनुसार उनका मूल्यांकन किया जाएगा। बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर आईआरडीएआई मास्टर परिपत्र, 2024 की आवश्यकताओं के अनुसार, मानी गई अवशिष्ट परिपक्वता पर विचार करते हुए अतिरिक्त टियर 1 बॉण्ड का मूल्यांकन किया गया है।

9) डेरिवेटिव

ए. बैंकिंग कंपनी

वर्तमान में बैंक, फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर और करेंसी डेरिवेटिव्स का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव हैं - रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वेप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - करेंसी स्वेप तथा करेंसी फ्यूचर। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

- (ए) बचाव/ गैर बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग-अलग रिकॉर्ड किया जाता है।
- (बी) बचाव डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है
- (सी) सभी डेरिवेटिव संविदाओं को तुलन पत्र की तिथि पर मान्यता दी जाती है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- (डी) जहां भी बचाव अकाउंटिंग का विकल्प नहीं चुना जाता है, वहां डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर लेखांकित किया जाता है तथा

उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

- (ई) ट्रेडिंग स्वेप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। बचाव स्वेप के निरस्तीकरण पर, किसी भी लाभ/हानि को उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वेप की शेष अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खंड में उसे निर्धारित किया जाता है।

- (एफ) विकल्प संविदा की परिपक्वता अवधि पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

- (जी) डेरिवेटिव संविदाओं के संदर्भ में उचित मूल्य 'निकास मूल्य' का प्रतिनिधित्व करता है।

- (एच) डेरिवेटिव आस्तियों और डेरिवेटिव देयताओं का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है।

बी. गैर-बैंकिंग: मर्चेन्ट बैंकिंग

- ए) वायदा अनुबंध/विकल्प की बिक्री में प्रवेश के समय देय प्रारंभिक मार्जिन, सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के साथ जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

- बी) वायदा के संविदाओं में लेन-देन को संविदा के नोशनल व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में दर्ज किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को वायदा में ओपन इंटरैस्ट इसके नोशनल मूल्य से घटाया जाएगा।

- सी) **वायदा के संविदाओं के मामले में**, निपटान मूल्य या पिछले दिन के विनिमय समापन मूल्य और बाद के दिन के विनिमय समापन मूल्य में अंतर, एक्सचेंज को भुगतान या एक्सचेंज से प्राप्त, मार्क-टू-मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाएगा। मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते में तुलन पत्र की तारीख तक वायदा संविदाओं में ओपन ब्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर भुगतान की गई या प्राप्त की गई शुद्ध राशि का प्रदर्शित करेगा। मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते में शुद्ध डेबिट शेष को राजस्व से प्रभारित किया जाएगा जबकि शुद्ध क्रेडिट शेष को वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया जाएगा।

- सी. मूल्यहास की दर तथा मूल्यहास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

क्र.सं.	विवरण	मूल्यहास की दर	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन	मूल्यहास प्रभारित करने का तरीका
1.	भवन एवं भूमि			
1ए.	भूमि (फ्री होल्ड)	शून्य		
1बी.	पट्टाधारित भूमि		पट्टे की अवधि में लीज प्रीमियम परिशोधित की जाती है।	
1सी.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	1.58 %	60 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
2	अन्य अचल आस्तियां:-			

- डी) विकल्प संविदाओं के मामले में, भुगतान किए जाने वाले या विकल्प की खरीद और बिक्री पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम और विकल्प के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में माना जाएगा। बेचे गए विकल्प में ओपन इंटरैस्ट के मामले में, यदि कोई हो तो, तुलन पत्र तिथि पर प्रचलित प्रीमियम, उन विकल्प के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक होने वाली राशि के लिए प्रावधान किया जाएगा। तुलन पत्र तिथि पर प्रचलित प्रीमियम पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम की अधिकता को मान्यता नहीं दी जाएगी।

इसी तरह, खरीदे गए विकल्प के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं जिसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम, तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक होगा और भुगतान किए गए प्रीमियम पर तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम की अधिकता होगी तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा। एक से अधिक ओपन स्थितियों के मामले में, निम्नानुसार प्रावधान किए जाएंगे:

सभी खरीद संविदाओं के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का योग + बिक्री की स्थिति में सभी अतिरिक्त प्रीमियम का योग

- ई) **ब्याज दर स्वेप** : प्राथमिक डीलरशिप परिचालन से संबंधित बंद किए गए परिचालन के ब्याज दर स्वेप की काल्पनिक मूल राशि के संबंध में आस्तियां और देयताएं निवल निर्धारण की जाएंगी। ब्याज दर स्वेप पर होने वाले लाभ या हानि का लेखांकन, संविदा की शर्तों के अनुसार, नियत तिथियों से किया जाएगा।

10) अचल संपत्तियों: (एएस 10 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)

- ए. अचल संपत्तियों को परंपरागत लागत में से संचित मूल्यहास/परिशोधन और क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। जिन संपत्तियों का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उन्हें पुनर्मूल्यांकित राशि में से संचित मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यन पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया जाता है।

- बी. लागत में शामिल है - खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पंजीकृत किया जाएगा जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

क्र.सं.	विवरण	मूल्यहास की दर	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन	मूल्यहास प्रभारित करने का तरीका
ए)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
बी)	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
सी)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	6.33%	15 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
डी)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	11.88%	8 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
ई)	साइकल	20.00%	5 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
एफ)	मोबाइल फोन	33.33%	3 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
जी)	कंप्यूटर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	33.33%	3 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
एच)	सर्वर	20%	5 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
आई)	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	20%	5 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति

डी) पट्टे पर धारित भूमि के संदर्भ में लीज प्रीमियम, यदि कुछ हो तो, उसे पट्टे अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

ई) वर्ष के दौरान, खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य हास को, जितने दिनों के लिए संबंधित आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके अनुपातिक आधार पर परिकलित किया जाता है।

एफ) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर के अनिवार्य अंग नहीं है, उन्हें अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इन्हें पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

जी) 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल) जहाँ आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

एच) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का मूल्यहास आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर किया जाता है, जैसा कि पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन किया गया था। ऐसे मूल्यहास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है। बैंक की अपनी आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है।

आई) भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यहास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक एएस 11, “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव” के अनुरूप किया जाता है:

ए) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालनों के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है:

i) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है। ऐसा, कॉजेंसिज/रयूटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर, रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाकर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें, जो पूर्व की लागत के अनुसार की जाती हैं उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv) विदेशी मुद्रा में रखी गई आकस्मिक देयताओं को एफईडीआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

v) बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का, निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामतः लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi) एफईडीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii) मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii) मुद्रा वायदा बाजार में ओपन स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

बी) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

- i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ-साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर परिवर्तन किया जाता है।
- ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित “तिमाही औसतन क्लोजिंग दर” पर स्पष्ट किया जाता है।
- iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते – “विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व” में संचित किया जाता है।
- iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12) कर्मचारी लाभ : (एएस 15 : कर्मचारी लाभ)**ए. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:**

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

बी. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:**ए. परिनिश्चित लाभ योजना:-****i) उपदान (ग्रेच्युटी)**

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। वेस्टिंग पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर ही होती है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्टी द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ii) पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

बी. परिनिश्चित अंशदान योजना:**i. भविष्य निधि:**

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

सी. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

- i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 – “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 – “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप

एक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

- iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13. सेगमेंट रिपोर्टिंग: (एएस 17 : सेगमेंट रिपोर्टिंग)

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखांकन 17 के अनुसार बैंक कारोबार संबंधी खण्ड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्ड और भौगोलिक खण्ड को गौण रिपोर्टिंग खण्ड के रूप में मान्यता देता है।

14. लीज संव्यवहार: (एस 19 लीज)

लीज जहां मालिकाना का जोखिम और रिवाइड, पट्टाकर्ता द्वारा रखा जाता है उसे लेखांकन मानक 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टे पर किए गए भुगतान, पट्टे की अवधि के दौरान 'लाभ-हानि खाते' में सीधी कटौती आधार पर दर्ज किए जाते हैं।

15. प्रति शेयर अर्जन: (एएस 20 : प्रति शेयर अर्जन)

- ए) एएस 20 "अर्जन प्रति शेयर" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर की गणना, मूल अर्जन की कर पश्चात् शुद्ध लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर की जाती है।
- बी) प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर की जाती है।

16. आय पर कर: (एएस 22 : आय पर कर के लिए लेखांकन)

- ए) बीओआई समूह द्वारा किये गये, वर्तमान कर तथा आस्थगित कर के व्यय की कुल राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन" के प्रावधानों अनुसार क्रमशः वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।
- बी) अस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय

के प्रभाव पर विचार करते हुए अस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णतः लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

- सी) प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को अस्थगित कर आस्तियां, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यहास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

- डी) समेकित वित्तीय विवरणी में, आय कर व्यय, मूल तथा उसकी अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम के संबंध में लागू कानूनों के अनुसार उनकी पृथक वित्तीय विवरणियों में प्रदर्शित कर व्ययों की राशि का कुल योग है।

17. आस्तियों का हास: (एएस 28 : आस्तियों का हास)

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर हासित हानि, यदि कोई हो, तो एएस 28 "आस्तियों का हास" के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर हासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम हासित हानि से अधिक न हो।

18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां:

(एएस 29 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियाँ)

एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह भी हो सकता है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

19. शेयर निर्गम संबंधी व्यय :

शेयर निर्गमित किए जाने वाले वर्ष में शेयर निर्गमन संबंधी व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

SCHEDULE 17:**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Consolidated Financial Statements)****1) ACCOUNTING CONVENTION:**

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches/subsidiaries/associates, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. The actual results could differ from the estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

- a) The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.
- b) The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.
- c) Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.
- d) Accounting for investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

- e) Accounting for investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3) REVENUE RECOGNITION: (AS-9- Revenue Recognition)**3.1 Banking entities:**

- (a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.
- (b) Interest income is recognised on time proportion basis. Income from Non-Performing Assets (NPAs) including Non-Performing investments is recognised on realisation basis.
- (c) Commission on issue of Bank Guarantee (BG) and Letter of Credit (LC) is recognised over the tenure of BG/LC.
- (d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation basis.
- (e) Income is recognized on accrual basis for Government Securities, bonds and debentures where interest is serviced regularly and is not in arrears.
- (f) Income from units of Mutual funds, AIFs and other such pooled/collective investment funds is recognized on realisation basis.
- (g) Discount or Premium on all securities is amortised over the remaining life of the instruments on constant yield method. The amortised amount is shown under the head "Income on Investments".
- (h) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.
- (i) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
- (j) Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.
- (k) Profit or loss on sale of investments under "Held to maturity" (HTM) is recognised in the Profit and Loss Account under the head "Other Income". In case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account' from Profit and Loss Account.
- (l) On sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in AFS Reserve is transferred from AFS Reserve to Profit and Loss Account and in case of equity instrument in the AFS category, it is transferred from

AFS Reserve to Capital Reserve – Sale of Equity (AFS) Account.

- (m) The gain/profit on reclassification/sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and then appropriated to the Capital Reserve – Sale of Investment in Subsidiary/Joint Venture/Associate Account.
- (n) Dividend income is recognised when the right to receive the dividend is established.
- (o) Interest Income on Income-tax refund is recognised in the receiving the refund order/intimation from the Income Tax Department.

- (p) Appropriation of recoveries in NPA accounts:

In respect of NPA account, recoveries effected except through a.) Compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's are to be made in the following order:

- Charges debited to the account;
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited;
- Unrealised interest;
- Uncharged interest; and
- Principal

In other cases, the recoveries made are appropriated as per the order of relevant authority.

Further, in case of borrowers who are having multiple accounts:

Recovery made in one account is apportioned by the system in the above mentioned order i.e. Expenditure, interest and Principal outstanding of the said account. Surplus recovery amount, if any, takes care of Expenditure, Interest and Principal outstanding of other account(s) of the same customer.

3.2 Non-Banking entities- Insurance:

- a) **Premium Income:**

Premium including rider premium for non-linked business is recognised as income when due from policyholders. Premium for linked business is recognised when the associated units are created. Premium is recognised net of Goods and Services Tax (GST) as applicable.

Products having regular premium paying plans with limited premium payment term and/or pre-determined policy terms are treated as a regular business with the due classification of premium into the first year and renewal. Premium income on products other than aforesaid is classified as a single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium under linked business is considered as single premium and recognised as income when the associated units are created.

Premium is recognised at the time of acceptance of risks.

In case of PMJJBY Scheme premium is gross of administrative charges and reimbursement of expenses.

- b) Interest on loans against policies is recognized on accrual basis.
- c) Other income recognised when due, where the company is reasonably certain of ultimate collection.

- d) Interest income on investments is recognised on accrual basis except interest income on non-performing investments, which is recognised upon receipt as specified in IRDAI guidelines.

- e) **Amortised Income/Cost:**

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding.

- f) **Dividend:**

Dividend income for quoted shares is recognised on ex-dividend date, for non-quoted shares dividend income is recognised when the right to receive dividend is established. For Gift City business, dividend income is recognised on the date the dividend information is shared by the custodian.

- g) **Income from linked funds:**

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges, other charges, wherever applicable, are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised on due basis.

Goods and Services Tax ("GST") recovered on above Unit Linked charges are shown in the Revenue account under "Goods and Services Tax ("GST") on ULIP charges" as required by IRDAI guidelines.

- h) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:**

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

- i) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business:**

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between the sale

consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

j) **Profit/ (Loss) on sale of Equity Shares/ Mutual Fund/ Exchange Traded Funds (ETFs)/ Additional Tier 1 Bonds (AT 1)/ Infrastructure Investment Trust (InvIT)/ Real Estate Investment Trust (REIT):**

Profit/ (Loss) on sale of equity shares/ mutual fund units/ ETFs/ Additional Tier 1 Perpetual Bonds/ InvIT/ REIT is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale.

In respect of non-linked business, the Profit/(Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account".

k) **Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:**

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognised and shown under transfer / Gain on revaluation / change in fair value in the revenue account of respective funds.

l) **Income from Security Lending and Borrowing:**

Fees received for lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending.

m) **Reinsurance Premium ceded:**

Reinsurance Premium ceded is accounted for on due basis at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit/ commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance. GST on reinsurance premium ceded is recognised as an expense with effect from September 22, 2025 pursuant to change in the GST regulations.

3.3 Non-Banking entities – Mutual Fund and Trustee Services:

- a) Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI Mutual Fund. Investment Management Fees are recognized net of GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding investments made by the Company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the Regulations and any further amendments.
- b) Trusteeship fees from the schemes of the mutual fund are accounted on an accrual basis as per SEBI regulations and in accordance with the trust deed and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of Bank of India Mutual Fund.

- c) Profit or loss on sale of investment is recognised in the statement of Profit & Loss Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security as per AS-13.

3.4 Non-Banking entities– Merchant Banking Services:

- a) Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities shall be identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities shall be netted and reckoned as expense or income by way of interest.
- b) Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten if any by the company shall be treated as investments. Underwriting income on these issues shall be credited to profit and loss account and shall not be netted against the value of investments.
- c) Brokerage and commission earned on secondary market operations shall be recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations shall be recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization shall be accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management, Investment Banking and other fees shall be accounted for on accrual basis. Dividend shall be recognised when the company's right to receive payment shall be established by the balance sheet date. Revenue shall exclude GST, wherever recovered.
- d) Profit on Sale of Investments shall be recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale/Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost shall be determined on a weighted average basis. Profit on Sale of Investments shall be netted with loss on Sale of Investments.
- e) Revenue from services is recognised on proportionate completion method by relating revenue with work accomplish and certainty of consideration receivable.
- f) Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, shall be accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities shall be accrued at rates determined as per the terms of the issue.

4) NON BANKING ENTITIES: Other Policies:

A. Insurance:

a) Benefits paid:

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider, surrender and withdrawal claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked Business, surrender also includes amount payable on lapsed/ discontinued policies which are accounted for on expiry of lock in period. Surrenders and terminations are accounted net of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

Claims disputed before judicial authorities are provided for on prudent basis as considered appropriate by management based on facts and circumstances in respect of each such claim.

b) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of new and renewal insurance contracts and consist of cost like commission to insurance intermediaries, rewards and incentives, sales staff costs, medical examination costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses. These are expensed in the period in which they are incurred.

Pursuant to changes in applicable GST regulations effective from September 22, 2025, GST input tax credit on acquisition related expenses is partially eligible. Ineligible portion of such input tax credit is recognised as an expense in the relevant schedule.

Claw back in future, if any, for the commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

c) Policy Liabilities:

The valuation exercise is done to protect the interests of the existing policyholders. For with Profit policies the reasonable expectations of policyholders (PRE) are also considered. Adequate reserves are made for all the policyholder's benefits for various future scenarios. Adequate use of Margin for Adverse Deviation (MAD) is made to ensure that policyholders' benefits are protected even in some plausible adverse scenarios.

Actuarial liability for in force policies and for those in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined using the gross premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the basis of Unearned Premium Reserve method. Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. The main governing guidelines considered for valuation are the Insurance Act 1938, the IRDA Act 1999, IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Actuarial Practice Standards and Guidance notes issued by Institute of Actuaries of India, Circulars issued by IRDAI from time to time.

d) Loans:

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any. Loans

are classified as short term in case the maturity is less than 12 months from the date of balance sheet. Loans other than short term are classified as long term.

e) Funds for Future Appropriation:

The Funds for Future Appropriations (FFA), in the participating segment, represents surplus, which is not allocated to policyholders or to shareholders as at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Company's policyholders' funds. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the required proportion.

f) Discontinued Policies fund:

Discontinued policy fund means the segregated fund that is set aside on account of:

- a) Non-payment of contracted premium
- b) Upon the receipt of the information by the Company from the policyholder about the discontinuance of the policy.

Fund for discontinued policies is accounted in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations 2010 and circulars issued thereafter.

g) Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders is created and maintained in accordance with the requirement of IRDAI circular no. IRDAI/Life/CIR/Misc/41/2/2024 dated February 16, 2024.

- i. Unclaimed amount of policyholders is invested in money market instruments, Liquid mutual funds and/ or fixed deposits of scheduled banks which is valued at historical cost, subject to amortisation of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.
- ii. Income on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis, net of fund management charges.
- iii. Unclaimed amount of policyholders' liability is determined on the basis of NAV of the units outstanding as at the valuation date

B. Mutual fund and Trustee services:

a) Fund expenses

The Company absorbs the expenses relating to the launch of the schemes of Bank of India Mutual Fund and such expenses which are allowed as per the SEBI regulations.

b) Brokerage

W.e.f from October 22, 2018 all brokerages & scheme related expenses including trail brokerage are being booked in scheme books.

5) ADVANCES:

- a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.
- b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.
- c) In respect of domestic branches, NPA Provisions (on the Outstanding Advances) are made at the rates given as under:

Category of NPAs	Provision % on net outstanding advance
Sub Standard:	
Exposures, which are unsecured ab-initio (i.e. where realizable value of security is not more than 10% ab-initio)	25%
Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
Others	15%
Doubtful:	
Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- Upto one year	25%
- One year to three years	40%
- More than three years	100%
Unsecured portion	100%
Loss	100%

- d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.
- e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.
- f) Escalated provisions in case of specific accounts/scheme/sector etc. are maintained with approval of the appropriate authority.
- g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued

from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs is reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

- h) In case of loan transferred to an ARC for value higher than the net book value (NBV) and SRs are guaranteed by the Government of India, the entire excess provision (Sale consideration less NBV) is reversed to Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by Government of India. Further, the non-cash component of the excess provision (viz. excess provision less cash received at the time of transfer) is deducted from CET 1 capital, and no dividends are paid out of this component.
- i) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to the Bank, whichever is stringent.
- j) Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

6) FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes. These provisions are netted off from gross NPAs to arrive at Net NPAs.

7) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for reward points on credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

8) INVESTMENTS:**I. Banking Entities:**

Bank follows Settlement date accounting for recording purchase and sale of transactions in all Securities.

A. Classification:

- i. Investments are classified under the following categories:

- a) Held to Maturity (HTM)
- b) Available for Sale (AFS)
- c) Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)
- (Held for Trading (HFT) is a separate investment sub-category under FVTPL)
- d) Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

ii. Investments for the purpose of disclosure in the Balance Sheet (under Schedule 8) are classified under the following categories:

Investments in India	Investments outside India
Government Securities	Government Securities (including local authorities)
Other approved Securities	Subsidiaries and/or Joint ventures (Including Associates)
Shares	Others
Debentures and Bonds	
Subsidiaries and/or Joint ventures	
Others	

iii. Investments for the purpose of valuation are classified under the following categories:

- a) Level 1
- b) Level 2
- c) Level 3

Level 1/Level 2/ Level 3 are as follows:

Level 1: The inputs used for valuation of a financial instrument are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the bank can access at the measurement date.

Level 2: The inputs used for valuation of a financial instrument are inputs other than quoted prices, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (such as yield curve, credit spread etc.).

Level 3: The inputs used for valuation of a financial instrument are unobservable inputs.

Basis of Classification

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) Held to Maturity (HTM)

- a) Investments acquired with an intention and objective to hold till maturity for collecting contractual cash flows.
- b) Investments that meet SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) criterion on specified dates.

- c) Investments in securitization notes (other than equity tranche) is classified under HTM if the underlying pool of financial instruments also meets the SPPI Criterion.

(ii) Available for Sale (AFS)

- a) Investments acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities and the contractual terms meet SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) criterion.
- b) On Initial recognition, the Bank makes an irrevocable election to classify an equity instrument under AFS, that is not held with an objective of trading.

(iii) Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)

- a) Investments that do not qualify for inclusion in HTM or AFS are classified under FVTPL.
- b) Investments with compulsorily, optionally or contingently convertible features and Investments with Contractual loss absorbency features.
- c) Held for Trading (HFT) is a sub-category of FVTPL.

(iv) Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

Investments made in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are classified under this category.

B. Initial Recognition:

- (i) All Investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value.
- (ii) In respect of Government securities acquired through auction, switch operations and open market operations, the price at which the security is allotted shall be the fair value.
- (iii) Day 1 gain/loss on Level 1 and Level 2 securities are recognised in Profit and Loss Account.
- (iv) Day 1 loss arising from Level 3 investments are recognised immediately in Profit and Loss Account while Day 1 gains are deferred. In case of Debt instruments Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

C. Subsequent Measurement:

(i) Held to Maturity (HTM)

Upon initial recognition, Investments held under this category are carried at cost and not at mark-to-market.

(ii) Available for Sale (AFS)

- a) Investments under this category, are fair valued on daily basis.
- b) The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification held under AFS are aggregated and the net appreciation or depreciation is directly credited or debited to AFS Reserve.

(iii) Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)

- a) Investments under this category are fair valued on daily basis and the net gain or loss arising on such valuation are directly credited or debited to the Profit and Loss Account.
- b) Investments under HFT category are fair valued on daily basis and the net gain or loss arising on such valuation are directly credited or debited to the profit and loss account.

(iv) Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

- a) Investments under this category are held at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.
- b) Investments under this category are evaluated for impairment on quarterly basis. Any diminution in the value of investment is provided by recognizing it as an expense in the Profit and Loss Account and is reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution in the value.

D. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Type of Instrument	Basis of Valuation/ Methodology
Quoted Securities (including Quoted AIF)	Prices declared by FBIL/ Recognised stock exchanges/ FIMMDA
Unquoted SLR Securities	On Yield to Maturity basis published by FIBIL
Other approved securities/ Special Securities issued by GoI(Non-SLR)	On Yield to Maturity basis by marking up by 25 basis points above yields put out by FIBIL
Unquoted debentures and bonds	On Yield to Maturity basis with appropriate mark up
Zero Coupon Bonds	At market value If market value not available, Present value of ZCB using 'Zero coupon yield curve'

Type of Instrument	Basis of Valuation/ Methodology
Equity Shares (Not listed/ illiquid)	At break-up value (Level 3) as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Rs.1 per company
Preference Shares	Quoted: Max. Traded price Unquoted: on Yield to Maturity basis with appropriate mark up
Commercial Paper/ Certificate of Deposit/ Treasury Bills	At carrying cost
PSU/Corporate Bonds	On Yield to Maturity basis with appropriate mark up over G-sec rate
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price/ NAV declared by the fund in respect of each scheme If NAV not available, at Cost
Alternate Investment Funds (AIF) (Unquoted)	Declared NAV by AIF

E. Reclassification of Investments between Categories:

- a) Reclassification of Investments between various categories is done only upon prior approval from Board and RBI.
- b) Reclassification is applied prospectively from the reclassification date and is accounted in compliance with RBI guidelines.

F. Non-performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

- a) In respect of domestic offices investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI.
- b) In respect of non-performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.
- c) The provision on NPI investments is not netted against the valuation gains and losses of performing investments.
- d) Provision made is higher of provision required as per IRCAP norms and depreciation on the Investment. The provision for NPI (irrespective of category) are recognized in Profit and Loss Account.
- e) In case of AFS investment, the provision required is created by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains and in case of losses in AFS reserve, the cumulative losses shall be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.

- f) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule 11 (Net of Provision).
- g) In respect of foreign offices, classification and provisions for non-performing investments (NPI) are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever are stringent.

G. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity.

Balance in Repo Account / Marginal Standing facility including those under Liquidity Adjustment facility is classified as Borrowings.

All type of Reverse Repos with RBI including those under Liquidity Adjustment Facility/Standing Deposit Facility are presented under sub item (ii) 'In Other Accounts' of item (II) Balances with RBI under Schedule 6 'Cash and balances with RBI'.

Reverse Repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days are classified as Money at Call & Short Notice under Schedule 7 "Balance with Banks and Money at call & short notice" in the Balance sheet.

Reverse Repo with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be shown under Schedule 9 "Advances" under following head: A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand' B.(i) 'Secured by tangible assets' C.(I). (iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be).

Borrowing cost of repo transactions and revenue on reverse repo transactions, with RBI or others, is accounted for as interest expense and interest income, respectively.

H. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets: -

The Bank has valued SRs under securitization in line with RBI guidelines issued vide circular no. and RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.REC. No.78/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 Reserve Bank of India (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025.

- a) Investments in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs are valued periodically at the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.
- b) Investments in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by the Bank, are recognised, at lower of the

redemption value of SRs arrived based on the NAV, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer

When the investment by bank in SRs backed by stressed loans transferred by it, is more than 10 percent of all SRs backed by its transferred loans, the valuation of such SRs is at lower of face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the underlying loans continued in the books of the Bank or NAV of the SRs.

- c) SRs guaranteed by the Government of India is valued periodically by reckoning the NAV declared by the ARC based on recovery ratings received for such instruments. The unrealised gain recognised in the Profit and Loss Account on account of fair valuation of such investments is deducted from CET1 capital and no dividends are paid out of such unrealised gains. Any SRs outstanding after the final settlement of the government guarantee or expiry of the guarantee period, whichever is earlier, are valued at Rs.1.
- d) SRs/PTCs which are not redeemed as at the end of the resolution period (i.e., five years or eight years as the case may be) are treated as loss asset and fully provided for.
- e) The valuation, classification and other norms applicable to investment in Non-SLR instruments prescribed by RBI from time to time are applicable to bank's investment in debentures/ bonds/ SRs /PTCs issued by ARC. However, if any of the above instruments issued by ARC is limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the bank reckons the NAV obtained from ARC from time to time, for valuation of such investments.

II. Non-Banking Entities- Insurance

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, as amended from time to time and various other circulars/ notifications issued by the IRDAI in this regard.

Investments are recorded on trade date at cost, which includes brokerage and related taxes, if any. Broken period interest paid/received is debited/credited to Interest Receivable account and is not included in the cost of purchase/sale consideration.

Bonus Entitlements

Bonus entitlements are recognised as investments on the relevant 'ex- bonus date'.

Rights Entitlements

Rights entitlements are recognised as investments on the relevant 'ex-rights date'

Discount

Any front end discount on privately placed investments is reduced from the cost of such investments.

A. Classification

Investments are specifically procured and held for Policyholders and Shareholders independently and the income relating to these investments is recognised in the Revenue Account and Profit & Loss Account respectively.

Short Term and Long Term Classification of Investment

Investments maturing within twelve months from the Balance Sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the Balance Sheet date are classified as short-term investments. Investments other than short-term investments are classified as long term investments.

B. Valuation – Shareholders' Investments and Non-Linked Policyholders' Investments

All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount in the revenue account or the profit and loss account over the remaining period of maturity/ holding on a straight line basis.

Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Tri Party Repo are valued at cost subject to accretion of discount, over the remaining period of maturity on straight line basis.

Investments in Fixed Deposits are valued at cost.

Valuation of Listed Equity securities is measured at Fair value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, last quoted closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the last quoted closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered.

Equity shares lent under the Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism are recognised in the Balance Sheet as assets, as the Company continues to be beneficial owner of these securities. The securities are valued as stated above for equity shares.

Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds classified under "Equity" as stipulated by IRDAI Investment Regulations, are valued at fair value, using applicable market yields published by SEBI registered rating agency viz., CRISIL Ltd, using Bond Valuer. Unrealized gains or losses arising due to change in the fair value of Additional Tier 1 Bonds are recognised in the Balance Sheet under "Fair value change account".

Fair value of mutual fund units is the net asset value on the Balance Sheet date. Unrealized gains/losses on changes in fair values of listed equity shares and mutual funds are taken to the Fair Value Change Account and carried forward in the Balance Sheet.

Unlisted equity shares are valued at historical cost, subject to impairment, if any.

Exchange Traded Funds (ETFs) are valued at Fair Value

on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case ETFs are not traded on either of the Primary or the Secondary exchange on the Balance Sheet date, then the ETFs are valued at Net Asset Value (NAV) on the balance sheet date. In case NAV of Balance Sheet date is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. Unrealized gains/losses on changes in fair values of ETFs are taken to the Fair Value Change Account and carried forward in the Balance Sheet.

Infrastructure Investment Trust / Real Estate Investment Trust

The Investment in Units of InvIT/ REIT are valued at Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case, the market quote is not available for the last 30 days, the Units are valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the Trust.

Alternate Investment Fund (AIF)

Investments in Alternative Investment Fund (AIF) are valued at the latest available net asset values (NAV) of the respective underlying funds. In case the NAV of the fund is not available, investment is valued at cost subject to provision for diminution (if any).

C. Valuation - Linked business

Central Government and State Government securities are valued at prices obtained from Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL).

Corporate bonds and debentures are valued on the basis of CRISIL Bond Valuer.

Treasury Bills, Certificates of Deposits, Commercial Papers and Tri Party Repo are valued at cost subject to accretion of discount over the remaining period of maturity on straight line basis.

Investments in Fixed Deposits are valued at cost.

Listed equity shares are measured at fair value being the last quoted closing price of the security on NSE (Primary Exchange). In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. Unrealized gains and losses are recognised in the revenue account of respective fund.

Equity shares lent under the Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism are recognised in the Balance Sheet as assets, as the Company continues to be beneficial owner of these securities. The securities are valued as stated above for equity shares.

Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds classified under "Equity" as stipulated by IRDAI Investment Regulations, are valued at fair value, using applicable market yields published by SEBI registered rating agency viz., CRISIL Ltd., using Bond Valuer. Unrealized gains or

losses are recognised in the respective fund's revenue account.

Mutual Fund units are valued at NAV of previous day. In case previous day's NAV is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. The unrealized gains and losses are recognised in the respective fund's revenue account.

Unlisted equity shares are valued at historical cost, subject to impairment, if any.

Exchange Traded Funds (ETFs) are valued at Fair Value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. For Gift City the closing price of the security on the stock exchange where it is listed is considered. In case ETFs are not traded on either of the Primary or the Secondary exchange on the Balance Sheet date, then the ETFs are valued at Net Asset Value (NAV) of previous day. In case previous day's NAV is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. The unrealized gains and losses are recognised in the revenue account of respective fund.

Infrastructure Investment Trust / Real Estate Investment Trust

The Investment in Units of InvIT/REIT are valued at Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case, the market quote is not available for the last 30 days, the Units are valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the Trust.

D. Interest Rate Derivative

Interest rate derivative contracts are used for hedging of highly probable forecasted transactions on insurance contracts and investment cash flows in life, pension and annuity business. The Company follows hedge accounting in accordance with the 'Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and IRDAI Investment Master Circular as amended from time to time.

The Company has Board approved interest rate risk hedging Policy and Process document covering various aspects related to functioning of the derivative transactions undertaken to mitigate interest rate risk as per the Interest rate risk hedging strategy. At the inception of the hedge, the Company designates and documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, the risk management objective, strategy for undertaking the hedge and the methods used to assess the hedge effectiveness. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument. Hedge effectiveness is ascertained at the time of inception of the hedge and periodically thereafter at Balance Sheet

date.

The Forward Rate Agreement (FRA) contract is valued at the difference between the market value of underlying bond at the spot reference yield taken from the SEBI approved rating agency and present value of contracted forward price of underlying bond including present value of intermediate coupon inflows from valuation date till FRA contract settlement date, at applicable INR Overnight Interest Swap (OIS) rate curve. Margin settlement for the fair valuation or Mark to market valuation of derivative is carried based on valuation by the valuation agent as per forward rate agreement.

Hedging instruments are initially recognised at fair value and are re-measured at fair value at subsequent reporting dates. The effective portion of fair value gain / loss on the interest rate derivative that is determined to be an effective hedge is recognised in equity account i.e. "Hedge Fluctuation Reserve" or "HFR" under the head 'Credit/ (Debit) Fair Value Change Account' in the Balance Sheet and the ineffective portion of the change in fair value of such derivative instruments is recognised in the revenue account in the period in which they arise. The fair value gain / loss on the interest rate derivative that is determined to be an ineffective hedge is recognised in the revenue account in the period in which they arise.

The accumulated gains or losses that were recognised in the Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account, in the same period during which the income from investments acquired from underlying forecasted cash flow is recognized in the Revenue Account.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument is terminated or it becomes probable that the expected forecast transaction will no longer occur or the risk management objective is changed or no longer expected to be met. On such termination, accumulated gains or losses that were recognised in the Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account. Costs associated with derivative contracts are considered as at a point in time cost.

E. Transfer of Investments

Transfer from shareholders' account to the policyholders' account:

Transfer of securities from the Shareholder account to the policyholders account to meet the deficit in the policyholders account is done at the cost price or market price, whichever is lower, for other than debt securities.

In case of debt securities, transfer is done at market price or net amortized cost, whichever is lower. If the prevailing market price of any security is not available at the time of transfer, then the price at which the security was valued on the previous day is considered.

Transfer between Non – Linked policyholders' funds:

No transfer of securities is done between various non-linked policyholders' funds.

Transfer between Unit-Linked Funds:

Transfer of investments between various unit linked funds is done at prevailing market price.

In case of securities other than equity, if the prevailing market price of any security is not available at the time of transfer, then the price at which the security was valued on the previous day is considered.

Provision for Non-Performing Assets (NPA)

All assets where the interest and / or instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as NPA. In accordance with regulations on "Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of debt portfolio", adequate provisions are made to cover amounts outstanding in respect of all NPA's.

Impairment of Investment

The carrying amounts of investments are reviewed at each balance sheet date, whether there is any indicator of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognised as an expense and disclosed under the head 'Provision for diminution in the value of investment (net)' in the Revenue/ Profit or Loss account, to the extent of difference between the remeasured fair value and the acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/ Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss earlier recognised in the Revenue /Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/ Profit and Loss Account respectively.

Securities with call and put options

Securities with call option are valued at the lower of the value as obtained by valuing the security up to final maturity date or the call option date. In case there are multiple call options, the security is valued at the lowest value obtained by valuing the security at various call option exercise dates or up to the final maturity date.

Securities with put option are valued at the higher of the value as obtained by valuing the security up to final maturity date or the put option date. In case there are multiple put options, the security is valued at the highest value obtained by valuing the security at various put option exercise dates or up to the final maturity date.

The securities with both put and call option on the same day would be deemed to mature on the put/call date and would be valued accordingly. Additional Tier 1 bonds have been valued considering the deemed residual maturity as per the requirement of IRDAI Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers, 2024.

9) DERIVATIVE

A. Banking Entity:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency

Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

- a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.
- b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.
- c) All Derivative contracts are recognised on the Balance Sheet date and measured at fair value.
- d) Wherever, hedge accounting is not opted, derivatives are accounted at fair value with changes in fair value being recognised in the Profit and Loss Account.
- e) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.
- f) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.
- g) Fair value in the context of derivative contracts represents the 'exit price'.
- h) Netting of Derivative assets and Derivative liabilities is not carried out.

B. Non-Banking: Merchant Banking

Futures and Options

- a) Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options shall be adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.
- b) Transactions in Future contracts shall be accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date shall be netted by its notional value.
- c) In case of Future Contracts, the difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange shall be treated as Mark-to-Market Margin. The balance in the Mark-to-Market Margin Account shall represent the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark-to-Market Margin Account shall be charged off to revenue whereas net credit balance shall be shown under current liabilities.
- d) In case of Option Contracts, premium to be paid or to be received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options shall be accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold if any as

on the balance sheet date, provision shall be made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date shall exceed the premium to be received for those options. The excess of premium to be received over the premium prevailing on the Balance Sheet date shall not be recognised.

Similarly, in case of options bought, provisions shall be made for the amount by which the premium to be paid for the option shall exceed the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid shall be ignored. In case of multiple open positions, provisions shall be made as under:

Sum of premium paid for all buy contracts + sum of all excess premium in sell positions.

- e) Interest Rate Swaps: Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to primary dealership operations shall be netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps shall be accounted from due dates as per the terms of the contract.

10) FIXED ASSETS: (AS 10 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT)

- a) Fixed assets are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses, if any. Assets which have been periodically revalued are stated at revalued amount less accumulated depreciation. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is ready to use or capable of ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets ready to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- c) The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below:

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation	Estimated useful life as determined by the Bank	Method of charging depreciation
1	Land & Building:			
1.a.	Land (Freehold)	NIL		
1.b.	Leasehold Land		Lease premium is amortised over the period of lease	
1.c.	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 Years	Straight Line
2.	Other Fixed Assets:-			
a.	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 Years	Straight Line
b.	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 Years	Straight Line
c.	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 Years	Straight Line
d.	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years	Straight Line
e.	Cycle	20.00%	5 Years	Straight Line
f.	Mobile phones	33.33%	3 Years	Straight Line
g.	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 Years	Straight Line
h.	Servers	20%	5 Years	Straight Line
i.	Computer Software, which do not form integral part of computer hardware	20%	5 Years	Straight Line

- d) In respect of leasehold land, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease.
- e) In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been ready to use during the year.
- f) Computer Software, not forming integral part of computer hardware is classified as intangible asset and amortised over a period of 5 years.
- g) 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Mobile Phones, Computers and Computer Software forming integral part of hardware), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

- h) The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & Loss Account and an equivalent amount is transferred from the Revaluation Reserve to Revenue Reserve. The revaluation of Bank's own properties is carried out every 3 years.
- i) Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

- i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page on date of the transaction.
- ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.
- iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.
- vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.
- vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

- viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

- i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.
- ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.
- iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign entities.
- iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS: (AS 15: Employee Benefits)

a) Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

b) Long Term Employee Benefits:

A. Defined Benefit Plan

i. Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days' basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ii. Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India (Employees) Pension regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

B. Defined Contribution Plan:**i. Provident Fund**

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii. Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

C. Other Long Term Employee Benefits:

All eligible employees are entitled to the following-

- i. Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".
- ii. Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

- iii. In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13) SEGMENT REPORTING: (AS 17: Segment Reporting)

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

14) LEASE TRANSACTIONS: (AS 19 LEASES)

Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on straight line basis over the lease term.

15) EARNINGS PER SHARE: (AS 20: Earning per Share)

- a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.
- b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

16) TAXES ON INCOME: (AS 22: Accounting for Taxes on Income)

- a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the BOI group. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.
- b) Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.
- c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred

Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

- d) In Consolidated Financial Statements, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

17) IMPAIRMENT OF ASSETS: (AS 28: Impairment of Assets)

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

18) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

(AS 29: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

19) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to Share Premium Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से न कहा गया हो सभी आकड़ें करोड़ में हैं। कोष्ठक में दिये गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

लेखों के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ - समेकित

- अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं:

अनुषंगियों का नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2026 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2025 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
घरेलू सहायक कंपनियाँ:			
ए) बीओआई सर्विसेज लिमिटेड - (पूर्ववर्ती बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड)	भारत	100%	100%
बी) बैंक ऑफ़ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड)	भारत	100%	100%
सी) बैंक ऑफ़ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)	भारत	100%	100%
डी) बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड	भारत	100%	100%
विदेशी अनुषंगियों:			
ए) पी टी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	90.96%	90.96%
बी) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड.	तंजानिया	100%	100%
सी) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड	न्यूजीलैंड	100%	100%
डी) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड.	युगांडा	100%	100%

- समेकित विवरण पत्र में शामिल सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की जानकारी निम्नलिखित है:

(i) सहयोगी:

अनुषंगियों का नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2026 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2025 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
घरेलू अनुषंगिया:			
ए) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-			
i) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती नर्मदा झारुआ ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%

अनुषंगियों का नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2026 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2025 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
ii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (स्पोन्सरशिप 01 मई 2025 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अंतरित कर दी गई है)	भारत	-	35%
iii) आर्यावर्त बैंक (पहले ग्रामीण बैंक ऑफ़ आर्यावर्त) (स्पोन्सरशिप 01 मई 2025 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अंतरित कर दी गई है)	भारत	-	35%
बी) इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड	ज़ाम्बिया	20%	20%
सी) एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड.	भारत	29.96%	29.96%
डी) एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम :

संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2026 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2025 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनिन दाई-इची लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	27.48%	27.48%

- इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2026 तक बनाए गए हैं, सिवाय विदर्भ कोंकण ग्रामिन बैंक, आर्यावर्त बैंक तथा सहायक कंपनी इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईजेडबीएल) के। आईजेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2025 तक तैयार किए गए हैं और उसके प्रबंधन ने 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं दी है। आर्यावर्त बैंक तथा विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का वित्तीय विवरण दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक का बनाया गया है।
- अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और उनके द्वारा अपनायी गई भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण उत्पन्न लेखांकन समायोजन, अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए हैं
- समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं:
 - पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2026 के वित्तीय विवरण पत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।
 - बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2026 तक के वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा प्रमाणित और निगमन के देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप एक स्वतंत्र समीक्षक द्वारा समीक्षा की गई है।

III. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2026 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

IV. बीओआई सर्विस लि., बीओआई इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई ट्रस्टी सर्विसीज़ प्रा.लि., बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि., स्टार यूनिनियन डार्ड-ईची लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लि., मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, एसटीसीआई फाइनेन्स लि. के 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, इंडो जाम्बिया बैंक लि., के बारह माह 31.12.2025 को समाप्त वर्ष के लिए तथा आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के 30.04.2025 के समाप्त महा तक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

V. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड तथा एसएसआईसी (इंडिया) लि. के 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं

6. मूल बैंक के संबंध में, अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, अंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ट्राफ्ट, समाशोधन अन्तरो, अन्य कार्यालय खातों इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपर्युक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है

(ए) विनियामक पूंजी की संरचना :

क्र. सं	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल (सीईटी 1)	78,712.68	70,310.13
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1,500.00	2,801.65
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	80,212.68	73,111.78
iv)	टियर 2 पूंजी	13,207.86	10,265.98
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	93,420.54	83,377.76
vi)	कुल जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए)	5,02,746	451,096
vii)	सीईटी 1 अनुपात	15.66%	15.59%
viii)	टियर 1 अनुपात	15.95%	16.21%
ix)	टियर 2 अनुपात	2.63%	2.28%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर)	18.58%	18.48%
xi)	उपलब्ध साधन का अनुपात	6.35%	6.50%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.38%	73.38%
xiii)	साल के दौरान जुटाई गई पेड-अप इक्विटी कैपिटल की रकम	-	-
xiv)	शेयर एप्लीकेशन का राशि आबंटन के लिए पेंडिंग है	शून्य	शून्य

क्र. सं	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई नॉन-इक्विटी टियर 1 कैपिटल की रकम, जिसमें से:	-	-
	ए) बेसल III अनुपालक सतत ऋण उपकरण	शून्य	शून्य
xvi)	साल के दौरान जुटाई गई Tier 2 कैपिटल की रकम, जिसमें से:	2,500*	2,500
	ए) बेसल III अनुरूप मोचनीय ऋण उपकरण	2,500*	2,500

*मूल बैंक ने दिसंबर 2025 के दौरान रु. 2500 कि टियर 2 बॉण्ड जुटाई है। (कूपन दर 7.25%)

(ए1) टियर 1 पूंजी बढ़ाने हेतु जुटाए गए बकाया अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बॉण्ड के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष के दौरान जुटाए गए	प्रकृति	राशि	सीआरएआर कैलकुलेशन (बेसल III) के लिए गिना गया
2022-23	अतिरिक्त टियर 1	1,500.00	1,500.00
	कुल	1,500.00	1,500.00

मूल बैंक ने क्रय विकल्प का प्रयोग किया तथा दिनांक 28 जनवरी 2026 को 750 रुपए की एटी1 बॉण्ड सीरीज VI को प्राप्त किया।

मूल बैंक ने क्रय विकल्प का प्रयोग किया तथा दिनांक 30 मार्च 2026 को 602 रुपए की एटी1 बॉण्ड सीरीज VI को प्राप्त किया।

(ए2) टियर-II पूंजी बढ़ाने के लिए जुटाए गए बकाया टियर-II लिखतों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष के दौरान जुटाए गए	प्रकृति	राशि	सीआरएआर कैलकुलेशन (बेसल III) के लिए गिना गया
2020-21	टियर II	1,800.00	1,800.00
2023-24	टियर II	2,000.00	2,000.00
2024-25	टियर II	2,500.00	2,500.00
2025-26	टियर II	2,500.00	2,500.00
	कुल	8,800.00	8,800.00

मूल बैंक ने 31 दिसंबर, 2025 को ₹3,000 के टियर II बॉण्ड सीरीज XII को रिडीम किया है।

मूल बैंक ने 26 सितंबर 2024 को ₹ 2,500 राशि की बेसल III शिकायत टियर II बांड श्रृंखला XVII जुटाई है।

मूल बैंक ने बेसल III कल्लेट टियर II बॉण्ड सीरीज XVIII के लिए ₹ 2,500 जुटाए हैं। 12 दिसंबर, 2025 को।

(बी) रिज़र्व से निकासी (मूल बैंक)

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, आरक्षितियों से लाभ और हानि खातों से कोई कटौती नहीं की गई है।

(सी) प्रावधान और आकस्मिकताएँ:

विवरण	2025-26	2024-25
गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	-	(-)282.09
एनपीए के लिए प्रावधान	3,463.35	4660.14
आयकर के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित)	3,463.44	3218.86
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	102.51	(-)398.87
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ		
• पुनर्गठित खातों में त्याग के लिए प्रावधान	-	(-)155.27
• देश जोखिम के लिए प्रावधान	21.33	10.35
• अन्य प्रावधान	(-)399.18	215.76
कुल	6,651.45	7268.88

(डी) यथा 31.03.2026 तक फ्लोटिंग प्रावधान - (मूल बैंक)

	मानक	गैर-निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	उप-मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल गैर-अग्रिम प्रदर्शन	
प्रारंभिक जमा						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि						0.00
अस्थायी प्रावधानों का समापन शेष						0.00

यथा 31.03.2025 तक फ्लोटिंग प्रावधान - (मूल बैंक)

	मानक	गैर-निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	उप-मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल गैर-अग्रिम प्रदर्शन	
प्रारंभिक जमा						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई रकम						0.00
अस्थायी प्रावधानों का समापन शेष						0.00

(ई) आयकर - (मूल बैंक)

- (I) आकस्मिक देनदारियों (अनुसूची 12) के अंतर्गत आने वाले ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक पर दावों में रु. 2,057.06 (पिछले वर्ष रु.2,048.01) की विवादित आयकर/ब्याज कर देनदारियाँ शामिल हैं, जिनके लिए ऐसे विवादों पर पिछले मूल्यांकनों के संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है। उक्त विवादित बकाया के विरुद्ध भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत शामिल हैं।
- (II) वर्ष के लिए करों का प्रावधान लागू कर कानूनों के प्रावधानों और कुछ विवादित मुद्दों पर प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार करने के बाद किया जाता है।
- (III) मूल बैंक ने निर्धारण वर्ष 2023-24 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के तहत पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने के अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया था।
- (IV) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने वैश्विक न्यूनतम कर (पिलर टू मॉडल नियम) के लिए मॉडल नियम प्रकाशित किए हैं। पिलर टू कानून के प्रावधानों के अनुसार, समूह की अंतिम मूल इकाई (यूपीई) (मूल बैंक, उसकी शाखाएं, सहायक कंपनियाँ और/या अन्य घटक संस्थाएं) के समेकित राजस्व ओईसीडी ढांचे के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है।
- भारत सरकार द्वारा पिलर टू कानून अधिनियमित नहीं है, जहां मूल कंपनी शामिल है। पिलर टू कानून अधिकांश अन्य न्यायालयों में अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है जहां समूह (मूल बैंक, इसकी शाखाएं, सहायक कंपनियाँ और/या घटक संस्थाएं) संचालित होती हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर, मूल बैंक को रिपोर्टिंग तिथि पर अपने वित्तीय विवरणों पर पिलर टू कानून के लागू होने से कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव की उम्मीद नहीं है। जोखिम का मूल्यांकन समूह में घटक संस्थाओं के लिए सबसे हालिया कर फाइलिंग, देश-दर-देश रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की व्यापक समीक्षा पर आधारित है। निचले कॉर्पोरेट दर वाले क्षेत्राधिकार में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में, मूल बैंक ने स्थानीय पिलर टू कानून के तहत घरेलू न्यूनतम टॉप-अप करों के प्रति वर्तमान कर व्यय को अलग से मान्यता दी है और प्रकट किया है।

मूल बैंक ने एएस-22 (संशोधित) द्वारा अनिवार्य रूप से पिलर दो आयकर से संबंधित आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों के बारे में जानकारी को पहचानने और प्रकट करने के लिए अपवाद लागू किया है। यह अपवाद तत्काल और पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है।

(एफ) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित)

वर्ष 2025-26 के दौरान, मूल बैंक ने अनुषंगियों की ओर से किसी भी प्रकार का चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में, मूल बैंक ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड को

अपने लेनदारों के लाभ के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) के दायित्वों के संबंध में बिना शर्त मूल गारंटी जारी की है।

यथा दिनांक 31.03.2026 तक उपर्युक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन:

ए. एएस 5 अवधि के लिए निवल लाभ हानि, पूर्व अवधि पढ़ें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस-5):

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों, जिनका पालन किया गया, सिवाय निम्नलिखित के कोई परिवर्तन नहीं हुआ है :

B. एएस-15 “कर्मचारी लाभ” (मूल बैंक)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2025-2026		वित्त वर्ष 2024-2025	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
(i)	इस्तेमाल की गई मुख्य वास्तविक मान्यताएँ :				
	छूट की दर	7.87%	7.16%	6.99%	6.71%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर	7.74%	7.41%	6.94%	7.52%
	वेतन वृद्धि दर	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	वर्तमान अपघटन दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दिखाने वाली तालिका:				
	वर्ष की शुरुआत में देयता	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,430.10
	ब्याज लागत	167.35	1,393.67	157.30	1,386.02
	वर्तमान सेवा लागत	137.85	1,164.75	126.39	1,128.23
	पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	41.21
	लाभ का भुगतान	161.70	2,290.88	220.72	2,413.01
	दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	61.31	441.87	123.12	1,343.00
	वर्ष के अंत में देयता	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
	अज्ञात पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल परिभाषित लाभ दायित्व	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
(iii)	योजनागत आस्तियों की उचित मूल्य में बदलाव दिखाने वाली टेबल:				
	वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों की उचित मूल्य	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
	योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	190.15	1,566.94	154.72	1,485.37
	योगदान	214.11	1,806.30	232.88	2,072.14
	लाभ का भुगतान	161.70	2,290.88	220.72	2,413.01
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
	कुल मान्यता प्राप्त वास्तविक लाभ/(हानि)	(-)61.94	(-)857.14	(-)82.85	(-)1,021.55

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2025-2026		वित्त वर्ष 2024-2025	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
(iv)	योजनागत आस्तियां पर वास्तविक रिटर्न :				
	योजनागत आस्तियां पर संभावित लाभ	190.15	1,566.94	154.72	1,485.37
	योजनागत आस्तियां पर वास्तविक लाभ/(हानि)	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46
	योजनागत आस्तियां पर वास्तविक प्रतिफल	189.52	1,151.67	194.99	1,806.82
(v)	तुलन पत्र समाधान				
	वर्ष के अंत में देयता	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
	वर्ष के आखिर में योजना आस्तियां का उचित मूल्य	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
	अज्ञात पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलन पत्र में राशि पहचान	7.50	569.23	44.62	526.92
(vi)	आय-विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय :				
	वर्तमान सेवा लागत	137.85	1,164.75	126.39	1,128.23
	ब्याज लागत	167.35	1,393.67	157.30	1,386.02
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(-)190.15	(-)1,566.94	(-)154.72	(-)1,485.37
	पिछले वर्षों से संबंधित पहचाने गए व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	41.21
	वास्तविक (लाभ) या हानि	61.94	857.14	82.85	1,021.55
	पी एवं एल में मान्यता प्राप्त व्यय	176.99	1,848.62	211.82	2,091.64
(vii)	तुलन पत्र समाधान :				
	ओपनिंग निवल देयता (तुलन पत्र में पिछले अवधि की नेट रकम)	44.62	526.92	65.68	507.42
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	176.99	1,848.62	211.82	2,091.64
	नियोक्ता का योगदान	(-)214.11	(-)1,806.30	(-)232.88	(-)2,072.14
	अतिरिक्त पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	7.50	569.23	44.62	526.92
(viii)	आस्तियों की श्रेणी :				
	भारत सरकार के केंद्रीय प्रतिभूतियां	5.10	2,442.70	10.21	2,569.54
	हिस्सेदारी	0.00	1,136.52	0.00	1,071.34
	कॉरपोरेट बॉण्ड	0.00	5,914.39	35.04	5,911.16
	राज्य सरकार प्रतिभूतियां	0.00	4,446.44	0.00	3,986.63
	बीमा	2,468.15	7,655.92	2,203.68	6,931.40
	अन्य	199.17	459.76	181.56	918.56
	कुल	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2025-2026		वित्त वर्ष 2024-2025	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
(ix)	अनुभव समायोजन :				
	योजना देयता (लाभ)/हानि	321.93	1,174.08	41.01	(-)545.48
	योजना पर परिसंपत्ति (हानि)/लाभ	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46

अन्य दीर्घ अवधि कर्मचारी लाभ* :

विवरण	31.03.2026		31.03.2025	
	देयता	साल के दौरान किए गए प्रावधान/(वापस)	देयता	साल के दौरान किए गए प्रावधान/(वापस)
अवकाश नकदीकरण	1,357.79	78.36	1,279.43	73.07
अवकाश यात्रा रियायत	63.34	0.17	63.17	0.34
पुनर्वास लाभ	9.43	0.36	9.07	0.47
माइलस्टोन पुरस्कार	4.92	0.04	4.88	0.24
बीमारी के लिए अवकाश**	5.01	0.73	4.28	1.20
चिकित्सा लाभ (पूर्णकालिक निदेशक)	7.05	7.05	-	-

*अन्य दीर्घकालिक कर्मचारियों के लाभों के लिए बीमांकिक धारणाएं वही हैं जो ग्रेच्युटी के लिए उपयोग की जाती हैं।

मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि/परिभाषित अंशदान योजना के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिक्षित अंशदान योजना है, के लिए रु. 565.64 (विगत वर्ष रु. 544.39) का अंशदान किया है।

** मूल बैंक अब तक पूर्ण सीमा तक अर्थात् संपूर्ण बकाया अवकाश शेष तक रुग्ण अवकाश की देयता को मान्यता देता रहा है। रुग्ण अवकाश के संबंध में कर्मचारी लाभकार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसे अवकाश लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

मूल बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 1,857.57 (विगत वर्ष रु. 2,064.09) और मैच्युटी के लिए रु. 29.58 (विगत वर्ष रु. 27.61) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

योजना में अधिशेष/घाटा:

विशिष्ट	ग्रेच्युटी योजना				
	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
परिभाषित लाभ दायित्व	2,679.92	2,475.11	2,289.02	2,070.55	1,898.52
योजनागत आस्तियां	2,672.42	2,430.49	2,223.34	2,055.47	1,887.32
अपरिचित संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आधिक्य घाटा)	(-)7.50	(-)44.62	(-)65.68	(-)15.09	(-)11.20
योजनागत देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	321.93	41.01	124.29	240.77	152.27
योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ पर अनुभव समायोजन	(-)0.63	40.27	11.51	(-)5.88	(-)42.37

विशिष्ट	पेंशन योजना				
	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
परिभाषित लाभ दायित्व	22,624.96	21,915.55	20,471.32	19,180.02	18,379.20
योजनागत आस्तियां	22,055.73	21,388.63	19,922.68	18,459.42	17,604.64
अपरिचित संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	41.22	183.62	489.67
आधिक्य घाटा)	(-)569.23	(-)526.92	(-)507.42	(-)536.99	(-)284.88

विशिष्ट	पेंशन योजना				
	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
योजनागत देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	1,174.08	(-)545.48	410.04	843.92	1,092.69
योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ पर अनुभव समायोजन	(-)415.27	321.46	(-)31.29	(-)45.52	(-)694.35

सी. एस-17 “सेगमेंट रिपोर्टिंग”

भाग A: व्यवसाय खंड

व्यवसाय खंड	कोषागार परिचालन (1)		थोक बैंकिंग परिचालन (2)		खुदरा बैंकिंग परिचालन (3)		डिजिटल बैंकिंग (3) (i)		अन्य खुदरा बैंकिंग (3)(ii)		अन्य बैंकिंग परिचालन (4)		कुल (1+2+3+4)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
आय	23,231.75	22,735.88	29,533.63	27,338.94	32,910.75	31,053.26	0.62	0.63	32,910.13	31,052.63	0.00	0.00	85,676.13	81,128.08
असंबद्ध राजस्व													772.62	361.01
घटाएँ: अंतर-खंड राजस्व													799.19	1,076.64
कुल राजस्व													85,649.56	80,412.45
परिणाम	6,492.24	6,289.66	2,951.15	1,987.80	7,281.57	7,220.80	(-)0.58	(-)0.45	7,282.15	7,221.26	0.00	0.00	16,724.96	15,498.26
असंबद्ध व्यय													(-)2,955.22	(-)2,731.12
कर से पहले लाभ/(हानि)													13,769.74	12,767.14
आयकर													3,463.44	3,218.86
असाधारण लाभ/(नुकसान)													XXXX	XXXX
कुल लाभ (हानि)													10,306.30	9,548.28
अन्य सूचना :														
खंड आस्तियां	3,67,527.81	352,717.99	4,31,692.12	384,649.62	3,40,935.46	2,82,218.77	11.10	6.65	3,40,924.36	282,212.13	0.00	0.00	1,140,155.39	1,019,586.38
असंबद्ध आस्तियां													39,396.20	36,838.63
कुल संपत्ति													1,179,551.59	1,056,425.02
खंड आस्तियां	3,45,070.81	331,339.32	4,10,872.21	369,036.17	3,16,131.27	2,59,782.48	11.10	7.10	3,16,120.17	259,775.38	0.00	0.00	1,072,074.29	960,157.97
असंबद्ध देयताएं													17,518.75	15,541.27
कुल देनदारियाँ													1,089,593.04	975,699.24
व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	22,457.00	21,378.67	20,819.91	15,613.45	24,804.19	22,436.29	0.00	(-)0.46	24,804.19	22,436.75	0.00	0.00	68,081.10	59,428.41
असंबद्ध पूंजी													21,877.45	21,297.36
कुल नियोजित पूंजी													89,958.55	80,725.78

नोट: गैर-बैंकिंग अनुसंगियों/संयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी को अनाबंटित खंड में शामिल किया गया है।

भाग बी: भौगोलिक खंड

भौगोलिक खंड	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
आय	75,475.29	70,374.04	10,174.27	10,038.41	85,649.56	80,412.45
संपत्ति	1,003,033.52	891,676.36	176,518.07	164,748.65	1,179,551.59	1,056,425.01

बीओआई समूह ने एस-17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

I. प्राथमिक खंड: व्यवसाय खंड

ए) **कोषागार:** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सहित विदेशी मुद्रा परिचालन में लेनदेन।

बी) **थोक बैंकिंग:** थोक बैंकिंग में ऐसे सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

सी) **रिटेल बैंकिंग:** रिटेल बैंकिंग खण्ड में डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग शामिल हैं।

डिजिटल बैंकिंग में डीबीयू द्वारा अर्जित डिजिटल बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं।

अन्य रिटेल बैंकिंग में रु. 7.50 करोड़ तक एक्सपोजर वाले सभी आवास ऋण खाते एवं उधार खाते शामिल हैं।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:

रिटेल बैंकिंग खंड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खंड और कोषागार खंड, रिटेल बैंकिंग खंड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों को औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन

ए) किसी विशिष्ट खंड से सीधे तौर पर संबंधित आस्तियों और देयताओं को उस संबंधित खंड को आबंटित किया जाता है।

बी) जो आस्तियां और देयताएं किसी विशिष्ट खंड से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होती, उन्हें उपार्जक आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया जाता है।

लागत का आबंटन :

ए) विशेष खंड से सीधे सम्बद्ध व्ययों को संबंधित खंड में विनियोजित किया गया है।

बी) जो व्यय किसी खंड विशेष से सीधे सम्बद्ध न हों उन्हें कर्मचारियों की संख्या/संचालित कारोबार के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

II. गौण खंड: भौगोलिक खंड

a) घरेलू परिचालन

b) अंतरराष्ट्रीय परिचालन

डी. एस-18 “संबंधित पक्ष संव्यवहार” (मूल बैंक):**I. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:**

प्रबंध निदेशक और सीईओ:	श्री रजनीश कर्नाटक
कार्यपालक निदेशक:	श्री पी.आर. राजगोपाल
	श्री सुब्रत कुमार
	श्री राजीव मिश्रा
	श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी (24.11.2025 से)

II. प्रदत्त पारिश्रमिक :

(राशि ₹ में)

Sr No	नाम	पद का नाम	2025-26	2024-25
1	श्री रजनीश कर्नाटक	एमडी एवं सीईओ	62,94,742	52,69,865
2	श्री पी.आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक	68,16,348	59,42,538
3	श्री एम कार्तिकेयन (31.03.2025 को सेवानिवृत्त हुए)	कार्यपालक निदेशक	18,68,640	49,17,186
4	श्री सुब्रत कुमार	कार्यपालक निदेशक	76,93,522	51,40,710
5	श्री राजीव मिश्रा	कार्यपालक निदेशक	72,54,345	35,65,716
6	श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी (24.11.2025 से)	कार्यपालक निदेशक	16,36,274	0

लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

ई. एस 19 – पट्टा (मूल बैंक)

मूल बैंक के विकल्प पर परिचालन पट्टे रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालन पट्टे के लिए लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा बैंक की राशि रु 819.35 (पिछले वर्ष: रु 748.44) है।

एफ़. एस 20 – “प्रति शेयर अर्जन” रुपये में:

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1.	मूल ईपीएस	22.64	20.97
2.	डाइल्यूटिव ईपीएस	22.64	20.97

मूल और डाइल्यूटिव ईपीएस की गणना:

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(ए)	इक्विटी शेयरहोल्डर्स को साल भर का निवल लाभ/(हानि)	10,306.30	9,548.28
(बी)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	455.27	455.27
(सी)	प्रति शेयर मूल आय (ए/बी) (₹)	22.64	20.97
(डी)	डाइल्यूटिव पोटेण्शियल इक्विटी शेयरों सहित इक्विटी शेयरों की वेटेड एवरेज संख्या (करोड़ में)	455.27	455.27
(ई)	प्रति शेयर डाइल्यूटिव आय (ए/डी) (₹)	22.64	20.97
(एफ)	प्रति इक्विटी शेयर न्यून मूल्य (₹)	10.00	10.00

जी. एस-22 “आय पर करों का लेखांकन”:

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयता के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
आस्थगित कर आस्तियां		
प्रावधानों के लिए समय अंतर के कारण	1164.90	2,266.96
अन्य		936.55
कुल आस्थगित कर आस्तियां	2503.75	3,203.51
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियां पर मूल्यहास के कारण	157.64	179.70
निवेश पर मूल्यहास के कारण	0.00	0.00
अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज के कारण	1054.12	957.68
अन्य	731.07	740.82
कुल आस्थगित कर देयताएं	1942.83	1,878.20
नेट डेफ़र्ड कर आस्तियां / (देयताएं)	560.92	1,325.31

एच. लेखांकन मानक 24 परिचालन बंद करना:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई परिचालन बंद नहीं हुआ है।

(आई) एस 27 – “संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग”:

निवेश में रु. 98.17 (पिछले वर्ष रु. 98.17) शामिल हैं जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में मूल बैंक के निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निगमन देश	होल्डिंग %
1.	स्टार यूनिनन दार्ज-इची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.	98.17	भारत	27.48%

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
देयताएं		
पूंजी एवं रिजर्व	516.41	507.62
जमा	-	-
उधारी	34.34	34.35
अन्य देयताएं और प्रावधान	10,097.12	8,018.40
कुल	10,647.87	8,560.37
आस्तियां		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि	202.25	180.85
बैंकों के साथ शेष राशि तथा क्रय और अल्प सूचना पर राशि	-	-
निवेश	10,028.00	8,210.49
अग्रिम	36.58	24.86
अचल आस्तियां	34.10	25.61
अन्य आस्तियां	346.94	118.56
कुल	10,647.87	8,560.37
पूंजी प्रतिबद्धताएं	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	61.12	36.61
आय		
अर्जित ब्याज	26.94	24.07
अन्य आय	89.90	70.87
कुल	116.84	94.94
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	2.66	2.66
परिचालन व्यय	105.44	68.55
प्रावधान और आकस्मिकताएं	(-)0.15	1.17
कुल	107.95	72.38
लाभ / (हानि)	8.89	22.56

जे. एस-28 “आस्तियों की हानि”:

मूल बैंक की अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के संदर्भ में, दिनांक मार्च 31, 2025 में मूल बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट तथा एस-28 के अनुसार दिनांक मार्च 31, 2026 को समाप्त निश्चित परिसंपत्तियों की हानि के आधार पर अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन “शून्य” है।

के. एस-29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां”: (मूल बैंक)

A. आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधानों का अंतरण

विवरण	कानूनी मामले/आकस्मिकताएं*	
	2025-26	2024-25
प्रारंभिक जमा	103.10	88.60
वर्ष के दौरान प्रदान किया गया	4.21	27.23
वर्ष के दौरान रिवर्स/उपयोग की गई राशि	11.80	12.73
जमा शेष	95.51	103.10
बहिर्वाह/अनिश्चितताएं का समय	निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह	

* अन्य प्रावधानों को छोड़कर

बी. आकस्मिक देयताएं

इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों को शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

9. अन्य नोट:

(ए) जीवन-बीमा संयुक्त उद्यम के निवेशों का लेखा, बैंक के द्वारा पालन की जा रही लेखांकन नीति के स्थान पर आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार रखा गया है। यथा दिनांक 31 मार्च 2026 को कुल निवेश का लगभग 3.59% (विगत वर्ष 3.06%) बीमा संयुक्त उद्यम के निवेश से है।

(बी) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण:-

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105 डीओआर. एसीसी. आरईसी. 57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से बैंकों को दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करते हुए अधिकतम पांच वर्षों की अवधि में पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है, बशर्ते कि कुल राशि का न्यूनतम 1/5 वां हिस्सा हर साल खर्च किया जाए।

बैंक ने पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण रु.612.09 की अतिरिक्त देयता को मान्यता दी है और दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करते हुए पांच वर्षों की अवधि में उक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है।

तदनुसार, मूल बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में उक्त अतिरिक्त देयता के लिए रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य) को व्यय के रूप में मान्यता दी है और इस तिथि तक पारिवारिक पेंशन देयता की अशोध्य राशि रु. शून्य (विगत वर्ष रु. 41.21) है।

(सी) राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के अनुसार, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को समामेलित कर दिया गया है और 1 मई, 2025 से दो आरआरबी के संबंध में प्रायोजक बैंक को बदल दिया गया है। इन आरआरबी में मूल बैंक के निवेश को 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

i. आरआरबी के समामेलन का विवरण, जहाँ अंतरित आरआरबी को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है, निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	अंतरणकर्ता आरआरबी का नाम	अंतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के विलय के बाद नया नाम	अंतरित आरआरबी का प्रायोजक बैंक
1	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र		
2	आर्यावर्त बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा		

ii. आरआरबी के समामेलन का विवरण, जहाँ अंतरित आरआरबी को बैंक ऑफ इंडिया प्रायोजित करता है, निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	अंतरणकर्ता आरआरबी का नाम	अंतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के विलय के बाद नया नाम	अंतरित आरआरबी का प्रायोजक बैंक
1	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया
	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया		

तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी के लिए ₹ 329.45 की अतिरिक्त राशि की सदस्यता ली है, जो समामेलित आरआरबी का प्रायोजक बैंक है। आरआरबी में अपने निवेश के अंकित मूल्य में वर्ष के दौरान, मूल बैंक को विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के मामले में ₹ 450.46 और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के मामले में ₹ 205.90 की पूंजी मोचन राशि प्राप्त हुई है।

इसके अलावा, यथा दिनांक 01 मई, 2025 तक विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त बैंक के मामले में, मूल बैंक ने अपने समेकित लाभ और हानि खाते में क्रमशः ₹330.38 (क्रेडिट) और ₹ 849.18 (डेबिट) की राशि निवेश के वहन मूल्य और पूंजी मोचन के लिए प्राप्त आय के बीच अंतर के उत्क्रमण के लिए डेबिट/क्रेडिट की है और इसे समेकित वित्तीय परिणामों में असाधारण मद के तहत दिखाया गया है।

मध्यचल ग्रामीण बैंक के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलन के कारण, जहां मूल बैंक समामेलित आरआरबी का प्रायोजक बैंक है, दिनांक 01.05.2025 को समेकित वित्तीय परिणामों के शुरुआती रिजर्व और अधिशेष में बैंक निवेश की वहन राशि को लेखांकन मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन' के अनुसार समायोजित किया गया है।

डी) आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखा मानक (इंड एस) का कार्यान्वयन:

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.एनओ.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से आरबीआई द्वारा अनुशंसित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में विधायी संशोधनों के भारत सरकार के विचाराधीन होने के कारण आगे की सूचना तक इंड एस के

कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। हालांकि, आरबीआई को सभी बैंकों को हर छमाही में प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण (पीएफएस) जमा करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, मूल बैंक ने मूल बैंक में इंड-एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित संचालन समिति की मंजूरी लेने के बाद, सितंबर-2021 से प्रभावी अर्ध-वार्षिक रूप से आरबीआई को प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण (पीएफएस) तैयार कर प्रस्तुत किया है। पीएफएस को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और सूचना और रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड को भी प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में, आरबीआई वीडियो परिपत्र संख्या ./2026-27/398 दिनांक 27.04.2026 ने ईसीएल ढांचे के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और आय मान्यता) निर्देश, 2026 के रूप में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश दिनांक 01.04.2027 से प्रभावी होंगे। मूल बैंक ने पहले ही इसके लिए सलाहकार नियुक्त कर लिया है और ईसीएल ढांचे को लागू करने की प्रक्रिया में है।

- ई) यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 को आरबीआई द्वारा संदर्भित एनसीएलटी खातों (सूची 1 और 2) के संबंध में मूल बैंक कुल बकाया मूल्य ₹ 2,905.38 (पिछले वर्ष ₹3,033.86) का 100% प्रावधान रखता है।
- एफ) मूल्य निर्धारण के संबंध में, दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन मूल बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न अधिशेष ₹

1,580.24 को "पुनर्मूल्यांकन रिजर्व" में जोड़ा गया है।

- जी) भारत सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी होने वाले 29 विधानों को समाहित करते हुए चार नए श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है। प्रबंधन द्वारा किए गए व्यापक मूल्यांकन के आधार पर, मूल बैंक वित्तीय प्रभाव वाले प्रमुख प्रावधानों का अनुपालन करना जारी रखता है। उक्त श्रम संहिताओं से संबंधित नियमों को अभी अधिसूचित किया जाना है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी प्रभाव का ध्यान ऐसी अधिसूचना पर रखा जाएगा।

- एच) बैंक ने दिनांक 26 दिसंबर, 2025 को 10,000 रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 7.23% की कूपन दर पर जुटाए हैं।

- आई) **अन्य आय/व्यय जो कुल आय के 1% से अधिक हो (मूल बैंक)**

अन्य आय अन्य आय में मूल बैंक की कुल आय के 1% से अधिक की आय शामिल है।

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
बट्टे खाते में वसूली	2,673.94	2,365.46

- जे) पिछले साल के आंकड़ों को जहाँ भी ज़रूरी समझा गया, पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated. Figures in Brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent bank) are as under:

Name of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2026	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2025
Domestic Subsidiaries:			
a) BOI Services Limited (erstwhile BOI Shareholding Limited)	India	100%	100%
b) Bank of India Investment Managers Pvt Ltd. (erstwhile BOI AXA Investment Managers Private Limited)	India	100%	100%
c) Bank of India Trustee Services Pvt Ltd. (erstwhile BOI AXA Trustee Services Private Limited)	India	100%	100%
d) BOI Merchant Bankers Limited	India	100%	100%
Overseas Subsidiaries:			
a) PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	90.96%	90.96%
b) Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c) Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d) Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

Name of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2026	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2025
Domestic Subsidiaries:			
a) Regional Rural Banks-			
i) Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank)	India	35%	35%
ii) Vidharbha Konkan Gramin Bank (sponsorship transferred to Bank of Baroda w.e.f. 01st May 2025)	India	-	35%

Name of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2026	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2025
iii) Aryavart Bank (erstwhile Gramin Bank of Aryavart) (sponsorship transferred to Bank of Baroda w.e.f. 01st May 2025)	India	-	35%
b) Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c) STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d) ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) Joint Venture:

Name of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2026	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2025
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	27.48%	27.48%

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2026 except for associates: Indo Zambia Bank Limited (IZBL), Aryavart Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank. IZBL's financial statements are prepared upto 31st December 2025 and its management has reported no significant transactions for the quarter ended 31st March 2026. Aryavart Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank financial statements are prepared upto 30th April 2025.
4. In case of subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by them and the Parent Bank have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.
5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :
- Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2026 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.
 - Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2026 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.
 - Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2026 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.
 - Audited financial statements of BOI Services Limited, Bank of India Investment Managers Pvt.

Ltd., Bank of India Trustee Services Pvt. Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Madhya Pradesh Gramin Bank, & STCI Finance Ltd. for the financial year ended 31.03.2026, Indo Zambia Bank Ltd. for the twelve months ended 31.12.2025, Aryavart Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank for one month ended 30.04.2025.

- (v) Unaudited Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. and ASREC (India) Ltd., for the financial year ended 31.03.2026 certified by their management.

6. In respect of the Parent bank, balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.
7. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

(a) Composition of Regulatory Capital:

Sr. No.	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	78,712.68	70,310.13
ii)	Additional Tier 1 capital	1,500.00	2,801.65
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	80,212.68	73,111.78
iv)	Tier 2 capital	13,207.86	10,265.98
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	93,420.54	83,377.76
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	5,02,746	451,096
vii)	CET 1 Ratio	15.66%	15.59%
viii)	Tier 1 Ratio	15.95%	16.21%
ix)	Tier 2 Ratio	2.63%	2.28%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)	18.58%	18.48%
xi)	Leverage Ratio	6.35%	6.50%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	73.38%	73.38%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	-
xiv)	Share application money pending for allotment	NIL	NIL
xv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which:	-	-
	a) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments	NIL	NIL
xvi)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which:	2,500*	2,500
	a) Basel III compliant Redeemable Debt Instruments	2,500*	2,500

*The Parent Bank has raised Tier 2 Bonds of ₹ 2,500 during December 2025 (Coupon rate : 7.28%)

- (a1) Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2022-23	Additional Tier 1	1,500.00	1,500.00
	Total	1,500.00	1,500.00

The Parent Bank has Exercised Call Option and redeemed AT1 Bond Series VI amounting to ₹ 750 on Jan 28, 2026.

The Parent Bank has Exercised Call Option and redeemed AT1 Bond Series VII amounting to ₹ 602 on Mar 30, 2026.

- (a2) Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2020-21	Tier-II	1,800.00	1,800.00
2023-24	Tier-II	2,000.00	2,000.00
2024-25	Tier-II	2,500.00	2,500.00
2025-26	Tier-II	2,500.00	2,500.00
	Total	8,800.00	8,800.00

The Parent Bank has redeemed Tier II Bonds Series XII amounting to ₹ 3,000 on Dec 31, 2025.

The Parent Bank has raised Basel III Complaint Tier II Bonds Series XVII amounting to ₹ 2,500 on Sep 26, 2024.

The Parent Bank has raised Basel III Complaint Tier II Bonds Series XVIII amounting to ₹ 2,500 on Dec 12, 2025.

(b) Draw down from Reserves (Parent Bank)

During the FY 2025-26, there has been no drawdown from reserves to the Profit and Loss accounts.

(c) Provisions and Contingencies:

Particulars	2025-26	2024-25
Provision for Non-Performing Investments	-	(-)282.09
Provision towards NPA	3,463.35	4660.14
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	3,463.44	3218.86
Provision towards Standard Assets	102.51	(-)398.87
Other Provision & Contingencies		
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	-	(-)155.27
• Provision for Country Risk	21.33	10.35
• Other Provisions	(-)399.18	215.76
Total	6,651.45	7268.88

(d) Floating Provisions as on 31.03.2026 - (Parent Bank)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00

Floating Provisions as on 31.03.2025 - (Parent Bank)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00

(e) Income-Tax – (Parent Bank)

- Claims against the Bank not acknowledged as debt appearing under contingent liabilities (Schedule 12) of Parent bank include disputed income tax/ interest tax liabilities of ₹2,057.06 (previous year ₹ 2,048.01) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).
- Provision for Income tax for the year is arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial precedents on certain issues.
- The Parent Bank had exercised the irreversible option to shift from old tax regime to the new tax regime under section 115BAA of the Income Tax Act, 1961, effective from the Assessment Year 2023-24.
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has published the model rules for global minimum tax (Pillar Two model rules). As per the provisions of Pillar Two legislation,

the Ultimate parent entity (UPE) of the Group (the Parent Bank, its branches, subsidiaries and / or other constituent entities) has consolidated revenues exceeding the threshold prescribed under the OECD framework.

The Pillar Two legislation is not enacted by Government of India, where the Parent company is incorporated. Pillar Two legislation has been enacted, or substantively enacted, in most of the other jurisdictions where the Group (the Parent Bank, its branches, subsidiaries and / or constituent entities) operates. Based on preliminary assessment, the Parent Bank does not expect a material financial impact from the application of Pillar Two legislation on its financial statements as on reporting date. The evaluation of the exposure is based on broad review of the most recent tax filings, country-by-country reporting and financial statements for the constituent entities in the Group. In the jurisdiction with lower corporate tax rate i.e. United Arab Emirates, the Parent Bank has recognized and disclosed separately, current tax expense towards the domestic minimum top-up taxes under the local Pillar Two legislation.

The Parent Bank has applied the exception to recognizing and disclosing information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two Income Taxes as mandated by AS-22 (amended). This exception applies immediately and retrospectively.

(f) Disclosure of Letter of comfort issued by the Parent bank for subsidiaries (As compiled by Management)

During the year 2025-26, the Parent bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries.

In the Financial year 2010-11, the Parent Bank has issued unconditional parental guarantee to its wholly owned subsidiary, Bank of India (New Zealand) Ltd. in respect of obligations of Bank of India (New Zealand) for the benefit of its creditors.

As on 31.03.2026 no financial obligations have arisen on the above commitments.

8. Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

A. AS – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Change in Accounting Policy (AS-5):

There is no change in the Significant Accounting Policies followed during the year ended March 31, 2026 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2025.

B. AS-15 “Employee Benefits” (Parent Bank)

Sr. No.	Particulars	FY 2025-2026		FY 2024-2025	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
(i)	Principal actuarial assumptions used :				
	Discount Rate	7.87%	7.16%	6.99%	6.71%
	Rate of Return on Plan Assets	7.74%	7.41%	6.94%	7.52%
	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	Table showing changes in Present value of Defined Benefit Obligation :				
	Liability at the beginning of the year	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,430.10
	Interest Cost	167.35	1,393.67	157.30	1,386.02
	Current Service Cost	137.85	1,164.75	126.39	1,128.23
	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	41.21
	Benefit Paid	161.70	2,290.88	220.72	2,413.01
	Actuarial (gain)/loss on Obligation	61.31	441.87	123.12	1,343.00
	Liability at the end of the year	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
	Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Defined Benefit obligation	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
(iii)	Table showing changes in Fair value of Plan Assets :				
	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
	Expected return on Plan Assets	190.15	1,566.94	154.72	1,485.37
	Contributions	214.11	1,806.30	232.88	2,072.14
	Benefit Paid	161.70	2,290.88	220.72	2,413.01
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
	Total Actuarial Gain/(Loss) recognised	(-)61.94	(-)857.14	(-)82.85	(-)1,021.55
(iv)	Actual return on Plan Assets :				
	Expected Return on Plan Assets	190.15	1,566.94	154.72	1,485.37
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46
	Actual return on Plan Assets	189.52	1,151.67	194.99	1,806.82
(v)	Amount recognised in the Balance Sheet				
	Liability at the end of the year	2,679.92	22,624.96	2,475.11	21,915.55
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
	Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount Recognised in the Balance Sheet	7.50	569.23	44.62	526.92
(vi)	Expenses recognised in the Income-Statement :				
	Current Service Cost	137.85	1,164.75	126.39	1,128.23
	Interest Cost	167.35	1,393.67	157.30	1,386.02
	Expected Return on Plan Assets	(-)190.15	(-)1,566.94	(-)154.72	(-)1,485.37
	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	41.21
	Actuarial (Gain) or Loss	61.94	857.14	82.85	1,021.55
	Expense Recognised in P & L	176.99	1,848.62	211.82	2,091.64

Sr. No.	Particulars	FY 2025-2026		FY 2024-2025	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
(vii)	Balance Sheet Reconciliation :				
	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	44.62	526.92	65.68	507.42
	Expenses as above	176.99	1,848.62	211.82	2,091.64
	Employer's Contribution	(-)214.11	(-)1,806.30	(-)232.88	(-)2,072.14
	Additional Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount Recognised in Balance Sheet	7.50	569.23	44.62	526.92
(viii)	Category of Assets :				
	Central Government of India Securities	5.10	2,442.70	10.21	2,569.54
	Equity	0.00	1,136.52	0.00	1,071.34
	Corporate Bonds	0.00	5,914.39	35.04	5,911.16
	State Government Securities	0.00	4,446.44	0.00	3,986.63
	Insurance	2,468.15	7,655.92	2,203.68	6,931.40
	Other	199.17	459.76	181.56	918.56
	Total	2,672.42	22,055.73	2,430.49	21,388.63
(ix)	Experience Adjustment :				
	On Plan Liability (Gain)/Loss	321.93	1,174.08	41.01	(-)545.48
	On Plan Asset (Loss)/Gain	(-)0.63	(-)415.27	40.27	321.46

Other long term employee benefits*:

Particulars	31.03.2026		31.03.2025	
	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year
Leave Encashment	1,357.79	78.36	1,279.43	73.07
Leave Travel Concession	63.34	0.17	63.17	0.34
Resettlement Benefits	9.43	0.36	9.07	0.47
Milestone Awards	4.92	0.04	4.88	0.24
Sick Leave**	5.01	0.73	4.28	1.20
Medical Benefits (whole time directors)	7.05	7.05	-	-

* The actuarial assumptions for other long term employees' benefits are same which are used for Gratuity.

The Parent Bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the Parent Bank has contributed ₹ 565.64 (Previous Year ₹ 544.39) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The Parent Bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leave by employees.

The Parent Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 1,857.57 (Previous Year ₹ 2,064.09) and towards Gratuity is ₹ 29.58 (Previous Year: ₹ 27.61).

Surplus /Deficit in the Plan:

Particulars	Gratuity Plan				
	FY2025-26	FY2024-25	FY2023-24	FY2022-23	FY2021-22
Defined benefit obligation	2,679.92	2,475.11	2,289.02	2,070.55	1,898.52
Plan assets	2,672.42	2,430.49	2,223.34	2,055.47	1,887.32
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Particulars	Gratuity Plan				
	FY2025-26	FY2024-25	FY2023-24	FY2022-23	FY2021-22
Surplus/(deficit)	(-)7.50	(-)44.62	(-)65.68	(-)15.09	(-)11.20
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	321.93	41.01	124.29	240.77	152.27
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	(-)0.63	40.27	11.51	(-)5.88	(-)42.37

Particular	Pension Plan				
	FY2025-26	FY2024-25	FY2023-24	FY2022-23	FY2021-22
Defined benefit obligation	22,624.96	21,915.55	20,471.32	19,180.02	18,379.20
Plan assets	22,055.73	21,388.63	19,922.68	18,459.42	17,604.64
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	41.22	183.62	489.67
Surplus/(deficit)	(-)569.23	(-)526.92	(-)507.42	(-)536.99	(-)284.88
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	1,174.08	(-)545.48	410.04	843.92	1,092.69
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	(-)415.27	321.46	(-)31.29	(-)45.52	(-)694.35

C. AS-17 “Segment Reporting”

Part A: Business Segment

Business Segment	Treasury Operations (1)		Wholesale Banking Operations (2)		Retail Banking Operations (3)		Digital Banking (3) (i)		Other Retail Banking (3)(ii)		Other Banking Operations (4)		Total (1+2+3+4)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	23,231.75	22,735.88	29,533.63	27,338.94	32,910.75	31,053.26	0.62	0.63	32,910.13	31,052.63	0.00	0.00	85,676.13	81,128.08
Unallocated revenue													772.62	361.01
Less: Inter segment revenue													799.19	1,076.64
Total Revenue													85,649.56	80,412.45
Results	6,492.24	6,289.66	2,951.15	1,987.80	7,281.57	7,220.80	(-)0.58	(-)0.45	7,282.15	7,221.26	0.00	0.00	16,724.96	15,498.26
Unallocated Expenses													(-)2,955.22	(-)2,731.12
Profit/(Loss) Before Tax													13,769.74	12,767.14
Income Tax													3,463.44	3,218.86
Extraordinary Profit/(Loss)													XXXX	XXXX
Net Profit/(Loss)													10,306.30	9,548.28
Other Information :														
Segment Assets	3,67,527.81	352,717.99	4,31,692.12	384,649.62	3,40,935.46	2,82,218.77	11.10	6.65	3,40,924.36	282,212.13	0.00	0.00	1,140,155.39	1,019,586.38
Unallocated Assets													39,396.20	36,838.63
Total Assets													1,179,551.59	1,056,425.02
Segment Liabilities	3,45,070.81	331,339.32	4,10,872.21	369,036.17	3,16,131.27	2,59,782.48	11.10	7.10	3,16,120.17	259,775.38	0.00	0.00	1,072,074.29	960,157.97
Unallocated Liabilities													17,518.75	15,541.27
Total Liabilities													1,089,593.04	975,699.24
Capital Employed	22,457.00	21,378.67	20,819.91	15,613.45	24,804.19	22,436.29	0.00	(-)0.46	24,804.19	22,436.75	0.00	0.00	68,081.10	59,428.41
Unallocated Capital													21,877.45	21,297.36
Total Capital Employed													89,958.55	80,725.78

Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

Part B: Geographical Segment

Geographical Segments	Domestic		International		Total	
Particulars	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	75,475.29	70,374.04	10,174.27	10,038.41	85,649.56	80,412.45
Assets	1,003,033.52	891,676.36	176,518.07	164,748.65	1,179,551.59	1,056,425.01

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

I. Primary Segment: Business Segments

- Treasury:** 'Treasury' segment includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations including Derivative contracts.
- Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all lending activities which are not included under Retail Banking.
- Retail Banking:** Retail Banking segment comprises of Digital Banking and Other Retail Banking.

Digital Banking includes digital banking products acquired by DBUs.

Other Retail Banking includes all housing loan accounts and borrower accounts having exposure up to ₹ 7.50.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits and borrowings incurred by it.

Allocation of Assets and Liabilities:

- Assets and Liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.
- Assets and Liabilities not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to Earning Assets.

Allocation of Costs:

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.
- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

II. Secondary Segment: Geographical Segments

- Domestic Operations
- International Operations

D. AS-18 "Related Party Transactions" (Parent Bank):**I. Key Managerial Personnel:**

Managing Director & CEO: Shri Rajneesh Karnatak

Executive Directors: Shri P R Rajagopal

Shri Subrat Kumar

Shri Rajiv Mishra

Shri Pramod Kumar Dwibedi (from 24.11.2025)

II. Remuneration paid :

(Amount in ₹)

Sr No	Name	Designation	2025-26	2024-25
1	Shri Rajneesh Karnatak	MD & CEO	62,94,742	52,69,865
2	Shri P. R. Rajagopal	Exe. Director	68,16,348	59,42,538
3	Shri M Karthikeyan (superannuated on 31.03.2025)	Exe. Director	18,68,640	49,17,186
4	Shri Subrat Kumar	Exe. Director	76,93,522	51,40,710
5	Shri Rajiv Mishra	Exe. Director	72,54,345	35,65,716
6	Shri Pramod Kumar Dwibedi (from 24.11.2025)	Exe. Director	16,36,274	0

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship, including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed, since the disclosure would conflict with Parent Bank's duties of confidentiality.

E. AS-19 "Leases" (Parent Bank) :

Operating leases are cancellable at the option of the Parent Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit & Loss Account for such operating lease is ₹ 819.35 (Previous Year: ₹ 748.44).

F. AS-20 "Earnings per Share" in ₹:

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1.	Basic EPS	22.64	20.97
2.	Diluted EPS	22.64	20.97

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

S.No.	Particulars	2025-26	2024-25
(A)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	10,306.30	9,548.28
(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	455.27	455.27
(C)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	22.64	20.97
(D)	Weighted Average number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore)	455.27	455.27
(E)	Dilutive Earnings per share (A/D) (₹)	22.64	20.97
(F)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

G. AS-22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Deferred Tax Assets		
On account of timing difference towards provisions	1164.90	2,266.96
Others	1338.85	936.55
Total Deferred Tax Assets	2503.75	3,203.51
Deferred Tax Liabilities		
On account of depreciation on fixed assets	157.64	179.70
On account of depreciation on investment	0.00	0.00
On account of interest accrued but not due	1054.12	957.68
Others	731.07	740.82
Total Deferred Tax Liabilities	1942.83	1,878.20
Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)	560.92	1,325.31

H. AS-24 "Discontinuing Operations":

There are no discontinuing operations during the financial year 2025-26.

I. AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹ 98.17 (Previous year ₹98.17) representing Parent Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of incorporation	Holding %
1.	Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd.	98.17	India	27.48%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Liabilities		
Capital & Reserves	516.41	507.62
Deposits	-	-
Borrowings	34.34	34.35
Other Liabilities & Provisions	10,097.12	8,018.40
Total	10,647.87	8,560.37
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	202.25	180.85
Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
Investments	10,028.00	8,210.49
Advances	36.58	24.86
Fixed Assets	34.10	25.61
Other Assets	346.94	118.56
Total	10,647.87	8,560.37
Capital Commitments	-	-
Other Contingent Liabilities	61.12	36.61
Income		
Interest Earned	26.94	24.07
Other Income	89.90	70.87
Total	116.84	94.94
Expenditure		
Interest Expended	2.66	2.66
Operating Expenses	105.44	68.55
Provisions & Contingencies	(-)0.15	1.17
Total	107.95	72.38
Profit / (Loss)	8.89	22.56

J. AS-28 "Impairment of Assets":

In terms of Parent Bank's approved revaluation policy, the immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Parent Bank's approved valuers in March 31, 2025 and the impairment of Fixed Assets year ended March 31, 2026 as per AS-28 is "NIL".

K. AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	2025-26	2024-25
Opening Balance	103.10	88.60
Provided during the year	4.21	27.23
Amounts reversed/used during the year	11.80	12.73
Closing Balance	95.51	103.10
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

*Excluding provisions for others

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

9. Other Notes:

- a) The investments of life insurance joint venture have been accounted for in accordance with the IRDAI guidelines instead of restating the same in accordance with the accounting policy followed by the Parent Bank. The investments of the insurance joint venture constitute approximately 3.59% (previous year 3.06%) of the total investments as on 31st March, 2026.

- b) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of the Parent Bank:

Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, permitted Banks to amortise the additional liability on account of revision in family pension over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year.

The Bank recognised the additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 612.09 and has opted to amortise the said liability over a period not exceeding five years, beginning financial year ending March 31, 2022.

Accordingly, the Parent Bank has recognised ₹ Nil (Previous Year ₹ 41.21) as an expense in the Profit and Loss account, for the year ended March 31, 2026 towards the said additional liability and the unamortised amount of family pension liability as on the date is ₹ Nil (Previous Year ₹ Nil).

- c) Pursuant to Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated April 7, 2025, the following Regional Rural Banks (RRBs), sponsored by Bank of India, have been amalgamated and the sponsor bank has been changed in respect of two RRBs with effect from May 1, 2025. The Parent Bank's investments in these RRBs are included in its financial statements as at March 31, 2025.

- i. The details of amalgamation of RRBs, where the transferee RRBs are not sponsored by Bank of India are as below:

Sr. No.	Name of transferor RRBs	Sponsor Bank of transferor RRBs	New Name after Amalgamation of RRBs	Sponsor Bank of transferee RRBs
1	Vidharbha Konkan Gramin Bank	Bank of India	Maharashtra Gramin Bank	Bank of Maharashtra
	Maharashtra Gramin Bank	Bank of Maharashtra		
2	Aryavart Bank	Bank of India	Uttar Pradesh Gramin Bank	Bank of Baroda
	Baroda UP Gramin Bank	Bank of Baroda		

- ii. The details of amalgamation of RRBs, where the transferee RRB is sponsored by Bank of India are as below:

Sr. No.	Name of transferor RRBs	Sponsor Bank of transferor RRBs	New Name after Amalgamation of RRBs	Sponsor Bank of transferee RRBs
1	Madhyanchal Gramin Bank	State Bank of India	Madhya Pradesh Gramin Bank	Bank of India
	Madhya Pradesh Gramin Bank	Bank of India		

Accordingly, during the year ended March 31, 2026, the Parent Bank has subscribed an additional amount of ₹ 329.45 towards the share capital of Madhya Pradesh Gramin Bank, being the sponsor bank of the Amalgamated RRB. During the year, the Parent Bank has received a capital redemption of ₹ 450.46 in case of Vidharbha Konkan Gramin Bank and ₹ 205.90 in case of Aryavart Bank, being the face value of its investment in the RRB.

Further, in case of Vidharbha Konkan Gramin Bank and Aryavart Bank, the Parent Bank has debited / credited its Consolidated Profit and Loss Account by ₹ 330.38 (Credit) and ₹ 849.18 (Debit) respectively towards reversal of difference between the carrying value of investments as on 01.05.2025 and the proceeds received for capital redemption and the same has been shown under exceptional item in the Consolidated Financial Results.

On account of amalgamation of Madhyanchal Gramin Bank into Madhya Pradesh Gramin Bank, where the Parent Bank is the Sponsor Bank of the Amalgamated RRB, the carrying amount of bank investment in associate as on 01.05.2025 has been adjusted by ₹ 171.87 in opening Reserves and Surplus of Consolidated Financial Results, in accordance with Accounting Standard 23 - 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements'.

- d) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS):

RBI vide its circular DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 as recommended by RBI are under consideration of the Government of India. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) every half year. Accordingly, the Parent Bank has been preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) half-yearly with effect from September-2021, after seeking approval of Steering Committee formed for monitoring of implementation of Ind-AS in the Parent Bank. The PFS are also presented to Audit Committee of Board and Board for information and reporting. Recently, the RBI Vide circular No.RBI/DOR/2026-27/398 dated 27.04.2026 has issued guidelines as Reserve Bank of India (Commercial Banks – Asset Classification, Provisioning and Income Recognition) Directions, 2026 for implementation of ECL framework. The directions will be effective from 01.04.2027. The Parent Bank has already appointed the consultant for the same and is in process to implement the ECL framework.

- e) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2026, the Parent Bank holds 100% provision of the aggregate outstanding value of ₹2,905.38 (Previous year ₹ 3,033.86).

- f) In terms of Parent Bank's approved revaluation policy, during the year ended March 31, 2025 the immovable properties are revalued based on the revaluation reports of the Parent Bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amounts to ₹1,580.24 has been added to "Revaluation Reserve".

- g) The Government of India has notified four New Labour Codes subsuming 29 legislations relating thereto effective November 21, 2025. Based on the broad assessment carried out by the management, the Parent Bank continues to comply with the major provisions having financial impact. The rules relating to said Labour Codes are yet to be notified and any resultant impact arising out of the same shall be taken care on such notification.

- h) Bank has raised Infrastructure Bonds amounting to ₹ 10,000 on December 26, 2025 at coupon rate of 7.23%.

- f) **Other Income / Expenditure exceeding 1% of total income (Parent Bank)**

Other Income: Other Income includes below income exceeding 1% of the total income of the Parent Bank.

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Recovery in written off accounts	2,673.94	2,365.46

- j) Previous Year's figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

समेकित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया ('मूल बैंक') तथा इसकी अनुषंगियों, सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों (इसके बाद इसे संयुक्त रूप से 'समूह' कहा जायेगा) की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2026 को समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि खाता तथा संबंधित वर्ष के अंत में नकद प्रवाह की समेकित विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए विवरणियाँ शामिल हैं:

- (i) मूल बैंक के लेखा परीक्षित विवरण
- (ii) संबंधित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 अनुषंगियों (घरेलू) और 5 सहायक कंपनियों (1 विदेशी और 4 घरेलू) और 1 संयुक्त उद्यम (घरेलू) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण; तथा
- (iii) 4 अनुषंगियों (विदेशी) और 1 सहयोगी कंपनी (घरेलू) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा / समीक्षा की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अनुषंगियों और सहयोगी कंपनियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर हमारे मत पर आधारित, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ('आरबीआई दिशानिर्देश') और समूह एवं उसके अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों के लिए आवश्यक तरीके से लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एकरूप हैं और निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं :

ए) यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 को बैंक के समेकित तुलनपत्र एवं समूह, उसकी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति।

बी) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाते के विवरण के संबंध में समूह और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों के लाभ का वास्तविक शेष; और

सी) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह का सही और उचित विवरण।

मत का आधार

2. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "लेखा-परीक्षा पर मानक" (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह/बैंक, उसके अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम से स्वतंत्र हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, जिसमें समय-समय पर संशोधित आईसीएआई लेखांकन मानक शामिल हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार, हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

3. 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी मानदंडों (आईआरएसी मानदंड) का अनुपालन। अग्रिम : बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के संबंध में हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। बैंक ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनपीए खातों की पहचान तथा वर्गीकरण के लिए आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक के वित्तीय विवरणों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वर्गीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएसई/एनएसई, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के वित्तीय विवरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमशः 64.83% तथा 23.66% है। चूंकि बैंक के कारोबार का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामकीय अनुपालन शामिल है, अतः हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों /परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। अग्रिम: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: ए) अग्रिम के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। बी) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं। सी) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी मानदंडों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। डी) हमें आबंटित शाखाओं की, लेखा-परीक्षण के दौरान, हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। ई) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। निवेश: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: ए) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। बी) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। सी) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यहास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। डी) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
2	<u>अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन</u> आयकर मुकदमों सहित बैंक अनेक मुकदमों में शामिल है। जिनमें उन मुकदमों के खिलाफ विवादित दावे शामिल हैं, जो विभिन्न न्यायालयों/फोरम में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। बैंक के अप्रत्यक्ष कर के तहत कुछ भुगतानों पर इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता/रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की प्रयोज्यता के बारे में भी विवादित मामले हैं।	हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: ए) मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। साथ ही प्रबंधन से 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष तक पूर्ण किए गए कर निर्धारणों और नवीनतम आदेशों, विभिन्न कर अधिकारियों से प्राप्त संचार और दायर अपीलों का विवरण प्राप्त किया। बी) कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं का मूल्यांकन करना। इसमें इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी मिसाल और अन्य फैसलों पर विचार करना शामिल है।
3.	<u>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन:</u> ए) संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट देना आदि में आईटी नियंत्रण, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर बहुत अधिक निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: ए) बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश तथा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हुए प्रमुख परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। बी) बैंक द्वारा नियुक्त विभिन्न आईएस लेखा परीक्षकों/ परामर्शदाताओं की रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा आईआरएसी स्वचालन नियंत्रण सहित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की गई। सी) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई। डी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाएं निष्पादित करने की आवश्यकता को पहचाना, हमने मैनुअल प्रतिपूरक नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे कि प्रणालियों और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य स्थापित करना या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, हमने अपने नमूना आकार को बढ़ाया।

अन्य मामले

4. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है :

- ए) ऐसी 4 अनुषंगी (घरेलू) संस्थाओं के वित्तीय परिणामों/विवरणों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 को रु. 168.16 करोड़ की कुल आस्तियां, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 199.80 करोड़ के कुल राजस्व तथा कर के बाद रु. 14.85 करोड़ का निवल लाभ तथा रु. (-) 9.27 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।
- बी) एक संयुक्त उद्यम (घरेलू) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2026 तक कुल आस्तियां रु. 10,396.37 करोड़, कुल राजस्व रु. 116.88 करोड़ और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद कुल निवल लाभ रु. 8.90 करोड़ तथा समेकित वित्तीय विवरणों में विचारित निवल

नकदी प्रवाह रु. 78.12 करोड़ दर्शाते हैं, का अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

- सी) 5 सहयोगी कंपनियों (4 घरेलू और 1 विदेशी) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद समूह के निवल लाभ में रु. (-)302.80 करोड़ का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, का अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के विषय में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

एक विदेशी सहयोगी के संबंध में, वित्तीय सूचना उस देश में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है जिसमें वह स्थित है और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत लेखा परीक्षा की गई है जैसा कि यह उस देश में लागू होता है जिसमें यह स्थित है। मूल बैंक प्रबंधन ने ऐसे सहयोगी की वित्तीय जानकारी को आम तौर पर उस देश में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से परिवर्तित कर उसे भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कर दिया है। जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी सहयोगी कंपनी की राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा तैयार रूपांतरण समायोजनों पर आधारित है।

5. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में गैर-लेखा परीक्षित/ समीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय विवरण शामिल हैं:

ए) 4 अनुषंगीयों (विदेशी) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2026 तक 6,861.04 करोड़ रुपये की कुल आस्ति, 546.41 करोड़ रुपये का कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 102.87 करोड़ रुपये का कर पश्चात कुल निवल लाभ और समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए गए (-)107.50 करोड़ रुपये के निवल नकदी प्रवाह को दर्शाते हैं, का किसी भी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किया गया है।

बी) 1 सहयोगी कंपनी (घरेलू) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ में समूह के हिस्से को 3.99 करोड़ रुपये दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, किसी भी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन सहयोगी कंपनियों और अनुषंगीयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों तथा मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता के संबंध में, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए मूल बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारीयें समाविष्ट हैं परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारीयें और बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटन शामिल नहीं है तथा हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को प्रस्तुत नहीं करते हैं और न करेंगे। समेकित वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारीयों का अध्ययन करना तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि अन्य जानकारी समेकित

वित्तीय विवरण या लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण गलत विवरण से वास्तव में असंगत है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम इस मामले को शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बताएं तथा लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियां

7. मूल बैंक का निदेशक मंडल, इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा बैंकों पर लागू निर्धारित लेखांकन मानकों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप समूह, इसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। समूह में बैंक का संबंधित निदेशक मंडल, इसके सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम समूह, उसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों की आस्तियों का रक्षा करने तथा धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं से बचने एवं उनके पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने, तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन करने, तथा ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाने, लागू करने तथा उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गम्भीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, समूह इकाइयों के संबंधित निदेशक मंडल बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता को निरंतरता की क्षमता, प्रकटन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों, जो भी लागू हो तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसे करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है।

समूह में शामिल बैंकों, इसके सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल, समूह, उसके सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में गलत विवरण यदि कोई हो, का हमेशा पता लगा लिया जाएगा। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि

एकल रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों की प्रतिक्रिया स्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षड्यंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण को अनदेखा करना शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों पर मूल बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो समूह, उसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के, कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने में बड़ा संदेह उत्पन्न करती हो। यदि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण ऐसा हो सकता है कि बैंक कार्यशील संस्था के रूप में जारी न रहे।
- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंतर्गत बैंक, उसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी से संबंधित पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं।

तथ्यात्मकता, वित्तीय विवरणों में विसंगतियों का परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के

दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए विसंगतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल बैंकों के वित्तीय विवरण को लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य कंपनियों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के लिए निर्देश, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम केवल अपनी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए उत्तरदायी हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को प्रशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी को इस विवरण के साथ यह भी सूचित करते हैं कि हम निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों एवं अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन करते हैं।

प्रशासन को सूचित, संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण से लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से ज्यादा ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ और हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;
10. उपरोक्त पैराग्राफ लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ (पैरा 8), प्रबंधन जिम्मेदारियाँ (पैरा 7) और अन्य मामले (पैरा 4 एवं 5) में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित, और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अनुषंगियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने के बाद, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - ए) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
 - बी) मूल बैंक के जो संव्यवहार हमारे संज्ञान में आए हैं, वे मूल बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं और

- सी) मूल बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।
11. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30(2) के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 के अनुसार, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (SCAs) की नियुक्ति वित्त वर्ष 2019-20 से SCAs के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं", को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
- ए) हमारी राय में, मूल बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;
- बी) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण, संबंधित खाता बहियों तथा हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं;
- सी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका समुचित ढंग से निपटान किया है;
- डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे भारतीय

रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

- ई) वित्तीय संव्यवहार या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिनका मूल बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- एफ) चूंकि मूल बैंककारी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता मूल बैंक पर लागू नहीं होती है।
- भारत में निगमित सीमा तक सरकारी कंपनी के अलावा अन्य अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च 2026 तक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- जी) खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- एच) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शिका" के पैरा 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

कृते एस. जयकिशन सनदी लेखाकार (एफआरएन: 309005E) रितेश अग्रवाल भागीदार// आईसीएआई सदस्यता.सं.062410 यूडीआईएन:26062410TTAQYV3196	कृते ए. बाफना एवं कंपनी सनदी लेखाकार (एफआरएन: 003660C) कार्तिक खंडेलवाल भागीदार// आईसीएआई सदस्यता.सं. 426965 यूडीआईएन: 26426965LGOBGD8536
कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन:000235N / N500089) आशीष अग्रवाल भागीदार// आईसीएआई सदस्यता.सं. 093790 यूडीआईएन:26093790UTYUFX7458	कृते सारदा और पारीक एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन 109262W/W100673) निरंजन जोशी भागीदार//आईसीएआई सदस्यता.सं. 102789 यूडीआईएन: 26102789TLETTU2407

स्थान - मुंबई
दिनांक - 8 मई, 2026

Independent Auditors' Report

To

The Members of Bank of India**Report on Audit of the Consolidated Financial Statements****Opinion**

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of India ('the Parent Bank'), and its subsidiaries (collectively hereinafter referred to as "the Group"), associates and joint venture, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of:

- (i) Audited Financial Statements of the Parent Bank.
- (ii) Audited Financial Statements of 4 Subsidiaries (Domestic) and 5 Associates (1 Foreign & 4 Domestic) & 1 Joint-Venture (Domestic), audited by respective other auditors; and
- (iii) Un-audited financial statements of 4 Subsidiaries (Foreign) and 1 Associate (Domestic).

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on our consideration of the audit reports of other auditors on separate financial statements of the Subsidiaries, Joint Venture and Associates and the unaudited financial statements and other financial information of the Subsidiaries and Associate as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the Group and its associates & joint venture and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

- a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associates and joint venture as at March 31, 2026;

- b) true balance of Profit of the Group and its associates & joint venture, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and
- c) true and fair view of the cash flows of the Group and its associates & joint venture, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group / Bank, its associates and joint venture in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the ICAI Accounting Standards, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics.

We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

Sr	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1	<u>Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms)</u> <u>Advances:</u> Bank has to classify the accounts as performing advances or non-performing advances based on the guidelines/ circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. The bank has implemented IRAC automation software for identification and classification of NPA as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the Consolidated Financial Statements of the bank. . <u>Investments:</u> Bank has to classify the investments as performing or non-performing based on the guidelines/ circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non-performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA /FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the Consolidated Financial Statements of the bank. Advances and Investments constitute 64.83% and 23.66% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances are involed, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank. Advances: Our audit procedure included: - Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances. - Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. - Communication to the Statutory Branch Auditors (SBAs) to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and reliance on the audit reports furnished by the SBAs. - Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us. - Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. <u>Investments: Our audit procedure included:</u> - Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. - Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. - Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines. - Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.
2	<u>Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities</u> The Bank has various litigations including Income-tax litigations, involving disputed claims against those litigations, which are pending at various courts / forums and are at various stages in the judicial process. Bank has also disputes regarding availability of input credits / applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Taxes.	<u>Our audit procedure included:</u> - Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Also obtained details of completed tax assessments and latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed till the year ended March 31, 2026, from the management. - Evaluating the management's underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. This includes considering the legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax positions

Sr	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
3	Assessment of Information Technology (IT): a. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing Consolidated Financial Statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	Our audit procedure included: a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. b) Reviewed the Reports of various IS Auditors / Consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with key IT controls, including IRAC Automation Controls. c) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. d) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

Other Matter

4. The accompanying Consolidated Financial Statements include the audited financial statements and other financial information in respect of:

- The financial results/statements of 4 Subsidiaries (Domestic) whose financial results/statements reflect total assets of Rs.168.16 Crores as at March 31, 2026, total revenues of Rs. 199.80 Crores and total net profit after tax of Rs. 14.85 Crores for the year ended on that date, and net cash flows of Rs. (-) 9.27 Crores as considered in the Consolidated Financial Statements, have been audited by other auditors.
- The financial Results/ Statements of 1 Joint-Venture (Domestic) whose financial results/statements reflect total assets of Rs. 10,396.37 Crores as at March 31, 2026, total revenues of Rs. 116.88 Crores and total net profit after tax of Rs. 8.90 Crores for the year ended on that date, and net cash flows of Rs. 78.12 Crores, as considered in the Consolidated Financial Statements, have been audited by other auditors.
- The financial results/statements of 5 Associates (4 Domestic & 1 Foreign) whose financial results/statements include Group's share of net profit after tax of Rs. (-)302.80 Crores for the year ended March 31, 2026, as considered in the Consolidated Financial Statements, have been audited by other auditors.

The independent auditor's reports on the financial statements of these entities have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint venture and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

In respect of one foreign associate, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the country in which it is situated and has been audited by the other auditors under generally accepted auditing standards as applicable in the country in which it is situated. The Parent Bank management has

converted the financial information of such associate from accounting principles generally accepted in the country in which it is situated to accounting principles generally accepted in India. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures of such associate located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Parent Bank.

5. The accompanying Consolidated Financial Statements includes the unaudited financial statements and other financial information in respect of:

- The financial results/ statements of 4 Subsidiaries (Foreign), whose financial statements reflect total assets of Rs. 6,861.04 Crores as at March 31, 2026, total revenues of Rs. 546.41 Crores and total net profit after tax of Rs. 102.87 Crores for the year ended on that date, and net cash flows of Rs. (-) 107.50 Crores as considered in the Consolidated Financial Statements, have not been audited by any auditors.
- The financial Results/ Statements of 1 Associate (Domestic) whose financial statements reflect Group's share of net profit after tax of Rs.3.99 Crores for the year ended as on March 31, 2026, as considered in the Consolidated Financial Statements have not been audited by any auditor.

These financial statements are unaudited and have been furnished to us by Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, this financial statements/ information are not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the unaudited financial information as certified by the Parent Bank's management

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors Report thereon

6. The Parent Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the Other Information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement (including annexures in the Annual Report) but does not include the Consolidated Financial Statements and our Auditor's report thereon, which is expected to be made available for us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements, or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Parent Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group, its associates and Joint venture in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the entities within the Group, its associates and Joint venture are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group, its associates and Joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the Group Entities are responsible for assessing the ability of the Group, its associates and Joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entity included in the Group, its associates and Joint venture are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group, its associates and Joint venture.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of Parent Bank's internal controls on the Consolidated Financial Statements.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's, its associates and Joint venture ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and joint venture to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the

underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities within the Group, its associates and Joint venture to express an opinion on the Consolidated Financial Statements.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and other factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements

We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors.

For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by the other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs Auditor's Responsibilities (para 8), Management Responsibilities (para 7) and Other matters (para 4 & 5) above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associates and joint venture, as noted in the

'other matter' paragraph, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Parent Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Parent Bank and;
 - c) The returns received from the offices and branches of the Parent Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
11. As required under the provisions of Section 30(2) of the Banking Regulation Act 1949 and by the RBI letter No. DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, We further report that:
 - a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Parent Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
 - b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;
 - c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Parent Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.
 - e) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Parent Bank.
 - f) As the Parent Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Parent Bank.

On the basis of the reports of the statutory auditors of subsidiaries, associate and joint venture companies other than Government Company to the extent incorporated in India, none of the directors of the subsidiaries, associates & joint venture companies incorporated in India is disqualified as on March 31, 2026 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013
 - g) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

- h) As per para 1.14 of the “Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks” issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone Financial Statements of Public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group’s Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated Financial Statements.

For S. Jaykishan Chartered Accountants (FRN: 309005E) Ritesh Agarwal Partner // ICAI M. No. 062410 UDIN: 26062410TTAQYV3196	For A. Bafna & Co. Chartered Accountants (FRN: 003660C) Kartik Khandelwal Partner // ICAI M. No. 426965 UDIN: 26426965LGOBGD8536
For SCV & Co. LLP Chartered Accountants (FRN:000235N / N500089) Ashish Agarwal Partner // ICAI M. No. 093790 UDIN: 26093790UTYUFX7458	For SARDA & PAREEK LLP Chartered Accountants (FRN:109262W/W100673) Niranjan Joshi Partner // ICAI M. No. 102789 UDIN: 26102789TLETTU2407

Place: Mumbai

Date: May 8, 2026

बासेल-III (स्तंभ 3) प्रकटन

बासेल III पूंजी विनियम पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंकों को बासेल III पूंजी आवश्यकताओं के अंतर्गत स्तंभ 3 प्रकटन अपेक्षित है।

उक्त प्रकटन बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.bank.in पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://bankofindia.bank.in/basel-iii-disclosures?p_l_back_url=%2Fsearch%3Fq%3Dbasel-III&p_l_back_url_title=Search

BASEL-III (PILLAR 3) DISCLOSURES

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital Regulations, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III Capital requirements.

The said disclosures are available on Bank's website www.bankofindia.bank.in under the following link:

https://bankofindia.bank.in/basel-iii-disclosures?p_l_back_url=%2Fsearch%3Fq%3Dbasel-III&p_l_back_url_title=Search

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

BOI



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

Head Office : Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

एतद-द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के शेयरधारकों की 30वीं (तीसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम), सोमवार, 15 जून, 2026 को प्रातः 11.00 बजे से प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई (बैठक का माना गया स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा निम्नलिखित कारोबार संपादित करने हेतु आयोजित की जाएगी।

साधारण कारोबार:

मद संख्या 1:

यथा 31 मार्च 2026 के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि खाता, तुलन पत्र और उपर्युक्त अवधि के लिए कवर किए गए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट जिसमें तुलन पत्र और खातों के संबंध में खातों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कवर की गई है, पर चर्चा करना, अनुमोदित करना और स्वीकार करना।

मद संख्या 2:

वित्तीय वर्ष 2025 -26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु 4.65 (46.50%) की दर से लाभांश घोषित करना।

मद संख्या 3:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी की नियुक्ति। विचारार्थ तथा यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

संकल्पित किया गया कि विनियमन 17 (1सी) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. ईएफ. सं. 4/4(iv)/2024-बीओ.आई. दिनांक 24.11.2025 के अनुसार बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी की नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होकर उनकी सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात् 30.06.2028 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनुमोदित की जाती है।

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा,

ह/-

(रजनीश कर्नाटक)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक: 21.05.2026

स्थान: मुंबई

NOTICE

Notice is hereby given that the 30th (Thirtieth) Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of India (Bank) will be held on **Monday, June 15, 2026 at 11.00 AM** at Head Office, Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2026, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2026, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2:

To declare dividend @ Rs.4.65 (46.50%) per equity share for the Financial Year 2025-26.

Item No. 3:

Appointment of Shri Pramod Kumar Dwivedi as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Pramod Kumar Dwivedi as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. eF.No. 4/4(iv)/2024-BO.I dated 24.11.2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India with effect from the date of assumption of charge of the office till the date of his attaining the age of superannuation i.e 30.06.2028 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved".

By order of Board of Directors,

Sd/-

(Rajneesh Karnatak)

Managing Director & CEO

Date: 21.05.2026

Place: Mumbai

नोट्स :-

बैठक की मद संख्या 3 के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देने वाली व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ संलग्न है।

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") ने मई 2020 से समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से जिसमें परिपत्र सं. 3/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 भी शामिल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से अतिरिक्त आदेश जारी होने तक, वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है।

उसी को ध्यान में रखते हुए, बैंक की 30वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अतः शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय को एजीएम स्थल माना जाएगा। बैंक ने एजीएम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए अटेंडेंट एनबलर्स हैं। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम में मतदान से संबंधित विस्तृत निर्देश यहां अलग से दिए गए हैं।

सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा कम से कम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े सदस्य (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले सदस्य), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

परोक्षी की नियुक्ति:

लागू प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र है और परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रही है, शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है। तदनुसार, एजीएम के लिए शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फॉर्म तथा उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं की गई हैं। हालांकि, कॉर्पोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या शासकीय निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को दिनांक 08 जून 2026 तक या उसके पहले ई-मेल द्वारा headoffice.share@bankofindia.bank.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्कूटिनाइजर को ई-मेल

NOTES:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No.3 of the meeting is annexed hereto.

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide various circulars issued from time to time since May 2020 including the current Circular No. 3/2025 dated 22nd September 2025 has permitted to hold Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) till further orders.

In view of the same, the 30th AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Shareholders can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of the Bank shall be deemed to be the venue of the AGM. The Bank has appointed NSDL to provide Video Conferencing facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the AGM through VC/OAVM. The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.

The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the notice. The facility of participation at the AGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairperson of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc., who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars, through VC / OAVM, physical attendance of Shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Shareholders will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the EGM/AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:

Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank on or before 8th June 2026 by email to headoffice.share@bankofindia.bank.in with a copy marked to the Scrutinizer by email

द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजी जाएगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 2007 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 36 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के साथ एजीएम की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सटीक पथ सहित वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, जहाँ वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है। शेयरधारक ध्यान दें कि बैंक की एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.bank.in, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

वार्षिक रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक आम बैठक का नोटिस प्राप्त करने हेतु ईमेल आईडी पंजीकृत करने तथा लाभांश के भुगतान हेतु बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करने हेतु प्रक्रिया:

भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु: भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारक (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है), वे बैंक के आरटीए के पास आईएसआर-1 फॉर्म की विधिवत भरी हुई भौतिक प्रति बिगशेयर सर्विसेज़ प्रा. लि., नंबर एस6-2, 6वां ताल, पिन्नेकल बिज़नेस पार्क, आहुरा सेंटर से अगला, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व मुंबई -400093 को प्रेषित करके या info@bigshareonline.com को ईमेल प्रेषित करके अपनी ईमेल आईडी का पंजीकरण और बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करवा सकते हैं।

डिमाट रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु: अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले वे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी/ बैंक खाता पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि कृपया डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी में अपना ई-मेल पता, मोबाईल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अद्यतन करवाएँ।

चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस नोटिस में संलग्न नहीं है।

लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि:

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु शेयर धारकों के लिए लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 29 मई, 2026 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।

लाभांश का भुगतान:

बैंक के निदेशक मंडल ने 08 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पूर्ण रूप से प्रदत्त रु. 10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए रु. 4.65 (46.50%) लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित लाभांश यदि बैंक की 30वीं एजीएम में अनुमोदित होता है तो स्रोत पर कर की कटौती की शर्त के अधीन उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार प्रदर्शित होते हैं:

- 29 मई, 2026 को कारोबार समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी (अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में लाभार्थी स्वामी के रूप में और;

to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to evoting@nsdl.co.in.

The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and Regulation 36 of SEBI (LODR) Regulations, Notice of the AGM along with the Annual Report 2025-26 is being sent through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. A letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available will be sent to those shareholders who have not registered their email address. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2025-26 of the Bank will also be available on the Bank's website www.bankofindia.bank.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd., at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

PROCESS TO REGISTER THE EMAIL ID FOR RECEIVING BANK'S AGM NOTICE AND ANNUAL REPORT AND UPDATION OF BANK ACCOUNT DETAILS FOR PAYMENT OF DIVIDEND:

For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending the physical copy of duly filled in ISR-1 Form to Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093 or by sending email at info@bigshareonline.com.

For Shareholders holding shares in Demat form: Shareholders holding shares in dematerialised mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register / update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depository Participants.

Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

RECORD DATE FOR DIVIDEND:

Friday, 29th May, 2026 has been fixed as Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Shareholders for dividend for the financial year ended 31st March, 2026.

PAYMENT OF DIVIDEND:

The Board of Directors of the Bank at their meeting held on 8th May, 2026 has recommended dividend @ Rs.4.65 (46.50%) per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March, 2026. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 30th AGM of the Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:

- As Beneficial Owners at the end of the business hours on 29th May, 2026 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e., NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form and;

- रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज सभी अनुरोधों का वैध प्रेषण तथा प्रतिस्थापन प्रभावी होने के बाद 29 मई, 2026 को या उससे पहले बैंक के शेयरधारकों के रजिस्ट्रार में शेयरधारक के रूप में दर्ज 30वीं एजीएम में लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश पात्र शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा।

लाभांश पर टीडीएस:

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों को प्राप्त होने पर लाभांश आय कर योग्य है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है, और बैंक द्वारा शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती किया जाना अपेक्षित है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के संबंध में शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसमें हुए संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपने पैन को अपडेट करें।

एक निवासी शेयरधारक जिसके पास पैन है और जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर में कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म सं. 121 (पूर्ववर्ती 15 जी/15 एच) में आरटीए को ईमेल द्वारा वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से यह नोट करने हेतु अनुरोध है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है तो आयकर 20% की उच्च दर पर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के अंतर्गत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि अपेक्षित दस्तावेज info@bigshareonline.com पर आरटीए को एक ईमेल भेजकर उपलब्ध करवाएँ अर्थात् गैर-स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व की घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 41 (पूर्ववर्ती 10एफ), कोई भी अन्य दस्तावेज जो कर संधि के लाभ उठाने के लिए आवश्यक हों।

शेयरधारकों को घोषणाएँ और दस्तावेज 8 जून, 2026 को या उससे पहले tds@bigshareonline.com पर मेल के ज़रिए जमा करने होंगे, ताकि बैंक लाभांश राशि पर टीडीएस/ कर की दर पर रोक निर्धारित कर सके। 8 जून, 2026 के बाद बैंक द्वारा कर की दर, कर कटौती/निर्धारण पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार, यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही अंतरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। शेयरधारक इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु बैंक या बैंक के रजिस्ट्रारों, अंतरण एजेंटों एवं बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।

संयुक्त धारकों के मामले में, वे शेयरधारक जिनका नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्ट्रार के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वार्षिक आम बैठक में वोट देने के हकदार होंगे।

शेयरधारकों को खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए और जो एजीएम में खुद को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 8 जून, 2026 को या उससे पहले headoffice.share@bankofindia.bank.in पर ईमेल के माध्यम से बैंक को लिखें। उक्त के संबंध में एजीएम में बैंक द्वारा यथोचित उत्तर दिया जाएगा। बैंक द्वारा एजीएम में उचित तरीके से उत्तर दिया जाएगा। केवल वे

- As Shareholders in the Register of Shareholders of the Bank after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before 29th May, 2026.

The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of declaration of Dividend at the 30th AGM.

TDS ON DIVIDEND:

Pursuant to provisions of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

A residential shareholder with PAN and who is not liable to pay tax can submit a yearly declaration in Form No. 121 (Erstwhile 15 G/ 15 H), to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing the necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 41 (Erstwhile 10F), any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at tds@bigshareonline.com.

The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail to tds@bigshareonline.com on or before June 8, 2026 to enable the Bank to determine the TDS / withholding tax rate on the dividend amount. No communication on the tax rate, tax deduction / determination shall be entertained by the Bank after June 8, 2026.

As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or Bank's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Pvt. Ltd., for assistance in this regard.

In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.

Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM and who wants to register themselves as Speakers at the AGM are requested to pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/folio number, PAN and mobile number to the Bank on or before June 8, 2026

शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पहले से पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में अंतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में अंतरित किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएलएफ प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofindia.bank.in> पर निवेशक पृष्ठ के प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड:

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक/बैंक के आरटीए को अनिवार्य रूप से वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए नामांकन विवरण प्रस्तुत करना होगा।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, भौतिक शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए फॉर्म में बैंक/आरटीए को वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत प्रस्तुत करें:

क्रम सं.	रूप	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए
2	फॉर्म आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करना
3	फॉर्म आईएसआर-3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फार्म
5	फॉर्म एसएच-14	नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन (यदि कोई हो)

उपर्युक्त सभी फॉर्म (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14) और उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट https://www.bankofindia.bank.in/format_for_Boi_shareholders पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म को सहायक दस्तावेजों के साथ बैंक के आरटीए को बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नंबर एस 6-2, छठी मंजिल, पिनकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली गुफा रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093 में जमा करें।

through email on headoffice.share@bankofindia.bank.in. The same will be replied by the Bank suitably at the AGM. Only those Shareholders who have pre-registered themselves as a speaker will be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

Shareholders are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). In view of this, Shareholders are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website <https://www.bankofindia.bank.in>.

NORMS FOR FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION:

As per SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank / RTA of the Bank.

Pursuant to above mentioned SEBI circular, all the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank / RTA:

Sl. No.	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register / update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or variation of Nomination (if any)

All above Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14) and the said SEBI circular are available on our website at https://www.bankofindia.bank.in/format_for_Boi_shareholders.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093.

सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से निम्नलिखित प्रावधान को समाप्त कर दिया है-

उन फोलियो को फ्रीज करना जहां अनिवार्य विवरण जैसे पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी को फोलियो का संदर्भ लेना।

ई-वोटिंग

बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को प्रसन्नता हो रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकें। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान करेगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के दौरान अपने वोट नहीं डाले हैं। बैंक ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा **सोमवार, 08 जून, 2026** को रखे गए इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी, जो इस उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग और सामान्य बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 12 जून, 2026 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होकर 14 जून, 2026 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम निर्दिष्ट रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 08 जून, 2026 को सदस्यों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् 08 जून, 2026 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे मतदान करूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में “दो चरण” शामिल हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम को एक्सेस करना

ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने की लॉगइन प्रक्रिया

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में, एकल शेयरधारकों जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं उन्हें अपने डीमैट खाता जो डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में है, के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों की सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has done away with the provision of –

Freezing of folio where mandatory details viz., PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details are not available.

Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and /or Prevention of Money Laundering Act, 2002.

E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N Ananthasubramanian & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Monday, June 08, 2026** being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING AND JOINING GENERAL MEETING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins at 9.00 A.M on June 12, 2026 and ends at 5.00 pm on June 14, 2026. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. June 08, 2026, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being June 08, 2026.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	OTP आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना 8 अंकों का DP ID, 8 अंकों का क्लाइंट ID, PAN नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और OTP जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको NSDL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। मौजूदा आईडीईएस यूजर निजी कम्प्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर विजिट कर सकते हैं। ई-सर्विस होमपेज पर “Beneficial Owner” आइकन के अंतर्गत “Login” पर क्लिक करें, जो IDeAS खंड के अंतर्गत उपलब्ध है, और अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालने के लिए सूचित करेगा। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप वैल्यू एडेड सर्विसेस के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेज देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसेज के अंतर्गत “Access to e-Voting” पर क्लिक कर आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यदि यूजर IDeAS ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “Register Online for IDeAS Portal” का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, ‘Shareholder/Member’ खंड में उपलब्ध ‘Login’ आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूजर आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ ओटीपी

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
	तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप “NSDL Speede” सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on 
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारक	प्रयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल Easi / Easiest facility का चयन किया है, अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest पर लॉग-इन करने वाले प्रयोगकर्ता www.cdslindia.com वेबसाइट पर जाएं और लॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद अपना मौजूदा my easi यूजर नाम एवं पासवर्ड का चयन करें। सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद Easi / Easiest प्रयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पात्र कम्पनियों जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, हेतु ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोगकर्ता बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक से जुड़ने एवं मतदान करने या रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने हेतु ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख पाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम के एक्सेस के लिए भी लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि प्रयोगकर्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सीधे जा सके।

Type of shareholders	Login Method
	and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. NSDL Mobile App is available on 
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers’ website directly.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
	यदि प्रयोगकर्ता का Easi/Easiest हेतु पंजीकरण नहीं है, तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है तथा लॉगइन पर क्लिक करें एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। इसके अलावा, यूज़र www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नम्बर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूज़र को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणन के बाद, यूज़र ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहाँ ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।
एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के नाम पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुंचेंगे।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूज़र आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूज़र आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे evoting@nsdl.com पर अनुरोध प्रेषित कर या 022 - 4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री सं 1800-21-09911 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।

Type of shareholders	Login Method
	If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911

(बी) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

- एनएसडीएल (NSDL) की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से वेब ब्राउज़र को खोलें; URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>, इसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से खोल सकते हैं।
- ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने पर 'Shareholder/Member' खंड में जाएँ एवं "Login" आइकॉन पर क्लिक करें।
- एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल(NSDL) सर्विसेज़ अर्थात आईडीईएस (IDEAS) पर पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस (IDEAS) लॉगिन के माध्यम से <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल के माध्यम से एनएसडीएल(NSDL) सर्विसेज़ पर लॉग-इन करने के पश्चात आप ई-वोटिंग पर क्लिक करके दूसरे चरण में ईलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।

आपके यूज़र आईडी विवरण नीचे दिये गए हैं:

शेयर धारण प्रणाली अर्थात डीमैट(एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक रूप से	आपकी यूज़र आईडी:
क. एनएसडीएल में डीमैट खाते में शेयर धारण करने वाले सदस्यों हेतु	8 अक्षरों की डीपी आईडी तत्पश्चात 8 अंकों की ग्राहक आईडी उदाहरण के तौर पर यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** तथा ग्राहक आईडी 12***** है तो आपकी यूज़र आईडी IN300***12***** है।
ख. सीडीएसएल में डीमैट खाते में शेयर धारण करने वाले सदस्यों हेतु	16 अंकों की बेनीफिशियरी आईडी उदाहरणतया यदि आपकी बेनीफिशियरी आईडी 12***** है तो आपकी यूज़र आईडी 12***** है।
ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों हेतु	EVEN संख्या तत्पश्चात कंपनी की रजिस्टर्ड फोलियो संख्या उदाहरण के तौर पर यदि फोलियो संख्या 001*** एवं EVEN संख्या 101456 है तो यूज़र आईडी 101456001*** है।

एकल शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयर धारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग हेतु पंजीकृत हैं तो आप लॉगिन करने और वोट देने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

- Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
- Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
- A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको पूर्व में प्राप्त 'initial password' को पुनः प्राप्त करना होगा। अपने 'initial password' को पुनः प्राप्त करने के पश्चात् आपको 'initial password' प्रविष्ट करना होगा और सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।

‘इनिशियल पासवर्ड’ को पुनःप्राप्त कैसे करें?

यदि आपकी ईमेल आईडी डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है तो आपका 'इनिशियल पासवर्ड' आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपनी ईमेल आईडी में एनएसडीएल द्वारा प्राप्त मेल को खोजें। ईमेल एवं उसमें प्राप्त संलग्नक को खोलें जो कि एक पीडीएफ़ फ़ाइल है। पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलें। पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलने हेतु पासवर्ड आपके एनएसडीएल(NSDL) खाते 8 अंकों की पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी 'User ID' और आपका 'initial password' होता है।

यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

यदि आप 'इनिशियल पासवर्ड' को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ है या अभी तक 'इनिशियल पासवर्ड' प्राप्त नहीं किया है या पासवर्ड भूल गए हैं तो:

www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं)।

www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं)

यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "Terms and Conditions" पर टिक करें।

अब, आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा।

"Login" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में किस प्रकार शामिल हों?

चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों "ईवीईएन(EVEN)" को देख पाएंगे जिनमें आप शेयर रख रहे हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

उस कंपनी के "ईवीईएन(EVEN)" का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वरचुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "Join Meeting" के तहत उपलब्ध विकल्प "VC / OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

How to retrieve your 'initial password'?

If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.

If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

Physical User Reset Password? (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

Now, you will have to click on "Login" button.

After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".

Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

उपयुक्त विकल्पों अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और "Submit" पर क्लिक करें, संकेत दिए जाने पर "Confirm" करें।

पुष्टि होने पर, संदेश "Vote Cast Successfully" प्रदर्शित किया जाएगा। आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

एक बार प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों हेतु सामान्य दिशानिर्देश

संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) द्वारा संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) स्क्रीनिंग पर ईमेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से तथा evoting@nsdl.com को कॉपी में रखकर मतदान करने के लिए अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजना आवश्यक है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपना बोर्ड संकल्प/ मुख्तारनामा / प्राधिकरण पत्र आदि उनके लॉगिन में "e-Voting" टैब के अंतर्गत दर्शाए गए "Upload Board Resolution / Authority Letter" पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं।

दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प का प्रयोग करना होगा।

कोई भी शंका होने पर, आप शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं,:

भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु – कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वतः सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वतः सत्यापित सत्यापित प्रति) को Headoffice.share@bankofindia.bank.in पर ई-मेल करें।

यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया Headoffice.share@bankofindia.bank.in पर क्लिक करके आरटीए को डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन

Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/ Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Headoffice.share@bankofindia.bank.in.

In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Headoffice.share@bankofindia.bank.in If you

(पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूति धरण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आपसे अनुरोध है कि **चरण 1(ए) में** बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें अर्थात् **डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने की लॉग-इन प्रक्रिया**

वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ evoting@nsdl.com को उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।

केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा किसी कारणवश ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे ईजीएम/एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

जिन लोगों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम / एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम/एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होंगे।

ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने हेतु सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। **सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंचने** के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के विपरीत **"Join Meeting"** मेनू के तहत रखे गए **"वीसी / ओएवीएम"** का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य बैठक में शामिल होने वाले मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

सदस्य को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**

Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE EGM/AGM ARE AS UNDER:-

The procedure for e-Voting on the day of the EGM/AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

Only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM/ AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM/AGM.

Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM/AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.

The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM/AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE EGM/ AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

Member will be provided with a facility to attend the EGM/AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM" placed under **"Join meeting"** menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

इसके अलावा सदस्य को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ कैमरा और इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देने की आवश्यकता होगी।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागियों या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप के माध्यम से उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

जो शेयरहोल्डर अपनी राय बताना चाहते हैं या जिनके कोई सवाल हैं, वे अपना नाम, डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पहले से Headoffice.share@bankofindia.bank.in पर भेज सकते हैं। कंपनी उनका सही जवाब देगी।

व्याख्यात्मक विवरण

मद सं . 3

श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी की बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी को बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात् दिनांक 30.06.2028 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगा।

कार्यपालक निदेशक श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी का संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी को बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने दिनांक 24.11.2025 को कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री द्विवेदी, जिनकी आयु 58 वर्ष है, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और एमबीए (वित्त) के साथ वर्ष 1995 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंकिंग में अपना करियर शुरू किया था। वे भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य हैं। उनके पास वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) से आईटी और साइबर सुरक्षा में और लंदन के जोखिम प्रबंधन संस्थान से जोखिम प्रबंधन के मूल सिद्धांत में भी प्रमाणन है।

30 वर्षों से अधिक के करियर में, उन्होंने विभिन्न पद पर कार्य किया है और देश और विदेश में कार्य किया है। उन्होंने बैंकिंग परिचालन और प्रशासनिक कार्यालयों के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। उन्होंने मिड कॉर्पोरेट - एमएसएमई ग्राहकों पर विशेष ध्यान देने के साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ संबंधों को बढ़ाया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी क्षेत्रों में व्यवसाय की वृद्धि हो और सभी व्यावसायिक क्षेत्रों ने प्रभावी ढंग से एक साथ काम किया।

Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at Headoffice.share@bankofindia.bank.in. The same will be replied by the company suitably.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3

Appointment of Shri Pramod Kumar Dwivedi as Executive Director on the Board of the Bank:

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Pramod Kumar Dwivedi.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Pramod Kumar Dwivedi as Executive Director on the Board of the Bank, with effect from the date of assumption of charge of the office till the date of his attaining the age of superannuation i.e 30.06.2028 or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Pramod Kumar Dwivedi, Executive Director:

Shri Pramod Kumar Dwivedi has been appointed as Executive Director of Bank of India and assumed charge on 24.11.2025.

Shri Dwivedi, aged 58 Years, is a postgraduate in Economics & MBA (Finance) started his career in Banking in the year 1995 as Probationary Officer. He is certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a certification in IT and Cyber Security from the Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) for Senior Management and Fundamentals of Risk Management from Institute of Risk Management, London.

In a career spanning over 30 years, he has worked in different capacities and has worked across the country and abroad. He has functioned in almost all areas of banking operations and Administrative offices. He has widened relationship with Corporate Customers with special focus on Mid Corporate – MSME customers. He also ensured all-round business growth & all business areas worked together in an effective manner.

उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित एफजीएमओ भोपाल के महाप्रबंधक और एफसीजीएमओ पुणे के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सफलतापूर्वक उत्तरदायित्व को निभाया। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, खाद्य एवं कृषि और कृषि अवसंरचना को मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कारोबार विकास मॉडल के अग्रिम पंक्ति में लाकर महत्वपूर्ण संरचनात्मक और सांस्कृतिक उन्नयन किया था। उन्होंने सभी मुख्य व्यावसायिक मापदंडों की समय पर उपलब्धि भी सुनिश्चित की।

पारिश्रमिक का विवरण, वर्ष 2025-26 के दौरान सहभागिता की गई बोर्ड बैठकों की संख्या, यथा 31.03.2026 को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल, सदस्यता/समितियों के अध्यक्ष के रूप में बोर्ड की जानकारी वार्षिक रिपोर्ट 2025 -26 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

श्री प्रमोद द्विवेदी कुमार या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में हित या संबंधित नहीं माना जा सकता है।

आपके निदेशक संकल्प की अनुशंसा करते हैं।

He successfully handled the responsibilities such as General Manager, FGMO Bhopal, comprising of Madhya Pradesh & Chhattisgarh and as a Chief General Manager, FCGMO Pune. He had carried out significant structural and cultural upgrades bringing the Micro, Small & Medium Enterprises, Food & Agro, and Agriculture Infra to the forefront of business development model in MP & Chhattisgarh and Maharashtra. He also ensured the timely achievement of all core business parameters.

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2025-26, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2026 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2025-26.

Other than Shri Pramod Kumar Dwivedi or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Your Directors recommend the Resolution.

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा,

ह/-

(रजनीश कर्नाटक)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक: 21.05.2026

स्थान: मुंबई

Date: 21.05.2026

Place: Mumbai

By Order of Board of Directors,

Sd/-

(Rajneesh Karnatak)

Managing Director & CEO

हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संसूचनाएं प्राप्त करने के लिए डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे : अपने डीमैट खाते के लिए एक ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे : इस संसूचना के छिद्रित भाग को भरकर और हस्ताक्षर करके अपनी सहमति हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को उनके निम्न पते पर भेजें :

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.

यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,

ऑफिस नं.एस6-2, 6ठी मंजिल, पिनैकल बिज़नेस पार्क,

अहुरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड,

अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093.

ई मेल आईडी: investor@bigshareonline.com

टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001

बैंक ऑफ़ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.

यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,

ऑफिस नं.एस6-2, 6वीं मंजिल, पिनैकल बिज़नेस पार्क,

अहुरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093.

ई मेल आईडी: investor@bigshareonline.com

महोदय

मैं/हम _____ भौतिक रूप में बैंक ऑफ़ इंडिया के _____ शेयर रखते हैं और बैंक ऑफ़ इंडिया के कॉर्पोरेट शासन के तहत हरित पहल के एक भाग के रूप में, यहां नीचे दी गई हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से बैंक ऑफ़ इंडिया से सभी संसूचनाएं प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

फोलियो नंबर : _____

ई मेल आईडी : _____ @

मोबाइल नं. : _____

मैं/ हम यह भी वचन देते हैं कि मेरे ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त सूचना को बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की उचित, कानूनी और पर्याप्त डिलीवरी के रूप में माना जाएगा। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि हम बैंक ऑफ़ इंडिया, उसके किसी भी कर्मचारी, रजिस्ट्रार या उसके कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, यदि किसी तकनीकी/अन्य विफलताओं के कारण मेरे/हमारे ईमेल आईडी पर सूचना ठीक से प्राप्त नहीं होती है।

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER
COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to:
Register an email ID to their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Bigshare Services Pvt. Ltd.

Unit : Bank of India,

Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park,

Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,

Andheri East, Mumbai 400093.

E-mail ID: investor@bigshareonline.com

Toll Free No: 1800 309 4001

GREEN INITIATIVE OF BANK OF INDIA

Date :

Bigshare Services Pvt. Ltd.

Unit : Bank of India,

Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park,

Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,

Andheri East, Mumbai 400093.

E-mail ID: investor@bigshareonline.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of India.

Folio Number: _____

Email ID : _____ @

Mobile No. : _____

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

Signature of the First/Sole Shareholder

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

हमारा दृष्टिकोण

“कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान”।

हमारा लक्ष्य

“सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना”।

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक बैंकिंग सेवाएं** तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट www.bankofindia.bank.in का अवलोकन करें। बैंक को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक Headoffice.Share@bankofindia.bank.in पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते हैं।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई-मेल के जरिए शीघ्र नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल आईडी Headoffice.Share@bankofindia.bank.in पर सूचित करें।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and developmental banking for small business, mass market and rural markets".

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website www.bankofindia.bank.in to get the soft copy of Annual Report 2025-26. Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual report may order for it by sending email to Headoffice.Share@bankofindia.bank.in.

Shareholders are requested to register their E-mail ID with the Bank at Headoffice.Share@bankofindia.bank.in for quick/ early receipt of Notice, information, communication through E-mail.

Easy Account
Management

24x7 Fund
Transfer

Open Term Deposit /
SB account online

Invest in Mutual Fund/
IPO/Gold Bond

Purchase Life &
Health Insurance



Scan the QR
Code for Easy
Digital Banking!

Bank of India



Relationship beyond banking

BANK OF INDIA STAR HOUSE

C - 5, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 | Ph: 022-66684914 | Email : cgro.boi@bankofindia.bank.in

Toll Free No.: 1800 220 229 / 1800 103 1906 | Visit : www.bankofindia.bank.in | Follow us on 